नालको NALCO

एक नवरत्न सीपीएसई

39वीं वार्षिक रिपोर्ट 2019-20

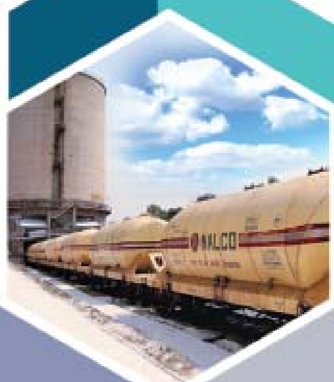

परिकल्पना

एल्यूमिनियम मूल्य श्रृंखला के
देशीय एवं वैश्विक दोनों उत्खनन में
महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करते हुए
धातु एवं ऊर्जा के क्षेत्र में प्रधान और एकीकृत कंपनी बनना

निदेशक मंडल

1.	श्री श्रीधर पात्र	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक*	17.12.2019 से प्रभावी
2.	श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम	निदेशक (उत्पादन) एवं निदेशक (वित्त) - अतिरिक्त प्रभार@	
3.	श्री संजीब कुमार रॉय	निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)	
4.	श्री प्रदीप कुमार मिश्र	निदेशक (वाणिज्यिक)	
5.	श्री राधाश्याम महापात्र	निदेशक (मानव संसाधन)	01.01.2020 से प्रभावी
6.	श्री सतेन्द्र सिंह	अंशकालिक सरकारी निदेशक	05.08.2020 से प्रभावी
7.	श्री उपेन्द्र सी. जोशी	अंशकालिक सरकारी निदेशक	05.08.2020 से प्रभावी
8.	श्री नगेन्द्र नाथ शर्मा	अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	
9.	श्रीमती अचला सिन्हा	अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	
10.	श्री दीपंकर महन्त	अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	20.11.2019 तक
11.	श्री एस. शंकररमण	अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	20.11.2019 तक
12.	श्री पी.के. नायक	अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	20.11.2019 तक
13.	प्रो. दामोदर आचार्य	अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	20.11.2019 तक
14.	श्री महेश्वर साहु	अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	20.11.2019 तक
15.	डॉ. टी.के. चांद	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	30.11.2019 तक
16.	श्री बी.के. ठाकुर	निदेशक (मानव संसाधन)	31.12.2019 तक
17.	श्रीमती किरण घई सिन्हा	अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	02.02.2020 तक
18.	डॉ. के. राजेश्वर राव	अंशकालिक सरकारी निदेशक	05.08.2020 तक
19.	श्री अनिल कुमार नायक	अंशकालिक सरकारी निदेशक	05.08.2020 तक
कंपनी सचिव			
श्री नयन कुमार महान्ति			

* श्री श्रीधर पात्र दिनांक 16.12.2019 तक निदेशक (वित्त) थे। वे दिनांक 01.12.2019 से 16.12.2019 तक अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार को भी धारण किए हुए थे।

@ 10.1.2020 से निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार धारण किए हुए हैं।

पंजीकृत कार्यालय एवं निगम कार्यालय
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड

सीआईएनः L27203OR1981GOI000920
नालको भवन, प्लॉट नं. पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर- 751 013, ओड़िशा
टेलीफोन. : 0674-2303197
ईमेल: company_secretary@nalcoindia.co.in
वेबसाईट : www.nalcoindia.com

39वीं वार्षिक साधारण बैठक

तिथि एवं समयः बुधवार, 30 सितंबर, 2020 को सुबह 11.00 बजे
मानित स्थानः नालको भवन, पी/1, नयापल्ली,
भुवनेश्वर - 751 013
माध्यमः वीडियो कान्फ्रेंसिंग/ओएवीएम

यह वर्ष एक नज़र में

विवरण	एकक	2019-20
भौतिक		
बॉक्साइट	मे. ट.	73,02,245
एल्यूमिना हाईड्रेट	मे. ट.	21,60,500
एल्यूमिनियम	मे. ट.	4,18,373
विद्युत (शुद्ध)	मि. यू.	6,067
पवन ऊर्जा	मि.यू.	312
वित्तीय		
निर्यात कारोबार	₹ करोड़ में	3,511
सकल विक्रय	₹ करोड़ में	8,426
कर-पूर्व लाभ	₹ करोड़ में	226
कर-पश्चात लाभ	₹ करोड़ में	138
प्रति शेयर आय	₹	0.74
प्रति शेयर बही मूल्य	₹	53.54
लाभांश	₹ प्रति शेयर	1.50

विषय सूची

यह वर्ष एक नज़र में	01
निदेशकों की रिपोर्ट	07
नि.सा.उ. गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	37
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	41
व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट	59
ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन एवं विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय की रिपोर्ट	80
निगमित अभिशासन पर रिपोर्ट	84
वार्षिक प्रतिफल का सार	117
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	124
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं वित्तीय विवरण (एकल)	141
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं वित्तीय विवरण (समेकित)	204
5 वर्षों के कार्य-निष्पादन पर एक नजर - भौतिक एवं वित्तीय	266

निदेशकों के विवरण

श्री श्रीधर पात्र
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

श्री श्रीधर पात्र कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक हैं। इनके पास विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में तीन दशकों से भी अधिक समय के शानदार कैरियर का अनुभव है। विभिन्न संगठनों में विद्युत उत्पादन, रणनीतिक खनिज, खनन एवं पेट्रोकेमिकल क्षेत्रों में इनके विविध अनुभव ने इन्हें जटिल मसलों के लिए कूटनीतिक योजनाएँ तैयार करने एवं सफलतापूर्वक संचालित करने की असाधारण क्षमता से समृद्ध किया है।

दिसम्बर 2019 में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के पद पर आसीन होने से पहले, श्री श्रीधर पात्र कंपनी में निदेशक (वित्त) के रूप में सेवा दे रहे थे।

मौजूदा व्यवसाय स्थापना को बनाए रखने और कंपनी की विस्तार योजनाओं को बढ़ाने के लिए श्री पात्र ने विभिन्न पहलों एवं कार्यवाही योजनाओं को प्रारंभ किया है। व्यवसाय को प्रभावी एवं सुदक्ष तरीके से संचालित करने के लिए सुरक्षा, लागत एवं जन प्रबंधन क्षेत्र को उन्होंने सबसे अधिक महत्व दिया है।

श्री पात्र परिणाम-चालित एवं दल अभिमुखी नेतृत्व के साथ एक अनुभवी वित्त एवं लेखा पेशेवर हैं। निगमित लेखा, बजटिंग एवं नियंत्रण, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर प्रबंधन, रणनीतिक वित्तीय एवं व्यवसाय योजना, संविदाओं के वित्तीय मूल्यांकन, लागत उत्कर्षता एवं राजकोषीय कार्य में उनका अनुभव एवं विशेषज्ञता किसी भी संगठन के लिए बहुमूल्य संपत्ति है।

नालको से जुड़ने से पहले, उन्होंने टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक (वित्त) के रूप में 5 वर्षों के लिए सेवा की थी। श्री पात्र भारतीय सनदी लेखापाल संस्था के सदस्य हैं। मानव संसाधन में उनके पास एमबीए की डिग्री भी है एवं पेशेवर लेखांकन संस्थानों में शिक्षाविद के रूप में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

निदेशकों के विवरण

श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम्

निदेशक (उत्पादन)

श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम् 01.01.2015 से निदेशक (उत्पादन) के रूप में कंपनी से जुड़े हैं।

01.12.1960 को जन्मे, श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम् ने रसायन इंजीनियरिंग में बी.टेक पूरा करने के बाद नालको में स्नातक अभियंता प्रशिक्षु (जीईटी) के रूप में 1984 में कार्यारंभ किया था। नालको के साथ जुड़ी अपने तीन दशकों की दीर्घ सेवा के दौरान, श्री बालसुब्रमण्यम् ने एल्यूमिनियम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अभिग्रहण से लेकर समावेशन तक महत्वपूर्ण योगदान किया। अपने व्यापक वृत्तिक अनुभव के साथ, जिसमें नालको के दोनों उत्पादन संकुलों में परियोजना कार्यान्वयन से संयंत्र परिचालन शामिल है, श्री बालसुब्रमण्यम् ने निदेशक (उत्पादन) के पद पर जुड़ने से पूर्व संगठन में अत्यन्त समीक्षात्मक एवं महत्वपूर्ण पदभार संभाले।

श्री बालसुब्रमण्यम् इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल्स (आई आई एम) के आजीवन सदस्य, फेडरेशन इंडियन मिनरल इंडस्ट्रीज (एफआईएमआई) की प्रबंधन समिति के सदस्य एवं भारतीय उद्योग महासंघ (सीआईआई) की ओड़िशा शाखा के ऊर्जा पैनल के सदस्य भी हैं।

श्री संजीब कुमार रॉय

निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)

श्री संजीब कुमार रॉय 03.02.2017 से कंपनी के निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) हैं।

श्री रॉय ने रामकृष्ण मिशन विद्यामंदिर, बेलुड़ मठ से बी.एससी (रसायन में ऑनर्स) और फिर कोलकाता विश्वविद्यालय से रसायन इंजीनियरिंग विषय में बी.टेक और एम.टेक पूरा किया। वर्ष 1984 में उन्होंने नालको में स्नातक अभियंता प्रशिक्षु के रूप में अपनी आजीविका की शुरुआत की। वे कंपनी के एल्यूमिना परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी में इस परियोजना के आरम्भ से ही तैनात थे, जहाँ उन्होंने महाप्रबंधक (परिशोधक) बनने के पूर्व दो चरणों के विस्तार कार्यक्रम सहित अनेक प्रमुख पदभार संभाले। तत्पश्चात् मई 2012 में कार्यपालक निदेशक (प्रद्रावक एवं विद्युत) के पद पर पदोन्नत होने के पूर्व वे अनुगुल में कंपनी के प्रद्रावक संयंत्र में महाप्रबंधक (प्रद्रावक) के पद पर तैनात थे। श्री रॉय अप्रैल, 2015 में कार्यपालक निदेशक (उत्पादन) के पद पर मुख्यालय भुवनेश्वर में तैनात हुए। वर्ष 2013 के दौरान धातुकर्मीय क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए वर्ष 2014 में इन्हें "नालको-आईआईएम गोल्ड मेडल" का पुरस्कार प्राप्त हुआ। वर्ष 2018 के लिए उन्हें ओड़िशा इंजीनियर्स फोरम से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि के लिए "उत्कर्ष पुरस्कार" प्राप्त हुआ।

श्री रॉय ने अपनी कार्य अवधि में कंपनी के संयंत्र एवं परिचालन के साथ-साथ परियोजनाओं की संकल्पना से लेकर प्रवर्तन तक के विषद अनुभव से कंपनी की सेवा की है।

श्री प्रदीप कुमार मिश्र

निदेशक (वाणिज्यिक)

श्री प्रदीप कुमार मिश्र 23.04.2018 को निदेशक (वाणिज्यिक) के रूप में कंपनी से जुड़े।

12.02.1961 को जन्मे, श्री प्रदीप कुमार मिश्र उत्कल विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर हैं। भारतीय इस्पात प्राधिकरण में वर्ष 1983 में उन्होंने प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में वृत्तिक आजीविका की शुरुआत की। वे विपणन प्रबंधन के क्षेत्र में अपने साथ गहन एवं विविध अनुभव लेकर आए हैं। भारतीय इस्पात प्राधिकरण में 35 वर्षों के अपने सेवाकाल के दौरान वे भारतीय इस्पात प्राधिकरण के तीन क्षेत्रों में क्षेत्रीय प्रबंधक बनने सहित विभिन्न पदों पर तैनात थे। उन्होंने कार्यपालक निदेशक के रूप में 3 वर्षों के लिए, भारतीय इस्पात प्राधिकरण के समतल उत्पादों के घरेलू विपणन की अगुआई की। श्री मिश्र को भारतीय इस्पात प्राधिकरण में विपणन क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए गौरवान्वित जवाहर पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

निदेशकों के विवरण

श्री राधाश्याम महापात्र
निदेशक (मानव संसाधन)

श्री राधाश्याम महापात्र दिनांक 01.01.2020 से निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में कंपनी से जुड़े। 11.11.1964 को जन्मे, श्री राधाश्याम महापात्र खालीकोट कॉलेज, बरहमपुर से एक भौतिक स्नातक हैं एवं बरहमपुर विश्वविद्यालय से औद्योगिक संबंध एवं श्रम कल्याण में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने वर्ष 1989 में एनएचपीसी में परिवीक्षा कार्यपालक (कार्मिक) के रूप में अपनी वृत्तिक आजीविका शुरू की एवं अपने वृत्तिक सफर में अन्य केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम जैसे कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एवं कोल इण्डिया लिमिटेड (सीआईएल) में वे उच्च स्तरीय पदों पर आसीन हुए। नालको से जुड़ने से पहले, वे सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (कोल इण्डिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी) के साथ निदेशक (कार्मिक) के रूप में जुड़े थे। वे अपने साथ मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में समृद्ध एवं विविध अनुभव लेकर आए हैं। विभिन्न संगठनों में 30 वर्षों के अपने सेवा काल के दौरान टीम कार्य के माध्यम से उत्पादकता में निरंतर वृद्धि लाने के लक्ष्य से कार्य-संस्कृति शुरू करने के प्रेरक रहे। वे इस सिद्धांत के विश्वासी रहे हैं कि किसी भी संगठन के लिए 'मानव संसाधन' सबसे बड़ी संपत्ति है एवं उत्पादकता को बढ़ाने, कौशल विकास के माध्यम से रोजगार सृजन, खेल-कूद संस्कृति के प्रचार आदि के लिए अपनी विशेषज्ञता विकसित की। सभी आंतरिक हितधारकों जैसे कि यूनियन, संघ, कर्मचारियों आदि के साथ स्नेहपूर्ण संबंध बनाए रखते हुए सभी संगठनों में एक अच्छे औद्योगिक संबंध परिवेश की सृष्टि की। मानव संसाधन के क्षेत्र में उपने बहुमूल्य योगदान के लिए इन्हें गोल्डन पिकॉक अवार्ड भी दिया गया है। वर्ल्ड एचआरडी कॉंग्रेस द्वारा इन्हें सर्वोत्तम एचआर अवार्ड भी दिया गया है। वे राष्ट्रीय कार्मिक प्रबंधन संस्था (एनआईपीएम) के आजीवन सदस्य हैं।

श्री सतेन्द्र सिंह
अंशकालिक सरकारी निदेशक

श्री सतेन्द्र सिंह झारखंड संवर्ग के 1995 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) हैं। वर्तमान में, वे खान मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यकर रहे हैं।

श्री सिंह ने झारखंड की राज्य सरकार में विभिन्न क्षमताओं में अपनी सेवा दी है। उन्होंने भूमि राजस्व प्रबंधन एवं जिला प्रशासन के लिए जिला स्तर पर कार्य किया है। उन्होंने झारखंड में पंचायत राज विभाग/स्थानीय स्व-सरकार, परिवहन एवं सूचना प्रौद्यिगीकी विभाग में निदेशक स्तर पर अपनी सेवा दी। केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर आगे बढ़ने से पहले उन्होंने राज्य के सचिव (व्यय), वित्त के अतिरिक्त कार्य-भार के साथ राज्यपाल के प्रधान सचिव के रूप में सेवा दी है।

श्री सिंह ने रुढ़की विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स में बी.ई. किया है। उन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न अल्पकालिक पाठ्यक्रमों में हिस्सा लिया है।

श्री सिंह के पास सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने का प्रचुर अनुभव है।

खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में भी श्री सिंह निदेशक हैं।

श्री उपेन्द्र सी जोशी
अंशकालिक सरकारी निदेशक

श्री उपेन्द्र सी जोशी 1989 बैच के भारतीय रेल यातायात सेवा (आईआरटीएस) हैं। वर्तमान में, वे खान मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। खान मंत्रालय से जुड़ने से पहले, मंडल, जोनल एवं रेल मंत्रालय स्तर पर विभिन्न क्षमताओं में भारतीय रेल को अपनी सेवा दी है एवं सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने का इनके पास अच्छा अनुभव है।

श्री उपेन्द्र चन्द्र जोशी मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक भी हैं।

निदेशकों के विवरण

श्री नगेन्द्र नाथ शर्मा
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

श्री एन एन शर्मा दिनांक 06.09.2017 से निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशक नियुक्त हुए हैं।

12 अगस्त 1950 को जन्मे, श्री एन एन शर्मा ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.एससी की है। वर्तमान में, वे बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी (बीआईएमटीईसीएच), ग्रेटर नोएडा में सेन्टर फॉर कॉर्पोरेट सोशल रेस्पान्सिबिलिटी एण्ड सस्टेनिबिलिटी के अध्यक्ष हैं। वे एसीसी लि. के समाज लेखा परीक्षा समिति के सदस्य भी हैं। श्री शर्मा ने एनटीपीसी, एनएचपीसी, भारतीय इस्पात प्राधिकरण एवं एनपीसीआईएल जैसे निगमों के नि.सा.उ. वृत्तिकों के क्षमता विकास कार्यक्रम का संचालन किया है। समाज विकास के क्षेत्र में इनके पास कार्य करने का तीन दशकों से अधिक का अनुभव है। आई.एफ.सी.आई. द्वारा स्थापित राजस्थान कन्सल्टेन्सी ऑर्गेनाइजेशन (आर.ए.जे.सी.ओ.एन.) एवं अन्य विकास संगठनों के प्रबंधक निदेशक थे और उ.प्र. अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम के प्रथम महाप्रबंधक भी थे।

उन्होंने यूएनडीपी एवं यूएनआईडीओ के साथ भी कार्य किया है और विश्व बैंक तथा डीएफआईडी, यूके द्वारा समर्थित परियोजनाओं से भी जुड़े हुए थे।

श्रीमती अचला सिन्हा
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

श्रीमती अचला सिन्हा दिनांक 08.09.2017 को निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशक नियुक्त की गई हैं।

श्रीमती सिन्हा ने पटना विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एम.ए., पंजाब विश्वविद्यालय से लोक प्रशासन में एम.फिल., भारतीय लोक प्रशासन संस्था (आईआईपीए), नई दिल्ली से एडवान्स प्रोफेशनल प्रोग्राम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (एपीपीपीए) की है।

वे 1982 बैच के भारतीय रेल की यातायात सेवा अधिकारी (आईआरटीएस) हैं। उन्होंने पूर्व रेलवे के दानापुर मंडल से सहायक वाणिज्य प्रबंधक के रूप में अपनी आजीविका की शुरुआत की थी, तीन दशकों से भी अधिक समय से विभिन्न क्षमताओं में रेल मंत्रालय में i) निदेशक (पर्यटन), ii) कार्यपालक निदेशक (सांख्यिकी और आर्थिक) एवं उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल में मुख्य यातायात प्रबंधक और पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर में मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक (एचओडी) के रूप में कार्य किया है।

अपने मूल संवर्ग, भारतीय रेल से बाहर प्रतिनियुक्ति पर : उप सचिव, खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य मंत्रालय, बिहार सरकार, निदेशक संपदा, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार; अपर सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के रूप में तीन बार सेवा की है।

उन्होंने वार्षिक रेल सप्ताह के दौरान अपने असाधारण कार्य-प्रदर्शन के लिए महाप्रबंधक पूर्व रेलवे पुरस्कार एवं आईआईपीए, नई दिल्ली की ओर से 30 वें एडवान्स प्रोफेशनल प्रोग्राम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (एपीपीपीए) में सर्वश्रेष्ठ महिला भागीदारी का पुरस्कार जीता है।

भारतीय रेल और साथ ही नगर विकास मंत्रालय, भारत सरकार की कार्यप्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए कई संकल्पनात्मक लेख भी लिखा है। इनमें से कई संकल्पनाओं पर चर्चा की गई है एवं इन्हें कार्यान्वित भी किया गया है।

कार्यपालक निदेशकगण

श्री आर.एस. दास
कार्यपालक निदेशक (खान एवं परि.)

श्री एम.पी. मिश्रा
कार्यपालक निदेशक (प्रदावक एवं विद्युत)

श्री डी. महापात्र
कार्यपालक निदेशक (उत्पादन)

श्री एस.के. पटेल
कार्यपालक निदेशक (परि. एवं तकनीकी)-I

श्री ए. के मूर्ति
कार्यपालक निदेशक
(औ.अ., सू.का.अ. व सं. म)

श्री बी.के. दास
कार्यपालक निदेशक (परि. एवं तकनीकी)-II

श्री आर.एन. महापात्र
कार्यपालक निदेशक (वाणिज्यिक-विपणन)

श्री एस.के. मिश्र
कार्यपालक निदेशक (मा.सं. व प्र.)

श्री एस. सामंतराय
कार्यपालक निदेशक (वाणिज्यिक-सामग्री)

श्री सोमनाथ हंसदा
मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री एन.के. महान्ति
कंपनी सचिव

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों (एकल एवं समेकित) और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ आपकी कंपनी की 39वीं वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष पेश करते हुए आपके निदेशकगणों को बहुत प्रसन्नता हो रही है।

1.0 कार्य-निष्पादन के प्रमुख अंश:

1.1 भौतिक कार्य-निष्पादन:

उत्पादन	एकक	2019-20	2018-19
बॉक्साइट	मे.ट.	73,02,245	72,30,546
एल्यूमिना हाईड्रेट	मे.ट.	21,60,500	21,52,500
एल्यूमिनियम	मे.ट.	4,18,373	4,40,242
विद्युत (शुद्ध) - ग्र.वि.सं.	मि.यू.	6,067	6,256
पवन उर्जा	मि.यू.	310	363

- बॉक्साइट खान ने बॉक्साइट परिवहन में 73.02 लाख टन हासिल किया है जो स्थापना से अब तक सर्वाधिक है।
- एल्यूमिना परिशोधक ने 21.61 लाख टन एल्यूमिना हाईड्रेट के उत्पादन के साथ मानक क्षमता (अर्थात 21 लाख टन) का 102.9% हासिल किया है और यह भी स्थापना से अब तक का सर्वाधिक है।
- एल्यूमिना परिशोधक के वाष्प सृजन संयंत्र (एसजीपी) ने 530 मिलियन यूनिट का शुद्ध विद्युत उत्पादन किया है (अब तक का उच्चतम)।
- एल्यूमिनियम प्रद्रावक ने वित्त वर्ष 2019-20 में 4.18 लाख टन का धातु उत्पादन किया है, कोयले की उपलब्धता एवं एल्यूमिनियम के एलएमई मूल्य के मद्देनज़र एल्यूमिनियम के उत्पादन ईष्टतम स्तर पर पहुँच पाया।
- ग्रहित विद्युत संयंत्र (ग्र.वि.सं.): ग्र.वि.सं. ने वर्ष के दौरान 6,067 मिलियन यूनिट (मि.यू.) शुद्ध विद्युत का उत्पादन किया है।
- पवन विद्युतः देश के विभिन्न स्थानों में चार पवन विद्युत एककों ने वित्तीय वर्ष के दौरान 310 मि.यू. शुद्ध पवन विद्युत का उत्पादन किया है।
- नए उत्पादः आपकी कंपनी ने निम्नलिखित नए उत्पादों का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है:

  क) एए 8011 कुकवेयर चादर।

  ख) एए 6062 एवं एए 6051 ग्रेड का मिश्र धातु बिलेट जो बेहतर संवाहकता, उच्च जंग-रोधकता एवं उच्च ताप सहनीय क्षमता के साथ बेहतर कार्य दृढ़ीकरण एवं उच्चतर उत्पादकता के लिए जाने जाते हैं।

  ग) एए 1200 ग्रेड का मिश्र धातु जो विशेष रूप से एलईडी लैम्प कैप के निर्माण में सुविस्तृत प्रयोग की सुविधा देता है।

  घ) एल्यूमिनियम फॉयल के उत्पादन में प्रयुक्त एल्यूमिनियम फॉयल स्टॉक जिसकी खाद्य, प्रसाधन एवं रसायन उत्पादों के पैकेजिंग उद्योग में बहुत मांग है।

2.0 विक्रय कार्य-निष्पादनः

2.1 रसायनः

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कुल 13,03,704 मे.ट. एल्यूमिना की बिक्री हासिल की है, जिसमें 12,40,704 में. ट. का कुल एल्यूमिना निर्यात शामिल है। वर्ष 2018-19 के लिए तदनुरूपी आंकड़े क्रमश 13,17,633 मे.टन एवं 12,44,256 मे. टन थे।

2.2 धातुः

आपकी कंपनी ने वर्ष 2019-20 के दौरान 3,95,761 मे.ट. की कुल एल्यूमिनियम धातु की बिक्री की, जो कि वर्ष 2018-19 के दौरान हासिल 4,40,597 मे. टन के बिक्री आंकड़ों से कम है। एल्यूमिनियम की कुल बिक्री में 3,38,864 मे. टन की घरेलू बिक्री एवं 56,898 मे. टन की निर्यात बिक्री शामिल है। कुल देशी धातु बिक्री में प्रद्रावक संयंत्र से कार्यान्वित 2,67,200 मे. टन एवं स्टॉकयार्ड से कार्यान्वित 71,664 मे. टन शामिल है। कोविड-19 महामारी फैलने के कारण मार्च 2020 के दौरान देशी धातु बिक्री बाधित हुई थी। सरकार द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन लगाए जाने की घोषणा की गई थी, जिससे अधिकांश औद्योगिक गतिविधियाँ स्थगित रही थी। इसके फलस्वरूप, ग्राहकों द्वारा की जा रही खरीद में कमी आई एवं मार्च, 2020 में असामान्य रूप से बड़े परिमाण में माल (लगभग 23,000 मे.टन) की बिक्री नहीं हो पाई।

वर्ष 2019-20 के दौरान हासिल बिक्री का सार नीचे तालिका में वर्णित है :

उत्पादन	इकाई	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
निर्यात			
एल्यूमिना	मे.ट.	12,40,704	12,44,256
एल्यूमिनियम	मे.ट.	56,898	38,463
देशीय			
एल्यूमिना एवं हाईड्रेट	मे.ट.	63,000	73,377
एल्यूमिनियम	मे.ट.	3,38,864	4,02,134
कुल धातु बिक्री	मे.ट.	3,95,761	4,40,597
कुल रसायन बिक्री	मे.टन	13,03,704	13,17,633

3.0 वित्तीय कार्य-निष्पादन

वित्तीय कार्य-निष्पादन का विवरण नीचे दिया गया है:

₹ करोड़ में

विवरण	2019-20	2018-19
प्रचालनों से राजस्व (सकल)	8,472	11,499
अन्य आय	273	326
कुल आय	8,744	11,825
खपत हुई कच्ची सामग्री	1,702	1,920
कोयला सहित विद्युत एवं ईंधन	2,965	2,927
कर्मचारी परिलाभ व्यय	1,994	2,072
अन्य व्यय	1,327	1,690
मूल्यह्रास एवं ऋणशोधन व्यय	530	476
कुल व्यय	8,518	9,085
विशिष्ट मदों के पूर्व लाभ	226	2,740
जोड़/(घटाव): विशिष्ट मद [आय/(व्यय)]	—	—
कर-पूर्व लाभ	226	2,740
कर व्यय	88	1,008
कर-पश्चात लाभ	**138**	**1,732**

वित्तीय कार्य-निष्पादन

(₹ करोड़ में)

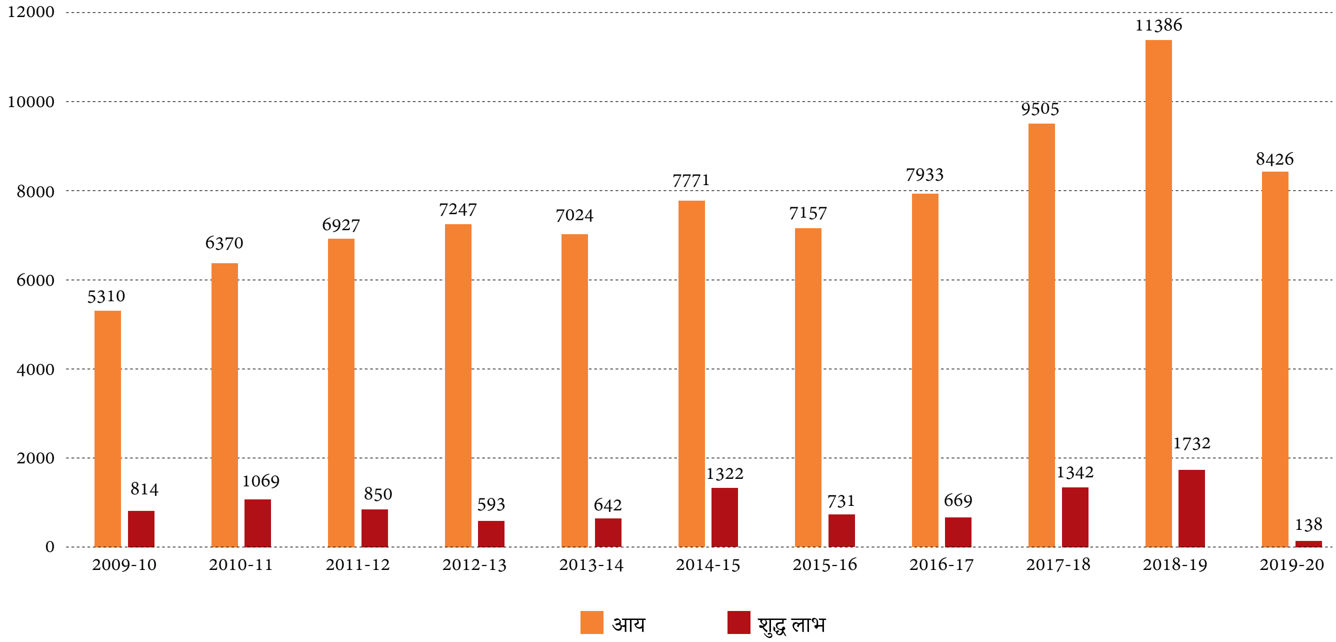

4.0 भावी दृष्टिकोणः

4.1 एल्यूमिनाः

वर्ष 2019 में बाजार अतिरेक आपूर्ति की साक्षी बना, इसके अलावा प्रद्रावकों से मांग कम रही, जिससे मौजूदा बाजारों में मूल्य संचलन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वैश्विक एल्यूमिना मूल्य वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में लगभग यूएस डॉलर 410-420 प्रति मे. टन से गिरकर मार्च, 2020 के अंत तक लगभग यूएस डॉलर 260-270 प्रति मे.टन आ गया। कोविड-19 महामारी के प्रसार ने इस समस्या को और भी गंभीर बना दिया, क्योंकि कई देशों में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। एल्यूमिनियम धातु की मांग एवं इसके फलस्वरूप एल्यूमिना की मांग बहुत तेजी से नीचे आ गई। वैश्विक एल्यूमिना के मूल्य अप्रैल 2020 के दौरान यूएस डॉलर 220-230 प्रति मे. टन के न्यून स्तर पर बने रहे। हालांकि लॉकडाउन में ढील दिए जाने एवं आर्थिक गतिविधियाँ पुनः शुरू होने के साथ जून 2020 तक मामूली सुधार के साथ मूल्य लगभग यू एस डॉलर 250-260 प्रति मे. टन पहुँच गया है, परन्तु संपूर्ण एल्यूमिनियम मूल्य श्रृंखला में अतिरिक्त आपूर्ति एवं कमजोर मांग के कारण पूरे वित्तीय वर्ष 2020-21 में मूल्यों पर दबाव बने रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

4.2 एल्यूमिनियमः

एल्यूमिना के मंद रूख की तरह ही पूरे वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान वैश्विक एल्यूमिनियम मूल्यों में उदासी छायी रही। औसत मासिक एलएमई नकद मूल्य अप्रैल 2019 के यूएस डॉलर 1,849 प्रति मे. टन से गिरकर मार्च 2020 में यूएस डॉलर 1,611 प्रति मे. टन आ गया। पूरे विश्व में कोविड-19 को लेकर किए गए लॉकडाउन से मूल्य और भी कम होते हुए अप्रैल 2020 में यूएस डॉलर 1,457 प्रति मे.टन पहुँच गया, जो पुनः 2020 तक यूएस डॉलर 1,600 प्रति मे. टन से नीचे बना हुआ है।

देशी बाजार में, एल्यूमिनियम की मांग वर्ष के अधिकांश समय में स्थिर रही है, परन्तु मार्च 2020 में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा से मांग धड़ाम से नीचे गिर गई। इसके फलस्वरूप, इस अवधि के दौरान आपकी कंपनी की बिक्री बुरी तरह से प्रभावित हुइ थी। हालांकि देश में धीरे-धीरे लॉकडाऴन में छूट दी जा रही है, परन्तु मांग अभी भी कोविड से पूर्व वाली अवस्था में नहीं पहुँच पाई है एवं एल्यूमिनियम क्षेत्र में स्वाभाविकता आने में संभवतः अभी कुछ और समय लगेगा।

5.0 कोविड-19 का सामना करने की दिशा में नालको के प्रयासः

एक जिम्मेदार निगमित संस्था के रूप में, आपकी कंपनी ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड में ₹5 करोड़ एवं कर्मचारियों के एक दिन के वेतन के रूप में ₹2.6 करोड़ की राशि का अंशदान किया है। आपकी कंपनी ने मुख्यमंत्री राहत कोष, ओड़िशा में भी कर्मचारियों के एक दिन के वेतन के रूप में ₹2.6 करोड़ का अंशदान किया है। कोविड-19 राहत निधि में कुल अंशदान ₹10.2 करोड़ है।

कोविड-19 महामारी की लड़ाई में गृह राज्य ओड़िशा के प्रति अपनी वचनबद्धता एवं एकजुटता जताते हुए, आपकी कंपनी ने ओड़िशा के नबरंगपुर में एक विशिष्ट 200 शय्यावाले अस्पताल को वित्तपोषित किया है। यह अस्पताल आदिवासी बहुल आबादी वाले अविभाजित कोरापुट जिले के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा एवं कोविड-19 का सामना करने में मदद मिलेगी।

सरकारी उत्तरदायी एवं अनुदेशों के अनुसार, आपकी कंपनी ने अपने सभी प्रचालन एककों एवं कार्यालयों में कोविड-19 के प्रति जागरूकता एवं रोकथाम उपायों को अमल में लाया गया। कंपनी के निजी स्वामित्व वाले अस्पताल में कोविड-19 रोगियों के लिए सुनिर्दिष्ट कोरोना कॉर्नर एवं पृथकवास वॉर्ड तैयार किए गए हैं।

आपकी कंपनी द्वारा कार्यालयों, संयंत्र परिसरों, शॉप फ्लोर, कैन्टीन, नालको के टाउनशिप के साथ अस्पताल एवं बाजार परिसर एवं आसपास के गाँवों में बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया।

एक उत्तरदायी निगमित संस्था के रूप में आपकी कंपनी ने आसपास के गाँवों में वितरण करने के लिए जिला प्रशासन को फेस मास्क उपलब्ध कराया। कंपनी ने संयंत्र स्थलों में अपने कर्मचारियों, संविदा कामगारों एवं अन्य लोगों को भी फेस मास्क उपलब्ध कराया। गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को अस्थायी जीविका सहयोग के लिए सुखे राशन भी प्रदान किए गए।

6.0 लाभांश एवं विनियोजनः

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने @ ₹ 1.50 प्रति इक्विटी शेयर की दर से कुल ₹279.84 करोड़ अंतरिम लाभांश एवं वर्ष 2018-19 के

लिए @₹1.25 प्रति इक्विटी शेयर की दर से कुल ₹233.20 करोड़ के अंतिम लाभांश का भुगतान किया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कुल लाभांश भुगतान पिछले वर्ष के ₹1,072.73 करोड़ की तुलना में ₹513.04 करोड़ रहा है। प्रयोज्य लाभांश वितरण कर सहित लाभांश भुगतान पिछले वित्तीय वर्ष के 74.65% की तुलना में कर-पश्चात लाभ (पीएटी) का 244.06% रहा।

7.0 समझौता ज्ञापन कार्य-निष्पादन:

वित्तीय कार्य-निष्पादन एवं अन्य मानदंडों की उपलब्धियों पर, आपकी कंपनी को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए भारत सरकार के साथ आपकी कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार "उत्कर्ष" का दर्जा दिया गया है।

कोविड-19 के प्रभाव के कारण, वित्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणाम की घोषणा में विलम्ब हुआ था एवं वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अस्थायी एमओयू अंक अभी तय नहीं किया गया है।

8.0 कच्चे माल का प्रतिभूतिकरण:

- पंचपटमाली बॉक्साइट खान (केन्द्रीय एवं उत्तरी ब्लॉक) एवं दक्षिणी ब्लॉक के पास क्रमशः 16.11.2032 एवं 19.07.2029 तक पट्टे की वैधता के साथ सभी सांविधिक अनुमतियाँ हैं। दोनों खान प्रचालन में हैं। पंचपटमाली बॉक्साइट खान (दक्षिणी ब्लॉक) के खनन पट्टे का निष्पादन 17.03.2020 को जिला अधिकारी, कोरापुट के साथ किया गया।
- परिशोधन संयंत्र के लिए मेसर्स एनसीएल से ट्रेन्च-II नीलामी में लिंकेज नीलामी मार्ग के माध्यम से जी-8 ग्रेड लिंकेज कोयले (2 लाख मे.टन/वर्ष) की बुकिंग की गई जो 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध है एवं अगले 5 वर्ष के लिए विस्तार किया जा सकता है। इसके लिए ईंधन आपूर्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर 21 जुलाई, 2017 को किया गया एवं 20 जुलाई 2022 तक वैध है।

क्रशर एवं कन्वेयर प्रणाली का शिलान्यास

- एकक 1 से 8, ग्र.वि.सं., अनुगुल (47.16 ला.मे.ट./वर्ष), एल्यूमिना संयंत्र, दामनजोड़ी (5.47 ला.मे.ट./वर्ष), एसपीपी का टीजी-I से III, दामनजोड़ी (3.26 ला.मे.ट./वर्ष) के लिए ईंधन आपूर्ति अनुबंध का 1 मई, 2018 से अगले 5 वर्षों के लिए नवीकरण किया गया, जो 20 अप्रैल, 2023 तक वैध है।
- एल्यूमिना परिशोधक (1.01 ला.मे.ट./वर्ष) के टीजी-IV के लिए मौजूदा ईंधन आपूर्ति अनुबंध का नवीकरण 23 दिसम्बर, 2016 से अगले 5 वर्ष के लिए किया गया था, जो 22 दिसम्बर, 2021 तक वैध है। इसमें से, 50% देशीय कोयला है (अर्थात 50,500 मे.ट.) जिसकी अभी आपूर्ति की जा रही है एवं 50% आयातित कोयला है जिसे नहीं चुना गया है।
- ग्र.वि.सं. के लिए 8,90,000 मे.ट./वर्ष के ब्रिज लिंकेज कोयले के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) 10 नवम्बर, 2016 को हस्ताक्षरित हुआ था एवं यह 1 मई, 2019 तक वैध है। उत्कल ई एवं डी कोयला ब्लॉक को आरंभ करने में हुई देरी के कारण कोयला मंत्रालय के पास इसके विस्तार के लिए आवेदन किया गया था। 2 मई, 2019 से 31 मार्च, 2021 तक विस्तार के लिए अनुमोदन दिया गया एवं एमओयू के विस्तारीकरण पर हस्ताक्षर 4 मई, 2019 को किया गया। इससे ग्र.वि.सं. को मार्च 2021 तक 8.9 लाख मे. टन की अतिरिक्त कोयला सुरक्षा सुनिश्चित हुई।
- आपकी कंपनी ने एल्यूमिना परिशोधक के लिए ट्रेन्च-IV लिंकेज नीलामी में भाग लिया था एवं मेसर्स एनसीएल ब्लॉक-बी स्पर-II साइडिंग से रेल माध्यम द्वारा 59,688 मे.ट./वर्ष लिंकेज नीलामी कोयले (जी9 ग्रेड) एवं मेसर्स एमसीएल (सारदेगा साइडिंग, स्पर 1 एवं 2, स्पर 5 एवं 6) से 1,06,900 मे.ट./वर्ष लिंकेज नीलामी कोयले को बुक किया है। मेसर्स एनसीएल के लिंकेज नीलामी कोयले के लिए एफएसए 29 मार्च, 2019 को हस्ताक्षरित हुआ एवं 28 मार्च, 2024 तक यह वैध है। मेसर्स एमसीएल का एफएसए दिनांक 09.04.2019 को हस्ताक्षरित हुआ एवं दिनांक 08.04.2024 तक वैध है।
- उपर्युक्त सभी प्रयासों से दामनजोड़ी में आपकी कंपनी के एसपीपी के लिए 12,90,412 मे.ट./वर्ष (कुल आवश्यकता का 92%) एवं अनुगुल में आपकी कंपनी के ग्र.वि.सं. के लिए 56,06,648 मे.ट./वर्ष (कुल आवश्यकता का 85%) लिंकेज कोयला सुरक्षा सुनिश्चित हो पाई है।
- उपर्युक्त के अलावा, आपकी कंपनी आवश्यकताओं में उत्पन्न कमी के परिमाण को पूरा करने के लिए, सीआईएल एवं एससीसीएल की सहायिकाओं द्वारा अधिसूचित ई-नीलामी कोयले (विशिष्ट नीलामी/स्पॉट ई-नीलामी) में भाग ले रही है।

9.0 कार्यान्वयन के अन्तर्गत परियोजनाएँ:

9.1 एल्यूमिना परिशोधक की 5 वीं धारा::

आपकी कंपनी ₹5,540 करोड़ के पूँजी व्यय से अपने निवर्तमान एल्यूमिना परिशोधक में 5वीं धारा की स्थापना की प्रक्रिया में है, जिससे 2.275 मे.ट.प्र.व. की वर्तमान संस्थापित क्षमता (कुल क्षमता 3.275 मे.ट.प्र.व.) में 1.0 मे.ट.प्र.व. की क्षमता जुड़ेगी, जो मेसर्स रियो टिंटो अल्कान इंटरनेशनल लिमिटेड (आरटीएआईएल) के मध्यम दबाव पाचन की उन्नत प्रौद्योगिकी पर आधारित होगी।

आपकी कंपनी ने पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरणीय अनुमति और ओड़िशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना के लिए सहमति (सीटीई) जैसी प्रमुख सांविधिक अनुमतियाँ प्राप्त कर ली है। मेसर्स थाइसेंक्रप्प इंडस्ट्रियल सोल्यूशन्स (इंडिया) प्राइवेट लि. को इस परियोजना के लिए ई.पी.सी.एम. सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। एल्यूमिना परिशोधक के वाष्प एवं विद्युत संयंत्र के लिए मेसर्स एम.एन. दस्तुरको को ई.पी.सी.एम. सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। परियोजना के लिए मूलभूत अभियांत्रिकी कार्य मेसर्स आरटीएआईएल द्वारा पूरा कर लिया गया है एवं विस्तृत अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग) 22% तक आगे बढ़ चुकी है। पर्यवेक्षण एवं मिट्टी जाँच-पड़ताल से सम्मिलित साइट की गतिविधियाँ पहले ही शुरू हो चुकी हैं। कुछ पैकेज पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं एवं परियोजना के लिए कुल संचयी आदेश मूल्य ₹807 करोड़ है। क्षेत्र श्रेणीकरण, निर्माण विद्युत, कंन्स्ट्रक्शन वाटर वेयरहाउस आदि से सम्मिलित साइट कार्य प्रगति में है। स्थानीय प्रशासन के निरंतर प्रोत्साहन एवं सहयोग से आपकी कंपनी लम्बे समय से चले आ रहे स्थानीय गाँववासियों के प्रतिरोध एवं बाधा को खत्म कर सकी एवं जून 2019 से परियोजना कार्य आरंभ हो गया है। तथापि, विभिन्न प्राधिकरण द्वारा सामाजिक दूरी एवं प्रतिबंध लगाए जाने से प्रगति धीमी रही।

9.2 5वीं धारा के लिए बॉक्साइट के वैकल्पिक स्रोत:

एल्यूमिना परिशोधक की 5वीं धारा के विस्तार के लिए बॉक्साइट पोट्टांगी खान से प्राप्त करने के लिए निर्दिष्ट है। तथापि, पोट्टांगी खान से बॉक्साइट की उपलब्धता 5वीं धारा विस्तार के निर्धारित आरंभ के उपरांत प्राप्त होने की अपेक्षा की जाती है। अतएव, आपकी कंपनी के निवर्तमान पंचपटमाली खान के दक्षिण ब्लॉक से बॉक्साइट प्राप्त करने के लिए ₹483 करोड़ के पूँजी व्यय पर एक क्रशिंग एवं कन्वेयिंग सिस्टम को स्थापित करने की योजना बनायी गई है।

उपर्युक्त परियोजना के लिए, ई.पी.सी.एम. सलाहकार के रूप में मेसर्स डीसीपीएल को नियुक्त किया गया है। सभी प्रमुख पैकेज के लिए निविदाएँ जारी की गई हैं एवं निविदा कार्य अग्रिम चरण में है।

9.3 25.5 मे.वा. पवन विद्युत परियोजनाः

हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग में अगुआई बनने के लक्ष्य पर चलते हुए, आपकी कंपनी ने भारत के विभिन्न राज्यों में 198.40 मे.वा. पवन विद्युत संयंत्र की स्थापना की है।

अपने इस नवीन प्रयास के जरिए, आपकी कंपनी मेसर्स आरइजेन पावरटेक प्रा. लिमिटेड के माध्यम से ₹163 करोड़ की पूंजी लागत पर तमिलनाडु के कायाथार में 25.5 मे.वा. क्षमता की एक और पवन विद्युत परियोजना के संयोजन द्वारा अपनी पवन विद्युत उत्पादन क्षमता को 223.90 मे.वा. तक बढ़ाने की प्रक्रिया में है। उपकरण की आपूर्ति एवं निष्पादन पर उल्लेखनीय प्रगति की गई है। तथापि, निष्पादन करने वाली एजेंसी के पास नकद की परेशानी रहने के कारण कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। निष्पादनकारी एजेंसी मेसर्स आरईजेन को तदुपरांत एनसीएलटी को संदर्भित किया गया जिसने एक इन्सॉल्वेन्सी रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आईआरपी) को नियुक्त किया है। यह विषयवस्तु आईआरपी के पास ली गई है जो समयबद्ध विधि में परियोजना को पूरा करने एवं आरंभ करने के लिए जरूरी कदम उठा रही है।

9.4 पोट्टांगी बॉक्साइट खानः

भारत सरकार द्वारा पोट्टांगी बॉक्साइट खान (75 मिलियन टन) आपकी कंपनी के पक्ष में आरक्षित की गई है। वस्तुस्थिति निम्नानुसार हैः

- ओड़िशा सरकार ने दिनांक 14.05.2015 को 697.979 हेक्टेयर के सीमित क्षेत्र पर खनन पट्टे को प्रदान करने के लिए नियम और शर्तें जारी की।
- दिनांक 27.07.2018 को खान योजना को आईबीएम का अनुमोदन प्राप्त हुआ।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से पर्यावरणीय अनुमति (ईसी) प्राप्त करने के लिए दिनांक 28.06.2018 को संदर्भ की शर्तें जारी की गई। आधार-रेखा पर्यावरणीय आंकड़ों का अध्ययन पूरा कर लिया गया है एवं ईआईए/ईएमपरी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है।
- दिनांक 17.12.2019 को जन सुनवाई की गई एवं पर्यावरणीय अनुमति पाने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट जमा कर दी गई है।
- वन अनुमति (एफसी) प्राप्त करने के लिए वन विपथन प्रस्ताव के अंश के तौर पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण (सीए) योजनाएँ डीएफओ कोरापुट के पास जमा की गई हैं।
- दिनांक 19.06.2019 से 22.06.2019 तक ग्राम सभा का संचालन किया गया। वन अनुमति प्राप्त करने के लिए वन प्रभाग प्रस्ताव (एफडीपी) के प्रक्रियाकरण के लिए जिलाधिकारी, कोरापुट से वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) प्रमाणपत्र प्रतीक्षित है।
- ओवरलैंड कन्वेयर कॉरिडोर की वन अनुमति एवं पर्यावरण अनुमति को प्राप्त करने के कार्यकलाप प्रगति के अधीन हैं।
- औवरलैंड कन्वेयर कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण गतिविधियाँ प्रगति के अधीन हैं।
- पोट्टांगी बॉक्साइट खान वित्त वर्ष 2022-23 तक चालू किए जाने के लिए निर्धारित है।

9.5 उत्कल-डी कोयला प्रखंडः

- ओड़िशा सरकार ने 301.28 हेक्टेयर क्षेत्र में उत्कल-डी कोयला खानों के लिए खनन पट्टा प्रदान किया है।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने नालको के पक्ष में 6.5 हेक्टेयर सुरक्षित क्षेत्र समेत 143.52 हेक्टेयर वन भूमि के लिए चरण-डी-I

एफसी जारी किया है। इस प्रगति के आधार पर ईसी के स्थानांतरण के लिए अनुरोध पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास जमा की गई है।

- उत्कल-डी कोयला प्रखंड की खान बंदी योजना दिनांक 13.03.2020 को अनुरोध के लिए कोयला मंत्रालय के पास जमा की गई।
- पुनर्बहाली एवं पुनर्वासन (आर एण्ड आर) कॉलोनी की कुल भूमि का म्यूटेशन (नाप परिवर्तन) पूरा कर लिया गया है एवं आपकी कंपनी द्वारा भौतिक कब्जा ले लिया गया है।
- केरजेंग में मेसर्स राइट्स द्वारा तैयार रेलवे साइडिंग के विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अनुमोदन के लिए पूर्व तट रेलवे के पास जमा की गई है।

9.6 उत्कल-ई कोयला प्रखंडः

- उत्कल-ई का डीजीपीएस सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पास वन विपथन प्रस्ताव (एफडीपी) जमा कर दिया गया है, जो वन अनापत्ति प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाधीन है। पीसीसीएफ, ओड़िशा द्वारा वन एवं पर्यावरण विभाग, ओड़िशा सरकार के पास एफडीपी की सिफारिश की गई है ताकि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को इसकी विवेचना एवं सिफारिश की जा सके।
- 523.73 हेक्टेयर के खनन पट्टा का अधिकार प्रदान करने हेतु नियम और शर्तें जारी करने के लिए इस्पात एवं खान विभाग, ओड़िशा सरकार के पास आवेदन जमा किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।
- राज्य नोडल एजेंसी, इडको के माध्यम से अवशिष्ट निजी क्षेत्र की जमीन एवं सरकारी-जमीन के अधिग्रहण के लिए कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है।
- उत्कल-डी की खान को आरंभ किए जाने की अनुमति वित्त वर्ष 2020-21 में अपेक्षित है एवं तदुपरांत सांविधिक अनुमतियां प्राप्त करने के बाद उत्कल ई परिचालनयुक्त होगा।

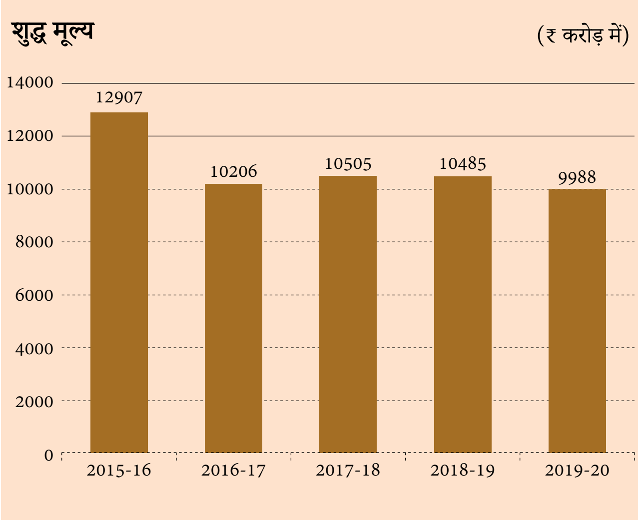

10.0 व्यापार विकासः

10.1 गुजरात अल्कालिज एण्ड केमिकल्स लि. (जीएसीएल) के साथ संयुक्त उद्यम (जेवी) में कॉस्टिक सोडा परियोजनाः

क्षमताः 2.7 ला.ट.प्र.व. कॉस्टिक सोडा संयंत्र एवं 130 मे.वा. ग्रहीत विद्युत संयंत्र।

परियोजना लागतः ₹2,280 करोड़ (संशोधित)।

समयसीमाः परियोजना का यांत्रिक समापन फरवरी, 2021 के लिए निर्धारित है एवं मई, 2021 तक आरंभ किए जाने के लिए अपेक्षित है।

जीएसीएल के साथ संयुक्त उद्यम में नालको गुजरात के दाहेज में ग्रहीत विद्युत संयंत्र के साथ एक कॉस्टिक सोडा संयंत्र का निष्पादन कर रही है। परियोजना के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त कर ली गई है। परियोजना के लिए भूमि जीएनएएल के पास स्थानांतरित की गई है। कॉस्टिक सोडा संयंत्र एवं ग्रहीत विद्युत संयंत्र के बड़े पैकेज प्रदान कर दिए गए हैं। संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) का वित्तीय समापन पूरा कर लिया गया है। जुलाई, 2020 तक लगभग 82% परियाजना का निष्पादन कर लिया गया है।

10.2 इडको के साथ संयुक्त उद्यम (जेवी) में अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि.:

क्षमताः इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना।

अनुमानित परियोजना लागतः ₹99.6 करोड़।

समयसीमाः दो वर्ष के अन्दर प्रचालन प्रारंभ किया जाना अपेक्षित है।

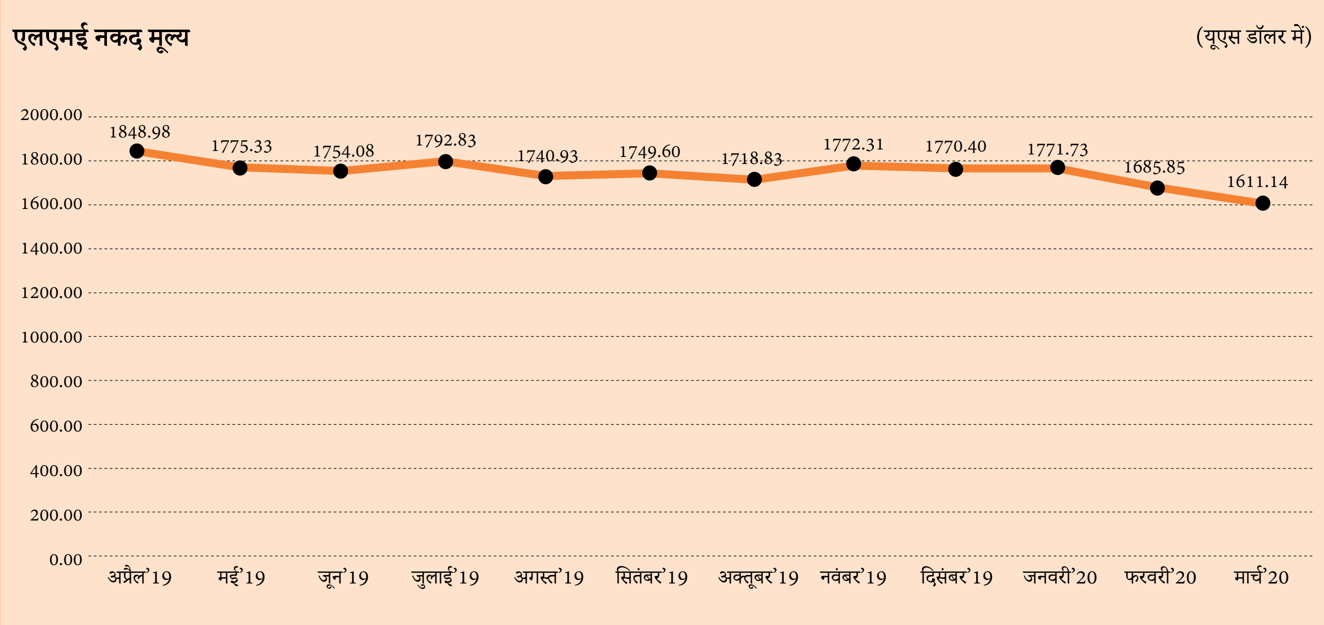

नालको एवं ओड़िशा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (इडको) ओड़िशा राज्य में एल्यूमिनियम अनुप्रवाह उद्योगों के प्रचार के लिए अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क का विकास कर रही है। भूमि अधिग्रहण पूरा हो गया है। पार्क का आंतरिक आधारभूत संरचना विकास प्रक्रियाधीन है।

10.3 उच्च स्तरीय एल्यूमिनियम मिश्र धातु संयंत्रः

क्षमताः 60,000 ट.प्र.व.

अनुमानित परियोजना लागतः ₹4,542 करोड़।

समयसीमाः वर्ष 2024-25 तक आरंभ होने की सम्भावना।

नालको ने रक्षा, एयरोस्पेस एवं ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में प्रयोग करने के लिए उच्च स्तरीय एल्यूमिनियम मिश्रधातु संयंत्र की स्थापना हेतु अगस्त, 2019 में उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड (यूएडीएनएल) के नाम से मेसर्स मिश्र धातु निगम लि. (मिधानी) के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया है। आंध्रप्रदेश के नेल्लोर जिले में संयंत्र की स्थापना की जाएगी।

10.4 विदेशों में रणनीतिक खनिजों का अधिग्रहणः

क्षमता एवं परियोजना लागतः परिसंपत्ति को चिह्नित करने एवं व्यापार मॉडल तैयार करने के बाद आकलन किया जाएगा।

भारत सरकार की पहल "मेक इन इंडिया" का प्रसार करने के लिए विदेशी स्थानों में कुछ रणनीतिक खनिजों के अधिग्रहण हेतु अगस्त, 2019 में नालको, एचसीएल एवं एमईसीएल के मध्य संयुक्त उद्यम कंपनी "खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (काबिल)" का गठन किया गया है। संक्षिप्त सूची वाले 12 खनिजों का अध्ययन दिसम्बर, 2019 मे पूरा कर लिया गया है।

10.5 एल्यूमिनियम अनुप्रवाह परियोजनाएँः

क्षमताः i. 30,000 ट.प्र.व. वेल्लित उत्पाद एकक

ii. 90,000 ट.प्र.व. फॉयल संयंत्र

iii. 6,00,000 ट.प्र.व. मिश्रधातु चक्के प्रति वर्ष

iv. 50,000 ट.प्र.व. एक्सट्रूशन संयंत्र

अनुमानित परियोजना लागतः लगभग ₹6,000 करोड़।

समयसीमाः पहले चरण में, भूमि अधिग्रहण के बाद सभी सांविधिक अनुमतियाँ प्राप्त होने की तिथि से तीन वर्षों के अंदर वेल्लित उत्पाद एकक एवं फॉयल संयंत्र आरंभ होने के लिए अपेक्षित है।

ओड़िशा में ढेकनाल जिले के कामाख्यानगर में एल्यूमिनियम अनुप्रवाह परियोजनाओं अर्थात वेल्लित उत्पाद एकक, फॉयल संयंत्र, मिश्रधातु चक्का संयंत्र एवं एक्सट्रूशन संयंत्र की स्थापना हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली गई है। प्रस्तावित अनुप्रवाह परियोजना की स्थापना हेतु प्रस्ताव को ओड़िशा सरकार के एचएलसीए (उच्च स्तरीय अनुमति प्राधिकरण) ने अनुमोदित किया है एवं आईपीआईसीओएल ने 152.26 एकड़ भूमि के आबंटन की सिफारिश की है (संयंत्र क्षेत्र 126 एकड़ एवं टाउनशिप के लिए 26 एकड़)। ओड़िशा में भूमि अधिग्रहण एवं आबंटन के लिए इडको, नोडल एजेंसी ने

विक्रय कार्य-निष्पादन ('000 मे.ट. में)

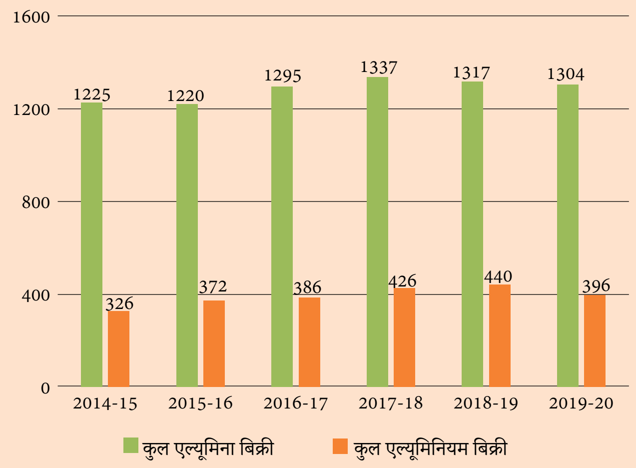

प्रथम लॉट में 83.340 एकड़ भूमि के लिए भुगतान करने की सूचना दी थी।

10.6 लि-आयन सेल प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिकीकरण:

क्षमता एवं परियोजना लागतः नालको एक लि-आयन प्रमुख परियोजना को स्थापित करने का विचार कर रही है। प्रमुख परियोजना के सफल कार्य-निष्पादन के आधार पर, वाणिज्यिक लि-आयन संयंत्र की क्षमता एवं परियोजना लागत का आकलन किया जाएगा।

नालको लिथियम-आयन सेल/बैटरी के उत्पादन के लिए अन्वेषण कर रही है। लि-आयन सेल प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण के लिए कंपनी का नाम इसरो द्वारा संक्षिप्त सूची में रखा गया है। इस संबंध में, नालको ने इसरो के साथ एक समझौता अनुबंध (एमओए) पर हस्ताक्षर किया है। इस श्रेणी के व्यवसाय के लिए एक पृथक व्यावसायिक चरण की योजना तैयार की गई है। एक आदर्श संयंत्र को स्थापित करने के लिए आईआईटी, खड़गपुर से तकनीकी सहयोग प्राप्त करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है।

11.0 पूंजीगत व्यय (कैपेक्स):

वर्ष 2019-20 के दौरान कैपेक्स में ₹868.74 करोड़ उपलब्ध हुए हैं जो सं.उ.कंपनियों में ₹101.47 करोड़ का निवेश छोड़कर है।

12.0 जोखिम प्रबंधन नीतिः

निदेशक मंडल द्वारा जोखिम प्रबंधन नीति तैयार एवं अनुमोदित की गई है एवं यह कंपनी की वेबसाइट www.nalcoindia.com पर उपलब्ध है।

13.0 मानव संसाधन प्रबंधनः

13.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षण पर राष्ट्रपति के निर्देशः

आपकी कंपनी अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अन्य श्रेणियों जैसे कि दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक के आरक्षण के मामले में लागू राष्ट्रपति के सभी निर्देश पत्रों एवं अन्य दिशानिर्देशों का पूरी तरह पालन करती है। आपकी कंपनी ने आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के अनुपालन में दिव्यांग श्रेणी के लिए एक समान अवसर नीति प्रकाशित की है। 31.03.2020 को यथा 6,203 की कुल जनशक्ति में से, 1012 अनुसूचित जाति (16.31%), 1,164 अनुसूचित जनजाति (18.77%), 813 अन्य पिछड़े वर्ग (13.11%), 92 दिव्यांग जन (1.48%) एवं भूतपूर्व सैनिक (0.21%) थे। 31.03.2020 के अनुसार, आपकी कंपनी में कुल 357 महिला कर्मचारी कार्यरत थी।

13.2 औद्योगिक संबंधः

आपकी कंपनी की उत्कृष्ट औद्योगिक संबंध की संस्कृति को बनाए रखते हुए श्रम-विवाद की दृष्टि से वर्ष 2019-20 एक और शून्य श्रमदिवस हानि के साथ बीता। इससे वर्ष के दौरान आपकी कंपनी को उत्पादकता में कई उपलब्धियाँ हासिल करने में सहयोग मिला। कंपनी में सहभागी प्रबंधन की परंपरा से एक सौहार्दपूर्ण औद्योगिक परिवेश सुनिश्चित हुआ। कर्मचारी लाभ एवं कल्याण मामलों को निपटाने में प्रयोज्य श्रम कानूनों का पालन, सरकारी निर्देशों का अनुसरण एवं परामर्शी निर्णय लेना आपकी कंपनी की प्रमुख शक्तियाँ बनी रही है। गैर-अनुशासन के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति को आपकी कंपनी ने बरकरार रखा है।

13.3 सामाजिक उत्तरदायित्व 8000:

एक शालीन कार्यस्थल के निर्माण एवं अनुरक्षण के लिए आपकी कंपनी ने 2009-10 से ही अंतर्राष्ट्रीय मानक, सामाजिक उत्तरदायित्व 8000 (एसए-8000) अपनाया है। इस प्रमाणन से कर्मचारियों, मालिक, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य हितबद्ध पक्षों समेत सभी पणधारियों के लिए आपकी कंपनी को बाल मजदूरी, जबरन मजदूरी, सुरक्षित एवं स्वास्थ्यप्रद कार्य-पर्यावरण, कामकाजी घंटे, पारिश्रमिक, संबंध की स्वतंत्रता, सामूहिक सौदेबाजी प्रक्रिया, भेदभाव एवं अनुशासनिक अभ्यासों के क्षेत्र में अधिक पारदर्शी बनने में मदद मिली है।

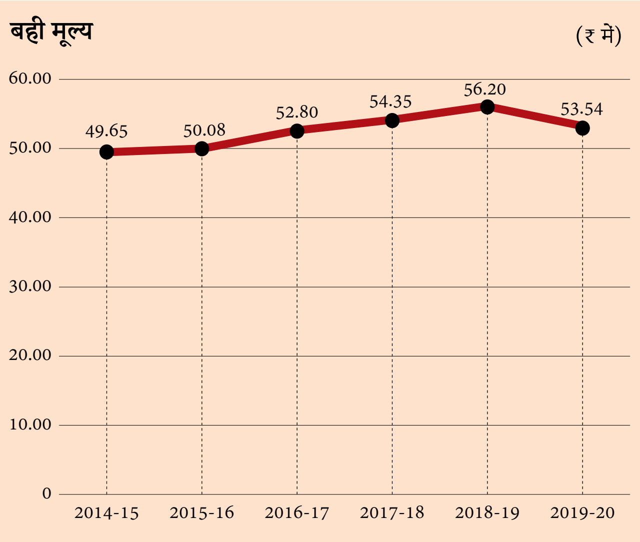

आपकी कंपनी ने नए संस्करण अर्थात एसए 8000:2014 मानक में अंतरण प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। निगम कार्यालय सहित सभी एकक आज की तिथि में एसए 8000:2014 मानक से प्रमाणित हो चुके हैं।

सभी एककों एवं निगम कार्यालय का प्रमाणन हर 3 वर्ष के चक्र में नवीकरण किया जा रहा है।

14.0 निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (नि.सा.उ.):

14.1 नि.सा.उ. पर वार्षिक विशेषताएँ:

आपकी कंपनी की नि.सा.उ. नीति **"हमेशा जन समुदाय के साथ"** को आपकी कंपनी ने अपने आसपास के समुदायों के अच्छे एवं बुरे दोनों चरणों में बखूबी दर्शाया है। समुदाय की आवश्यकता एवं राष्ट्रीय प्राथमिकता के अनुरूप संयंत्र प्रचालन के आस-पास के क्षेत्रों में आपकी कंपनी ने कई नि.सा.उ. पहलों को हाथ में लिया है। ये नि.सा.उ. पहल आवश्यकता के आधार पर एवं राज्य और केन्द्र सरकार की सिफारिशों पर तैयार किए गए हैं। सभी नि.सा.उ. कार्यक्रम अनुभवी सक्षम एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित हो रहे हैं जिनके पास इस क्षेत्र में पूर्व में अच्छी कार्य-उपलब्धियाँ/विशेषज्ञता हैं।

विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण

खान के माननीय मंत्री का दौरा

आपकी कंपनी जन समुदाय की भागीदारी एवं संसाधन की सर्वाधिक उपयोगिता सुनिश्चित करते हुए समाज पर आशयपूर्ण प्रभाव डालने के लिए अभिनव दृष्टिकोण के अनुपालन द्वारा अपने नि.सा.उ. लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को हासिल कर रही है।

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2019-20 में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसरण में नि.सा.उ. नीति की आवश्यकताओं का पालन करते हुए ₹3,835.00 लाख की अनिवार्य नि.सा.उ. देयता की तुलना में विभिन्न नि.सा.उ. कार्यक्रमों पर ₹3,971.35 लाख व्यय किया है।

शिक्षा, स्वास्थ्य देखरेख, स्वच्छता, पर्यावरण संधारणीयता, राष्ट्रीय धरोहर की सुरक्षा एवं विशिष्ट शहर, पुरी का विकास जैसे क्षेत्रों पर आपकी कंपनी ने जोर दिया है। ओड़िशा के तट से टकराए प्रचंड चक्रवात "फनी" की विनाशकता के बाद आपकी कंपनी ने विभिन्न राहत उपायों, पुनर्बहाली एवं पुनर्वासन कार्यों से जुड़े कई अनुकरणीय गतिविधियों का निष्पादन किया है।

14.2 वर्ष 2019-20 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा किए गए कुछ नि.सा.उ. प्रयास हैं:

- फनी चक्रवात के उपरांतः राज्य के विभिन्न हिस्सों में राहत, पुनर्बहाली एवं पुनर्वासन कार्य किए गए।

- हरियाली की पुनर्बहाली के लिए व्यापक वृक्षारोपण एवं पर्यावरणीय संधारणीयता के लिए जलाधार का नवीकरण।
- ओड़िशा के सात जिलों में कन्या छात्राओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान एवं हाथ-धोने की मुहिम।
- "नालको-की-लाडली" योजना के अंतर्गत निर्धन एवं प्रतिभावान कन्या छात्रों को सहयोग।
- खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी के परिधीय गाँवों के गरीब पिछड़े एवं आदिवासी बच्चों को आवासीय शिक्षा।
- मोबाइल स्वास्थ्य एककों (एमएचयू) के माध्यम से कंपनी के परिचालनीय क्षेत्रों में घर-घर जाकर प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख सेवाएँ।
- पुरी में स्वच्छ आइकोनिक प्लेस के अंतर्गत विभिन्न विकासमूलक कार्य।
- बैटरी परिचालित वाहनों के माध्यम से पुरी में तीर्थयात्रियों का परेशानी-रहित आवागमन।
- आदिवासी प्रभावी कोरापुट जिले के सुदूर कम विकसित क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट एवं गृह समाधान।
- प्रचालनीय क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति परियोजनाएँ, पुरी में वाहन उत्सव के दौरान पैकेज्ड पेयजल एवं पुरी में वाटर कियोस्क के माध्यम से सालभर स्वच्छ पेय जल।

कंपनी अधिनियम, 2013 के विविध लागू प्रावधानों के अनुपालन में तैयार की गई नि.सा.उ. गतिविधियों की विस्तृत रिपोर्ट **अनुलग्नक-I** में संलग्न है।

रेलवे राजधानी ट्रेन का उद्‌घाटन (दृश्यांश) भुवनेश्वर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस पर नालको ब्रांडिंग का एक दृश्य

15.0 संसदीय समिति का दौराः

वर्ष 2019-20 के दौरान, कोलकाता में उद्योग पर स्थायी समिति का अध्ययन दौरा किया गया।

16.0 प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्टः

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची-V के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसरण में प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-II** में संलग्न है।

इस रिपोर्ट में निम्न भी शामिल हैः

(क) आगे व्यापार विकास के लिए हाथ में ली गई विभिन्न पहल।

(ख) वित्तीय विवरण एवं जोखिम प्रबंधन पहलों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में विवरण।

(ग) आपकी कंपनी के विभिन्न एककों में पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में हाथ में ली गई विभिन्न पहल।

17.0 डिजीटल रूपांतरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी:

आपकी कंपनी दक्षता, गुणवत्ता एवं सुरक्षा पर एक सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए बहुत ही प्रभावी तरीके से सूचना प्रौद्योगिकी (सू. प्रौ.) का इस्तेमाल कर रही है।

आपकी कंपनी ने एसएपी उद्यम संसाधन आयोजना (ईआरपी) अनुप्रयोग अपनाया है, जो एक समान प्रक्रिया सुनिश्चित करने एवं सूचना उपलब्धता में सुधार लाने के लिए विक्रय एवं वितरण, वित्त एवं नियंत्रण, सामग्री, मानव संसाधन और उत्पादन आयोजना जैसे व्यवसाय कार्यों को एकीकृत करता है। एसएपी एसआरएम, केन्द्रीय लोक क्रय पोर्टल एवं जीईएम के माध्यम से वस्तुओं एवं सेवाओं के ई-प्रोक्योरमेंट का निष्पादन किया जाता है। केन्द्रीकृत कर्मचारी अनुप्रयोग एवं कर्मचारी स्व-सेवा अनुप्रयोग डिजीटल अनुप्रयोग तंत्र के हिस्से हैं। अनुगुल एवं दामनजोड़ी में कंपनी के अस्पतालों के लिए कंप्यूटरीकृत अस्पताल प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन किया गया है।

नालको की ब्राण्डिंग के साथ ओड़िशा की परंपरा एवं संस्कृति प्रदर्शित करते हुए भुवनेश्वर-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को झण्डा दिखाकर रवाना करते हुए

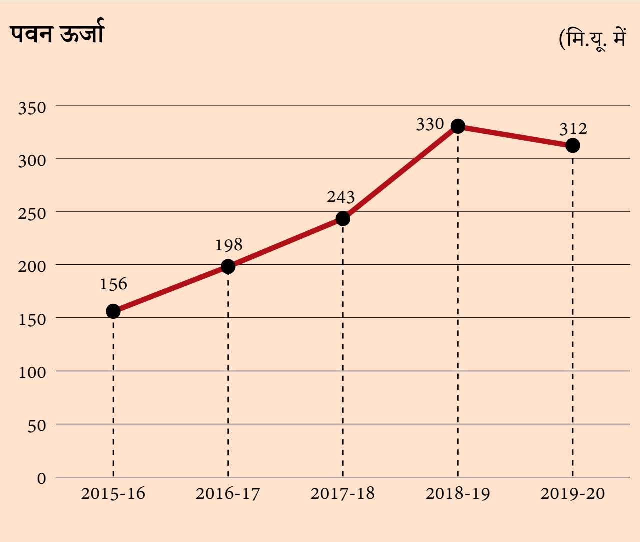

विपणन, मानव संसाधन, उत्पादन एवं सामग्री प्रबंधन के क्षेत्रों में सक्रिय विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड चालू किए गए हैं।

अभिशासन एवं निगरानीः अभिशासन एवं निगरानी के लिए, ऑनलाइन वेब-आधारित अनुप्रयोग जैसे कि पूंजी व्यय की निगरानी, निधि की निगरानी, अनुपालन प्रबंधन प्रणाली, विक्रेता बिल निरीक्षण प्रणाली एवं संविदा श्रम प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन किया गया है।

भारत सरकार की पहल के अनुरूप आपकी कंपनी ने ईआरपी के साथ जीइएम पोर्टल को एकीकृत करने हेतु जीईएम के साथ बहुत निकटता से कार्य किया है। इससे जीईएम में लेनदेन से संबंधित आंकड़ों का समयबद्ध एवं बाधारहित प्रवाह सुनिश्चित हो पाया है।

डिजिटाइज्ड कागजातों के सुरक्षित एवं तत्काल उपलब्धता के लिए, ई-ऑफिस जानकारी प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन किया जा रहा है। यह प्रणाली कागजातों को साझा करने में एक सुरक्षित एवं नियंत्रित परिवेश प्रदान करने में सक्षम बनाती है।

मोबाइल एपः डिजिटल प्रयासों के तौर पर, आपकी कंपनी ने कई मोबाइल एप प्रारंभ किया है जैसे कि "नगीना" - ग्राहक के लिए, "नमस्य" - एमएसई विक्रेताओं के लिए, "निसर्ग"- नि.सा.उ. के लिए एवं "हमेशा नालकोनियन" - सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए।

सूचना प्रौद्योगिकी आधारभूत संरचनाः आपकी कंपनी के पास निम्नलिखित सूचना प्रौद्योगिकी आधारभूत संरचना की व्यवस्था हैः

क) निगम कार्यालय भुवनेश्वर में आंतरिक श्रेणी-2 डेटा सेन्टर एवं वेबसाइट एसटीपीआई भुवनेश्वर में सह-स्थित है। डेटा सेन्टर सर्वर वर्चुलाइजेशन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करता है एवं सभी वर्चुअल सर्वर की मेजबानी करता है।

ख) कार्पोरेट डेटा सेन्टर और साथ ही इंटरनेट में उपलब्ध अनुप्रयोगों एवं सेवाओं को बेरुकावट पाने के लिए संयंत्र एवं कार्यालयों को दो विभिन्न सेवा प्रदाताओं से दो एमपीएलएस परिपथों से एक दूसरे से संयोजित किया गया है।

ग) प्रत्येक स्थान में फॉयरवॉल के साथ गिगाबिट इथरनेट लैन है एवं कॉर्पोरेट डेटा सेंटर के पास अतिरिक्त रूप से गेटवे सुरक्षा व्यवस्था है।

घ) रणनीतिक कारणों से, डिजास्टर रिकवरी डेटा सेन्टर एक अलग भूकंपी क्षेत्र में स्थित है।

ङ) सभी व्यवसाय एककों के बीच प्रभावी संचार के लिए मल्टीचैनल वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग व्यवस्था।

च) सूचना प्रौद्योगिकी की आधारभूत संरचना एवं अनुप्रयोग सुरक्षा हेतु नेटवर्क गेटवे एवं एंडपॉइंट सिक्योरिटी व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है।

छ) आंतरिक डेटा सेंटर एवं डिजास्टर रिकवरी साइट को आईएसओ 27001:2013 मानक से प्रमाणित किया गया है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी आधारभूत संरचना, अनुप्रयोगों एवं उपयोगकर्ताओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा की संपूर्ण श्रृंखला शामिल है।

18.0 सकल गुणवत्ता प्रबंधनः

18.1 एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस)

सभी एककों अर्थात खान, एल्यूमिना परिशोधक, ग्र.वि.सं., प्रद्रावक एवं पत्तन सुविधाओं में, आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 एवं ओएचएसएएस 18001:2007 आधारित एकीकृत प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन निर्धारित अनुसार नियमित आईएमएस आंतरिक लेखापरीक्षा एवं प्रबंधन समीक्षा बैठक के साथ प्रभावी तरीके से जारी रहा। वर्ष के दौरान, खान, प्रद्रावक, पत्तन सुविधाओं एवं ग्र.वि.सं. एककों ने सफलतापूर्वक ब्यूरो वेरिटस द्वारा आईएसओ 9001:2015 का पुनः प्रमाणन प्राप्त किया। वित्तीय वर्ष के समापन पर, आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 एवं ओएचएसएएस 18001:2007 के संबंध में सभी एककों का प्रमाणन दर्जा अक्षत बना रहा।

18.2 ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (ईएनएमएस):

ऊर्जा दक्ष ब्यूरो (बीईई) की सम्पादन, उपलब्ध एवं वाणिज्य (पीएटी) योजना में सम्मिलित सभी तीन उत्पादन एकक ग्र. वि.सं., प्रद्रावक एवं एल्यूमिना परिशोधक में नियमित आंतरिक लेखापरीक्षा एवं प्रबंधन समीक्षा बैठकों के साथ ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन प्रभावी तरीके से किया गया। एल्यूमिना परिशोधक को आईएसओ 50001:2011 मानक में पुनः प्रमाणन लेखा परीक्षा, फरवरी 2020 में सफलतापूर्वक पूरी की गई। सभी तीन एकक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के साथ वैध आईएसओ 50001:2011 प्रमाणपत्रों से संचालित हैं।

18.3 गुणवत्ता मंडल एवं कैजेन:

i) वर्ष के दौरान गुणवत्ता मंडल कार्यकलाप उत्साहवर्धक बना रहा। नए गुणवत्ता मंडल (क्यूसी) के गठन के साथ, संगठन में सक्रिय गुणवत्ता मंडल की संख्या बढ़कर 98 पहुँच गई। वित्त वर्ष के दौरान, कुल 25 गुणवत्ता मंडल परियोजनाएँ पूरी की गईं, जबकि वर्ष के दौरान कई परियोजनाएँ प्रगति पर हैं। आपकी कंपनी के विभिन्न एककों से 8 गुणवत्ता मंडलों ने वाराणसी में क्यूसीएफआई द्वारा आयोजित राष्ट्रीय गुणवत्ता मंडल सम्मेलन में हिस्सा लिया और इसमें से 6 गुणवत्ता मंडलों को उच्चतम मान्यता संवर्ग अर्थात "अति-उत्कर्ष" में रखा गया एवं शेष दो को "उत्कृष्ट" घोषित किया गया। इसके अलावा, एक गुणवत्ता मंडल ने कोलकाता में सीआईआई द्वारा आयोजित गुणवत्ता मंडल क्षेत्रीय निर्णायक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया एवं दूसरा स्थान हासिल किया।

ii) ओड़िशा के शीर्ष के गुणवत्ता मंडलों एवं टीएमएम मंडलों के सुविधार्थ आपकी कंपनी द्वारा जून, 2019 के दौरान

प्रदर्शनी 21वीं खान पर्यावरण एवं खनिज संरक्षण सप्ताह 2018-19

लगातार 24वें साल के लिए अखिल ओड़िशा गुणवत्ता मंडल सम्मेलन का भी आयोजन किया गया।

iii) वर्ष में कैजेन संस्कृति के प्रसार ने नई ऊँचाइयों को प्राप्त किया। एसजीए योजना द्वारा कैजेन के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान प्रद्रावक में कुल 1,209 कैजेन्स पूरे किए गए, एल्यूमिना परिशोधक में 844 कैजेन्स पूरे किए गए, ग्र.वि.सं. में 763 कैजेन्स पूरे किए गए एवं खान एकक में 216 कैजेन्स पूरे किए गए।

18.4 नालको उत्कल गौरव मधुसूदन दास (एनयूजीएमएसडी) गुणवत्ता पुरस्कारः

नालको उत्कल गौरव मधुसूदन दास (एनयूजीएमएसडी) गुणवत्ता पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे एवं ओड़िशा के विनिर्माण एककों जिन्होंने पुरस्कार के लिए दस्तावेज़ जमा किए थे, उनमें से, वृहद श्रेणी के उच्चतम अंक पाने वाले एकक को 14 जून, 2019 को प्रतिष्ठित राज्य स्तर के पुरस्कार दिए गए थे।

18.5 लीन सिक्स सिग्माः

एल्यूमिना परिशोधक में, 02 नई लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन-बेल्ट परियोजनाएँ एवं खान में, 07 नई एलएसएस ग्रीन-बेल्ट परियोजनाएँ ली गई थी जो एकक प्रबंधन द्वारा यथा अनुमोदित की गई।

18.6 व्यवसाय उत्कृष्टता पहलः

सीआईआई एग्जिम बैंक पुरस्कार-2019 के लिए एल्यूमिना परिशोधक की व्यवसाय उत्कृष्टता का साइट पर आकलन सितम्बर 2019 के दौरान मेसर्स सीआईआई इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी द्वारा नियुक्त पाँच स्वतंत्र आकलकों द्वारा किया गया था। नवम्बर, 2019 में आयोजित सीआईआई राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन के दौरान एकक ने प्लेटिनम श्रेणी में वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित सीआईआई-एग्जिम बैंक व्यवसाय उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त किया। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत ईएफक्यूएम उत्कृष्टता मॉडल पर आधारित है एवं व्यवसाय उत्कृष्टता के क्षेत्र में इसे एक उच्चतम मान्यता के रूप में विवेचित

गंजम पुलिस को पीसीआर वैन

किया जाता है। प्रद्रावक में, ईएफक्यूएम मॉडल के अनुरूप सीआईआई एग्जिम बैंक पुरस्कार के लिए तैयारी गैप-विश्लेषण, प्रशिक्षण एवं विशेषज्ञ सलाहकार द्वारा परामर्श के साथ प्रगति में थी। वर्ष के दौरान, ग्र.वि.सं. एवं खान में ईएफक्यूएम मॉडल के अनुरूप सीआईआई-आइक्यू के प्रचालनीय उत्कर्ष ढांचे पर आकलन का निष्पादन किया गया था। खान एकक ने 'उभरते लीडर' पुरस्कार को प्राप्त किया एवं ग्र.वि.सं. को 'उदीयमान लीडर' पुरस्कार मिला।

18.7 5एस प्रणाली का कार्यान्वयनः

मई, 2019 के दौरान क्यूसीएफआई द्वारा आयोजित 5एस पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान 5एस के कार्यान्वयन के लिए एल्यूमिना परिशोधन एकक को सम्मानित किया गया। एकक में 5एस - कार्यस्थल प्रबंधन प्रणाली की सर्वेक्षण लेखापरीक्षा क्यूसीएफआई, हैदराबाद द्वारा सफलतापूर्वक संचालित किया गया। संयंत्र-व्यापी 5एस कार्यस्थल प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के बाद, खान एकक को आकलन पश्चात क्यूसीएफआई-जेयूएसई द्वारा प्रमाणित किया गया।

प्रद्रावक एवं ग्र.वि.सं. दोनों में, संयंत्र व्यापी 5 एस कार्यस्थल प्रबंधन प्रणाली का डीजीएम-स्तर टीम द्वारा नियमित आंतरिक लेखा परीक्षा एवं एकक प्रबंधन की समीक्षा बैठकों द्वारा प्रभावी तरीके से कार्यान्वयन जारी रहा। प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल में, 5एस कार्यान्वयन का विस्तार वर्ष के दौरान सम्पदा, बागवानी एवं अस्पताल के समावेशन के साथ टाउनशिप में किया गया।

19.0 राजभाषा नीति का कार्यान्वयनः

आपकी कंपनी ने समय-समय पर सरकारी एजेंन्सियों एवं सांविधिक निकायों द्वारा जारी राजभाषा के प्रावधानों एवं अन्य अनुदेशों का पालन जारी रखा है। आपकी कंपनी नराकास, भुवनेश्वर एवं अनुगुल के अध्यक्ष भी है एवं पीएसयू कार्यालय के सभी सदस्यों को सम्मिलित करते हुए दोनों स्थानों पर बैठकों का आयोजन किया। इस संबंध में, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, भारत सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा बैठकों में आपकी कंपनी के प्रयासों की भरपूर प्रशंसा की गई।

कार्यालयीन कार्यों में राजभाषा के प्रचार के लिए, आपकी कंपनी ने हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन कर्मचारियों को नामित करना जारी रखा है। वर्ष के दौरान, योजना के अंतर्गत वर्ष 2020 परीक्षा के लिए 74 कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया है एवं 83 कर्मचारियों को नामित किया गया हैं। आपकी कंपनी द्वारा राजभाषा के प्रचार के लिए किए गए कुछ प्रयासों में शामिल हैंः वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए कार्यशाला समेत निर्धारित नराकास बैठक एवं तिमाही कार्यशालाओं का आयोजन, सभी कम्पूटर को यूनिकोड में सक्षम बनाना।

राजभाषा के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के तौर पर, आपकी कंपनी ने हिन्दी पखवाड़ा, विश्व हिन्दी दिवस का पालन किया है एवं हिन्दी गीत गायन, अंताक्षरी, आलेखन, शब्दकोष, टिप्पण, चित्रकारी, निंबध लेखन, प्रश्नोत्तर, वार्तालाप, हास्य हिन्दी कवि सम्मेलन जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से कर्मचारियों को शामिल किया गया।

इसके अलावा, हिन्दी भाषा के प्रचार के लिए वर्ष के दौरान "अक्षर" "संगिनी" नाम की दो पत्रिकाएँ एवं "दामन वार्ता" नामक सूचना पत्र का भी प्रकाशन किया गया था।

20.0 खेलकूदः

- युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की नीति पर चलते हुए, आपकी कंपनी ने राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के महत्वाकांक्षी खिलाड़ियों को सहयोग दिया है। आपकी कंपनी के खिलाड़ियों ने राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। आपकी कंपनी ने राज्य के तीन उदयीमान खिलाड़ियों को रोजगार भी प्रदान किया है जिन्होंने अपने संबंधित खेलकूद क्षेत्र में प्रतिष्ठा हासिल की है।
- आपकी कंपनी ने खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन और साथ ही खेलकूद से जुड़ी आधारभूत संरचना के विकास हेतु विभिन्न खेलकूद संघ/संस्था/खेलकूद निकाय को प्रायोजित भी किया है।

21.0 सतर्कताः

आपकी कंपनी में स्थापित सतर्कता मशीनरी का विवरण नीचे दिया जा रहा है:-

- आपकी कम्पनी में मुख्य सतर्कता अधिकारी (सी.वी.ओ.) के नेतृत्व में एक सुव्यवस्थित सतर्कता संगठन कार्यरत है, जो भारत सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए हैं। अन्य सतर्कता अधिकारी जो मुख्य सतर्कता अधिकारी की सहायता करते हैं, वे सी.वी.ओ. की सहमति से उनकी सलाह पर प्रतिनियुक्ति के

आधार पर चुने जाते हैं। आपकी कंपनी के अपने सतर्कता संस्थापन तीन स्थानों, अर्थात् निगम कार्यालय, भुवनेश्वर, प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल और खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी में हैं।

- सतर्कता कार्यकलाप साधारणतः निरोधक, दंडात्मक, निगरानी और अभिज्ञान प्रकृति के होते हैं।

सतर्कता विभाग के कार्यकलाप संक्षेप में निम्नवत् हैं;

- निरोधक सतर्कता
- शिकायतों का अन्वेषण
- संवेदनशील क्षेत्रों में औचक जाँच
- संविदा/क्रय/बिक्री फाइलों और आन्तरिक अंकेक्षण रिपोर्टों का अध्ययन, जो कि सतर्कता मामलों के लिए सूचना पाने का एक अच्छा स्रोत है
- प्रणाली में सुधार हेतु सुझाव देना
- सी.वी.सी. परिपत्रों/ मार्गनिर्देशों का परिचालन
- विभिन्न प्रयोजनों के लिए कर्मचारियों को सतर्कता स्वीकृति प्रदान करना जैसे कि पासपोर्ट, पदोन्नति, त्यागपत्र/ सेवा-निवर्तन/ स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति, पुरस्कार प्राप्ति, विदेशी जिम्मेदारी और निदेशक-मंडल स्तर पर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति और नियुक्ति आदि पर अनापत्ति प्रमाणपत्र
- संपत्ति रिटर्न की जाँच-पड़ताल
- संवेदनशील पदों पर अधिकारियों की बदली पर प्रबंधन को सलाह देना
- अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध-निदेशक को सतर्कता मामलों और अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं से संबंधित मामलों पर सलाह देना
- सी.बी.आई. के साथ संपर्क कार्य आदि
- सत्यनिष्ठा समझौता का कार्यान्वयन
- निरोधक सतर्कता मशीनरी के अंश के रूप में, कर्मचारियों और सामान्य जनता के मध्य सचेतनता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना
- कई सू.प्रौ. (आईटी) प्रयास जैसे कि लर्निंग पोर्टल, ऑनलाइन विजिलेंस क्लीयरेंस, ऑनलाइन एक्जिट प्रोसेस एवं ऑनलाइन विजिलेंस पोर्टल के लिए कदम उठाए गए हैं।
- डीओपीटी पोर्टल पर कार्यपालकों के बुनियादी एवं सतर्कता आंकड़ों का अध्ययन।
- “कार्यों, वस्तुओं एवं सेवाओं पर दिशानिर्देशों का संकलन - एक शीघ्रगणक” पर एक हस्तपुस्तिका का संकलन एवं प्रकाशन सतर्कता विभाग द्वारा किया गया है।

21.1 मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यः

मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्य निम्नवत् हैं::

- कंपनी का समग्र सतर्कता प्रशासन
- सी.एम.डी. के साथ संरचनात्मक समीक्षा बैठक आयोजित करने के साथ साथ सी.वी.सी. और सी.बी.आई. के बीच अच्छा संपर्क बनाए रखना।
- मंत्रालय/सीवीसी/सीबीआई को विभिन्न रिपोर्ट/रिटर्न पेश करना।
- आई.पी. (इंटीग्रिटी पैक्ट) के लिए स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों (आईईएम) के चयन में सी.वी.सी. की सहायता करना।
- भ्रष्टाचार रोधी नीतियों/उपायों को तैयार करने/अद्यतन करने में प्रबंधन की सहायता करना।
- सत्यनिष्ठा सूचकांक के विकास में प्रबंधन को सहयोग ।
- सतर्कता जागरूकता, सतर्कता प्रशासन, मामला अध्ययन आदि पर प्रशिक्षण का आयोजन।

21.2 सचेतक नीतिः

आपकी कम्पनी उच्चतम मानक की पेशेवर-दक्षता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और नैतिक व्यावहारिकता अपनाते हुए एक स्पष्ट और पारदर्शी रूप में अपने घटकों के कार्यकलापों के आचरण में विश्वास करती है।

इस नीति का उद्देश्य प्रबंधकीय कार्मिक कार्यवाही को रोकने के लिए जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करने और सुरक्षित सचेतक के रूप में एक ढाँचा प्रदान करना है। यह उन कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करती है जो कंपनी के अंदर किसी गंभीर अनियमितता के बारे में चिन्ता प्रकट करते हैं। इस नीति का विस्तृत विवरण

आपकी कंपनी की वेबसाइट www.nalcoindia.com पर उपलब्ध है।

21.3 भ्रष्टाचार जोखिम प्रबंधन नीति:

भ्रष्टाचार एक विशेष श्रेणी का जोखिम है। आपकी कंपनी की भ्रष्टाचार जोखिम प्रबंधन नीति भ्रष्टाचार को रोकने एवं भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी विधि के अनुपालन के उद्देश्य से प्रमुख सिद्धांतों एवं आवश्यकता के निर्धारण हेतु कार्यान्वित की गई है।

यह नीति आपकी कंपनी और इसके प्रबंधन की स्पष्ट, पारदर्शी एवं ईमानदार उपायों से व्यवसाय के संचालन में उच्च नैतिक मानकों की प्रतिबद्धता प्रतिबिम्बित करती है, जिसका उद्देश्य है आपकी कंपनी की निगम संस्कृति को बेहतर बनाना, निगम अभिशासन में सर्वोत्तम कार्य-अभ्यासों का पालन एवं व्यवसाय की ख्याति को बनाए रखना।

21.4 धोखाधड़ी की सूचना देना:

वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के अधीन लेखापरीक्षकों द्वारा कंपनी की ओर से इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी में किसी भौतिक धोखाधड़ी की कोई रिपोर्ट नहीं की गई है।

कंपनी के पास एक निदेशक-मंडल द्वारा अनुमोदित धोखाधड़ी रोकथाम नीति है और इसे कम्पनी की वेबसाइट www.nalcoindia.com पर उपलब्ध कराया गया है।

21.5 सत्यनिष्ठा सूचकांक विकास

एक भ्रष्टाचार मुक्त परिवेश तैयार करने के लिए सत्यनिष्ठा को कंपनी के एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया गया है, जो उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने, दक्षता बढ़ाने के साथ कार्मिक के नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करती है। सत्यनिष्ठा सूचकांक वित्तीय मापदंडों की बजाय कंपनी की छवि का सूचक होता है। इस विषय में, सीवीसी द्वारा वर्ष 2017-18 में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए लोक उपक्रमों में सत्यनिष्ठा सूचकांक के आकलन हेतु एक ढाँचे की परिकल्पना की गई थी। इस ढाँचे को विकसित करने में आईआईएम-अहमदाबाद के सहयोग के लिए आपकी कंपनी सहित 25 लोक उद्यम, राज्य संगठनों एवं मंत्रालय को सीवीसी द्वारा चयन किया गया था। संगठनों में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, दक्षता, पारदर्शिता एवं अनुपालन लाने के लिए विस्तृत प्रश्नावलियों के साथ कार्य-निष्पादन, सत्यनिष्ठा अवबोधन, सक्षम योग्य प्रणालियों, प्रक्रिया प्रबंधन, अनुपालन बड़े मापदंड के रूप में लिए गए हैं।

आंतरिक एवं बाह्य हितधारकों के अवबोधन समेत इन मापदंडों के आधार पर सत्यनिष्ठा सूचकांक का आकलन किया जाएगा।

आपकी कंपनी ने समयबद्ध रूप में इस कार्य-प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए एवं आईआईएम पोर्टल में जमा दिए जाने की समयसीमा में कई क्षेत्रों में कार्य-प्रक्रियाओं में उभरे फासले को दूर करते हुए सक्रिय रूप से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और अंततः फरवरी, 2018 में इसे जमा किया गया।

आपकी कंपनी ने सत्यनिष्ठा सूचकांक विकास परियोजना में सीवीसी-आईआईएम (अहमदाबाद) द्वारा 79.47% अंक पाया है। संबंधित विभागों से प्रत्युत्तर के संग्रह से प्रबंधन द्वारा अंक का आकलन एवं निरीक्षण किया जा रहा है एवं अंक को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं।

21.6 डीओपीटी पोर्टल पर ऑनलाइन आँकड़ों का अद्यतन:

सीवीसी एवं डीओपीटी दिशानिर्देशों के अनुपालन में आपकी कंपनी ने वेब पोर्टल "https://doptapp.nic.in/solve/" पर सहायक महाप्रबंधक तथा उससे ऊपर के कार्यपालकों के आँकड़ों को नियमित रूप से अद्यतन करने में सक्रियता दिखाई है।

21.7 पहुँच गतिविधिः

आपकी कंपनी ने भुवनेश्वर में कंपनी के प्रधान कार्यालय एवं अनुगुल और दामनजोड़ी में संयंत्र संकुलों के आसपास विभिन्न विद्यालयों एवं कॉलेजों में पहुँच गतिविधि या सत्यनिष्ठा संकल्प अभियान का संचालन किया है, लगभग 3,500 नागरिकों ने सत्यनिष्ठा संकल्प में हिस्सा लिया है।

22.0 सूचना का अधिकारः

सूचना का अधिकार अधिनियम (सू.का.अ.) के प्रावधानों के निवारण के लिए, हितधारकों द्वारा माँगी गई सूचना प्रदान करने हेतु, जिम्मेदार एक अपीलीय अधिकारी, एक लोक सूचना अधिकारी एवं नौ सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

फनी चक्रवात के प्रभावित लोगों के लिए नालको राहत सामग्री

2019-20 के दौरान सू.का.अ. आवेदनों एवं अपील का विवरण निम्नानुसार है:

	अनुरोध	प्रथम अपील
01.04. 2019 के अनुसार प्रक्रियाधीन	16	01
वर्ष के दौरान प्राप्त (अन्य लोक प्राधिकारी से अंतरित मामलों सहित)	249	48
अन्य लोक प्राधिकारियों को अंतरित मामलों की सं.	01	0
निर्णय जहाँ अनुरोध/अपील रद्द किए गए	91	08
निर्णय जहाँ अनुरोध/अपील स्वीकृत हुए/निपटाए गए	149	40
31.03. 2020 के अनुसार प्रक्रियाधीन	25	01

सू.का.अ. के अनुरोध एवं अपील भौतिक एवं ऑनलाइन दोनों माध्यम से प्राप्त होते हैं एवं जवाब दिए जाते हैं। आपकी कंपनी जनवरी, 2017 से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ऑनलाइन आर.टी.आई. पोर्टल (www.rtionline.gov.in) के साथ संरेखित हो चुकी है।

23.0 स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण एवं सूचीकरण शुल्क का भुगतान

आपकी कंपनी के इक्विटी शेयरों का देश के प्रीमियर स्टॉक एक्सचेंजों - बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. में सूचीबद्ध जारी है, जिनके राष्ट्रव्यापी ट्रेडिंग टर्मिनल है। वर्ष 2020-21 के लिए सूचीकरण शुल्क का भुगतान इन स्टॉक एक्सचेंजों को समय पर किया जा चुका है।

24.0 विनिवेश:

वित्त वर्ष के प्रारंभ में, भारत सरकार के पास 97,00,81,517 इक्विटी शेयर है जो आपकी कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी का 51.99% था।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने 10.10.2019 को 92,88,506 संख्यक इक्विटी शेयरों का अंतरण भारत सरकार की भारत-22 ईटीएफ योजना में किया एवं उस तिथि को, भारत सरकार के पास 96,07,93,011 इक्विटी शेयर है (कुल इक्विटी शेयर -1,86,56,17,498) जो कि आपकी कंपनी की कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 51.50% है।

25.0 शेयरधारकों को सेवाएँ:

शेयरों के अंतरण/संचरण, डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने, लाभांश के भुगतान, शेयरों के अभौतिकीकरण एवं पुनः भौतिकीकरण और निवेशकों की शिकायतों के निवारण से संबंधित सभी मुद्दों पर कंपनी के आरटीए अर्थात मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. (पूर्व में कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड), हैदराबाद द्वारा कार्यवाही की जाती है। कंपनी ने 01.04.2020 से 3 वर्ष के लिए आरटीए के साथ अनुबंध का नवीकरण किया है।

26.0 डिपॉजिटरियों को वार्षिक अभिरक्षा/निर्गम शुल्क का भुगतान

2020-21 के लिए वार्षिक कनेक्टिविटी शुल्क और अभिरक्षा शुल्क/ निर्गम शुल्क का भुगतान मेसर्स नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लि. और मेसर्स सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. दोनों को समय पर किया गया।

27.0 व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 34(2)(एफ) के अनुसरण में, कंपनी द्वारा सामाजिक, पर्यावरण एवं शासन के संदर्भ में उठाए गए विभिन्न नए कदमों का वर्णन करनेवाली वर्ष 2019-20 की व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट **अनुलग्नक-III** में संलग्न है जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

27.1 संधारणीय विकास पर रिपोर्ट:

- संधारणीयता पर अनिवार्य रिपोर्ट अर्थात् सेबी की अनिवार्य अपेक्षा पर आधारित आर्थिक, पर्यावरण, सामाजिक एवं शासन पहलुओं को सम्बोधित करनेवाली व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट तैयार कर ली गई एवं प्रकाशित की गई तथा वेब पर उपलब्ध कराई गई है।
- उपर्युक्त रिपोर्ट के अलावा, जीआरआई जी4 दिशानिर्देशों के साथ संरेखित, स्वैच्छिक आधार पर, एक स्व-चलित रिपोर्ट तैयार की गई है।

28.0 ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन एवं विदेशी मुद्रा आय और व्यय:

28.1 अनुसंधान और विकास:

- "कुकवेयर शीट का वाणिज्यिक उत्पादन एवं बिलिंग" पर अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) परियोजना को एमओयू 2019-20 उत्कृष्ट लक्ष्य तिथि 15.02.2020

के मुकाबले दिनांक 06.02.2020 को सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

- आरटीए, फ्रान्स के साथ हस्ताक्षरित विकास सहयोग अनुबंध के अंतर्गत प्रद्रावक संयंत्र के लिए न्यून ऊर्जा सेल प्रौद्योगिकी का विकास (एपी2एक्सएन) कार्य प्रद्रावक संयंत्र में विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करने के उद्देश्य के साथ 15 ट्रायल पॉट में प्रगति पर है। आरटीए के परामर्श पर पॉट के निष्पादन पर निगरानी रखी जा रही है।
- स्थापना के समय से, 39 पेटेन्ट दायर किए गए हैं जिनमें से 20 प्रदान किए गए हैं एवं 7 पेटेन्ट का वाणिज्यिकरण किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में तीन संख्यक पेटेन्ट स्वीकृत हुए हैं एवं तीन संख्यक पेटेन्ट आवेदन दायर किए गए हैं।
- आपकी कंपनी के अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों की समीक्षा के लिए कंपनी के अनुसंधान एवं वैज्ञानिक सलाहकारी समिति (आरएसएसी) बैठकों का आयोजन समय-समय पर किया जाता है।
- मई 2016 में बीएआरसी के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के आधार पर, विभिन्न आर एण्ड डी कार्य जैसे कि बेयर प्रोसेस लिकर एवं एल्यूमिना अपशिष्ट से गैलियम एवं अन्य दुर्लभ भू तत्वों का निष्कर्षण तथा सैक्रिफिशल कोर कैचर सामग्री के लिए लाल पंक की उपयुक्तता पर अध्ययन बीएआरसी के साथ जारी है। 'उत्सर्गी ईंट विकास परियोजना' पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) आपकी कंपनी के प्रबंधन द्वारा निर्णीत एवं अनुमोदित किया गया है।
- भुवनेश्वर में नालको अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र (एनआरटीसी) में परीक्षण कार्यकलाप खान बॉक्साइट के नमूनों, प्रद्रावक संयंत्र से प्राप्त एल्यूमिनियम मिश्रधातु के नमूनों एवं टीआरएम नमूनों का नियमित विश्लेषण शुरू कर दिया गया है। बाहर से प्राप्त नमूनों का भी विश्लेषण भुगतान के आधार पर किया जाता है।
- वर्ष के दौरान, एक आंतरिक अनुसंधान एवं विकास परियोजना एवं चार सहयोगपूर्ण परियोजनाएँ पूरी कर ली गई हैं।
- "नालको लाल पंक के इस्तेमाल से यंत्र गठन के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के विकास" पर सहयोगपूर्ण अनुसंधान एवं विकास परियोजना।
- "बेहतरीन ताप एवं इलेक्ट्रॉनिक गुणों से समृद्ध बैटरी एवं सौर प्रकाश/छत की चादरों में सामग्री आधारित एल्यूमिनियम की प्रक्रिया एवं नए अनुप्रयोगों" पर सहयोगपूर्ण अनुसंधान एवं विकास परियोजना।
- "इलेक्ट्रॉनिक यंत्र में अंतरसंयोजन में आणविक स्तर एल्यूमिनियम" पर सहयोगपूर्ण अनुसंधान एवं विकास परियोजना।
- "पट्टा ढली एल्यूमिनियम मिश्रधातु के अनुप्रवाह अनुप्रयोगों के विकास" पर सहयोगपूर्ण अनुसंधान एवं विकास परियोजना।
- "कुकवेयर शीट के वाणिज्यिक उत्पादन एवं बिलिंग" पर आंतरिक अनुसंधान एवं विकास परियोजना।
- अनुसंधान एवं विकास (आंतरिक एवं सहयोगपूर्ण) के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ।
- वर्ष 2018-19 में एक पूर्ण सहयोगपूर्ण अनुसंधान एवं विकास परियोजना पर आधारित, प्रद्रावक संयंत्र में संपीडित वायु की निगरानी प्रणाली विकसित की गई है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) पर आधारित है। इतिहास एवं रुझान के साथ संपीड़ित वायु दबाव एवं तापमान के औसत मूल्य प्रद्रावक संयंत्र में संपीडित वायु उपयोग के बेहतर नियंत्रण के लिए उपायों को अपनाने में मदद करते हैं एवं अपशिष्ट को कम करने में भी मदद करते हैं।
- प्रद्रावक संयंत्र में सूक्ष्म प्रौद्योगिकी आधारित डिफ्लूओराइडेशन संयंत्र से 2,27,997 कि.ली. उपचारित जल का शून्य व्यर्थ जल धारणा के तहत औद्योगिक उपयोग के लिए पुनर्चक्रण किया गया। इससे लगभग ₹91 लाख की बचत हुई है।

- संगठन में ही विकसित नए उत्पाद, एए 8011 श्रृंखला की कुकवेयर शीट ₹250 प्रति मे.टन के अधिमूल्य पर बेची गई।
- 31 मार्च, 2020 के अनुसार, 05 आंतरिक परियोजनाएँ एवं 22 सहयोगपूर्ण परियोजनाएँ प्रगति पर हैं।

  कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटन किए जाने के लिए अपेक्षित ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा आय और व्यय से संबंधित विवरण इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक**-IV में दिए गए हैं।

29.0 निदेशकों के दायित्वशील विवरण:

आपके निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ग) और 134(5) के प्रावधानों के अनुसार पुष्टि करते हैं कि;

- वार्षिक लेखों को तैयार करने में महत्वपूर्ण विचलनों के संबंध में उचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया;
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन करके उन्हें सुसंगत तरीके से लागू किया और ऐसे निर्णय एवं अनुमान तैयार किए जो युक्तिसंगत और सही हैं और वित्त वर्ष के अंत में कंपनी के कामकाज की स्थिति और उक्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ एवं हानि की सही और उचित तस्वीर प्रस्तुत करते हैं;
- निदेशकों ने कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा करने और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड रखने में उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है;
- निदेशकों ने लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं;
- निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विनिर्धारित किए और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त थे और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे; और
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणालियाँ तैयार की थी और ये प्रणालियाँ पर्याप्त थी और प्रभावी ढंग से काम कर रही थी।

30.0 निगमित अभिशासन:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची–V के साथ पठित विनियम 34 और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में निगमित अभिशासन रिपोर्ट तैयार की गई एवं इस रिपोर्ट में **अनुलग्नक**-V पर दी गई है।

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने निगमित अभिशासन पर एक प्रमाणपत्र जारी किया है जो निगमित अभिशासन रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।

नए उत्पाद आरआर एल्यूमिनियम मिश्रधातु एए-1200 का शुभारम्भ

31.0 संबंधित पक्षों के साथ संविदाएँ और समझौतेः

संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन की नीति को बोर्ड ने स्वीकृति प्रदान की है और इसे कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है, जिसे www.nalcoindia.com पर देखा जा सकता है।

आपके निदेशक सदस्यों का ध्यान वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 38 की ओर आकर्षित करते हैं जो संबंधित पक्ष प्रकटन को दर्शाती है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, संबंधित पक्ष के साथ कोई संविदा नहीं की गई। बहरहाल, इस रिपोर्ट में फॉर्म एओसी-2 में एक रिपोर्ट **अनुलग्नक**-VI में संलग्न है।

32.0 निदेशकगण और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

32.1 निदेशकगणः

अंतिम रिपोर्ट के समय से आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुएः

32.1.1 नियुक्तिः

- श्री एस. पात्र को दिनांक 30.11.2019 को डॉ. टी.के. चान्द के सेवानिवर्तन पर 01.12.2019 से निदेशक (वित्त) के रूप में अपने मूल कार्यभार के अलावा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त पदभार सौंपा गया था। श्री पात्र दिनांक 17.12.2019 से पूर्णकालिक अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक बने।

नालको अनुसंधान एवं विकास केन्द्र

- श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम्, निदेशक (उत्पादन) को 10.01.2020 से निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया।
- श्री आर.एस. महापात्र को 01.01.2020 से निदेशक (मानव संसाधन) नियुक्त किया गया।
- श्री सतेन्द्र सिंह को 05.08.2020 से अंशकालिक सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया।
- श्री उपेन्द्र सी. जोशी को 05.08.2020 से अंशकालिक सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया।

32.1.2 कार्यकाल समाप्तिः

- श्री डी. महन्त, प्रो. डी. आचार्य, श्री एस. शंकररमण, श्री एम. साहु एवं श्री पी.के. नायक, स्वतंत्र निदेशकगणों का कार्यकाल दिनांक 20.11.2019 को समाप्त हो गया।
- डॉ. टी.के. चान्द दिनांक 30.11.2019 को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए।
- श्री बी.के. ठाकुर दिनांक 31.12.2019 को निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में सेवानिवृत्त हुए।
- श्रीमती के.जी. सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक ने दिनांक 02.02.2020 को अपना कार्यकाल पूर्ण किया।
- डॉ. के. राजेश्वर राव दिनांक 05.08.2020 से अंशकालिक सरकारी निदेशक के पद पर नहीं रहे।
- श्री ए.के. नायक दिनांक 05.08.2020 से अंशकालिक सरकारी निदेशक के पद पर नहीं रहे।

आपके निदेशकगण स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री डी. महन्त, प्रो. डी. आचार्य, श्री एस. शंकररमण, श्री एम. साहु, श्री पी.के. नायक, श्रीमती के.जी. सिन्हा, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में डॉ. टी.के. चान्द, निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में श्री बी.के. ठाकुर, अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में डॉ. के. राजेश्वर राव एवं श्री ए.के. नायक को कंपनी के निदेशक मंडल

छात्राओं को स्वच्छता किट का वितरण

में उनकी कार्यावधि के दौरान उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए अपना आभार प्रकट करते हैं।

32.1.3 प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकः

अधिनियम के प्रावधान के अनुसार आपकी कंपनी में निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक हैं:

- श्री एस. पात्र, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
- श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम्, निदेशक (उत्पादन) एवं निदेशक (वित्त) - अतिरिक्त प्रभार
- श्री एस.के. राय, निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)
- श्री पी.के. मिश्र, निदेशक (वाणिज्यिक)
- श्री आर.एस. महापात्र, निदेशक (मानव संसाधन) दिनांक 01.01.2020 से
- श्री एन.के. महान्ति, कंपनी सचिव

32.1.4 स्वतंत्र निदेशकों द्वारा स्वतंत्रता की घोषणाः

आपकी कंपनी को कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों से घोषणा प्राप्त हुई है जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि उन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, दोनों के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंड का पालन किया है।

32.1.5 बोर्ड की बैठकें:

वर्ष के दौरान, निदेशक-मंडल की 6 (छह) बैठकें आयोजित की गई। बैठकों का ब्यौरा इस वार्षिक रिपोर्ट में निगमित अभिशासन रिपोर्ट (**अनुलग्नक**-V) में उपलब्ध है।

नबरंगपुर में नालको द्वारा वित्तपोषित 200 शय्या वाला विशिष्ट कोविड-19 अस्पताल

नि.सा.उ. हेतु टाइम्स बिजनेस पुरस्कार प्राप्त करते हुए

32.1.6 **बोर्ड की विभिन्न उप समितियाँ:**

लेखा परीक्षा समिति सहित बोर्ड की विभिन्न उप-समितियों, उनकी संरचना, संदर्भ की शर्तों, आयोजित बैठकों के विवरण इस रिपोर्ट की निगमित अभिशासन रिपोर्ट (**अनुलग्नक**-V) में दिए गए हैं।

33.0 वार्षिक विवरणी का सारः

कंपनी की वार्षिक विवरणी का सार विनिर्धारित फॉर्म एमजीटी-9 में इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक** VII के रूप में संलग्न है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं इसके तहत बने नियमों के अनुसार फॉर्म एमजीटी-9 में वार्षिक रिपोर्ट का सार कंपनी की वेबसाइट https://nalcoindia.com/investor-services/extract-of-annual-return/ पर उपलब्ध है।

34.0 सामान्यः

आपके निदेशक उल्लेख करते हैं कि निम्नलिखित मदों के संबंध में कोई प्रकटन या रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है क्योंकि रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, इन मदों के संबंध में कोई लेन-देन नहीं किए गए:-

- अधिनियम के अध्याय V के अंतर्गत आने वाले जमा से संबंधित विवरण।
- लाभांश, वोटिंग या अन्य से संबंधित अन्तरीय अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर जारी करना।
- कंपनी के कर्मचारियों को शेयर, स्वेट शेयर इक्विटी और ईएसओएस जारी करना।
- कंपनी के सीएमडी और पूर्णकालिक निदेशक कंपनी से कमीशन प्राप्त नहीं करते हैं।
- विनियामक या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा ऐसा कोई महत्वपूर्ण या अर्थपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया, जिसका कि कंपनी की वर्तमान स्थिति या भावी परिचालनों पर प्रभाव पड़ सकता है।

आपके निदेशक यह भी उल्लेख करते हैं कि निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में कोई प्रकटन या रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है

क्योंकि निगमित कार्य मंत्रालय की दिनांक 5 जून, 2015 की यथा संशोधित अधिसूचना और 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के तहत सरकारी कंपनियों को इससे छूट प्राप्त है।

- धारा 134(3)(ङ) और धारा 178 (2), (3) व (4) के अनुसार, योग्यता, दायित्व, स्वतंत्रता आदि के निर्धारण हेतु मापदंड सहित निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी की नीति।
- कंपनी (लेखा) नियमावली के नियम 8(4) के साथ पठित धारा 134(त) के अनुसार, पद्धति, जिसके द्वारा बोर्ड, इसकी समितियों और एकल निदेशकों के कार्यनिष्पादन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन किया गया।
- कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली के नियम 5 के साथ पठित धारा 197(12) के अनुसार, प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक और कर्मचारी के माध्यिका पारिश्रमिक का अनुपात एवं अन्य निर्दिष्ट विवरण।

35.0 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013:

आपकी कंपनी के पास कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुसरण में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण की व्यवस्था है। यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण हेतु निगम कार्यालय, प्रद्रावक एवं विद्युत, अनुगुल और खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी प्रत्येक में एक-एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति में कंपनी के उपयुक्त सदस्यों के साथ बाहर के एक स्वतंत्र सदस्य जैसे कि महिला आयुक्त, सचिव नारी सुरक्षा समिति अनुगुल, समन्वयक, नालको फाउंडेशन, दामनजोड़ी द्वारा नामित अनुसार एक्सआईएमबी के प्रोफेसर उपस्थित रहते हैं।

वर्ष 2019-20 के दौरान, प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल में यौन उत्पीड़न का एक मामला दर्ज किया गया था। आंतरिक अनुपालन समिति की रिपोर्ट के अनुसार संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की गई एवं मामले का निपटान कर दिया गया है। निगम कार्यालय तथा खान एवं परिशोधन संकुल में 2019-20 के दौरान कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है।

36.0 ऋणों, गारंटी और निवेश के विवरण:

कंपनी (मण्डल की बैठक एवं इसकी शक्तियाँ) विनियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के तहत सम्मिलित ऋणों, गारंटी एवं निवेश के विवरण स्वचलित वित्तीय विवरण 2019-20 की टिप्पणी सं. 9 एवं 11 में दिए गए हैं।

37.0 सहायक कंपनियाँ, संयुक्त उद्यम एवं संबद्ध कंपनियाँ:

वर्ष के दौरान दो संयुक्त उद्यम कंपनियों का प्रारंभ हुआ:

(क) **मेसर्स खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड,** एक संयुक्त उद्यम कंपनी जो दिनांक 08.08.2019 को आपकी कंपनी, मेसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड और मेसर्स मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मध्य निगमित हुआ, जिनकी शेयरधारिता क्रमश 40:30:30 है।

(ख) **मेसर्स उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड,** एक संयुक्त उद्यम कंपनी जो आपकी कंपनी और मेसर्स मिश्र धातु निगम लिमिटेड के बीच 50:50 की शेयरधारिता के साथ दिनांक 21.08.2019 को निगमित हुआ।

कंपनी (लेखा) विनियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 129(3) के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक संयुक्त उद्यम एवं संबद्ध कंपिनयों के कार्य-निष्पादन एवं वित्तीय स्थिति और इनकी प्रमुख विशेषताओं पर 31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए रिपोर्ट समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 40 एवं 41 में दी गई है। फॉर्म एओसी-1 (टिप्पणी 41) में संयुक्त उद्यम/संबद्ध कंपनियों की मुख्य विशेषताएँ कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण का महत्वपूर्ण भाग है।

38.0 पुरस्कार और उपलब्धियाँ:

- आपकी कंपनी को पर्यावरण प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन

के 21 वें विश्व सम्मेलन के अवसर पर बैंगलोर में आयोजित समारोह में वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित "गोल्डन पीकॉक एन्वायर्नमेंट मैनेजमेंट अवॉर्ड" का सम्मान दिया गया है।

- पंचपटमाली बॉक्साइट खान ने भारतीय मानक ब्यूरो, भुवनेश्वर द्वारा भुवनेश्वर में दिनांक 19.07.2019 को आयोजित खान पर्यावरण एवं खनिज संरक्षण सप्ताह 2018-19 के समापन समारोह में वृक्षारोपण में प्रथम पुरस्कार, पुनरूद्धार एवं पुनर्वास में प्रथम पुरस्कार, निगरानी में द्वितीय पुरस्कार, संधारणीय विकास में प्रथम पुरस्कार, समग्र कार्य-निष्पादन में प्रथम पुरस्कार एवं पार-एक्सीलेंस पुरस्कार सहित 6 पुरस्कार हासिल किया।
- भारतीय अर्थव्यवस्था और साथ ही सामाजिक-आर्थिक विकास की विस्तारित दृष्टि से लोक क्षेत्र उद्यमों में आपकी कंपनी द्वारा निभायी गई उत्कृष्ट भूमिका के स्वीकृति स्वरूप आपकी कंपनी को दुन एवं ब्रैडस्ट्रीट पीएसयू अवॉर्ड 2019 में सर्वोत्तम निर्यात निष्पादन का पुरस्कार दिया गया है।
- आपकी कंपनी के डेटा सेन्टर, निगम कार्यालय एवं डिजास्टर रिकवरी साइट को सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित किया गया है एवं अंतर्राष्ट्रीय मान्यता सेवाओं, यूएसए से मान्यता के साथ आईएसओ 27001:2013 प्रमाणन का पुरस्कार दिया गया है। मेसर्स इंटरसर्ट द्वारा प्रमाणन लेखा परीक्षा का संचालन किया गया एवं और आपकी कंपनी को अगस्त, 2019 में सफलतापूर्वक प्रमाणित किया गया।
- आपकी कंपनी ने दिनांक 31.08.2019 को कोलकाता में आयोजित एक समारोह में वर्ष 2016-17 के लिए ईईपीसी पूर्वी क्षेत्र निर्यात पुरस्कार प्राप्त किया है।
- बेंगलुरु में 12 से 14 सितम्बर, 2019 तक आयोजित खनन अन्वेषण सम्मेलन एवं व्यापार प्रदर्शनी (माइनिंग माज्मा) में आपकी कंपनी के पविलियन ने लोक क्षेत्र उद्यम श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता।
- आपकी कंपनी ने फर्स्ट स्टेप फाउंडेशन, नई दिल्ली एवं सीएसआर टाइम्स द्वारा आयोजित राष्ट्रीय नि.सा.उ. सम्मेलन एवं पुरस्कार समारोह में अपनी मार्गदर्शी नि.सा.उ. परियोजना, "नालको की लाडली" के लिए "महिला सशक्तीकरण" श्रेणी में प्रतिष्ठित नि.सा.उ. राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किया।
- आपकी कंपनी के प्रद्रावक संयंत्र ने हैदराबाद में 16 से 18 सितम्बर, 2019 तक आयोजित ऊर्जा प्रबंधन में उत्कर्षता के लिए 20वें राष्ट्रीय पुरस्कार में सीआईआई द्वारा ऊर्जा दक्षता एवं सर्वाधिक व्यवहार योग्य प्रस्तुतीकरण पुरस्कार प्राप्त किया।
- आपकी कंपनी के एल्यूमिना परिशोधन संयंत्र एवं ग्रहीत विद्युत

राष्ट्रीय नि.सा.उ. पुरस्कारों के एक प्राप्तकर्ता के रूप में नालको

संयंत्र को भुवनेश्वर में 23 नवम्बर, 2019 को आयोजित ओड़िशा सुरक्षा सम्मेलन में कलिंग सुरक्षा उत्कर्ष पुरस्कार (स्वर्ण) एवं कलिंग सुरक्षा उत्कर्ष पुरस्कार (रजत) से सम्मानित किया गया है। दोनों एककों को अपने संबंधित एककों में सर्वोत्तम सुरक्षा अभ्यासों के अनुपालन एवं अनुरक्षण के लिए पुरस्कृत किया गया है।

- आपकी कंपनी ने इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में कोवलम, तिरुवनंतपुरम में आयोजित राष्ट्रीय धातुकर्मी दिवस एवं राष्ट्रीय तकनीकी सम्मेलन (एनएमडी-एटीएम 2019) में लगातार दूसरे वर्ष के लिए "आईआईएम नॉन-फेरस बेस्ट परफॉर्मन्स अवार्ड" हासिल किया है।
- आपकी कंपनी ने व्यवसाय उत्कर्षता के लिए सीआईआई-एग्जिम बैंक अवॉर्ड में प्लैटिनम पुरस्कार प्राप्त किया है।
- एल्यूमिना परिशोधक ने हर ओर से प्राप्त सकारात्मक गुणों के फलस्वरूप ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी प्लैटिनम पुरस्कार प्राप्त किया।
- आपकी कंपनी को नि.सा.उ. के लिए "टाइम्स बिजनेस एक्सीलेंस पुरस्कार" प्रदान किया गया है।
- आपकी कंपनी लोक उद्यम सर्वेक्षण विभाग 2018-19 के अनुसार देश में द्वितीय उच्चतम शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।

39.0 कंपनी के वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक एवं महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ:

बोर्ड द्वारा अनुमोदित स्वचलित एवं समेकित दोनों वार्षिक वित्तीय विवरणियाँ पहले ही उनकी टिप्पणियों के लिए महानिदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के कार्यालय में जमा कर दी गई है। भारत के नियंत्रक एवं महा-लेखापरीक्षक ने महानिदेशक लेखा परीक्षा (खान), कोलकाता द्वारा जारी पत्र सं. 658/को.ऑर्डि/01-10 (नालको) 2020-21 एवं पत्र सं. 654/को.ऑर्डि./01-06 (नालको) 2020-21 दोनों दिनांक 03.09.2020 के माध्यम से 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्वचलित एवं समेकित वित्तीय विवरणियों पर 'शून्य' टिप्पणी जारी की है।

40.0 लेखापरीक्षकः

40.1 सांविधिक लेखा-परीक्षकः

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महा-लेखा परीक्षक द्वारा मेसर्स पात्र एण्ड कं., सनदी लेखापाल एवं मेसर्स जीएनएस एण्ड एसोसिएट्स, सनदी लेखापाल आपकी कंपनी के संयुक्त लेखा परीक्षक नियुक्त किए गए।

स्वचलित एवं समेकित वित्तीय विवरणियों पर सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट 26.06.2020 को आयोजित बैठक में बोर्ड के समक्ष पहले ही पेश की गई थी।

40.2 लागत लेखा-परीक्षकः

कंपनी (लागत अभिलेख एवं लेखा परीक्षा) संशोधन नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 148 के प्रावधानों के अनुसार लागत लेखापरीक्षा कंपनी पर लागू है और इसी अनुसार ऐसे लेखों एवं अभिलेखों को प्रस्तुत एवं अनुरक्षित किया गया।

इसी अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए मेसर्स निरन एण्ड कं., लागत लेखापाल को लागत लेखापरीक्षक नियुक्त किया है।

आपकी कंपनी निर्धारित समयावधि के अंदर निगमित मामले मंत्रालय को अपनी लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट जमा करेगी।

40.3 सचिवीय लेखा परीक्षकः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार मेसर्स देव महापात्र एण्ड कं., अभ्यासरत कंपनी सचिव को वर्ष 2019-20 के लिए आपकी कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षा कार्य के लिए पुनः नियुक्त किया गया। सचिवीय लेखा परीक्षा की रिपोर्ट के साथ लेखापरीक्षक के अवलोकन पर प्रबंधन का स्पष्टीकरण, इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक VIII** में संलग्न है।

40.4 आंतरिक लेखा परीक्षकः

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के

आंतरिक लेखा परीक्षा कार्यों के निष्पादन हेतु निम्नलिखित सनदी लेखापाल फर्मों को नियुक्त किया हैः

(क) खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी एवं पत्तन सुविधाएँ, विशाखापत्तनम के लिए मेसर्स राव एण्ड कुमार

(ख) प्रद्रावक मंडल, अनुगुल के लिए मेसर्स बी.एन. मिश्र एण्ड कं.

(ग) ग्र.वि.सं. मंडल, अनुगुल के लिए मेसर्स तेज, राज एण्ड पाल

(घ) निगम कार्यालय, भुवनेश्वर के लिए मेसर्स एसआरबी एण्ड एसोसिएट्स

(ङ) पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई के लिए मेसर्स एमकेपीएस एण्ड एसोसिएट्स

(च) पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता के लिए मेसर्स प्रबीर रंजन दत्ता एण्ड कं. (30.09.2019 तक)

(छ) पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता के लिए मेसर्स राय एण्ड बागची (01.10.2019 से प्रभावी)

(ज) दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई के लिए मेसर्स राघवन एण्ड मुरलीधरन

(झ) उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली के लिए मेसर्स भाटिया एण्ड भाटिया

41.0 आभारोक्तिः

आपके निदेशकगण पूरी कृतज्ञता के साथ भारत सरकार, विशेषकर खान मंत्रालय, डीआईपीएएम, डीपीई एवं भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों, मेसर्स कोल इण्डिया लिमिटड, मेसर्स एनएलसी लिमिटेड, ओड़िशा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, भारतीय रेल, ग्रिडको, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के महानिदेशक एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड, कोलकाता, सांविधिक लेखा-परीक्षकों, लागत लेखा-परीक्षकों, सचिवीय लेखा-परीक्षकों, आन्तरिक लेखा-परीक्षकों, बैंकरों, केफिन टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड, न्यायाभिकर्ताओं और सं.उ. साझेदारों, व्यवसाय सहायकों, अन्य सरकारी एजेंसियों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उद्यमों, सम्मानित एवं माननीय देशीय और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों, विक्रेताओं को उनके द्वारा दिए गए उत्कृष्ट सहयोग के लिए अपनी प्रशंसा अभिस्वीकृत करते हैं और आनेवाले वर्षों में भी उनके साथ इसी प्रकार के पारस्परिक व्यवसाय सहयोग की कामना करते हैं।

अंततः समभाव से, आपके निदेशकगण विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा की गई समर्पित, वचनबद्ध, सदुत्साह, अनवरत प्रयास और निष्ठापूर्ण सेवाओं के लिए अपना गहन आभार व्यक्त करते हैं। निदेशक मंडल हर स्तर के कर्मचारियों, श्रमिक संघों और अधिकारियों के संघों को भी इस मौजूदा कोविड-19 महामारी में संयंत्र/एककों के प्रचालन को बनाए रखने में उनकी कड़ी मेहनत के लिए अपनी सराहना एवं आभार व्यक्त करते हैं। हर मोर्चे पर इनकी आत्मीयता, समन्वय, सहयोग एवं समर्थन से ही कंपनी की निरंतर वृद्धि मुमकिन हो पाई है।

कृते निदेशक-मंडल और उनकी ओर से

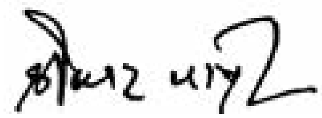

स्थान :भुवनेश्वर | **श्री श्रीधर पात्र**

दिनांक : 04.09.2020 | **अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक**

अनुलग्नक-I

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट - 2019-20

1. **प्रस्तावित प्रक्रियाधीन परियोजनाओं या कार्यक्रमों की रूपरेखा और नि.सा.उ. नीति और परियोजनाओं या कार्यक्रमों के संदर्भ की वेबलिंक सहित कंपनी की नि.सा.उ. नीति की संक्षिप्त रूपरेखा**

चार दशकों की परंपरा के साथ, कंपनी अपने डीएनए में सुदृढ़ता से समाहित 'निगम सामाजिक उत्तरदायित्व' की प्रवृत्ति के साथ राज्य के स्वामित्व वाला सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उद्योग है। कंपनी ने *'समाज को वापस लौटाने'* के अपने प्रमुख मूल्यों को पोषित करने की परंपरा को जारी रखा है। अपने इस प्रयास में, आपकी कंपनी समुदाय की आवश्यकता एवं राष्ट्रीय प्राथमिकता पर केन्द्रित करते हुए कई नि.सा.उ. पहलों को अमल में ला रही है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनिवार्यता के अनुसार, वर्ष 2014-15 से, कंपनी उक्त अधिनियम की अनुसूची VII के अधीन निर्धारित विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान अपने औसत शुद्ध मूल्य का 2% व्यय कर रही है (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई)।

कंपनी के निदेशक मंडल की अनुमोदित नि.सा.उ. नीति कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.nalcoindia.com पर प्रस्तुत की गई है।

कंपनी के पहलों जिनपर कंपनी द्वारा निरंतर ध्यान दिया जा रहा है, का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार हैः

- **इंद्रधनुषः** कोरापुट जिले के माओवादी-प्रभावित गाँवों से निर्धन आदिवासी बच्चों को ओडिशा राज्य के ख्यातिप्राप्त विद्यालयों में निःशुल्क आवासीय शिक्षा।
- **नालको की लाडलीः** भारत सरकार 'बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओ' पहल के अनुसरण में शिक्षा की आकांक्षा रखने वाले बीपीएल परिवारों की प्रतिभावान कन्या छात्राओं को सहयोग।
- **परिधीय गाँवों में घर के द्वार तक स्वास्थ्य सेवाः** मेसर्स हेल्पेज इंडिया एवं मेसर्स वकहार्ड्ट फाउंडेशन के सहयोग से सुदूर परिधीय गाँवों में साल में लगभग 1.5 लाख रोगियों को घर के द्वार तक प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख सेवा।
- **जरूरतमंद लोगों के लिए पेयजल की सुविधाः** परिधीय गाँवों एवं पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को सुरक्षित पेयजल की सुविधा।
- **स्किल इंडिया को सहयोगः** परिधीय गाँवों के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए कौशल वृद्धि प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- **स्वच्छ भारत प्रयासः** पुरी में स्वच्छ प्रतिरूपी पुण्य स्थल का विकास एवं खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ) गाँवों के लिए स्वच्छता, स्वास्थ्य विज्ञान एवं स्वस्थता पहलुओं के लिए कदम उठाए गए।
- **ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं का निर्माणः** परिधीय क्षेत्रों में सड़कों, पुलिया, नालों, आश्रय घरों का निर्माण, समुदाय केन्द्रों एवं जलाशयों का नवीकरण एवं मरम्मत करके नया बनाया जाना।
- **फणी चक्रवात के प्रत्युत्तर में:** फणी चक्रवात के तुरंत बाद भुवनेश्वर एवं पुरी में और इसके आसपास अति प्रभावित स्थानों में राहत, पुनर्बहाली एवं पुनर्वासन के लिए कंपनी ने कदम उठाया है। इसके अलावा, नालको ने चक्रवात में हुए नुकसान की बहाली के लिए ओड़िशा वन विभाग के सहयोग से चंदका-दामपाडा वन्यजीव अभयारण्य में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया।

2. **नि.सा.उ. समिति का संघटनः**

(01.04.2019 से 20.11.2019 तक)

श्री डी. महंत, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष

श्री एस. शंकररमण, स्वतंत्र निदेशक

श्री एम. साहु, स्वतंत्र निदेशक

श्रीमती किरण घई सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक

श्री एन. एन. शर्मा, स्वतंत्र निदेशक

श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम्, निदेशक (उत्पादन)

श्री बी.के. ठाकुर, निदेशक (मानव संसाधन)

श्री एस. पात्र, निदेशक (वित्त)

स्वतंत्र निदेशकों अर्थात श्री डी. महन्त, श्री एस. शंकररमण एवं श्री एम. साहु की कार्यावधि दिनांक 20.11.2019 को समाप्त होने के बाद, निम्नलिखित सदस्यों के साथ समिति का पुनर्गठन किया गया।

श्रीमती किरण घई सिन्हा, अध्यक्षा
श्री एन. एन. शर्मा
श्रीमती अचला सिन्हा
श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम्, निदेशक (उत्पादन)
श्री बी.के. ठाकुर, निदेशक (मानव संसाधन)

तदुपरांत, श्रीमती किरण घई सिन्हा की कार्यावधि दिनांक 02.02.2020 को समाप्त होने के बाद, समिति का गठन वर्तमान में निम्नानुसार है :

श्री एन.एन. शर्मा, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष
श्रीमती अचला सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक
श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम्, निदेशक (उत्पादन)
श्री आर.एस. महापात्र, निदेशक (मानव संसाधन)

3. गत तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभः

₹1,91,731.00 लाख।

4. निर्धारित नि.सा.उ. व्यय (ऊपर मद सं. 3 में दी गई राशि का दो प्रतिशत):

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अंतर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार, वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित नि.सा.उ. व्यय ₹3,835.00 लाख है।

5. वित्तीय वर्ष के दौरान नि.सा.उ. पर खर्च का विवरणः

क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशिः ₹3,971.35 लाख

ख) खर्च नहीं हुई राशि, यदि कोई होः शून्य

ग) वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च राशि की प्रणाली का विवरणः (₹ लाख में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्रम सं.	**चिह्नित नि.सा.उ. परियोजना या गतिविधि**	**वह क्षेत्र, जिसमें परियोजना प्रछन्न है**	**परियोजनाएँ या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) जहाँ परियोजनाएँ या कार्यक्रम, हाथ में लिए गए हैं उस राज्य और जिले का उल्लेख**	**राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम-वार**	**परियोजनाएँ या कार्यक्रम पर खर्च राशि का उप शीर्ष (1) परियोजनाएँ या कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष खर्च (2) ऊपरी खर्च**	**रिपोर्ट अवधि तक सकल खर्च**	**खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से**
01	स्वास्थ्य पहुँच कार्यक्रम (क) मोबाइल हेल्थ एकक का प्रचालन एवं सूचना, शिक्षा, संचार (आईईसी) गतिविधियों के माध्यम से सचेतनता निर्माण (ख) ओपीडी का प्रचालन	अनुसूची VII की मद सं. (i) - निरोधक स्वास्थ्य देखभाल को प्रोत्साहन	ओड़िशा के कोरापुट एवं अनुगुल जिले	657.04	162.83	1,030.51	नालको फाउंडेशन और कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
02	स्वच्छता: (क) स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण (ख) ओडीएफ पहल के अंतर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण (ग) स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत निर्मित शौचालयों में पानी आपूर्ति का प्रावधान	अनुसूची VII की मद सं. (i)-निरोधक स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को प्रोत्साहन	ओड़िशा के कोरापुट एवं अनुगुल जिले और आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम् एवं कांकीनाड़ा	583.35	421.23	1,404.52	नालको फाउंडेशन और कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्रम सं.	**चिह्नित नि.सा.उ. परियोजना या गतिविधि**	**वह क्षेत्र, जिसमें परियोजना प्रछन्न है**	**परियोजनाएँ या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) जहाँ परियोजनाएँ या कार्यक्रम, हाथ में लिए गए हैं उस राज्य और जिले का उल्लेख**	**राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम-वार**	**परियोजनाएँ या कार्यक्रम पर खर्च राशि का उप शीर्ष (1) परियोजनाएँ या कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष खर्च (2) ऊपरी खर्च**	**रिपोर्ट अवधि तक सकल खर्च**	**खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से**
02	(ख) स्वच्छ-प्रतिष्ठित शहर परियोजना - पुरी	अनुसूची VII की मद सं. (i) - निरोधक स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता को प्रोत्साहन	ओड़िशा का पुरी जिला	316.21	192.64	925.70	नालको फाउंडेशन और कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
03	संयंत्रों के परिधीय गाँवों और पुरी में रथयात्रा के दौरान सुरक्षित पेयजल प्रदान करना	अनुसूची VII की मद सं. (i) - सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना	ओड़िशा के अनुगुल, कोरापुट एवं पुरी जिले	348.28	312.38	830.13	नालको फाउंडेशन और कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
04	शिक्षा को प्रोत्साहनः क) प्रसिद्ध आवासीय स्कूलों में औपचारिक शिक्षा के लिए आदिवासी बच्चों को सहयोग ख) नालको की लाडली को सहयोग ग) सरस्वती विद्या मंदिर अनुगुल एवं दामनजोड़ी में परिधीय क्षेत्र के छात्रों को उच्च स्तरीय शिक्षा	अनुसूची VII की मद सं. (ii) - विशेष शिक्षा समेत शिक्षा को प्रोत्साहन	ओड़िशा के कोरापुट, अनुगुल एवं खुर्दा जिले एवं उत्तरप्रदेश में वाराणसी	875.01	2,144.65	10,066.67	नालको फाउंडेशन
05	बेरोजगार युवाओं को रोजगार बढ़ाने वाला प्रशिक्षण	अनुसूची VII की मद सं. (ii) - रोजगार बढ़ानेवाला पेशागत कौशल	ओड़िशा के अनुगुल, कोरापुट एवं खुर्दा जिले और मध्यप्रदेश में ग्वालियर	167.80	42.91	390.13	कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
06	महिलाओं का सशक्तीकरण/ अनाथों के लिए आश्रयस्थल	अनुसूची VII की मद सं. (iii) - महिला रोजगार	ओड़िशा के खुर्दा, कोरापुट एवं पुरी जिले	25.00	5.00	73.50	नालको फाउंडेशन
07	वृक्षारोपण द्वारा पर्यावरणीय संधारणीयता, परिस्थिति की संतुलन सुनिश्चित करना	अनुसूची VII की मद सं. (iv) - पर्यावरणीय संधारणीयता, परिस्थिति का संतुलन सुनिश्चित करना	ओड़िशा के कोरापुट अनुगुल एवं खुर्दा जिले	293.43	224.67	734.55	नालको फाउंडेशन एवं कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
08	राष्ट्रीय धरोहर एवं संस्कृति के परिरक्षण के प्रति अंशदान एवं पारंपरिक .... एवं हस्तशिल्प कला का विकास	अनुसूची VII की मद सं. (v) - राष्ट्रीय धरोहर, कला एवं संस्कृति का परिरक्षण	ओड़िशा के कोरापुट एवं सम्बलपुर जिले	202.00	46.62	250.34	कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
09	ग्रामीण खेलकूद को प्रोत्साहन	अनुसूची VII के मद सं. (vii)- ग्रामीण खेलकुद, राष्ट्रीय मान्यताप्राप्त खेलकूद, पैरा-ओलम्पिक खेलकूद एवं ओलम्पिक खेलकूद को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण	ओड़िशा के कोरापुट, अनुगुल एवं खुर्दा जिले	12.00	12.20	21.45	नालको फाउंडेशन एवं कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
10	सामाजिक - आर्थिक विकास/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/ अल्पसंख्यकों/महिलाओं के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष/ केन्द्रीय सरकार निधि में अंशदान	अनुसूची VII के मद सं. (viii)- प्रधानमंत्री राहत कोष या केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित किसी अन्य कोष में अंशदान	भारत भर में	0.00	0.00	400.00	नालको फाउंडेशन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्रम सं.	चिह्नित नि.सा.उ. परियोजना या गतिविधि	वह क्षेत्र, जिसमें परियोजना प्रछन्न है	परियोजनाएँ या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) जहाँ परियोजनाएँ या कार्यक्रम, हाथ में लिए गए हैं उस राज्य और जिले का उल्लेख	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम-वार	परियोजनाएँ या कार्यक्रम पर खर्च राशि का उप शीर्ष (1) परियोजनाएँ या कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष खर्च (2) ऊपरी खर्च	रिपोर्ट अवधि तक सकल खर्च	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
11	परिधीय गाँवों एवं अन्य क्षेत्रों में ग्रामीण विकास गतिविधियाँ	अनुसूची VII की मद सं. (x) - ग्रामीण विकास परियोजनाएँ	ओड़िशा के अनुगुल एवं कोरापुट, मध्यप्रदेश के ग्वालियर एवं शिवपुरी जिले एवं आंध्रप्रदेश में विजयनगरम और विशाखापत्तनम जिले	201.66	67.18	827.18	नालको फाउंडेशन एवं कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
12	राहत, पुनःस्थापन एवं पुनःनिर्माण गतिविधियों समेत आपदा प्रबंधन	अनुसूची VII की मद सं. (xii)	ओड़िशा के पुरी एवं खुर्दा जिले	286.57	187.63	187.63	नालको फाउंडेशन एवं कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से
13	विभिन्न नि.सा.उ. परियोजनाओं/ कार्यक्रम को वहन करने के लिए प्रशासनिक व्यय			195.00	151.41	392.51	नालको फाउंडेशन
	कुल:			**4,163.45**	**3,971.35**	**17,534.82**	

- ऊपर दी गई तालिका की क्रम सं. 10 प्रक्रियाधीन परियोजनाएँ हैं।
- ऊपर दी गई तालिका के खंड 7 में सकल खर्च वित्त वर्षः 2014-15 से है।
- उपर्युक्त नि.सा.उ. खर्च वर्ष 2019-20 के लिए वित्तीय विवरणियों का भाग है।
- नालको की नि.सा.उ. शाखा, नालको फाउंडेशन, भारतीय न्यास अधिनियम के अधीन एक न्यास है, जो विशेष रूप से कंपनी की नि.सा.उ. गतिविधियों हेतु गठित किया गया हैं।
- नालको की नि.सा.उ. शाखा, नालको फाउंडेशन द्वारा कंपनी के प्रचालन क्षेत्रों के अंदर कार्यरत उपयुक्त गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की सहायता से अधिकांश परियोजनाएँ कार्यान्वित की गई हैं।

6. **पिछले तीन वित्तीय वर्षों या इसके किसी अंश के औसत शुद्ध लाभ के दो प्रतिशत को खर्च करने में असमर्थ होने के मामले में कंपनी को राशि के खर्च नहीं किए जाने के कारण अपने निदेशक-मण्डल की रिपोर्ट में प्रदान करने होंगे।**

   कंपनी ने गत तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च किया है।

7. **भावी नि.सा.उ. रणनीतिः**

   आने वाले वर्षों में, नालको उपयुक्त हितधारकों के अभिसरण में समुदाय की आवश्यकता के आधार पर, संधारणीय परियोजनाओं का गठन करेगी। नि.सा.उ. रणनीति तैयार करते समय, कंपनी समुदाय की आवश्यकता एवं राष्ट्रीय प्राथमिकता की परियोजनाओं को महत्व देना जारी रखेगी।

8. **नि.सा.उ. नीति का कार्यान्वयन और निगरानी, कंपनी के नि.सा.उ. उद्देश्यों और नीति का अनुपालन करते हुए हो रही है।**

स्वा./-
(श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्वा./-
(एन. एन. शर्मा)
स्वतंत्र निदेशक एवं अध्यक्ष
निगम सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता विकास समिति

अनुलग्नक-II

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

1.0 उद्योग संरचना एवं विकासः

1.1 एल्यूमिनाः

वर्ष 2019 के दौरान, धातुकर्मीय ग्रेड एल्यूमिना (एमजीए) का कुल भूमंडलीय उत्पादन 123.53 मिलियन टन था, जिससे वर्ष 2018 के दौरान उत्पादित 124.86 मिलियन टन की तुलना में 1.1% की गिरावट दर्ज हुई। वर्ष 2019 के दौरान एल्यूमिना की खपत 123.15 मिलियन टन थी, जबकि वर्ष 2018 के दौरान 124.72 मिलियन टन खपत हुई थी, जिससे वर्ष-दर-वर्ष पर 1.3% की कमी आई है। एल्यूमिना के उत्पादन में 55% की भागीदारी एवं खपत में 55.9% की भागीदारी के साथ चीन उत्पादन और खपत दोनों में प्रधान अंशदाता था। विश्व धातुकर्मीय ग्रेड एल्यूमिना की मांग 2020 में 124.96 मिलियन टन पहुँचने की उम्मीद की जाती है, जो वर्ष-दर-वर्ष पर 1.5% वृद्धि का सूचक है। तथापि, 2020 में 124.34 मिलियन टन के अपेक्षित उत्पादन के साथ एल्यूमिना के बाजार में 0.6 मिलियन टन की मामूली कमी की अपेक्षा की जाती है। **(स्रोतः सीआरयू)**

भारत में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान एल्यूमिना का कुल उत्पादन 66.36 लाख टन था, जिससे वर्ष-दर-वर्ष पर 2.1% की वृद्धि दर्ज हुई। इसमें से आपकी कंपनी का अंश 20.9 लाख (31.5%) था। वर्ष 2019-20 के दौरान एल्यूमिना के मूल्यों को कम करने के कुछ प्रमुख कारक थे - अतिरिक्त उत्पादन जो कि एल्यूनोर्ट परिशोधक के आरंभ होने एवं यूएई में अल-तवीलह परिशोधक में उत्पादन शुरू होने के कारण हुआ था। मूल्य कम रहने का एक कारण यह भी था कि पूरे साल उपयोगकर्ता उद्योगों द्वारा कम निष्पादन किए जाने से एल्यूमिनियम की भूमंडलीय मांग कम रही थी। मई-जून, 2020 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिना मूल्यों में कुछ सुधार आया है, जो कि प्रमुख उपभोक्ता चीन की अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी से अच्छी तरह से उबरने के कारण हो पाया है। **(स्रोतः एआई सर्कल)**

2019 के दौरान भूमंडलीय बॉक्साइट का उत्पादन लगभग 339.1 मिलियन टन था, जो वर्ष 2018 में उत्पादित 327.0 मिलियन टन की तुलना में 3.7% अधिक है। 2020 के दौरान भूमंडलीय बॉक्साइट का उत्पादन प्रायः 354.2 मिलियन टन पहुँचने की आशा की जाती है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की मिनरल कमोडिटी सम्मराइजेस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018 में भारत में बॉक्साइट का उत्पादन 23 मिलियन टन था जो वर्ष 2019 में बढ़कर 26 मिलियन टन पहुँच गया।

चीन ने बड़े पैमाने पर बॉक्साइट का आयात करना जारी रखा है। अप्रैल, 2020 के दौरान चीन द्वारा 9.9 मिलियन टन बॉक्साइट का आयात किया गया था जो मुख्य रूप से गुयाना, ऑस्ट्रेलिया एवं इंडनेशिया से प्राप्त किए गए थे। **(स्रोतः सीआरयू)**

1.2 एल्यूमिनियमः

2019 के दौरान एल्यूमिनियम का भूमंडलीय उत्पादन 63.08 मिलियन टन था, जिससे वर्ष 2018 में हासिल 63.92 मिलियन टन के उत्पादन आंकड़ों की तुलना में 1.3% की गिरावट दर्ज हुई। इसी अवधि में एल्यूमिनियम की विश्वव्यापी खपत 2018 में 65.25 मिलियन टन से वर्ष 2019 में 64.11 मिलियन टन पहुँच गई जिसमें 1.75% की कमी दर्ज हुए। अतएव, वर्ष 2019 के दौरान बाजार में लगभग 1.3 मिलियन टन की कमी बनी रही। वर्ष के दौरान चीन सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता रहा, जिसकी एल्यूमिलियम के वैश्विक उत्पादन में 55.7% की भागीदारी (35.10 मिलियन टन) एवं कुल वैश्विक खपत में 55.8% की भागीदारी (35.77 मिलियन टन) रही। वर्ष 2019 के दौरान चीन ने 3.1% की नकारात्मक एल्यूमिनियम उत्पादन वृद्धि दर्ज की जबकि शेष विश्व ने उत्पादन में 1.0% की वृद्धि हासिल की। एल्यूमिनियम खपत की बात करें तो 2019 के दौरान चीन के आंकड़े सपाट रहे, जबकि शेष विश्व ने 3.3% का संकुचन दर्ज किया। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, भारत में एल्यूमिनियम की खपत में 5.6% की कमी आई। **(स्रोतः सीआरयू)**

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, औसत एलएमई नकद निपटान मूल्य यू.एस. डॉलर 1,749 प्रति मे.टन था, जिसे वर्ष 2018-19 के दौरान यू.एस. डॉलर 2,035 प्रति मे.टन के अनुरूपी आंकड़ों की तुलना में 14.1% कम था। वित्त वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही के दौरान मूल्य में और कमी आई है। कुछ और समय तक इस रुझान के बने रहने की संभावना है। **(स्रोतः सीआरयू)**

वित्त वर्ष 2019-20 के अंत में, अनुमानित वैश्विक एल्यूमिनियम स्टॉक 13.00 मिलियन टन रहा, जिससे वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में 12.21 मिलियन टन स्टॉक की तुलना में 6.45% की वृद्धि दर्ज हुई। **(स्रोतः सीआरयू)**

वर्ष 2019 में लगभग 1.0 मिलियन टन की वैश्विक बाजार कमी की तुलना में, वर्ष 2020 में लगभग 5.5 मिलियन टन के विशाल बाजार अधिशेष की आशा की जाती है, जो कि मुख्यतया कोविड-19 के कारण उत्पादन में उल्लेखनीय कमी आए बिना, मांग में भारी कमी आने की वजह से है। **(स्रोतः सीआरयू)**

2.0 शक्तियाँ एवं कमजोरियाँः

2.1 शक्तियाँः

एल्यूमिनियम एक इलेक्ट्रोनेगेटिव (ऋण-विद्युती) धातु है, जिसमें ऑक्सीजन के लिए सुदृढ़ आकर्षण होता है। यह धरती पर उपलब्ध छठा सबसे लचीला एवं दूसरा सबसे आघातवर्धनीय धातु है। यह असाधारण रूप से हल्का है जिसका घनत्व 2.7 ग्रा./घन से.मी. है जो धूल में अभेद्य है, इसमें उच्च स्तर की संवाहकता है एवं मिश्रधातु बनाते समय उल्लेखनीय मजबूती प्रदर्शित करता है। यह व्यापक रूप से खाद्य एवं पैकेजिंग और फर्मास्यूटिकल उद्योगों में उपयोग किया जाता है। यह गैर-विषाक्त प्रवृत्ति का होने के कारण खाद्य को लम्बे समय तक संरक्षित रखता है, सूक्ष्मजीवों की वृद्धि की रोकथाम करता है। एल्यूमिनियम विद्युत का सुचालक है, इसलिए यह विद्युत पारेषण लाइनों में बराबर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा, अपने उच्च अनुमापी ऊर्जा घनत्व के कारण स्पेस शटल में सॉलिड रॉकेट बूस्टर मोटर के लिए एक प्राथमिक प्रणोदक के रूप में उपयोग किया जाता है। क्षय रोधकता, परावर्तकता एवं पुनर्चक्रणशीलता एल्यूमिनियम की अन्य विशेषताएँ हैं जिसने विभिन्न औद्योगिक उपयोगों के लिए इस एक पसंदीदा विकल्प बनाया है। **(स्रोतः https://www.alliedmarketresearch.com/aluminium-market)**

विश्व के बॉक्साइट उत्पादन में भारत की लगभग 7% की भागीदारी है एवं इसका इस्तेमाल करने के लिए इसके पास एल्यूमिनियम का निरंतर बढ़ता हुआ क्षेत्र है। इस अवधि के दौरान अर्थ-व्यवस्था में समग्र वृद्धि के साथ अगले कुछ वर्षों में देशीय बाजार में 8-10% की वृद्धि आने की उम्मीद की जाती है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति एल्यूमिनियम की खपत वर्ष 2018-19 के 2.9 कि.ग्रा. की तुलना में वर्ष 2019-20 में लगभग 2.7 कि.ग्रा. है एवं विश्व में प्रति व्यक्ति खपत 11 कि.ग्रा. है।

कोयले के प्रचुर संचय ने भी देशीय एल्यूमिनियम उद्योग की संभावना को प्रोत्साहित किया है जो कि अति ऊर्जा आधारित है। सरकार द्वारा “मेक इन इंडिया” अभियान पर जोर दिए जाने एवं इस क्षेत्र में निवेशक उपयोगी सुधार के साथ भारतीय अर्थ-व्यवस्था को आगे ले जाने में एल्यूमिनियम क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। **(स्रोतः यू.एस. भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, इंडिया ब्राण्ड इक्विटी फाउंडेशन)**

2.2 कमजोरियाँः

देशीय एल्यूमिनियम क्षेत्र में इसकी प्रमुख कमजोरी अनुप्रवाह उत्पादों के उत्पादन की पर्याप्त कमी है, हालांकि भारत प्राथमिक एल्यूमिनियम के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। देश में, मूल्य वर्धन का सीमित दायरा रहने के कारण, प्राथमिक एल्यूमिनियम उत्पादक वर्तमान में बड़े परिमाण में प्राथमिक एल्यूमिनियम के उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं। इसी समयावधि में, भारी परिमाण में अनुप्रवाह उत्पाद देश में आयात किये जा रहे हैं, क्योंकि स्थानीय रूप में इनका निर्माण नहीं हो रहा है। इसके अलावा, आर एण्ड डी कार्यकलापों में, निवेश का अभाव एवं अनुसंधान सुविधाओं की अनुपस्थिति ने भी उत्पाद के बेहतरीकरण एवं विश्व-स्तरीय या उत्कृष्ट उत्पादों के विकास के दायरे को प्रतिबंधित किया है, इससे भारतीय एल्यूमिनियम उत्पादकों को वैश्विक बाजार में अत्यावश्यक प्रतिस्पर्धी उत्कृष्टता प्राप्त हो सकती है। भारतीय एल्यूमिनियम उत्पादकों के मामलों में एक और कमजोरी का क्षेत्र है विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भरता, जो कि न तो पर्यावरण उपयोगी है और न ही लागत प्रतिस्पर्धी है। कोविड-19 महामारी के प्रसार से वैश्विक स्तर पर धातु के मूल्यों में तेज़ी से गिरावट आई है और साथ ही कम लागत का उत्पादन जैसे कि जल विद्युत से चलने वाले या प्राकृतिक गैस से चलने वाले उत्पादन के एल्यूमिनियम उत्पादकों के पास कोयला आधारित विद्युत उत्पादन करने वालों की तुलना में विशिष्ट लागत का लाभ प्राप्त होगा।

3.0 अवसर एवं खतरेः

3.1 अवसरः

एल्यूमिनियम बाजार वर्ष 2019 से 2026 तक 3.2% सीएजीआर दर्ज करने की अपेक्षा रखता है। वैश्विक एल्यूमिनियम बाजार की वृद्धि यातायात उद्योग में विकास, एल्यूमिनियम विनिर्माण प्रौद्योगिकियों एवं प्रक्रियाकरण उपकरण में प्रौद्योगिकी उन्नति एवं विभिन्न उद्योगों जैसे कि भवन एवं निर्माण और फॉइल एवं पैकेजिंग में एल्यूमिनियम के उपयोग में वृद्धि द्वारा चालित है। बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण, शहरी क्षेत्रों में रह रहे लोगों की आय में वृद्धि एवं द्रुत औद्योगिक विकास के कारण एशिया-प्रशांत वृद्धि की दृष्टि से अग्रणी क्षेत्र है। इसके अलावा, यातायात उद्योग में निरंतर उन्नति एवं नवीन, ज्यादा प्रभावी और सस्ते एल्यूमिनियम उत्पादों के विकास हेतु चालू आर एण्ड डी गतिविधियाँ इस बाज़ार को बढ़ाने में प्रेरक रहे हैं। उभरती अर्थ-व्यवस्थाओं जैसे कि चीन एवं भारत से मांग में वृद्धि एवं वैश्विक स्तर पर पुनर्चक्रित एल्यूमिनियम उत्पादों के उपयोग में वृद्धि ने बाजार के विस्तार के लिए सुनहरा अवसर प्रदान किया है। **(स्रोतः https://www.alliedmarketresearch.com/aluminium-market)**

हालांकि सरकार द्वारा देशभर में लॉकडाउन/तालाबंदी लगाए जाने के बाद मार्च-मई, 2020 के दौरान देशीय बाजार में एल्यूमिनियम की मांग मौन रही थी, पर मई-जून के बाद से धीरे-धीरे चरणों में प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं। पुनः चालू किए जाने के दौरान अर्थ-व्यवस्था को सहयोग देने के लिए, सरकार ने एक प्रोत्साहन पैकेज शुरू किया है। कुल प्रोत्साहक पैकेज का लगभग तीन तिहाई भाग ऋण एवं नकदी सहयोग के रूप में है। इसमें अन्य के साथ-साथ, विद्युत वितरण कंपनियों की कार्यकारी पूंजी आवश्यकताओं एवं नकदी सहयोग के लिए ब्याज भुगतान पर एक वर्ष के ऋण स्थगन के साथ संपार्श्विक मुक्त ऋण शामिल है। इससे ऑटोमोटिव ढलाई कंपनियों एवं अन्य अनुप्रवाह उद्योगों को सहयोग मिलने की अपेक्षा की जाती है। कोविड-19 के कारण हुइ व्यवसाय हानियों की क्षतिपूर्ति के लिए इस प्रकार के सस्ती एवं आसानी से उपलब्ध पूंजी से कई कंपनियों को मदद मिलेगी। प्रोत्साहक पैकेज का अन्य 4% अवसंरचना विकास के लिए सुनिर्दिष्ट होगा। समग्र रूप से, प्रोत्साहक पैकेज का 12% वित्तीय सहयोग के रूप में हासिल होगा। **(स्रोतः सीआरयू)**

जनवरी-अप्रैल, 2020 के महीनों के दौरान संपूर्ण विनिर्माण गतिविधियाँ गति पाने के लिए जूझती रही। प्रतिबंध में ढील दिये जाने एवं प्रोत्साहक पैकेज के माध्यम से बाजार में नकदी के आने से, देशीय मांग के पुनरूद्धार की आशा की जाती है एवं देश में पूर्ण रूप से आर्थिक गतिविधि के आनेवाले महीनों में पुनर्बहाली होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। **(स्रोतः सीआरयू)**

3.2 खतरे:

वर्तमान मे व्याप्त वैश्विक आर्थिक मंदी एल्यूमिनियम उद्योग की भावी संभावना के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। वर्ष 2020 के दौरान, विश्व की कई एल्यूमिनियम खपतकारी अर्थ-व्यवस्थाओं द्वारा अस्थायी रूप से लॉकडाउन लगाया गया है, जिससे इस धातु की मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। चूंकि एल्यूमिनियम के उत्पादन की दर उस सीमा तक कम नहीं हुई है, ऐसे में वर्ष 2020 के अंत तक वैश्विक एल्यूमिनियम मालसूची में लगभग 5.5 मिलियन टन के विशाल अधिशेष संयोजित होने की उम्मीद है। इतने विशाल परिमाण में एल्यूमिनियम की उपलब्धता के कारण मूल्यों पर दबाव बने रहने की संभावना है। बाजार में सस्ते आयात की भरमार होने की आशंका सही साबित हुई है, क्योंकि कई बड़ी अर्थ-व्यवस्थाओं ने अपने देश में आयात के विशाल प्रवाह को रोकने के लिए कई शुल्क अवरोधों को लागू किया है। भारत में आयात को प्रतिबंधित करने के लिए, किसी सुरक्षित उपाय या शुल्क अवरोधों की अनुपस्थिति से, विदेशों से भारत में अधिशेष सामग्री आने की संभावना और भी अधिक प्रतीत हो रही है, जिससे देशीय प्राथमिक धातु उत्पादकों पर प्रभाव पड़ेगा। कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के कारण लाल पंक या वायु प्रदूषण जैसे प्रवाहों के बहाव से संबंधित पर्यावरणीय संकटों के विरूद्ध सरकार द्वारा की गई कानूनी कार्यवाही एक और खतरा है। कुछ देश जैसे कि चीन ने पहले ही कानूनी कार्यवाहियों को अमल में लाया है जिसके फलस्वरूप प्रद्रावक क्षमताओं में उल्लेखनीय बंदी आई है। विकल्पों जैसे कि कामचलाऊ इस्पात, पीवीसी, अभियांत्रिकी लकड़ी, शीशा, कार्बन रेशे, कम्पोजिट आदि की खतरे भी चिरस्थायी हैं।

देशीय प्राथमिक एल्यूमिनियम निर्माता भी शुल्क-मुक्त या अधिमान्य शुल्क आधारित आयातों से प्रतिस्पर्धा का सामना करते हैं, जो भारत के साथ हस्ताक्षरित उन्मुक्त व्यवसाय अनुबंध (एफटीए) के माध्यम से देशीय बाजारों में प्रवेश कर रहे हैं। शुल्क मुक्त रहने के कारण, ये बाजार में सस्ते दामों में उपलब्ध हैं एवं भारतीय कंपनियों को तगड़ी चुनौती देते हैं।

4.0 भविष्य के लिए दृष्टिकोण:

4.1 अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यः

5.5 मिलियन टन के अधिशेष उत्पादन के साथ एल्यूमिनियम के लिए वैश्विक दृष्टिकोण मंद रहा है, वर्ष 2020 में एल्यूमिनियम की वैश्विक खपत 58.6 मिलियन टन रहने की संभावना है, जिससे वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 8.6% की कमी दर्ज हुई है। वैश्विक एल्यूमिनियम उत्पादन में 64.1 मिलियन टन के साथ 1.6% बढ़ने की संभावना है। **(स्रोतः सीआरयू)**

वर्ष 2020 में चीन में उत्पादन वर्ष-दर-वर्ष पर 3.7% बढ़ने की अपेक्षा की जाती है, जबकि वर्ष 2019 में 3.1% की कमी आई थी। कोविड-19 का प्रमुख केन्द्र, बुहान में लॉकडाउन के बाद मार्च, 2020 के दौरान चीनी मांग बहुत तेजी से नीचे आई है। तथापि, ऐसा साक्ष्य है कि चीन में मांग में सुधार आ रही है। निर्माण साइट के फिर से चालू होने पर, पूर्व-कोविड पर निर्माण क्षेत्र से स्टील की मांग शुरू हुई है। ऑटोमोटिव क्षेत्र में, मांग को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रोत्साहक उपाय आरंभ किए गए हैं एवं इसके फलस्वरूप मांग में तेजी से सुधार आ रही है। कोविड-19 महामारी से निपटने में, विश्व के अन्य देशों की तुलना में चीन प्रभावी रूप से आगे रहा है। चीन सबसे बुरे वक्त से निकल आया है एवं धीरे-धीरे बेहतरी की ओर बढ़ रहा है, पर जोखिम बना हुआ है। सर्वप्रथम, कोविड-19 से जुड़े प्रतिबंध देशीय आर्थिक सुधार को सीमित स्तर पर बनाए रखेंगे। द्वितीय, विश्व के शेष देशों में आर्थिक मंदी रहने के कारण चीनी निर्यातों पर प्रभाव पड़ेगा, जो कि 10% देशी खपत के लिए जिम्मेदार हैं। **(स्रोतः सीआरयू)**

उत्तरी अमेरिका में, जनवरी-मार्च, 2020 के दौरान प्राथमिक एल्यूमिनियम खपत पर वर्ष-दर-वर्ष पर 9.7% की कमी आई है एवं अप्रैल-जून, 2020 के दौरान 22% की कमी हुई है क्योंकि कोविड-19 से जुड़ी बाधाएँ अभी भी बनी हुई हैं। अक्टूबर-दिसम्बर, 2020 के दौरान मामूली सुधार की अपेक्षा की जाती है, साल के अधिकांश समय लगातार कमजोरी बने रहने से वर्ष 2020 में उत्तरी अमेरिका के प्राथमिक एल्यूमिनियम खपत में वर्ष-दर-वर्ष पर कुल 13.6% की कमी आएगी। अमेरिका में, व्यय जो कि प्रमुख आर्थिक प्रेरक है, पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है, अप्रैल-मई, 2020 में 30 मिलियन से भी अधिक लोगों ने बेरोजगारी के लिए आवेदन किया है। ग्राहक व्यय पर प्रभाव ऑटोमोटिव उद्योग के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो कि वायरस के प्रकोप से पूर्व, पहले ही पर्याप्त रूप से दबाव में रहा था। **(स्रोतः सीआरयू)**

पश्चिमी यूरोपीय देशों की प्राथमिक मांग, पूर्ववर्ती मार्च में कोविड-19 से जुड़ी बाधा प्रमुख के कारण जनवरी-मार्च, 2020 में वर्ष-दर-वर्ष पर लगभग 12% की कमी आई। तथापि, अप्रैल-जून, 2020 के दौरान सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, जिसके फलस्वरूप प्राथमिक एल्यूमिनियम की खपत में वर्ष-दर-वर्ष पर 30% की कमी आई। अभी तक, पूर्वी यूरोप पर कम प्रभाव पड़ा है, जहाँ जनवरी-मार्च, 2020 में वर्ष-दर-वर्ष पर केवल 7.6% की कमी आई एवं अप्रैल-जून, 2020 में 15.6% की कमी आई है। हाल के महीनों में लॉकडाउन में रियायत दिए जाने के फलस्वरूप पूरे यूरोप में बाजार की मांग में धीरे धीरे पढ़ोतरी आ रही है एवं मंदी से उबर रहा है। इसके फलस्वरूप, यूरोपीय प्राथमिक मांग में वर्ष-दर-वर्ष पर जुलाई-सितम्बर, 2020 में 14% की कमी रहने की आशा की जाती है। तथापि, कुछ यूरोपीय देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों से चिन्ताएँ बढ़ रही हैं, जिससे फिर से कड़ा प्रतिबंध लगाया जा सकता है और/या ग्राहक मनोदेशा को नुकसान पहुँचने की संभावना है। इटली एवं स्पेन जैसे कुछ देश अब लॉकडाउन में ढील दे रहे हैं, पर अभी

भी प्रतिबंध जारी रहेगा और कमजोर मांग से प्राथमिक एल्यूमिनियम की खपत में कमी बनी रहेगी। अन्य यूरोपीय देश जैसे कि जर्मनी ने साधारणतया अपने प्रचालन को बनाए रखा है, हालांकि स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के प्रति बढ़ते प्रतिबंधों के कारण कम दर पर प्रचालन हुआ है। तथापि, अधिकांश यूरोप की तरह, ऑटोमोटिव से संबंधित किसी भी अर्ध-निर्मित अवयव उत्पादन को बाध्यतापूर्वक बंद रखे जाने से, कार निर्माण संयंत्रों में बड़े स्तर पर बंदी आई है। **(स्रोतः सीआरयू)**

वैश्विक एल्यूमिनियम बाजार अनिश्चितताओं के दौर में है, जो कि मौजूदा कम मूल्यों से प्रदर्शित है। एल्यूमिनियम कंपनियों के लिए, पूरी मूल्य श्रृंखला में इतना प्रभाव परिलक्षित नहीं हुआ है। एल्यूमिनियम के अर्ध-तैयार उत्पादों के उत्पादकों ने सबसे पहले महामारी के प्रभाव को महसूस किया था। विश्व के विभिन्न देशों में लॉकडाउन लगाए जाने से, गैर-अनिवार्य व्यवसाय बंद हो गये थे। कुछ मिल को बंद रखने का आदेश दिया गया था एवं कुछ मिल ने ग्राहकों से ऑर्डर रद्द होने पर बंद कर दिया था। तथापि, कई प्रद्रावकों ने 2019 की शेष अवधि एवं 2020 की शुरुआती अवधि में लागत मुद्रा स्फीति से अच्छा फायदा प्राप्त किया था। एल्यूमिना का बहुत ही कम मूल्य रहने के कारण महामारी के नकारात्मक प्रभाव की क्षतिपूर्ति प्रद्रावकों के लिए कम मूल्य से पूरी हो गई थी। जनवरी-मार्च, 2020 के दौरान औसत एलएमई एल्यूमिनियम मूल्य यूएस डॉलर 1,690 प्र.में.टन था, जो कि अप्रैल-जून, 2020 के दौरान यूएस डॉलर 1,494 प्र.मे.टन हो गया। मई-जून, 2020 के दौरान एलएमई मूल्य में सुधार का संकेत मिला है, परन्तु वर्ष के दौरान अति अपेक्षित धातु अधिशेष की दृष्टि से उद्धार की संभावना सीमित है। यूएस डॉलर का निरंतर मजबूत होना भी निवेशकों को भयभीत कर रहा है। **(स्रोतः सीआरयू)**

4.2 घरेलू परिदृश्य:

जून, 2020 में आईएमएफ द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार, भारत की जीडीपी में वित्त वर्ष 2020-21 में संभवतः 4.5 प्रतिशत की गिरावट आएगी, जिसके बाद 2021-22 में 6.0% की वृद्धि आएगी। भारत की (जीडीपी) वृद्धि महामारी से अर्थव्यवस्था के उभरने एवं देश में संक्रमण दर को कम होने में लिए जाने वाले समय पर मुख्य रूप से निर्भर होगा।

भारत में प्राथमिक उत्पादकों द्वारा एल्यूमिनियम उत्पादन, देशीय बिक्री एवं निर्यात के साथ एल्यूमिनियम खपत की झलकियाँ नीचे तालिका में दी गई हैं:

विवरण	2018-19	2019-20	परिवर्तन (%)
एल्यूमिनियम उत्पादन ('000 मे.ट.)	3,695.1	3,618.9	-2.06
एल्यूमिनियम देशीय बिक्री ('000 मे.ट.)	1,654.2	1,548.4	-6.40
एल्यूमिनियम निर्यात बिक्री ('000 मे.ट.)	2,037.6	2,004.7	-1.61
एल्यूमिनियम आयात ('000 मे.ट.)	2,317.7	2,200.8	-5.04
कुल एल्यूमिनियम खपत ('000 मे.ट.)	3,971.8	3,749.2	-5.61

5.0 जोखिम एवं चिन्ताएँ:

एल.एम.ई. मूल्यों में अस्थिरता, यूएस डॉलर दरों में उतार-चढ़ाव, एल्यूमिनियम धातु के वैश्विक उत्पादन में उतार-चढ़ाव, वैश्विक अर्थ-व्यवस्था में सुस्ती एवं देशीय बाजार में द्वितीयक उत्पादकों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा नियमित चिन्ताएँ बन चुकी हैं। इस साल कोविड-19, वैश्विक महामारी ने मानव जीवन के साथ-साथ व्यवसाय के लिए भी नई चुनौतियाँ लायी हैं। मार्च, 2020 से जून, 2020 तक इसने आपूर्ति एवं सुपुर्दगी श्रृंखला को बाधित किया है।

6.0 जोखिम प्रबन्धन:

इस कम्पनी की एक जोखिम प्रबन्धन नीति है, जिसमें अन्य विषयों के साथ भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गनिर्देश शामिल हैं। जोखिम प्रबन्धन को सामान्य व्यावसायिक अभ्यासों के अधीन लिया जाता है और निर्धारित समय पर एक अलग कार्य के रूप में होता है। कम्पनी की निदेशक-मंडल स्तर पर जोखिम प्रबन्धन समिति है। यह समिति आपवादिक जोखिम रिपोर्टों की समीक्षा करती है एवं समय समय पर उपचारी उपायों की राय देती है। जोखिम कम करने के उपायों की आवधिक समीक्षा की जाती है ताकि कार्यपालक प्रबन्धन एक उचित पारिभाषित ढाँचे के माध्यम से जोखिम पर नियन्त्रण रखना सुनिश्चित कर सकें। न्यूनीकरण योजनाओं के साथ नए जोखिम क्षेत्रों की पहचान के लिए आवधिक समीक्षा की जाती है। पहचाने गए जोखिम के लिए मनोनीत जोखिम अधिकारी निर्धारित प्रारूप में रजिस्टर रखते हैं जिनकी कंपनी के आंतरिक लेखा-परीक्षकों द्वारा और साथ ही वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर समीक्षा की जाती है। विचलन, यदि कोई हो, तो इसकी रिपोर्ट जोखिम प्रबन्धन समिति को दी जाती है।

7.0 आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालियाँ और उनकी पर्याप्तता:

कम्पनी के पास अपने व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप आंतिरक नियंत्रण की एक यथा प्रतिष्ठित एवं पर्याप्त प्रणाली है। कम्पनी की आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निम्नोक्त को प्रदान करने के लिए तैयार की गई है:

- प्रयोज्य विधानों, नीतियों एवं कार्य प्रक्रियाओं, नियमों और अधिनियमों तथा प्रत्यायोजित प्राधिकारी का अनुपालन।

- लागू लेखाकरण मानकों और नीतियों का पालन।
- लेनदेनों को समुचित रूप से रिकॉर्ड करना एवं यथा समय रिपोर्ट करना।
- संसाधनों का प्रभावी उपयोग एवं कुशल प्रचालन।
- परिसंपत्तियों की हिफाजत।
- सू.प्रौ. एवं प्रणाली नियंत्रण तंत्र।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5)(ड.) के अनुसार, यह पूर्ण दायित्व निदेशकगणों का है कि वे सुनिश्चित करें कि कंपनी ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रणाली एवं ढाँचे का कार्यान्वयन किया है, जो पर्याप्त हैं एवं प्रभावी रूप से परिचालित हैं।

कम्पनी के पास अपने व्यवसाय परिचालन के विभिन्न क्षेत्रों के नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग को सुनिश्चित करने के लिए सुपरिभाषित नीतियाँ, प्रक्रियाएँ और दिशा-निर्देश हैं। इसमें कंपनी द्वारा समय समय पर निर्धारित अधिकारों का प्रत्यायोजन, विभिन्न नियमावलियाँ, कायदे कार्यनीतियाँ और मार्गनिर्देश शामिल हैं। कंपनी के व्यवसाय सम्पादन में, अनुमोदित नीतियों, पद्धतियों एवं अनुदेशों का प्रभावी एवं दायित्वपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया गया है। कम्पनी ने अंकेक्षण समिति द्वारा यथा अनुमोदित एक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ढाँचा विकसित और कार्यान्वित किया है जिसमें अंदरूनी संस्था स्तर की नीतियाँ, प्रक्रियाएँ और प्रचालन स्तर की मानक प्रचालन पद्धतियाँ शामिल हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य कंपनी के मामलों से जुड़े अधिकारियों में जागरूकता लाना है ताकि निर्दिष्ट नीतियों, पद्धतियों, अनुदेशों का पालन सुनिश्चित हो सके जिनके प्रभावी नियंत्रण के लिए अभिकल्पित एवं व्यवस्थित हैं। इससे निदेशकों को रिपोर्टिंग, प्रचालन एवं अनुपालन जोखिमों के विषय में नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं परिचालनीय कार्यकारिता के बारे में यथा संगत आश्वासन प्राप्त होता है।

वित्तीय विवरणों को लेखा-परीक्षा समिति एवं बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित कंपनी द्वारा गृहीत प्रयोज्य लेखांकन मानकों एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुपालन में तैयार किया जाता है। पूरी कंपनी भर में इन नीतियों को एक समान लागू किया जाता है। मानक प्रचालन पद्धतियों द्वारा समर्थित लेखांकन नीतियों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और अद्यतन किया जाता है। यह कम्पनी एक व्यवसायी सक्षमकर्ता के रूप में और साथ ही अपनी लेखा बहियों को व्यवस्थित करने के लिए ईआरपी प्रणालियों का प्रयोग करती है। ईआरपी प्रणालियों में निर्मित मानक प्रचालन पद्धतियाँ और लेनदेन संबंधी नियंत्रण, समुचित अभिलेखन, कार्यविधियों का अनुमोदन एवं अभिलेखों का व्यवस्थापन सुनिश्चित करते हैं। इन प्रणालियों, मानक प्रचालन पद्धतियों और नियंत्रणों की प्रबंधन द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी ने अपने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ढांचे में वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाले सभी संबंधित क्षेत्रों से संश्लिष्ट की विस्तृत जाँच-सूची संलग्न किया है।

कंपनी ने सभी स्थानों एवं कार्य क्षेत्रों में लेखा-परीक्षा के निष्पादन हेतु अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य वाह्य सनदी लेखाकार फर्मों को सौंपा है। आन्तरिक अंकेक्षक संगठन में सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो कि मुख्यतया पूरे संगठन में ईआरपी कार्यान्वयन द्वारा सरलीकृत हुई है। लेखा-परीक्षा के फलस्वरूप आंतरिक लेखा-परीक्षकों द्वारा किए गए अवलोकन की समय-समय पर उपयुक्त स्तर पर समीक्षा की जाती है एवं अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

आंतरिक लेखा परीक्षकों के भौतिक अवलोकन लेखापरीक्षा समिति के पास जमा कराए जाते हैं ताकि इनकी समीक्षा एवं विश्लेषण हो सके और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए सलाह दी जा सके। इस प्रकार प्राप्त कार्रवाई रिपोर्ट लेखापरीक्षा समिति के पास समय-समय पर जमा की जाती है।

वर्ष के दौरान, नियन्त्रणों को जाँचा-परखा गया था एवं रूपरेखा एवं कार्यकारिता में रिपोर्ट करने लायक कोई भौतिक कमजोरी नजर नहीं आई थी जो कि आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित है एवं सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट में कथित है। बदलते व्यावसायिक परिवेश के साथ सामंजस्य बैठाते हुए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा के लिए प्रयास किए जा रहें हैं।

आईटी संसाधनों जैसे डेस्कटॉप, सर्वर एवं नेटवर्क उपकरणों तक पहुँच की अनुमति केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं को दी गई है। विक्रय एवं वितरण, सामग्री, उत्पादन, वित्त एवं नियंत्रण तथा मानव संसाधन प्रबंधन में प्रमुख व्यवसाय कार्यों के लिए सैप ईआरपी का कार्यान्वयन किया गया है। ईआरपी प्रणाली बहु स्तरों पर नियंत्रण स्थापित करती है - मजबूत पासवर्ड नीति के द्वारा प्रवेश सुरक्षा, निष्कार्य समय के आधार पर सेशन टाइम-आउट, कार्य विशिष्ट भूमिकाओं एवं प्राधिकरण द्वारा लेनदेन उपलब्ध एवं देखने का अधिकार, केन्द्रीय टीम तक सीमित मास्टर डेटा अनुरक्षण, प्रवेश नियंत्रण की आवधिक जाँच एवं आवश्यकतानुसार विशेष जाँच, नियंत्रण एवं सतर्कता ताकि लेखा परीक्षा चरण के साथ व्यवसाय प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। समुचित अनुमोदन एवं परीक्षण के साथ सॉफ्टवेयर में परिवर्तन एवं विन्यास को अमल में लाया जाता है।

प्राईमरी डेटा सेन्टर एवं डिजास्टर रिकवरी सेन्टर को सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के अंश के तौर पर आईएसओ 270001:2013 अनुपालन का प्रमाणपत्र दिया गया है ताकि सूचना सुरक्षा अभ्यासों को सुनिश्चित किया जा सके।

8.0 प्रचालनात्मक निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा:

8.1 वित्तीय प्रचालन:

8.1.1 प्रचालन से राजस्व:

₹ करोड़ में

विवरण	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2018-19	परिवर्तन%
निर्यात कारोबार	3,510.92	4,792.71	(27)
देशीय कारोबार	4,914.83	6,593.61	(25)
सकल कारोबार	8,425.75	11,386.32	(26)
अन्य प्रचालन आय	46.09	113.00	(59)
कुल	**8,471.84**	**11,499.33**	**(26)**

वर्ष के दौरान कारोबार पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में ₹11,386.32 करोड़ से घटकर ₹8,425.75 करोड़ हो गया है जिसके फलस्वरूप बिक्री में लगभग 26% की कमी आई है। एलएमई में ह्रास ही मुख्य रूप से ऐसे अवनत विक्रय कारोबार के लिए दायी रहा है।

एल्यूमिनियम की औसत बिक्री वसूली पिछले वर्ष की तुलना में ₹1,54,872 से कम होकर ₹1,36,257 प्रति मे.टन हो गयी है एवं एल्यूमिना की औसत बिक्री वसूली ₹33,935 से कम होकर ₹22,280 प्रति मे. टन रह गई है। परिमाण की दृष्टि से एल्यूमिना, एल्यूमिनियम एवं पवन शक्ति का बिक्री परिमाण क्रमशः 1%, 10% एवं 51% कम हुआ है।

वर्ष के दौरान अन्य प्रचालन आय पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में ₹113.00 करोड़ से घटकर ₹46.09 करोड़ रह गई है। प्रचालनगत आय में लगभग 59% तक कमी मुख्यतया एल्यूमिना एवं एल्यूमिनियम की कम बिक्री वसूली के कारण न्यून निर्यात प्रोत्साहन एवं कम परिमाण में बिक्री के कारण उत्पादित नवीकरणीय विद्युत पर कम प्रोत्साहन अर्जन एवं निर्दिष्ट विनिमयों में नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों (आरईसी) के न्यूनतर व्यापार मूल्य के कारण है।

8.1.2 अन्य आय (गैर-प्रचालनगत):

₹ करोड़ में

विवरण	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2018-19	परिवर्तन%
अन्य आय	272.58	325.87	(16)

टिप्पणी: अन्य प्रचालन आय पिछले वर्ष की तुलना में कम रहा है जो कि मुख्यता वर्तमान वर्ष के दौरान लाभ एवं लाभांश के भुगतान में कमी आने के फलस्वरूप न्यूनतर निवेशीय अधिशेष के कारण है।

आय का विभाजनः वित्त वर्ष 2019-20

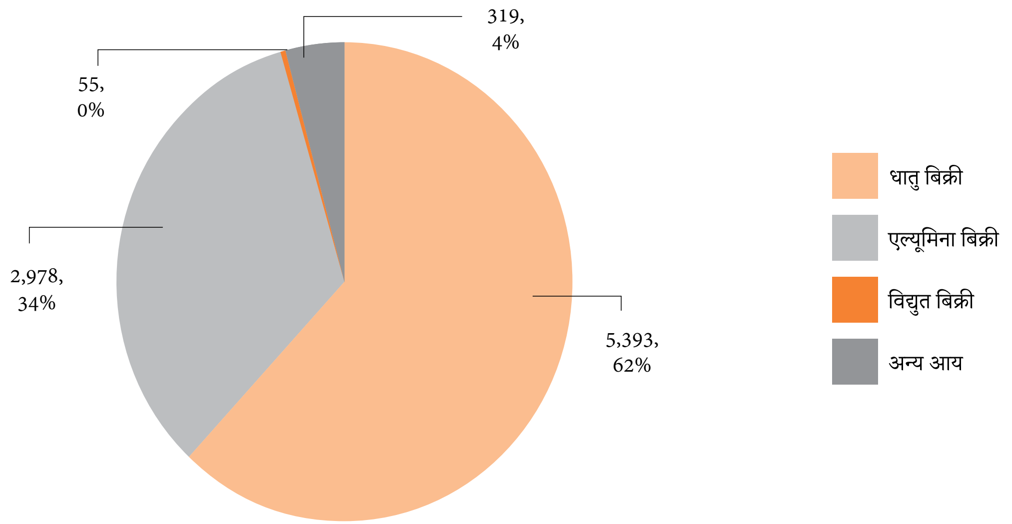

टिप्पणी: अन्य आय में प्रचालन आय शामिल है अर्थात निर्यात प्रोत्साहन और अक्षय ऊर्जा के सृजन पर प्रोत्साहन तथा गैर-प्रचालन आय अर्थात सावधि जमा, म्यूचअल फंड में निवेश से आय एवं अन्य विविध आय।

8.1.3 व्ययः

₹ करोड़ में

विवरण	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2018-19	परिवर्तन%
खपत किया हुआ कच्चा माल	1,702.48	1,919.68	(11.31)
विद्युत और ईंधन	2,964.60	2,927.12	1.28
कर्मचारी लाभ व्यय	1,994.07	2,072.28	(3.77)
स्टॉक अभिवृद्धि/अवक्षय	(365.23)	(5.08)	7,089.57
अन्य व्यय	1,686.69	1,692.79	(0.36)
वित्त लागत	5.74	2.38	141.18
मूल्यह्रास	529.83	476.10	11.29
कुल	**8,518.18**	**9,085.27**	**(6.24)**

- पिछले वर्ष की तुलना में, कच्चे माल के व्यय में ह्रास मूलतः सी.पी.कोक, सी.टी.पिच एवं कॉस्टिक सोडा जैसे कच्चे माल के मूल्य में कमी एवं एनोड और एल्यूमिनियम धातु के उत्पादन परिमाण में कमी आने के कारण हुआ है।
- वित्त वर्ष 2018-19 के विद्युत एवं ईंधन व्यय उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत ₹113 करोड़ के कोयला उपकर प्रतिफल लगाए जाने के बाद है। वास्तव में विद्युत की कम खरीद के कारण वित्त वर्ष 2019-20 में विद्युत एवं ईंधन लागत में उल्लेखनीय कमी हुई है।
- कर्मचारी लाभ व्यय में ₹78.21 करोड़ का ह्रास मूलतः सम्पादन संबंधी भुगतान (पीआरपी) के लिए कम प्रावधानीकरण एवं कर्मचारियों के सेवानिवर्तन के कारण जनशक्ति में कमी के कारण हुआ है।
- वर्ष 2019-20 के दौरान अन्य व्यय पिछले वर्ष की तुलना में मामूली कम हुआ है। व्यय का मद वार विश्लेषण यही स्पष्ट करता है कि (1अप्रैल, 2019 से प्रभावी इंड एएस 116 पट्टें के कार्यान्वयन के कारण न्यूनतर भाड़ा व्यय एवं न्यूनतर एलएमई के कारण कम राजस्व, डीएमएफ एवं एनएमईटी व्यय के चलते व्यय में कमी हुई है। यहाँ उल्लेख किया जाता है कि इंड एएस 116 पट्टे के अंतर्गत पट्टा अवधि पर अन्य व्यय के रूप में पहले बुक किये गए वार्षिक पट्टा भाड़ा का छूट प्राप्त मूल्य पट्टा प्रारंभ होने की तिथि को पूंजीकृत हुआ है एवं पट्टा अवधि पर ऋण परिशोधन के माध्यम से व्यय में प्रभावित हुआ है। डब्ल्यूपी (सी) सं. 8497/2016 में दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक 01.02.2019 के निर्णय आदेश के कार्यान्वयन, तत्पश्चात वर्ष 2019 की समीक्षा याचिका सं. 27837 के विरुद्ध भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 17 सितम्बर, 2019 के निर्णय के माध्यम से इसे बरकरार रखे जाने के आधार पर, सीआईएसएफ के लिए जोखिम एवं कठिनाई भत्ते के लिए प्रावधानीकरण के खाते पर सुरक्षा एवं अग्निशमन व्यय में भी वृद्धि हुई है।
- वर्तमान वर्ष के दौरान मूल्यह्रास उपरोक्तानुसार इंड एएस 116: पट्टे के कार्यान्वयन एवं नई परिसंपत्तियों के संयोजन के कारण अधिक रहा है।

व्यय का विभाजनः वित्त वर्ष 2019-20

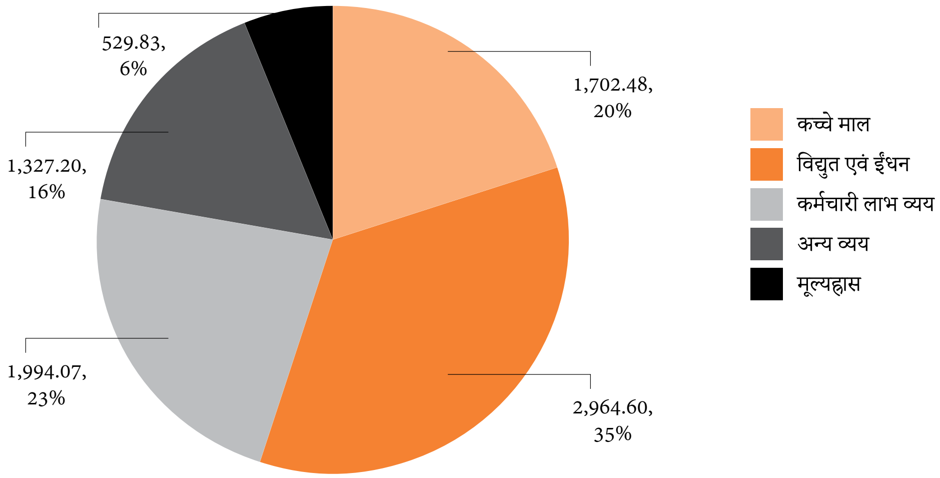

टिप्पणीः अन्य व्यय में मरम्मत एवं अनुरक्षण, स्टोर्स एवं स्पेयर्स की खपत, अन्य निर्माण व्यय, सामान्य प्रशासनिक व्यय, स्टॉक अभिवृद्धि एवं अवक्षय, वित्त लागत एवं विक्रय और वितरण व्यय शामिल है।

8.1.4 कर पश्चात लाभ एवं प्रति शेयर आयः

₹ करोड़ में

विवरण	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2018-19
कर-पूर्व लाभ	226.24	2,739.92
कर व्यय	88.01	1,007.52
कर-पश्चात लाभ	138.23	1,732.4
प्रति शेयर आय (₹5 प्रत्येक का)	0.74	9.06

8.1.5 प्रमुख वित्तीय अनुपातों में महत्वपूर्ण परिवर्तनः

विवरण	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2018-19	परिवर्तन
प्रचालनगत लाभ मार्जिन	5.81%	25.4%	(77.14%)
शुद्ध मूल्य पर रिटर्न (प्रतिफल)	1.38%	16.52%	(91.62%)

टिप्पणीः प्रचालनगत लाभ मार्जिन की गणना के लिए प्रचालनगत व्यय पर विचार किया गया है जिसमें मूल्यह्रास एवं वित्त लागत शामिल नहीं है। प्रचालनगत लाभ मार्जिन में कमी मुख्यतः न्यूनतर एलएमई मूल्यों के कारण धातु एवं एल्यूमिना की कम वसूली के कारण है। इससे शुद्ध मूल्य पर कम प्रतिफल (रिटर्न) प्राप्त हुआ है।

8.1.6 लाभांश का विवरण:

विवरण	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2018-19
अंतरिम लाभांश (%)	30	90
अंतिम लाभांश (%)	—	25
कुल (%)	30	115

8.2 वित्तीय स्थितिः:

₹ करोड़ में

विवरण	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा	परिवर्तन %
परिसंपत्तियाँ			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	8,351.70	7,953.28	5
अमूर्त	559.77	215.21	160
निवेश	332.26	256.59	29
मालसूची	1,696.90	1,210.01	40
व्यापारिक प्राप्य	140.09	240.52	(42)
नकद एवं बैंक	1,980.53	3,496.35	(43)
ऋण	113.18	100.49	13
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	10.53	11.60	(9)
वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ	46.22	51.26	(10)
अन्य परिसंपत्तियाँ	1,318.44	1,611.65	(18)
कुल	**1,4549.62**	**15,146.96**	—
इक्विटी एवं देयताएँ			
इक्विटी शेयर पूँजी	932.81	932.81	—
आरक्षित एवं अधिशेष	9,055.26	9,551.70	(5)
आस्थगित कर देयता	1,060.61	1,130.67	(6)
व्यापारिक देय	795.62	1,306.91	(39)
उधारी	12.31	66.79	(82)
अन्य वित्तीय देयताएँ	474.55	417.56	14

विवरण	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा	परिवर्तन %
प्रावधान	807.24	696.44	16
अन्य देयताएँ	1,411.22	1,044.08	35
कुल	**14,549.62**	**15,146.96**	—

- संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की वहन राशि में वृद्धि इंड एएस 116: पट्टे के कार्यान्वयन एवं पोर्ट फेसिलिटी में शिप लोडर, खान में रिपर डोजर तथा ग्र.वि.सं. एवं परिशोधक आदि में लोकोमोटिव के पूंजीकरण के फलस्वरूप उपयोग का अधिकार (आरओयू) परिसंपत्तियों की स्वीकृति के कारण है। इसके अलावा, चल रहे पूंजी कार्य में वृद्धि उद्यम समाज प्रतिबद्धता (ईएससी) (परिशोधक में आगामी 5वीं धारा के लिए पर्यावरणीय अनुमति पाने की एक पूर्व-स्थिति), धारा 1, 2 एवं 3 के लिए परिशोधन विस्तार, बॉक्साइट पुनरुद्धारक, एचआरडी डीसीडब्ल्यू के लिए कार्य में सक्षम होने, बॉयलर-1, 3 एवं 4 की ईएसपी में संवृद्धि, खान में एलएचएस ड्राइव रोप एवं पोट्टांगी में बॉक्साइट खान के लिए पूर्व-परियोजना व्यय की स्वीकृति के कारण है।
- अमूर्त में वृद्धि मुख्यतया उत्कल डी एवं ई कोयला ब्लॉक के लिए जमीन के अधिग्रहण बाबत भुगतान की गई राशि की स्वीकृति के कारण है।
- वर्ष के दौरान ₹101.47 करोड़ की राशि संयुक्त उद्यम कंपनियों को किए गए अंशदान के कारण निवेश बढ़ा है। तथापि, ₹25.80 करोड़ की कार्यकारी पूंजी की आवश्यकताओं के कारण म्यूचुअल फंड में निवेश कम हुआ है।
- एल्यूमिना एवं एल्यूमिनियम दोनों में वसूल नहीं हो पाए बिल में कमी आने का कारण व्यापार प्राप्य कम हुआ है।
- नकद एवं बैंक शेष में कमी न्यूनतर आंतरिक प्राप्य के कारण है। रिपोर्टिंग तिथि को नकद एवं बैंक शेष में अल्पावधि निवेश के रूप में बैंक जमा एवं अप्रदत्त विवादित बिजली शुल्क के लिए निर्दिष्ट खाते में जमा की गई राशि शामिल है।
- वर्ष के दौरान अन्य परिसंपत्तियाँ इंड एएस 116: पट्टे के कार्यान्वयन के कारण उपयोग का अधिकार (आरओयू) परिसंपत्तियों में पूर्व प्रदत्त पट्टा भाड़ा के पुनःवर्गीकरण के कारण कम रही हैं।
- लाभांश एवं इस पर कर वितरण के माध्यम से विनियोजन के कारण आरक्षित एवं अधिशेष में मुख्य रूप से कमी आई है।
- व्यापार देय में कमी गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के लिए दीर्घावधि वेतन समझौता के कारण हुई है।
- अन्य वित्तीय देयता में वृद्धि इंड एएस:116: पट्टा के कार्यान्वयन पर पट्टा देयता, भावी पट्टा भुगतान के छूट प्राप्त मूल्य की स्वीकृति के कारण हुई है।
- वर्तमान वर्ष के दौरान, बीमांकित मूल्यांकन एवं इसके अनुमानों के फलस्वरूप दीर्घावधि कर्मचारी देयता में वृद्धि के कारण प्रावधान बढ़ा है।
- वर्ष के दौरान अन्य देयताओं में वृद्धि मूलतः विद्युत शुल्क के लिए देयता के संचय के कारण है।

8.2.1 मुख्य वित्तीय अनुपात:

परिवर्तन	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2018-19
कर पश्चात लाभ/शुद्ध संपत्ति	1.38%	16.52%
ईबीआईटी/शुद्ध बिक्री	2.75%	24.08%
ईबीआईटी/नियोजित पूंजी*	2.49%	12.32%

* नियोजित पूंजी = शुद्ध सावधि परिसंपत्ति (सीडब्ल्यूआईपी छोड़कर) + कार्यकारी पूंजी

8.2.2 खण्डवार सूचनाः

क्रम सं.	विवरण	रसायन (एल्यूमिना)		धातु (एल्यूमिनियम)		अनाबंटनीय		कुल
		₹ करोड़ में	शेयर(%)	₹ करोड़ में	शेयर(%)	₹ करोड़ में	शेयर(%)	₹ करोड़ में
1.	प्रचालन से राजस्व	3,007.74	35.50	5,421.47	63.99	42.63	0.50	8,471.84
2.	पीबीटी (विशिष्ट मद पूर्व)	559.72	241.28	(278.43)	(120.22)	(49.31)	(21.26)	231.98
3.	नियोजित पूँजी #	1,804.61	19.36	4,516.16	48.44	3,001.78	32.20	9,322.55
4.	आरओसीई (%) (2/3)		31.02		(6.17)		(1.64)	2.49
5.	पीबीआईटी सीमांत (%)(2/1)		18.61		(5.14)		(115.67)	2.74

“अनाबंटनीय सामान्य” के अधीन नियोजित पूंजी में नकद शेष और पवन विद्युत संयंत्र एवं विस्तार एककों की परिसंपत्तियाँ शामिल हैं।

9.0 लागत कम करने के उपाय और महत्वपूर्ण कच्चे माल की विशिष्ट खपत कम करने के प्रयास:

9.1 एल्यूमिना परिशोधक:

- सीएचडब्ल्यूटीएसडीएफ, सुकिन्दा, जाजपुर के माध्यम से करने के बजाए अधिकृत सह-प्रक्रियाकरण सीमेंट संयंत्र के माध्यम से व्ययित रेजिन का निपटान।
- बीएम-004 एवं बीएम-701 में हाइपर-स्टील से हाइ-क्रोम तक ग्राइंडिंग मीडिया की बदली जो ग्राइंडिंग मीडिया की खपत को कम करता है।
- पुराने कन्वेयर-5ए एवं 5बी, अप्रचलित सीबीएमएस का अद्यतन किया गया। इस नवीकरण के बाद, फीडिंग कोल में फंसे बाह्य धात्विक सामान का हटाया गया है। इस प्रकार, कोल मिल लाइनर के जीवन को बढ़ाया गया।
- कन्वेयर-7ए एवं 7बी पारंपरिक फ्लूइड कपलिंग को देखरेख खर्च से मुक्त एवं उच्च दक्ष कन्वेयर प्रणाली से सम्पन्न मैग्ना ड्राइव से बदला गया।
- 68 एटीए वाष्प उत्पादन के संबंध में अब तक की न्यूनतम 248 केजी/मे.टन विशिष्ट कोयले की खपत।
- 9 एटीए वाष्प के अब तक की न्यूनतम 26.77 कि.वा.घं./टन विशिष्ट विद्युत खपत।

9.2 खानः

- वर्ष के दौरान, एचईएमएम अनुभाग में अति-निस्यंदन के बाद हाइड्रॉलिक ऑयल एवं इसके उपयोग के अपवाहन अंतराल में वृद्धि से 4,950 ली. हाइड्रॉलिक ऑयल का पुनः उपयोग हो पाया है।
- क्रशर एवं कन्वेयर अनुभाग में पॉली पुली हब के पुनरूद्धार एवं इसके उपयोग तथा क्रशर एवं कन्वेयर अनुभाग में आइडलर के पुनरूद्धार एवं इसके उपयोग से लागत में बचत हुई है।
- एसएमसीपी क्रशर के क्रशिंग सेगमेंट का एसएमसीपी में उनका जीवनकाल बढ़ाने के लिए पुनः निर्माण से ₹121.83 लाख की बचत हुई है।
- खान में 31.12.2020 तक एक 130 कि.वा.वि. सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए निर्धारित है।
- पारंपरिक लैम्पों का एलइडी लैम्पों से संपूर्ण प्रतिस्थापन।

9.3 प्रद्रावकः

- 756 पॉट के लिए कैथोड ब्लॉक को ग्रैफिटाइज किया गया, जिससे पॉट लाइन में 55 कि.वा.घं./मे. टन की दर से विशिष्ट विद्युत ऊर्जा खपत में कमी आई।
- प्रद्रावक ने रियो टिन्टो/एल्कॉन, कनाडा एवं नालको के बीच विकास सहयोग अनुबंध के अंतर्गत विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करने के उद्देश्य से "प्रद्रावक संयंत्र (एपी2एक्सएन) के लिए न्यून ऊर्जा कोटर प्रौद्योगिकी का विकास" के रूप में एक मार्गदर्शी परियोजना को हाथ में लिया है। पॉट लाइन #3 में पंद्रह पॉट अभी परीक्षण के अधीन हैं।
- कार्बन रॉडिंग संयंत्र-II में द्वितीय एनोड स्लॉट कटिंग मशीन की स्थापना ताकि स्थापना चरण के अधीन पॉट लाइन में विशिष्ट विद्युत ऊर्जा को कम किया जा सके।
- केन्द्रापसारी संपीडक से प्रत्यागमनी संपीडक की बदली ताकि स्थापना चरण के अंतर्गत संपीड़ित वायु की विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम किया जा सके।
- प्रद्रावक संयंत्र में एलईडी लाइट फिटिंग (15,900 नग) द्वारा वर्तमान पारंपरिक लाइट फिटिंग की बदली ताकि गौण ऊर्जा खपत को कम किया जा सके।

9.4 ग्र.वि.सं.:

- एकक #4 एवं एकक #9 में कन्डेन्सर (संवाहक) की रसायन से सफाई की गई। कन्डेन्सर वैक्यूम में लगभग डिजाइन मूल्य तक सुधार हासिल हो पाया है। कोयले की खपत में 23,580 मे.टन प्रति वर्ष की बचत हुई।
- नए ऊर्जा दक्ष स्क्रू कम्प्रेशरों से सात पुराने प्रत्यागमनी वायु संपीडकों की बदली। इससे गौण विद्युत खपत में कमी लाने में मदद मिली है।
- पारंपरिक लाइट फिटिंग के बदले कुल 6,761 नग एलईडी फिटिंग को बदलते हुए 10,11,552 कि.वा.घं. की ऊर्जा बचत हुई।
- एकक-4 में 7 चरणों से 6 चरणों में वर्तमान कन्डेन्स्टेट एक्सट्रैक्शन पम्प (सीईपी) के चरणों को कम करना, जिससे विद्युत खपत में 40 कि.वा. की बचत एवं ऊर्जा में 2,60,800 कि.वा.घं. की बचत हुई।

10.0 लेखाकर उपचार का प्रकटनः

कंपनी के वित्तीय विवरण इंड ए.एस. और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसरण में प्रस्तुत किए गए हैं।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पर निर्धारित किये जानेवाले, कुछ वित्तीय साधनों को छोड़कर, वित्तीय विवरण नीचे लेखाकरण नीति में वर्णित अनुसार ऐतिहासिक आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं।

कंपनी के प्रचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में निर्धारित अन्य मानकों के अनुसार सभी परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ चालू या गैर-चालू रूप में वर्गीकृत हैं। व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर, कंपनी ने परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ चालू और गैर-चालू रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से अपना प्रचालन चक्र 12 महीने का निर्धारित किया है।

11.0 नियोजित लोगों की संख्या सहित मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों के पक्ष में वास्तविक विकासः

11.1 मानव संसाधनः

31.03.2020 की स्थिति के अनुसार कंपनी की जनशक्ति 6,203 थी, जबकि पिछले वर्ष की अंतिम तिथि को यह संख्या 6,496 थी। विस्तृत विभाजन निम्नोक्त है:

क्रम. सं.	पद*	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
क	कार्यपालक	1,727	1,782
ख	पर्यवेक्षक	534	594
ग	कुशल/अति कुशल	3,425	3,568
घ	अकुशल/आंशिक कुशल	517	552
कुल		6,203	6,496

*स्नातक अभियंता प्रशिक्षु/ प्रबंधन प्रशिक्षु/वरिष्ठ परिचालक प्रशिक्षु/कनिष्ठ परिचालक प्रशिक्षु शामिल हैं।

11.2 प्रशिक्षण एवं विकास:

उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने और संगठन की व्यवसाय संस्कृति में सुधार लाने के लिए, संगठन के व्यावसायिक लक्ष्य के साथ अपने कर्मचारियों की कार्यकारी और व्यावहारिक क्षमता को उन्नत करने एवं व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों के कौशल विकास हेतु व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के निरंतर प्रयास किए जाते हैं। आपकी कंपनी प्रौद्योगिकी, व्यवसाय प्रखरता एवं नेतृत्व की दृष्टि से अपने लोगों को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु सक्रिय रूप से नियोजित रही है। कंपनी के हमारे प्रशिक्षण एवं विकास प्रयास केवल यथार्थ व्यवसाय योजना के साथ कंपनी की कार्यनीतिक उद्देश्यों को हासिल करने के लिए केवल तैयार नहीं किए गए हैं, बल्कि शून्य घटना की रिपोर्ट के साथ सुरक्षित एवं उचित कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए गए हैं।

इस संबंध में, आपकी कंपनी ने वर्ष 2019-20 के दौरान अपनी कुल शक्ति के लगभग 79% को शामिल करते हुए लगभग 10,940.5 प्रशिक्षण श्रम दिवस के साथ प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रतिभा को उचित शिक्षण एवं प्रबंधन देने ताकि वे संधारणीय प्रतिस्पर्धी लाभ में नेतृत्व दे सकें, 46 कार्यपालकों को वर्ष 2019-20 के दौरान विभिन्न तकनीकी एवं प्रबंधन विकास कार्यक्रम के लिए आईआईएम, एक्सएलआरआई, एएससीआई, टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन (टीएसएएफ), एमडीआई एवं आईआईटी भेजा गया था।

निगम दायित्व एवं उद्योग शैक्षिक अंतरापृष्ठ के तौर पर, आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 808 आवेदकों को प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्रदान किया है जो कि इसकी कुल कर्मचारी शक्ति का लगभग 12.51% है एवं देश के विभिन्न तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थाओं से 2,167 छात्रों को उनके संबंधित कार्यकारी विभागों में ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप (प्रशिक्षुता) प्रदान किया है।

11.3 कौशल विकासः

आपकी कंपनी राष्ट्रीय कौशल विकास लक्ष्य के समर्थन में सभी अवस्थितियों के विभिन्न आवेदकों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अग्रसक्रिय भूमिका निभा रही है। भारत सरकार के कौशल विकास अभियान के अनुसरण में, राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (एनएसडीसी)/राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एनएसडीएफ) के साथ एमओयू (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किया है, ताकि आरपीएल (पूर्व-शिक्षण अभिज्ञान) प्रमाणन प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित संबंधित क्वालिफिकेशन पैक (क्यूपी) के साथ कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। इसी अनुसार, वित्त वर्ष 2019-20 के समस्त कार्यक्रमों में 1,620 आवेदकों को शामिल किया गया।

वर्ष 2019-20 के दौरान, निगम समाज उत्तरदायित्व (नि.सा.उ.) के अंतर्गत लगभग 1,200 आवेदकों को विभिन्न कौशल मंच जैसे कि खुदरा, स्वास्थ्य देखरेख, परिधान, सौंदर्य एवं स्वास्थ्य, बैंकिंग के साथ विद्युत क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया गया ताकि युवाओं की अनुछुई संभावनाओं को उचित मार्ग दिया जा सके एवं उनके कौशल में सुधार लाने में सहयोग मिल सके जिससे रोजगार पाने की उनकी क्षमता में वृद्धि आ पाए।

12.0 निगम योजना

नई निगम योजना में 3 वर्षों की कार्य योजना, 7 वर्षों की रणनीति एवं 15 वर्षों की परिकल्पना पर विचार किया गया है ताकि कंपनी के बॉटम लाइन एवं टॉप लाइन में सुधार लाया जा सके। लम्बी अवधि में, वस्तुचक्र के प्रभाव से पार पाने के लिए कंपनी को एक प्रतिस्पर्धी उत्कृष्टता प्रदान करने के उद्देश्य से इसने कार्यात्मक एवं व्यवसाय पहुलओं को चिह्नित किया है। अल्प, मध्यम एवं दीर्घावधि रणनीतियों की मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैंः

12.1 अल्प एवं मध्यावधि रणनीतियाँः

(क) दक्षिण ब्लॉक, पंचपटमाली खानों में 3.15 मिलियन टन क्षमता एवं पोट्टांगी खानों में 3.5 मिलियन टन बॉक्साइट खनन क्षमता एवं 1 मिलियन टन एल्यूमिना क्षमता का विस्तार।

(ख) उत्कल-डी एवं ई कोयला खानों का प्रचालन प्रारंभ करना।

(ग) मौजूदा पॉट लाइन के उपलब्ध समुन्नयन के साथ 0.5 मिलियन टन द्वारा प्रद्रावक का ब्राउन फील्ड विस्तार, इस प्रकार 0.1 मिलियन टन क्षमता वृद्धि।

(घ) संयुक्त उद्यम माध्यम में कॉस्टिक सोडा संयंत्र की स्थापना द्वारा पश्चगामी एकीकरण।

(ङ) 0.6 मिलियन टन की वायर रॉड मिल की स्थापना द्वारा अग्रेषण एकीकरण।

12.2 दीर्घावधि रणनीतियाँः

(क) अनुप्रवाह संयंत्र की स्थापना।

(ख) नई बॉक्साइट खानों का अन्वेषण एवं अधिग्रहण।

नई व्यवसाय पहल में, प्रमुख व्यवसाय में विस्तार के माध्यम से वृद्धि, मूल्य वर्धन अनुप्रवाह सुविधाओं के माध्यम से अग्रेषण एकीकरण, चयनित विविधीकरण एवं कच्ची सामग्री की सुरक्षा के लिए पश्चगामी एकीकरण शामिल है। चिह्नित कार्यात्मक एवं व्यावसायिक प्रयास कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

13.0 व्यापार विकासः

13.1 गुजरात अल्कालिज एंड केमिकल्स लि. (जीएसीएल) के साथ संयुक्त उद्यम में कॉस्टिक सोडा परियोजना (परियोजना लागत - ₹1,999 करोड़): आपकी कंपनी ने गुजरात के दाहेज में 2.7 लाख टन प्रति वर्ष कॉस्टिक सोडा संयंत्र एवं 130 मे.वा. ग्रहीत विद्युत संयंत्र (ग्र.वि.सं.) की स्थापना के लिए जीएसीएल-नालको अल्कालिज प्राइवेट लिमिटेड (जीएनएएल) के नाम से जीएसीएल के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया है। आपकी कंपनी के पास परियोजना में 40% की इक्विटी है। इक्विटी में आपकी कंपनी का योगदान ₹240 करोड़ है। परियोजना के लिए पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त कर ली गई है। परियोजना के लिए भूमि का अंतरण जीएनएएल के पक्ष में किया गया है। कॉस्टिक सोडा संयंत्र एवं ग्रहीत विद्युत संयंत्र के प्रमुख पैकेज प्रदान कर दिए गए हैं। संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) का वित्तीय समापन पूरा कर लिया गया है। गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (जीआईडीसी) वाटर सप्लाई पाइपलाइन प्रगति में है। पत्तन में कॉस्टिक सोडा संयंत्र से कॉस्टिक सोडा ट्रान्सफर पाइपलाइन बिछाने के लिए निविदा तय कर ली गई है। महामारी कोविड-19 लॉकडाउन के कारण परियोजना का निष्पादन बाधित हुआ था। परियोजना के लगभग 78.1% का निष्पादन पूरा कर लिया गया है। मार्च, 2020 तक संचयी व्यय ₹1,163 करोड़ है एवं मई, 2020 तक ₹1,260 करोड़ है। मार्च, 2021 तक परियोजना पूरा किए जाने के लिए अपेक्षित है।

13.2 एनआईएनएल के साथ संयुक्त उद्यम में कोल तार पिच संयंत्रः आपकी कंपनी ने एनआईएनएल के कोक ओवन संयंत्र में उत्पादित कोल तार के आधार पर मेसर्स नीलांचल इस्पात निगम लि. (एनआईएनएल) के साथ 20,000 ट.प्र. वर्ष क्षमता के कोल तार आसवन संयंत्र की स्थापना की योजना बनाई है। प्रौद्योगिकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) परियोजना के लिए तैयार कर ली गई है। संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए नीति आयोग की अनुमति अक्टूबर, 2019 में प्राप्त की गई। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुति के अधीन है।

13.3 हाई इंड एल्यूमिनियम मिश्रधातु संयंत्र (अनुमानित परियोजना लागत - ₹4,542 करोड़): आपकी कंपनी ने रक्षा, एयरोस्पेस एवं ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में प्रयोग के लिए 60,000 टन प्रति वर्ष की क्षमता के हाई इंड एल्यूमिनियम मिश्रधातु संयंत्र की स्थापना के लिए अगस्त, 2019 में मेसर्स मिश्रधातु निगम लि. (मिधानी) के साथ मेसर्स उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड (यूएडीएनएल) के नाम में एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया है। आंध्रप्रदेश सरकार ने नेल्लोर जिले में परियोजना के लिए 110 एकड़ जमीन का आबंटन किया है। चारदीवारी का निर्माण प्रगति में है। आपकी कंपनी ने संयुक्त उद्यम कंपनी को इक्विटी के रूप में ₹20 करोड़ का भुगतान किया है।

13.4 **विदेशों में रणनीतिक खनिजों का अधिग्रहणः** आपकी कंपनी ने भारत में आपूर्ति के लिए विदेशी स्थानों में रणनीतिक खनिजों को चिह्नित करने, अर्जित करने, विकसित करने, प्रक्रियागत करने एवं वाणिज्यिक इस्तेमाल करने के लिए अगस्त, 2019 में मेसर्स खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (काबिल) के नाम में एचसीएल एवं एमईसीएल के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया है। इक्विटी धारिता इस प्रकार है : नालकोः 40%, एचसीएलः 30% एवं एमईसीएलः 30%। संक्षिप्त सूची में डाले गए 12 खनिजों का अध्ययन दिसम्बर, 2019 में पूरा कर लिया गया है। आपकी कंपनी ने संयुक्त उद्यम कंपनी के 10 लाख शेयर के लिए ₹1.0 करोड़ की प्रदत्त पूंजी का भुगतान किया है।

13.5 **ओड़िशा इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (इडको) से साथ संयुक्त उद्यम में अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क (परियोजना लागत - ₹99.6 करोड़):** आपकी कंपनी और इडको ने राज्य में अनुप्रवाह उद्योगों के प्रचार के लिए "मेसर्स अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि. (एएपीपीएल)" अनुगुल के विकास हेतु एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया है। परियोजना में आपकी कंपनी की इक्विटी धारिता 49% है। आपकी कंपनी का कुल इक्विटी योगदान ₹16.22 करोड़ है। एएपीपीएल का भूमि अधिग्रहण एवं चारदीवारी का निर्माण पूरा कर लिया गया है। आंतरिक आधारभूत संरचना एवं एप्रोच रोड (पहुँच सड़क) का विकास प्रगति में है। मोल्टेन धातु/इंगॉट की मूल्यांकन विधि तय कर ली गई है। आपकी कंपनी से एएपीपीएल तक गर्म धातु के स्थानांतरण, सड़क एवं पानी की आपूर्ति तय किए जाने के अधीन है। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण कार्य रुक गया था।

13.6 **एल्यूमिनियम अनुप्रवाह परियोजनाएँः** आपकी कंपनी ने ओड़िशा के ढेंकनाल जिले के कामाख्यानगर ब्लॉक में क्रमशः 30,000 ट.प्र.व., 90,000 ट.प्र.व., 6,00,000 व्हील प्रति वर्ष की क्षमता के रोल्ड प्रोडक्ट यूनिट, फॉयल यूनिट, एलॉय व्हील प्लांट एवं एक्सट्रुशन प्लांट जैसी एल्यूमिनियम अनुप्रवाह परियोजनाओं की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की है। इस परियोजना को हाई लेवल क्लीयरेंस अथॉरिटी, ओड़िशा सरकार द्वारा अनुमति दी गई है। इंडस्ट्रियल प्रमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ ओड़िशा लिमिटेड (आईपीआईसीओएल) ने परियोजना के लिए ओड़िशा इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रकचर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (इडको) को126 एकड़ एवं टाउनशिप के लिए 26 एकड़ जमीन के आबंटन की सिफारिश की है। पहले चरण में रोल्ड प्रोडक्ट यूनिट एवं फॉयल प्लांट की स्थापना की जाएगी। दूसरे चरण में एलॉय व्हील प्लांट एवं एक्सट्रूशन प्लांट की स्थापना की जाएगी। आपकी कंपनी ने मार्च, 2020 में इडको के पास जमीन प्रक्रियाकरण शुल्क जमा की है एवं परियोजना जमीन के लिए सभी कागजात जमा किया है।

13.7 **लि-आयन सेल टेक्नोलॉजी का वाणिज्यीकरणः** आपकी कंपनी लिथियम-आयन सेल/बैटरी के उत्पादन के लिए अन्वेषण कर रही है। लि-आयन सेल तकनीकी के स्थानांतरण के लिए इसरो द्वारा कंपनी का चयन किया गया है। आपकी कंपनी ने तकनीकी के स्थानांतरण हेतु अप्रैल, 2019 में इसरो के साथ एक समझौता अनुबंध (एमओए) पर हस्ताक्षर किया है। लिथियम-आयन सेल/बैटरी के उत्पादन के लिए कंपनी एक नये व्यवसाय आयाम की योजना बना रही है। एक प्रोटोटाइप प्लांट (प्रतिकृति संयंत्र) की स्थापना के लिए आईआईटी, खड़गपुर से तकनीकी सहयोग प्राप्त करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में, आईआईटी, खड़गपुर के साथ एमओयू चर्चा एवं समीक्षा के अधीन है।

13.8 **पारादीप में कॉस्टिक सोड़ा परियोजनाः** आपकी कंपनी और आईओसीएल इंटिग्रेटेड डाइक्लोराइड (ईडीसी), विनाइल क्लोराइड मोनोमर (वीसीएम) एवं पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) परियोजना के साथ पारादीप में 3,30,000 ट.प्र.व. क्षमता के कॉस्टिक सोडा परियोजना की स्थापना पर विचार कर रही है, इसके लिए एथिलिन का उपयोग किया जाएगा जो पारादीप, ओड़िशा में आईओसीएल के प्रस्तावित विस्तार परियोजना से उपलब्ध कराया जाएगा। विभिन्न विन्यासों का अध्ययन करने एवं एकीकृत परियोजना के लिए आगे के मार्ग के अन्वेषण एवं अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के लिए एक संयुक्त कार्यशील समूह का गठन किया गया है जिसमें आईओसीएल की पारादीप परियोजना से एथिलिन की उपलब्धता शामिल है।

14.0 सहायक उद्योग विकासः

आपकी कंपनी ने सहायक उद्योग एककों और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) के विकास के लिए अपना प्रयास जारी रखा है। सहायक उद्योग एककों तथा सूक्ष्म, लघु उद्यमों के विकास के लिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान उठाए गए कदम निम्नवत हैं:

(क) नालको के क्रय हेतु सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार सहायक उद्योग समेत सूक्ष्म, लघु उद्यम के लिए 358 संख्यक मद आरक्षित है। कुछ प्रमुख मदों में शामिल है सभी प्रकार के दस्ताने, सुरक्षा हेल्मेट, पॉलिथिन फिल्म, बैंडेज कपड़े, हर प्रकार के थैले इत्यादि।

(ख) वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ओड़िशा के सहायक उद्योग एककों सहित सूक्ष्म, लघु उद्यमों (माइक्रो एंड स्मॉल इन्टरप्राइजेस) द्वारा उत्पादित उत्पादों और दी जा रही सेवाओं की खरीदी ₹360.84 करोड़ की हुई है (पिछले वित्त वर्ष के ₹361.17 करोड़ के मुकाबले)। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान सूक्ष्म एवं लघु उद्यम एककों (ओड़िशा के बाहर सहित) द्वारा उत्पादित उत्पादों और सेवाओं की कुल खरीदी ₹484.51 करोड़ की हुई है (वित्त वर्ष 2018-19 के ₹472.53 करोड़ के मुकाबले) एवं यह न्यूनतम 25% के सरकारी लक्ष्य की तुलना में आपकी कंपनी द्वारा कुल वस्तु एवं सेवाओं की खरीदी का 31.08% होता है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित उत्पादों और सेवाओं की खरीदी का लक्ष्य ₹389.50 करोड़ रखा गया है।

(ग) आपकी कंपनी को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, ओड़िशा सरकार द्वारा भुनवेश्वर में 8 जनवरी से 12 जनवरी, 2020 तक आयोजित ओड़िशा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2020 में "उत्कर्ष प्रमाणपत्र" प्रदान किया गया।

(घ) आपकी कंपनी ने सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विभाग संस्था, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम मंत्रालय (भारत सरकार), सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विभाग, ओड़िशा सरकार द्वारा 13 से 14 मार्च, 2020 तक कटक में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के विक्रेता विकास कार्यक्रम सह औद्योगिक प्रदर्शनी एवं क्रेता-विक्रेता सम्मेलन में हिस्सा लिया है। यह कार्यक्रम पहले 13 से 15 मार्च, 2020 तक आयोजित होना था, पर कोविड-19 के कारण 13 से 14 मार्च, 2020 तक की कम अवधि के लिए आयोजित किया गया।

(ङ) वर्ष 2019-20 के लिए सब-पीएलएसी (संयंत्र स्तरीय सलाहकारी उप-समिति) सम्मेलन का आयोजन 28.02.2020 को खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी में डी.आई.सी. कोरापुट के सहयोग से किया गया। वर्ष 2019-20 के लिए ऐसा ही एक सब-पीएलएसी सम्मेलन का आयोजन प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल में 26.02.2020 को डीआईसी, अनुगुल के सहयोग से किया गया।

(च) "अ.जा.-अ.ज.जा. उद्यमों के लिए क्रेता-विक्रेता सम्मेलन" का आयोजन 04.09.2019 को प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल एवं 28.02.2020 को खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी में किया गया।

(छ) कंपनी ने खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी में दिनांक 10.07.2019 को वार्षिक विक्रेता सम्मेलन एवं 10.10.2019 को शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया।

(ज) राष्ट्रीय एससी/एसटी हब कार्यालय (एनएसएसएचओ) के सहयोग से महिला स्वामित्व के सूक्ष्य एवं लघु उद्यम एवं एससी/एसटी स्वामित्व के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के पंजीकरण हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

(झ) सभी सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विक्रेता (सहायक उद्योग सहित) से जीईएम प्लेटफॉर्म में आने के लिए अनुरोध किया जाता है। चूंकि आपकी कंपनी आरएक्सआईएल (टीआरईडीएस पोर्टल) के साथ पंजीकृत है, इसलिए सभी सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विक्रेताओं (सहायक उद्योग समेत) से अनुरोध किया जाता है कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यम का फायदा प्राप्त करने के लिए टीआरईडीएस पोर्टल (आरएक्सआईएल) पोर्टल में पंजीकृत हों।

(ञ) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) से आपकी कंपनी के खरीदी आँकड़े सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, भारत सरकार के "एमएसएमई संबंध" एप्प पर मासिक आधार पर अपलोड किए जा रहे हैं।

(ट) आपकी कंपनी ने वर्ष 2019-20 के दौरान 10 विक्रेता सम्मेलनों (सूक्ष्म एवं लघु उद्यम एवं सहायक उद्योग) का आयोजन किया।

(ठ) आपकी कंपनी से पंजीकृत मौजूदा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम एवं गैर-पंजीकृत सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के सुविधार्थ 13.07.2018 को नमस्य (नालको माइक्रो एण्ड स्मॉल इंटरप्राइज योगायोग एप्लिकेशन) एप्प नालको द्वारा आरंभ किया गया है। यह एप्प सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को विक्रेता पंजीकरण प्रक्रिया, तकनीकी विनिर्देश के साथ उनके द्वारा आपूर्ति किए जानेवाले मदों, विक्रेता विकास कार्यक्रम एवं नालको के प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि की जानकारी उपलब्ध कराता है।

नालको द्वारा सूक्ष्म, लघु उद्यमों से की गई खरीदी	
	खान मंत्रालय/नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड-नालको
	(क) एकक का नाम : निगम कार्यालय, भुवनेश्वर, ओड़िशा नोडल अधिकारी : श्री विभू दत्त महान्ति, महाप्रबंधक (सामग्री) नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर- 751013 मोबाइल : 9437561995 , ई-मेल: bibhu.mohanty@nalcoindia.co.in (ख) एकक का नाम : प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल, ओड़िशा नोडल अधिकारी : श्री प्रभात कुमार विश्वास, महाप्रबंधक (सामग्री) प्रद्रावक संयंत्र , नालको नगर, अनुगुल- 759145 मोबाइल : 9437083779, ई-मेल: pravat.biswas@nalcoindia.co.in (ग) एकक का नाम : खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी, ओड़िशा नोडल अधिकारी : श्री विकास कुमार पण्डा, महाप्रबंधक (सामग्री) एल्यूमिना परिशोधक, नालको, दामनजोड़ी- 763008 मोबाइल : 9437045504, ई-मेल: bikash.panda@nalcoindia.co.in

क्रम सं.	विवरण	वर्ष 2019-20	वर्ष 2018-19
I	कुल वार्षिक खरीदी (मूल्य में)(*) (₹ करोड़ में)	1,558.62	1,764.03
II	सूक्ष्म, लघु उद्यमों (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व के सूक्ष्म, लघु उद्यमों सहित) से खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य (₹ करोड़ में)	484.51	472.53
III	केवल अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व के सूक्ष्म, लघु उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य (₹ करोड़ में)	13.77	12.88
IV	केवल महिला उद्यमियों के स्वामित्व के सूक्ष्म, लघु उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य (₹ करोड़ में)	3.50	5.45
V	कुल खरीदी में से सूक्ष्म, लघु उद्यमों (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों के स्वामित्व के सूक्ष्म, लघु उद्यमों सहित) से खरीद का %	31.08	26.79
VI	कुल खरीदी में से केवल अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के स्वामित्व के सूक्ष्म, लघु उद्यमों से खरीद का %	0.88	0.73
VII	कुल खरीदी में से महिला उद्यमियों के स्वामित्व के सूक्ष्म, लघु उद्यमों से खरीद का %	0.22	0.31
VIII	सूक्ष्म, लघु उद्यमों के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रमों की कुल संख्या	10	11
IX	क्या सूक्ष्म, लघु उद्यमों से खरीदी के लिए वार्षिक खरीदी योजना सरकारी वेबसाइट पर अपलोड की गई है	हाँ	हाँ
X	क्या वार्षिक रिपोर्ट में लक्ष्य दर्ज हैं	हाँ	हाँ

* यह मूल्य कोयला, ईंधन तेल, कॉस्टिक सोड़ा, एएलएफ$_3$, कृत्रिम फ्लोक्यूलेंट, इस्पात, सीमेंट, बेयरिंग, लुब्रिकेन्ट, स्वामित्व वाले मद, आयातित सामग्री एवं पेशागत सेवाओं के लिए संविदाएँ/सलाहकारी सेवाएँ/प्रधान टर्न की संविदाएँ/संविदाएँ जो विशिष्ट प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं, को छोड़कर है।

15.0 सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणः

एक जिम्मेदार निगम संस्था के रूप में आपकी कंपनी प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण प्रबंधन के मोर्चे पर मार्गदर्शी रही है एवं अपने सभी उत्पादन एककों में ज़्यादा स्वच्छ, ज़्यादा हरे-भरे एवं सुरक्षित कार्य-परिवेश के लिए वचनबद्ध है। सभी उत्पादन एककों का पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली पर अन्तर्राष्ट्रीय मानक (आईएसओ 14001) और साथ ही व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएसएएस 18001) से प्रमाणित किया गया है।

आपकी कंपनी के सभी एकक एवं इसके टाउनशिप वायु एवं जल अधिनियम, विभिन्न प्रयोज्य कानून (संकटजनक अपशिष्ट प्राधिकरण, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्राधिकरण आदि) के अंतर्गत वैध प्राधिकरण, विभिन्न प्रयोज्य कानून (फैक्टरी लाइसेंस, विस्फोट लाइसेंस आदि) के अधीन वैध लाइसेंस के साथ "परिचालन स्वीकृति" से परिचालित हैं।

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के विभिन्न एककों में पर्यावरण, सुरक्षा एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन के क्षेत्र में एकक विशिष्ट सुधार किए गए जो नीचे विस्तार से वर्णित हैः

15.1 बॉक्साइट खान:

15.1.1 सुरक्षा एवं व्यावसायिक स्वास्थ्यः

- रेल ऑडिटोरियम, भुवनेश्वर में आयोजित वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह समारोह के अंतिम दिन खान ने 5 पुरस्कार प्राप्त किए। इसके अलावा, खान ने कामगार श्रेणी में एमएमपीएल पुरस्कार जीता।
- संविदा कामगारों (679 नग) की आवधिक चिकित्सा जाँच (पीएमई) मेसर्स एनआईएमएच, नागपुर द्वारा की गई है। नालको अस्पताल, दामनजोड़ी में एक्स-रे किया गया।
- वर्ष 2019 में 360 कर्मचारियों के लिए पीएमई का संचालन किया गया। कोई व्यवसायजनित रोग की रिपोर्ट नहीं की गई।
- आईआईटी (आईएसएम), धनबाद के माध्यम से विस्फोट प्रेरित भूमि कंपन अध्ययन का निष्पादन किया गया है।

15.1.2 पर्यावरण:

- 1,00,000 वृक्षों के लक्ष्य की तुलना में खान के आसपास 1,00,274 वृक्ष लगाए गए।
- दक्षिण ब्लॉक में तीन निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्र स्थापित किए गए ताकि परिवेशी वायु गुणवत्ता की ऑनलाइन निगरानी की जा सके।

- पंचपटमाली बॉक्साइट खान ने असाधारण पर्यावरण प्रबंधन के लिए निदेशक संस्थान, नई दिल्ली से गोल्डन पीकॉक एन्वायरनमेंट मैनेजमेंट पुरस्कार-2019 प्राप्त किया।
- भारतीय खान ब्यूरो द्वारा आयोजित खान पर्यावरण एवं खनिज संरक्षण सप्ताह 2019-20 के अंतिम दिन के समारोह में बॉक्साइट खान ने पुनरूद्धार एवं पुनर्वासन (सी एवं एन ब्लॉक) में प्रथम पुरस्कार, वृक्षारोपन (सी एवं एन ब्लॉक) में प्रथम पुरस्कार, (सी एवं एन ब्लॉक), खनिज संरक्षण (दक्षिण ब्लॉक) में द्वितीय पुरस्कार, समग्र निष्पादन (सी एवं एन ब्लॉक) में प्रथम पुरस्कार एवं संधारणीय खनन (सी एवं एन ब्लॉक) के लिए प्रतिष्ठित अति उत्कर्षता पुरस्कार जीतते हुए श्रेष्ठता साबित की।

15.2 एल्यूमिना परिशोधक:

15.2.1 सुरक्षा एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य:

- वर्ष के दौरान कुल 2,054 ठेका कामगारों को सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण दिये गए।
- संयंत्र के अंदर गति सीमा पर नियंत्रण रखने एवं सड़क सुरक्षा जागरूकता के प्रति सुग्राही बनाने के लिए संयंत्र के अंदर विभिन्न स्थानों में सड़क सुरक्षा जाँच का संचालन किया जा रहा है।
- एल्यूमिना परिशोधन संयंत्र की सुरक्षा संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए एल्यूमिना परिशोधक के विभिन्न क्षेत्रों को लेते हुए 17 सुरक्षा चक्र टीम का गठन किया गया।
- परिशोधन एकक में पहली बार आपकी कंपनी के प्रबंधन के सहयोग से फैक्टरीज एवं बॉयलर निदेशालय, ओड़िशा के द्वारा "सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर सर्वोत्तम कार्य-अभ्यास" विषय पर सुरक्षा संमिलन सम्मेलन - 2019 का आयोजन किया गया।
- वर्ष 2019 में 1,518 कर्मचारियों एवं 632 सीआईएसएफ कार्मिकों के लिए पीएमई का संचालन किया गया। कोई व्यवसायजनित रोग की रिपोर्ट नहीं किया गया।
- वर्ष के दौरान स्थापना एवं सुरक्षा विभाग द्वारा प्रमुख प्राप्त पुरस्कारः-
  - निष्पादन वर्ष 2018 के लिए कलिंगा सुरक्षा पुरस्कार (स्वर्ण), आईक्यूईएमएस से वर्ष 2019
  - ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया से ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया पुरस्कार 2019

15.2.2 पर्यावरण:

- निदेशक (एफ एवं बी), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी), केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आदि के संबंध में सभी सांविधिक अनुपालन यथा समय जमा किए गए थे एवं सभी सांविधिक सहमति, प्राधिकरण का नवीकरण किया गया है।
- फ्लाई एश उपयोगिता, पर्यावरण विवरण, संकटजनक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, बीएमडब्ल्यू, एमएसडब्ल्यू के लिए वार्षिक रिटर्न (प्रतिफल) एवं इसी अनुपालन एवं प्रयुक्त बैटरी के लिए छमाही रिटर्न जमा किए गए हैं।
- एल्यूमिना परिशोधक ने वर्ष 2019-20 के दौरान 90.25% फ्लाई एश उपयोगिता हासिल की।
- वर्ष के दौरान वृक्षारोपण लक्ष्य हासिल किया गया, 15,000 के लक्ष्य की तुलना में 17,239 वृक्ष लगाए गए।
- कंपनी के कुल 1,513 नियमित कर्मचारियों ने पीएमई पूरा किया, जो कुल नियमित कर्मचारियों का 95.71% है।
- ओएसपीसीबी दिशानिर्देशों के अनुसार एसटीपी -III नवीकरण पूरा किया गया, नवीकृत एसटीपी अब प्रचालन में है।
- एपीआई ऑयल वाटर सेपरेटर को एमओईएफ एण्ड सीसी इसी शर्त के अनुसार स्थापित किया गया।
- संकटजनक अपशिष्ट जैसे कि प्रयुक्त तेल, परित्यक्त एस्बेस्टस, रिक्त रसायन कन्टेनर/बैरल एवं व्ययित रेजिन का निपटान अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से किया गया।
- श्री पी.के. पाटजोशी, प्रबंधक (पर्यावरण), एल्यूमिना परिशोधन संयंत्र को दिसम्बर, 2019 में राष्ट्रीय पर्यावरणीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली द्वारा "वर्ष 2019 का पर्यावरणविद" का पुरस्कार दिया गया।

15.3 प्रद्रावक:

15.3.1 सुरक्षा एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य:

- सभी कर्मचारियों एवं ठेका कामगारों को स्थानीय भाषा में पॉकेट पुस्तिका के रूप में "सुरक्षा नियमावली पुस्तिका" तैयार कर वितरित की गयी।

- संयंत्र में जरा सी चूक एवं अग्नि दुर्घटनाओं समेत असुरक्षित अभ्यासों के तुरंत अभिलेखन एवं अनुपालन हेतु “नालके सेफ्टी”, एक सुरक्षा मोबाइल एप का विकास आंतरिक स्तर पर ही किया गया।
- जरा सी चूक घटनाओं की अधिकतम रिपोर्ट के प्रचार हेतु संयंत्र में दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य के साथ लगभग चूक योजना चालू की गई है।
- पॉट लाइन एवं ढलाई घर के बीच तरल गर्म धातु की कलछी के संचलन के दौरान जागरूक करने के लिए सभी मेटल ट्रान्सपोर्ट प्राइम मूवर (एमटीपीएम) में ऑडियो विजुअल अलार्म लगाए गए हैं।
- संयंत्र में किसी रखरखाव/प्रचालन गतिविधियों के दौरान कर्मचारियों एवं मशीनरी की सुरक्षा के लिए लॉक-आउट-टैग-आउट (लोटो) प्रणाली की शुरुआत।
- सभी आगंतुकों को गेट पास के साथ सुरक्षा निर्देशों से संबंधित लीफलेट एवं विशेष रंग का हेल्मेट।
- रोलिंग संयंत्र में 15 मई, 2019 को एडवांस्ड एक्शन इन इंडस्ट्री टू अबेट एक्सीडेंट (आईना) चालू की गई।
- वर्ष 2019 में 2,740 कर्मचारियों, 3,173 ठेका कामगारों एवं 549 सीआईएसएफ कार्मिकों के लिए पीएमई का संचालन। कोई व्यवसायजनित रोग की रिपोर्ट नहीं की गई।

15.3.2 पर्यावरणः

- पॉट कमरों के गैसीय अस्थायी फ्लूओराइड निस्सरण पर निगरानी रखने हेतु दो पॉट कमरों (जी एवं एच) में “ऑनलाइन अनवरत लेजर आधारित निगरानी प्रणाली” स्थापित की गई है।
- स्थापना से पहली बार रि-प्रोसेसर को प्राधिकृत करने के लिए 2,850 मे.टन संकटजनक अपशिष्ट एल्यूमिनियम ड्रॉस का निपटान किया गया है।
- मेसर्स एसाव्यासा द्वारा पेटेन्टयुक्त एमिरॉन नैनो टेक्नोलॉजी जो विश्व में इस प्रकार का सर्वप्रथम है, का इस्तेमाल करते हुए डि-फ्लूयोराइडेशन उपचार के माध्यम से 2,30,000 मी^{3} निस्सारी जल का पुनर्चक्रण किया गया है, इस टेक्नोलॉजी में रसायन का उपयोग नहीं होता है एवं लगभग शून्य अस्वीकृतियाँ एवं पंक उत्पादित होते हैं।
- प्रद्रावक एवं विद्युत टाउनशिप में एसटीपी जल पुनर्चक्रण परियोजना टाउनशिप के पार्क में पम्प के संस्थापन एवं निर्दिष्ट पाइपलाइन नेटवर्क बिछाते हुए पूरा कर लिया गया है।
- सतह के बहाव द्वारा भूमि संदूषण को रोकने के लिए संकटजनक अपशिष्ट संचयन क्षेत्र में गारलैण्डिंग ड्रेन के साथ सुदृढ़ सम्प एवं पम्प हाउस पूरी कर ली गई है।
- जैवनिम्नीकरण एवं अजैवनिम्नीकरण घरेलू अपशिष्ट के पृथक्कीकरण के लिए म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में शेड का निर्माण किया गया है।
- संकटजनक अपशिष्ट एसपीएल के संचयन के लिए 7वाँ निर्माण शेड पूरा कर लिया गया है एवं एल्यूमिनियम तलछट के संचयन हेतु स्क्रैप एवं सेल्वेज क्षेत्र में एक शेड का निर्माण किया गया है।
- वर्ष के दौरान लगभग 5,011 पौधे लगाए गए।

15.4 ग्रहीत विद्युत संयंत्रः

15.4.1 सुरक्षा एवं व्यावसायिक स्वास्थ्यः

- ग्र.वि.सं. ने 22.11.2019 को 10वें ओड़िशा राज्य सुरक्षा सम्मेलन-2019 में रजत ट्रॉफी (कलिंगा सुरक्षा पुरस्कार-2018) हासिल किया।
- सुरक्षा सुधार के लिए फैक्टरीज़ एवं बायलर्स निदेशालय, ओड़िशा द्वारा जारी दस सूत्री कार्य योजना ग्र.वि.सं. में कार्यान्वित की गई।
- सभी क्षेत्रों में ग्र.वि.सं. में सुरक्षा मोबाइल एप का कार्यान्वयन किया गया है। जल्द अनुपालन हेतु इस एप के माध्यम से असुरक्षित कार्यों/परिस्थितियों के संबंध में जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
- कार्यस्थल की सुरक्षा को बढ़ाने एवं असुरक्षित कार्यों/परिस्थितियों की रोकथाम के लिए ग्र.वि.सं. में लगभग चूक रिपोर्टिंग पुरस्कार योजना का कार्यान्वयन किया गया है।
- वर्ष 2019 में 1,027 कर्मचारियों एवं 2,406 ठेका कामगारों के लिए पीएमई किया गया।

15.4.2 पर्यावरणः

- इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रिसिपिटेटर (ईएसपी) मानदंडों की सर्वाधिक उपयुक्तता एवं अमोनिया की नियमित खुराक द्वारा अनुमन्य सीमा के अंदर ढेर निस्सरण का अनुरक्षण किया गया है।
- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा निर्धारित अनुसार एकक-1 से 10 में सीईएमएस से गैसीय निस्सरण के लिए सुदूर अंशाकन सुविधा।
- एक नियमित वार्षिक अनुरक्षण ठेका (एएमसी) प्रदान करते हुए डेटा लॉगर सुविधा के साथ सीपीसीबी एवं एसपीसीबी के सर्वर में ऑनलाइन निगरानी आंकड़ों का हस्तक्षेप रहित वास्तविक समय में पारेषण।
- औद्योगिक निस्सारी, राख तालाब परिवाह जल एवं मल जल उपचार संयंत्र (एसटीपी) उपचारित जल के संबंध में शून्य प्रक्षेपण हासिल की गई है।
- वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, 44,03,686 घनमीटर औद्योगिक जल का शोधन के बाद पुनर्चक्रण किया गया है एवं राख संचालन प्रणाली में प्रयोग किया गया है। तीन औद्योगिक नाली जल पुनर्चक्रण पम्पों की क्षमता को 400 मी^{3}/घं. से 500 मी^{3}/घं. बढ़ाया गया है ताकि मनसून अवधि को छोड़कर शून्य तरल प्रक्षेपण हासिल हो सके।
- वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, 1,81,72,660 मी^{3} राख तालाब परिवाह जल का पुनर्चक्रण किया गया एवं दोबारा प्रयोग किया गया।
- वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, 24,32,944 मी^{3} बारिश जल का वर्षा जल दोहन प्रणाली के जरिए संचय किया गया।
- मुख्य कैंटीन में जैविक अपशिष्ट रूपान्तरक (खाद्य अपशिष्ट कूड़ा खाद वाली मशीन) स्थापित किया गया एवं अपशिष्ट खाद्य को बागवानी में काम लाने के लिए कूड़ा-खाद में बदला जा रहा है।
- वर्ष 2019-20 के दौरान, लक्ष्य के अनुसार वृक्षारोपण किया गया है एवं संयंत्र परिसर के आसपास लगभग 5,000 वृक्ष लगाए गए। अभी तक, ग्र.वि.सं. ने अपनी स्थापना से लगभग 12.16 लाख पौद्यों को लगाया है जो ग्र.वि.सं. के कुल क्षेत्र का लगभग 35.17% है।
- आपकी कंपनी के ग्रहीत विद्युत संयंत्र ने जयदेव भवन, भुवनेश्वर में 14 दिसंबर, 2019 को आयोजित राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के राज्य स्तर के समारोह में ग्र.वि.सं. - 100 मे.वा. से अधिक की श्रेणी में ऊर्जा संरक्षण के लिए ओड़िशा राज्य सर्वोत्तम निष्पादन पुरस्कार 2019 (सर्वोच्च पुरस्कार) जीता।
- आपकी कंपनी के प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल ने वर्ष 2018-19 में 4.7199 टो/टन के लक्ष्य की तुलना में 5.0423 टो/टन से 4.03 टो/टन तक विशिष्ट ऊर्जा खपत (एसईसी) में ह्रास के साथ पीएटी चक्र-II (2016-17 से 2018-19) लक्ष्य को हासिल किया है।

16.0 2019-20 के दौरान नर्सरी गतिविधियाँः

आपकी कम्पनी कुल पाँच नर्सरी संचालित कर रही है जिसमें प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल में तीन एवं खान और परिशोधन संकुल में दो हैं जिसमें खान में एक ऊँचाई पर स्थित नर्सरी है। ये नर्सरियाँ वनीकरण, सजावटी उपयोग, फलदार मौसमी विविध पौधों और गमलों में उगाए पौधों के लिए विविध प्रकार के नवांकुर उगाती हैं, जो वृक्षारोपण की आंतरिक जरूरत को पूरा करने के लिए आंशिक योगदान भी कर रही है। खान की नर्सरी 3 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई है एवं एक बार में 2,00,000 पोधों को उगाने की क्षमता है। खान की नर्सरी में उगे पौधों का इस्तेमाल करते हुए वर्ष के दौरान खान की नर्सरी में 1,00,274 पौधों को लगाया गया। विभिन्न क्षेत्रों में, वृक्षारोपण के लिए पौधों को उगाने के अलावा, विभिन्न नस्लों की वृद्धि का आकलन करने के लिए नर्सरी में हर साल प्रायोगिक वृक्षारोपण किया जाता है। परिधीय क्षेत्रों में गाँववासियों में फलदार पौधों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है ताकि क्षेत्र की हरियाली को बेहतर बनाया जा सके। प्राकृतिक स्थलाकृति के संरक्षण के लिए उत्खनित क्षेत्रों में भराई करके महत्वपूर्ण वनीकरण गतिविधियों के साथ खान में स्थित नर्सरी महत्त्वपूर्ण योगदान करती है। इस वर्ष के दौरान 15.1 हेक्टअर पुनरुद्धार क्षेत्र का वृक्षारोपण से पुनर्वास किया गया।

17.0 सतर्कता से संबंधित विवरणः

कंपनी के उद्देश्यों, प्रायोजनाओं, दृष्टिकोण, प्रत्याशाओं, अनुमानों एवं अन्य से संबंधित प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट में किए गए कतिपय विवरण प्रयोज्य नियमों एवं विनियमों के दायरे में "अग्रदर्शी विवरण" हो सकते हैं। ऐसी प्रत्याशाओं, चाहे व्यक्त हो या अंतर्निहित, से वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं। कंपनी के प्रचालनों में कई कारक महत्वपूर्ण अन्तर ला सकते हैं। इनमें मांग और आपूर्ति को प्रभावित करनेवाली जलवायु एवं आर्थिक स्थितियाँ, सरकारी विनियम एवं कराधान, प्राकृतिक आपदाएँ शामिल हैं, जिन पर कंपनी का कोई सीधा नियंत्रण नहीं है।

***

अनुलग्नक-III

2019-20 के लिए व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट

अनुभाग क: कंपनी के बारे में साधारण सूचना

क्रम सं.	विवरण	कंपनी सूचना
1	कंपनी का कॉर्पोरेट आईडेंटिटी नम्बर (सीआईएन)	L27203OR1981GOI000920
2	कंपनी का नाम	नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
3	पंजीकृत कार्यालय	नालको भवन प्लॉट नं. पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर - 751013, ओड़िशा, भारत
4	वेबसाइट	www.nalcoindia.com
5	ई-मेल आईडी	investorservice@nalcoindia.co.in
6	रिपोर्ट का वित्तीय वर्ष	वित्तवर्ष 2019-20
7	क्षेत्र जिनमें कंपनी संलग्न है (कोड-वार औद्योगिक गतिविधि)	बॉक्साइट खान : औद्योगिक समूह कोड 07292 एल्यूमिना परिशोधक : औद्योगिक समूह कोड 20119 एल्यूमिनियम प्रद्रावक : औद्योगिक समूह कोड 24202 विद्युत सृजन : औद्योगिक समूह कोड 35102
8	कंपनी द्वारा निर्मित/प्रदत्त तीन प्रमुख उत्पाद/सेवाओं की सूची	**1. एल्यूमिना** निस्तप्त एल्यूमिना एल्यूमिना हाईड्रेट विशेष एल्यूमिना एवं हाईड्रेट **2. एल्यूमिनियम** मानक पिण्ड शिलिका पिण्ड टी-पिण्ड तार-छड़े बिलेट समतल वेल्लित उत्पाद (कुंडलियाँ, चद्दरें एवं चारखानेदार चद्दर) **3. विद्युत**
9	क) अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या	शून्य
	ख) राष्ट्रीय स्थानों की संख्या	**क) पंजीकृत एवं निगम कार्यालय , भुवनेश्वर – 751013, ओड़िशा** **ख) खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी-763008, ओड़िशा** **ग) प्रद्रावक संयंत्र, नालको नगर-759145, अनुगुल, ओड़िशा** **घ) ग्रहीत विद्युत संयंत्र, अनुगुल-759122, ओड़िशा** **ङ) पवन विद्युत संयंत्र** i) पवन विद्युत संयंत्र-I : गंडीकोट्टा, आन्ध्र प्रदेश ii) पवन विद्युत संयंत्र-II : लुडर्वा, राजस्थान iii) पवन विद्युत संयंत्र-III : देवीकोट, राजस्थान iv) पवन विद्युत संयंत्र-IV : जाथ, महाराष्ट्र

क्रम सं.	विवरण	कंपनी सूचना
9	ख) राष्ट्रीय स्थानों की संख्या	च) बन्दरगाह कार्यालयों की संख्या : 03 (विशाखापत्तनम्, कोलकाता, पारादीप) छ) क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या: 04 (नई दिल्ली, मुम्बई, चेन्नै, कोलकाता) ज) शाखा कार्यालय : 01 (बेंगलूरु) झ) स्टॉकयार्डों की संख्या: 08 (जयपुर, बद्दी, कोलकाता, चेन्नै, विशाखापत्तनम्, भिवण्डी, वड़ोदरा, दिल्ली)
10	कम्पनी के द्वारा सेवारत बाजार	वित्तवर्ष 2019-20 के दौरान, कम्पनी के द्वारा सेवारत निम्नलिखित एल्यूमिनियम बाजार हैं (भारत के अतिरिक्त) : मलेशिया एवं सिंगापुर। कंपनी की निजी जरूरत से अधिक उत्पादित निस्तप्त एल्यूमिना का निर्यात किया जाता है। वित्तवर्ष 2019-20 के दौरान, कम्पनी के द्वारा सेवारत निम्नलिखित एल्यूमिना बाजार थे (भारत के अतिरिक्त) : चीन, मिश्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इण्डोनेशिया, मलेशिया।

अनुभाग ख : कंपनी का वित्तीय विवरण

क्रम सं.	विवरण	कंपनी सूचना
1	31.03.2020 को प्रदत्त पूँजी	932.81 करोड़ भारतीय रुपये
2	कुल कारोबार	सकल कारोबार : **8,425.75** करोड़ भारतीय रुपये
3	कुल कर पश्चात लाभ	**138.23** करोड़ भारतीय रुपये
4	निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (नि.सा.उ.) पर कुल खर्च क) भारतीय रुपये में : ख) तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान औसत शुद्ध लाभ के प्रतिशत के रूप में (%):	क) **3971.35 लाख भारतीय रुपये** की राशि वर्ष के दौरान निगम सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर खर्च की गई। ख) ऊपर सूचित निगम सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर **वास्तविक खर्च** पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2016-17; 2017-18 एवं 2018-19 के **औसत शुद्ध लाभ का 2.071%** हुआ है।
5	उन गतिविधियों की सूची जिनमें उपर्युक्त नि.सा.उ. पर खर्च किया गया है	i) **स्वास्थ्य पहुँच कार्यक्रमः** चल चिकित्सा यूनिट नैदानिक एवं सूचना, शिक्षा, संचार (आईईसी) गतिविधियों एवं प्रद्रावक और विद्युत संकुल में ओपीडी सेंटर के माध्यम से जागरूकता फैलाना। ii) **स्वच्छता कार्यक्रमः** (क) एसवीए के अधीन शौचालयों का निर्माण, ओडीएफ प्रयास के अधीन घरेलू शौचालयों का निर्माण, स्कूल शौचालय, स्वच्छ विद्यालय अभियान के अधीन निर्मित शौचालयों में पानी आपूर्ति का प्रावधान। (ख) स्वच्छ प्रतिष्ठित शहर परियोजना - पुरी। iii) **पेय जल कार्यक्रमः** संयंत्र के परिधीय गाँवों एवं पुरी में रथयात्रा के दौरान सुरक्षित पेय जल प्रदान करना। iv) **शिक्षा को प्रोत्साहनः** क) ख्यातिप्राप्त आवासीय स्कूलों में कोरापुट जिले के आदिवासी बच्चों की औपचारिक शिक्षा को सहयोग देना। ख) भारत सरकार की "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" अभियान के अनुसरण में "नालको की लाडली" के अधीन उनकी शिक्षा के लिए गरीब एवं प्रतिभावान कन्या छात्राओं को सहयोग देना। ग) सरस्वती विद्या मंदिर अनुगुल एवं दामनजोड़ी में परिधीय क्षेत्र के छात्रों को उच्च गुणवत्ता शिक्षा।

क्रम सं.	विवरण	कंपनी सूचना
5	उन गतिविधियों की सूची जिनमें उपर्युक्त नि.सा.उ. पर खर्च किया गया है	v) बेरोजगार युवाओं को रोजगार वर्धक प्रशिक्षण प्रदान करना। vi) एसएचजी के सुदृढ़ीकरण द्वारा महिला सशक्तीकरण एवं वैकल्पिक आजीविका स्रोत। vii) वृक्षारोपण एवं सौर उपकरणों के माध्यम से पर्यावरणीय संधारणीयता, पारिस्थितिकी संतुलन सुनिश्चित करना। viii) राष्ट्रीय धरोहर और संस्कृति के परिरक्षण के प्रति अंशदान और पारंपरिक कला एवं हस्तशिल्प का विकास। ix) ग्रामीण खेलकूद को प्रोत्साहन। x) परिधीय गाँवों एवं अन्य क्षेत्रों में ग्रामीण विकास गतिविधियाँ xi) आपदा प्रबंधनः फणी चक्रवात के बाद राहत एवं पुनर्बहाली कार्य।

अनुभाग ग - अन्य विवरण

1. क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियाँ हैं? नहीं।

2. क्या सहायक कंपनी/कंपनियाँ मूल कंपनी के व्यवसाय दायित्व (बीआर) प्रयासों में हिस्सा लेती हैं? यदि हाँ, तो ऐसी सहायक कंपनियों की संख्या का उल्लेख करें।

   लागू नहीं।

3. क्या अन्य प्रतिष्ठान/प्रतिष्ठानों (यथा- आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जिसके साथ कंपनी व्यवसाय करती है, कंपनी के व्यवसाय दायित्व (बीआर) प्रयासों में हिस्सा लेती हैं? यदि हाँ, तो ऐसे प्रतिष्ठान/प्रतिष्ठानों का प्रतिशत बताएँ? [30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक]

   कोई अन्य प्रतिष्ठान अर्थात आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार आदि बीआर प्रयासों के वित्तपोषण में शामिल नहीं हैं। व्यवसाय दायित्व (बीआर) के सभी प्रयास संगठन द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित किए जाते हैं।

अनुभाग घ - व्यवसाय उत्तरदायित्व (बीआर)सूचना

1. बीआर के लिए निदेशक/निदेशकों के दायित्व का विवरणः

क) बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए निदेशक/निदेशकों के दायित्व का विवरण

क्रम. सं.	विवरण	ब्यौरा
1	डीआईएन संख्या	06965313
2	नाम	श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम्
3	पदनाम	निदेशक (उत्पादन) एवं निदेशक (वित्त) - अतिरिक्त प्रभार

ख) बीआर प्रमुख का विवरण

क्रम. सं.	विवरण	ब्यौरा
1	डीआईएन संख्या	06965313
2	नाम	श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम्
3	पदनाम	निदेशक (उत्पादन) एवं निदेशक (वित्त) - अतिरिक्त प्रभार
4	दूरभाष संख्या	0674-2300660
5	ई-मेल आईडी	dirprod@nalcoindia.co.in

2. सिद्धान्त वार (राष्ट्रीय स्वैच्छिक मार्गनिर्देशों के अनुसार) बी.आर. नीति/ नीतियाँ

नौ सिद्धान्त हैं, जो नीचे दिए गए हैं:

सिद्धान्त 1(पी1) : व्यवसाय का संचालन और अभिशासन नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किया जाना चाहिए।

सिद्धान्त 2(पी2) : व्यवसाय वे वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करे, जो सुरक्षित हों और अपने जीवनचक्र में संधारणीयता में योगदान दें।

सिद्धान्त 3(पी3) : व्यवसाय से सभी कर्मचारियों का कल्याण प्रोन्नत होना चाहिए।
सिद्धान्त 4(पी4) : व्यवसाय सभी हितधारकों विशेषकर सुविधा रहित, संवेदनशील एवं कमजोर वर्गों के लिए हितकारी हो।
सिद्धान्त 5(पी5) : व्यवसाय मानवाधिकारों का सम्मान और प्रोत्साहन करे।
सिद्धान्त 6(पी6) : व्यवसाय पर्यावरण का सम्मान व रक्षा करे एवं उसे बनाए रखने का प्रयास करे।
सिद्धान्त 7(पी7) : सार्वजनिक एवं नियामक नीति को प्रभावित करने वाले व्यवसाय, दायित्वपूर्ण रूप में किये जाएं।
सिद्धान्त 8(पी8) : व्यवसाय समावेशी वृद्धि एवं समान विकास का पक्षधर हो।
सिद्धान्त 9(पी9) : व्यवसाय अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं से जुड़ा रहे एवं दायित्वशील रूप से मूल्यपरक लाभ प्रदान करे।

क) अनुपालन का विवरण (हाँ/ना में)

उपर्युक्त 9 राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश (एनवीजी) सिद्धान्त (पी1 से पी9) के संबंध में प्रत्युत्तर निम्नानुसार है :

क्रम सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी 3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	क्या 9 एन.वी.जी. सिद्धान्तों के लिए आपके पास कोई नीति/नीतियाँ हैं?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2.	क्या यह नीति संबंधित हितधारकों के साथ विचार-विमर्श से बनाई गई है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3.	क्या यह नीति किसी राष्ट्रीय /अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4.	क्या यह नीति निदेशक-मंडल द्वारा अनुमोदित है? *	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	यदि हाँ, तो क्या इस पर प्रबंध-निदेशक/मालिक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/उपयुक्त निदेशक-मंडल के निदेशक के हस्ताक्षर हैं?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
5.	क्या कम्पनी के पास निदेशक-मंडल/ निदेशक/ अधिकारी की निर्दिष्ट समिति है, जो इस नीति के कार्यान्वयन की देखरेख करती है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
6.	इस नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक क्या है? **	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
7.	क्या सभी प्रासंगिक आन्तरिक और बाहरी हितधारकों को इस नीति का औपचारिक रूप से संप्रेषण किया गया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
8.	क्या कंपनी में इस नीति/ नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कोई आन्तरिक तंत्र है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
9.	क्या कंपनी में इस नीति/ नीतियों से संबंधित हितधारकों की शिकायतों के निवारण हेतु कोई शिकायत निवारण मशीनरी है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
10.	क्या कंपनी ने किसी आन्तरिक या बाहरी एजेन्सी द्वारा इस नीति के कार्य-संचालन का स्वतन्त्र *लेखापरीक्षा/मूल्यांकन करवाया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

* संधारणीय विकास (एस.डी.) नीति सभी नौ एन.वी.जी. सिद्धान्तों के सार को धारण करती है। **यह एस.डी. नीति निदेशक-मंडल द्वारा अनुमोदित और अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध-निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है** और अंतर्राष्ट्रीय मानकों अर्थात् **आई.एस.ओ. 9001, आई.एस.ओ. 14001, आई.एस.ओ. 50001, ओ.एच.एस.ए.एस. 18001 एवं एस.ए. 8000 मानक की संपुष्टि करते हुए प्रचालन प्रबंधन प्रणालियों द्वारा इनका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाता है।** संबंधित प्रबंधन प्रणाली के बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा **एसए-8000, ईएमएस, ईएनएमएस, ओएचएसएएस एवं क्यूएमएस की आवधिक लेखा परीक्षा एवं पुनः प्रमाणन के दौरान संधारणीयता से जुड़े सामाजिक, पर्यावरणीय, ऊर्जा, व्यवसायजनित स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं गुणवत्ता और ग्राहक से संबंधित मसलों की लेखा परीक्षा की गई।** नालको आचार संहिता के अभिप्राय एवं आशय के अलावा, **परिकल्पना, मिशन एवं प्रमुख मूल्यपरक मान,** सभी प्रयोज्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियम एवं अंतर्राष्ट्रीय समझौते के महत्वपूर्ण समाधान नालको द्वारा कार्यान्वित विभिन्न नीतियों में निहीत हैं। इसके अलावा विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए नालको द्वारा अंगीकृत नीतियाँ यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट, जीआरआई दिशानिर्देश एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों जैसे कि आईएसओ 14001, ओ.एच.एस.ए.एस. 18001 एवं एस.ए. 8000 के उद्देश्य एवं आशय को प्रकट करती है।

** एस.डी. नीति की लिंक : https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018/12/SD_Policy.pdf

कुछ अन्य विशिष्ट नीतियों, कंपनी की नियमावलियों और दस्तावेज हैं जो नौ एन.वी.जी. सिद्धान्तों के सार और भाव को सुदृढ़ करते हैं। इनका उल्लेख नीचे किया जा रहा है :

एनवीजी सिद्धान्त	नीतियाँ, नियमावली, दस्तावेज
सिद्धान्त 1 : नैतिकता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व	1. निदेशक-मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यवसाय अचार संहिता एवं नैतिकता : 2. धोखाधड़ी रोकथाम नीतिः https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018/12Nalcofraudpreventionpolicy.pdf 3. सचेतक नीति : https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018/12/Whistleblowerpolicy_nalco.pdf 4. अधिकार का प्रत्यायोजन 5. सतर्कता नियमावली 6. विपणन मार्गनिर्देशिका 7. क्रय नियमावली 8. संविदा नियमावलीः https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/01/CONTRACT-MANUAL-2013-updated-till-15-03-2019.pdf 9. भंडार नियमावली 10. सत्यनिष्ठा समझौताः https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018/12/Integrity-Pact-Program.pdf
सिद्धान्त 2 : उत्पाद के जीवन चक्र में संधारणीयता	व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नीति : https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018/12/OHS_Policy.pdf
सिद्धान्त 3 : कर्मचारी कल्याण	मानव संसाधन नियमावली सामाजिक उत्तरदायित्व नीति https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018/12/SA_POLICY_Approved.pdf
सिद्धान्त 4 : हितधारकों का हित	गुणवत्ता नीतिः https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018/12/QualityPolicty.pdf बुनियादी मूल्य “BEST” http://www.nalcoindia.com **(होम पेज)**
सिद्धान्त 5 : मानवाधिकारों को प्रोत्साहन	सामाजिक उत्तरदायित्व नीतिः https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018/12/SA_POLICY_Approved.pdf
सिद्धान्त 6 : पर्यावरणीय संरक्षण	पर्यावरण नीति : https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018/12/EnvironmentPolicy.pdf
सिद्धान्त 7 : दायित्वशील सार्वजनिक नीति की वकालत	बुनियादी मूल्य “BEST” http://www.nalcoindia.com **(होम पेज)**
सिद्धान्त 8 : समावेशी विकास	नि.सा.उ. नीति https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/01/CSR-Policy-2019.pdf
सिद्धान्त 9 : ग्राहक मूल्य	गुणवत्ता नीतिः https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018/12/QualityPolicty.pdf

(ख) **क्रम सं. 1 के अन्तर्गत 2(क) में किसी सिद्धांत का उत्तर "नहीं" है, तो कृपया कारण स्पष्ट करें : (2 विकल्पों तक टिक लगाएँ)**

क्रम. सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	कंपनी ने सिद्धान्तों को नहीं समझा है									
2.	कंपनी अभी इस स्थिति में नहीं है कि यह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियों का निर्माण एवं कार्यान्वयन कर सके									
3.	कंपनी में इस कार्य के लिए वित्तीय या मानव संसाधन उपलब्ध नहीं हैं					लागू नहीं				
4.	आगामी 6 महीने के अन्दर इसे कर लेने की योजना है									
5.	आगामी 1 वर्ष के अन्दर इसे कर लेने की योजना है									
6.	कोई अन्य कारण (कृपया उल्लेख करें)									

चूंकि सभी नौ एन.वी.जी. सिद्धांतों के लिए उपर्युक्त क्रम सं. 1 के 2(क) में दिए गए प्रश्नों का उत्तर हाँ है, अतः 2(ख) के प्रश्न लागू नहीं हैं।

3. **व्यवसाय दायित्व से संबंधित अभिशासन (बीआर):**

3.1 कंपनी के बी.आर. कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के लिए, निदेशक मंडल, निदेशक मंडल की समिति या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के साथ बैठक कितनी बार की जाती है। 3 महीने के अन्दर, 3-6 महीने में, वार्षिक, 1 वर्ष से अधिक।

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, बी.आर. निष्पादन अर्थात् संगठन में नि.सा.उ. एवं संधारणीय विकास गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए निदेशक-मण्डल की नि.सा.उ. एवं संधारणीय विकास समिति की पाँच बैठकें 10.04.2019, 30.05.2019, 19.07.2019, 17.09.2019 एवं 13.11.2019 को हुई। 2018-19 की बी.आर. रिपोर्ट के मसौदा की समीक्षा, 19.07.2019 की बैठक में हुई एवं निदेशक मण्डल के अनुमोदन के लिए प्रस्तावित किया गया।

3.2 क्या यह कंपनी बी.आर. या संधारणीयता रिपोर्ट प्रकाशित करती है ? इस रिपोर्ट के अवलोकन के लिए हाईपरलिंक क्या है? यह कितनी बार प्रकाशित होती है?

हाँ, व्यवसाय उत्तरदायित्व (बी.आर) रिपोर्ट और संधारणीय विकास रिपोर्ट दोनों वार्षिक रूप से तैयार की जाती हैं एवं वेबसाइट पर उपलब्ध है।

व्यवसाय दायित्व (बी.आर.) रिपोर्ट जो सेबी की अर्हताओं के अनुसार अधिदेशात्मक है, राष्ट्रीय स्वैच्छिक मार्गनिर्देशों के आधार पर प्रस्तुत है और वार्षिक आधार पर वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में प्रकाशित होती है। 2018-19 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की वेबलिंक है :

https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/08/Annual-Report_38th-AGM.pdf

2011-12 से एक संधारणीय विकास (एस.डी) रिपोर्ट भी जीआरआई मार्गनिर्देशों के आधार पर तैयार की जाती है एवं वे नालको वेबसाइट पर संधारणीयता टेमप्लेट के अधीन उपलब्ध करायी गई है। एसडी रिपोर्ट 2018-19 के लिए वेबलिंक है :

https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2020/07/sustainable-development-report2018-2019.pdf

अनुभाग ङः सिद्धान्त-वार कार्य-निष्पादन

सिद्धान्त 1 : व्यवसाय का संचालन और अभिशासन नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किया जाना चाहिए।

1.1 **क्या नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार संबंधी नीति केवल कंपनी को शामिल करती है ?**

जी नहीं।

क्या वह समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर सरकारी संगठनों/अन्यों के प्रति भी विस्तारित है ?

जी हाँ, हमारे प्रत्येक कार्य एवं उद्यम में नैतिकता एवं पारदर्शिता लाने के लिए हमने हमारे व्यवसाय साझेदारों, कर्मचारियों, सेवा प्रदाताओं एवं शुभचिंतकों को शामिल किया है। क्रय एवं ठेका में निष्पक्ष सौदे के लिए हमने क्रय मैनुअल एवं संविदागत मैनुअल बनाया है जो ऐसे घटनाक्रमों से निपटने के लिए अधिकारियों एवं आपूर्तिकर्ताओं या ठेकेदारों के लिए मानक दिशानिर्देश प्रदान करते हैं। "धोखा रोकथाम नीति", "सचेतक नीति", संधारणीय विकास नीति एवं प्रमुख मूल्य सत्यनिष्ठा, नैतिक अभ्यासों एवं पारदर्शिता के प्रति हमारी जिम्मेदारी को दर्शाते है। बोर्ड के सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यवसाय आचार संहिता एवं नैतिकता "अनधिकृत व्यापार को रोकने के लिए आचार संहिता", सभी कार्यपालकों पर लागू सीडीए नियम, सभी अन्य कर्मचारियों पर लागू प्रमाणित स्थायी आदेश के साथ इस पद्धति को और सुदृढ़ किया जाता है। किसी भी व्यवसाय लेनदेन में धोखा, घूसखोरी, तुष्टीकरण आदि के रूप में कोई दुर्भाग्यपूर्ण आचरण के विरुद्ध हमारी सतर्कता मैनुअल, सीवीसी दिशानिर्देश, सेबी अनुदेश, आचार संहिता एवं अन्य लागू दिशानिर्देशों के अनुसार कदम उठाए जाते हैं।

पारदर्शिता अभियान को आगे सहारा देने के लिए, ₹ 50 लाख और ऊपर के सभी ठेके के लिए इंटिग्रिटी पैक्ट (सत्यनिष्ठा समझौता) का भी कार्यान्वयन किया गया है। भारत सरकार की सार्वजनिक सूचना प्रकटन एवं सूचित करनेवाले के परिरक्षण (पीआईडीपीआई) योजना के अधीन किसी बाहरी शिकायतकर्ता को भी परिरक्षण दिया जाता है।

1.2 **विगत वित्तीय वर्ष में हितधारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं कितने प्रतिशत का प्रबंधन द्वारा संतोषजनक समाधान किया गया?**

i) वर्ष के दौरान 16 सतर्कता संबंधी **हितधारक शिकायतें** प्राप्त हुई थीं, जबकि पिछले वर्ष से 9 शिकायतें जाँच के विभिन्न चरणों में लम्बित थीं। इन 25 शिकायतों में से 20 शिकायतें उनके तार्किक आधार पर निर्णीत की गई एवं आवश्यक कार्यवाहियों के साथ बंद कर दी गई थीं जबकि 5 शिकायतें जाँच के विभिन्न चरणों में हैं। अवलोकित अनियमितता एवं उल्लंघन के आधार पर योग्य मामलों पर नालको सतर्कता मैनुअल एवं सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार उचित कार्यवाही की गई है।

ii) **निवेशक की शिकायतें**

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कुल 1,388 संख्यक **शिकायतें** प्राप्त हुईं और सभी का संतोषजनक समाधान किया गया। निवेशक से संबंधित शिकायतों का विस्तृत विभाजन नीचे दिया गया है :

विवरण	पिछले वर्ष से लंबित है	वर्ष के दौरान प्राप्त	समाधान की गई शिकायतें	लंबित शिकायतें
स्कोर्स-सेबी	शून्य	10	10	शून्य
स्टॉक एक्सचेंज	शून्य	0	0	शून्य
व्यक्ति विशेष	शून्य	1,378	1,378	शून्य
कुलः	शून्य	1,388	1,388	शून्य

iii) 2019-20 के दौरान, **बाल मजदूरी/जबरन मजदूरी/अस्वैच्छिक मजदूरी, भेदमूलक नियोजन से संबंधित कोई शिकायत** प्राप्त नहीं हुई है एवं 31.03.2020 को यथा, उपर्युक्त के संबंध में कोई शिकायत लंबित नहीं है। वर्ष 2019-20 के दौरान यौन उत्पीड़न की एक शिकायत प्राप्त हुई एवं वर्ष के दौरान समाधान किया गया।

सिद्धांत 2: व्यवसाय वे वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करे, जो सुरक्षित हो और अपने जीवनचक्र में संधारणीयता में योगदान दे।

2.1 आपकी 3 वस्तुओं या सेवाओं की सूची दें, जिनकी डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताओं, जोखिमों और/या अवसरों को सम्मिलित किया गया है।

ये तीन प्रमुख उत्पाद हैं : **निस्तप्त एल्यूमिना, एल्यूमिनियम, विद्युत।**

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के माध्यम से हमारे प्रचालनों के पर्यावरणीय प्रभाव की जाँच की जाती है एवं यथोचित पर्यावरणीय प्रबंधन योजना द्वारा निवारण किया जाता है। नालको का खनन प्रचालन अनुमोदित खान योजना के अनुसार है एवं वृक्षारोपण पहल के जरिए उचित खान बंदी योजनाओं के पालन द्वारा उत्खनित क्षेत्र की मौलिक अवस्था को पुनर्बहाल किया जाता है। स्थिति प्रभाव अध्ययन, आपदा पहचान एवं जोखिम आकलन और आपातकाल प्रबंधन योजनाएँ भी पर्यावरणीय एवं सामाजिक चिंताओं, जोखिमों और अवसरों की पहचान में मददगार है।

हमारे उत्पादों से संबंधित पर्यावरणीय चिंताओं, जोखिमों, अवसरों को नीचे तालिका - क में तदनुसार निर्दिष्ट किया गया है :

तालिका - क

एकक	उत्पाद	पर्यावरणीय चिंताएं	जोखिम	अवसर/न्यूनीकरण उपाय
एल्यूमिना परिशोधक	**निस्तप्त एल्यूमिना**	क. वायु प्रदूषण ख. जल प्रदूषण ग. भूमि संदूषण	**1. वायु प्रदूषण** i) चिमनी से बहिःस्राव ii) निस्तप्त एल्यूमिना, बॉक्साइट, कोयला एवं राख संचालन क्षेत्र में धूल	**1. वायु प्रदूषण:** i) बॉयलर के फ्लू गैस से विविक्त वस्तुओं के संग्रह के लिए बॉयलर में इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स (ईएसपी) प्रदान किए गए। • निस्तप्तीकरण प्रक्रिया में सृजित एल्यूमिना धूल के संचय हेतु निस्तप्तक में ईएसपी प्रदान किया गया है। ii) धूल के बहिःस्राव को रोकने के लिए एल्यूमिना के लदान एवं उतराई क्षेत्र में बैग फिल्टर एवं धूल रोधी प्रणाली प्रदान किए गए हैं। • अस्थायी निस्सरण पर नियंत्रण रखने के लिए चूना गिट्टी, लाल पंक, राख, कोयला एवं बॉक्साइट संचालन क्षेत्रों में छिड़काव एवं धूल-रोधी प्रणाली प्रदान किए गए हैं।

एकक	उत्पाद	पर्यावरणीय चिंताएं	जोखिम	अवसर/न्यूनीकरण उपाय
एल्यूमिना परिशोधक	**निस्तप्त एल्यूमिना**	क. वायु प्रदूषण ख. जल प्रदूषण ग. भूमि संदूषण	**2. जल प्रदूषण** i) अपशिष्ट बहिःस्राव ii) मलजल एवं अपशिष्ट जल iii) सतह के बहाव जल	**जल प्रदूषणः** i) शोधन सुविधाओं से मलजल का शोधन किया जाता है। ii) राख तालाब में ऊपर बह रहे जल एवं लाल पंक तालाब में ऊपर बह रहे जल के लिए अपशिष्ट जल उपचार, पुनःचक्रण एवं पुनःप्रयोग का निष्पादन किया जाता है : • राख घोल बनाने के लिए राख तालाब से प्रत्यागमन जल के पुनःचक्रण का पुनःप्रयोग किया जाता है। • लाल पंक तालाब का प्रत्यागमन जल लाल पंक घोल बनाने एवं पंक धोने के लिए पुनःप्रयोग किया जाता है, इस प्रकार कॉस्टिक का पुनःचक्रण होता है। • मल अपशिष्ट जल मलजल शोधन संयंत्र में व्यवहार किया जाता है एवं बागवानी उद्देश्यों के लिए इसका पुनःचक्रण एवं पुनःप्रयोग किया जाता है। iii) सतह पर वाहित जल शबरी झील में संचित होता है एवं जरूरत पड़े तो आवश्यक शोधन के बाद इसका बाहर निपटान किया जाता है।
			3. भूमि संदूषण i) चूना गिट्टी ii) लाल पंक iii) राख	**भूमि संदूषण** i) ईंट या अन्य सम्बद्ध उत्पाद के निर्माण के लिए चूना गिट्टी को रिसाइक्लर में निपटाया जाता है। ii) लाल पंक से लौह सान्द्र एवं गैलियम के निष्कर्षण के लिए लाल पंक के उपयोग का अन्वेषण चल रहा है। iii) इन क्षेत्रों में उड़नशील राख के उपयोग हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहित करते हुए उड़नशील राख का उच्चतर उपयोगः उड़नशील राख की ईंटों, सीमेंट के निर्माण में, सड़क निर्माण, तटबंध बनाने, निचले क्षेत्रों को भरने आदि में उड़नशील राख का उपयोग।
प्रद्रावक	**एल्यूमिनियम**	वायु प्रदूषण जल प्रदूषण भूमि संदूषण	**1. वायु प्रदूषण:** i) पॉट प्रचालन के कारण एफटीपी/एफटीसी चिमनियों से फ्लूओराइड एवं विविक्त निस्सरण ii) एनोड प्रभाव के दौरान पीएफसी का सृजन, नीचे विस्तार में*	**वायु प्रदूषण:** i) एफटीपी एवं एफटीसी में एल्यूमिना में फ्ल्यूओराइड गैस के अवशोषण द्वारा फ्ल्यूओराइड निस्सरण पर नियंत्रण रखा जाता है। वर्ष के दौरान छत के ऊपर भाग के फ्ल्यूओराइड निस्सरण पर निगरानी रखने के लिए पॉट लाइन - 4 में ऑनलाइन, सतत लेजर आधारित पलायक निगरानी प्रणाली स्थापित किया जाता है। धूल की उत्पत्ति को कम करने के लिए कोक धूल की न्यूमैटिक स्थानांतरण प्रणाली को भी चालू किया गया। ii) प्रद्रावक संयंत्र को ए.एल.पी.एस.वाई.एस. पॉट नियंत्रण प्रणाली से समृद्ध किया गया है, जो समय पर एल्यूमिना को खुराक देते हुए एनोड के प्रभाव को कम करता है।
			2. जल प्रदूषण: i) फ्लूओराइड संदूषित सतह से बहाव का सृजन	**जल प्रदूषण:** i) निर्दिष्ट नालियों के माध्यम से तीन एचडीपीई कतारयुक्त धारक तालाबों में सतह के बहाव को एकत्रित किया जाता है। फ्लूओरिनेटेड सतह के बहाव का उपचार डीफ्लूओराइडेशन संयंत्रों में किया जाता है। (आयन विनिमय प्रौद्योगिकी एवं नवीनतम एमिरिऑन नैनो प्रौद्योगिकी पर प्रचालित)। इसके बाद उपचारित जल शीतलीकरण, बागवानी एवं अन्य संयंत्र उपयोग के लिए पुनःचक्रित होता है। संकटजनक अपशिष्ट भंडारण एवं संचालन क्षेत्र के आसपास गारलैण्डिंग नाले संदूषित सतह बहाव को एकत्रित करते हैं एवं शोधन के लिए धारित पूल में स्थानांतरित करते हैं।
			3. भूमि संदूषण: संकटजनक अपशिष्ट का सृजन जैसे कि: i) एसपीएल ii) ड्रॉस iii) शॉट ब्लास्टिंग अपशिष्ट इत्यादि	**भूमि संदूषण:** i) भूमि संदूषण की रोकथाम के लिए अभेद्य पंक्तिबद्ध इंजीनियर्ड लैण्डफिल में और साथ ही कंक्रीट युक्त शेड में एसपीएल संचित होता है। एसपीएल के कार्बन अंश को पृथक किया जाता है एवं ऊर्जा प्राप्ति में भावी उपयोग के लिए कंक्रीट युक्त फ्लोर शेड में पृथक रूप से संचय किया जाता है। अधिकृत रि-प्रोसेसर में एसपीएल का कार्बन अंश ई-नीलामी के लिए तैयार है। वर्ष 2019-20 के दौरान दो संख्यक अतिरिक्त एसपीएल स्टोरेज शेड का निर्माण किया गया ताकि निपटान से पहले इन एचडब्ल्यू को अस्थायी रूप से संचय किया जा सके।

एकक	उत्पाद	पर्यावरणीय चिंताएं	जोखिम	अवसर/न्यूनीकरण उपाय
प्रद्रावक	**एल्यूमिनियम**	वायु प्रदूषण जल प्रदूषण भूमि संदूषण	**3. भूमि संदूषण:** संकटजनक अपशिष्ट का सृजन जैसे कि: i) एसपीएल ii) ड्रॉस iii) शॉट ब्लास्टिंग अपशिष्ट इत्यादि	ii) एल्यूमिनियम ड्रॉस का पॉट में पुनःचक्रण किया जाता है। ड्रॉस के 600 मे.ट. का पारंपरिक स्टॉक जिसे पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता है, उसे अधिकृत पक्ष को ई-नीलामी की गई जिन्होंने लगभग 2900 मे.टन उठाया है। iii) सुकिन्दा, जाजपुर के आम संकटजनक अपशिष्ट लैंडफिल में शॉट ब्लास्टिंग अपशिष्ट, इंडक्शन फर्नेस स्लैग, फर्नेस की अस्वीकृत लाइनिंग आदि का निपटान किया जा रहा है।
ग्र.वि.सं.	**विद्युत**	वायु प्रदुषण जल प्रदुषण भूमि संदूषण	**1. वायु प्रदुषण** i) बॉयलर से फ्लू गैस ii) कोयला एवं राख संचालन क्षेत्र से अस्थायी धूल iii) वायुमंडल की ओर फ्लू गैस में ताप निस्सरण	**वायू प्रदूषण:** i) राख एवं अन्य विविक्त वस्तुओं के निष्कर्षण हेतु बॉयलर फ्लू गैस निस्सरण मार्ग में ई.एस.पी. प्रदान की जाती है। ii) अस्थायी धूल पर नियंत्रण के लिए कोयला एवं राख संचालन क्षेत्र में धूल निष्कर्षण एवं फुहारा प्रणाली प्रदान की जाती है। iii) एयर हीटर एवं इकोनोमाइजर के माध्यम से फ्लू गैस से ताप निकालने हेतु प्रावधान।
			2. जल प्रदुषण i) बहिःस्राव अपशिष्ट जल ii) मलजल अपशिष्ट जल iii) सतह के बहाव जल	**जल प्रदूषणः** i) औद्योगिक अपशिष्ट जल के शोधन हेतु बहिःस्राव शोधन संयंत्र का प्रावधान किया गया है। शोधित जल का प्रयोग राख घोल बनाने के लिए किया जाता है। • राख के तालाब से निस्तारित जल का राख घोल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है: ii) मल अपशिष्ट जल के शोधन हेतु मलजल शोधन संयंत्र उपलब्ध है। शोधन के पश्चात मल अपशिष्ट जल का बागवानी एवं वृक्षारोपण उद्देश्यों के लिए पुनःप्रयोग किया जाता है। iii) वर्षा जल दोहन प्रणाली एवं सतह बहाव जल अग्निशमन के लिए फायर हाइड्रेंट सिस्टम में प्रयोग किया जाता है।
			3. भूमि संदूषणः i) मिल अपशिष्ट ii) राख iii) स्क्रैप (धात्विक एवं गैर-धात्विक स्क्रैप)	**भूमि संदूषणः** i) मिल अपशिष्ट सीमांकित निचले क्षेत्रों में संचित होती हैं ताकि पुनःप्रयोग के लिए अधिकृत पक्षों को निपटान हेतु दिया जा सके। ii) राख के तालाब में घोल रूप में ईएसपी से राख एवं उड़नशील राख दोनों का निपटान किया जाता है। उत्खनित क्षेत्र के पुनरुद्धार हेतु खान के रिक्त स्थानों में पतले घोल के निपटान की परियोजना प्रगति में है। शुष्क राख को भी निचले क्षेत्र को भरने, स्टोन क्वैरी के रिक्त स्थानों को भरने में प्रयोग किया जाता है, राख ईंट निर्माण के लिए मूल्य वर्धित उत्पाद निर्माताओं को निपटाया जाता है एवं आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत एस्बेस्टस, सीमेंट आदि में प्रयोग किया जाता है। iii) स्क्रैप रिसाइक्लर्स को बेचे जाते हैं।
खान	**बॉक्साइट**	वायु प्रदुषण जल प्रदुषण ध्वनि प्रदुषण ठोस अपशिष्ट प्रदुषण भूमि निम्नीकरण	**1) वायु प्रदूषणः** i) भारी वाहनों से निस्सरण ii) बॉक्साइट खनन, संचलन, क्रशर में संदलन एवं कन्वेयर में वहन के दौरान अस्थायी धूल का निस्सरण	**1) वायु प्रदूषणः** i) वाहनों से निस्सरण को कम करने के लिए वाहनों का यथोचित चयन एवं रखरखाव। ii) 6 संख्यक 28 कि.ली. सचल फुहारे एवं ढुलाई सड़क पर स्थायी फुहारों के साथ ढुलाई सड़कों एवं भंडार संचय क्षेत्र में जल का छिड़कावः • धूल उत्पादन को कम करने के लिए एन.ओ.एन.ई.एल. प्रस्फोटक का प्रयोग करते हुए उपयुक्त ब्लास्ट डिजाइन एवं विलंबित ब्लास्टिंग। • क्रशर एवं कन्वेयर में धूल के दमन एवं संपूर्ण आच्छादित कन्वेयर में धूल के उत्पादन को रोकने के लिए, शुष्क धूम प्रणाली का कार्यान्वयन। • सभी ड्रिल मशीनों में वैक्यूम सक्शन/नम ड्रिलिंग अपनाना। • धूल कणों को रोकने के लिए वृक्षारोपण के साथ 7.5 मी. चौड़ा परिधीय घेरा।

एकक	उत्पाद	पर्यावरणीय चिंताएं	जोखिम	अवसर/न्यूनीकरण उपाय
खान	बॉक्साइट	वायु प्रदूषण जल प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण ठोस अपशिष्ट प्रदूषण भूमि निम्नीकरण	**2) जल प्रदूषणः** i) कैन्टीन, वाहन की धुलाई से निकले अपशिष्ट जल एवं शौचालयों से मलजल	**2) जल प्रदूषणः** i) गाद लदे बरसाती जल को बाहर निकलने से रोकने के लिए सक्रिय खनन क्षेत्र में चारों ओर इन-सिटु परिधीय घेरा • खनन क्षेत्रों से पंकयुक्त जल, यदि है, के छनन हेतु महत्वपूर्ण स्थानों पर रोकबाँध। • हौदी में खनन क्षेत्र में बरसात के जल का संग्रह एवं एकत्रित जल का भूमि में अन्तःस्रवण। • शौचालय से जल सेप्टिक टैंक में प्रयोग होता है एवं सोखाई गड्डों में निपटाया जाता है, कैन्टीन के अपशिष्ट जल जैविक उपचार एकक में उपचारित होता है। वाहन धुलाई क्षेत्र से धुलाई जल, तेल जल सेपरेटर में व्यवहृत होता है। कैन्टीन और वाहन धुलाई क्षेत्र से व्यवहृत जल धूल दमन एवं वृक्षारोपण के लिए संपूर्ण रूप से पुनः उपयोग किया जाता है।
			3. ध्वनि प्रदूषणः i) विस्फोट एवं भारी वाहनों के प्रचालन के दौरान ध्वनि	**3. ध्वनि प्रदूषणः** i) ध्वनि सृजन को कम करने के लिए एनओएनईएल प्रस्फोटक का प्रयोग करते हुए विलंबित विस्फोट समेत उपयुक्त ब्लास्ट डिजाइनः • ध्वनि के गमन को रोकने के लिए परिधीय वृक्षारोपण। • एचईएमएम में ध्वनि कम उत्पन्न करने वाले उपयुक्त उपकरण का चयन, ध्वनिरोधी केबिन का प्रावधान एवं कामगारों के लिए पीपीई (व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण) का प्रावधान।
			4. ठोस अपशिष्ट प्रदूषण: i) खनिज लवणों के उत्खनन से ओवरबर्डन सामग्री	**4. ठोस अपशिष्ट प्रदूषण:** i) ऊपरी मिट्टी एवं ओवरबर्डन का 100% पुनःउपयोग जो खनन किए हुए क्षेत्रों की पुनः भराई के लिए पूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है।
			5. भूमि निम्नीकरण: i) विस्फोट द्वारा एवं मशीनरी के प्रयोग से ओवरबर्डन एवं अयस्क सामग्री का उत्खनन	**5. भूमि निम्नीकरण:** i) समवर्ती खनन एवं खोदे गए क्षेत्रों की पुनः भराई । विस्तृत पौधरोपण के साथ खोदे गए क्षेत्र का पुनर्वासन, इस तरह बंजर क्षेत्र का वन में रूपांतरण।

* एनोड प्रभाव के दौरान प्रद्रावक में प्राथमिक एल्यूमिनियम लघुकरण प्रक्रिया में परफ्लोकार्बन (पी.एफ.सी) अर्थात टेट्राफ्लूरोमिथेन (सीएफ$_4$)एवं हेक्साफ्लूरोइथेन (सी$_2$एफ$_6$) निस्सरण का उत्पादन होता है। उनके प्रबल ग्रीनहाउस प्रभाव एवं लम्बे वायुमंडलीय जीवनकाल के कारण बहुत बारीकी से निगरानी रखी जाती है। सर्वाधिक उन्नत 'एएलपीएसवाईएस' पॉट नियंत्रण प्रणाली से सज्जित है जो पॉट में सही समय पर एल्यूमिना की खुराक देते हुए एनोड प्रभाव की आवृत्ति एवं अवधि को कम करने में मदद करती है। वर्ष 2019-20 के लिए, ए.पी. (एल्यूमिनियम पचिनी) ओवरवोल्टेज विधि के प्रयोग से प्रद्रावक पॉटलाइन से पीएफसी निस्सरण का आकलन किया गया है एवं उनके मूल्यमान नीचे दिए गए हैं:

पीएफसी के प्रकार	वास्तविक निस्सरण
सीएफ$_4$(केजी/टी एएल)	0.0261
सी$_2$एफ$_6$(केजी/टी एएल)	0.0032

2.2 प्रत्येक उत्पाद के लिए उत्पाद के प्रति एकक के संसाधन प्रयोग (ऊर्जा, जल, कच्ची सामग्री) के सम्बंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें (वैकल्पिक)।

i) पूरी मूल्य श्रृंखला पर पिछले वर्ष से हासिल प्राप्ति/उत्पादन/वितरण के दौरान कटौती।

निम्नलिखित **तालिका ख** में पिछले वित्त वर्ष के दौरान हासिल कटौती दर्शायी गयी है :

तालिका - ख

प्रति इकाई उत्पादन की विशिष्ट खपत	माप की इकाई	मानक	पूर्ववर्ती वर्ष (वि.व. 2018-19)	वर्तमान वर्ष (वि.व. 2019-20)
बॉक्साइट खानों में विस्फोटक की खपत	ग्राम/मे.टन	100	74.61	57.9
हाईड्रेट उत्पादन के लिए परिशोधक के एसपीपी में वाष्प उत्पन्न करने के लिए कोयला	टन/टन	0.642	0.635	0.636
एल्यूमिना परिशोधक में विद्युत ऊर्जा	कि.वा.घं./टन	316	315.51	317.18
प्रद्रावक में एल्यूमिनियम फ्लूओराइड की खपत	कि.ग्रा./मे.टन	19	16.1	16.7
प्रद्रावक में तप्त धातु के लिए शुद्ध कार्बन की खपत	कि.ग्रा./मे.टन	425 + 5	424	423
एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए एल्यूमिना	टन/टन	1920	1919	1920
प्रद्रावक में डीसी ऊर्जा खपत (एक्स स्टार्ट अप एवं वेज क्षति)	कि.वा.घं./मे. टन	13450	13370	13367
ग्र.वि.सं. में ईंधन तेल की खपत	मि.ली./कि.वा.घं.	0.80	0.87	1.23
ग्र.वि.सं. में कोयला की खपत	कि.ग्रा./कि.वा.घं.	0.815	0.792	0.806
ग्र.वि.स. में सहायक विद्युत खपत	%	11.40	11.464	11.243

ii) उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग के दौरान कटौती (ऊर्जा, जल) पिछले वर्ष से हासिल की गई है।

मूल एल्यूमिनियम धातु एवं एल्यूमिना के उत्पादक के रूप में, हम उपभोक्ताओं की तरफ से किठानाई मुक्त एवं ऊर्जा दक्ष प्रक्रियाकरण करने के लिए हमारे उत्पाद की गुणवत्ता को नियमित रूप से बनाए रखते हैं। वस्तु क्षेत्र में होने के कारण, उपभोक्ताओं की ओर से ऊर्जा एवं जल के प्रयोग की निगरानी संभव नहीं है। तथापि, यातायात क्षेत्र में एल्यूमिनियम के बढ़ते उपयोग ने ईंधन/ऊर्जा खपत में कटौती का अच्छा अवसर प्रदान किया है। पुनर्चक्रण योग्य होने के कारण एवं एल्यूमिनियम धातु का उत्पादन एक बार होने के बाद न्यूनतम ऊर्जा खपत के साथ पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है।

2.3 क्या कंपनी के पास संधारणीय आपूर्ति स्रोत (परिवहन समेत) के लिए कार्यपद्धतियाँ हैं?

अगर हाँ, आपके निविष्ट का कितना प्रतिशत संधारणीय आपूर्ति से था?

हाँ।

हमारे सभी निविष्ट संधारणीय रूप से प्राप्त किए जाते हैं, क्योंकि ये उन आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त किए जाते हैं, जो एसए-8000 मानकों एवं पर्यावरणीय दिशानिर्देशों का पालन करते हैं। संधारणीय आपूर्ति स्रोत सामाजिक, नैतिक एवं पर्यावरणीय निष्पादन कारकों का आपूर्तिकर्ताओं की चयन प्रक्रिया का एकीकरण हैं। नालको में, संधारणीय आपूर्ति स्रोत के लिए नीति एवं प्रक्रिया उपलब्ध हैं। नैतिकता एवं पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए, नालको की क्रय नियमावलियों में पर्याप्त प्रावधान है। आपूर्तिकर्ताओं के सामाजिक निष्पादन के लिए, एसए-8000 मानक का कार्यान्वयन किया गया है एवं नीति की व्यवस्था है। इसके अलावा, नालको का इंटिग्रिटी पैक्ट नैतिक निष्पादन कारकों का ध्यान रखता है। इंटिग्रिटी पैक्ट एक हस्ताक्षरित कागजात होने के साथ जन करार दृष्टिकोण है, जो करार करने वाले प्राधिकरण एवं बोलीदाताओं को सर्वोत्तम कार्य-अभ्यास एवं सर्वाधिक पारदर्शिता का पालन करने के लिए वचनबद्ध करती है। इसी प्रकार, आपूर्तिकर्ताओं को नालको की पर्यावरणीय नीति एवं दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कहा जाता है।

इसके अलावा खतरनाक सामग्रियों के परिवहन के दौरान, आपूर्तिकर्ताओं को कड़ाई से इनका निर्देश दिया जाता है

(i) खतरनाक रसायनों/ज्वलनशील तरल/गैस सिलिंडर का निर्माण, संचयन, परिवहन एवं स्वामित्व के लिए प्रयोज्य ईएचएस विधि-विधानों का पालन।

(ii) प्रथम कन्साइनमेंट के समय या कंपनी में कोई भी अद्यतन किए जाने पर एमएसडीएस प्रदान करना।

(iii) परिवहन आकस्मिकताओं के संचालन के लिए चालकों की टीआरईएम कार्ड प्रदान करना।

एल्यूमिना परिशोधक को पंचपटमाली पहाड़ियों के निकट स्थित हमारे ग्रहीत खान से मुख्य कच्चा माल बॉक्साइट प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम प्रद्रावण के लिए व्यापक विद्युत ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हमारे प्रद्रावक के नजदीक हमारे पास ग्रहीत विद्युत संयंत्र है। विद्युत संयंत्र के लिए कोयले की उपलब्धता तालचेर में कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोयला खानों से की जाती है। दीर्घकालीन ईंधन आपूर्ति अनुबंध एवं ब्रिज लिंकेज के माध्यम से कोयले को उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। कोयले की आपूर्ति में किसी भी कमी को ई-नीलामी मार्ग के जरिए कोयले की खरीद से पूरा किया जाता है। अन्य प्रमुख कच्चे माल जैसे कि एलूमिनियम फ्लूराइड, कॉस्टिक सोडा, सी.टी.पिच एवं सी.पी. कोक आदि की प्राप्ति बहु विक्रेताओं के माध्यम से प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए की जाती है। बुधपंक, अनुगुल में हमारी निजी रेलवे साइडिंग, निर्यात एवं आयात के लिए विशाखापट्टनम में पत्तन सुविधा, कोयला परिवहन के लिए मेरी गो राउंड, बॉक्साइट की परिशोधक में ढुलाई हेतु केबल बेल्ट कन्वेयर हमारी व्यापक परिवहन प्रणाली को दर्शाती है।

2.4 कार्यस्थल के आसपास के समुदायों समेत स्थानीय एवं लघु उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए क्या कंपनी द्वारा कदम उठाए गए हैं ?

क) यदि हाँ, तो स्थानीय एवं लघु विक्रेताओं की क्षमता एवं समर्थता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संगठन की अनुषंगी विकास नीति स्थानीय विक्रेताओं के विकास को प्रोत्साहित करती है। एककों में एमएसई सरलीकरण प्रकोष्ठ तकनीकी, वाणिज्यिक क्षेत्रों में इन विक्रेताओं को उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करते हुए नीति का कार्यान्वयन करते हैं। एमएसई एककों द्वारा प्रस्तावित वस्तुएं एवं सेवाएं सूचीबद्ध हैं एवं प्रमुखता से प्रदर्शित हैं तथा हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हैं और विस्तृत प्रचार एवं जागरूकता के लिए सूक्ष्म, लघु उद्यम एप नमस्य (नालको सूक्ष्म एवं लघु उद्यम योगायोग अनुप्रयोग- द्विभाषी एप) में भी प्रचारित हैं। नमस्य एक मोबाइल एप्प है जो विक्रेता पंजीकरण प्रक्रिया, तकनीकी विनिर्देशों के साथ आपूर्ति किए जाने वाले मदों, विक्रेता विकास कार्यक्रम एवं नालको के प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के बारे में अपेक्षित सूचना प्रदान करते हुए एमएसई को सशक्त बनाता है। खान एवं परिशोधन संकुल और प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल के प्रदर्शनी हॉल में तकनीकी जानकारी के साथ उत्पादों की प्रदर्शनी की गई है ताकि वार्षिक आवश्यकता के संबंध में उत्पाद एवं सूचना का विकास हो पाए एवं एमएसई उद्यमियों को अंतिम क्रय मूल्य आदि प्रदान किया जा सके। ऐसे एककों को बोली में भाग लेने एवं प्रोत्साहित करने हेतु निविदाकारी प्रक्रिया में रियायत जैसे कि बयाना राशि जमा एवं निविदा शुल्क से मुक्ति आदि में विस्तार किया गया है। एमएसई एककों को उनके लिए निर्दिष्ट उत्पादों और सेवाओं के लिए न्यूनतम उद्धृत मूल्य के 15% की सीमा में उद्धृत करते हुए क्रय प्राथमिकता प्रदान करते हुए हमारी क्रय पुस्तिका में उपयुक्त संशोधन किया गया है।

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अनुषंगी एककों समेत ओड़िशा के एमएसई (सूक्ष्म एवं लघु उद्यम) द्वारा उत्पादित उत्पादों एवं प्रदत्त सेवाओं की खरीद ₹ 360.84 करोड़ रही (पिछले वित्त वर्ष के ₹ 361.17 करोड़ की तुलना में)। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान एमएसई एककों (ओड़िशा के बाहर के समेत) द्वारा उत्पादित उत्पादों एवं प्रदत्त सेवाओं की कुल खरीद ₹484.51 करोड़ रही (वित्त वर्ष 2018-19 के ₹472.53 करोड़ की तुलना में) एवं न्यूनतम 25% के सरकारी लक्ष्य की तुलना में नालको द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल खरीद का 31.08% है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए, एमएसई (सूक्ष्म एवं लघु उद्यम) द्वारा उत्पादित उत्पादों एवं प्रदत्त सेवाओं की खरीद का लक्ष्य ₹389.50 करोड़ रखा गया है।

- 8 से 12 जनवरी, 2020 को भुवनेश्वर में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, ओड़िशा सरकार द्वारा आयोजित ओड़िशा एमएसएमई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2020 में नालको को "उतकर्षता का प्रमाणपत्र" प्रदान किया गया।
- नालको ने एमएसएमई विकास संस्था, एमएसएमई मंत्रालय (भारत सरकार), एमएसएमई विभाग, ओड़िशा सरकार द्वारा कटक में 13 से 14 मार्च, 2020 तक आयोजित राष्ट्रीय स्तर के विक्रेता विकास कार्यक्रम-सह-औद्योगिक प्रदर्शनी एवं क्रेता-विक्रेता सम्मेलन में हिस्सा लिया।
- डीआईसी, कोरापुट के सहयोग से दिनांक 28.02.2020 को खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी में वर्ष 2019-20 के लिए उप-पीएलएसी (संयंत्र स्तर की सलाहकारी उप-समिति) का आयोजन किया गया। इसी प्रकार का एक उप-पीएलएसी सम्मेलन 2019-20 के लिए प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल में भी दिनांक 26.02.2020 को डीआईसी, अनुगुल के सहयोग से किया गया।
- दिनांक 04.09.2019 को प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल में एवं दिनांक 28.02.2020 को खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी में "अजा-अजजा उद्यमियों के लिए क्रेता-विक्रेता सम्मेलन" का आयोजन किया गया।
- कंपनी ने खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी में दिनांक 10.07.2019 को वार्षिक विक्रेता सम्मेलन एवं दिनांक 10.10.2019 को शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया।
- नैशनल एससी/एसटी हब ऑफिस (एनएसएसएचओ) के सहयोग से महिला स्वामित्व के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम एवं अजा/अजजा स्वामित्व के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम पंजीकरण के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं एवं एनएसएसएचओ से नालको के लिए अपेक्षित मदों के लिए सम्भाव्य अजा/अजजा स्वामित्व के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम की पहचान के लिए अनुरोध किया गया है।

- सभी सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विक्रेताओं (सहायक उद्योग समेत) से जीईएम प्लेटफॉर्म में आने के लिए अनुरोध किया जाता है। साथ ही, चूंकि नालको आरएक्सआईएल (टीआरईडीएस पोर्टल) में पंजीकृत है, इसलिए सभी सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (सहायक उद्योग समेत) से अनुरोध किया जा रहा है कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को दी गई सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए टीआरईडीएस पोर्टल (आरएक्सआईएल) में पंजीकृत हो।
- एमएसई (सूक्ष्म एवं लघु उद्यम) से नालको के क्रय आंकड़ों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विभाग, भारत सरकार के "एमएसएमई संबंध" एप में मासिक आधार पर अपलोड किया जा रहा है।
- कंपनी ने वर्ष 2019-20 में 10 विक्रेता सम्मेलनों (सूक्ष्म एवं लघु उद्योग एवं सहायक उद्योग सहित) का आयोजन किया हैं।
- नालको के साथ पंजीकृत वर्तमान सूक्ष्म एवं लघु उद्यम और साथ ही पंजीकृत नहीं हुए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के सुविधार्थ दिनांक 13.07.18 को नालको द्वारा नमस्य (नालको सूक्ष्म एवं लघु उद्यम योगायोग अनुप्रयोग) एप प्रारंभ किया गया है। यह एप सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को विक्रेता पंजीकरण प्रक्रिया, मद आदि के बारे में जानकारी देते हुए सशक्त बनाता है जो कि नालको की तकनीकी विशिष्टता, विक्रेता विकास कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि के साथ आपूर्ति की जा सकती है।

2.5 उत्पादों और अपशिष्टों के पुनचर्क्रण की प्रणाली क्या कंपनी के पास है? यदि हाँ, तो उत्पादों और अपशिष्टों के पुनर्चक्रण का प्रतिशत क्या है?

हाँ।

नालको मूल एल्यूमिनियम धातु का एक प्राथमिक उत्पादक है एवं एल्यूमिनियम का पुनर्चक्रण नहीं करना पड़ता है, परंतु एल्यूमिनियम अति पुनःचक्रणयोग्य हैं एवं प्राथमिक एल्यूमिनियम के उत्पादन की तुलना में एल्यूमिनियम उत्पादों के पुनर्चक्रण के लिए 5% की मामूली ऊर्जा की जरूरत पड़ती है एवं केवल 5% ग्रीनहाउस गैस का निष्कासन करता है।

इस लिए जहाँ तक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण की बात है, हम प्रक्रिया अपशिष्ट, धातु रद्दी एवं अपशिष्ट उत्पादों, बहिःस्रावों एवं औद्योगिक नाले के जल, राख तालाब एवं लाल पंक के तालाब से निस्तारित जल, जलों का उपरि भार अधिकतम संभव सीमा तक पुनर्चक्रण करते हैं। हम हमारे एककों में वर्षा जल दोहन, भूमिगत जल को प्रभारित करना और मल जल के शोधन को भी कार्यान्वित करते हैं। **वर्ष 2019-20 में, ग्र.वि.सं. राख तालाब से 1,81,72,660 घन मीटर जल परिशोधन राख तालाब से 72,90,033 घन मीटर जल एवं परिशोधन लाल पंक तालाब से 32,45,773 घन मीटर जल का पुनर्चक्रण किया गया।** इस विषय में हमारी कुछ उपलब्धियाँ नीचे **तालिका 'ग'** में वर्णित है :

तालिका ग : अपशिष्ट का पुनर्चक्रण/पुनः उपयोग वर्ष 2019-20 के दौरान

एकक	उपयोग	प्रतिशत
बॉक्साइट खान	उत्खनित क्षेत्रों के समवर्ती पुनरुद्धार हेतु ओवरबर्डन का उपयोग	100%
एल्यूमिना परिशोधक	अपशिष्ट लाल पंक से पुनर्चक्रित कॉस्टिक सोडा	9.38%
	परिशोधक में राख का उपयोग	90.25%
	राख के तालाब जल का पुनर्चक्रण	92.96
	लाल पंक तालाब जल का पुनर्चक्रण	119.73%
प्रद्रावक	एल्यूमिनियम स्क्रैप का पुनर्चक्रण	100%
	प्रक्रियागत निविष्ट के रूप में पुनर्चक्रित एल्यूमिनियम ड्रॉस	83.62%
	व्ययित एनोड का पुनर्चक्रण	100%
ग्र.वि.सं.	ग्र.वि.स. में राख का उपयोग	71.49%
	राख तालाब जल का पुनर्चक्रण	100%

सिद्धान्त 3 : व्यवसाय से सभी कर्मचारियों का कल्याण प्रोन्नत होना चाहिए

3.1 कृपया कुल कर्मचारियों की संख्या बताएं :

31.03.2020 को यथा, नियमित नियोजन में कर्मचारियों की कुल संख्या 6203 है।

3.2 कृपया 31.03.2020 को यथा, अस्थायी/अनुबंध पर/आकस्मिक आधार पर किराए पर रखे गए कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं :

नालको द्वारा कोई अनुबंधित/अस्थायी/आकस्मिक कर्मचारी नियोजित नहीं किए गए। आतिथ्य, रखरखाव, स्वच्छता, सफाई व्यवस्था एवं परियोजना गतिविधियों आदि क्षेत्रों में कार्यरत कार्य ठेकेदारों ने उनके अनुबंधित दायित्वों के निष्पादन के लिए 10,999 ठेका कामगारों को नियुक्त किया है।

3.3 कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएंः

31.03.2020 को यथा, कुल 357 स्थायी महिला कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं।

3.4 कृपया दिव्यांग स्थायी कर्मचारियों की संख्या बताएंः

31.03.2020 को यथा, नियमित नियोजन पर दिव्यांग जनों की कुल सं. 92 है।

3.5. क्या आपके पास प्रबंधन द्वारा मान्यताप्राप्त कोई कर्मचारी संघ है ?

नालको में पाँच मान्याताप्राप्त यूनियन हैं। प्रद्रावक, ग्र.वि.सं., परिशोधक, खान एवं निगम कार्यालय प्रत्येक में एक है।

3.6 इस मान्यताप्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य के रूप में आपके स्थायी कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है ?

विभिन्न मान्यताप्राप्त यूनियन में कर्मचारियों का प्रस्तुतीकरण नीचे दिया गया है।

प्रद्रावक-44.83%, ग्र.वि.सं.-52.69%, परिशोधक-47.99%, खान-57.86% एवं निगम - 76.23%।

3.7 कृपया गत वित्तीय वर्ष में बाल मजदूर, जबरन मजदूर, गैर-स्वैच्छिक मजदूर, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या बताएं एवं वित्तीय वर्ष के अंत में इन पर लंबित शिकायतों की संख्या बताएं।

वस्तुस्थिति इस प्रकार है :

क्रम सं.	श्रेणी	वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	31.03.2020 को लंबित शिकायतों की संख्या
1	बाल मजदूर/जबरन मजदूर/गैर-स्वैच्छिक मजदूर	शून्य	शून्य
2	यौन उत्पीड़न	01	शून्य
3	पक्षपाती नियोजन	शून्य	शून्य

3.8 नीचे वर्णित कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत को पिछले वर्ष सुरक्षा एवं कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया था ?

स्थायी कर्मचारियों, स्थायी महिला कर्मचारियों, अनियमित/अस्थायी/अनुबंधित कर्मचारियों, दिव्यांग कर्मचारी।

उपर्युक्त प्रशिक्षण से संबंधित वस्तुस्थिति नीचे वर्णित है :

कर्मचारियों की श्रेणी	मौजूदा शक्ति	सुरक्षा एवं कौशल विकास प्रशिक्षण में शामिल व्यक्ति	सुरक्षा एवं कौशल विकास प्रशिक्षण में शामिल व्यक्तियों का प्रतिशत
स्थायी कर्मचारी (महिला एवं दिव्यांग कर्मचारियों को छोड़कर)	5,754	3,354	**58.29%**
स्थायी महिला कर्मचारी	357	262	**73.39%**
अनियमित/अस्थायी/अनुबंधित कर्मचारी	शून्य	—	—
दिव्यांग कर्मचारी	92	14	**15.22%**

- विभिन्न ठेकों के माध्यम से 10,999 ठेका कामगारों का नियोजन किया गया है, जिसमें से 5,507 ठेका कामगारों ने सुरक्षा एवं कौशल विकास प्रशिक्षण लिया है अर्थात 50.07%

सिद्धान्त 4ः व्यवसाय सभी हितधारकों, विशेषकर सुविधाओं रहित, संवेदनशील एवं कमजोर वर्गों के लिए हितकारी हो।

4.1 क्या कंपनी ने अपने आन्तरिक एवं वाह्य हितधारकों की सुव्यवस्था की है ?

जी हाँ, आन्तरिक शेयरधारकों अर्थात कर्मचारियों एवं बाहरी शेयरधारकों अर्थात ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, निवेशकों, सरकार एवं उनके प्रतिनिधियों और समितियों, स्थानीय समुदायों, नियामक प्राधिकारियों, सेवा प्रदाताओं एवं कार्यठेका कामगारों, एनजीओ आदि के विचार, चिंता एवं अपेक्षाओं को औपचारिक या अनौपचारिक माध्यमों से लिया गया है। इस संबंध से प्राप्त अंतदृष्टि से हमारे निजी प्रदर्शन के बारे में प्रतिपुष्टि मिलती है एवं विभिन्न जन केन्द्रित हस्तक्षेपों को निर्धारित करने में मदद मिलती है। नालको की नि.सा.उ. शाखा के माध्यम से हमारे संयंत्र एवं खान के आसपास स्थित गरीब एवं जरूरतों से वंचित आबादी पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

4.2 उपर्युक्त में से, क्या आपकी कंपनी ने सुविधाओं से वंचित, संवेदनशील एवं कमजोर हितधारकों की पहचान की है ?

जी हाँ, कंपनी द्वारा ली गई नि.सा.उ. परियोजनाएँ इसके संयंत्र और खानों के परिधीय क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक आधारीय सर्वेक्षण के आधार पर है। कंपनी का संयंत्र एवं खान उन स्थलों में स्थित हैं जहाँ अधिकांश लोग सामाजिक आर्थिक सुविधाओं से वंचित स्थिति में हैं। इसके अनुसार आर एवं आर नीति तैयार की गई है एवं कार्यान्वयन किया गया है।

4.3 सुविधाओं से वंचित, संवेदनशील एवं कमजोर हितधारकों से जुड़ने के लिए क्या कंपनी ने कोई विशेष प्रयास किया है ?

हमारी नि.सा.उ. प्रयासों के मुख्य लाभार्थी वित्तीय रूप से सुविधाओं से वंचित लोग हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, कौशल विकास एवं संस्कृति क्षेत्र में उनके सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए कई पहल करते हैं। सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर एवं अवसरों से वंचित लोगों के विशिष्ट मसलों के समाधान के लिए बड़े स्तर पर, दीर्घकालिक परियोजनाएँ एवं आवश्यकता विशिष्ट अल्पकालिक पहलों का चयन किया जाता है। वर्ष 2019-20 के कुछ प्रमुख पहल निम्नानुसार हैं:

क) **परिधीय गाँवों में घर के द्वार तक स्वास्थ्य सेवा:** मोबाइल स्वास्थ्य यूनिट (एमएचयू) एवं ओपीडी सेन्टर के माध्यम से बुनियादी औषधियाँ समेत आसपास के गाँववासियों को स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा।

ख) **इंद्रधनुष:** कोरापुट और भुवनेश्वर में प्रसिद्ध स्कूलों के सहयोग से दामनजोड़ी के परिधीय गाँवों के आदिवासी छात्रों को आवासीय शिक्षा।

ग) **नालको की लाड़ली:** ओड़िशा के कोरापुट एवं अनुगुल जिले से गरीबी रेखा से नीचे वर्ग (बीपीएल) की मेधावी कन्या छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने में वित्तीय सहयोग।

घ) **स्वच्छ भारत प्रयास :** स्वच्छ प्रतिष्ठित पुण्यस्थल विकास, स्वच्छ विद्यालय एवं स्वच्छता, स्थापना एवं समुचित तंदुरुस्ती के लिए ओडीएफ गाँव।

ङ) **जरूरतमंदों के लिए पेयजल की सुविधा :** खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी, पोट्टांगी बॉक्साइट खान क्षेत्र, प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल एवं उत्कल डी एवं ई कोल ब्लॉक, छेंदीपाड़ा के परिधीय गाँवों में पेयजल सुविधा का प्रावधान।

च) **कौशल भारत (स्किल इंडिया) को सहयोग :** स्थानीय बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने हेतु कौशल विकास कार्यक्रम।

छ) **ग्रामीण आधारभूत संरचना का विकास :** सड़कों, कलवर्ट, नालों, आश्रय घर का निर्माण, परिधीय गाँवों में समुदाय केन्द्रों एवं जलाधारों आदि का नवीकरण एवं मरम्मत।

ज) **सौर समाधान:** खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी के अगम्य आदिवासी प्रमुखता वाले परिधीय गाँवों में सौर स्ट्रीट लाइट एवं सौर गृह समाधान स्थापित किए गए।

झ) **महिला सशक्तिकरण:** (i) पोट्टांगी बॉक्साइट खान क्षेत्र के परिधीय गाँवों से आदिवासी महिलाओं को वैकल्पिक आजीविका स्रोत को प्रोत्साहित किया गया। (ii) कटक एवं भुवनेश्वर, इन दो शहरों में महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार पर जागरूकता।

ञ) **आपदा प्रबंधन:** फणी चक्रवात के बाद, इसकी चपेट में आए लोगों को राहत एवं पुनर्वास में सहयोग।

सिद्धान्त 5 : व्यवसाय मानवाधिकारों का सम्मान एवं प्रोत्साहन करे।

5. 1 क्या कंपनी की मानवाधिकार नीति केवल कंपनी को या समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ)/अन्य को शामिल करती है ?

मानवाधिकार सिद्धान्त केवल हमारे सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होते हैं, बल्कि बाहरी स्रोतों से प्राप्त सभी कार्यों के ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं एवं सेवा प्रदाताओं पर भी लागू रहते हैं। प्रयोज्य विनियमों जैसे कि कारखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, खान अधिनियम 1972, ठेका मजदूर (आर एण्ड ए) अधिनियम 1970, उपदान का भुगतान अधिनियम 1972 के माध्यम से अधिदेशित मानवाधिकार अभ्यास कंपनी में सख्ती से पालन किए जाते हैं। साथ ही, कार्यठेका परिस्थितियों में आपूर्तिकर्ताओं एवं ठेकेदारों के लिए, महत्वपूर्ण मानवाधिकार मसले अर्थात बाल मजदूर, जबरन एवं अनिवार्य मजदूर, पक्षपात, अनुशासनिक अभ्यास, मजदूरी एवं कार्य अनुसूची का यथा उपयुक्त ध्यान एसए 8000:2014 आवश्यकताओं के माध्यम से रखा जाता है ताकि कोई उल्लंघन न होने पाए। हमारे उत्पादन एककों, खान एवं निगम कार्यालय में एसए 8000:2014 मानक का कार्यान्वयन किया जाता है।

5.2 गत वित्तीय वर्ष में हितधारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं प्रबंधन द्वारा संतोषप्रद समाधान किया गया ?

गत वित्तीय वर्ष के दौरान मानव अधिकार से जुड़े हितधारकों की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। हितधारकों से अन्य शिकायतों की वस्तुस्थिति 1.2 में वर्णित है।

सिद्धान्त 6 : व्यवसाय पर्यावरण का सम्मान व रक्षा करे एवं उसे बनाए रखने का प्रयास करे।

6.1 क्या सिद्धान्त 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी को या फिर समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर-सरकारी संगठनों/अन्य को भी शामिल करती है?

कंपनी पर्यावरणीय ख्याल के लिए पूर्ण कटिबद्ध है एवं सभी सहयोगियों जैसे कि आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों एवं अन्य सेवा प्रदाताओं से यही अपेक्षा रखती है। आपूर्तिकर्ताओं एवं ठेकेदारों को कोई भी कार्य सौंपने से पहले हमारी पर्यावरण नीति के पालन की वचनबद्धता ली जाती है। इस विषय में हमारे एनआईटी कागजात में उपयुक्त खंड पेश किए गए हैं।

6.2 क्या कंपनी के पास वैश्विक पर्यावरणीय विषयों जैसे कि जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापवृद्धि (ग्लोबल वॉर्मिंग) आदि के समाधान के लिए रणनीतियाँ/प्रयास आदि हैं? हाँ/ना। यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज के लिए हाइपरलिंक आदि बताएं।

हमने ग्रीन हाउस गैस के निस्सरण एवं संबंधित वैश्विक तापीकरण पर नियंत्रण रखने के लिए हरित ऊर्जा प्रयास जैसे कि पवन ऊर्जा एवं सौर शक्ति को अपनाया है जो निम्नलिखित हैं :

- चार पवन विद्युत परियोजनाएँ - i) गण्डीकोटा, आंध्रप्रदेश में 50.4 मे.वा., ii) जैसलमेर, राजस्थान में 47.6 मे.वा., iii) देवीकोट, राजस्थान में 50 मे.वा. और iv) जाथ, महाराष्ट्र में 50.4 मे.वा. व्यावसायिक प्रचालन में हैं।
- 160 केडब्ल्यूपी (किलोवाट पीक), 100 केडब्ल्यूपी एवं 320 केडब्ल्यूपी क्षमता के तीन रूफ टॉप सौर फोटो वोल्टीय संयंत्र निगम कार्यालय, नालको टाउनशिप एवं एचआरडी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एवं नालको अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र (एनआरटीसी), भुनवेश्वर में परिचालित हैं।
- एनआरटीसी में एक और 50 केडब्ल्यूपी रूफटॉप सौर विद्युत परियोजना पुनःस्थापित किए जाने के अधीन है जो चक्रवात में नष्ट हो गया था।
- दामनजोड़ी, अनुगुल एवं विशाखापत्तनम में नालको के विभिन्न स्थानों में रूफटॉप सौर संयंत्रों को स्थापित करने से संबंधित व्यवहार्यता/उपयुक्तता के मूल्यांकन हेतु अध्ययन कार्य जारी है।
- वर्ष के दौरान,प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 10,011 पौध लगाए गए एवं 12,390 पौध गाँववासियों को वितरित किए गए ताकि यहाँ के क्षेत्र की हरियाली को बेहतर बनाने में उन्हें सहयोग मिल सके।
- एल्यूमिना परिशोधक में 17500 पौधों का रोपण किया गया एवं 5,000 पौधे वितरित किए गए।
- हमारी पंचपटमाली खानों में उत्खनित क्षेत्र के पुनर्स्थापन एवं वृक्षारोपण अभियान को बढ़ावा देने के लिए वर्ष के दौरान कुल 1,00,274 पौधों का रोपण किया गया। साथ ही, 5,500 पौध, जिनमें ज़्यादातर देशी फलदार नस्ल के हैं, का वितरण परिधीय गाँववासियों में किया गया है।
- खानों में 3 एकड़ के क्षेत्र में फैले अति ऊँचाई पर स्थित नर्सरी स्थानीय जलवायु एवं दशा के उपयुक्त देशी नस्ल के पौधों को विकसित होने में मदद करती है। पिछले वर्ष नर्सरी ने वृक्षारोपण के लिए 1 लाख पौध को उत्पन्न किया है।
- पवन विद्युत का विवरण नालको वेबसाइट एवं वेबलिंक में उपलब्ध है

  https://nalcoindia.com/business/operation/wind-power-plants/

6.3 क्या कंपनी संभावी पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान एवं आकलन करती है ?

हाँ, व्यापक पर्यावरण प्रभाव आकलन, अवस्थिति प्रभाव अध्ययन, संकट पहचान एवं जोखिम आकलन और आपातकालीन प्रबंधन योजनाएँ आदि के माध्यम से संभावी पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान की गई है। पर्यावरण चिंताएँ, जोखिम, हमारे उत्पादों के लिए अवसर के समाधान अनुच्छेद 2.1, तालिका - क में वर्णित है।

6.4 क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास प्रणाली (सीडीएम) से संबंधित कोई परियोजना है ? यदि हाँ, तो इसका विवरण दें। साथ ही, यदि हाँ है, तो क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट दायर की गई है ?

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कॉन्वेन्शन (यूएनएफसीसीसी) की स्वस्च्छ विकास प्रणाली (सीडीएम) के अन्तर्गत दो पवन विद्युत संयंत्र अर्थात गण्डीकोटा में 50.4 मे.वा. पवन विद्युत संयंत्र एवं जैसलमेर में 47.6 मे.वा. पवन विद्युत संयंत्र ली गई हैं। पवन विद्युत परियोजनाएँ ग्रिड संयोजित अक्षत ऊर्जा परियोजनाएँ हैं जो पवन ऊर्जा के उपयोग से बिजली पैदा करती हैं एवं जीएचजी निस्सरण में उल्लेखनीय कमी लाने में मदद करती है।

गण्डीकोटा में 50.4 मे.वा. पवन विद्युत संयंत्र - सीडीएम परियोजना

सीडीएम परियोजना गतिविधि ने राष्ट्रीय सीडीएम प्राधिकरण (एनसीडीएमए), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से मेजबान देश अनुमोदन (एचसीए) प्राप्त किया है। परियोजना की गतिविधियों को (यूएनएफसीसीसी) मान्यताप्राप्त निर्दिष्ट परिचालनीय संस्था (डीओई) द्वारा प्रमाणित किया गया है। यूएनएफसीसीसी के साथ परियोजना का पंजीकरण प्रक्रियाधीन है। वार्षिक औसत जीएचजी निस्सरण कमी का अनुमानित परिणाम 85,927 टन सीओ$_2$ के समकक्ष है।

जैसलमेर में 47.6 मे.वा. पवन विद्युत संयंत्र - सीडीएम परियोजना

सीडीएम परियोजना गतिविधि ने राष्ट्रीय सीडीएम प्राधिकरण (एनसीडीएमए), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से मेजबान देश अनुमोदन प्राप्त किया है। यूएनएफसीसीसी के साथ परियोजना का पंजीकरण प्रक्रियाधीन है। वार्षिक औसत जीएचजी निस्सरण कमी का अनुमानित परिमाण सीओ$_2$ में 83,426 टन के समकक्ष है।

6.5 क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, अक्षत ऊर्जा पर कोई अन्य प्रयास किया है? यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज आदि के हाइपरलिंक बताएं।

अक्षत ऊर्जा पर निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं:

- **पवन विद्युत परियोजनाः** गण्डीकोटा, कदप्पा, आंध्रप्रदेश में 50.4 मे.वा, लुडर्वा, जैसलमेर, राजस्थान में 47.6 मे.वा., देवीकोट, जैसलमेर, राजस्थान में 50 मे.वा. एवं जाठ, सांगली, महाराष्ट्र में 50.4 मे.वा. प्रचालन में हैं। तूतिकोरिन जिला, तमिलनाडु के कायाथार में 25.5 मे.वा. पवन विद्युत परियोजना निष्पादन के अधीन हैं।

  पवन विद्युत का विवरण नालको की वेबसाइट एवं वेबलिंक में उपलब्ध है

  https://nalcoindia.com/business/operation/wind-power-plants/
- **रूफ टॉप सौर परियोजनाएँ :** नालको निगम कार्यालय में 160 केडब्ल्यूपी, नालकोनगर टाउनशिप में 100 केडब्ल्यूपी, नालको अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र (एनआरटीसी), भुवनेश्वर में 320 केडब्ल्यूपी प्रचालन में हैं। एनआरटीसी में 50 केडब्ल्यूपी फिर से स्थापित किए जाने के अधीन है। खान दामनजोड़ी में 130 केडब्ल्यूपी रूफटॉप सौर परियोजना निष्पादन के अधीन है।

  वेबलिंक-https://nalcoindia.com/business/operation/solar-power/

  नालको पत्तन सुविधा, विशाखापट्टणम में लगभग 260 केडब्ल्यूपी एवं परिशोधन एकक, दामनजोड़ी में लगभग 995 केडब्ल्यूपी की रूफटॉप सौर परियोजनाओं के संस्थापन हेतु प्रयासरत है।

6.6 रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के लिए, कंपनी द्वारा उत्पादित निस्सरण/अपशिष्ट क्या सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा निर्धारित अनुमन्य सीमाओं के अन्दर है?

कंपनी के प्रचालन एककों द्वारा उत्पादित सभी निस्सरण/अपशिष्ट सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा निर्धारित अनुमन्य सीमाओं के अंदर है। इस सूचना से संलग्न पर्यावरणीय विवरण प्रत्येक वर्ष नियामक प्राधिकरण के पास जमा किया जाता है।

6.7 वित्तीय वर्ष के अंत तक सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ नोटिस/कानूनी नोटिस की संख्या जो लंबित है (अर्थात जिनका संतोषजनक समाधान नहीं हुआ)।

वित्तीय वर्ष के दौरान एसपीसीबी/सीपीसीबी से कोई कारण बताओ नोटिस/कानूनी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

सिद्धान्त 7 : सार्वजनिक एवं नियामक नीति को प्रभावित करने वाले व्यवसाय, दायित्वपूर्ण रूप में किए जाए।

7.1 क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चेम्बर या संघ का सदस्य है ? यदि हाँ, तो केवल उन प्रमुख संघ का नाम बताएँ जिनसे आपका व्यवसाय जुड़ा है :

हाँ। प्रमुख संघ हैं :

1. भारतीय एल्यूमिनियम संघ
2. सार्वजनिक उद्यम स्थायी सम्मेलन (स्कोप), नई दिल्ली
3. भारतीय खनिज उद्योग संघ (एफआईएमआई), नई दिल्ली
4. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, मुंबई
5. भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), नई दिल्ली
6. उत्कल चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, भुवनेश्वर
7. इंजीनियरिंग निर्यात प्रोत्साहन परिषद, कोलकाता
8. भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ, नई दिल्ली
9. इंटरनेशनल चेम्बर ऑफ कॉमर्स, दिल्ली
10. रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद निर्यात प्रोत्साहन परिषद, कोलकाता
11. राष्ट्रीय कार्मिक प्रबंधन संस्थान, कोलकाता

7.2 क्या आपने सार्वजनिक वस्तु की उन्नति या सुधार के लिए उपर्युक्त संघों से पैरवी की है/समर्थन प्राप्त किया है ? यदि हाँ, तो विस्तार से निर्दिष्ट क्षेत्रों का उल्लेख करें (उदाहरण, अभिशासन एवं प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियाँ, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, संधारणीय व्यवसाय सिद्धान्त, अन्य)।

जी हाँ, सार्वजिनक वस्तु हेतु लिए गए निर्दिष्ट क्षेत्र हैं :

- उड़नशील राख का उपयोग
- जल पुनर्चक्रण एवं संरक्षण
- जलवायु परिवर्तन कार्य योजना
- पर्यावरण का संरक्षण
- नि.सा.उ. एवं परिधीय विकास
- कौशल विकास एवं रोजगार उत्पत्ति
- ऑटोमोबाइल, विद्युत पारेषण, निर्माण एवं पैकेजिंग क्षेत्र में एल्यूमिनियम का वर्धित उपयोग
- संधारणीय खनन
- ऊर्जा, जल, खनिज संरक्षण
- कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं परिस्थिति विज्ञान
- उद्योगों की उन्नति द्वारा आर्थिक नेतृत्व
- भारत सरकार की मेक इन इंडिया योजना के माध्यम से अनुप्रवाह एल्यूमिनियम उद्योगों का विकास

सिद्धान्त 8 : व्यवसाय समावेशी वृद्धि एवं समान विकास का पक्षधर हो।

8.1 क्या कंपनी के पास सिद्धान्त 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में निर्दिष्ट कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएँ हैं ? यदि हाँ, तो इनका विवरण दें।

जी हाँ, समावेशी वृद्धि एवं समान विकास हमारी नि.सा.उ. नीति के दो मूल सिद्धांत हैं। कंपनी को विश्वास है कि, संधारणीय, समान विकास एकमात्र स्वीकार्य व्यवसाय मॉडल है। अनुच्छेद 4.3 में वर्णित अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य देखरेख, महिला सशक्तिकरण, आजीविका को प्रोत्साहन, टिकाऊ ग्रामीण आधारभूत संरचना, सांस्कृतिक परंपरा को प्रोत्साहन एवं पुनर्बहाली, खेलकूद को बढ़ावा देने के क्षेत्र में समाज के कमजोर एवं सुविधाओं से वंचित वर्गो में सकारात्मक सामाजिक प्रभाव डालने एवं प्रतिकूल पर्यावरणीय अवशेषों को कम करते हुए व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कंपनी आकांक्षित है।

8.2 क्या आंतरिक टीम/निजी प्रतिष्ठान/बाहरी गैर-सरकारी प्रतिष्ठान/सरकारी क्षेत्रों/कोई अन्य संगठन के जरिए कार्यक्रम/परियोजना का कार्यान्वयन किया गया है?

रणनीतिक महत्व के नि.सा.उ. परियोजनाएँ एवं कार्यक्रम सीधे नालको द्वारा लिए जाते हैं एवं सभी अन्य अनुमोदित परियोजनाएँ/कार्यक्रम नालको फाउंडेशन, ट्रस्ट, सरकारी एजेंन्सियों, अर्ध-सरकारी संगठनों एवं अनुभाग 8 कंपनियों के माध्यम से लिए जाते हैं। नालको नि.सा.उ. परियोजनाओं के संचालन के लिए योग्य बनने हेतु एनजीओ, ट्रस्ट एवं अनुभाग 8 कंपनियों के पास समरूप प्रकार की परियोजनाओं या कार्यक्रम के निष्पादन में 3 वर्ष की प्रतिष्ठित कार्य सम्पादन उपलब्धि रहनी चाहिए।

8.3 क्या आपने प्रयासों का कोई मूल्यांकन किया है?

हाँ, कंपनी द्वारा हाथ में ली गई कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रभावकारिता के आकलन के लिए सामाजिक प्रभाव अध्ययन इस प्रकार है:

i) खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी में नालको के सामाजिक आर्थिक अंशदान पर सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) अध्ययन फरवरी 2005 के दौरान मेसर्स आई-लैण्ड इन्फॉर्मेटिक्स लि. कोलकाता द्वारा किया गया था।

ii) प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल के परिधीय गाँवों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण दिसम्बर, 2008 के दौरान मेसर्स नैशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट (एनआईआरडी), हैदराबाद द्वारा किया गया था।

iii) नालको फाउंडेशन की परियोजनाओं का सामाजिक प्रभाव आकलन वर्ष 2012 के दौरान ओड़िशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट के द्वारा संचालित किया गया।

iv) नालको द्वारा कार्यान्वित नि.सा.उ. परियोजनाओं का सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) वर्ष 2017 में प्रमुख संस्थान उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर द्वारा निष्पादन किया गया।

v) 2019 में मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क (एमएसएसडब्ल्यू), चेन्नई के सहयोग से प्रभाव आकलन अध्ययन किया गया।

8.4 सामाजिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष अंशदान कितना है - भारतीय रूपये में राशि एवं ली गई परियोजनाओं का विवरण।

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए नि.सा.उ. गतिविधियों के लिए ₹3971.35 लाख व्यय किया है।

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कुछ प्रमुख परियोजनाएँ हैं :

क. स्वास्थ्य देखरेख सेवाएँ

क.1 एमएचयू सेवाएँ एवं ओपीडी सेवाएँ: रिपोर्ट किए गए वर्ष में, प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल एवं खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी दोनों में संयंत्र के परिधीय स्थानों में 1.49 लाख रोगी 8 मोबाइल स्वास्थ्य एककों (एमएचयू) के माध्यम से लाभान्वित हुए। नालको टाउनशिप, अनुगुल में एक विशिष्ट ओपीडी सेन्टर परिचालन में है जो प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल के परिधीय गाँवों में निःशुल्क दवाइयों के साथ निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श प्रदान कर रहे हैं। वित्त वर्ष में, विशेषज्ञ ओपीडी में 15713 संख्यक रोगियों का उपचार किया गया है।

क.2. विद्यालयों में स्वास्थ्य जाँच परखः विकास विद्यालय के नाम से एक आवासीय संस्थान में मासिक आधार पर स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन द्वारा इस प्रकार का नवाचार किया गया है।

ख. स्वच्छता

ख.1. खुले में शौच से मुक्तिः स्वच्छ भारत मिशन के अनुसरण में नालको ने प्रद्रावक एवं विद्युत संयंत्र, अनुगुल के पाँच गाँवों में पृथक घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) का निर्माण कार्य हाथ में लिया गया है जिसमें से दो गाँवों में कार्य पूरा कर लिया गया है एवं शेष गाँवों में प्रगति में है।

ख.2. **विद्यालय में स्वास्थ्यकारिता कार्यक्रम:** स्वास्थ्यकारी जागरूकता पहल के रूप में, सात जिलों के 155 विद्यालयों में किशोर उम्र की लड़कियों में 24000 स्वास्थ्य किट बाँटे गए।

ग. सुरक्षित पेयजल

ग.1. गर्मी में टैंकर के माध्यम से पेयजलः प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल के जल अभाव वाले 27 परिधीय गाँवों में लोगों के दरवाजे पर टैंकर के माध्यम से सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति की गई।

ग.2. पाइप से पानी की आपूर्ति: अनुगुल में ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता (आरडब्ल्यूएस एवं एस) के सहयोग से विभिन्न गाँवों में पाइप से पानी की आपूर्ति की जा रही है।

ग.3. बोर वेल के माध्यम से पानी की आपूर्ति: गर्मी की भीषणता में पानी के अभाव को महसूस करते हुए, दामनजोड़ी और पोट्टांगी के परिधीय गाँवों में 25 ट्यूब वेल प्रदान किए गए।

ग.4. विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केन्द्र (एडब्ल्यूसी) में वाटर फिल्टर का वितरण।

घ. शिक्षा

घ.1. आदिवासी छात्रों को आवासीय शिक्षा: नालको ने इंद्रधनुष कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 से तीन प्रतिष्ठित संस्थानों में आदिवासी छात्रों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाया है। इस योजना के अन्तर्गत अभी तक 1003 छात्रों को लाभ पहुँचा है।

घ.2. लड़कियों को शिक्षा: भारत सरकार की योजना **"बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ"** के अनुपूरक के रूप में परिधीय क्षेत्रों में गरीब एवं प्रतिभावान कन्या छात्राओं के सहयोग के लिए **"नालको की लाडली"** योजना शुरू की गई। अभी तक कुल **603** लड़कियों को सहयोग दिया गया है। वित्तीय रूप से सहयोग देने के अलावा, नालको खेलकूद, पाठ्येतर जैसे कार्यकलापों के माध्यम से नालको कन्या छात्राओं को प्रेरित एवं प्रोत्साहित कर रही हैं।

घ.3. शैक्षणिक संस्थानों को आधारभूत संरचनात्मक सहयोग: संस्थानों की सुविधाओं एवं संरचनाओं को बेहतर बनाने के लिए नालको द्वारा विभिन्न विकासमूलक परियोजनाएँ हाथ में ली गई।

ङ. जीविका प्रोत्साहन

ङ.1. एसएचजी के माध्यम से महिला सशक्तिकरण: नालको ने आदिवासी महिलाओं के लिए रोजगार सृजन योजनाएँ चालू की है ताकि उन्हें स्वयं-संधारणीयता, खाद्य सुरक्षा, आय सृजन में सक्षम एवं समर्थ बनाया जा सके और स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के गठन द्वारा उनके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके। इस लक्ष्य में, मशरूम एवं सब्जियों की खेती को अच्छी लोकप्रियता मिली है एवं आदिवासी महिलाओं के लिए लाभदायक योजना के रूप में स्वीकार की गई है।

इस साल, 8 गाँवों में 14 एसएचजी को मशरूम उत्पादन में सम्मिलित किया गया है जिससे ₹ 90000 तक आय हुई है। इस सफलता को देखते हुए नालको अन्य गाँवों में भी इस कार्यक्रम को दोहराने की योजना बना रही है।

ङ.2. युवा नेतृत्व कार्यक्रम: श्री श्री यूनिवर्सिटी (आर्ट ऑफ लिविंग) की भागीदारी से नालको फाउंडेशन ने दामनजोड़ी एवं पोट्टांगी परिधीय गाँवों में युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम का निष्पादन किया है।

च. पर्यावरणीय संधारणीयता

च.1. सौर विद्युतीकरण कार्यक्रम: नालको ने स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा लक्ष्य के अधीन सौर शक्ति का उपयोग करने के लिए कई पहल की है। इस योजना में, खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी के 20 परिधीय गाँवों में सौर स्ट्रीट लाइट एवं सौर गृह समाधानों को प्रदान किया है।

च.2. वृक्षारोपण: विनासकारी फणी चक्रवात के बाद व्यापक रूप से क्षति पहुँचे चाण्डका-दामापाडा वन्य जीव अभयारण्य में हरियाली की पुनर्बहाली के लिए ओड़िशा वन विभाग की सहयोगिता में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया गया है।

च.3. तालाबों का नवीकरण: अनुगुल जिले के छेंदीपाडा ब्लॉक में छह संख्यक जलाशयों का नवीकरण किया गया।

छ. आधारभूत संरचना विकास परियोजनाएँ

ग्रामीण विकास योजना के अधीन, नालको ने परिधीय गाँवों में सड़क, कल्वर्ट, समुदाय केन्द्र का रूपान्तरण/नवीकरण कार्य हाथ में लिया है।

ज. आपदा प्रबंधन

अति उग्र फनी चक्रवात 3 मई, 2019 को ओड़िशा की तट से टकरायी थी जिससे पुरी और खुर्धा जिले बहुत बुरी तरह से इसकी चपेट में आए थे। नालको त्वरित कदम उठाते हुए तुरंत राहत एवं पुनर्बहाली कार्य के लिए तत्पर हुई जैसे कि दोनों जिले के प्रभावित स्थानों में राहत सामग्री, कपड़े, सौर लालटेन, मच्छर दानी का वितरण किया गया, मोबाइल डीजी सेट आदि की तैनाती की गई।

झ. प्रतिष्ठित शहर परियोजना

स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल विकास कार्यक्रम में भारत सरकार के एक निगम भागीदार के रूप में नालको ने पुरी के विकास के लिए विभिन्न कदम उठाया है। कुछ परियोजनाएँ निम्नानुसार हैं :

i. गांधी पार्क का विकास

ii. तीर्थयात्रियों के परेशानी मुक्त आवागमन के लिए बैटरी चालित वाहन का प्रचालन

iii. विभिन्न स्थानों में वाटर पोस्ट

iv. जगन्नाथ मंदिर के अन्दर म्यूजियम का नवीकरण

8.5 क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया है कि इस सामुदायिक विकास प्रयास को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया गया है?

नालको में विचारित परियोजनाओं को समुदाय विनियोजन प्रक्रिया के माध्यम से चिह्नित किया जाता है एवं सम्मिलित समुदायों को सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) साधनों के अनुप्रयोग के माध्यम से उनकी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाती है। प्रारंभिक चरण से समुदाय को शामिल करने से सृजित परिसंपत्तियों पर अधिक स्वामित्व का एहसास होता है। इसके अलावा, समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ), जैसे कि स्व-सहायी समूह (एसएचजी), गाँव विकास समिति (वीडीसी), युवा क्लब, किसान समूह आदि तैयार किए जा रहे हैं एवं क्षमता विकास कार्यक्रम द्वारा इन्हें सुदृढ़ किया जाता है जहाँ वे बदलाव एजेंट के रूप में कार्य करते हैं एवं जमीन स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन सुनिश्चित करते हैं। ये बदलाव एजेंट समुदाय द्वारा स्वीकृति को बढ़ाने एवं अपनाने की दिशा में कार्य करते हैं। इसके अलावा, सुग्राहीकरण कार्याशालाएँ एवं गाँव के स्तर के सम्मेलन का आयोजन किया जाता है जिससे अन्ततः बेहतर अंगीकरण एवं संधारणीयता प्राप्त होती है।

साथ ही, नालको सरकारी निकायों, एनजीओ एवं अन्य कार्यक्रम कार्यान्वयनकारी एजेंसियों (पीआईए) के साथ सहयोगिता के मार्गों का अन्वेषण कर रही है ताकि स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, ग्रामीण विकास, पर्यावरण (वृक्षारोपण) एवं जातीयता जैसे विषयगत क्षेत्रों में समुदाय विकास प्रयासों का कार्यान्वयन किया जा सके।

सिद्धांत 9ः व्यवसाय अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं से जुड़ा रहे एवं दायित्वशील रूप में मूल्यपूरक लाभ प्रदान करे।

9.1 वित्त वर्ष के अंत में ग्राहक शिकायतों/उपभोक्ताओं के कितने प्रतिशत मामले लम्बित हैं?

भुगतान, विलंब सुपुर्दगी, गुणवत्ता, परिमाण या प्रलेखन आदि जैसे विभिन्न विषयों के संबंध में समय-समय पर उत्पन्न शिकायतों के समाधान के लिए आईएसओ 9001 आवश्यकताओं के अनुसरण में निर्देशित प्रक्रिया का व्यवस्था है। शिकायतों की प्रकृति के आधार पर, क्षेत्रीय कार्यालयों से नालको के

प्रतिनिधि और/या संयंत्र से तकनीकी कार्मिक शिकायत की जाँच करने के लिए उपभोक्ता के परिसर में आते हैं एवं उसी स्थान पर आकलन करते हैं। जब कभी ऐसा उदाहरण आता है कि त्रुटियों के कारण उपभोक्ता द्वारा क्षतिपूर्ति/दावा की जाती है, तो सभी आवश्यक जाँच के बाद समिति का गठन किया जाता है एवं समिति क्षतिपूर्ति की उपयुक्त राशि सिफारिश करते हुए प्रस्ताव रखती है। एककालीन निपटान के रूप में, सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लेने के बाद ग्राहक को इसका भुगतान किया जाता है। उपभोक्ता शिकायतों की हमारी प्रक्रियाओं एवं उत्पादों की उन्नति के लिए समीक्षा भी की जाती है।

31.03.2019 को यथा लंबित कोई ग्राहक शिकायतें नहीं हैं, **31.03.2019 को यथा ग्राहक शिकायतों** की वस्तुस्थिति पर रिपोर्ट इस प्रकार हैः

31.03.2019 को यथा लंबित शिकायतें	0
वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त शिकायतें	24
वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	22
31.03.20 को यथा लंबित शिकायतें	**02**
31.03.19 को लंबित ग्राहक शिकायतों का प्रतिशत	**8%**

9.2 स्थानीय नियमों के अनुसार अनिवार्य पहलुओं के अलावा उत्पाद के लेबल पर क्या कंपनी उत्पाद संबंधी जानकारी प्रदर्शित करती है?

नहीं।

कानूनी तौर पर केवल अनिवार्य पहलू से संबंधित सूचना उत्पाद के लेबल पर दी जाती है।

एल्यूमिनियम धातु के लिए उत्पाद के लेबल पर उत्पाद के ग्रेड, स्टैक की सं., बंडल की सं., शुद्ध वजन प्रदर्शित किया जाता है। रोल्ड (वेल्लित) उत्पादों के मामले में कंपनी का नाम एवं उत्पादन एकक व स्थान, कॉइल की सं., ग्रेड, माप (मोटाई X चौड़ाई) मि.मी. में, शुद्ध वजन (कि.ग्रा. में), निरीक्षण अधिकारी का हस्ताक्षर, पैकेजिंग की तिथि, सब स्टैक की सं. एवं प्रति पैकेट शीट की कुल संख्या (केवल वेल्लित चादरों के लिए) उत्पाद के लेबल पर प्रदर्शित रहते हैं। एल्यूमिना के मामले में कंपनी का नाम एवं लोगो, उत्पाद की जानकारी, उत्पाद-कोड पैकेजिंग पर प्रदर्शित रहते हैं। विशेष उत्पाद हाईड्रेट के मामले में, शुद्ध वजन/सकल वजन भी प्रदर्शित रहते हैं।

9.3 क्या किसी हितधारक ने गत पाँच वर्षों के दौरान कंपनी के विरुद्ध किसी अनुचित व्यापार व्यवहार, गैर दायित्वशील विज्ञापन और/या प्रतिस्पर्धी-विरोधी व्यवहार की शिकायत की है एवं वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित है। यदि है, तो इसका विवरण दें।

नहीं। गत पाँच वर्षों के दौरान, अनुचित व्यापार व्यवहार, गैर दायित्वशील विज्ञापन और/या प्रतिस्पर्धी - विरोधी व्यवहार के संबंध में कंपनी के विरुद्ध किसी हितकारक का कोई मुकदमा नहीं है।

9.4 क्या आपकी कंपनी उपभोक्ता समीक्षा/उपभोक्ता संतुष्टि प्रवृत्तियाँ अपनाती है?

हाँ, हमारे उत्पादों और संबंधित सेवा पर उपभोक्ताओं एवं ग्राहकों की धारणाओं की प्राप्ति को हमारे संगठन में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। हमारी गुणवत्ता नीति ग्राहक की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं को पूरा करने एवं हमारी कार्यप्रणाली एवं कार्य प्रकृति को निरंतर बेहतर बनाने पर बल देती है जो कि व्यवसाय में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए हमारे निर्धारित मार्ग हैं। औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों माध्यमों से हम हमारे उत्पाद एवं सेवा के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं एवं इस पर निरंतर काम करते हैं, ताकि हमारे ब्राण्ड की छवि को और बेहतर बना सकें। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सितम्बर और मार्च में समाप्त दो छह-माह की अवधियों के लिए ग्राहक संतुष्टि समीक्षा का संचालन वर्ष में दो बार किया जाता है, ताकि इन अवधियों में ग्राहकों की धारणाओं का अभिग्रहण हो सके। ग्राहकों से प्राप्त प्रत्युत्तर के आधार पर आकलित वर्ष के लिए औसत ग्राहक संतुष्टि सूचक लक्ष्य से अधिक है। ग्राहक संतुष्टि सूचक में अवलोकित रुझान को विपणन मोर्चे में हमारे कार्य प्रदर्शन के आकलन हेतु बुनियादी संकेतकों में से एक के रूप में लिया जाता है एवं विपणन क्षेत्र में और अधिक पैठ जमाने के लिए रणनीति तैयार करने हेतु उपयोग किया जाता है।

अनुलग्नक-IV

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा आय और व्यय पर रिपोर्टः

क. ऊर्जा का संरक्षणः

क. ऊर्जा का संरक्षणः

(i) ऊर्जा संरक्षण के लिए उठाए गए कदम या प्रभावः

आपकी कंपनी ने हमेशा से ही ऊर्जा संरक्षण को महत्व देती रही है एवं अपने सभी उत्पादन एककों में सर्वाधिक ऊर्जा दक्षता हासिल करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल कर रही है। आपकी कंपनी प्रौद्योगिकीगत उन्नतियों के पथ पर चलते हुए एवं अपने विभिन्न कार्यकलापों और प्रक्रियाओं में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाते हुए कैपिटल रिपेयर ग्रुप एवं स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज (एसजीए) के माध्यम से प्रौद्योगिकीगत उन्नयन एवं ऊर्जा संरक्षण उपायों का निष्पादन कर रही है।

विभिन्न एककों में ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गए उपाय निम्नानुसार हैंः

बॉक्साइट खानः

- पंचपटमाली बॉक्साइट खान एकक पिछले 2 वर्षों से पारंपरिक (एचपीएसवी/एचपीएमवी एवं एमएच) लाइट के संपूर्ण स्थापन को अधिक दक्ष एलइडी लाइट से चरण दर चरण बदलने की प्रक्रिया में थी। इसका लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया गया है। इससे वार्षिक ऊर्जा बचत 1.275 मि.यू. (110 टीओई) की अपेक्षा की जाती है। तथापि, वर्ष 2019-20 के दौरान, एलईडी लाइट की कुल बदली से 98 कि.वा. या 2352 कि.वा.घं. प्रति दिन की बचत हुई है। इनके संस्थापन की तिथियों से बदले जाने के फलस्वरूप अनुमानित ऊर्जा बचत 564480 कि.वा.घं. (या 40टीओई) है।
- पंचपटमाली बॉक्साइट खान ने 4 x 13 टीआर प्रिसिशन एयरकंडीशनर को प्रचालन के उपयुक्त बनाने एवं निष्क्रिय प्रचालन को कम से कम करने के लिए कंट्रोल लॉजिक्स को रूपांतरित किया है। इसके अलावा, 4x13 टीआर एयर कंडीशनर के पाइपिंग, कन्डेन्सर कॉइल एवं कम्प्रेशर के साथ रेफ्रिजरेन्ट की बदली की गई जिससे ऊर्जा दक्षता में सुधार आया है। इस प्रक्रिया में कुल ऊर्जा बचत 99750 कि.वा.घं. वार्षिक (8टीओई) है।

एल्यूमिना परिशोधनः

- ईंधन तेल खपत में कटौती के लिए निस्तप्तक में फीड हाईड्रेट की नमी में कमी लाने के लिए पानी निकालने वाले यंत्र का उपयोग।
- निस्तप्तक में ईंधन की आवश्यकता को कम करने के लिए थर्मल (ईंधन तेल योगज) का उपयोग आवश्यकता के अनुसार जारी है।
- उच्चतर प्रवाह क्षमता के साथ लाइन-3 पीएचई की बदली एवं 5वें प्रभावी पीएचई का उन्मूलन।
- सभी प्रमुख सड़कों एवं सार्वजनिक भवनों में ट्यूब लाइट एवं इन्कैन्डेसेंट बल्ब को एलईडी ट्यूब एवं बल्ब से बदली।
- नए एवं उन्नत डिजाइन के वाल्व से पुराने वेन्ट (निर्गम) वाष्प नियंत्रण वाल्व की बदली।
- ऊर्जा बचत परियोजनाओं के अंश के तौर पर विभिन्न क्षेत्रों में कई लघु स्तर की ऊर्जा न्यूनीकरण परियोजनाएँ हाथ में ली गई हैं। इन कार्यों के साथ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार जीटीजी विशिष्ट ऊर्जा खपत (एसईसी) लक्ष्य हासिल किए जाएंगे। जीएचजी निस्सरण भी कम किए गए जिससे ज्यादा स्वच्छ पर्यावरण में सहयोग मिल पाया है।
- प्रत्यक्ष रिटर्न कॉन्डेन्सेट का स्टीम एवं पावर प्लांट में प्रावधान के साथ स्टीम बंडल की स्थापना द्वारा डाइजेशन टीके 20,25,712 एवं 1016 को प्रत्यक्ष से परोक्ष तापज में बदला गया।
- सीटी 1 के टिम्बर शीतलीकरण टावर को आरसीसी शीतलीकरण टावर में बदला गया जिसने वाष्पीकारक बैटरियों (ए, बी, सी एवं डी) की शून्यता को बढ़ाने में सक्षम बनाया है, इस प्रकार क्षमता में वृद्धि एवं ऊर्जा में बचत हुई है।

एल्यूमिना परिशोधक ने पीएटी-II चक्र के अधीन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक हासिल किया है। एल्यूमिना परिशोधक ने 0.2910 टीओई/टी का एसईसी लक्ष्य हासिल किया जबकि लक्ष्य 0.3361 टीओई/टी था। एम एवं वी लेखा परीक्षकों ने 47568 संख्यक ईएस प्रमाणपत्र जारी करने की सिफारिश की।

प्रद्रावक संयंत्रः

- पॉट लाइन में 95 कैथोड ब्लॉक को ग्रैफिटाइज किया गया ताकि पॉट लाइनों में विद्युत खपत को कम किया जा सके। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2019-20 में डीसी विद्युत खपत स्थापना से न्यूनतम (13,367 कि.वा.घं./मे.ट.) रही।
- कार्बन संयंत्र में ₹385 लाख की बचत के साथ कोक धूल का न्यमैटिक पुनर्चक्रण हासिल किया गया ताकि कच्चे सामान की खपत को कम किया जा सके।
- ₹159 लाख की बचत के साथ 15,900 एलईडी लाइट फिटिंग द्वारा वर्तमान पारंपरिक लाइट फिटिंग की बदली ताकि प्रद्रावक संयंत्र में गौण ऊर्जा खपत में कमी आ सके।

नालको के प्रयासों को सीआईआई टीम ने स्वीकृति दी एवं 24 अगस्त, 2019 को कोलकाता में सीआईआई-पूर्वी क्षेत्र द्वारा 12वें एन्कॉन पुरस्कार, 2019 के दौरान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार की व्यापक श्रेणियों के लिए प्रथम रनर अप के साथ पाँच सितारा ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (उच्चतम सितारा उपलब्धि) हासिल हुआ।

हैदराबाद में ऊर्जा प्रबंधन में उत्कर्षता पर 20वें सीआईआई-राष्ट्रीय पुरस्कार में, सीआईआई टीम ने नालको के प्रयासों को स्वीकृति दी एवं 18 सितम्बर, 2019 को धातु क्षेत्र के अंतर्गत ऊर्जा सुदक्ष एकक एवं "सर्वाधिक उपयोगी प्रस्तुतीकरण" पुरस्कार प्राप्त हुआ।

ग्रहीत विद्युत संयंत्र (ग्र.वि.सं.)ः

- एकक #4 एवं एकक#9 में कन्डेन्सर की रसायन द्वारा सफाई की गई। लगभग डिजाइन मूल्य तक कन्डेन्सर निर्वात (वैक्यूम) में सुधार आ पाया है, जिससे कोयले की बचत हुई है।
- नए ऊर्जा दक्ष स्क्रू कम्प्रेसर से सात पुराने प्रत्यागामी एयर कम्प्रेशर को बदलने का कार्य किया गया। इससे गौण विद्युत खपत में कटौती करने में मदद मिली है।
- पारंपरिक लाइट फिटिंग के स्थान में कुल 6761 एलईडी फिटिंग के प्रतिस्थापन के माध्यम से 10,11,552 कि.वा.घं. की ऊर्जा की बचत हुई है।
- एकक 4 में 7 चरणों से 6 चरणों तक वर्तमान कन्डेन्सेट एक्सट्रैक्शन पम्प (सीईपी) के चरणों में कमी जिससे 40 कि.वा. की विद्युत खपत में कटौती आई है एवं 260800 कि.वा. की ऊर्जा बचत हुई।

2019-20 के दौरान प्रस्तावित या चल रही ऊर्जा संरक्षण परियोजनाएँः

एल्यूमिना परिशोधकः

- 18 वॉट के एलईडी ट्यूब एवं सीएफएल से ट्यूबलाइट और 07 वॉट एवं 09 वॉट एलईडी बल्ब से इन्कैन्डेसेन्ट बल्ब की बदली से संयंत्र प्रक्रिया क्षेत्रों में लाइट व्यवस्था में संतुलन आया है।
- निस्तप्तक में ईंधन की आवश्यकता को कम करने के लिए, निस्यंदन क्षेत्र में पानी निकालने वाले यंत्र का इस्तेमाल।
- निस्तप्तक में ईंधन की आवश्यकता को कम करने के लिए, निस्तप्तकों में ईंधन तेल योगज के रूप में थर्मल का उपयोग।

ग्रहीत विद्युत संयंत्र (ग्र.वि.सं.)ः

- एकक 6 में अत्याधुनिक स्वरूप के तापन तत्व एवं दोहरी सीलबंदी व्यवस्था से मौजूदा एयर-प्रिहीटर का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण किया गया। इससे वायु रिसाव में कमी आने एवं वर्धित ताप स्थानांतरण के कारण बॉयलर दक्षता में वृद्धि आएगी।
- एकक 4 में फ्लू गैस नलिकाओं (ईएसपी इनलेट में इकोनोमाइजर आउटलेट) का कॉम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनैमिक्स (सीएफडी) विश्लेषण का निष्पादन किया गया। विश्लेषण के कार्यान्वयन से प्रवाह के असंतुलन एवं नलिका के रिसाव को कम करने में मदद मिलेगी। इससे सहायक ऊर्जा खपत में कमी आ पाएगी।
- यूनिट 1 से 5 में, एक कूलिंग टावर की मरम्मत। कन्डेन्सर वैक्यूम में सुधार आएगा जिससे ताप दर एवं कोयले की खपत में कमी आएगी।

प्रद्रावकः

- प्रद्रावक ने रियो टिन्टो/एल्कॉन, कनाडा एवं नालको के बीच विकास सहयोग अनुबंध के अधीन विशिष्ट ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए एक प्रमुख परियोजना अर्थात "प्रद्रावक संयंत्र के लिए न्यून ऊर्जा सेल टेक्नोलॉजी का विकास (एपी2एक्सएन)" हाथ में लिया है। पॉटलाइन #3 में पंद्रह पॉट परीक्षण के अधीन है।
- रॉडिंग शॉप-II में एनोड स्लॉट कटिंग मशीन का संस्थापन कार्यान्वयन के अधीन है ताकि पॉट में विशिष्ट डी.सी. ऊर्जा खपत में कमी लायी जा सके एवं प्रक्रिया के स्थायित्व को बेहतर बनाया जा सके।
- अभिकेन्द्रीय कम्प्रेशर से प्रत्यागामी कम्प्रेशर की बदली कार्यान्वयन के अधीन है ताकि विशिष्ट ऊर्जा की खपत में कमी लायी जा सके।

(ii) **ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग हेतु कंपनी द्वारा उठाए गए कदमः**

आपकी कंपनी निम्नलिखित पवन एवं सौर विद्युत उत्पादन एककों का वाणिज्यिक रूप से संचालन कर रही हैः

- गण्डीकोटा, कदप, आंध्रप्रदेश में 50.4 मे.वा. पवन विद्युत संयंत्र।
- लुडर्वा, जैसलमेर, राजस्थान में 47.6 मे.वा. पवन विद्युत संयंत्र।
- देवीकोट, जैसलमेर, राजस्थान में 50 मे.वा. पवन विद्युत संयंत्र।
- जथ, सांगली, महाराष्ट्र में 50.4 मे.वा. पवन विद्युत संयंत्र।
- नालको भवन, नालको नगर एवं एनआरटीसी भवनों में 310 कि.वा.घं. रूफ टॉप सौर विद्युत संयंत्र।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने पवन शक्ति से 348.523 मि.यू. एवं सौर विद्युत संयंत्रों से 0.278 मि.यू. का उत्पादन किया है।

वर्ष 2019-20 में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के उपयोग के लिए उठाए गए कदम एवं वर्ष 2021-21 में कार्यान्वयनः

130 कि.वा.पी. (2x30 कि.वा.पी. एवं 2x35 कि.वा.पी) की एकीकृत क्षमता के साथ ऑन-ग्रिड रूफ टॉप सौर प्रणाली के लिए क्रय योजना वर्ष 2019-20 में तय कर ली गई है। परन्तु कोविड-19 प्रतिबंध के कारण अंतिम कार्यान्वयन को स्थगित रखा गया था। नवम्बर, 2020 तक इस प्रणाली के स्थापित किए जाने की अपेक्षा है। इस प्रणाली से सॉफ्टवेयर की गणना के अनुसार 211.1 मे.वा.घं. वार्षिक उत्पादन अपेक्षित है।

(iii) **ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर निवेश पूंजी:**

खान:

खानों में ऊर्जा संरक्षण उपायों के लिए वर्ष 2019-20 में ₹60.18 लाख की राशि व्यय की गई है।

एल्यूमिना परिशोधकः

वेन्ट स्टीम सीवी की बदली पर लागत	₹ 18.00 लाख
लाइन 3 पीएचई की बदली पर लागत	₹ 220.00 लाख
एलईडी बल्ब एवं ट्यूबलाइट की बदली पर लागत	₹ 42.00 लाख

प्रद्रावक:

मद	निवेश (₹ लाख में)
ग्रैफिटाइज किए हुए कैथोड ब्लॉक के साथ 95 पॉट जोड़े गए	7407
रॉडिंग शॉप II के लिए एनोड स्लॉट कटिंग मशीन	1204
पॉट लाइनों में एपी 2एक्सएन प्रौद्योगिकी का तकनीकी सह-विकास	36
कार्बन संयंत्र में कोक धूल का न्यूमेटिक संवहन	2

ग्र.वि.सं.:

मद	निवेश (₹ लाख में)
एकक #4 एवं एकक # 9 में कन्डेन्सरों की रसायन से सफाई	11.56
स्क्रू कम्प्रेशर से प्रत्यागामी एयर कम्प्रेशर की बदली	198
ऊर्जा दक्ष एलईडी व्यूबलाइट, एलईडी स्ट्रीट लाइट, एलईडी हाई बे फिटिंग्स से मौजूदा लाइट फिटिंग की बदली।	110
वर्तमान कन्डेन्सेट एक्सट्रैक्शन पम्प (सीईपी) की डी-स्टेजिंग	5.40

ख. प्रौद्योगिकी अंगीकरण, समावेशन एवं अभिनवता

क्रम सं.	प्रौद्योगिकी	उसके लाभ
1.	उच्च दर प्रगाढ़कों एवं डीप कोन वॉशरों से पारंपरिक चौरस तल सेटलर/वॉशरों की बदली	पीएच-1, 2 एवं 3 के लिए चौरस तल वॉशर एवं सेटलर के स्थान में एचआरडी एवं डीसीडब्ल्यू का क्रय एवं संस्थापन प्रगति में है। इस परिवर्तन के अपेक्षित लाभ निम्नानुसार हैंः — बहुत कम पदचिह्न क्षेत्र एवं — कम धारण समय, जिससे कम हाइड्रोलिसिस क्षति/ताप क्षति — ज्यादा अधोप्रवाही ठोस जिससे कम घुलनशील सोडा एवं एल्यूमिनियम क्षति

क्रम सं.	प्रौद्योगिकी	उसके लाभ
2.	प्रयोगशाला में परीक्षणौ के बाद स्वीकृत लाल पंक के शुष्क निपटान के लिए दाब निस्यंदन	कार्यान्वयनाधीन। अपेक्षित लाभ हैं: — निवर्तमान 56% की तुलना में 75% से बेहतर लाल पंक घोल ठोस में सुधार — निवर्तमान निपटान प्रौद्योगिकी से पंक के साथ सोडा गमन में न्यूनतम 36% ह्रास — लाल पंक तालाब की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि आगे अध्ययन के बाद आकलित की जाएगी
3.	धारा 4 अवक्षेपण में अंतर चरण कूलर के एक और चरण का संयोजन	कार्यान्वयनाधीन। अपेक्षित लाभः जब भी एक अवक्षेपण टैंक सेवा में नहीं रहता है, तब लिकर उत्पादनशीलता/संधारणीय उच्चतर उत्पादनशीलता में सुधार आती है।
4.	एनोड बट मानदंडों को मापने के लिए इन-लाइन स्वचलित एनोड बट निगरानी प्रणाली का विकास	अपेक्षित लाभः बट मानदंडों के दृष्टि परीक्षण एवं निगरानी से एनोड संविरचण प्रक्रिया एवं विद्युत-अपघटन प्रक्रिया में मदद मिलेगी
5.	एल्यूमिनियम विद्युत-अपघटन सेल के एनोड धारा वितरण के ऑनलाइन मापन हेतु वाई-फाई समर्थित सेन्सर व्यवस्था का विकास	अपेक्षित लाभः सुधारात्मक कदम लेने के सुविधार्थ परेशानी दे रहे पॉट के परीक्षण एवं निगरानी में मदद मिलेगी।
6.	नया उत्पाद एए8011 कुकवेयर शीट का विकास एवं वाणिज्यीकृत किया गया	आम उत्पाद की तुलना में ₹250/टन का अधिमूल्य।
7.	एनआरटीसी प्रयोगशाला में प्रतिष्ठित टेपिड रैमिंग मास (टीआरएम) के अनुमापी विस्तार एवं संदलन शक्ति की विधि का निर्धारण	सप्लायर प्रमाणपत्रों के साथ परीक्षण परिणाम की तुलना के माध्यम से विभिन्न आपूर्ति स्रोतों के लिए टीआरएम आंतरिक की परीक्षण विधि का प्रमाणीकरण स्थापित किया गया है।

पिछले 5 वर्षों के दौरान आयातित/प्रोन्नत प्रौद्योगिकी का विवरण :

क्रम संख्या	आयातित/प्रोन्नत प्रौद्योगिकी	आयात/प्रोन्नन वर्ष	क्या प्रौद्योगिकी पूरी समाहित हुई है	यदि पूरी समाहित नहीं हुई है, जिन क्षेत्रों में अप्रयुक्त रही उसके कारण एवं भावी कार्य योजनाएँ
1.	एल्यूमिना परिष्करण प्रक्रिया के लिए मध्यम दाब पाचन प्रौद्योगिकी	—		प्रस्तावित विस्तार के लिए कार्यान्वयन के अधीन

अनुसंधान एवं विकास पर व्ययः **₹ करोड़ में**

प्रकृति	2019-20	2018-19
पूंजी	2.76	21.99
राजस्व	10.82	9.01
कुल	13.55	31.00
कारोबार के % रूप में अनुसंधान एवं विकास व्यय	0.16	0.27

ग. वर्ष 2019-20 के लिए विदेशी मुद्रा आय 2018-19 में ₹4,647.38 करोड़ की तुलना में ₹3,442.97 करोड़ है। प्रक्रियाधीन रिपोर्ट वर्ष के लिए विदेशी मुद्रा व्यय 2018-19 में ₹312.95 करोड़ की तुलना में ₹520.30 करोड़ था।

अनुलग्नक-V

निगम अभिशासन रिपोर्ट

अभिशासन संहिता की धारणा

निगम अभिशासन अच्छे निगम अभ्यासों, प्रक्रियाओं, मानकों से निहीत सुदृढ़ प्रबंधन, पारदर्शिता एवं प्रकटीकरण का प्रतीक होता है एवं उन नियमों को प्रतिपादित करता है जो एक कंपनी को अच्छे निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं और इस प्रकार सत्यनिष्ठा, सामाजिक दायित्व एवं नियामक अनुपालनों में कोई समझौता किए बिना, हितधारकों के लिए दीर्घमियादी सर्वाधिक मूल्य का सृजन करते हैं। यह आर्थिक, सामाजिक, व्यक्ति विशेष एवं सामुदायिक लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाये रखने का साधन है। निगम अभिशासन किसी संगठन में उच्चस्तरीय दायित्व, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए एक नियंत्रण प्रणाली स्थापित करता है।

एक संगठन की सतत सफलता तभी संभव है, जब यह स्थायी रूप में अपने लेनदेन के सभी पक्षों में पारदर्शिता को प्रोत्साहित करे एवं हर स्तर पर सुशासन का पालन करे। आपकी कंपनी में, व्यवसाय केवल महत्वपूर्ण पहलुओं को सुदृढ़ करने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि सत्यनिष्ठा, सामाजिक दायित्व, पर्यावरण एवं नियामक अनुपालनों में कोई समझौता किए बिना सभी हितधारकों के लिए दीर्घमियादी मूल्य सृजन को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपकी कंपनी के बुनियादी मूल्यों का सार है सर्वोत्तमः **हितधारकों को लाभ प्रदान करना, उत्कृष्टता एवं गुणवत्ता, चिरस्थायीत्व, विश्वास एवं सत्यनिष्ठा हासिल करना। एक सुदृढ़ निगम अभिशासन के मानदण्ड से निवेशक समुदाय में भरोसा एवं विश्वास बढ़ता है।**

I. निदेशक मंडल

कंपनी के समुचित कार्य-प्रदर्शन एवं दृश्यता में बोर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। एक प्रबुद्ध बोर्ड कंपनी के लिए दूरदृष्टि, रणनीति एवं नीति तैयार करता है एवं इसकी प्रभावकारिता के लिए, समय-समय पर समीक्षा करता है। कंपनी के यथार्थ मालिक के रूप में एवं हितधारकों के प्रति न्यासिता के रूप में शेयरधारकों के अपरिहार्य अधिकारों में बोर्ड विश्वास करता है।

क) निदेशक मंडल का गठन

बोर्ड की स्वीकृत शक्ति निम्नानुसार हैः

i. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सहित छह पूर्णकालिक (कार्यकारी) निदेशकगण।

ii. दो अंशकालिक सरकारी निदेशकगण।

iii. आठ अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकगण

31 मार्च, 2020 को यथा बोर्ड का गठन निम्नानुसार हैः

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	डीआईएन	नियुक्ति की तिथि
	कार्यात्मक निदेशक		
1.	श्री श्रीधर पात्र* अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	06500954	17.12.2019
2.	श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम्# निदेशक (उत्पादन) एवं निदेशक (वित्त) - अतिरिक्त प्रभार	06965313	01.01.2015
3.	श्री संजीब कुमार रॉय निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)	06756812	03.02.2017
4.	श्री प्रदीप कुमार मिश्र निदेशक (वाणिज्यिक)	06445517	23.04.2018
5.	श्री राधाश्याम महापात्र$ निदेशक (मानव संसाधन)	07248972	01.01.2020

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	डीआईएन	नियुक्ति की तिथि
	अंशकालिक सरकारी निदेशक		
6.	डॉ. के. राजेश्वर राव	08071005	19.02.2018
7.	श्री अनिल कुमार नायक	08097669	27.03.2018
	अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक@		
8.	श्री नगेन्द्र नाथ शर्मा	02888318	06.09.2017
9.	श्रीमती अचला सिन्हा	07932932	08.09.2017

* 31.11.2019 को डॉ. तपन कुमार चान्द के सेवा निवर्त्तन के फलस्वरूप, श्री श्रीधर पात्र को 01.12.2019 से प्रभावी अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था एवं 17.12.2019 से पूर्णकालिक अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला।

\# श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम्, निदेशक (उत्पादन) को 10.01.2020 से निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया।

$ श्री राधाश्याम महापात्र 31.12.2019 को सेवानिवृत्त हुए श्री बी.के. ठाकुर, निदेशक (मानव संसाधन) के स्थान में 01.01.2020 को निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में जुड़े।

@ श्री दीपंकर महन्त, श्री एस. शंकररमण, श्री प्रभात केशरी नायक, प्रो. दामोदर आचार्य एवं श्री महेश्वर साहु, अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों की कार्यावधि 20.11.2019 को समाप्त हुई। इसके अलावा, श्रीमती किरण घई सिन्हा, अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक की कार्यावधि 02.02.2020 को समाप्त हुई।

31.03.2020 को यथा, गैर-कार्यकारी निदेशक अर्थात अंशकालिक सरकारी निदेशक एवं अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों का संयुक्त रूप से बोर्ड की कुल शक्ति में 44.44% हिस्सा है एवं अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों का एकल रूप में बोर्ड की कुल शक्ति में 22.22% हिस्सा है। बोर्ड में एक महिला स्वतंत्र निदेशक हैं एवं बोर्ड की कुल शक्ति में महिला निदेशक का हिस्सा 11.11% है।

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, बोर्ड का गठन 01.04.2019 से 20.11.2019 तक अधिनियम की धारा 149(4) ("अधिनियम") के अनुपालन में हुआ था। तथापि, दिनांक 21.11.2019 को 5 स्वतंत्र निदेशकों की कार्यावधि समाप्त होने पर, ये पद रिक्त रहे।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अधीन आवश्यकताओं के संबंध में, बोर्ड का गठन 01.04.2019 से 20.11.2019 तक सेबी विनियम के विनियम 17(1)(क) एवं विनियम 17(1)(ख) दोनों के प्रावधान के अनुपालन में था। यह गठन 21.11.2019 से 31.11.2019 तक उक्त सेबी विनियमों के विनियम के अनुपालन में नहीं था। इसके बाद, यह गठन 01.12.2019 से 02.02.2020 तक की अवधि के दौरान सेबी विनियम के विनियम 17(1)(क) के प्रावधान के अनुपालन में था परन्तु सेबी विनियम के 17(1)(ख) के अनुपालन में नहीं था। इसके बाद भी गठन 03.02.2020 से 31,03.2020 तक की अवधि के दौरान उपर्युक्त विनियमों के अनुपालन में नहीं था।

एक सरकारी कंपनी में निदेशकों की नियुक्ति के लिए नियुक्तिकारी प्राधिकारी प्रशासनिक मंत्रालय होता है। इसी अनुसार, अधिनियम के प्रावधानों एवं सेबी विनियमों के अनुपालन के लिए स्वतंत्र निदेशकों की शीघ्र नियुक्ति के लिए इस विषय को प्रशासनिक मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया है।

ख) बोर्ड की बैठकें एवं निदेशकों की उपस्थिति

- बोर्ड नियमित अंतराल पर कंपनी की व्यावसायिक रणनीतियों/नीतियों की चर्चा करता है एवं निर्णय लेता है तथा वित्तीय कार्य-निष्पादन की समीक्षा करता है। सेबी विनियमों की अनुसूची II के भाग-क के साथ पठित विनियम 17 में निर्दिष्ट विषयवस्तुओं पर बोर्ड को कार्यसूची के मदों की समीक्षा एवं विचार करने के लिए अनिवार्य किया गया है।
- बोर्ड ने अपने कार्यों को ज़्यादा प्रभावी तरीके से निष्पादित करने के लिए कुछ सांविधिक एवं कुछ गैर-सांविधिक प्रकृति की विभिन्न समितियों का गठन किया है।
- बोर्ड की बैठकों, समिति की बैठकों एवं साधारण बैठकों के आयोजन हेतु भारतीय कंपनी सचिवालय संस्था (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानकों का पालन किया जाता है।

- न्यूनतम 7 दिन की अग्रिम सूचना पर, समिति के सीएमडी/अध्यक्ष के अनुमोदन के साथ बैठकें आयोजित हुई हैं। बैठक में तात्पर्यपूर्ण एवं सुविज्ञ चर्चा के लिए आमतौर पर बैठक की निर्धारित तिथि के कम से कम एक सप्ताह पूर्व विस्तृत मसौदा टिप्पणियों के साथ मसौदे प्रचारित किए जाते हैं।
- निदेशक मंडल की बैठकें एवं समिति की बैठकें साधारणतया कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित होती हैं। वर्ष के दौरान, 30 पर्यटक स्थलों में से एक में बैठक आयोजन करने के डीपीई के कार्यालय ज्ञापन का अनुपालन करते हुए निदेशक मंडल की एक बैठक का आयोजन पुरी में किया गया था।
- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड की छह बैठकें आयोजित हुई। बैठक में निदेशकों की उपस्थिति के साथ बैठक की तिथियाँ निम्नानुसार हैं:

		उपस्थित निदेशकों की सं.				
बोर्ड की बैठक की सं. एवं तिथि	बोर्ड की शक्ति	कार्यात्मक	अंशकालिक सरकारी	अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र)	कुल उपस्थिति	शक्ति पर उपस्थिति का %
315वीं 30.05.2019	16	6	1	8	15	93.75
316वीं 19.07.2019	16	5	2	8	15	93.75
317वीं 13.08.2019	16	5	2	8	15	93.75
318वीं 17.09.2019	16	6	1	8	15	93.75
319वीं 13.11.2019	16	6	1	8	15	93.75
320वीं 10.02.2020	9	5	2	2	9	100.00

— बोर्ड की किसी भी दो बैठकों के बीच अधिकतम सम्यान्तर 88 दिन था।

— इन सभी बैठकों में आवश्यक कोरम उपस्थित थे।

नीचे दी गई तालिका 2019-20 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठक में निदेशकगण की व्यक्तिगत उपस्थिति, अंतिम वार्षिक साधारण बैठक में उनकी उपस्थिति, अन्य कंपनियों में निदेशक पद एवं अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता एवं अध्यक्षता को दर्शाती है:

नाम एवं पदनाम	बोर्ड की बैठक		18.09.2019 को आयोजित 38वीं वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थिति	अन्य निदेशक पद की सं.	अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता	
	कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति			सदस्यता	अध्यक्षता
डॉ. टी.के. चान्द अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक^	5	5	हाँ	2	शून्य	शून्य
श्री एस. पात्र अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक*	6	5	हाँ	2	शून्य	शून्य
श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम् निदेशक (उत्पादन) एवं निदेशक (वित्त) - अतिरिक्त प्रभार#	6	6	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
श्री बी.के. ठाकुर निदेशक (मानव संसाधन) %	5	5	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
श्री एस. के. रॉय निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)	6	5	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य

नाम एवं पदनाम	बोर्ड की बैठक		18.09.2019 को आयोजित 38वीं वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थिति	अन्य निदेशक पद की सं.	अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता	
	कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति			सदस्यता	अध्यक्षता
श्री पी.के. मिश्र निदेशक (वाणिज्य)	6	6	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
श्री आर.एस. महापात्र निदेशक (मानव संसाधन)$	1	1	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
डॉ. के. राजेश्वर राव अंशकालिक सरकारी निदेशक	6	4	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
श्री ए.के. नायक अंशकालिक सरकारी निदेशक	6	5	नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
श्री दीपंकर महन्त स्वतंत्र निदेशक@	5	5	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
श्री एस. शंकररमण स्वतंत्र निदेशक@	5	5	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
श्री पी.के. नायक स्वतंत्र निदेशक@	5	5	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
प्रो. दामोदर आचार्य स्वतंत्र निदेशक@	5	5	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
श्री महेश्वर साहु स्वतंत्र निदेशक@	5	5	हाँ	9	1	4
श्रीमती किरण घई सिन्हा स्वतंत्र निदेशक &	5	5	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
श्री एन.एन. शर्मा, स्वतंत्र निदेशक	6	6	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
श्रीमती अचला सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक	6	6	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य

^ 30.11.2019 से प्रभावी अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में सेवा निवृत्त।

* 30.11.2019 को डॉ. टी.के. चान्द के सेवा निवर्त्तन के फलस्वरूप 01.12.2019 से श्री एस. पात्र को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। उन्हें फिर 17.12.2019 से पूर्णकालिक अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक की नियुक्ति दी गई। वे दो संयुक्त उद्यम कंपनियों अर्थात खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड में 01.12.2019 से एवं उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड में 10.02.2020 से अंशकालिक गैर-सरकारी अध्यक्ष का पद भी संभाल रहे हैं।

10.01.2020 से निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

% 31.12.2019 को निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में सेवा निवर्त्तित।

$ 01.01.2020 से निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में नियुक्ति।

@ 20.11.2019 को स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति।

& 02.02.2020 को स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति।

(ग) गैर-कार्यकारी निदेशकगण

i) अंशकालिक सरकारी निदेशक एवं अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक गैर-कार्यकारी निदेशकगण हैं जो बोर्ड का हिस्सा हैं।

ii) अंशकालिक सरकारी निदेशक प्रशासन मंत्रालय की ओर से बोर्ड में मनोनीत होते हैं, जबकि अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

iii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में स्वतंत्र निदेशकों द्वारा किए गए प्रकटीकरण के आधार पर एवं बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशकगण अधिनियम, सेबी विनियम के अधीन निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं एवं प्रबंधन से स्वतंत्र रहते हैं।

iv) बोर्ड में निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति पर प्रत्येक स्वतंन्त्र निदेशकों को औपचारिक नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है। औपचारिक पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी में स्वतंत्र निदेशक की भूमिका, कार्य, दायित्व एवं जिम्मेदारियों का उल्लेख रहता है। स्वतंत्र निदेशकों के नियुक्ति पत्र कंपनी की वेबसाइट में उपलब्ध हैं: https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018/12/appt_letters.pdf

v) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने अपने पद से पदत्याग नहीं किया है।

vi) बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर, उनके लिए अनुकूलन कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। स्वतंत्र निदेशक एएसएसओसीएचएएम, सीआईआई, स्कोप एवं डीपीई द्वारा आयोजित किए गए विभिन्न अनुकूलन कार्यक्रम में नामित किए जाते हैं ताकि ये देशीय/वैश्विक परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन/विकास पक्षों पर अद्यतन हो सकें। स्वतंत्र निदेशकों द्वारा उपस्थित हुए ऐसे कार्यक्रमों का विवरण लिंक में उपलब्ध है: https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/11/Familiarisation_Programme_for Directors-14-11-2019.pdf

vii) किसी भी गैर-कार्यकारी निदेशक के पास कंपनी का कोई शेयर नहीं है।

viii) स्वतंत्र निदेशकों के पास कंपनी में स्टॉक विकल्प के संबंध में कोई अधिकार नहीं है।

ix) सभी निदेशक मेसर्स ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से कंपनी द्वारा ली गई डायरेक्टर्स एण्ड ऑफिसर्स इंश्योरेंस (डी एण्ड ओ इंश्योरेंस) के अधीन सम्मिलित हैं।

x) बोर्ड के दोनों स्वतंत्र निदेशक अर्थात श्री एन.एन. शर्मा एवं श्रीमती अचला सिन्हा ने एमसीए द्वारा किए गए संशोधनों के अनुसार आईआईसीए द्वारा अनुरक्षित डेटा बैंक के साथ स्वयं को पंजीकृत किया है एवं इन दोनों ने आईआईसीए द्वारा संचालित परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया है।

xi) बोर्ड में किसी भी गैर-कार्यकारी निदेशक की उम्र 75 वर्ष से अधिक नहीं है।

घ) बोर्ड की कुशलता/विशेषज्ञता/दक्षता से निर्दिष्ट तालिका/ढांचा

भारत सरकार के खान मंत्रालय के प्रशासन नियंत्रण के अधीन नालको एक सरकारी कंपनी है। कंपनी के सभी निदेशकों की नियुक्ति/मनोनीत किया जाना, कंपनी के लिए आवश्यक कौशल/विशेषज्ञता/प्रतिस्पर्धा के आधार पर प्रशासन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसके मद्देनजर, बोर्ड के निदेशकों ने सेबी विनियम के अधीन अपेक्षानुसार कंपनी के व्यवसाय के संदर्भ में निदेशक द्वारा अपेक्षित प्रमुख कौशल/विशेषज्ञता/प्रतिस्पर्धा की सूची को चिह्नित नहीं किया है।

ङ) बोर्ड के सदस्यों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन

— यदि निदेशकों का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है, तो बोर्ड, समितियों एवं व्यक्तिगत निदेशकों के औपचारिक मूल्यांकन की विधि जो कि बोर्ड रिपोर्ट में उल्लिखित किए जाने हेतु आवश्यक है, को सरकारी कंपनियों के लिए मुक्त रखा जाता है।

— अधिनियम के अधीन बोर्ड सदस्यों के कार्य-प्रदर्शन के मूल्यांकन से संबंधित आवश्यकता को भी निगम मामले मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 के परिपत्र के माध्यम से सरकारी कंपनियों को मुक्त रखा गया है।

— स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक के अभिप्राय से, सभी निदेशकों के विचारों को लेने के उपरांत कंपनी के चेयर पर्सन के कार्य-निष्पादन की समीक्षा को ओएम दिनांक 20.06.2013 के माध्यम से हटाते हुए डीपीई द्वारा समरूप रियायत प्रदान की गई है।

— दिनांक 05.07.2017 के परिपत्र के माध्यम से एमसीए ने अधिनियम की अनुसूची IV में वर्णित अनुसार सरकारी कंपनी के गैर-स्वतंत्र निदेशकों एवं चेयर पर्सन की मूल्यांकन कार्यविधि को हटा लिया है।

— सेबी विनियम के अधीन सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों को ऐसी कोई रियायत/मुक्ति नहीं दी गई है।

II निदेशकों को पारिश्रमिक

— नालको एक सरकारी कंपनी है, इसलिए कार्यात्मक निदेशकों को पारिश्रमिक, लाभ एवं निष्पादन संबंधी भुगतान (पीआरपी) वर्तमान डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप है। एमसीए ने अधिनियम की धारा 178 के अधीन अपेक्षित, निदेशकों को पारिश्रमिक से संबंधित नीति के निर्धारण से सरकारी कंपनी को विमुक्त रखा है।

— सभी कार्यात्मक निदेशक नई पेंशन योजना (एनपीएस) के सदस्य हैं।

— सरकारी नामित निदेशक डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार कोई पारिश्रमिक/बैठक शुल्क पाने के अधिकारी नहीं हैं।

— स्वतंत्र निदेशकों को उनके द्वारा उपस्थित निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक के लिए ₹30,000 तथा स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक समेत बोर्ड द्वारा गठित समिति की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने के लिए ₹25,000 बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। शुल्क में बढ़ोतरी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सांविधिक सीमा के अंदर है।

— कंपनी निदेशकों के लिए बैठकों में उपस्थित होने हेतु आवश्यक व्यवस्था करती है। बैठकों में उपस्थित होने के लिए स्वतंत्र निदेशकों द्वारा किए गए किसी भी फुटकर व्यय, यदि है, की प्रतिपूर्ति की जाती है।

— अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सहित सभी कार्यकारी निदेशक भारत के राष्ट्रपति की ओर से कार्यभार लेने की तिथि से 05 वर्ष की अवधि के लिए या सेवा-निवर्तन की उम्र होने तक या भारत सरकार की ओर से अगला आदेश नहीं मिलने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किए जाते हैं।

— अंशकालिक सरकारी निदेशक प्रशासनिक मंत्रालय से नामित होता है एवं प्रशासनिक मंत्रालय से अगला आदेश न मिलने तक कार्यभार संभालते हैं।

— अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति की ओर से 3 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है।

— कंपनी ने वर्ष 2019-20 के दौरान कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है।

— किसी भी निदेशक के लिए पृथक्करण शुल्क के भुगतान के लिए प्रावधान नहीं है। वर्तमान डीपीई दिशानिर्देशों एवं नियुक्ति पत्र में निर्दिष्ट अनुसार नोटिस अवधि लागू है।

— वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कार्यकारी निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है :

नाम	वर्ष 2019-20 के लिए पारिश्रमिक (₹)		
	पारिश्रमिक के सभी घटक	अन्य लाभ	कुल
डॉ. टी. के. चान्द, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक^	52,93,980	42,30,015	95,23,995
श्री एस. पात्र, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक*	49,17,844	4,465	49,22,309
श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम्, निदेशक (उत्पादन) एवं निदेशक (वित्त) - अतिरिक्त प्रभार#	60,15,512	18,31,400	78,46,912
श्री बी.के. ठाकुर, निदेशक (मानव संसाधन)%	63,99,471	36,07,193	1,00,06,664
श्री एस.के. रॉय, निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)	51,67,896	14,60,487	66,28,383
श्री पी.के. मिश्र, निदेशक (वाणिज्य)	43,40,287	2,06,317	45,46,604
श्री आर.एस. महापात्र, निदेशक (मानव संसाधन)$	11,57,025	4,134	11,61,159

टिप्पणी: अन्य लाभ में लागू अनुसार उपदान, निष्पादन संबंधित भुगतान एवं चिकित्सा लाभ शामिल है।

^ 30.11.2019 को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में सेवा निवर्तित।

* 30.11.2019 को डॉ. टी.के. चान्द के सेवा निवर्त्तन के फलस्वरूप, श्री एस. पात्र को 01.12.2019 से अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। इसके बाद 17.12.2019 से पूर्णकालिक अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई। वे कंपनी के दो संयुक्त उद्यम कंपनियों अर्थात 01.12.2019 से खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड एवं 10.02.2020 से उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड में अंशकालिक गैर-सरकारी अध्यक्ष का पद भी संभाल रहे हैं।

10.01.2020 से निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

% 31.12.2019 को निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में सेवा निवृत्त हुए।

$ 01.01.2020 से निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में नियुक्त हुए।

2019-20 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को किए गए बैठक शुल्क के भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है :

नाम	बैठक शुल्क (₹)		कुल (₹)
	बोर्ड की बैठक	समिति की बैठक	
श्री दीपंकर महंत@	1,35,000	3,60,000	4,95,000
श्री एस. शंकररमण@	1,35,000	4,50,000	5,85,000

नाम	बैठक शुल्क (₹)		कुल (₹)
	बोर्ड की बैठक	समिति की बैठक	
श्री पी.के. नायक@	1,35,000	3,37,500	4,72,500
प्रो. दामोदर आचार्य@	1,35,000	4,27,500	5,62,500
श्री महेश्वर साहु@	1,35,000	3,82,500	5,17,500
श्रीमती किरण घई सिन्हा&	1,35,000	3,37,500	4,72,500
श्री एन.एन. शर्मा	1,62,000	2,70,000	4,32,000
श्रीमती अचला सिन्हा	1,62,000	3,15,000	4,77,000

टिप्पणी: बैठक शुल्क के भुगतान से टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) काटा गया है।

@ 20.11.2019 को स्वतत्र निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति।

& 02.02.2020 को स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति।

III. बोर्ड की विभिन्न समितियाँ

— 9 बोर्ड स्तर की समितियाँ हैं जिनमें से 7 समितियाँ सांविधिक हैं एवं 3 समितियाँ स्वैच्छिक प्रकृति की हैं।

— स्वैच्छिक समितियों का गठन कार्यकारी निदेशकों एवं गैर-कार्यकारी निदेशकों के मेल से हुआ है ताकि विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके।

— बोर्ड बैठक से संबंधित सचिवीय मानक समिति बैठकों पर समान रूप से लागू हैं।

— प्रत्येक समिति के संदर्भ की शर्तें बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं।

सांविधिक समितियाँः

क) लेखा परीक्षा समिति

i) 31.03.2020 को, समिति में दो स्वतंत्र निदेशक एवं एक कार्यात्मक निदेशक हैं। निदेशक (वित्त) विशेष आमंत्रित व्यक्ति हैं एवं अन्य कार्यात्मक निदेशक समिति के आमंत्रित व्यक्ति हैं। एक स्वतंत्र निदेशक समिति के अध्यक्ष पद पर हैं। 31.03.2020 को लेखा परीक्षा समिति का गठन अधिनियम एवं सेबी विनियम के प्रावधानों के अनुपालन में था, परन्तु कोई भी सदस्य के पास सेबी विनियम के विनियम 18(1)(ग) के अनुसार लेखांकन या संबंधित वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञता नहीं है।

सेबी (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन के लिए, स्वतंत्र निदेशकों की जल्दी नियुक्ति हेतु विषयवस्तु को प्रशासनिक मंत्रालय के पास लाया गया है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, सदस्यों के आर्थिक रूप से साक्षर रहने एवं अध्यक्ष के पास लेखांकन या संबंधित वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञता रहने के कारण इनके साथ लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

ii) समिति ने वर्ष के दौरान 6 बार यथा 30.05.2019, 18.07.2019, 19.08.2019, 17.09.2019, 13.11.2019 एवं 10.02.2020 को बैठक की। लेखा परीक्षा समिति की किसी भी दो बैठक में अधिकतम समयांतर 88 दिन था।

iii) 31.03.2020 की स्थिति को समिति के सदस्यों एवं प्रत्येक सदस्य द्वारा बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार हैः

नाम	श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	उपस्थिति
श्रीमती अचला सिन्हा+	स्वतंत्र	अध्यक्षा	1	1
श्री एन.एन. शर्मा++	स्वतंत्र	सदस्य	1	1
श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम्, निदेशक (उत्पादन) एवं निदेशक (वित्त) - अतिरिक्त प्रभार#	कार्यकारी	सदस्य	6	6
श्री एस.के. रॉय**, निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)	कार्यकारी	सदस्य	5	4
श्रीमती के.जी. सिन्हा&	स्वतंत्र	अध्यक्षा	0	0

नाम	श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	उपस्थिति
श्री पी.के. नायक@	स्वतंत्र	अध्यक्ष	5	5
श्री एस. शंकररमण@	स्वतंत्र	सदस्य	5	5
प्रो. दामोदर आचार्य@	स्वतंत्र	सदस्य	5	5
श्री डी. महंत@	स्वतंत्र	सदस्य	5	5

टिप्पणी: निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी), निदेशक (वाणिज्यिक) एवं निदेशक (मानव संसाधन) 31.12.2019 से समिति के आमंत्रित सदस्य हैं। तथापि, निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) 31.12.2019 से समिति के सदस्य नहीं रहे हैं।

+ 02.02.2020 को स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्रीमती के.जी. सिन्हा के कार्यकाल की समाप्ति के फलस्वरूप 31.12.2019 को समिति के सदस्य के रूप में रखे गए एवं 03.02.2020 से समिति की अध्यक्षा के रूप में नियुक्त किए गए।

++ 31.12.2019 से समिति के सदस्य के रूप में रखे गए।

*** 10.01.2020 से निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। वे समिति के विशेष आमंत्रित व्यक्ति भी हैं, क्योंकि वे निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किए हुए हैं।

& 31.12.2019 को सदस्य एवं अध्यक्षा के रूप में नियोजित की गई । 02.02.2020 को निदेशक कार्यकाल समाप्त हो गया।

@ 20.11.2019 को कार्यकाल की समाप्ति पर समिति के सदस्य नहीं रहे है।

iv) आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रधान, सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं लागत लेखापरीक्षकों के प्रतिनिधिगण आवश्यकता के आधार पर बैठकों में उपस्थित हुए।

v) कंपनी सचिव लेखा परीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

vi) लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष गत वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थित थे।

vii) लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तें विस्तार में निम्नानुसार हैं :

लेखापरीक्षा समिति के अधिकार

- संदर्भ की शर्तों के अंदर किसी भी गतिविधि की जाँच करना।
- किसी कर्मचारी से सूचना मांगना।
- बाह्य कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करना।
- संबंधित विशेषज्ञता के साथ बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति संरक्षित करना, यदि आवश्यक हो।

अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा समिति की भूमिका में निम्नलिखित शामिल है :

- कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की जाँच करना और इसकी वित्तीय सूचना का प्रकटन ताकि यह सुनिश्चित हो पाए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय हैं।
- बोर्ड को लागत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति की सिफारिश करना एवं यदि अपेक्षित हो, तो प्रतिस्थापन या निष्कासन के बारे में कहना, लेखापरीक्षा शुल्क एवं नियुक्ति की अन्य शर्तों का निर्धारण।
- लागत लेखापरीक्षकों सहित सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई किसी अन्य सेवाओं के लिए भुगतान का अनुमोदन।
- वार्षिक वित्तीय विवरण और इस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को बोर्ड के पास अनुमोदन के लिए जमा देने से पहले निम्नलिखित विशेष संदर्भ में प्रबंधन के साथ पुनरीक्षण करनाः
  — अधिनियम की धारा 134(5) के अनुसार निदेशक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने हेतु निदेशक के दायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले अपेक्षित मामले।
  — लेखांकन नीतियों एवं पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई है एवं इसके कारण।
  — प्रबंधन द्वारा निर्णय प्रक्रिया के आधार पर आकलनों को शामिल करते हुए प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियाँ।

— लेखापरीक्षा निष्कर्षों के फलस्वरूप उत्पन्न वित्तीय विवरण में महत्वपूर्ण समायोजन।

— वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीयन एवं अन्य कानूनी अर्हताओं का अनुपालन।

— संबंधित पक्ष के लेनदेन का प्रकटन।

— मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अर्हताएं।

- तिमाही एवं वार्षिक वित्तीय विवरणों को अनुमोदन के लिए बोर्ड के पास जमा देने से पहले प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।
- इश्यू (पब्लिक इश्यू, राइट इश्यू, प्रिफरेंशियल इश्यू आदि) द्वारा प्राप्त निधियों के प्रयोग/अनुप्रयोग विवरण, प्रस्ताव कागजात/ विवरणिका/ नोटिस में वर्णित प्रयोजनों को छोड़कर अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त निधियों के विवरण एवं पब्लिक या राइट इश्यू की प्रक्रिया के उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा दाखिल रिपोर्ट का प्रबंधन के साथ पुनरीक्षण करना एवं इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उपयुक्त सिफारिश करना।
- लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता एवं लेखापरीक्षा प्रक्रिया के निष्पादन एवं प्रभावकारिता की समीक्षा एवं निगरानी करना।
- सम्बन्धित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेनों का अनुमोदन या तदुपरांत कोई रूपांतरण।
- अंतर-निगमित ऋण एवं निवेश, यदि कोई है, की जाँच करना।
- कंपनी के वचनपत्रों या परिसंपत्तियों का, यथावश्यक मूल्यांकन करना।
- आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों एवं जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना।
- लागत लेखापरीक्षकों एवं आंतरिक लेखापरीक्षकों समेत सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य निष्पादन एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता का प्रबंधन के साथ पुनरीक्षण।
- आतंरिक लेखापरीक्षा कार्य, यदि कोई है, की पर्याप्तता की समीक्षा करना, जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग प्रमुख कर्मचारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, कवरेज एवं आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति शामिल है।
- किन्ही महत्वपूर्ण निष्कर्षों एवं उन पर अनुवर्ती कार्यवाही के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा।
- आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा किन्ही आंतरिक जाँचों के निष्कर्षों की उन मामलों में पुनरीक्षा करना जहाँ संदिग्ध धोखाधड़ी हो अथवा अनियमितता हो अथवा भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों में विफलता हो और मामले की सूचना बोर्ड को देना।
- लेखापरीक्षा शुरू होने से पूर्व, लेखापरीक्षा के स्वरूप एवं क्षेत्र के बारे में, साथ ही किसी चिंता क्षेत्र का पता लगाने के लिए तत्पश्चात लेखापरीक्षा चर्चा के विषय में सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा।
- जमाकर्ताओं, डिबेंचरधारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांशों के गैर-भुगतान के मामले में) एवं लेनदारों के भुगतान में पर्याप्त चूक, यदि कोई है, के लिए कारणों की जाँच करना।
- सचेतक प्रणाली के कार्यकरण की पुनरीक्षा।
- एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार सेबी (भीतरी व्यवसाय निषेध) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन का पुनरीक्षण एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की जाँच करना तथा ये प्रभावी तरीके से संचालित हैं।
- इस प्रावधान के आने पर उस तिथि को विद्यमान वर्तमान ऋण/अग्रिम/निवेश समेत सहायक कंपनी में ₹100 करोड़ से अधिक या सहायक कंपनी की परिसंपत्ति के आकार का 10%, जो भी कम हो, होल्डिंग कंपनी द्वारा ऋण और/या अग्रिम/निवेश के उपयोग किए जाने का पुनरीक्षण।
- ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन जो कि कंपनी के निदेशक मंडल और/या निदेशकों की अन्य समितियों द्वारा समिति को विशेष रूप से भेजे गए हों।

लेखापरीक्षा समिति द्वारा निम्नलिखित सूचनाओं की अनिवार्य पुनरीक्षाः

1) वित्तीय स्थिति की प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण और प्रचालनों के परिणाम,
2) प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत सम्बन्धित पक्ष के महत्वपूर्ण लेनदेन का विवरण,
3) प्रबंधन पत्र/सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण कमजोरी के पत्र,
4) आंतरिक नियंत्रण कमजोरी से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट,
5) आंतरिक लेखापरीक्षकों/मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, निष्कासन एवं पारिश्रमिक की शर्तें।

6) व्यतिक्रमों का विवरण :

क) निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट, यदि प्रयोज्य हो, समेत व्यतिक्रम के तिमाही विवरण विनियम 32(1) की शर्तों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों के पास जमा किए गए।

ख) विनियम 32 (7) की शर्तों के अनुसार प्रस्ताव कागजात/विवरणिका/नोटिस में वर्णित प्रयोजनों को छोड़कर अन्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त निधियों का वार्षिक विवरण।

लेखापरीक्षा समिति की कार्यवाहियों में ये भी शामिल हैं;

क. लागत नियंत्रण के पर्याप्त होने और प्रचालन के आकार के अनुरूप होने की जाँच करना।

ख. आय बढ़ाए जा सकने वाले एवं लागत कम किए जा सकने वाले क्षेत्रों का अध्ययन करना।

ग. उपरोक्त प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली और बोर्ड को इसकी संस्तुति देना।

2. नामांकन और पारिश्रमिक समिति

i) अधिनियम की धारा 178 एवं सेबी विनियम के विनियम 19 की आवश्यकताओं के अनुसरण में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के रूप में निगम अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत गठित पूर्व की पारिश्रमिक समिति का नामकरण किया गया था।

ii) समिति की संदर्भ की शर्तें हैंः

क. कार्यपालकों एवं गैर-संगठित पर्यवेक्षकों में निर्धारित सीमा के अंदर वितरण के लिए वार्षिक बोनस/परिवर्तनशील पे पुल एवं नीति का अनुमोदन।

ख. अधिनियम एवं सेबी विनियम में निहीत विषयवस्तु।

iii) एमसीए ने दिनांक 05.06.2015 एवं 05.07.2017 की अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को कुछ निश्चित प्रावधानों जैसे कि बोर्ड और इसके व्यक्तिगत निदेशकों के वार्षिक मूल्यांकन, योग्यता, सकारात्मक अभिरुचि, निदेशकों की स्वतंत्रता हेतु नीति के निर्धारण एवं निदेशकों के पारिश्रमिक हेतु बोर्ड को दी गई नीति की संस्तुति से छूट दी है। तथापि, सेबी विनियम के अंतर्गत अभी तक सेबी द्वारा ऐसी कोई छूट प्रदान नहीं की गई है।

iv) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 18.07.2019, 17.09.2019 और 13.11.2019 को तीन बैठक हुई।

v) 31.03.2020 को समिति के सदस्यों एवं प्रत्येक सदस्य द्वारा बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार है :

लेखा समिति के सदस्य	श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	उपस्थिति
श्री एन.एन. शर्मा++	स्वतंत्र	अध्यक्ष	0	0
श्रीमती अचला सिन्हा+	स्वतंत्र	सदस्य	0	0
श्री ए.के. नायक, संयुक्त सचिव	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	0	0
श्रीमती के.जी. सिन्हा&	स्वतंत्र	अध्यक्षा	3	3
श्री एम. साहु@	स्वतंत्र	अध्यक्ष	3	3
श्री पी.के. नायक@	स्वतंत्र	सदस्य	3	3
श्री एस. शंकररमण@	स्वतंत्र	सदस्य	3	3
प्रो. डी. आचार्य@	स्वतंत्र	सदस्य	3	3

टिप्पणी: निदेशक (मानव संसाधन) एवं निदेशक (वित्त) समिति के आमंत्रित व्यक्ति हैं।

++ 02.02.2020 को स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्रीमती के.जी. सिन्हा के कार्यकाल की समाप्ति पर, 31.12.2019 से समिति के सदस्य के रूप में रखे गए और इसके बाद 03.02.2020 से समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए।

\+ 31.12.2019 से समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए।

& 31.12.2019 से अध्यक्षा नियुक्त की गई और इसके बाद 02.02.2020 को उनका कार्यकाल समाप्त होने के कारण समिति की सदस्य नहीं रही।

@ 20.11.2019 को स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त होने पर समिति की सदस्य नहीं रही।

vi) अंतिम वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों के प्रश्नों का जवाब देने के लिए उस समय नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष श्री महेश्वर साहू उपस्थित थे।

3) **हितधारक संबंध समिति**

i) अधिनियम की धारा 178 एवं सेबी विनियम के विनियम 20 के अंतर्गत गठित यह एक सांविधिक समिति है।

ii) समिति के संदर्भ की शर्तें शेयरों के अंतरण/संचरण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, लाभांश प्राप्त न होने एवं अन्य संबंधित विषयों से जुड़ी निवेशकों की शिकायतों का समाधान करती है।

iii) बोर्ड ने हाल ही में सेबी (एलओडीआर) (संशोधन) विनियम, 2018 के अंतर्गत निर्धारित अनुसार समिति के संदर्भ की शर्तों में संशोधन किया है जो 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी है:

1. शेयरों के अंतरण/संचरण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होने, नए/डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने, साधारण बैठक आदि से संबंधित शिकायतों समेत सूचीबद्ध संस्था के प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों का निवारण करना।
2. शेयरधारकों द्वारा मतदान अधिकारों का प्रभावी निष्पादन हेतु लिए गए उपायों की समीक्षा करना।
3. रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट द्वारा दी जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध संस्था द्वारा ग्रहीत सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा करना।
4. कंपनी के शेयरधारकों द्वारा दावारहित लाभांश के परिमाण को कम करने एवं लाभांश अधिपत्र/वार्षिक रिपोर्ट/सांविधिक सूचनाओं की यथा समय प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु सूचीबद्ध संस्था द्वारा लिए गए विभिन्न उपायों एवं प्रयासों की समीक्षा करना।

iv) प्रत्यक्ष या सेबी, स्टॉक एक्सचेंज आदि के द्वारा शेयरधारकों को प्राप्त सभी शिकायतों पर विचार करने एवं समाधान करने हेतु मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। निवेशकों को संतुष्ट करते हुए शिकायतों का संभावित समय में शीघ्रतर समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए गए।

v) वर्ष के दौरान चार बैठकें यथा 30.05.2019, 13.08.2019, 13.11.2019 एवं 10.02.2020 को हुई।

vi) 31.03.2020 को यथा समिति का गठन एवं प्रत्येक सदस्य द्वारा बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार है:

नाम	श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	उपस्थिति
श्रीमती अचला सिन्हा+	स्वतंत्र	अध्यक्षा	4	4
श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम्, निदेशक (उत्पादन) एवं निदेशक (वित्त) - अतिरिक्त प्रभार#	कार्यकारी	सदस्य	1	1
श्री आर.एस. महापात्र, निदेशक (मानव संसाधन)$	कार्यकारी	सदस्य	1	1
श्री पी.के. मिश्र, निदेशक (वाणिज्य)	कार्यकारी	सदस्य	4	4
श्री बी.के. ठाकुर, निदेशक (मानव संसाधन)%	कार्यकारी	सदस्य	3	3
श्री एस शंकररमण@	स्वतंत्र	अध्यक्ष	3	3
श्री दीपंकर महन्त@	स्वतंत्र	सदस्य	3	3
श्री पी.के. नायक@	स्वतंत्र	सदस्य	3	3
श्री एन.एन. शर्मा++	स्वतंत्र	सदस्य	3	3
श्रीमती किरण घई सिन्हा&	स्वतंत्र	सदस्य	3	3

+ 31.12.2019 से समिति की अध्यक्षा नियुक्त की गई।

10.01.2020 से निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

$ 31.12.2019 को निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में श्री बी.के. ठाकुर के सेवा निवृत्ति के बाद, 01.01.2020 को निदेशक (मानव संसाधन) का प्रभार लेने पर समिति के सदस्य के रूप मे शामिल हुए।

% 31.12.2019 से निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में सेवा निवृत्त हुए।

@ 20.11.2019 को कार्यकाल की समाप्ति पर समिति के सदस्य नहीं रहे।

++ 31.12.2019 से समिति के सदस्य नहीं रहे।

& 02.02.2020 को कार्यकाल की समाप्ति पर समिति के सदस्य नहीं रहे।

vii) गत वार्षिक साधारण बैठक के दौरान शेयरधारकों के प्रश्नों का जवाब देने के लिए उस समय हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, श्री एस. शंकररमण उपस्थित थे।

viii) 2019-20 के दौरान प्राप्त हुई एवं समाधान की गई शिकायतों का विवरण निम्नानुसार हैः

जिनसे प्राप्त हुई	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के दौरान हुए समाधान	अंतिम शेष
सेबी	शून्य	10	10	शून्य
स्टॉक एक्सचेंज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
व्यक्तिगत	शून्य	1,378	1,378	शून्य
कुल	शून्य	**1,388**	**1,388**	शून्य

सभी शिकायतों का समाधान यथा संगत समय-सीमा में किया गया। प्राप्त शिकायतों की सं. कंपनी के शेयरधारकों की कुल सं. का 0.56% रही।

ix) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्राप्त हुई एवं समाधान की गई विभिन्न प्रकार की शिकायतों का विभाजन निम्नलिखित हैः

शिकायतों के प्रकार	शिकायतों की संख्या
सिक्योरिटी का प्राप्त न होना	54
लाभांश का प्राप्त न होना	1,094
वार्षिक रिपोर्ट का प्राप्त न होना	240
कुल	**1,388**

x) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सेबी अनुदेश के अनुपालन में, कंपनी ने शेयरधारकों को नियमित अंतराल पर पत्र भेजकर अनुरोध किया था कि वे डेटाबेस में अपना पैन, पता एवं बैंक का विवरण अद्यतन करा लें ताकि कंपनी प्रभावी सेवाओं को प्रदान करने में सक्षम रहे।

इसके अलावा, सेबी विनियम के विनियम 40 में संशोधन करते हुए सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य किया गया हैं कि संचरण एवं प्रतिस्थापन मामले को छोड़कर 01.04.2019 से प्रभावी भौतिक शेयरों की प्रक्रिया/प्रभावी अंतरण न करें। प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने शेयरधारकों जिन्होंने शेयरों को भौतिक रूप में रखा है, को इन शेयरों को डीमैट/इलेक्ट्रानिक रूप में परिवर्तित कराने की सलाह दी है।

4) जोखिम प्रबंधन समिति

i) इस समिति के सदंर्भ की शर्तें सेबी (एलओडीआर)(संशोधन) विनियम, 2018 के अधीन अब निर्धारित साइबर सुरक्षा को भी शामिल करती है। समिति के संदर्भ की शर्तें निम्नानुसार हैं :

— प्रचालनात्मक, कार्यनीतिक, बाह्य पर्यावरण जोखिमों एवं साइबर सुरक्षा की पहचान, मूल्यांकन एवं न्यूनीकरण के संबंध में उत्तरदायित्वों के निरीक्षण में निदेशक मण्डल को सहयोग देना।

— कंपनी की जोखिम नीतियों एवं सम्बंधित पद्धतियों पर निगरानी रखने एवं अनुमोदित करने के लिए सम्पूर्ण जिम्मेदारी।

— किसी भी सार्वजनिक कागजात या प्रकटन में जोखिम प्रकटन विवरणियों की समीक्षा करना एवं अनुमोदित करना।

ii) समिति जोखिम आकलन योजना की समीक्षा एवं निगरानी करती है, आकलित जोखिम एवं उठाए जानेवाले आवश्यक कदम के बारे में समय-समय पर बोर्ड को सूचित करती है। ज्ञात हुए जोखिम का विवरण भी प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट में दिया जाता है।

iii) श्री आर.सी. जोशी, महाप्रबंधक (वित्त) को 03.06.2020 से कंपनी का मुख्य जोखिम अधिकारी बनाया गया है।

iv) वर्ष के दौरान 13.11.2019 को समिति की एक बार बैठक हुई।

v) 31.03.2020 की स्थिति को समिति एवं प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति से बैठक (कों) का गठन निम्नानुसार था :

नाम	श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	उपस्थिति
श्री एन.एन. शर्मा++	स्वतंत्र	अध्यक्ष	0	0
श्री एस. पात्र, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक*	कार्यकारी	सदस्य	1	1
श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम्, निदेशक (उत्पादन) एवं निदेशक (वित्त) - अतिरिक्त प्रभार#	कार्यकारी	सदस्य	1	1
श्री एस.के. रॉय, निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)**	कार्यकारी	सदस्य	0	0
श्री पी.के. मिश्र, निदेशक (वाणिज्य)	कार्यकारी	सदस्य	1	1
प्रो. दामोदर आचार्य@	स्वतंत्र	अध्यक्ष	1	1
श्री एस. शंकररमण@	स्वतंत्र	सदस्य	1	1
श्रीमती किरण घई सिन्हा&	स्वतंत्र	सदस्य	1	1

++ 31.12.2019 को पुनःगठित समिति में नियोजित किए गए एवं 31.12.2019 से समिति के सभाध्यक्ष नियुक्त किए गए।

* 17.12.2019 से अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति पर समिति के सदस्य नहीं रहे।

\# 10.01.2020 से निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया एवं निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार धारण करते हुए समिति के सदस्य के रूप में निदेशक (वित्त) के पद पर भी हैं।

** 31.12.2019 से समिति के सदस्य के रूप में रखे गए।

@ 20.11.2019 को कार्यकाल की समाप्ति पर समिति के सदस्य नहीं रहे।

& 02.02.2020 को कार्यकाल की समाप्ति पर समिति के सदस्य नहीं रहे।

5. **नि.सा.उ. एवं संधारणीयता विकास समिति:**

i) अधिनियम एवं सेबी के विनियम 34(2)(च) के प्रावधानों के अनुपालन में यह एक सांविधिक समिति है।

ii) समिति के संदर्भ की शर्तें निम्नलिखित हैं:

क. संबंधित पुनर्वास एवं परिधीय विकास सलाहकारी समिति (आरपीडीएसी) एवं एमएमडीआर अधिनियम के अधीन स्वीकार किए जानेवाले प्रस्ताव के जरिए कंपनी द्वारा ली जा रही परिधीय विकास गतिविधियों की निगरानी की जा रही है।

ख. नालको फाउंडेशन।

ग. पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदूषण नियंत्रण।

iii) वर्ष के दौरान 10.04.2019, 30.05.2019, 19.07.2019, 17.09.2019 एवं 13.11.2019 को समिति की पाँच बार बैठकें हुई।

iv) 31.03.2020 की स्थिति को समिति का गठन एवं प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति से बैठक(कों) का गठन निम्नानुसार था :

नाम	श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	उपस्थिति
श्री एन.एन. शर्मा++	स्वतंत्र	अध्यक्ष	5	5
श्री एस. पात्र, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक*	कार्यकारी	सदस्य	5	5
श्रीमती अचला सिन्हा+	स्वतंत्र	सदस्य	0	0
श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम्, निदेशक (उत्पादन) एवं निदेशक (वित्त) - अतिरिक्त प्रभार#	कार्यकारी	सदस्य	5	5
श्री आर.एस. महापात्र, निदेशक (मानव संसाधन)$	कार्यकारी	सदस्य	0	0
श्री बी.के. ठाकुर, निदेशक (मानव संसाधन)%	कार्यकारी	सदस्य	5	5

नाम	श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	उपस्थिति
श्रीमती के.जी. सिन्हा&	स्वतंत्र	अध्यक्षा	5	5
श्री डी. महन्त@	स्वतंत्र	अध्यक्ष	5	5
श्री एस. शंकररमण@	स्वतंत्र	सदस्य	5	5
श्री महेश्वर साहू@	स्वतंत्र	सदस्य	5	5

++ 02.02.2020 को श्रीमती के.जी. सिन्हा के कार्यकाल की समाप्ति पर, 03.02.2020 से समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए।

* 17.12.2019 से अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने पर समिति के सदस्य नहीं रहे।

\+ 31.12.2019 से समिति के सदस्य नियुक्त किए गए।

\# 10.01.2020 से निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया।

$ 30.12.2019 को निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में श्री बी.के. ठाकुर के सेवा निवर्त्तन के बाद, 01.01.2020 को निदेशक (मानव संसाधन) का प्रभार ग्रहण करने पर समिति के सदस्य के रूप में लिए गए।

% 31.12.2019 को निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में सेवा निवर्त्तित हुए।

& 31.12.2019 से अध्यक्षा नियुक्त की गई। 02.02.2020 को कार्यकाल समाप्ति पर समिति के सदस्य नहीं रहे।

@ 20.11.2019 को कार्यकाल की समाप्ति पर समिति के सदस्य नहीं रहे।

6. प्रौद्योगिकी समितिः

i) डीपीई दिशानिर्देशों के अधीन आवश्यकताओं के अनुपालन में प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया गया।

ii) समिति कंपनी के प्रौद्योगिकी विकास के प्रयासों का आकलन करने की निगरानी करती है एवं विशेष ध्यान देती है और प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों के अर्जन एवं समावेशन के साथ-साथ प्रद्रावक, परिशोधक आदि से संबंधित विशेष खपत मानकों की समीक्षा एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में संधारणीय शक्ति को बनाए रखने हेतु अपने अनुसंधान एवं विकास प्रयासों पर ध्यान देती है।

iii) वर्ष के दौरान समिति की 30.05.2019 को एक बार बैठक हुई।

iv) 31.03.2020 को समिति का गठन एवं प्रत्येक सदस्य द्वारा उपस्थिति निम्नानुसार थीः

नाम	श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	उपस्थिति
श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम्, निदेशक (उत्पादन) एवं निदेशक (वित्त) - अतिरिक्त प्रभार#	कार्यकारी	अध्यक्ष	1	1
श्री एस. पात्र, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक*	कार्यकारी	सदस्य	1	1
श्री एस.के. रॉय, निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)	कार्यकारी	सदस्य	1	1
श्री पी.के. मिश्र, निदेशक (वाणिज्य)	कार्यकारी	सदस्य	1	1
प्रो. दामोदर आचार्य@	स्वतंत्र	अध्यक्ष	1	1
श्री महेश्वर साहू@	स्वतंत्र	सदस्य	1	1

\# 31.12.2019 से समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इसके बाद, 10.01.2020 से निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया एवं इसके पश्चात समिति के सदस्य के रूप में निदेशक (वित्त) के पद का प्रतिनिधित्व किया।

* 17.12.2019 से अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने पर समिति के सदस्य नहीं रहे।

@ 20.11.2019 को स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति पर समिति के सदस्य नहीं रहे।

7. **शेयर अंतरण समितिः**

फटे हुए/विरूपित/गुम हो चुके/पुनः भौतिकीकरण के मामले में नए शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के मामलों को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को छोड़कर सभी कार्यकारी निदेशकों को शामिल करते हुए गठित शेयर अंतरण समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

समिति वर्ष के दौरान 07.06.2019, 17.06.2019, 12.07.2019, 06.08.2019, 20.08.2019, 20.09.2019, 24.10.2019, 20.12.2019 एवं 24.01.2020 को नौ बार बैठक की।

31.03.2020 को समिति का गठन एवं बैठक में प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति निम्नानुसार थीः

नाम	श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	उपस्थिति
श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम्, निदेशक (उत्पादन) एवं निदेशक (वित्त) - अतिरिक्त प्रभार#	कार्यकारी	अध्यक्ष	9	9
श्री एस. पात्र, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक*	कार्यकारी	सदस्य	7	5
श्री एस.के. रॉय, निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)	कार्यकारी	सदस्य	9	8
श्री पी.के. मिश्र, निदेशक (वाणिज्य)	कार्यकारी	सदस्य	9	9
श्री आर.एस. महापात्र, निदेशक (मानव संसाधन)$	कार्यकारी	सदस्य	1	1
श्री बी.के. ठाकुर, निदेशक (मानव संसाधन)%	कार्यकारी	सदस्य	8	8

10.01.2020 से निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार धारण किये हुए हैं।

* 17.12.2019 से अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने पर समिति के सदस्य नहीं रहे।

$ 31.12.2019 को निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में श्री बी.के. ठाकुर के सेवा निवर्त्तन के बाद, 01.01.2020 को निदेशक (मानव संसाधन) का प्रभार ग्रहण करने पर समिति के सदस्य के रूप में लिए गए।

% 31.12.2019 को निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में सेवा निवृत्त हुए।

गैर-सांविधिक समितियाँ (स्वैच्छिक प्रकृति की)ः

1. **मानव संसाधन समितिः**

i) कंपनी के मानव संसाधन प्रबंधन पर नीतिगत निर्णय बोर्ड को उनकी सिफारिशों के लिए समिति में निहित है।

ii) समिति के संदर्भ की शर्तें अध्ययन करके बोर्ड के अनुमोदन हेतु सलाह देने के साथ-साथ निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रस्ताव देने के लिए है :

क) बोर्ड स्तर से नीचे के कर्मचारियों के विषय में भर्ती, स्थानांतरण, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति एवं सेवा की अन्य शर्तों से संबंधित नियम और विनियम तैयार करना और उसमें परिवर्तन करना।

ख) गैर-कार्यपालकों का मजदूरी ढांचा एवं वेतनमान और उनमें कोई परिवर्तन।

ग) जनशक्ति योजना के साथ संगठन की तालिका।

घ) बोर्ड द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत कोई अन्य संदर्भ।

iii) वर्ष के दौरान 18.05.2019 को समिति की एक बार बैठक हुई।

iv) 31.03.2020 की समिति का गठन एवं बैठक में प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति निम्नानुसार थी:

नाम	श्रेणी	पद	बैठक आयोजित	बैठक में उपस्थिति
श्रीमती अचला सिन्हा+	स्वतंत्र	अध्यक्षा	0	0
श्री एस. पात्र, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक*	कार्यकारी	सदस्य	1	1
श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम्, निदेशक (उत्पादन) एवं निदेशक (वित्त) - अतिरिक्त प्रभार#	कार्यकारी	सदस्य	1	0

नाम	श्रेणी	पद	बैठक आयोजित	बैठक में उपस्थिति
श्री एस.के. रॉय, निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)	कार्यकारी	सदस्य	1	0
श्री आर.एस. महापात्र, निदेशक (मानव संसाधन)$	कार्यकारी	सदस्य	0	0
श्री बी.के. ठाकुर, निदेशक (मानव संसाधन)%	कार्यकारी	सदस्य	1	1
श्रीमती किरण घई सिन्हा&	स्वतंत्र	अध्यक्षा	1	1
श्री महेश्वर साहू@	स्वतंत्र	अध्यक्ष	1	1
श्री डी. महन्त@	स्वतंत्र	सदस्य	1	1

+ 02.02.2020 को श्रीमती के.जी. सिन्हा के कार्यकाल की समाप्ति पर 03.02.2020 से समिति की अध्यक्षा नियुक्त की गई।

* 17.12.2019 से अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक नियुक्त किए जाने पर समिति के सदस्य नहीं रहे।

निदेशक (वित्त) के अतिरिक्त भार को धारण करते हुए 31.12.2019 से समिति के सदस्य बन गए हैं।

$ 31.12.2019 को निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में श्री बी.के. ठाकुर के सेवा निवर्त्तन के बाद, 01.01.2020 को निदेशक (मानव संसाधन) का प्रभार ग्रहण करने पर समिति के सदस्य के रूप में लिए गए।

31.12.2019 को निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में सेवा निवृत्त हुए।

& 31.12.2019 से अध्यक्षा नियुक्त की गई और इसके बाद 02.02.2020 को कार्यकाल की समाप्ति पर समिति की सदस्य नहीं रही।

@ 20.11.2019 को कार्यकाल की समाप्ति पर समिति के सदस्य नहीं रहे।

2. नैतिक एवं निगम अभिशासन समिति

i. यह समिति कंपनी में पालन किए जा रहे नैतिक मानक एवं सुशासन पर निगरानी रखती है।

ii. समिति के संदर्भ की शर्तों में शामिल है :

क. हर स्तर पर निगम अभिशासन का पालन करना एवं जहाँ कहीं भी आवश्यक पड़े, सुधार के उपायों का सुझाव देना।

ख. कंपनी की प्रतिष्ठा एवं नेकनामी को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने के लिए मीडिया को सही निविष्टियों का प्रावधान।

ग. निवेशकों, संस्थानों एवं व्यापक रूप से जनता को वास्तविक तौर पर सही जानकारी का प्रचार।

घ. मौजूदा एवं भावी एफआईआई एवं रेटिंग एजेंसियों आदि के साथ आपसी वार्तालाप।

ङ. परामर्शदाताओं/सलाहकारों के सहयोग से, यदि आवश्यक हो, कंपनी की ओर से महत्वपूर्ण निगम संचार की जाँच स्थापित करना।

च. उच्च स्तर की अनुशासित भागीदारी के सुविधार्थ पूरी कंपनी में आंतरिक संचरणों के मानकीकृत माध्यमों का प्रवर्तन।

छ. सेबी की शर्तों एवं डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार गठित निम्नलिखित का अनुपालन :

- वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता
- अंतरंगी व्यवसायी विनियम
- संबंधित पक्ष के लेनदेन
- सतर्कता संबंधित मुद्दे
- सचेतक नीति

iii. वर्ष के दौरान 18.07.2019 एवं 13.11.2019 को समिति की दो बार बैठक हुई।

iv. 31.03.2020 को यथा, समिति एवं प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति से बैठक (कों) का गठन निम्नानुसार था:

नाम	श्रेणी	पद	बैठक आयोजित	बैठक में उपस्थिति
श्रीमती अचला सिन्हा+	स्वतंत्र	अध्यक्षा	2	2
श्री एस.के. रॉय, निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)	कार्यकारी	सदस्य	2	1
श्री पी.के. मिश्र, निदेशक (वाणिज्य)	कार्यकारी	सदस्य	2	2
श्री आर.एस. महापात्र, निदेशक (मानव संसाधन)$	कार्यकारी	सदस्य	0	0
श्री बी.के. ठाकुर, निदेशक (मानव संसाधन)%	कार्यकारी	सदस्य	2	2
श्रीमती किरण घई सिन्हा&	स्वतंत्र	अध्यक्षा	2	2
श्री दीपंकर महन्त@	स्वतंत्र	अध्यक्ष	2	2
श्री पी.के. नायक@	स्वतंत्र	सदस्य	2	2

\+ 02.02.2020 को श्रीमती के.जी. सिन्हा के कार्यकाल की समाप्ति पर 03.02.2020 से समिति की अध्यक्षा नियुक्त की गई।

$ 30.12.2019 को निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में श्री बी.के. ठाकुर के सेवा निवर्तन के बाद, 01.01.2020 को निदेशक (मानव संसाधन) का प्रभार ग्रहण करने पर समिति के सदस्य के रूप में लिए गए।

% 31.12.2019 से निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में सेवा निवृत्त हुए।

& 31.12.2019 से अध्यक्षा के रूप में नियुक्त की गई एवं इसके बाद 02.02.2020 को कार्यकाल की समाप्ति पर समिति की सदस्य नहीं रही।

@ 20.11.2019 को कार्यकाल की समाप्ति पर समिति के सदस्य नहीं रहे।

3. परियोजना एवं नए उद्यमों के लिए निदेशकों की समिति

i) यह समिति परियोजना संबंधी गतिविधियों पर निगरानी रखती है एवं नई परियोजनाओं में निवेश की सिफारिश करती है।

ii) समिति के संदर्भ की शर्तें संयुक्त उद्यमों पर नई परियोजनाओं/पूंजी व्यय पर जाँच करके बोर्ड को सलाह देना है :

क) डीपीआर को तैयार करने सहित नई परियोजनाओं के विभिन्न चरणों के संबंध में प्रक्रियाओं एवं औपचारिकताओं का मूल्यांकन एवं अनुमोदन।

ख) भारत और विदेश में प्रत्येक ₹ 10 करोड़ से अधिक लागत की नई परियोजनाओं में निवेश के लिए प्रस्ताव का अध्ययन एवं बोर्ड को सिफारिश करना।

ग) प्रत्येक ₹ 100 करोड़ से अधिक लागत की पूँजी परियोजनाओं की वस्तुस्थिति की समीक्षा करना।

iii) वर्ष के दौरान 26.04.2019 एवं 19.07.2019 को दो बार समिति की बैठक हुई।

iv) 31.03.2020 को यथा, समिति का गठन तथा सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार थी :

नाम	श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	उपस्थिति
श्री एस. पात्र, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक*	कार्यकारी	अध्यक्ष	2	2
श्री ए.के. नायक, अंशकालिक सरकारी निदेशक	सरकारी नामित	सदस्य	2	2
श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम्, निदेशक (उत्पादन)	कार्यकारी	सदस्य	2	2
श्री एस.के. रॉय, निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)	कार्यकारी	सदस्य	2	1
श्री पी.के. मिश्र, निदेशक (वाणिज्य)	कार्यकारी	सदस्य	2	2
श्री आर.एस. महापात्र, निदेशक (मानव संसाधन)$	कार्यकारी	सदस्य	0	0
डॉ. टी.के. चान्द, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक^	कार्यकारी	अध्यक्ष	2	2

नाम	श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	उपस्थिति
श्री बी.के. ठाकुर, निदेशक (मानव संसाधन)%	कार्यकारी	सदस्य	2	2
श्री पी.के. नायक@	स्वतंत्र	सदस्य	2	2
प्रो. डी आचार्य@	स्वतंत्र	सदस्य	2	2
श्री एम. साहु@	स्वतंत्र	सदस्य	2	1

* 30.11.2019 को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में डॉ. टी.के. चान्द के सेवा निवृत्ति के फलस्वरूप श्री एस. पात्र को 01.12.2019 से अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया एवं अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के पद को ग्रहण करते हुए उसी तिथि को समिति के अध्यक्ष बने।

$ 31.12.2019 को निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में श्री बी.के. ठाकुर के सेवा निवृत्ति के बाद, 01.01.2020 को निदेशक (मानव संसाधन) का प्रभार ग्रहण करते हुए समिति के सदस्य के रूप में लिए गए।

^ 30.11.2019 को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में सेवा निवृत्त हुए।

% 31.12.2019 को निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में सेवा निवृत्त हुए।

@ 20.11.2019 को अपने कार्यकाल की समाप्ति पर समिति को सदस्य नहीं रहे।

स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक:

— अधिनियम और साथ ही सेबी विनियम के अधीन स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक अपेक्षित है।

— निगम मामले मंत्रालय (एमसीए) ने सरकारी कंपनियों के लिए कुछ क्षेत्रों जैसे कि अध्यक्षा, गैर-स्वतंत्र निदेशकों एवं बोर्ड के कार्य-निष्पादन की समीक्षा को स्वतंत्र निदेशकों की बैठक के दायरे से संपूर्ण रूप से मुक्त रखा है।

— कंपनी प्रबंधन एवं बोर्ड के बीच सूचना प्रवाह की गुणवत्ता, अधिकता एवं समयोचितता का आकलन समिति करती है, जो बोर्ड के लिए प्रभावी एवं पर्याप्त रूप से उनके दायित्वों के निर्वाह के लिए आवश्यक है।

— वर्ष के दौरान, 02.02.2020 को एक बैठक हुई थी। दो स्वतंत्र निदेशक अर्थात श्री एन.एन. शर्मा एवं श्रीमती अचला सिन्हा उपस्थित हुए।

— कंपनी सचिव ने स्वतंत्र निदेशकों से प्राप्त अनुरोध पर ऐसी बैठक के संयोजन एवं आयोजन की सुविधा प्रदान की।

— बोर्ड की जानकारी के लिए बैठक के कार्यवृत्त बोर्ड की तदुपरांत बैठक में रखे गए।

IV. साधारण निकाय बैठक

i) अंतिम तीन वर्षों में आयोजित वार्षिक साधारण बैठकों का विवरण:

वित्तीय वर्ष	वार्षिक साधारण बैठक की तारीख	समय	विशेष संकल्प, यदि कोई है	स्थान
2016-17	23.09.2017	सुबह 11.00 बजे	नहीं	नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर - 751 013
2017-18	29.08.2018	सुबह 11.00 बजे	नहीं	
2018-19	18.09.2019	सुबह 11.00 बजे	नहीं	

ii) पिछले 3 वर्षों के दौरान कोई अतिरिक्त उल्लेखनीय साधारण बैठक आयोजित नहीं हुई है। तथापि, कंपनी ने 2016-17 के दौरान शेयरों की वापस खरीदी के लिए पोस्टल बैलट के माध्यम से विशेष संकल्प पारित किया था।

iii) 18.09.2019 को आयोजित पिछले वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) के दौरान शेयरधारकों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की गई थी। एजीएम वाले स्थान पर ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से अपना मतदान न कर पाने वाले सदस्यों को हाथ उठाकर मत देने की सुविधा प्रदान की गई।

iv) पिछले वर्ष की वार्षिक साधारण बैठक के दौरान, कंपनी ने सदस्यों को वेब-आगमन सुविधा प्रदान की ताकि बैठक वाले स्थान में शीघ्रता से एवं बिना परेशानी प्रवेश सुनिश्चित हो सके।

v) इस वार्षिक साधारण बैठक में पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष संकल्प संचालित किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

V. संचार के माध्यम

कंपनी एक अच्छे निगम अभिशासन अभ्यास के उपाय के रूप में भौतिक सूचना को साझा करने एवं समयानुसार परिणाम प्रकटन में विश्वास करती है।

i) पहली तीन तिमाही के लिए गैर-अंकेक्षित वित्तीय परिणाम सेबी विनियमों के अनुसार निर्धारित समय के अंदर घोषित किए गए थे। कंपनी की चौथी तिमाही एवं पूरे वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणाम सेबी द्वारा निर्धारित समय के अंदर घोषित किए गए थे।

ii) बोर्ड बैठकों की समाप्ति से आधे घंटे के अंदर, जहाँ बोर्ड द्वारा परिणाम अनुमोदित किए गए थे, एनएसई इलेक्ट्रॉनिक एप्लिकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (एनईएपीएस) एवं बीएसई सूचीयन केन्द्र के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंजों के पास परिणाम प्रचार किए गए थे। इसके साथ ही, परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.nalcoindia.com पर अपलोड कर दिए गए।

iii) अंग्रेजी और ओड़िया समाचारपत्रों में प्रकाशित परिणामों के सार का विवरण नीचे दिए अनुसार है :

परिणाम का विवरण	बैठक की तिथि	समाचार पत्र	प्रकाशन की तिथि
तिमाही 1- (अप्रैल-जून, 2019)	13.08.2019	धरित्री (ओड़िया), बिजनेस लाइन (अंग्रेजी)	14.08.2019
तिमाही 2- (जुलाई-सितम्बर, 2019)	13.11.2019	समाज (ओड़िया), बिजनेस स्टैन्डर्ड (अंग्रेजी)	14.11.2019
तिमाही 3- (अक्टूबर-दिसम्बर, 2019)	10.02.2020	प्रगतिवादी (ओड़िया), मिन्ट (अंग्रेजी)	11.02.2020
तिमाही 4 (जनवरी-मार्च, 2020 एवं वर्ष 2019-20)*	26.06.2020	-	-

* सेबी ने क्रमशः 26.03.2020 एवं 12.05.2020 के परिपत्र सं. एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/48 एवं एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 के माध्यम से 30.06.2020 तक निर्धारित सभी गतिविधियों के लिए सेबी विनियम के विनियम 47 के अधीन अपेक्षानुसार समाचार पत्रों में विज्ञापनों के प्रकाशन से छूट दी थी। अतएव, 26.06.2020 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय परिणामों के अनुमोदन के बाद समाचार पत्रों में कोई प्रकाशन नहीं किया गया था।

iv) संस्थानिक शेयरधारकों को विश्लेषक विवरण, व्यक्तिगत चर्चा, कॉन कॉल और साथ ही समय-समय पर निवेशक सम्मेलनों में भागीदारी के माध्यम से सूचित किया जाता है। संस्थानिक निवेशकों/विश्लेषकों को किए गए प्रस्तुतीकरण स्टॉक एक्सचेंज को भेजे जाते हैं एवं कंपनी की वेबसाइट www.nalcoindia.com पर अपलोड किए जाते हैं।

v) कंपनी ने शेयरधारकों को सूचित करने के लिए, ई-संचार अभ्यास को अंगीकार किया है। सभी प्रकार के पत्र/सूचनाएँ/रिपोर्ट उन शेयरधारकों के पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजे जाते हैं जिन्होंने अपने ई-मेल आईडी को डेटाबेस में पंजीकृत किया है। शेयरधारक जिन्होंने अपने ई-मेल आईडी को पंजीकृत नहीं किया है, उन्हें अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि संचार त्वरित एवं सुचारू हो सके।

vi) कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट एवं अन्य सरकारी सूचना उपयोगकर्ता उपयोगी एवं डाउनलोड किए जाने के रूप में वेबसाइट में दी गई है।

vii) शेयरधारकों के लिए उनके लाभांश के नकदीकरण की वस्तुस्थिति एवं समय-समय पर अन्य संबंधित जानकारी पाने के लिए वेबसाइट में “निवेशक सेवा” पृष्ठ में ऑनलाइन प्राप्ति सुविधाएँ प्रदान की गई हैं।

VI. साधारण शेयरधारक सूचना

i) कंपनी पंजीकरण का विवरणः

निगम पहचान संख्या (सीआईएन)	:	L27203OR1981GOI000920
कंपनी का पैन	:	AAACN7449M
कंपनी की जीएसटी	:	21AAACN7449M1Z9
पंजीकरण की तिथि	:	7 जनवरी, 1981
वित्तीय वर्ष	:	1 अप्रैल - 31 मार्च
कंपनी का पंजीकृत कार्यालय	:	नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर-751 013, ओड़िशा

ii) वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक साधारण बैठकः

मौजूदा कोविड महामारी के मद्देनजर, एमसीए ने दिनांक 05.05.2020 के अपने परिपत्र के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक साधारण बैठक के आयोजन की अनुमति दी हैं।

दिन एवं तिथि	बुधवार, 30 सितंबर, 2020
समय	सुबह 11.00 बजे
स्थान	नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर-751 013
माध्यम	वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से

iii) 2020-21 के लिए वित्तीय कैलेंडर:

गतिविधियाँ	अनुमानित तिथि
प्रथम तीन तिमाहियों के लिए गैर-अंकेक्षित वित्तीय परिणाम	संबंधित तिमाही की समाप्ति के 45 दिनों के अंदर सेबी द्वारा प्रदत्त विस्तारित समय, यदि कोई है।
चौथी तिमाही के परिणाम समेत वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम	वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिनों के अंदर सेबी द्वारा प्रदत्त विस्तारित समय, यदि कोई है।
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक साधारण बैठक	सितंबर, 2021 तक

iv) लाभांश नीतिः

कंपनी ने लाभांश वितरण नीति का निर्माण किया है एवं यह कंपनी की वेबसाइट में निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है :
https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/01/Dividend-Policy.pdf

निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा जारी हाल के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक सीपीएसई कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन कर पश्चात लाभ के 30% का न्यूनतम वार्षिक लाभांश या शुद्ध योग का 5%, जो भी अधिक है, का भुगतान करेगी।

v) लाभांश का भुगतान

- वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹1.50 प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश पर कुल ₹ 279.84 करोड़ एवं वर्ष 2018-19 के लिए ₹1.25 प्रति इक्विटी शेयर पर कुल ₹233.20 करोड़ के अंतिम लाभांश का भुगतान किया था।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कुल लाभांश भुगतान ₹ 513.04 करोड़ रहा जबकि पिछले वर्ष के दौरान ₹ 1072.73 करोड़ था।
- प्रयोज्य लाभांश वितरण कर समेत लाभांश भुगतान पीएटी का 244.06% रहा जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह 74.65% था।

vi) पिछले 5 वर्षों के लाभांश का इतिहासः

वर्ष	प्रति शेयर लाभांश (₹)	भुगतान तिथि	कुल लाभांश(₹ करोड़ में)	कर पश्चात लाभ (पैट) पर लाभांश का %
2014-15	(आई)- ₹0.50. (एफ)- ₹1.25	(आई)-30.03.2015 (एफ)-19.10.2015	451.02	34.12
2015-16	(आई)- ₹1.25 (एफ)- ₹0.75	(आई)-31.03.2016 (एफ)-25.10.2016	467.13	63.90
2016-17	(आई)- ₹2.80 (एफ)- शून्य	(आई)-23.03.2017	541.22	80.96
2017-18	(आई)- ₹4.70 (एफ)- ₹1.00	(आई)- 28.02.2018 (एफ)-24.09.2018	1,101.77	82.07
2018-19	(आई)- ₹4.50 (एफ)- ₹1.25	(आई)- 28.03.2019 (एफ)-14.10.2019	1,072.73	161.49

अंतरिम(आई), अंतिम(एफ)

vi) सूचीयन विवरणः

नालको शेयरों का सूचीयन विवरण निम्नानुसार हैः

विवरण	स्टॉक एक्सचेंज जहाँ शेयर सूचीवद्ध हैं	
	बीएसई लिमिटेड	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
ठिकाना	फिरोज जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001	एक्सचेंज प्लाजा, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा पूर्व, मुंबई - 400 051
स्क्रिप कोड	532234	NATIONALUM
से व्यापारित	19.10.1992	28.04.1999
स्टॉक कोड (आईएसआईएन)	आईएनई 139A01034	आईएनई 139A01034
2020-21 के लिए सूचीयन शुल्क का भुगतान	19.05.2020	21.05.2020

वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक परिरक्षा/जारीकर्ता शुल्क कंपनी द्वारा एनएसडीएल एवं सीडीएसएल को भुगतान किया गया है।

vii) वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बाजार मूल्य आंकड़ेः

माह	शेयर मूल्य (बीएसई) (राशि ₹ में)			शेयर मूल्य (एनएसई) (राशि ₹ में)			बाजार पूंजीकरण (₹ करोड़ में)	
	उच्च	न्यून	औसत कारोबार	उच्च	न्यून	औसत कारोबार	बीएसई	एनएसई
अप्रैल, 2019	58.00	51.00	9,54,605	57.90	51.10	85,88,541	10266.36	10260.90
मई	52.35	47.65	7,23,205	52.35	49.55	64,35,338	9328.10	9327.15
जून	51.00	46.90	6,25,062	51.50	48.15	67,14,154	9178.34	9181.01
जुलाई	51.50	43.30	5,45,333	49.45	43.45	68,05,333	8802.58	8796.63
अगस्त	45.30	36.90	4,89,670	47.30	43.50	61,50,260	7748.77	7750.36
सितंबर	49.25	39.50	7,22,072	46.35	43.10	89,35,081	8295.85	8301.23
अक्टूबर	46.95	39.70	6,29,235	45.55	41.40	1,41,58,974	8064.74	8064.24
नवंबर	48.05	40.80	4,04,776	47.70	40.70	74,87,042	8251.74	8248.00
दिसंबर	44.85	40.90	3,35,222	43.75	40.55	80,60,680	8035.31	8032.74
जनवरी, 2020	48.80	42.30	5,33,121	42.90	38.90	99,53,763	8485.94	8485.97
फरवरी	45.20	32.75	5,67,863	41.40	34.05	96,36,670	7485.49	7484.41
मार्च	35.65	24.45	7,05,100	35.25	24.40	1,02,10,877	5681.47	5679.06

उच्च=उच्चतम, न्यून=न्यूनतम, स्रोत: बीएसई एवं एनएसई की वेबसाइट

viii) व्यापक-आधारित सूचियों की तुलना में प्रदर्शन

बीएसई:

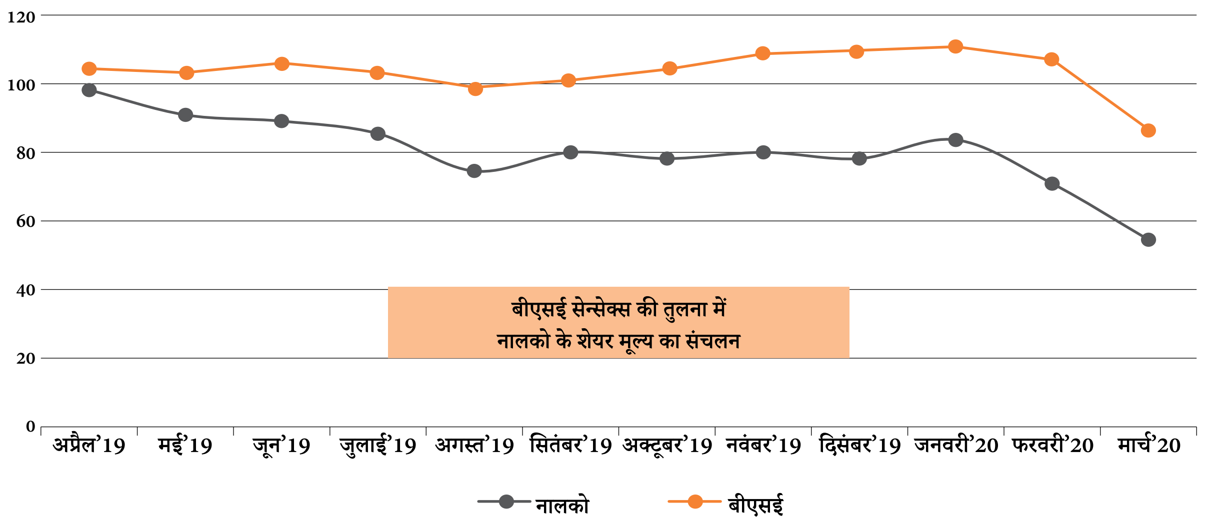

एनएसई:

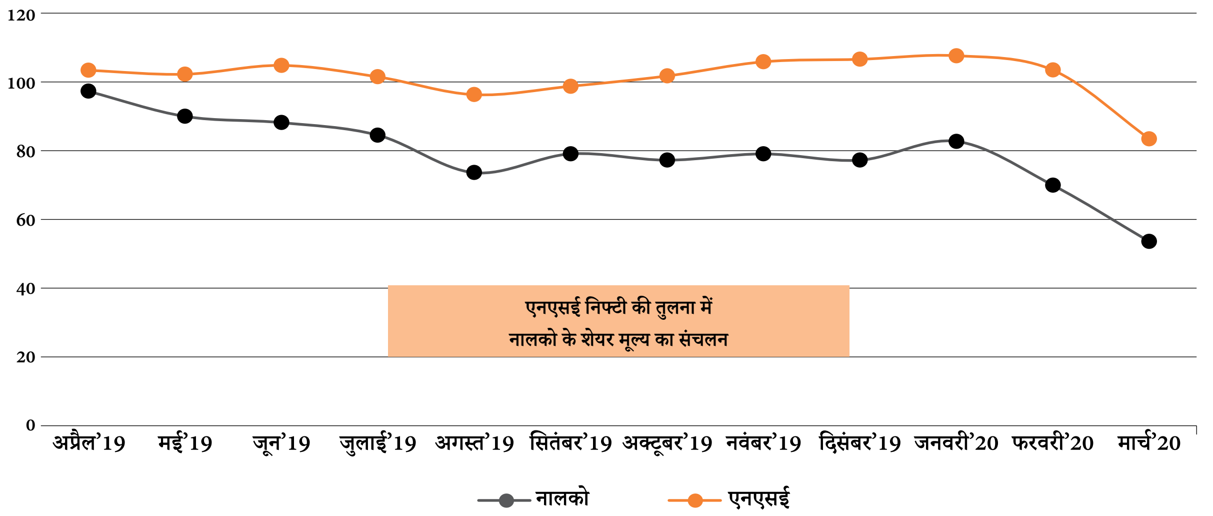

ix) रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट

कंपनी के शेयरधारक बेस में लगातार वृद्धि हुई है। शेयरधारकों को दक्ष एवं प्रभावी सेवाएँ सुनिश्चित करने के लिए, शेयर रजिस्ट्री गतिविधियाँ मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड) से प्राप्त की गई हैं। मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड शेयरों से संबंधित गतिविधियाँ जैसे कि शेयरों के अंतरण एवं संचरण, शेयरों के स्थानांतरण, डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने, नाम हटाने, पता बदलने, बैंक के विवरण, खत्म हो चुके लाभांश समादेश के बदले डीडी जारी करने, बैंक के साथ लाभांश खाते के समन्वय, आईईपीएफ संबंधी गतिविधियों का ध्यान रखने, नामांकितों के पंजीकरण, शेयरों के अभौतिकीरण/पुनः भीतिकीकरण आदि का निष्पादन करते हैं। मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का संपर्क विवरण निम्नानुसार है :

मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, यूनिटः नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32, गाचिबोअली, फाइनैंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद, तेलंगाना-500032, दूरभाष सं. 040-67161500, टोल फ्री नं.1800 345 4001, ईमेलः einward.ris@kfintech.com

x) **शेयर अंतरण प्रणालीः**

शेयरों के अंतरण/संचरण/पुनर्व्यस्थापन एवं अभौतिकीकरण से संबंधित सभी अनुरोधों/मामलों को अनुमोदित करने के लिए बोर्ड द्वारा कंपनी सचिव को अधिकृत किया गया है। तथापि, फटे हुए/विकृत/विरूपित/गुम हो चुके/पुनः भौतिकीकृत के मामले में नए शेयर प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित मसले अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को छोड़कर सभी कार्यात्मक निदेशकों से गठित शेयर अंतरण समिति द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं।

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी और शेयर ट्रन्सफर एजेंट द्वारा यथा हस्ताक्षरित सेबी विनियम के विनियम 7(3) के अन्तर्गत अपेक्षानुसार छमाही अनुपालन प्रमाणपत्र निर्धारित समय के अंदर स्टॉक एक्सचेंज के पास जमा किए गये हैं। इसके अलावा, सेबी विनियम के विनियम 40(10) के अनुपालन में, मेसर्स देब महापात्र एण्ड कं., अभ्यासरत कंपनी सचिव से छमाही आधार पर प्रमाणपत्र इस बात की पुष्टि करते हैं कि सारे प्रमाणपत्र अंतरण/संचरण/पुनर्व्यवस्थापन के लिए प्रस्तुति की तिथि से तीस दिनों के अंदर जारी किए गए थे, कॉल/आबंटन राशि के उप-विभाजन, मजबूतीकरण, नवीकरण, विनिमय या पृष्ठांकन निर्धारित समय में स्टॉक एक्सचेंज के पास जमा किए गए।

xii) **31.03.2020 को शेयरधारिता का स्वरूपः**

क्रम सं.	श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
1.	प्रमोटर (भारत सरकार)	1	96,07,93,011	51.50
2.	बैंक/वित्तीय संस्थान	28	11,28,07,859	6.05
3.	म्यूच्यूअल फंड	51	15,22,91,464	8.16
4.	बीमा कंपनियाँ	2	1,600	0.00
5.	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	175	21,05,41,468	11.29
6.	निगम निकाय	1,571	7,91,37,528	4.24
7.	भारतीय जनता	2,46,053	25,92,98,619	13.90
8.	अन्य	353	9,07,45,949	4.86
कुल		**2,48,234**	**1,86,56,17,498**	**100.00**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित रूप में प्रमोटर की धारिता में निम्न रूप में परिवर्तन आया है :

प्रमोटर का नाम	शेयरों की सं. (वर्ष के प्रारंभ)	धारिता का %	वर्ष के दौरान कमी	तिथि	माध्यम	शेयर शेष	धारिता का %
भारत के राष्ट्रपति	97,00,81,517	52.00	92,88,506	10.10.2019	भारत 22 ईटीएफ को शेयरों का अंतरण	96,07,93,011	51.50

श्रेणी-वार शेयरधारिता

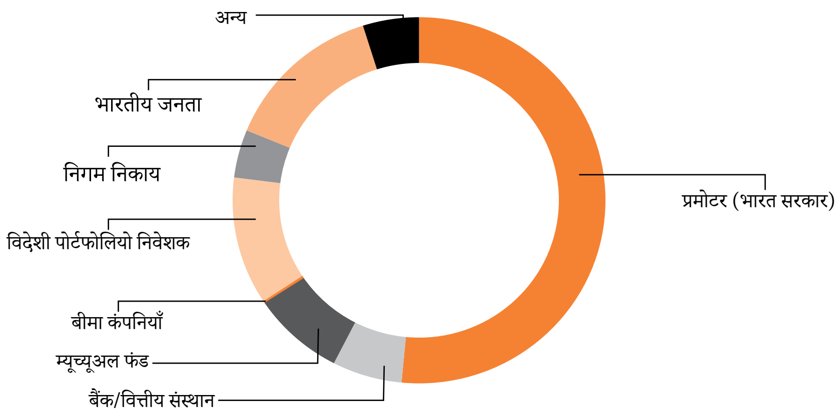

31.03.2020 को शेयरधारिता का वितरण:

शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारिता का %	शेयरों की संख्या	शेयर पूंजी का %
1-200	1,32,283	53.29	1,14,30,299	0.61
201-500	49,495	19.94	1,86,49,915	1.00
501-1000	28,512	11.49	2,35,68,769	1.26
1001-50000	37,297	15.02	16,14,65,051	8.66
50001-100000	274	0.11	1,93,64,585	1.04
100001 and above	373	0.15	1,63,11,38,879	87.43
कुल	**2,48,234**	**100.00**	**1,86,56,17,498**	**100.00**

31.03.2020 को कंपनी के प्रमोटर के अलावा शीर्ष के 10 इक्विटी शेयरधारक:

क्रम सं.	शेयरधारकों का नाम	शेयरों की संख्या	शेयर पूंजी का %
1.	भारतीय जीवन बीमा निगम	9,34,35,272	5.01
2.	भारत 22 ईटीएफ	6,26,87,023	3.36
3.	एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	3,40,90,854	1.83
4.	द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2,01,42,744	1.08
5.	हिंडालको इंडस्ट्रीज लि.	1,83,85,327	0.99
6.	रेणुका इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड फाइनेंस लिमिटेड	1,64,18,964	0.88
7.	आइशेयर्स इमर्जिंग मार्केट्स डिविडेंड ईटीएफ	1,48,52,484	0.80
8.	बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,45,26,723	0.78
9.	एलएसवी इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंड एलपी	1,29,79,300	0.70
10.	रेणुकेश्वर इन्वेस्टमेन्टस एण्ड फाइनेंस लिमिटेड	1,28,14,264	0.69
	कुल	**30,03,32,955**	**16.10**

xii) सूचीबद्ध शेयरों का अभौतिकीकरण/पुनः भौतिकीकरण एवं नकदीकरण:

कंपनी के शेयर अनिवार्य रूप से अभौतिकीकृत क्षेत्र में हैं एवं दोनों डिपॉजिटरी (निक्षेपकर्ताओं) अर्थात नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल) एवं सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के पास स्वीकृत हैं।

अभ्यासरत कंपनी सचिव से प्राप्त कंपनी की शेयर पूंजी के पुनर्मिलान के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट तिमाही आधार पर स्टॉक एक्सचेंज के पास सांविधिक अवधि के अंदर जमा की गई है।

31.03.2020 को भौतिक एवं अभौतिकीकरण रूप में धारित शेयरों की कुल सं. है :

	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	शेयरधारकों की संख्या
भौतिक	18,71,920	0.10	2,554
डिमैट (इलेक्ट्रॉनिक)			
एनएसडीएल के पास	1,72,72,67,139	92.58	1,27,166
सीडीएसएल के पास	13,64,78,439	7.32	1,18,514
कुल	**1,86,56,17,498**	**100**	**2,48,234**

वर्ष के दौरान, 68,972 शेयरों से संश्लिष्ट 151 अभौतिकीकरण अनुरोध की पुष्टि की गई है। वर्ष के दौरान कोई पुनः भौतिकीकरण अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

xiii) बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई अन्य परिवर्तनीय साधन, परिवर्तन की तिथि एवं इक्विटी पर संभावित प्रभाव:

कंपनी ने कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय साधन जारी नहीं किया है।

xiv) उचन्त खाते में इक्विटी शेयरः

सेबी विनियमों के विनियम 34(3) एवं अनुसूची V, पार्ट एफ के अनुपालन में उचन्त खाते में कोई इक्विटी शेयर नहीं है।

xv) आईईपीएफ में अप्रदत्त/दावाहीन लाभांश का अंतरणः

अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2011-12 के लिए दावाहीन अंतरिम लाभांश से संबंधित ₹12,61,884/- की राशि एवं वित्त वर्ष 2011-12 के दावाहीन अंतिम लाभांश से संबंधित ₹1,87,821/- की राशि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में अंतरित की गई है।

शेयरधारक निम्नलिखित लिंक में वेबसाइट से अप्रदत्त /दावाहीन लाभांश से संबंधित डेटा प्राप्त कर सकते हैं: https://kosmic.karvy.com/IEPF/IEPFInfo.aspx

xvi) आईईपीएफ में शेयरों का अंतरणः

अधिनियम की धारा 124(6) एवं समय-समय पर संशोधित आईईपीएफ प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण एवं धन वापसी) नियम, 2016 के अनुपालन में, शेयर जिसके संबंध में सात वर्ष या अधिक अवधि के लिए लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है या दावा नहीं किया गया है, को निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण खाते में अंतरित किए जाने की आवश्यकता है।

वर्ष के दौरान, एनएसडीएल के पास खोले गए आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमैट खाते में 132 शेयरधारकों के 36,902 शेयर अंतरित किए गए थे। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष तक, कंपनी ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में 813 शेयरधारकों के 2,32,177 शेयर का अंतरण किया है। आईईपीएफ में अंतरित किए गए शेयरों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित लिंक में उपलब्ध है: https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/06/shares-2-dt-19-6-2019.pdf

आईईपीएफ में अंतरित शेयर और/या लाभांश को आईईपीएफ प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट शुल्क के साथ फार्म आईईपीएफ-5 में आवेदन जमा करते हुए आईईपीएफ प्राधिकारी से वापस दावा किया जा सकता है। आईईपीएफ प्राधिकारी से शेयर/लाभांश दावा करने की प्रक्रिया एवं फार्म आईईपीएफ-5 लिंक https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/01/Form_IEPF_5.pdf पर उपलब्ध है।

xvii) वस्तु मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम एवं बचाव जोखिमः

कंपनी ने वस्तु बचाव पर कोई अरक्षितता नहीं दी है एवं अतएव दिनांक 15 नवम्बर, 2018 के सेबी परिपत्र के संबंध में प्रकटन शून्य लिया गया है। तथापि, निर्धारित सेबी प्रारूप के अनुसार शून्य रिपोर्ट नीचे दी गई है:

वस्तु का नाम	विशेष वस्तु के विषय में भारतीय रुपये में अरक्षितता	विशेष वस्तु के विषय में परिमाण के हिसाब से अरक्षितता	वस्तु व्युत्पादित के माध्यम से बचाव की गई ऐसी अरक्षितता का %				
			देशीय बाजार		अंतर्राष्ट्रीय बाजार		कुल
			ओटीसी	विनिमय	ओटीसी	विनिमय	
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

xviii) संस्था द्वारा प्राप्त क्रेडिट रेटिंग्स (उधार मूल्यांकन) की सूची, उसमें किए गए किसी संशोधन के साथ

वर्ष के दौरान, मेसर्स इंडिया रेटिंग्स ने नालको की रेटिंग (मूल्यांकन) साधन-वार निम्नानुसार की है:

साधन के प्रकार	रेटिंग	दृष्टिकोण
अल्पकालिक बैंक सुविधाएँ	आईएनडी ए1+	-
दीर्घकालिक बैंक सुविधाएँ	आईएनडी एएए	स्थिर

रेटिंग एजेंसी ने 05.03.2020 को प्रकाशित अपनी मूल्यांकन कार्यवाही के माध्यम से उपर्युक्त रेटिंग (मूल्यांकन) की पुनःपुष्टि की है।

VII. अन्य प्रकटन

क) कंपनी ने संबंधित पक्ष लेनदेनों पर एक नीति का गठन किया है जो निम्नलिखित लिंक में उपलब्ध है : https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018/12/NEW-RPT-NALCO.pdf

संबंधित पक्ष एवं संबंधित पक्ष के लेनदेन वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के स्वचालित वित्तीय विवरण एवं समेकित वित्तीय विवरण दोनों की टिप्पणी सं. 38 में प्रकट किए गए हैं। वित्त वर्ष के दौरान किसी भी संबंधित पक्ष के साथ कोई भौतिक लेन-देन नहीं किया गया था। निर्धारित फॉर्म एओसी-2 में संबंधित पक्ष के लेनदेन निदेशक की रिपोर्ट का भाग है।

ख) कंपनी ने सेबी विनियम एवं निगम अभिशासन पर अधिनियम एवं डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं का पालन किया है। कंपनी को कोई आलोचना प्राप्त नहीं हुई है एवं गत तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजारों से संबंधित किसी भी विषयवस्तु के गैर-अनुपालन के लिए सेबी या स्टॉक एक्सचेंज या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी से कोई दंड आरोपित नहीं किया गया था।

ग) सतर्कता तंत्र के उपाय के रूप में, निदेशकों एवं कर्मचारियों के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित 'सचेतक नीति' एवं 'धोखाधड़ी रोकथाम नीति' है, जो प्रबंधन को अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता के उल्लंधन या नैतिक नीति से संबंधित विषयों की रिपोर्ट करती है। यह नीति कर्मचारियों को अत्याचार के विरुद्ध भी सुरक्षा प्रदान करती है जो इस कार्यप्रणाली का उपयोग करते हैं।

यह भी पुष्ट की जाती है कि कंपनी के किसी भी कार्मिक को अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति के पास पहुँचने से वंचित नहीं किया गया था। दोनों ही नीतियाँ कंपनी की वेबसाइट में निम्नलिखत लिंक में उपलब्ध है:

https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018/12/Whistleblowerpolicy_nalco.pdf

एवं

https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018/12/Nalcofraudpreventionpolicy.pdf

घ) कंपनी के पास अभी तक कोई सहायक कंपनी नहीं है। अतएव, कंपनी ने भौतिक सहायक कंपनी के निर्धारण हेतु किसी नीति का गठन नहीं किया है।

ङ) कंपनी में वर्तमान में मुद्रा बचाव नीति की व्यवस्था है जिसके नियामक प्रावधान में बदलावों, यदि कोई हो, एवं बाजार की गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षा की जाती है। यद्यपि, कंपनी के पास विक्रय पर कोई बचाव नीति नहीं है।

च) कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अधिमानी आबंटन या योग्यताप्राप्त संस्थानिक व्यवस्थापन के माध्यम से कोई निधि प्राप्त नहीं की है।

छ) कंपनी ने मेसर्स देब महापात्र एण्ड कं., अभ्यासरत कंपनी सचिव से एक प्रमाणपत्र प्राप्त किया है, जो पुष्टि करते हैं कि कंपनी के निदेशक मंडल के किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड या निगम मामले मंत्रालय या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या बने रहने से रोका नहीं गया है या अयोग्य नहीं किया गया है। उक्त प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट का भाग रहा है।

ज) वर्ष के दौरान ऐसा कोई उदाहरण नहीं रहा है, जब बोर्ड ने किसी समिति की किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है, जो अनिवार्य रूप से अपेक्षित है।

झ) कंपनी ने वर्ष के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा दी गई सभी सेवाओं के लिए ₹91 लाख का भुगतान किया है।

ञ) वर्ष के दौरान, कार्यस्थल में महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया गया था।

ट) विभिन्न नीतियों के लिए वेब लिंक संबंधित शीर्षकों के अधीन दिए गए हैं।

ठ) निगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन के विषय में कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों से प्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट का भाग रहा है।

ड) भेदिया व्यापार संहिता

बोर्ड ने सेबी (भीतरी व्यापार निषेध) विनियम, 2015 की आवश्यकताओं के अनुसरण में अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के निष्पक्ष प्रकटन हेतु एक सुदृढ़ कार्यपद्धतियों एवं कार्यप्रक्रियाओं की संहिता निर्दिष्ट की है।

इस संहिता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी का कोई अंतरंगी किसी अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना, जो उसके पास है, को सार्वजनिक किए जाने से पहले कोई लाभ न प्राप्त करे या उसके आधार पर कोई लाभ प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे की सहायता न करे।

इस संहिता के लिए अनुपालन अधिकारी कंपनी सचिव ही हैं।

बोर्ड ने अपने कर्मचारियों एवं अन्य संबंधित व्यक्ति द्वारा किए व्यापार को नियंत्रित, निगरानी एवं रिपोर्ट करने के लिए आचार संहिता को भी अनुमोदित किया है।

भेदिया (इनसाइडर) को भेदिया व्यवसाय संहिता में वर्णित कुछ शर्तों एवं अनुपालन अधिकारी के अनुमोदन के अधीन व्यापारित योजना तैयार करने का अधिकार होता है। व्यापार योजना अनिवार्य रूप से कार्यान्वित होती है।

मनोनीत व्यक्ति एवं उसके नजदीकी संबंधी को ट्रेडिंग विण्डो (व्यवसाय अवसर) बंद रहने पर सिक्योरिटीज में व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाती है। संहिता में वर्णित निश्चित सीमा के बाहर सिक्योरिटीज से संबंधित व्यापार कार्य हेतु अनुपालन अधिकारी की अनुमति आवश्यक है। सभी निदेशकों/मनोनीत कर्मचारियों को भी इस संहिता के अंतर्गत निर्धारित प्रारंभिक सीमा से ऐसे लेनदेन का मूल्य अधिक होने पर निर्धारित समय के अंदर स्टॉक एक्सचेंज जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध है, के पास अपने लेनदेन को प्रकट करने की आवश्यकता पड़ती है।

इस संहिता को कंपनी की निम्न वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है:

https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/01/AMENDED-COPP.pdf

ढ) **आचार संहिता**

कंपनी ने व्यवसाय संचालन एवं नैतिकता की एक प्रतिमान संहिता ('संहिता') को निरुपित किया है, जो कंपनी के बोर्ड के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन (निदेशक मंडल से एक स्तर नीचे) पर लागू है। यह संहिता कंपनी की वेबसाइट में निम्नलिखित लिंक में उपलब्ध है : https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/01/CodeofConduct.pdf

बोर्ड में सभी निदेशकों को उनके नियोजन पर, संहिता की प्रतिलिपि प्रदान की जाती है जो इसे प्राप्त होने की स्वीकृति देते हैं। इसके अलावा, बोर्ड के सभी सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वार्षिक आधार पर संहिता की पुष्टि करते हैं।

सेबी विनियम की अनुसूची V के अधीन अपेक्षित अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा

घोषणा

बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

हस्ता./-

(श्रीधर पात्र)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

ण) **सीइओ/सीएफओ प्रमाणन**

श्री एस. पात्र, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम, निदेशक (उत्पादन) एवं निदेशक (वित्त)- अतिरिक्त प्रभार द्वारा यथा हस्ताक्षरित सेबी विनियम के विनियम 17(8) के अधीन सीईओ/सीएफओ प्रमाणपत्र 26.06.2020 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में प्रस्तुत किया गया था।

त) **डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्रकटन**

i. लेखा बहियों में उन व्यय को नहीं घटाया गया है, जो व्यवसाय से सम्बन्धित न हों।

ii. कोई व्यय ऐसा नहीं है जो व्यक्तिगत प्रकृति का हो एवं निदेशक मंडल एवं शीर्ष प्रबंधन के लिए खर्च किया गया है।

iii. कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्यय एवं कार्यालय व्यय बनाम वित्तीय व्यय का विवरण और बढ़ोतरी के कारण निम्नवत हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19
प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय	124.14	118.86
कुल व्यय	8,518.18	9,085.27
कुल व्यय के % के रूप में प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय	1.46	1.31
वित्तीय व्यय	5.74	2.38

iv. कंपनी लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित निगम अभिशासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन में स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट तिमाही आधार पर जमा कर रही है। कंपनी को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार 'उत्कर्ष' दर्जा प्रदान किया गया है। वर्ष 2019-20 के लिए स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट निम्नलिखित वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है :

https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2020/04/Self-Appraisal-Report_2019-20-Revised.pdf

v. कंपनी ने वर्ष के दौरान एवं गत तीन वर्षों के दौरान जारी अध्यक्षीय दिशासूचकों का अनुपालन किया है।

VIII. गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं

सेबी विनियम की अनुसूची - II के भाग ई के साथ पठित विनियम 27(1) के अंतर्गत विवेकाधीन अर्हताओं के अनुपालन की वस्तुस्थिति निम्नवत है:

क. कंपनी को सांविधिक लेखा-परीक्षकों एवं सी एण्ड एजी से पिछले कई वर्षों के लिए गैर-योग्यताप्राप्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हो रही है जो गैर-योग्यताप्राप्त वित्तीय विवरणों की व्यवस्था की सूचक है।

ख. आंतरिक लेखापरीक्षक के प्रधान को आंतरिक लेखा-परीक्षक रिपोर्ट करते हैं एवं फिर बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति को आंतरिक लेखा-परीक्षक के प्रधान रिपोर्ट करते हैं।

IX. कंपनी के संयंत्र के स्थान

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय: नालको भवन, प्लॉट नं. पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर - 751013 (ओड़िशा)	**प्रद्रावक संयंत्र** नालको नगर, अनुगुल - 759 145, (ओड़िशा)
खान एवं परिशोधक खान एवं परिशोधन संकुल दामनजोड़ी - 763 008, जिला - कोरापुट (ओड़िशा)	**ग्रहीत विद्युत संयंत्र** अनुगुल - 759 122 (ओड़िशा)
पत्तन सुविधाएं ओर हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स के विपरीत पत्तन क्षेत्र, विशाखापत्तनम – 530 035 (आंध्र प्रदेश)	**जैसलमेर 47.6 मे.वा. पवन विद्युत संयंत्र** नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ग्रामः लुडर्वा काहेला, खदेरो-की-धानि, तावारिया, चातरेल मंडल/तालुक/जिला - जैसलमेर, राजस्थान – 345001
गण्डीकोटा 50.4 मे.वॉ. पवन विद्युत संयंत्र नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ग्राम गंडीकोटा, मंडल - प्रोद्दात्तुर, तालुका - जम्मालमाडुगु, जिला - कडप, आंध्र प्रदेश	**सांगली 50.4 मे.वॉ. पवन विद्युत संयंत्र** नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ग्राम - मेंधीगिरी, तालुक - जत, जिला - सांगली, महाराष्ट्र - 416404
जैसलमेर 50 मे.वॉ. पवन विद्युत संयंत्र नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ग्राम - देवीकोट, तहसील - फतेहगढ़, प्रभाग/तालुक/जिला - जैसलमेर, राजस्थान - 245009	**कायाथार 25.5 मे.वॉ. पवन विद्युत संयंत्र** नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ग्राम - ओनमाकुलम, तहसील, कायाथार, जिला - तूतिकोरिन, तमिलनाडु - 628303
पत्तन सुविधाएँ	
विशाखापत्तनम ओर हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स के सामने, पत्तन क्षेत्र, विशाखापत्तनम - 530 035, आंध्र प्रदेश	**पारादीप (पत्तन कार्यालय)** 'वी' प्वाइंट, बड़पड़िया, पारादीप - 751 142
क्षेत्रीय कार्यालय	
पूर्वी क्षेत्र प्रथम तल, जे के मिलेनियम सेंटर, 46-डी, चौरंगी रोड, कोलकाता - 700 071	**पश्चिमी क्षेत्र** 215, टी.व्ही. इंडस्ट्रियल एस्टेट, एस.के. अहीरे मार्ग, वर्ली, मुम्बई - 400 030
उत्तरी क्षेत्र कोर - 4, 5वाँ तल, साउथ टावर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली - 110 092	**दक्षिणी क्षेत्र** 3ई, सेंचुरी प्लाजा, 560, अन्ना सालई, तेयनामपेट, चेन्नई-600 018
शाखा कार्यालय	
बेंगलुरु भूतल, जल भवन, सं. 5 एवं 6, प्रथम चरण, पहला फेज, बीटीएम लेआउट, बानरघट्टा मेन रोड, बेंगलुरु - 560 029	

भंडार परिसर

भिवण्डी
मेसर्स नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
द्वारा- एन.एस.आई.सी. लिमिटेड, 183/5, इण्डियन कोर्पोरेशन कंपाउण्ड,
मनकोली नाका, मुम्बई नासिक रोड़,
ठाणे, महाराष्ट्र, भिवण्डी-421 302

कोलकाता
मेसर्स नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
द्वारा- बामर लॉरी एंड कम्पनी लिमिटेड,
डब्ल्यू.एच.1-सोनापुर रोड,
कोलकाता - 700 088, पश्चिम बंगाल

जयपुर
मेसर्स नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
द्वारा- ओम प्रकाश अग्रवाल, खसरा 9/2/3, 9/2/4 एवं 16/12,
ग्राम निमेदा, बिन्दायक इंडस्ट्रियल एरिया के पास, सिरसी रोड,
जयपुर-302012, राजस्थान

विशाखापत्तनम
मेसर्स नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
नालको पत्तन सुविधाएँ, पत्तन क्षेत्र,
विशाखापत्तनम - 530 035.
आन्ध्र प्रदेश

बद्दी
मेसर्स नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
द्वारा- एन.एस.आई.सी. लिमिटेड, गाँव : धरमपुर
पी.ओ. : बद्दी, तहसील : नालागढ़, जिलाःसोलन-173205,
हिमाचल प्रदेश

चेन्नई
मेसर्स नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
द्वारा - एन.एस.आई.सी. लिमिटेड, प्लॉट नं. ए12,
सीएमडीए ट्रक टर्मिनल,
पोन्नियामनमेडु पोस्ट, माधावरम, चेन्नई 600 110.

वड़ोदरा
मेसर्स नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
द्वारा- सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन,
1बी, सेन्ट्रल वेयर हाउस, रानोली फ्लाईओवर के निकट,
रानोली, कराचिया, वड़ोदरा, गुजरात - 391350

नई दिल्ली
मेसर्स नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड
द्वारा- सुप्रीम रोड ट्रान्सपोर्ट प्रा.लि., खसरा 46/15/1,
ग्राम - टिकरी कालन,
नेताजी सुभाष विहार, नई दिल्ली 110041

X. पत्र व्यवहार हेतु पता

अनुपालन अधिकारी
कंपनी सचिव
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि.
नालको भवन, पी/1, नयापल्ली
भुवनेश्वर - 751013
ई-मेल: company_secretary@nalcoindia.co.in

रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट

मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड
यूनिटः नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31-32,
गचीबोअली, फाइनैंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा
हैदराबाद–500032. तेलंगाना
दूरभाषः 040-67161500, टोल फ्री नं. 18003454001,
ईमेलः einward.ris@kfintech.com

निदेशकों की गैर-अयोग्यता का प्रमाणपत्र

(सेबी (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) एवं अनुसूची V, पैरा ग खंड (10)(i) के अनुसरण में)

सेवा में,
सदस्यगण
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि.
नालको भवन, प्लॉट नं. पी/1,
नयापल्ली, भुवनेश्वर -751013, ओड़िशा

हमने भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची V के पैरा-ग, उप-खंड 10(i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार इस प्रमाणपत्र को जारी करने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत, मेसर्स नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जिसका सीआईएन - L27203OR1981GOI000920 है एवं पंजीकृत कार्यालय नालको भवन, प्लॉट नं. पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर -751013, ओड़िशा (इसके बाद 'कंपनी' के रूप में संदर्भित) है, के निदेशकों से प्राप्त संबंधित रजिस्टर, अभिलेखों, प्रपत्र, रिटर्न (प्रतिफल) एवं प्रकटीकरण की जाँच की है।

हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा अपेक्षानुसार सत्यापन (पोर्टल www.mca.gov.in में निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) वस्तुस्थिति समेत) एवं कंपनी और इसके अधिकारियों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम एतदद्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए नीचे वर्णित कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, निगम मामले मंत्रालय या ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति किए जाने या बने रहने से वंचित या अयोग्य नहीं किया गया है।

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	डीआईएन	कंपनी में नियुक्ति की तिथि
1.	श्री श्रीधर पात्र	06500954	01.09.2018
2.	श्री व्ही, बालसुब्रमण्यम	06965313	01.01.2015
3.	श्री संजीब कुमार रॉय	06756812	03.02.2017
4.	श्री प्रदीप कुमार मिश्र	06445517	23.04.2018
5.	श्री राधाश्याम महापात्र	07248972	01.01.2020
6.	डॉ. के राजेश्वर राव	08071005	19.02.2018
7.	श्री अनिल कुमार नायक	08097669	27.03.2018
8.	श्री नगेन्द्र नाथ शर्मा	02888318	06.09.2017
9.	श्रीमती अचला सिन्हा	07932932	08.09.2017

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/अविच्छिन्नता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे सत्यापन के आधार पर इन पर अपनी राय व्यक्त करना है। यह प्रमाणपत्र कंपनी की भावी व्यवहार्यता का और न ही कार्यकारिता या प्रभावकारिता का आश्वासन है, जिससे प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते देब महापात्र एण्ड कं.
कंपनी सचिव

सीएस देबदत्त महापात्र, एफसीएस
साझेदार
सीपी नं. 4583, एफसीएस नं. 5474

स्थान: **भुवनेश्वर**
दिनांक: **10.06.2020**

निगम अभिशासन पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
भुवनेश्वर

1. यह प्रमाणपत्र दिनांक 16.07.2020 के हमारे नियोजन पत्र की शर्तों के अनुसार जारी किया गया है।

2. हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 46(2) के विनियम 17 से 27, खंड (ख) से (झ) एवं अनुसूची V के अनुच्छेद सी एवं डी ('सेबी सूचीयन विनियम') में निर्धारित अनुसार नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा निगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जाँच की है।

प्रबंधन की जिम्मेदारी

3. निगम अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी में, सेबी सूचीयन विनियमों में उल्लिखित निगम अभिशासन की शर्तो के अनुपालन की सुनिश्चितता हेतु आंतरिक नियंत्रण एवं प्रक्रियाओं की अभिकल्पना, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

4. हमारी जिम्मेदारी निगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की सुनिश्चितता हेतु कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं की जाँच एवं इसके कार्यान्वयन तक सीमित है। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों पर न तो लेखा परीक्षा है और न ही मत - अभिव्यक्ति है।

5. कंपनी द्वारा आवश्यक निगम अभिशासन की आवश्यकताओं की शर्तों के अनुपालन पर यथा संगत आश्वासन प्रदान करने के प्रयोजन से कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखा बहियों एवं अन्य संबंधित अभिलेखों एवं कागजातों की हमने जाँच की है।

6. हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी विशेष प्रयोजन हेतु रिपोर्ट या प्रमाणपत्र (संशोधित 2016) पर अनुदेश टिप्पणी के अनुसार कंपनी द्वारा अनुरक्षित खाता बहियों एवं अन्य प्रासंगिक तथा कागजातों की जाँच की है। अनुदेश टिप्पणी में अपेक्षित है कि हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता की नीतिगत आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं।

7. हमने संस्थाओं के लिए गुणवत्ता के मानक (एसक्यूसी)1, गुणवत्ता नियंत्रण की प्रासंगिक लागू आवश्यकताओं का अनुपालन किया है जो ऐतिहासिक वित्तीय सूचना एवं अन्य आश्वासन और संबंधित सेवा अनुबंधों की लेखा परीक्षा एवं समीक्षा करती है।

अभिमत

8. प्रासंगिक अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर एवं हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के तहत तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रयोज्य अनुसार सेबी सूचीयन विनियम के विनियम 46(2) के विनियम 17 से 27, खंड (ख) से (झ) एवं अनुसूची V के अनुच्छेद सी एवं डी में निर्धारित अनुसार निगम अनुशासन की शर्तों का पालन किया है।

   क. निदेशक मंडल के गठन में गैर-कार्यपालकों की संख्या के संबंध में सेबी सूचीयन विनियमों के विनियम 17(1)(क) के अनुसार विवरण निम्नानुसार हैः

अननुपालन की अवधि	पद में गैर-कार्यकारी निदेशकों की संख्या	सेबी सूचीयन विनियमों के अपेक्षानुसार गैर-कार्यकारी निदेशकों की संख्या
21.11.2019 से 30.11.2019	5	6
03.02.2020 से 31.03.2020	4	5

ख. निदेशक मंडल के गठन में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या के संबंध में सेबी सूचीयन विनियम के विनियम 17(1)(ख) एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अनुसार विवरण निम्नानुसार हैः

अननुपालन की अवधि	पद में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	सेबी सूचीयन विनियमों के अपेक्षानुसार स्वतंत्र निदेशकों की संख्या	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अपेक्षानुसार स्वतंत्र निदेशकों की संख्या
21.11.2019 से 30.11.2019	3	8	4
01.12.2019 से 02.02.2020	3	7	4
03.02.2020 से 31.03.2020	2	7	3

ग. 21 नवम्बर, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक की अवधि के लिए, सेबी सूचीयन विनियमों के विनियम 18(1)(ग) के अधीन अपेक्षानुसार कंपनी की लेखा परीक्षा समिति में कोई सदस्य नहीं है जिनके पास लेखांकन या संबंधित वित्तीय प्रबंधन में विशेषज्ञता है।

9. हम आगे व्यक्त करते हैं कि यह अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का और न ही कार्यकारिता या प्रभावकारिता का आश्वासन है, जिससे प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

उपयोग पर प्रतिबंध

10. यह प्रमाणपत्र केवल सेबी सूचीयन विनियम की आवश्यकता के अनुपालन के प्रयोजन से कंपनी के सदस्यों को सम्बोधित किया जाता है एवं प्रदान किया जाता है और किसी भी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य प्रयोजन के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसी अनुसार, लिखित में हमारी पूर्व सहमति के बिना किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए या किसी व्यक्ति को जिसे यह रिपोर्ट दिखाया जाता है या जिसके हाथों में आता है, के लिए किसी भी देयता या कर्तव्य निर्वाह को हम स्वीकार या ग्रहण नहीं करते हैं।

कृते पात्र एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 310100ई

(सीए अम्बिका प्रसाद महान्ति)
साझेदार
सदस्यता सं.: 057820
यूडीओईएन 20057820AAAAAP9186

कृते जीएनएस एण्ड एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 318171ई

(सीए संतोष कुमार देहुरी)
साझेदार
सदस्यता सं.: 053937
यूडीओईएन 20053937AAAAAX4832

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 24.08.2020

अनुलग्नक-VI

फॉर्म नं. एओसी-2

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा(3) के खंड (ज) एवं
कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कम्पनी द्वारा निष्पादित संविदाओं/व्यवस्थाओं जिसमें उस पर तृतीय उपबंध के अंतर्गत कुछेक असंबंधित लेनदेन शामिल हैं, के विवरण के प्रकटन हेतु फॉर्मः

1. संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेनदेन जो सम्बन्धित पक्ष के आधार पर नहीं हैं, का विवरणः

(क)	सम्बन्धित पक्ष का नाम एवं संबंध का स्वरूप	: **शून्य**
(ख)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेनदेन का स्वरूप	: **लागू नहीं**
(ग)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेनदन की अवधि	: **लागू नहीं**
(घ)	मूल्य यदि कोई है, समेत संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेनदेन की प्रमुख शर्तें	: **लागू नहीं**
(ङ)	ऐसी संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेनदेन में शामिल होने का औचित्य	: **लागू नहीं**
(च)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (याँ)	: **लागू नहीं**
(छ)	अग्रिम के रूप में अदा की गई राशि, यदि कोई है	: **लागू नहीं**
(ज)	धारा 188 के उपयुक्त प्रथम उपबंध के अंतर्गत आवश्यकतानुसार साधारण बैठक में जिस तिथि को विशेष प्रस्ताव पारित हुआ था	: **लागू नहीं**

2. सामग्री संविदाओं या व्यवस्था या सम्बन्धित आधार पर लेनदेन का विवरणः

(क)	सम्बन्धित पक्ष का नाम एवं संबंध का स्वरूप	: **शून्य**
(ख)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेनदेन का स्वरूप	: **लागू नहीं**
(ग)	संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेनदेन की अवधि	: **लागू नहीं**
(घ)	मूल्य, यदि कोई है, समेत संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेनदेन की प्रमुख शर्तें	: **लागू नहीं**
(ङ)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (याँ) यदि कोई है	: **लागू नहीं**
(च)	अग्रिम के रूप में अदा की गई राशि, यदि कोई है	: **लागू नहीं**

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

हस्ता./-
(श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक

अनुलग्नक-VII

फॉर्म नं. एमजीटी.9
वार्षिक रिटर्न (प्रतिफल) का सार

31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के अनुपालन में]

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण:

i) सीआईएन: L27203OR1981GOI000920

ii) पंजीकरण की तिथि: **7 जनवरी 1981**

iii) कंपनी का नाम : **नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड**

iv) कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी : **शेयरों के तहत पब्लिक सेक्टर कम्पनी लिमिटेड**

v) पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण:

नालको भवन, प्लॉट नं. पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओड़िशा-751013, भारत

vi) क्या सूचीबद्ध कम्पनी है : **हाँ**

vii) रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट, यदि कोई है, का नाम, पता एवं संपर्क विवरण:

मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड,
सेलिनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 एवं 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट,
नानकरामगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद-500032,
ईमेल: einward.ris@kfintech.com
वेबसाइट : www.kfintech.com

II. कंपनी के प्रमुख व्यावसायिक कार्यकलाप

कंपनी के कुल कारोबार के 10% या अधिक का अंशदान करनेवाले सभी व्यावसायिक कार्यकलापों का उल्लेख किया जाए :

क्रम सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	एल्यूमिना	201	34.05
2	एल्यूमिनियम	242	61.66
3	पावर	351	1.15

III. नियंत्रक (होल्डिंग), सहायक एवं सम्बद्ध कंपनियों के ब्यौरे:

क्रम सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीएलएन	नियंत्रक/सहायक/ सम्बद्ध	धारित शेयरों का %	लागू धारा
1	एनपीसीआईएल-नालको पावर कंपनी लि., 16वाँ तल, सेंटर-1, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई-400005	U40300MH2012GOI227632*	सम्बद्ध	26	2(6)
2	अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा.लि., इडको टावर, जनपथ, भुवनेश्वर-751022	U27203OR2010PTC012284	सम्बद्ध	49	2(6)
3	जीएसीएल-नालको अल्कलीज एण्ड केमिकल्स प्रा. लि. जीएसीएल कॉर्पोरेट बिल्डिंग, डाकघर पेट्रोकेमिकल्स, वडोदरा, गुजरात-391346	U24100GJ2015PTC085247	सम्बद्ध	40	2(6)

क्रम सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीएलएन	नियंत्रक/सहायक/ सम्बद्ध	धारित शेयरों का %	लागू धारा
4	खनिज विदेश इंडिया लि. कोर-4, 5वां तल, साउथ टावर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092	U14297DL2019PTC353677	सम्बद्ध	40	2(6)
5	उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड मार्फत- मिश्र धातु निगम लिमिटेड, पो.ओ.-कंचन बाग, हैदराबाद टीजी 500058	U14299TG2019PLC134932	सम्बद्ध	50	2(6)

* कंपनी ने कंपनी के रजिस्ट्रार के पास नाम हटाने के लिए दायर किया है।

IV. शेयरधारिता का स्वरूप (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूँजी का विभाजन)

i) श्रेणी-वार शेयरधारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की सं. (31 मार्च, 2019 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की सं. (31 मार्च 2020 को)				वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रोमोटर्स									
(1) भारतीय	—	—	—	—	—	—	—	—	—
क) व्यक्तिगत/एचयूएफ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ख) केंद्र सरकार	97,00,81,517	—	97,00,81,517	51.99	96,07,93,011	—	96,07,93,011	51.50	-0.49
ग) राज्य सरकार (रों)	—	—	—	—	—	—	—	—	
घ) निगमित निकाय	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ङ) बैंक/एफआई	—	—	—	—	—	—	—	—	—
च) कोई अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—
उप-योग (क) (1):-	**97,00,81,517**	—	**97,00,81,517**	51.99	**96,07,93,011**	—	**96,07,93,011**	**51.50**	-0.49
(2) विदेशी	—	—	—	—	—	—	—	—	—
क) एनआरआई - व्यक्तिगत	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ख) अन्य - व्यक्तिगत	—	—	—	—	—	—	—	—	—
घ) निगमित निकाय	—	—	—	—	—	—	—	—	—
घ) बैंक/एफआई	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ङ) कोई अन्य	—	—	—	—	—	—	—	—	—
उप-योग (क) (2):-	—	—	—	—	—	—	—	—	—
प्रोमोटर की कुल शेयरधारिता (क) = (क)(1)+(क)(2)	**97,00,81,517**	—	**97,00,81,517**	51.99	**96,07,93,011**	—	**96,07,93,011**	**51.50**	-0.49
ख. पब्लिक शेयरधारिता									
1. संस्थान									
क) म्यूचुअल फंड	21,82,61,850	86,600	21,83,48,450	11.70	15,22,41,864	86,600	15,23,28,464	8.17	-3.54
ख) बैंक/एफआई	14,97,89,962	—	14,97,89,962	8.03	11,27,21,709	—	11,27,21,709	6.04	-1.99
ग) केन्द्र सरकार	—	—	—	—	—	—	—	—	—
घ) राज्य सरकार (रों)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ङ) उद्यम पूँजी निधि	—	—	—	—	—	—	—	—	—

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की सं. (31 मार्च, 2019 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की सं. (31 मार्च 2020 को)				वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
ङ) बीमा कंपनियाँ	—	1,600	1,600	—	—	1,600	1,600	—	—
च) एफआईआई	22,23,55,936	26,800	22,23,82,736	11.92	29,66,56,391	26,600	29,66,82,991	15.90	3.98
छ) विदेशी उद्यम पूँजी निधि	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ज) अन्य (उल्लेख करें)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
उप-योग (ख)(1):	**59,04,07,748**	**1,15,000**	**59,05,22,748**	**31.65**	**56,16,19,964**	**1,14,800**	**56,17,34,764**	**30.11**	**-1.54**
2. गैर-संस्थागत									
क) निगमित निकाय									
i) भारतीय	12,41,82,646	11,800	12,41,94,446	6.66	7,91,25,728	11,800	7,91,37,528	4.24	-2.42
ii) विदेशी	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ख) व्यक्तिगत									
i) व्यक्तिगत शेयरधारक जो ₹ 1 लाख तक सामान्य शेयर पूँजी रखते हैं	11,43,16,912	10,58,792	11,53,75,704	6.18	16,92,67,769	9,60,520	17,02,28,289	9.12	2.94
ii) व्यक्तिगत शेयरधारक जो ₹ 1 लाख से अधिक सामान्य शेयर पूँजी रखते हैं	4,65,03,104	—	4,65,03,104	2.49	7,74,36,815	—	7,74,36,815	4.15	1.66
ग) अन्य (उल्लेख करें)	1,81,54,979	7,85,000	1,89,39,979	1.02	1,55,02,291	7,84,800	1,62,87,091	0.87	-0.15
उप-योग (ख) (2):-	**30,31,57,641**	**18,55,592**	**30,50,13,233**	**16.35**	**34,13,32,603**	**17,57,120**	**34,30,89,723**	**18.39**	**2.04**
कुल पब्लिक शेयरधारिता (ख) = (ख)(1) + (ख)(2)	89,35,65,389	19,70,592	89,55,35,981	48.00	90,29,52,567	18,71,920	90,48,24,487	48.50	(0.50)
ग. जीडीआर एवं एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	—	—	—	—					
सकल योग (क+ख+ग)	**1,86,36,46,906**	**19,70,592**	**1,86,56,17,498**	**100**	**1,86,37,45,578**	**18,71,920**	**1,86,56,17,498**	**100**	—

ii) प्रोमोटरों की शेयरधारिता

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन का %
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में बंधकीकृत/भारग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में बंधकीकृत/भारग्रस्त शेयरों का %	
1.	भारत के राष्ट्रपति	97,00,81,517	51.99	—	96,07,93,011	51.50	—	-0.49

iii) प्रोमोटर की शेयरधारिता में परिवर्तन (कृपया उल्लेख करें, यदि कोई परिवर्तन नहीं है)

क्रम सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	97,00,81,517	51.99	—	—
		92,88,506	-0.49	96,07,93,011	51.50
	वर्ष के अंत में	—	—	96,07,93,011	51.50

(iv) शीर्ष के दस शेयरधारकों की शेयरधारिता का स्वरूप (निदेशकों, प्रोमोटरों एवं जीडीआर और एडीआर के धारकों को छोड़कर):

क्रम सं.	शीर्ष के 10 शेयरधारकों के प्रत्येक हेतु	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	भारतीय जीवन बीमा निगम	9,34,35,272	5.01	9,34,35,272	5.01
2	भारत 22 ईटीएफ	6,91,17,330	3.70	6,26,87,023	3.36
3	एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2,47,56,542	1.33	3,40,90,854	1.83
4	यूटीआई-एमआईडी सीएपी फंड	1,98,56,305	1.06	85,78,338	0.46
5	हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड	1,83,85,327	0.99	1,83,85,327	0.99
6	बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,79,28,229	0.96	1,45,26,723	0.78
7	रेणुका इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड फाइनेंस लिमिटेड	1,64,18,964	0.88	1,64,18,964	0.88
8	दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,37,87,744	0.74	2,01,42,744	1.08
9	आईसीआईसीआई प्रूडेंनशियल वैल्यू फंड- सीरीज 19	1,33,88,562	0.72	93,88,562	0.50
10	रेणुकेश्वर इन्वेस्टमेन्ट एण्ड फाइनेंस लि.	1,28,14,264	0.69	1,28,14,264	0.69

कंपनी के शेयरों का व्यापार दैनिक आधार पर होता है, अतः शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/ह्रास सूचित नहीं किया गया है।

(v) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की शेयरधारिता:

क्रम सं.	निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी के प्रत्येक हेतु	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	श्री श्रीधर पात्र, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	—	—	—	—
2	श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम, निदेशक (उत्पादन) एवं निदेशक (वित्त)-अतिरिक्त प्रभार	3016	—	3016	—
3	श्री आर.एस. महापात्र, निदेशक (मानव संसाधन)	—	—	—	—
4	श्री संजीब कुमार रॉय, निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)	8675	—	8675	—
5	श्री पी.के. मिश्र, निदेशक (वाणिज्य)	—	—	—	—
6	श्री एन.के. महान्ति, कंपनी सचिव	5000	—	5000	—

V. ऋणग्रस्तता

बकाया / प्रोद्भूत ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता परंतु अदेय

	जमाराशियों को छोड़कर रक्षित ऋण	अरक्षित ऋण	जमाराशियाँ	कुल ऋणग्रस्तता
वित्त वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता i) मूलधन राशि ii) ब्याज देय मगर अदा नहीं किया गया iii) ब्याज प्रोद्भूत मगर देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन • जोड़ • घटाव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शुद्ध परिवर्तन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता i) मूलधन राशि ii) ब्याज देय परंतु अदा नहीं किया गया iii) ब्याज प्रोद्भूत परंतु अदेय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

VI. निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक को पारिश्रमिक:

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम								कुल धनराशि
	नाम	डॉ. तपन कुमार चान्द (30.11.2019 तक)	श्री श्रीधर पात्र 01.12.2019 से प्रभावी	श्री श्रीधर पात्र (30.11.2019 तक)	श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम	श्री बी.के. ठाकुर (31.12.2019 तक)	श्री राधाश्याम महापात्र (01.01.2020 से प्रभावी)	श्री एस.के. राय	श्री पी.के. मिश्र	
	पद	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	निदेशक (वित्त)	निदेशक (उत्पादन)	निदेशक (मानव संसाधन)	निदेशक (मानव संसाधन)	निदेशक (परि. एवं तक.)	निदेशक (वाणिज्य)	
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में संलग्न प्रावधानों के अनुसार वेतन	48,91,277	15,62,424	30,50,176	54,73,509	63,99,471	11,57,025	51,60,624	40,21,196	3,17,15,702
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत परिलब्धियों का मूल्य	4,02,703	1,02,200	2,03,044	5,42,003	—	—	7,272	3,19,091	15,76,313
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) अंतर्गत वेतन के एवज में लाभ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	स्टॉक विकल्प	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	उद्यम इक्विटी	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	कमीशन — लाभ के % के रूप में — अन्य, उल्लेख करें...	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें उपदान	20,00,000	—	—	—	20,00,000	—	—	—	40,00,000
	पीआरपी	22,28,115	—	—	17,57,064	15,97,293	—	14,39,911	1,95,486	72,17,869
	चिकित्सा लाभ	—	—	685	32,783	8,000	2,234	18,676	8,931	71,309
	अन्य	1,900	475	3,305	41,553	1,900	1,900	1,900	1,900	54,833
	कुल (क)	**95,23,995**	**16,65,099**	**32,57,210**	**78,46,912**	**1,00,06,664**	**11,61,159**	**66,28,383**	**45,46,604**	**4,46,36,026**
	अधिनियम के अनुसार उच्चतम सीमा									

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक :

पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम								कुल राशि
1. स्वतंत्र निदेशक	श्री दीपंकर महन्त*	श्री एस. शंकररमण*	श्री पी.के. नायक*	प्रो. डी. आचार्य*	श्री महेश्वर साहु*	श्रीतमी किरण घई सिन्हा#	श्री एन.एन. शर्मा	श्रीमती अचला सिन्हा	
• बोर्ड/बोर्ड स्तर समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क	5,50,000	6,50,000	5,25,000	6,25,000	5,75,000	5,25,000	4,80,000	5,30,000	44,60,000
• कमीशन	—	—	—	—	—	—	—	—	—
• अन्य, कृपया उल्लेख करें	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कुल (1)	5,50,000	6,50,000	5,25,000	6,25,000	5,75,000	5,25,000	4,80,000	5,30,000	44,60,000
2. अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक									
• बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क	—	—	—	—	—	—	—	—	—
• कमीशन	—	—	—	—	—	—	—	—	—
• अन्य, कृपया उल्लेख करें	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कुल (2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
योग (ख) = (1 + 2)	5,50,000	6,50,000	5,25,000	6,25,000	5,75,000	5,25,000	4,80,000	5,30,000	44,60,000
कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक									
अधिनियम के अनुसार उच्चतम सीमा									

* 20.11.2019 तक।

02.02.2020 तक।

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
		सीईओ	कंपनी सचिव श्री एन.के. महान्ति	सीएफओ	कुल
1.	सकल वेतन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में संलग्न प्रावधानों के अनुसार वेतन	—	48,04,203	—	48,04,203
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत परिलब्धियों का मूल्य	—	43,696	—	43,696
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के एवज में लाभ	—	—	—	—
2.	स्टॉक विकल्प	—	—	—	—
3.	उद्यम इक्विटी	—	—	—	—

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
		सीईओ	कंपनी सचिव श्री एन.के. महान्ति	सीएफओ	कुल
4.	कमीशन — लाभ के % के रूप में — अन्य, उल्लेख करें..	—	—	—	—
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें पीआरपी चिकित्सा लाभ अन्य	—	 8,20,544 51,012 11,418	—	 8,20,544 51,012 11,418
	कुल	—	57,30,873	—	57,30,873

VII. शास्ति/दंड/अपराध शमन

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	आरोपित शास्ति/दंड/शमन शुल्क का विवरण	प्राधिकरण [आरडी/एनसीएलटी/ न्यायालय]	की गई अपील, यदि कोई है (विवरण दें)
क. कंपनी					
शास्ति					
दंड			शून्य		
शमन					
ख. निदेशकगण					
शास्ति					
दंड			शून्य		
शमन					
ग. अन्य चूककर्ता अधिकारी					
शास्ति					
दंड			शून्य		
शमन					

अनुलग्नक-VIII

फॉर्म नं. एमआर-3
वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

**[(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) एवं
कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसार)]**

सेवा में
सदस्यगण
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
नालको भवन, प्लॉट नं. पी/1, नयापल्ली
भुवनेश्वर – 751013 (ओड़िशा)

हमने **मेसर्स नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड** (जिसे आगे "कम्पनी" कहा जाएगा) के प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में एवं अच्छे निगम अभ्यासों के तहत **31 मार्च, 2020** को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरह से की गई थी जिससे हमें निगमित संचालन/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन के लिए और उस पर हमारे मत प्रकाश के लिए यथा उपयुक्त आधार प्राप्त हुआ।

कम्पनी की बहियों, प्रपत्रों, कार्यवृत्त पुस्तकों, फॉर्म एवं दायर किए गए रिटर्न और कम्पनी द्वारा व्यवस्थित अन्य अभिलेखों और साथ ही सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान कम्पनी, इसके अधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सूचना की जाँच के आधार पर, हम एतदद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारे मत में 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी ने नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कम्पनी के पास आगे उल्लिखित तरीके एवं रिपोर्ट के लिए उचित सीमा में यथोचित कार्यप्रक्रियाएँ एवं अनुपालन तंत्र हैः

हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी द्वारा व्यवस्थित बहियों, प्रपत्रों, कार्यवृत्त पुस्तकों, फॉर्म एवं दायर किए गए रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जाँच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की हैः

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं उसके तहत गठित नियमावलियाँ;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') एवं उसके तहत बने नियम;

(iii) न्यासी अधिनियम, 1996 एवं उसके तहत बने विनियम एवं उप-नियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 एवं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, वैदेशिक प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारों की सीमा में उसके तहत बने नियम एवं विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन निम्नलिखित विनियम एवं दिशानिर्देश निर्धारित किए गएः-

क. संशोधित अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015;

ख. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापस खरीद विनियम), 2018; **समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रयोज्य नहीं।**

ग. संशोधित अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त रूप में अधिग्रहण एवं अधीनीकरण) विनियम, 2011;

घ. संशोधित अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेधन) विनियम, 2015;

ङ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूँजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2009; **समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रयोज्य नहीं**

च. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014; **समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रयोज्य नहीं**

छ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीयन) विनियम, 2008; **समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रयोज्य नहीं)**

ज. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का विसूचीयन) विनियम, 2009; **समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रयोज्य नहीं**

झ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार एवं भागीदार) विनियम, 2018

(vi) अन्य कानून जो कम्पनी पर विशेष रूप से लागू हो:

क. खान अधिनियम, 1952

ख. संशोधित अनुसार खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1957

ग. विस्फोटक अधिनियम, 1984

घ. पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986

ङ. वन संरक्षण अधिनियम, 1980

च. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974

छ. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981

ज. भारतीय बॉयलर्स अधिनियम, 1923

झ. मोटर यान अधिनियम, 1988

ञ. जन देयता बीमा अधिनियम, 1991

ट. राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम, 1995

ठ. राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण, 1997

ड. ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001

ढ. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010

ण. भारतीय वन अधिनियम, 1947

त. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972

थ. ओड़िशा वन अधिनियम, 1972

द. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

ध. जैव-विविधता संरक्षण अधिनियम, 2002

न. अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

प. कारखाना अधिनियम, 1948

फ. भारतीय बिजली अधिनियम, 2003

ब. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 ओड़िशा उद्योग (सुगमीकरण) अधिनियम, 2004

भ. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

म. पंचायत (अधिसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 2006

(विशेष रूप से कंपनी पर लागू नए कानून क्रम सं. झ से म तक है)

हमने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवालय मानकों के प्रयोज्य खंडों के अनुपालन में जाँच की है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने उपर्युक्त के अनुसार अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि का अनुपालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:-

(क) बोर्ड का गठन:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशकों की सूची

क्रम सं.	निदेशकों का नाम	धारित पद	नियुक्ति की तिथि	समाप्ति की तारीख
	पूर्णकालिक निदेशक			
1.	श्री श्रीधर पात्र*	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	17.12.2019	—
2.	श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम**	निदेशक (उत्पादन)	01.01.2015	—
3.	श्री संजीब कुमार रॉय	निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)	03.02.2017	—
4.	श्री प्रदीप कुमार मिश्र	निदेशक (वाणिज्य)	23.04.2018	—
5.	श्री राधाश्याम महापात्र	निदेशक (मानव संसाधन)	01.01.2020	—
6.	डॉ. तपन कुमार चान्द	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	27.07.2015	30.11.2019
7.	श्री बसन्त कुमार ठाकुर	निदेशक (मानव संसाधन)	04.07.2016	31.12.2019
	अंशकालिक सरकारी निदेशक			
1.	डॉ. के. राजेश्वर राव	निदेशक	19.02.2018	—
2.	श्री अनिल कुमार नायक	निदेशक	27.03.2018	—
	अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) **निदेशक**			
1.	श्री नगेन्द्र नाथ शर्मा	निदेशक	06.09.2017	—
2.	श्रीमती अचला सिन्हा	निदेशक	08.09.2017	—
3.	श्री दीपंकर महन्त	निदेशक	21.11.2018	20.11.2019
4.	श्री एस. शंकररमण	निदेशक	21.11.2018	20.11.2019
5.	श्री प्रभात केशरी नायक	निदेशक	21.11.2018	20.11.2019
6.	प्रो. दामोदर आचार्य	निदेशक	21.11.2018	20.11.2019
7.	श्री महेश्वर साहु	निदेशक	21.11.2018	20.11.2019
8.	श्री किरण घई सिन्हा	निदेशक	03.02.2017	02.02.2020

* श्री श्रीधर पात्र 01.09.2018 से निदेशक (वित्त) थे। डॉ. टी.के. चान्द, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में 30.11.2019 को सेवा निवृत्ति के फलस्वरूप उन्हें 01.02.2019 से अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। तत्पश्चात उन्होंने 17.12.2019 से अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया।

** 10.01.2020 से निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

वर्ष के प्रारंभ में, कंपनी के निदेशक मंडल में छह(6) पूर्णकालिक निदेशक (कार्यकारी निदेशक), दो (2) अंशकालिक सरकारी निदेशक एवं आठ (8) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक थे।

श्री श्रीधर पात्र 01.09.2018 से निदेशक (वित्त) के रूप में कंपनी से जुड़ें। उन्हें 01.12.2019 से सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। तत्पश्चात, उन्हें 17.12.2019 से कंपनी का कार्यकारी सीएमडी नियुक्त किया गया।

डॉ. तपन कुमार चान्द, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का सेवा निवृत्ति की आयु पर 30.11.2019 को कार्यालय में कार्यकाल समाप्त हो गया।

श्री बसंत कुमार ठाकुर, निदेशक (मानव संसाधन) का सेवा निवृत्ति की आयु पर 31.12.2019 को कार्यालय में कार्यकाल समाप्त हो गया। श्री राधाश्याम महापात्र 01.01.2020 से कंपनी के निदेशक (मानव संसाधन) नियुक्त किए गए थे।

पाँच (5) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदशकगण अर्थात श्री दीपंकर महन्त, श्री एस शंकररमण, श्री प्रभात केशरी नायक, प्रो. दामोदर आचार्य, श्री महेश्वर साहु अपना कार्यकाल पूरा होने पर 20.11.2019 से कार्यालय का कार्यभार छोड़ चुके हैं।

श्रीमती किरण घई सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक 02.02.2020 से अपना कार्यकाल पूरा करने पर कार्यालय का कार्यभार छोड़ चुकी हैं।

छह (6) निदेशकों के कार्यकाल की समाप्ति के फलस्वरूप, कंपनी में 31 मार्च, 2020 को नौ (9) निदेशक हैं यथा पाँच (5) पूर्णकालिक निदेशक (कार्यकारी निदेशक), दो (2) अंशकालिक सरकारी निदेशक एवं दो (2) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक।

गैर-अनुपालन:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के अनुसार, हर सूचीबद्ध कंपनी में निदेशकों की कुल संख्या का कम से कम 1/3 भाग स्वतंत्र निदेशक रहेंगे। वित्त वर्ष के प्रारंभ में, सीएमडी समेत कुल सोलह (16) निदेशक थे जिनमें से आठ (8) निदेशक स्वतंत्र निदेशक थे। 20.11.2019 को पाँच (5) स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल पूरा होने पर कार्यालय में उनका कार्यभार समाप्त हो चुका है। बोर्ड की कुल शक्ति 21.11.2019 से घटकर ग्यारह (11) रह गई थी एवं स्वतंत्र निदेशकों की संख्या घटकर तीन (3) रह गई थी। 30.11.2019 को सीएमडी के सेवानिवर्त्तन पर, बोर्ड में केवल तीन (3) स्वतंत्र निदेशकों के साथ बोर्ड की कुल शक्ति घटकर दस (10) रह गई थी।

02.02.2020 को एक (1) स्वतंत्र निदेशक के कार्यकाल की समाप्ति पर बोर्ड में केवल दो (2) स्वतंत्र निदेशकों के साथ बोर्ड की कुल शक्ति और भी कम होकर नौ (9) रह गई थी।

इसी अनुसार, 01.04.2019 से 20.11.2019 तक बोर्ड का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में था, परन्तु 21.11.2019 से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं था।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 (विनियम) के अधीन

विनियमों के विनियम 17(1) (क) के अनुसार, निदेशक मंडल के 50% से कम नहीं, गैर-कार्यकारी निदेशक होंगे।

इसके अलावा, विनियम के विनियम 17(1)(ख) के अनुसार, यदि सूचीबद्ध कंपनी के पास एक नियमित गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नहीं हैं, तो निदेशक मंडल के कम से कम आधे हिस्से में स्वतंत्र निदेशक शामिल रहेंगे।

वित्त वर्ष 2019-20 के प्रारंभ में, निदेशक मंडल में सोलह (16) निदेशक थे यथा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक समेत छह (6) कार्यकारी निदेशक,. दो (2) गैर-कार्यकारी सरकारी निदेशक एवं आठ (8) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक। यह गठन सेबी (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(क) एवं विनियम 17(1)(ख) के प्रावधानों के अनुपालन में था।

20.11.2019 को, पाँच (5) स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल पूरा होने पर, कार्यालय का कार्यभार समाप्त कर चुके हैं। बोर्ड की कुल शक्ति 21.11.2019 से तीन (3) स्वतंत्र निदेशकों समेत घटकर ग्यारह (11) रह गई थी।

30.11.2019 को सेवा निवृत्ति के बाद कार्यालय में सीएमडी का कार्यभार समाप्त होने पर, बोर्ड की कुल शक्ति और भी घटकर दस (10) निदेशक रह गई थी जिसमें पाँच (5) कार्यकारी निदेशक, दो (2) गैर-कार्यकारी सरकारी निदेशक एवं तीन (3) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक थे। निदेशक (वित्त) को 01.12.2019 से सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। तदुपरांत, उन्हें 17.12.2019 को सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया एवं निदेशक (वित्त) का पद 17.12.2019 से रिक्त रहा था।

तत्पश्चात, 02.02.2020 को एक (1) स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल पूरा होने पर कार्यालय में उनका कार्यभार समाप्त हो चुका है। अतएव, बोर्ड की कुल शक्ति 03.02.2020 से फिर घटकर नौ (9) निदेशक रह गई थी जिसमें पाँच (5) कार्यकारी निदेशक, दो (2) अंशकालिक सरकारी निदेशक एवं दो (2) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक थे।

इसी अनुसार, समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, 01.04.2019 से 20.11.2019 तक बोर्ड का गठन विनियम के विनियम 17(1)(क) एवं विनियम 17(1)(ख) के प्रावधानों के अनुपालन में था।

तथापि, यह गठन 21.11.2019 से 30.11.2019 तक विनियम के विनियम 17(1)(क) एवं विनियम 17(1)(ख) के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं था।

इसके अलावा, 01.12.2019 से 02.02.2020 तक बोर्ड का गठन विनियम के विनियम 17(1)(क) के अनुपालन में था, परन्तु उक्त अवधि के लिए विनियम 17(1)(ख) के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं था।

फिर से, 03.02.2020 से 31.03.2020 तक यह गठन विनियम के विनियम 17(1)(क) एवं 17(1)(ख) के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं था।

(ख) बोर्ड की बैठक:

समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की छह (6) बैठकें अर्थात 315वीं से 320वीं का आयोजन क्रमशः 30.05.2019, 19.07.2019, 13.08.2019, 17.09.2019, 13.11.2019, 10.02.2020 को किया गया था।

बोर्ड बैठकों के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई थी। कार्यसूची एवं कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियाँ अग्रिम में भेजी गई थी। कंपनी के पास बैठकों में तात्पर्यपूर्ण भागीदारी के लिए बैठक के पूर्व विषयवस्तु के संबंध में अधिक सूचना मांगने और स्पष्टीकरण प्राप्त करने की व्यवस्था है।

बोर्ड की बैठक में सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बैठक की कार्यवृत्त बहियों में दर्ज किए गए।

(ग) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों की पृथक बैठकः:

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के खंड VII के साथ पठित धारा 149(8) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों की एक पृथक बैठक अर्थात 6वीं बैठक का आयोजन 10.02.2020 को किया गया। स्वतंत्र निदेशकों की बैठक निम्नलिखित स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति में हुई थी:

1. श्री एन.एन. शर्मा – बैठक के अध्यक्ष
2. श्रीमती अचला सिन्हा

(घ) बोर्ड की सांविधिक समितियाँ:

(i) लेखा परीक्षा समिति:

वर्ष के प्रारंभ में, कंपनी की लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

1. श्री प्रभात केशरी नायक, स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष
2. श्री दीपंकर महन्त, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
3. श्री एस. शंकररमण, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
4. प्रो. दामोदर आचार्य, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
5. श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम, निदेशक (उत्पादन)-सदस्य
6. श्री संजीब कुमार रॉय, निदेशक (परि. एवं तक.)-सदस्य

निदेशक (वित्त) समिति के स्थायी आमंत्रित व्यक्ति हैं।

समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की छह (6) बैठकें अर्थात 119वीं से 124वीं बैठक 30.05.2019, 18.07.2019, 13.08.2019, 17.09.2019, 13.11.2019 एवं 10.02.2020 को आयोजित हुईं।

श्री एस. पात्र, निदेशक (वित्त) 18.07.2019 को आयोजित 120वीं लेखापरीक्षा समिति बैठक एवं 13.08.2019 को आयोजित 121वीं लेखापरीक्षा बैठक में उपस्थित नहीं हुए थे।

लेखा परीक्षा समिति बैठकों के लिए समिति के सभी सदस्यों को पर्याप्त सूचना दी गई थी। कार्यसूची एवं कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियाँ अग्रिम में भेजी गई थी। कंपनी के पास बैठकों में तात्पर्यपूर्ण भागीदारी के लिए बैठक के पूर्व प्रस्तुत विषयवस्तु के संबंध में अधिक सूचना मांगने और स्पष्टीकरण प्राप्त करने की व्यवस्था है।

लेखापरीक्षा समिति की बैठक में सभी फैसलों को सर्वसम्मति से लिया गया एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस प्रयोजन के लिए अनुरक्षित कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किया गया।

20.11.2019 को पाँच (5) स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने पर, लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन 31.12.2019 को किया गया था। 31.03.2020 को लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

1. श्रीमती अचला सिन्हा - स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्षा
2. श्री नगेन्द्र नाथ शर्मा - स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
3. निदेशक (उत्पादन) - सदस्य
4. श्रीमती किरण घई सिन्हा - स्वतंत्र निदेशक - सदस्या (02.02.2020 तक)

निदेशक (वित्त) समिति के विशेष आमंत्रित व्यक्ति हैं एवं अन्य कार्यकारी निदेशक भी समिति के आमंत्रित व्यक्ति हैं।

हालांकि, 31.03.2020 को लेखापरीक्षा समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 एवं सेबी (एलओडीआर) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में था, परन्तु एलओडीआर विनियमों के विनियम 18(1)(ग) के अनुसार किसी भी सदस्य के पास लेखांकन या संबंधित वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञता नहीं है।

(ii) नि.सा.उ. एवं संधारणीयता विकास समिति:

वर्ष के प्रारंभ में, कंपनी के निदेशक मंडल की नि.सा.उ. एवं संधारणीयता विकास समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

1. श्री दीपंकर महन्त, स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
2. श्री एस. शंकररमण, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
3. श्री महेश्वर साहु, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
4. श्रीमती किरण घई सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
5. श्री नगेन्द्र नाथ शर्मा, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
6. श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम, निदेशक (उत्पादन)-सदस्य
7. श्री बी.के. ठाकुर, निदेशक (मानव संसाधन)-सदस्य
8. श्री एस. पात्र, निदेशक (वित्त)-सदस्य

समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान, नि.सा.उ. एवं संधारणीयता विकास समिति की पाँच (5) बैठकें अर्थात 17वीं से 21वीं का आयोजन क्रमशः 10.04.2019, 30.05.2019, 19.07.2019, 17.09.2019 एवं 13.11.2019 को किया गया।

नि.सा.उ. एवं संधारणीय विकास समिति बैठकों के लिए पर्याप्त सूचना समिति के सभी सदस्यों को दी गई थी। तथापी नि.सा.उ. एवं संधारणीय विकास समिति बैठक की 21वीं बैठक का आयोजन समिति के सभी सदस्यों की सहमति के साथ संक्षिप्त सूचना पर की गई थी।

कार्यसूची एवं कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियाँ समिति के सभी सदस्यों के पास यथा अग्रिम भेजी गई थी। बैठकों में तात्पर्यपूर्ण भागीदारी के लिए बैठक के पूर्व प्रस्तुत विषयवस्तु के संबंध में अधिक सूचना मांगने और स्पष्टीकरण प्राप्त करने की व्यवस्था है।

नि.सा.उ. एवं संधारणीय विकास समिति की बैठकों में सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इन प्रयोजन के लिए अनुरक्षित कार्यवृत्त बहियों में दर्ज किए गए।

20.11.2019 को पाँच (5) स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने पर, नि.सा.उ. एवं संधारणीयता विकास समिति का पुनर्गठन 31.12.2019 को किया गया था। 31.03.2020 को नि.सा.उ. एवं संधारणीयता विकास समिति में निम्नलिखित निदेशक थे:

1. श्री नगेन्द्र नाथ शर्मा, स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष
2. श्रीमती अचला सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
3. निदेशक (उत्पादन) - सदस्य
4. निदेशक (मानव संसाधान) - सदस्य
5. श्रीमती किरण घई सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य (02.02.2020 तक)

(iii) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति:

वर्ष के प्रारंभ में, कंपनी की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

1. श्री महेश्वर साहु, स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष
2. श्री प्रभात केशरी नायक, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
3. श्री एस. शंकररमण, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
4. प्रो. दामोदर आचार्य, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
5. श्रीमती किरण घई सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य

निदेशक (वित्त) एवं निदेशक (मानव संसाधन) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक के आमंत्रित व्यक्ति हैं।

समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की तीन (3) बैठकें अर्थात 3वीं से 5वीं का आयोजन 18.07.2019, 17.09.2019 एवं 13.11.2019 को किया गया।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के लिए पर्याप्त सूचना समिति के सभी सदस्यों के पास भेजी गई थी। कार्यसूची एवं कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियाँ यथा अग्रिम में भेजी गई थी। बैठकों में तात्पर्यपूर्ण भागीदारी के लिए बैठक के पूर्व प्रस्तुत विषयवस्तु के संबंध में अधिक सूचना मांगने और स्पष्टीकरण प्राप्त करने की व्यवस्था है।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकों में सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इन प्रयोजन के लिए अनुरक्षित कार्यवृत्त बहियों में दर्ज किए गए।

20.11.2019 को पाँच (5) स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने पर, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन 31.12.2019 को किया गया था। 31.03.2020 को नामांकन एवं पारिश्रमिकि समिति में निम्नलिखित निदेशक थेः

1. श्री नगेन्द्र नाथ शर्मा, स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष
2. श्रीमती अचला सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
3. श्री अनिल कुमार नायक - अंशकालिक सरकारी निदेशक - सदस्य
4. श्रीमती किरण घई सिन्हा,स्वतंत्र निदेशक - सदस्य (02.02.2020 तक)

निदेशक (मानव संसाधन) एवं निदेशक (वित्त) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक के आमंत्रित व्यक्ति हैं।

(iv) हितधारक संबंध समिति :

वर्ष के प्रारंभ में, कंपनी की हितधारक संबंध समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैंः

1. श्री एस. शंकररमण, स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
2. श्री दीपंकर महन्त, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
3. श्री प्रभात केशरी नायक, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
4. श्रीमती किरण घई सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
5. श्री नगेन्द्र नाथ शर्मा, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
6. श्रीमती अचला सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
7. श्री बी.के. ठाकुर, निदेशक (मानव संसाधन) - सदस्य
8. श्री पी.के. मिश्रा, निदेशक (वाणिज्य) - सदस्य

समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान, हितधारक संबंध समिति की चार (4) बैठकें अर्थात 18वीं से 21वीं का आयोजन 30.05.2019, 13.08.2019, 13.11.2019 एवं 10.02.2020 को किया गया।

हितधारक संबंध समिति बैठकों के लिए पर्याप्त सूचना समिति के सभी सदस्यों को दी गई थी। कार्यसूची एवं कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियाँ सभी सदस्यों के पास यथा अग्रिम भेजी गई थी। बैठकों में तात्पर्यपूर्ण भागीदारी के लिए बैठक के पूर्व प्रस्तुत विषयवस्तु के संबंध में अधिक सूचना मांगने और स्पष्टीकरण प्राप्त करने की व्यवस्था है।

हितधारक संबंध समिति की बैठकों में सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इन प्रयोजन के लिए अनुरक्षित कार्यवृत्त बहियों में दर्ज किए गए।

20.11.2019 को पाँच (5) स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने पर, हितधारक संबंध समिति का पुनर्गठन 31.12.2019 को किया गया था। 31.03.2020 को हितधारक संबंध समिति में निम्नलिखित निदेशक थेः

1. श्रीमती अचला सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्षा
2. निदेशक (मानव संसाधन)
3. निदेशक (वाणिज्य)
4. निदेशक (वित्त)

(v) जोखिम प्रबंधन समिति:

वर्ष के प्रारंभ में, कंपनी की जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

1. प्रोफेसर दामोदर आचार्य, स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष
2. श्री एस. शंकररमण, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
3. श्रीमती किरण घई सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
4. श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम, निदेशक (उत्पादन)-सदस्य
5. श्री प्रदीप कुमार मिश्र, निदेशक (वाणिज्य)-सदस्य
6. श्री श्रीधर पात्र, निदेशक (वित्त)-सदस्य

समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति की एक (1) बैठक अर्थात 11वीं का आयोजन 13.11.2019 को किया गया।

जोखिम प्रबंधन समिति के लिए पर्याप्त सूचना समिति के सभी सदस्यों को भेजी गई थी।

कार्यसूची एवं कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियाँ समिति के सभी सदस्यों को यथा अग्रिम भेजी गई थी। बैठक में तात्पर्यपूर्ण भागीदारी के लिए बैठक के पूर्व प्रस्तुत विषयवस्तु के संबंध में अधिक सूचना मांगने और स्पष्टीकरण प्राप्त करने की व्यवस्था है।

जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इन प्रयोजन के लिए अनुरक्षित कार्यवृत्त बहियों में दर्ज किए गए।

20.11.2019 को पाँच (5) स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने पर, जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन 31.12.2019 को किया गया था। 31.03.2020 को जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित निदेशक थे:

1. श्री एन.एन. शर्मा - स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
2. निदेशक (उत्पादन)
3. निदेशक (परि. एवं तक.)
4. निदेशक (वित्त)

(vi) प्रौद्योगिकी समिति:

वर्ष के प्रारंभ में, कंपनी की प्रौद्योगिकी समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

1. प्रोफेसर दामोदर आचार्य, स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष
2. श्री महेश्वर साहु, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
3. श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम, निदेशक (उत्पादन)-सदस्य
4. श्री एस.के. रॉय, निदेशक (परि. एवं तक.)-सदस्य
5. श्री प्रदीप कुमार मिश्र, निदेशक (वाणिज्य)-सदस्य
6. श्री श्रीधर पात्र, निदेशक (वित्त)-सदस्य

समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान, प्रौद्योगिकी समिति की एक (1) बैठक अर्थात 31वीं का आयोजन 30.05.2019 को किया गया।

प्रौद्योगिकी समिति बैठक के लिए पर्याप्त सूचना समिति के सभी सदस्यों के पास भेजी गई थी। कार्यसूची एवं कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियाँ समिति के सभी सदस्यों को यथा अग्रिम भेजी गई थी। बैठक में तात्पर्यपूर्ण भागीदारी के लिए बैठक के पूर्व प्रस्तुत विषयवस्तु के संबंध में अधिक सूचना मांगने और स्पष्टीकरण प्राप्त करने की व्यवस्था है।

प्रौद्योगिकी समिति की बैठक में सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इन प्रयोजन के लिए अनुरक्षित कार्यवृत्त बहियों में दर्ज किए गए।

20.11.2019 को पाँच (5) स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने पर, प्रौद्योगिकी समिति का पुनर्गठन 31.12.2019 को किया गया था। 31.03.2020 को प्रौद्योगिकी समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

1. निदेशक (उत्पादन)
2. निदेशक (परि. एवं तक.)
3. निदेशक (वाणिज्य)
4. निदेशक (वित्त)

(ङ) बोर्ड द्वारा गठित अन्य समितियाँ:

(i) मानव संसाधन (मा.सं.) समिति:

वर्ष के प्रारंभ में, कंपनी की मानव संसाधन (मा.सं.) समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

1. श्री महेश्वर साहु, स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष
2. श्री दीपंकर महन्त, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
3. श्रीमती किरण घई सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य
4. श्री बी.के. ठाकुर, निदेशक (मानव संसाधन) - सदस्य
5. श्री एस.के. रॉय, निदेशक (परि. एवं तक.) - सदस्य
6. श्री श्रीधर पात्र, निदेशक (वित्त) - सदस्य

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, मानव संसाधन (मा.सं.) समिति की एक (1) बैठक अर्थात 42वीं का आयोजन 18.07.2019 को किया गया।

मानव संसाधन समिति बैठक के लिए पर्याप्त सूचना समिति के सभी सदस्यों को दी गई थी।

कार्यसूची एवं कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियाँ सभी सदस्यों के पास यथा अग्रिम भेजी गई थी। बैठकों में तात्पर्यपूर्ण भागीदारी के लिए बैठक के पूर्व प्रस्तुत विषयवस्तु के संबंध में अधिक सूचना मांगने और स्पष्टीकरण प्राप्त करने की व्यवस्था है।

मानव संसाधन (मा.सं.) समिति की बैठक में सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस प्रयोजन के लिए अनुरक्षित कार्यवृत्त बहियों में दर्ज किए गए।

20.11.2019 को पाँच (5) स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने पर, मानव संसाधन (मा.सं.) समिति का पुनर्गठन 31.12.2019 को किया गया था। 31.03.2020 को मानव संसाधन (मा.सं.) समिति के निम्नलिखित निदेशक थे:

1. श्रीमती अचला सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्षा
2. निदेशक (परि. एवं तक.)
3. निदेशक (मानव संसाधन)
4. निदेशक (वित्त)
5. श्रीमती किरण घई सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक (02.02.2020 तक)

(ii) परियोजनाओं एवं नए उद्यमों को लिए निदेशकों की समिति (सीओडी):

वर्ष के प्रारंभ में, कंपनी की परियोजनाओं एवं नए उद्यमों की समिति के लिए सीओडी में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

1. डॉ. तपन कुमार चान्द, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
2. श्री अनिल कुमार नायक, निदेशक - सदस्य
3. श्री व्ही. बालसुब्रमण्यम, निदेशक (उत्पादन)-सदस्य
4. श्री बी.के. ठाकुर, निदेशक (मा.सं.)-सदस्य
5. श्री एस. के. रॉय, निदेशक (परि एवं तक.)-सदस्य
6. श्री पी. के. मिश्र, निदेशक (वाणिज्य)-सदस्य
7. श्री एस. पात्र, निदेशक (वित्त)-सदस्य
8. श्री प्रभात केशरी नायक - सदस्य
9. प्रो. दामोदर आचार्य - सदस्य
10. श्री महेश्वर साहु - सदस्य

वित्त वर्ष के दौरान, परियोजनाओं एवं नए उद्यमों के लिए सीओडी की दो (2) समिति बैठक अर्थात 21वीं एवं 22वीं का आयोजन 26.04.2019 एवं 19.07.2019 को किया गया।

परियोजनाओं एवं नए उद्यमों के लिए निदेशक की समिति (सीओडी) बैठकों के लिए पर्याप्त सूचना समिति के सभी सदस्यों की दी गई थी। कार्यसूची एवं कार्यसूची पर टिप्पणियाँ समिति के सभी सदस्यों को यथा अग्रिम भेजी गई थी। बैठक में तात्पर्यपूर्ण भागीदारी के लिए बैठक के पूर्व प्रस्तुत विषयवस्तु के संबंध में अधिक जानकारी मांगने एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने की व्यवस्था है।

परियोजनाओं एवं नए उद्यमों के लिए निदेशक की समिति (सीओडी) की बैठकों के सारे फैसले सर्वसम्मति से लिए गए एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस प्रयोजन के लिए अनुरक्षित कार्यवृत्त बहियों में दर्ज किए गए।

पाँच (5) स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने पर, परियोजनाओं एवं नए उद्यमों के लिए निदेशकों की समिति (सीओडी) का पुनर्गठन 31.12.2019 को किया गया था। 31.03.2020 को परियोजनाओं एवं नए उद्यमों के लिए निदेशकों की समिति (सीओडी) में निम्नलिखित निदेशक शामिल थेः

1. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
2. संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय, अंशकालिक सरकारी निदेशक
3. निदेशक (उत्पादन)
4. निदेशक (परि. एवं तक.)
5. निदेशक (मानव संसाधन)
6. निदेशक (वाणिज्य)
7. निदेशक (वित्त)

(iii) नैतिक एवं निगम अभिशासन समितिः

वर्ष के प्रारंभ में, कंपनी की नैतिक एवं निगम अभिशासन समिति में निम्नलिखित निदेशक हैं:

1. श्री दीपंकर महन्त, स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष
2. श्री प्रभात केशरी नायक, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
3. श्रीमती किरण घई सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
4. श्रीमती अचला सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
5. श्री बी. के. ठाकुर, निदेशक (मा.सं.)-सदस्य
6. श्री एस. के. रॉय, निदेशक (परि एवं तक.)-सदस्य
7. श्री पी.के. मिश्र, निदेशक (वाणिज्य)-सदस्य

वित्त वर्ष के दौरान, नैतिक एवं निगम अभिशासन समिति की दो (2) बैठक अर्थात 11वीं एवं 12वीं का आयोजन 18.07.2019 एवं 13.11.2019 को किया गया।

नैतिक एवं निगम अभिशासन की समिति बैठकों के लिए पर्याप्त सूचना समिति के सभी सदस्यों की दी गई थी। कार्यसूची एवं कार्यसूची पर टिप्पणियाँ समिति के सभी सदस्यों को यथा अग्रिम भेजी गई थी। बैठक में तात्पर्यपूर्ण भागीदारी के लिए बैठक के पूर्व प्रस्तुत विषयवस्तु के संबंध में अधिक जानकारी मांगने एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने की व्यवस्था है।

नैतिक एवं निगम अभिशासन समिति की बैठकों के सारे फैसले सर्वसम्मति से लिए गए एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस प्रयोजन के लिए अनुरक्षित कार्यवृत्त बहियों में दर्ज किए गए।

20.11.2019 को पाँच (5) स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने पर, 31.12.2019 को का नैतिक एवं निगम अभिशासन समिति का पुनर्गठन किया गया था। 31.03.2020 को नैतिक एवं निगम अभिशासन समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थेः

1. श्रीमती अचला सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्षा
2. निदेशक (परि एवं तक.)
3. निदेशक (मा.सं.)
4. निदेशक (वाणिज्य)
5. श्रीमती किरण घई सिन्हा, स्वतंत्र निदेशक (02.02.2020 तक)

(च) सांविधिक अभिलेखों का रखरखावः

कंपनी अधिनियम, 2013, डिपोजिटरी अधिनियम, 1996 के विभिन्न प्रावधानों एवं इन पर बने नियमों के अंतर्गत निर्धारित सभी सांविधिक रजिस्टर, अभिलेख एवं अन्य रजिस्टर इनमें दी गई सभी आवश्यक प्रविष्टियों के साथ समुचित प्रस्तुत एवं अनुरक्षित हैं। रिपोर्टाधीन अवधि की दौरान इन अधिनियमों के प्रावधान यथा अनुपालित किए गए थे।.

(छ) सांविधिक रिटर्न (प्रतिफल) दायर करनाः

कंपनी के एमसीए/रजिस्ट्रार के पास निर्धारित समय-सीमा में अपेक्षित/निर्धारित शुल्क के भुगतान के साथ विभिन्न ई-फॉर्म एवं रिटर्न दायर करने के सिलसिले में अधिनियम के सभी प्रावधानों एवं अन्य विधियों का समुचित अनुपालन किया गया था।

विभिन्न विधियों/सूचीयन विनियमों/व्यवसाय नियमों के तहत सभी कागजात / सूचनाएँ नियमित रूप से निर्धारित नियत तिथियों में स्टॉक एक्सचेंज एवं डिपोजिटरी (एनएसडीएल एवं सीडीएसएल) के पास दर्ज किए गए थे।

(ज) रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंटः

मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के रूप में परिचित), हैदराबाद कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट हैं।

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट (आरटीए) का नाम 5 दिसंबर, 2019 से मेसर्स कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड से मेसर्स केफिन टेक्नोलजीज प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया है।

अभिलेखों के अनुसार, मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को 01.04.2020 से अगले 03 वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है।

(झ) डुप्लिकेट शेयरों का भौतिक अंतरण/संचरण/स्थानांतरण/निर्गमः

कंपनी ने अपने शेयर रजिस्टरी कार्यकलापों को आरटीए मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के रूप में परिचित), हैदराबाद को आउटसोर्स किया है। फटे/विकृत/विरूपित/गुम होने के मामले में नए शेयर प्रमाणपत्रों को जारी करने और साथ ही पुनःभौतिकीकरण शेयर अंतरण समिति (एसटीसी) के अनुमोदन से किया जाता है, जबकि शेयरों का अंतरण, संचरण एवं स्थानांतरण कंपनी सचिव के अनुमोदन से किया जाता है, जिन्हें इसके लिए निदेशक मंडल द्वारा अधिकृत किया गया है।

(ञ) भौतिक शेयरों का अनिवार्य अभौतिकीकरण:

सेबी के अनुदेशों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2019 के बाद कोई भौतिक शेयर अंतरण के लिए विवेचित नहीं होगा (सिवाए संचरण एवं स्थानांतरण अनुरोध के) एवं डिमैट माध्यम से प्राप्त होने पर ही अंतरण अनुरोध को स्वीकार किया जाएगा।

नालको के कुल इक्विटी (1,86,56,17,498 शेयर) के 99.90% में संलग्न कुल 1,86,37,45,578 इक्विटी शेयर 31.03.2020 को अभौतिकीकृत रूप में रखे गए है।

(ट) लाभांश की घोषणा एवं भुगतान:

कंपनी के शेयरधारकों ने 18.09.2019 को आयोजित 38वीं वार्षिक साधारण बैठक में, ₹5 प्रत्येक के अंकित मूल्य पर 25%पर अर्थात ₹1.25/- प्रति शेयर के लिए अंतिम लाभांश के भुगतान को अनुमोदित किया है। ₹233.20 करोड़ की कुल अंतिम लाभांश राशि में से ₹121.26 करोर की राशि भारत सरकार को भुगतान की गई। अंतरिम लाभांश @ 90% अर्थात ₹ 4.50/- प्रति शेयर के साथ अंतिम लाभांश जो मार्च, 2019 में भुगतान की गई थी, उसकी राशि ₹ 1,072.73 करोड़ थी जिसमें लाभांश वितरण कर शामिल नहीं था। उक्त अंतिम लाभांश का भुगतान सभी योग्य निर्णायक शेयरधारकों को सांविधिक समयावधि में की गई थी।

इसके अलावा, निदेशक मंडल ने 10.02.2020 को आयोजित निदेशक मंडल की 320वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ₹1.50 प्रति शेयर (अर्थात ₹ 5 प्रत्येक के अंकित मूल्य पर 30%) के अंतरिम लाभांश की घोषणा की।

बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम लाभांश के भुगतान हेतु 20 फरवरी, 2020 को 'अभिलेख तिथि' निर्धारित किया है एवं उक्त लाभांश का भुगतान सभी योग्य शेयरधारकों को सांविधिक समयावधि में की गई थी।

शेयरधारकों को लाभांश की घोषणा एवं भुगतान के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013, सचिवीय मानक एवं सेबी विनियमों के सभी प्रावधानों का अनुपालन कंपनी द्वारा किया गया।

(ठ) निवेशक शिकायतों का निवारण:

शेयर अंतरण, शेयरों के संचरण, अभौतिकीकरण/पुनः भौतिकीकरण, डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्रों को जारी करने, लाभांश के भुगतान आदि से संबंधित सभी शिकायतों/अभियोगों पर ध्यान दिया गया एवं निर्धारित समयसीमा में समाधान प्रस्तुत किए गए।

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा 1,388 शिकायतें प्राप्त हुई थी अर्थात निवेशकों से 1,378 शिकायतें प्राप्त हुई थी एवं सेबी से 10 शिकायतें प्राप्त हुई थी और निर्धारित समयसीमा में सबका समाधान किया गया था।

(ड) निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में अदत्त/दावाहीन लाभांश का अंतरण:

निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लागत परीक्षा, अंतरण एवं प्रतिदाय) नियम, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के अनुसरण में, कंपनी के शेयर जिनका लाभांश अधिकार 7 (सात) लगातार वर्षों या अधिक समय के लिए दावारहित या अदत्त रहा है, को कंपनी द्वारा भारत सरकार की निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किए जाने के लिए अपेक्षित है।

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए, दावारहित एवं अदत्त अंतरिम लाभांश के संबंध में ₹12,61,884/- की राशि 16.05.2019 को निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में अंतरित की गई।

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए दावारहित एवं अदत्त अंतिम लाभांश के संबंध में ₹1,87,821/- की राशि 28.09.2019 को निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में अंतरित की गई।

(ढ) आईईपीएफ में शेयरों का अंतरण:

आईईपीएफ नियमों के नियम 6 के साथ पठित अधिनियम की धारा 124(6) के अनुसरण में, कंपनी के लिए उन शेयरों का आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमैट खाता में अंतरण अपेक्षित है जिनके संबंध में 7(सात) लगातार या अधिक वर्षों के लिए लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है/दावा नहीं किया गया है।

कंपनी ने 21,633 संख्यक शेयरों (74 मामलें) को अंतरित किया है जिन पर 2011-12 के अंतरिम लाभांश के आधार पर सात लगातार वर्षों के लिए आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमैट खाता में लाभांश का भुगतान नहीं किया गया/दावा नहीं किया गया।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए आईईपीएफ में ₹1,87,821/- की अदत्त/दावाहीन अंतिम लाभांश राशि के अंतरण के फलस्वरूप, अनुरूपी 15,269 संख्यक शेयर (कुल 58 मामलें) जिन पर सात लगातार वर्षों के लिए लाभांश का भुगतान नहीं किया गया / दावा नहीं किया गया, को आईईपीएफ प्राधिकरण के डिमैट खाता में अंतरित किया गया।

इसके अलावा, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, व्यक्तिगत सूचना भेजते हुए एवं समाचारपत्रों में विज्ञापन देते हुए शेयरधारकों को उनके गैर-भुगतान हुए लाभांश का नकदीकरण/दावा करने के लिए कहा जिन्होंने वर्ष 2011-12 के अंतिम लाभांश एवं 2012-13 के अंतरिम लाभांश के आधार पर सात लगातार वर्षों के लिए अपने लाभांश का दावा नहीं किया है / नकदीकरण नहीं किया है।

(ण) लागू कानूनों का अनुपालन:

हम रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुपालन पर निगरानी रखने एवं सुनिश्चित करने हेतु कंपनी के आकार एवं प्रचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त पद्धति एवं व्यवस्था है।

(त) अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के सही प्रकटन हेतु अनुशीलन एवं कार्यप्रणाली संहिता और भीतरी व्यवसाय पर नियंत्रण रखने, निगरानी एवं रिपोर्ट करने की आचार संहिताः

सेबी (भीतरी व्यवसाय रोकथाम) (संशोधन) विनियम, 2018 के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल ने 30.05.2019 को आयोजित अपनी बैठक में अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना एवं आचार संहिता के सही प्रकटन के लिए अनुशीलन एवं कार्यप्रणाली संहिता और भीतरी व्यवसाय पर नियंत्रण रखने, निगरानी एवं रिपोर्ट करने की आचार संहिता में संशोधन को अनुमोदित किया है। संशोधित विनियमों के अधीन अपेक्षानुसार 'वैध प्रयोजन के निर्धारण हेतु नीति' को तैयार किया गया है एवं कंपनी के भीतरी व्यवसाय संहिता का हिस्सा है। तदुपरांत, कंपनी की वेबसाइट पर इसे अपलोड किया गया है।

(थ) संयुक्त उद्यम:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, मेसर्स खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (काबिल) के नाम एवं शैली में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को निगमित करने हेतु नालको, एचसीएल एवं एमईसीएल के बीच 1 अगस्त, 2019 को एक संयुक्त उद्यम-सह-शेयरधारक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया था। संयुक्त उद्यम कंपनी 8 अगस्त, 2019 को निगमित हुई।

इसके अलावा, मेसर्स उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड के नाम एवं शैली में एक और पब्लिक लिमिटेड कंपनी को निगमित करने हेतु 7 अगस्त, 2019 को मिधानी के साथ संयुक्त उद्यम-सह-शेयरधारक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया था। संयुक्त उद्यम कंपनी 21 अगस्त, 2019 को निगमित हुई।

(द) स्वतंत्र निदेशकों के लिए डेटा बैंक का सृजन एवं ऑनलाइन दक्षता स्व-आकलन परीक्षण:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान निगम मामले मंत्रालय ने अधिसूचना दिनांक 22.10.2019 के माध्यम से 1 दिसम्बर से प्रभावी कंपनी (स्वतंत्र निदेशकों के डेटाबैंक का सृजन एवं अनुरक्षण) नियम, 2019 के नाम में एक नियम का ऐलान किया जिसमें प्रावधान है कि निगम मामले मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत अधीनस्थ एक कार्यालय, भारतीय निगम मामले संस्थान (आईआईसीए) के लिए आवश्यक है कि स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्त किए जाने की इच्छा एवं योग्यता रखनेवाले व्यक्तियों के ऑनलाइन डेटाबैंक का सृजन एवं अनुरक्षण करे। इसमें कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों के रूप में पहले से ही सेवारत व्यक्ति शामिल हैं।

कंपनी ने नालको के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसी व्यक्ति को नामित करते समय उपर्युक्त नियमों के अधीन उक्त आवश्यकताओं पर विचार करने के लिए प्रशासन मंत्रालय को सूचित किया है।

01.12.2019 की तिथि के अनुसार बोर्ड के सभी स्वतंत्र निदेशकों को 01.12.2019 से तीन महीने के अंदर एक वर्ष या पाँच वर्ष की अवधि या जीवन-भर के लिए जैसे मामले हो, डेटाबैंक में अपने नाम को शामिल करने हेतु एवं डेटा बैंक में अपने नाम को शामिल करने, यदि वे मुक्त नहीं हुए हैं, की तिथि से एक वर्ष के अंदर ऑनलाइन दक्षता स्व-आकलन परीक्षण में लिखने हेतु आईआईसीए में ऑनलाइन आवेदन करने की भी सलाह दी गई थी।

(ध) भारत सरकार द्वारा शेयर का विनिवेश:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, वित्त वर्ष के प्रारंभ में, खान मंत्रालय के माध्यम से कार्यरत भारत सरकार (जीओआई) के पास 97,00,81,517 संख्यक इक्विटी शेयर था जो नालको का 51.99% शेयर है।

भारत सरकार ने 10 अक्टूबर, 2019 को नालको के 92,88,506 संख्यक इक्विटी शेयर को भारत सरकार के विनिवेश कार्यक्रम के एक अंश, भारत 22ईटीएफ स्कीम में अंतरित किया। शेयरों के अंतरण के बाद, भारत सरकार के पास 96,07,93,011 इक्विटी शेयर (कुल इक्विटी शेयर 1,86,56,17,498) है जो कंपनी के कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 51.50% है।

समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान, निम्नलिखित गतिविधियां घटीं जिनका कंपनी के मामलों पर बृहद प्रभाव पड़ा है:

1. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक टावर, चकली सर्कल के पास, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा-390007, गुजरात के पास कार्यकारी पूंजी की सुविधा 31.12.2019 को ₹300 करोड़ से बढ़कर ₹400 करोड़ हो गई। कंपनी ने इसी अनुसार प्रभार की संतुष्टि दायर की है।
2. कंपनी ने 03.03.2020 को एक्सिस बैंक लिमिटेड, आर्च बिशप्स हाउस, सत्यनगर, भुवनेश्वर-751007, ओडिशा से प्राप्त कार्यकारी पूंजी की सुविधा बाबत ₹225 करोड़ की प्रभार राशि की संतुष्टि दी है। कंपनी ने इसी अनुसार प्रभार की संतुष्टि दायर की है।

हम आगे यह सूचित करते हैं कि कंपनी के प्रबंधन द्वारा दिए गए कागजातों एवं स्पष्टीकरण के आधार पर पर्याप्त प्रणालियाँ एवं प्रक्रियाएं लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों पर निगरानी एवं अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी के वर्तमान आकार एवं प्रचालन के अनुरूप हैं।

कृते देव महापात्र एण्ड कं.
कंपनी सचिव

स्थान: भुवनेश्वर
तिथि: 29.05.2020

सीएस देवदत्त महापात्र, एफसीएस
साझेदार
सीपी सं. 4583, एफसीएस सं. 5474
यूडीआईएन: F005474B000300824

(यह रिपोर्ट समदिनांकित हमारे पत्र के साथ पढ़ी जाए जो अनुलग्नक क के रूप में संलग्न है एवं इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है)

अनुलग्नक क

सेवा में
सदस्यगण,
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
नालको भवन, प्लॉट नं. पी/1, नयापल्ली
भुवनेश्वर – 751013 (ओड़िशा)

समदिनांकित हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए :

1. सचिवीय रिकॉर्डो का रखरखाव कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्डों पर मत प्रकाश करना हमारी जिम्मेदारी है।
2. हमने उन्हीं लेखापरीक्षा पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय रिकॉर्ड की विषयवस्तुओं की सटीकता के बारे में सुसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थे। परीक्षण आधार पर जाँच की गई थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य प्रदर्शित हैं। हमें विश्वास है कि कम्पनी द्वारा अनुपालित पद्धतियाँ और कार्य-प्रक्रियाएँ हमारे मत के लिए यथोचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने कम्पनी के वित्तीय रिकॉर्डों और लेखा बहियों की सटीकता एवं उपयुक्तता की जाँच नहीं की है।
4. जहाँ भी अपेक्षित हो, हमने विधियों, नियमों, विनियमों और घटित घटनाओं आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन का अभिवेदन प्राप्त किया है।
5. निगम के प्रावधानों एवं अन्य प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच, परीक्षण के आधार पर कार्य-प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कम्पनी की भावी व्यवहार्यता का और न ही कार्यकारिता या प्रभावकारिता का आश्वासन है, जिससे प्रबंधन ने कम्पनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते देव महापात्र एण्ड कं.
कंपनी सचिव

स्थान: भुवनेश्वर
तिथि: 29.05.2020

सीएस देवदत्त महापात्र, एफसीएस
साझेदार
सीपी सं. 4583, एफसीएस सं. 5474
यूडीआईएन: F005474B000300824

सचिवीय लेखापरीक्षक की अर्हताप्राप्त टिप्पणियों पर प्रबंधन का स्पष्टीकरण:

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा उनकी रिपोर्ट में रिपोर्ट की गई अर्हताप्राप्त टिप्पणियाँ एवं प्रबंधन का स्पष्टीकरण नीचे तालिका में दिए गए हैं :

क्रम सं.	सचिवीय लेखापरीक्षक की अर्हताप्राप्त टिप्पणियाँ	प्रबंधन का स्पष्टीकरण
1.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के अनुसार प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी के पास स्वतंत्र निदेशकों के रूप में कुल निदेशकों की संख्या का न्यूनतम 1/3 भाग रहेगा। वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में सीएमडी समेत कुल सोलह (16) निदेशक थे, जिनमें से आठ (8) निदेशक स्वतंत्र निदेशक थे। 20.11.2019 को पाँच (5) स्वतंत्र निदेशकों का कार्यालय में उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। 21.11.2019 से बोर्ड की कुल शक्ति ग्यारह (11) रह गई थी एवं स्वतंत्र निदेशकों की संख्या तीन (3) रह गई थी। 30.11.2019 को सीएमडी के सेवा निवर्त्तन पर बोर्ड की कुल शक्ति दस (10) रह गई थी, इससे बोर्ड में केवल तीन (3) स्वतंत्र निदेशक थे। 02.02.2020 को एक (1) स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल पूरा होने पर बोर्ड की कुल शक्ति और भी कम होकर नौ (9) रह गई थी, इससे बोर्ड में केवल दो (2) स्वतंत्र निदेशक थे। इसी अनुसार, 01.04.2019 से 20.11.2019 तक बोर्ड का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में था, परन्तु 21.11.2019 से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के अधीन प्रावधानों के अनुपालन में नहीं था।	कंपनी के संस्थानिक अंतर्नियम के अनुसार निदेशकों के लिए नियुक्तिकारी प्राधिकारी भारत के राष्ट्रपति हैं। वित्त वर्ष 2019-2020 के दौरान, बोर्ड का गठन 01.04.2019 से 20.11.2019 तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के अनुपालन में था। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन के लिए स्वतंत्र निदेशकों की जल्दी नियुक्ति के लिए इस विषयवस्तु को प्रशासनिक मंत्रालय के पास लाया गया है।
2.	विनियम के विनियम 17(1)(क) के अनुसार निदेशक मंडल में कम से कम 50% गैर-कार्यकारी निदेशक रहेंगे। इसके अलावा, विनियम के विनियम 17(1)(ख) के अनुसार, यदि सूचीबद्ध कंपनी के पास नियमित गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नहीं रहते हैं, तो निदेशक मंडल में कम से कम आधे हिस्से में स्वतंत्र निदेशक रहेंगे। वित्त वर्ष 2019-20 के प्रारंभ में, बोर्ड में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक समेत छह (6) कार्यकारी निदेशक, दो (2) गैर-कार्यकारी सरकारी निदेशक एवं आठ (8) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक से संलग्न सोलह (16) निदेशक थे। यह गठन सेबी (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(क) एवं विनियम 17(1)(ख) के प्रावधानों के अनुपालन में था। 20.11.2019 को, पाँच (5) स्वतंत्र निदेशकों का कार्यालय में कार्यकाल समाप्त हो चुका है। 21.11.2019 से बोर्ड की कुल शक्ति तीन (3) स्वतंत्र निदेशकों सहित घटकर ग्यारह (11) रही थी। 30.11.2019 को सीएमडी के सेवानिवर्त्तन के बाद कार्यालय में उनका कार्यकाल समाप्त होने पर, बोर्ड की कुल शक्ति घटकर दस(10) निदेशक रह गई है जिसमें पाँच (5) कार्यकारी निदेशक, दो (2) गैर-कार्यकारी निदेशक एवं तीन (3) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक थे। निदेशक वित्त को 01.12.2019 से सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। तदुपरान्त 17.12.2019 को उन्हें सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया था एवं 17.12.2019 से निदेशक (वित्त) का पद खाली रहा था।	कंपनी के संस्थानिक अन्तर्नियम के अनुसार निदेशकों के लिए नियुक्तिकारी प्राधिकारी भारत के राष्ट्रपति हैं। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, बोर्ड का गठन 01.04.2019 से 20.11.2019 तक सेबी (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के दोनों विनियम 17(1)(क) एवं विनियम 17(1)(ख) के अनुपालन में था एवं 01.12.2019 से 20.20.2020 तक सेबी (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के केवल विनियम 17(1)(क) के प्रावधान के अनुपालन में था। सेबी (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन के लिए स्वतंत्र निदेशकों की जल्दी नियुक्ति के लिए इस विषयवस्तु को प्रशासनिक मंत्रालय के पास लाया गया है।

क्रम. सं.	सचिवीय लेखापरीक्षक की अर्हताप्राप्त टिप्पणियाँ	प्रबंधन का स्पष्टीकरण
	तदुपरांत, 02.02.2020 को एक (1) स्वतंत्र निदेशक का कार्यालय में कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अतएव, बोर्ड की कुल शक्ति और भी घटकर नौ (9) रह गई, जिसमें 03.02.2020 से पाँच (5) कार्यकारी निदेशक, दो (2) अंशकालिक सरकारी निदेशक एवं दो (2) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक थे। इसी अनुसार, समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान, 01.04.2019 से 20.11.2019 तक बोर्ड का गठन विनियम के विनियम 17(1)(क) एवं विनियम 17(1)(ख) के अनुपालन में था। तथापि, 21.11.2019 से 30.11.2019 तक बोर्ड का गठन विनियम 17(1)(क) एवं विनियम 17(1)(ख) के अनुपालन में नहीं था। इसके अलावा, 01.12.2019 से 02.02.2020 तक बोर्ड का गठन विनियम के विनियम 17(1)(क) के अनुपालन में था, परन्तु उक्त अवधि के लिए विनियम 17(1)(ख) के अनुपालन में नहीं था। फिर से, 03.02.2020 से 31.03.2020 तक बोर्ड का गठन विनियम 17(1)(क) एवं विनियम 17(1)(ख) के अनुपालन में नहीं था।	
3.	31.03.2020 की तिथि के अनुसार लेखा परीक्षा समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 एवं सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में था, परन्तु एलओडीआर विनियमों के विनियम 18(1)(ग) के अनुसार किसी भी सदस्य के पास लेखांकन या संबंधित वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञता नहीं है।	कंपनी के संस्थानिक अन्तर्नियम के अनुसार निदेशकों के लिए नियुक्तिकारी प्राधिकारी भारत के राष्ट्रपति हैं। सेबी (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन के लिए स्वतंत्र निदेशकों की जल्दी नियुक्ति के लिए इस विषयवस्तु को प्रशासनिक मंत्रालय के पास लाया गया है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, आर्थिक रूप से साक्षर सभी सदस्यों एवं लेखांकन या संबंधित वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञता रखने वाले अध्यक्ष के साथ लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

हस्ता./-

(श्रीधर पात्र)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थानः भुवनेश्वर

दिनांक: 04.09.2020

वर्ष 2019-20 के लिए
वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड

एकल वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने **नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड** (कंपनी) के एकल वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र एवं उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण (अन्य विशद आय समेत), इक्विटी परिवर्तन का विवरण, नकद प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी समेत वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणी (इसके बाद आगे "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) शामिल हैं।

हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की अपेक्षानुसार उक्त वित्तीय विवरण अपेक्षित जानकारी देते हैं) एवं भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों की समरूपता में, 31 मार्च, 2019 की स्थिति को कंपनी के मामलों की यथा स्थिति एवं इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अन्य विशद आय सहित इसके लाभ, इसके नकद प्रवाह एवं इक्विटी में परिवर्तन का सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

हमारी राय के लिए आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्दिष्ट लेखापरीक्षण पर मानकों (एसए) के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्वों में विस्तार से वर्णित है। भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता के साथ नीतिगत आवश्यकताओं जो अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक है, के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं एवं हमने उन आवश्यकताओं एवं नैतिक संहिता के अनुसार हमारी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का पालन किया है। हमें विश्वास है कि हमें जो लेखा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो वित्तीय विवरण हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

लेखापरीक्षा की प्रमुख विषयवस्तु

प्रमुख लेखापरीक्षा विषयवस्तुएँ हैं जो हमारे पेशेवर विचार में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण रही थीं। इन विषयवस्तुओं का समग्र रूप में एवं इस पर हमारे राय व्यक्त करने में वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा परीक्षा की प्रासंगिकता में समाधान किया गया था एवं इन विषयवस्तुओं पर हम पृथक राय प्रदान नहीं करते हैं। वर्तमान वर्ष में लेखापरीक्षा की प्रमुख विषयवस्तुएँ जो हमने चिह्नित की हैं, वो निम्नानुसार हैं:

प्रमुख लेखापरीक्षा विषयवस्तु	हमारी लेखापरीक्षा में कैसे इन विषयवस्तुओं का निवारण किया गया
1. अमूर्त संपत्तियों एवं चल रहे पूंजी कार्य समेत संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का वहन मूल्य	
टिप्पणी 5क में प्रकट किए गए कुल ₹7,174.54 करोड़ (2018-19 : ₹ 7109.37) के संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, चल रहे पूंजी कार्य (टिप्पणी 6) ₹1177.16 करोड़ (2018-19 : ₹843.91 करोड़) एवं अमूर्त परिसंपत्तियाँ (टिप्पणी 7) कुल ₹310.23 करोड़ (2018-19 : ₹176.41 करोड़) वित्तीय स्थिति के विवरण में दर्ज किए गए महत्वपूर्ण शेष राशि को दर्शाते हैं। कंपनी ने टिप्पणी 3.4, 3.5 एवं 3.6 में संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, पूंजी कार्य प्रगति में एवं अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का वर्णन किया है। इन परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि के मूल्यांकन के लिए व्यवसाय के प्रत्याशित भावी नकद प्रवाह एवं प्रासंगिक परिसंपत्तियों की उपयोगिता को समर्थन देनेवाले प्रमुख धारणाओं के निर्धारण में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ प्रबंधन का निर्णय संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियों की वहन राशि एवं उनके मूल्यह्रास स्वरूप को प्रभावित करता है। इनमें पूंजीकरण या व्यय लागत; कंपनी की नीति में परिवर्तनों के प्रभाव समेत परिसंपत्ति के जीवन काल की समीक्षा; निर्माण के दौरान परिसंपत्तियों से अंतरण की समयसीमा पर निर्णय शामिल है।	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के साथ अमूर्त संपत्तियों एवं चल रहे पूंजी कार्य के वहन मूल्य से संबंधित हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैः • हमने अवशिष्ट मूल्य एवं उपयोगी जीवनकाल के निर्धारण में प्रबंधन द्वारा की गई धारणाओं का मूल्यांकन किया है ताकि सुनिश्चित हो सके कि ये भारतीय लेखांक मानक इंड एएस 16 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और इंड एएस 38 अमूर्त परिसंपत्तियों के सिद्धांतों के अनुरूप हैं। • हमने प्रबंधन के निर्णय को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी जीवनकाल एवं अवशेष मूल्यों और प्रबंधन के तकनीकी आकलन के अनुसार कुछ परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल की तुलना के माध्यम से चुनौती देते हुए आकलन किया है कि क्या उपयोगी जीवनकाल एवं अवशेष मूल्य यथा संगत थे। • हमने पिछले वर्ष से वर्तमान वर्ष में प्रत्येक श्रेणी की परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल की तुलना की है ताकि यह निर्धारित कर सकें कि क्या परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन है एवं व्यवसाय और उद्योग की हमारी जानकारी के आधार पर परिवर्तनों की प्रासंगिकता पर विचार किया। • हमने आकलन किया है कि क्या कमजोरी के सूचक व्यवसाय एवं उद्योग की हमारी जानकारी के आधार पर 31 मार्च, 2020 को मौजूद थे; • हमने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण एवं अमूर्त परिसंपत्तियों की नियंत्रण व्यवस्था का परीक्षण किया, पूंजीकरण नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया, पूंजीकृत लागतों पर विवरण के परीक्षणों का निष्पादन किया एवं निर्माण के चरण में परिसंपत्तियों के अंतरण की समयसीमा एवं परिसंपत्तयों के जीवन काल के प्रयोग का आकलन किया। • इन विषयगत प्रक्रियाओं के निष्पादन में, हमने पूंजीकृत मूल लागत की प्रकृति, मूल्यह्रास एवं परिशोधन की गणना में प्रयुक्त परिसंपत्ति के जीवनकाल की उपयुक्तता; एवं कमजोरी के प्रसंग में यदि ज़रूरत पड़े, तो त्वरित मूल्यह्रास/परिशोधन के लिए आवश्यकता के आकलन समेत प्रबंधन द्वारा किए गए निर्णयों का अकलन किया है। उपर्युक्त कार्यप्रणाली के आधार पर, हमने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों के वहन मूल्य के निर्धारण में प्रबंधन के आकलन को प्रासंगिक पाया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा विषयवस्तु	हमारी लेखापरीक्षा में कैसे इन विषयवस्तुओं का निवारण किया गया
2. मालसूची का मूल्यांकन	
टिप्पणी 3.10 (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति) एवं टिप्पणी 15 (मालसूची) में वर्णित अनुसार कंपनी 31 मार्च, 2020 के अनुसार ₹1,696.90 करोड़ ((2018-19 : ₹1210.01 करोड़) की मालसूची वहन करती है। कंपनी अवधि के आधार पर अप्रचलन के लिए प्रावधान करती है जिसके लिए मद अचल के रूप में रहता है। यह कार्यविधि मालसूची अवशेषों पर लागू उपयुक्त प्रावधानीकरण के निर्धारण में की गई धारणाओं पर निर्भर है।	मालसूची के मूल्यांकन के संबंध में हमारी लेखा-परीक्षा कार्यप्रणाली में निम्नलिखित शामिल है: • मालसूची के मूल्यांकन के संबंध में हमें एक विस्तृत सहमति प्राप्त हुई है एवं कंपनी द्वारा स्थापित नियंत्रणों की रूपरेखा एवं कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया है। • एक एकक से दूसरे एकक में कच्चे सामान के रूप में प्रयोग किए जाने हेतु तैयार उत्पाद के अंतरण पर प्रबंधन के नियंत्रण की उपयुक्तता पर हमने आश्वासन प्राप्त किया है एवं उत्पादन प्रक्रिया की निरंतरता को बनाए रखने के लिए मानक स्तर की तुलना में वर्ष के अंत में प्रक्रियाधीन स्टॉक के वास्तविक स्तर का आकलन किया है एवं अस्वाभाविक मालसूची प्रयोग से जुड़े कार्यकलापों को चिह्नित करने के लिए आंकड़ा विश्लेषक का उपयोग किया है। • हमने अत्यंत गहराई से कंपनी की मालसूची प्रावधानी नीति का आकलन किया है जिसमें अति पुरानी मालसूची एवं उनकी संचलन स्थिति पर विशेष विचार किया है। • हमने मालसूची मदों के एक नमूने की जाँच की है कि क्या वे निम्नतर लागत एवं शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य पर हैं। उपर्युक्त कार्य-प्रणाली के आधार पर हम प्रबंधन द्वारा निर्धारित अनुसार मालसूची के मूल्य पर सहमति देते हैं।
3. कर्मचारी के परिभाषित लाभ देयताओं एवं अन्य दीर्घमियादी लाभों का मूल्यांकन	
कंपनी ने दीर्घमियादी कर्मचारी लाभ देयता के लिए ₹471.20 करोड़ (2018-19 : ₹380.20 करोड़) एवं परिभाषित लाभ दायित्वों (निधिबद्ध उपदान दायित्व के तहत योजना परिसंपत्ति का शुद्ध मूल्य) के लिए ₹239.76 करोड़ 2018-19 : ₹ 225.13 करोड़) को स्वीकृति दी है एवं टिप्पणी 3.16 (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति) एवं टिप्पणी 22 एवं 31 (दीर्घमियादी एवं नियुक्ति उपरांत लाभों) में वर्णित किया है। कर्मचारी लाभ देयता का मूल्यांकन बाजार की स्थितियों एवं की गई धारणाओं पर निर्भर है। प्रमुख लेखापरीक्षा विषयवस्तु मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रमुख धारणाओं से संबंधित है: छूट दर, मुद्रा स्फीति प्रत्याशाओं एवं अपेक्षित जीवन की धारणाओं। इन धारणाओं का व्यवस्थापन जटिल है एवं तृतीय पक्ष के बीमांकिक सहयोग से महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय लेने की जरूरत पड़ती है।	कर्मचारियों, परिभाषित लाभ देयताओं एवं अन्य दीर्घमियादी लाभ के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा कार्य-प्रणाली में निम्नलिखित शामिल हैं: • मूल्यांकन के परीक्षण में, वित्तीय एवं जनसांख्यिकीय दोनों में प्रयुक्त मुख्य बीमांकिक धारणाओं की समीक्षा के लिए हमने वाह्य बीमांकिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट की जाँच की है एवं इन धारणाओं को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त कार्यविधियों को विवेचित किया। • हमने प्रबंधन एवं बीमांकिक द्वारा किए गए आकलनों का मूल्यांकन किया है ताकि सुनिश्चित हो सके कि ये इंड एएस 19 के सिद्धांतों के संगत में है। • इसके अलावा, परिभाषित लाभ देयताओं के मूल्याकन में प्रमुख धारणाओं पर अतिसंवेदनशील विश्लेषण की जाँच की है। उपर्युक्त कार्यप्रणाली के आधार पर हम संतुष्ट हैं कि देयताओं के निर्धारण के संबंध में इस्तेमाल की गई कार्यविधि एवं धारणाएँ स्वीकार योग्य हैं।
4. आकस्मिक देयताओं के संबंध में निश्चयन, प्रकटन एवं प्रावधानीकरण	
टिप्पणी 4.2.5 (महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय एवं अनिश्चितता आकलन के प्रमुख स्रोत) में वर्णित अनुसार, कंपनी ने टिप्पणी 25 में ₹2,561.82 करोड़ (2018-19: ₹2,771.59 करोड़) की आकस्मिक देयता प्रकट की है। कंपनी के पास कुल ₹1,602.70 करोड़ (2018-19 : ₹ 1,814.14 करोड़) की मांग से संलग्न विवाद के अधीन प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों में अनिश्चित कर विषयवस्तु से संबंधित सामग्री है, जिसके लिए इन विवादों के संभावी परिणाम के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यता है। इसके अलावा, कंपनी के पास ₹959.12 करोड़ (2018-19: ₹957.45 करोड़) की कुल मांग से संश्लिष्ट राज्य सरकार द्वारा एवं ठेकेदारों/ आपूर्तिकर्ताओं द्वारा गठित ओड़िशा सरकार या अन्य एजेंसियों द्वारा विभिन्न दावों के संबंध में अन्य चालू कानूनी विषयवस्तुएँ हैं जिसके लिए संभावित परिणाम निर्धारित करने हेतु प्रबंधन निर्णय के उपयोग की जरूरत पड़ती है।	आकस्मिक देयता के संबंध में निर्धारण, प्रकटीकरण एवं प्रावधानीकरण के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा कार्य-प्रणाली में निम्नलिखित शामिल है: हमने इंड एएस 37 प्रावधान, आकस्मिक देयता एवं आकस्मिक परिसंपत्तियों के अनुसार आकस्मिक देयताओं के प्रकटन एवं प्रावधान करने के संबंध में एक विस्तृत सहमति प्राप्त की है एवं कंपनी द्वारा स्थापित नियंत्रणों की रूपरेखा एवं कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया है। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर आकस्मिक देयताओं के विषय में, हमने निम्नलिखित सिद्धांत एवं लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का निष्पादन किया है: • कर मुकदमे एवं लम्बित प्रशासनिक कार्यवाहियों को चिह्नित करने के लिए कार्य-प्रक्रियाओं का आकलन एवं प्रासंगिक नियंत्रणों का कार्यान्वयन किया गया। • समरूप मामलों में कानूनी अग्रता एवं अन्य नियमों पर विचार करते हुए कंपनी के कर विभाग द्वारा निष्पादित संभावी कर जोखिमों के मूल्यांकन में प्रयुक्त धारणाओं का आकलन। • सबसे महत्वपूर्ण विवादों की वस्तुस्थिति के विषय में प्रबंधन के साथ चर्चा एवं प्रमुख प्रासंगिक प्रलेखीकरण की जाँच। • कर विशेषज्ञों से प्राप्त राय का विश्लेषण, जहाँ उपलब्ध हो। • वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियों में प्रकटनों की पर्याप्तता की समीक्षा। अन्य आकस्मिक देयताओं के संबंध में कंपनी की संभावी अरक्षितता के आकलन में, हमने: • ज्ञात अरक्षितता की निगरानी के संबंध में नियंत्रणों के स्वरूप एवं कार्यान्वयन का आकलन किया; • कंपनी की विवेचना के अधीन क्षेत्रों को चिह्नित करने के लिए बोर्ड एवं बैठक के अन्य कार्यवृत्त का संदर्भ लिया; • कंपनी को प्रभावित करनेवाली चालू एवं संभावी कानूनी विषयवस्तुओं को समझने में कंपनी के अंदरुनी कानूनी लेखापरीक्षकों से सलाह ली गई; • विशेषज्ञों से उपलब्ध कानूनी परामर्शों की समीक्षा; और • वास्तविक और संभावी कानूनी देयताओं के प्रस्तावित लेखांकन एवं प्रकटन की समीक्षा। उपर्युक्त निष्पादित कार्य-प्रणाली के आधार पर हम सहमति देते हैं कि चालू कानूनी विषयवस्तुओं के संबंध में लेखांकन एवं प्रकटन उपयुक्त हैं।

<table>
<tr><th>प्रमुख लेखापरीक्षा विषयवस्तु</th><th>हमारी लेखापरीक्षा में कैसे इन विषयवस्तुओं का निवारण किया गया</th></tr>
<tr><td colspan="2">5. परिसंपत्ति के रूप में सतत मुकदमे के अधीन कर विषयवस्तुओं के संबंध में अग्रिम एवं जमा</td></tr>
<tr><td>31 मार्च, 2020 की स्थिति को, अन्य परिसंपत्तियों (टिप्पणी 14) में शामिल है ₹649.87 करोड़ (2018-19 : ₹597.61 करोड़) राशि के लिए वीएटी एवं सेनवेट उधार समेत प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर जमा (प्रावधान का शुद्ध) के वसूलीयोग्य दावे जो लम्बित समायोजन/अधिनिर्णय में है।
इन अरक्षितता एवं उनके लेखांकन और प्रकटन आवश्यकताओं की प्रकृति के आकलन में महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता पड़ती है।</td><td>संपत्ति के रूप में जारी मुकदमा के अधीन कर विषयवस्तु के बारे में अग्रिम और जमा के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा कार्य-प्रणाली में निम्नलिखित शामिल हैं:
• हमने प्रबंधन से पूरे किए गए कर आकलनों एवं मांग तथा अपीलेट अधिकारी के अपील आदेश का विवरण प्राप्त किया।
• हमने कर देयता एवं विवादों के संभावी परिणाम के आकलन में प्रबंधन की अंतर्निहीत धारणाओं को चुनौती देने के लिए हमारे आंतरिक विशेषज्ञों को शामिल किया था।
• हमारे आंतरिक विशेषज्ञों ने भी इन अनिश्चित कर स्थितियों पर प्रबंधन की परिस्थिति के मूल्यांकन में कानूनी प्रधानता एवं अन्य नियमावलियों पर विचार किया।
• इसके अलावा, हमने वसूली योग्य राशि, संधारणीयता एवं अंतिम समाधान पर संभाव्य वसूली क्षमता की प्रकृति की समीक्षा करने हेतु जहाँ भी उपलब्ध हैं, कानूनी एवं कर विशेषज्ञों की राय पर विचार किया है।
उपर्युक्त निष्पादित कार्य-प्रणाली के आधार पर वसूली योग्य के रूप में विवेचित दावा राशि में प्रबंधन के निर्धारण के साथ हम सहमति रखते हैं।</td></tr>
<tr><td colspan="2">6. आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं का मूल्यांकन</td></tr>
<tr><td>कंपनी ने 31 मार्च, 2020 को टिप्पणी 23 में ₹1,060.61 करोड़ (2018-19 : ₹1,130.67 करोड़) की आस्थगित कर देयता (आस्थगित कर परिसंपत्ति का शुद्ध) प्रकट किया है।
कंपनी बहु आयकर प्रावधानों के प्रयोग से सन्निहित गतिविधियों का संचालन करती है।
समयांतर के फलस्वरूप उत्पन्न आस्थगित कर परिसंपत्ति/देयता के मूल्यांकन का आकलन एवं अनिश्चित कर स्थितियों के लिए प्रावधान हमारी लेखापरीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि गणना जटिल प्रकृति की है एवं संवेदी और निर्णयात्मक धारणाओं पर निर्भर है। इनमें, अन्य के साथ दीर्घमियादी भावी लाभकारिता एवं स्थानीय वित्तीय विनियमों एवं विकास शामिल हैं।</td><td>आस्थगित कर संपत्ति एवं देयताओं के मूल्यांकन के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा कार्य-प्रणाली में निम्नलिखित शामिल हैं:
• आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं की संपूर्णता एवं सटीकता का निर्धारण करना एवं अनिश्चित कर स्थितियों को स्वीकृति देना।
• हमने कंपनी द्वारा चिह्नित आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली क्षमता एवं आस्थगित कर देयताओं के संबंध में भावी नकद प्रवाहों की संभाव्यता पर प्रबंधन के आकलन को चुनौती दी एवं जाँच-पड़ताल की।
• हमने सांविधिक आयकर दर में परिवर्तनों के संबंध में एवं सीमाबद्धता विधान सं संबंधित लागू स्थानीय वित्तीय विनियमों एवं विकासों का भी आकलन किया है क्योंकि ये आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं के अंतर्निहीत मूल्यांकन की प्रमुख धारणाएँ है।
• हमने कर स्थितियों का विश्लेषण किया एवं कंपनी द्वारा प्रयुक्त धारणाओं एवं कार्यविधियों का मूल्यांकन किया।
• इसके अलावा, हमने प्रयुक्त आस्थगित परिसंपत्तियों/देयताओं पर इंड एएस 12 आयकर के अनुसार कंपनी के प्रकटन की पर्याप्तता पर भी ध्यान केन्द्रित किया।
उपर्युक्त निष्पादित कार्य-प्रणाली के आधार पर हम संतुष्ट हैं कि आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं के संबंध में प्रयोग की गई कार्यविधि एवं धारणाएँ स्वीकार योग्य हैं।</td></tr>
</table>

अन्य सूचना

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य सूचना के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य सूचना में शामिल है कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न सूचना, परंतु इसमें वित्तीय विवरण एवं इस पर हमारी रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तिथि के उपरांत ये रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

वित्तीय विवरणियों पर हमारी राय अन्य सूचना को शामिल नहीं करती है एवं इस पर निष्कर्ष के तौर किसी प्रकार का आश्वासन व्यक्त नहीं करेगी।

वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के सिलसिले में, हमारी जिम्मेदारी ऊपर चिह्नित अन्य सूचना का पठन करना है, जब यह हमें उपलब्ध करायी जाती है एवं ऐसा करते हुए हम विचार करते हैं कि क्या अन्य सूचना वित्तीय विवरणियों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी में भौतिक रूप से असंगत है या फिर भौतिक रूप से गलत बयानबाजी प्रकट करते हैं।

जब हम अन्य सूचना पढ़ते हैं, तब यदि हमें पता चलता है कि इसमें भौतिक गलत बयानबाजी है, तब इस अभिशासन से प्रभारित व्यक्ति को इस विषयवस्तु की सूचना हमें प्रदान करनी पड़ती है एवं आवश्यकता पड़ने पर, उपयुक्त कदम उठाते हैं।

वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी के निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में व्यक्त मामलों के लिए जिम्मेदार हैं जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन मानकों (इंड एएस) समेत भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन (इक्विटी में परिवर्तन) एवं नकद प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इस दायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का व्यवस्थापन भी शामिल है जो कंपनी की संपत्तियों की हिफाजत हेतु एवं धोखाधड़ियों और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए, उपयुक्त कार्यान्वयन के चयन एवं प्रयोग, लेखांकन नीतियों के अनुरक्षण; तर्क एवं आकलन देने, जो यथासंगत एवं विवेकपूर्ण हैं; एवं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करने, कार्यान्वयन एवं रखरखाव के लिए, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता एवं संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचलित थे, वित्तीय विवरणियों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के लिए संगत थे, जो सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं एवं भौतिक गलत बयानबाजी से मुक्त हैं, चाहे वे जालसाजी या चूक के कारण हो।

वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में, प्रबंधन एक चालू संस्था के रूप में जारी रहने में कंपनी की क्षमता का आकलन करने, चालू संस्था से संबंधित मामलों का लागू अनुसार

प्रकट करने एवं लेखांकन की चालू संस्था आधार पर इस्तेमाल करने के लिए जिम्मेदार है, बशर्ते कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करना चाहता है या कार्य-परिचालनों को रोकना चाहता है या ऐसा करने के अलावा यथार्थ रूप से कोई और विकल्प नहीं है।

वे निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य है युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करना ताकि वित्तीय विवरण समग्र रूप से गलत बयानबाजी से मुक्त हैं चाहे वो जालसाजी या त्रुटि के कारण हो एवं लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। युक्तिसंगत आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, परंतु इसकी सुनिश्चितता नहीं है कि एसए के अनुसार संचालित एक लेखापरीक्षा हमेशा ही किसी भौतिक गलत बयानबाजी, जब यह विद्यमान हो, का पता लगा पाएगी। गलत बयानबाजी किसी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है एवं तभी महत्वपूर्ण माना जाता है, जब व्यक्तिगत या समेकित रूप में, उनसे इन वित्तीय विवरणियों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक फैसलों को प्रभावित करने की युक्तिसंगत अपेक्षा रहती है।

एसए के अनुसार एक लेखापरीक्षा के अंश के तौर पर, हम पूरी लेखापरीक्षा में पेशेवर निर्णय लेते हैं एवं पेशेवर संशयवाद का पालन करते हैं। हमारे कार्य में ये भी शामिल हैं:

- वित्तीय विवरणियों की गलत बयानबाजी के जोखिमों की पहचान एवं आकलन करना, चाहे जालसाजी या चूक के कारण हो, उन जोखिमों के प्रत्युत्तर में लेखापरीक्षा की कार्य-प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करना एवं निष्पादन करना और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं। किसी जालसाजी के फलस्वरूप उत्पन्न किसी गलत बयानबाजी का पता न चल पाने का जोखिम, किसी चूक से उत्पन्न जोखिम से अधिक होता है क्योंकि जालसाजी में साँठ-गाँठ, धोखाधड़ी, जानबूझकर विलोपन, गलत प्रस्तुतीकरण या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल रह सकते हैं।
- लेखापरीक्षा की कार्य-प्रक्रिया को तैयार करने हेतु लेखापरीक्षा के संगत में आंतरिक नियंत्रण के तात्पर्य को प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। अधिनियम की धारा 143(3)(झ) के अंतर्गत, हम यह राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था है एवं ये नियंत्रण प्रभावी रूप से संचालित हैं।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं लेखांकन आकलनों के औचित्य एवं प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।
- चालू संस्था में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन की उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना एवं प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर देखना कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता है जो कंपनी के चालू संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम किसी भौतिक अनिश्चितता की उपस्थिति का निष्कर्ष देते हैं, तो वित्तीय विवरणियों में संबंधित प्रकटीकरण की हमारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में इस पर ध्यान दिलाने की आवश्यकता पड़ती है या इस प्रकार का प्रकटीकरण अपर्याप्त रहने पर, हमारी राय में हम परिवर्तन लाते हैं। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित है।
- प्रकटीकरण समेत वित्तीय विवरणियों के संपूर्ण प्रस्तुतीकरण, संरचना एवं विषयवस्तु का मूल्यांकन करना एवं क्या वित्तीय विवरण इस रूप में अंतर्निहित लेनदेन की घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं जिनसे निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण प्राप्त होता है।

हम अभिशासन से प्रभारित जनों को अन्य विषयवस्तुओं के साथ-साथ लेखापरीक्षा के सुनियोजित क्षेत्र एवं समयसूची और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं हमारी लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा चिह्नित अन्य महत्वपूर्ण कमियों की सूचना देते हैं।

हम अभिशासन से प्रभारित जनों को एक विवरण के साथ यह भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के विषय में संबंधित नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया हैं एवं हमारी स्वतंत्रता एवं जहाँ प्रयोज्य हो, संबंधित हिफाजत पर यथा संगत विचार किए जानेवाले सभी संबंधों एवं अन्य विषयवस्तुओं की सूचना देते हैं।

अभिशासन से प्रभारित जन को सूचित की गई विषयवस्तुओं में हम उन विषयवस्तुओं का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे एवं इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा विषयवस्तुएं हैं। हम हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इन विषयवस्तुओं का वर्णन करते हैं, बशर्ते कि विषयवस्तु के सार्वजनिक प्रकाशन से कानून या विनियम द्वारा रोका न गया है या जब अति दुर्लभ परिस्थितियों में हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी विशिष्ट विषयवस्तु को सूचित नहीं किया जाएगा क्योंकि इसके प्रतिकूल परिणाम से ऐसी सूचना के सार्वजनिक हित लाभों पर प्रभाव पड़ने की यथासंगत अपेक्षा रहती है।

अन्य कानूनी एवं नियामक अर्हताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के अनुसार भारत के केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") की अपेक्षानुसार, लागू सीमा के तहत आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट विषयवस्तुओं पर इस रिपोर्ट के अनुलग्नक "क" में एक विवरण देते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक के अनुदेशों के अनुपालन में, हम वहाँ विनिर्दिष्ट विषयवस्तुओं पर इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक "ख"** में एक विवरण देते हैं।
3. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार, हम रिपोर्ट करते हैं किः

   (क) हमने वो सभी जानकारी और व्याख्या मांगी है एवं प्राप्त की हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।

(ख) हमारी राय में, जैसा कि इन बहियों की हमारी जाँच से प्रतीत होता है, कानून के अपेक्षानुसार कंपनी द्वारा यथोचित लेखा-बहियों का रखरखाव किया गया है।

(ग) इस रिपोर्ट से सम्बंधित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय समेत), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण एवं नकद प्रवाह विवरण लेखा बहियों के सुसंगत हैं।

(घ) हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण संशोधित अनुसार कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों का पालन करते हैं।

(ङ) निगमित मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. जी.एस.आर 463(ङ) दिनांक 05.06.2015 के माध्यम से निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 164(2) कंपनी पर प्रयोज्य नहीं है।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन संबंधी प्रभावकारिता के सूचनार्थ **अनुलग्नक "ग"** में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

(छ) संशोधित अनुसार अधिनियम की धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसरण में लेखीपरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल की जानेवाली अन्य विषयवस्तुओं के मामलें में:

प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में, अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 का प्रावधान निगम मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर 463(ई) के माध्यम से कंपनी पर लागू नहीं है।

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल की जानेवाली अन्य विषयवस्तुओं के मामले में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के मुताबिक:

i. कंपनी के पास लंबित मुकदमे हैं जिसके संबंध में देयताएँ या तो प्रदान किए गए हैं या आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किए गए हैं - वित्तीय विवरण की टिप्पणी 25 का संदर्भ लें।

ii. व्युत्पन्न संविदाओं समेत कोई दीर्घमियादी संविदाएँ यदि है, जिसके लिए पहले से ही भौतिक पूर्वाभासी क्षतियाँ थी, के लिए कानून या भारतीय लेखांकन मानकों के अन्तर्गत अपेक्षानुसार कंपनी ने प्रावधान किया है।

iii. निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में कंपनी द्वारा राशि अंतरित किए जाने में कोई देर नहीं हुई है।

कृते पात्र एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 310100ई

(सीए अम्बिका प्रसाद महान्ति)
साझेदार
सदस्यता सं.: 057820
युडीआईएन 20057820AAAAAP9186

कृते जीएनएस एण्ड एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 318171ई

(सीए संतोष कुमार देहुरी)
साझेदार
सदस्यता सं.: 053937
युडीआईएन 20053937AAAAAX4832

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: जून 26, 2020

अनुलग्नक - क

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

(समदिनांकित हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी एवं विनियामक अर्हताओं पर रिपोर्ट" के शीर्षक के तहत अनुच्छेद 1 के संदर्भ में)

i. (क) अचल संपत्ति के मात्रात्मक विवरण एवं स्थिति समेत कंपनी संपूर्ण विवरण दर्शाने वाले समुचित रिकॉर्डों का रखरखाव कर रही है;

(ख) प्रबंधन द्वारा हर वर्ष कम्पनी की सभी चल परिसंपत्तियों की भौतिक रूप से जाँच की जाती है। हमारी राय में सत्यापन की संख्या सुसंगत है। वर्ष के दौरान संचालित ऐसे सत्यापन पर कोई भौतिक या महत्वपूर्ण विसंगतियाँ नहीं पायी गई थीं;

प्रबंधन द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष के अंतराल पर स्थायी परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन किया जाता है, जो कि हमारी राय में, कंपनी के आकार एवं परिसंपत्तियों की प्रकृति के अनुसार यथोचित हैं।

बहियों में दर्ज रिकॉर्ड एवं भौतिक परिसंपत्तियों के बीच कोई भौतिक विसंगतियाँ नहीं पायी गई;

(ग) हमें दी गई जानकारी और व्याख्या के अनुसार एवं कम्पनी के रिकॉर्डों की हमारी जाँच के आधार पर, अचल परिसंपत्तियों का अधिकार पत्र कंपनी के नाम में है। कम्पनी द्वारा धारित 8047.05 एकड़ की पूर्ण-स्वामित्ववाली भूमि एवं 10590.51 एकड़ की पट्टाधारी भूमि में से, क्रमशः 64.15 एकड़ की पूर्ण-स्वामित्ववाली एवं 1655.40 एकड़ की पट्टे वाली भूमि के विषय में अधिकार पत्र/पट्टा अनुबंध का निष्पादन अभी तक कंपनी के पक्ष में नहीं किया गया है। तथापि, संबंधित प्राधिकरणों द्वारा कम्पनी को उक्त भूमि पर अपने कार्य-प्रचालन के लिए अनुमति दी गई है।

कोलकाता में 6459 वर्गफीट के लिए कार्यालय स्थल के विषय में पंजीकरण औपचारिकताएँ भी पूरी नहीं हुई हैं (टिप्पणी 5.क देखें)।

ii. तीसरे पक्ष के पास पड़े हुए स्टॉक एवं मार्गस्थ स्टॉक के सिवाय सभी मालसूचियों का इस प्रयोजन हेतु वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा नियुक्त सनदी लेखापाल के फर्मों द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया है। सत्यापन की संख्या सुसंगत है। भौतिक स्टॉक एवं बही रिकॉर्ड के बीच भौतिक सत्यापन पर पायी गई विसंगतियों में कमी को लेखा बहियों में यथोचित निपटाया गया है जबकि अधिशेष पर ध्यान नहीं दिया गया है;

iii. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सम्मिलित कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता साझेदारियों या अन्य पक्षों को कंपनी ने कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण नहीं दिया है। परिणामस्वरूप, आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड (iii)(क), (ख) एवं (ग) लागू नहीं है;

iv. हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्याओं के अनुसार, निगमित मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ङ) दिनांक 05.06.2015 के माध्यम से निदेशकों को ऋण के विषय में अधिनियम की धारा 185 कंपनी पर लागू नहीं है। हमारी राय में एवं हमें दी गई जानकारी और व्याख्या के अनुसार, कंपनी ने दिए गए ऋण एवं निवेश के विषय में अधिनियम की धारा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है;

v. हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्याओं के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों एवं अधिनियम की धारा 73, 74, 75 एवं 76 के प्रावधानों तथा इसके तहत बने नियमों के आशय में कंपनी ने जनसाधारण से कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है।

vi. विनिर्माणी कार्यकलापों के विषय में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत लागत रिकॉर्ड के अनुरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी द्वारा रखी गई बहियों एवं रिकॉर्ड की हमने विस्तृत समीक्षा की है एवं राय व्यक्त करते हैं कि प्रत्यक्षतः निर्धारित लेखा एवं रिकॉर्ड तैयार किए गए हैं एवं रखे गए हैं। तथापि, हमने यह निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड की विस्तृत जाँच नहीं की है कि क्या ये सटीक एवं संपूर्ण हैं।

vii. (क) हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्याओं के अनुसार और कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, हमारी राय में कम्पनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उप कर एवं अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय सहित अविवादित सांविधिक देय उपयुक्त प्राधिकारियों के पास आमतौर पर जमा करती है एवं 31 मार्च, 2020 को देय तिथि से छह महीनों से अधिक अवधि के लिए कोई अविवादित सांविधिक देय बकाया नहीं है।

(ख) हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्या के अनुसार, आय कर, बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर, सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क का कोई बकाया नहीं है, जो नीचे वर्णित को छोड़कर विवादित होने के कारण उपयुक्त अधिकारी के पास जमा नहीं किया गया है:

क्रम सं.	संविधि की प्रकृति	विवादित सांविधिक बकाये की प्रकृति	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहाँ विवाद लम्बित है	सकल विवादित राशि (₹ करोड़)	कर प्राधिकारियों द्वारा विरोध/समायोजित के अधीन जमा की गई राशि (₹ करोड़)
1	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर/टीडीएस/ब्याज	2002-03, 2003-04 2004-05 2005-06 एवं 2013-14	उच्च न्यायालय	76.10	131.56
			2007-08, 2008-09, 2014-15 एवं 2015-16	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण	206.78	223.55
			2016-17	आयकर आयुक्त (अपील्स)	50.73	32.13
			2006-07, 2007-08, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14	संयुक्त आयुक्त/उप आयुक्त, आयकर	214.01	299.75

क्रम सं.	संविधि की प्रकृति	विवादित सांविधिक बकाये की प्रकृति	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहाँ विवाद लम्बित है	सकल विवादित राशि (₹ करोड़)	कर प्राधिकारियों द्वारा विरोध/ समायोजित के अधीन जमा की गई राशि (₹ करोड़)
2	केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	2007-08 से 2013-14	उच्च न्यायालय	397.58	0.10
			1999-2000 से 2014-15	न्यायाधिकरण	7.47	0.39
			2007-08 से 2015-16	अपीलीय प्राधिकारी	5.40	0.19
3	वित्त अधिनियम 1994	सेवा कर	2004-05 से 2016-17	न्यायाधिकरण	14.38	2.86
			2007-08 से 2017-18	अपीलीय प्राधिकारी	3.81	0.14
4	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क	2000-01 से 2012-13	न्यायाधिकरण	102.77	1.95
			2012-13	अपीलीय प्राधिकारी	1.70	0.13
5	ओड़िशा वैट अधिनियम, 2004	वैट	2005-06 से 2009-10	न्यायाधिकरण	12.60	2.17
			2016-17 से 2017-18	अपीलीय प्राधिकारी	0.05	0.00
6	ओड़िशा विक्रय अधिनियम, 1947	ओएसटी	1995-96 से 2002-03	उच्च न्यायालय	1.63	0.37
			1992-93 से 2004-05	न्यायाधिकरण	1.59	1.08
			2003-04	रिविज़नरी प्राधिकारी	1.08	0.00
7	ओड़िशा प्रवेश कर अधिनियम 1999	प्रवेश कर	1999-00 से 2010-11	उच्च न्यायालय	12.89	6.06
			1999-00 से 2013-14	न्यायाधिकरण	131.52	54.06
			2004-05 से 2014-15	रिविज़नरी प्राधिकारी	33.47	4.29
			1999-00 से 2014-15	अपीलीय प्राधिकारी	43.48	4.69
8	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनयम, 1956	सीएसटी	1991-92	उच्च न्यायालय	3.49	3.49
			1992-93 से 2008-09	न्यायाधिकरण	277.52	77.84
			कुल		1,600.05	846.79

viii. हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्या के अनुसार, बैंकों के साथ बिल छूट करार के अलावा, कंपनी का किसी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार या ऋणपत्रधारकों से कोई ऋण या उधार बकाया नहीं है। कम्पनी ने बिल छूट सुविधा के तहत प्राप्त ऋणों का पुनर्भुगतान बकाया नहीं रखा है।

ix. कम्पनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक जन प्रस्ताव, आगे जन प्रस्ताव (ऋणपत्रों समेत) कोई राशि एवं मियादी ऋण नहीं लिया है। इसी अनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(ix) कंपनी पर लागू नहीं है।

x. हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्याओं के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कम्पनी के प्रति धोखाधड़ी नहीं की गई है या रिपोर्ट की गई है।

xi. निगमित मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ड) दिनांक 05.06.2015 के माध्यम से प्रबंधकीय पारिश्रमिक के विषय में अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 का प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं है।

xii. हमारी राय में एवं हमें दी गई जानकारी और व्याख्याओं के अनुसार, कम्पनी एक निधि कम्पनी नहीं है।

xiii. हमें दी गई जानकारी और व्याख्याओं के अनुसार एवं कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, संबंधित पक्ष के लेनदेन जहाँ भी प्रयोज्य है, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 के अनुपालन में हैं। प्रयोज्य लेखांकन मानकों के अपेक्षानुसार ऐसे लेनदेनों का विवरण वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

xiv. हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्याओं के अनुसार और रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, कम्पनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या आंशिक अथवा पूर्ण परिवर्तनीय ऋणपत्रों (डिबेंचर) का अधिमान्य आबंटन या गैर-सरकारी व्यवस्थापन नहीं किया है।

xv. हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्याओं के अनुसार और रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, अधिनियम की धारा 192 में वर्णित अनुसार कम्पनी ने किसी निदेशक या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है।

xvi. कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

कृते पात्र एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 310100ई

(सीए अम्बिका प्रसाद महान्ति)
साझेदार
सदस्यता सं.: 057820
युडीआईएन 20057820AAAAAP9186

कृते जीएनएस एण्ड एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 318171ई

(सीए संतोष कुमार देहुरी)
साझेदार
सदस्यता सं.: 053937
युडीआईएन 20053937AAAAAX4832

स्थानः भुवनेश्वर
दिनांकः जून 26, 2020

अनुलग्नक “ख”

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

(समदिनांकित हमारी रिपोर्ट के “अन्य कानूनी एवं विनियामक अर्हताओं पर रिपोर्ट” के शीर्षक के तहत अनुच्छेद 2 के संदर्भ में)

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत निर्देशों पर रिपोर्ट

प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्याओं के अनुसार और कंपनी के बहियों एवं रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. आईटी प्रणाली के जरिए सभी लेखांकन लेनदेनों की प्रक्रिया हेतु कंपनी के पास एसएपी प्रणाली की व्यवस्था है। चूंकि आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन की कोई प्रक्रिया नहीं है, इसलिए आईटी प्रणाली के बाहर प्रक्रिया किए गए लेखांकन लेनदेनों के वित्तीय प्रभाव एवं लेखों की सत्यनिष्ठा पर मत व्यक्त करने का सवाल नहीं उठता है।
2. कंपनी ने कोई ऋण नहीं लिया है एवं इसलिए उधारदाता द्वारा ऋण की पुनर्संरचना का सवाल नहीं उठता है।
3. वर्ष के दौरान, कंपनी को किसी भी योजना के लिए केन्द्र/राज्य एजेंसियों से कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है और इसलिए निधि की प्राप्ति का लेखांकन एवं इस पर इसकी उपयोगिता नियम और शर्तों के अनुसार सवाल नहीं उठता है।

कृते पात्र एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 310100ई

(सीए अम्बिका प्रसाद महान्ति)
साझेदार
सदस्यता सं.: 057820
युडीआईएन 20057820AAAAAP9186

कृते जीएनएस एण्ड एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 318171ई

(सीए संतोष कुमार देहुरी)
साझेदार
सदस्यता सं.: 053937
युडीआईएन 20053937AAAAAX4832

स्थानः भुवनेश्वर
दिनांकः जून 26, 2020

अनुलग्नक "ग"

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर समदिनांकित स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड(i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2020 की स्थिति को **नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड** ("कम्पनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ-साथ की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर अनुदेश टिप्पणी में व्यक्त आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य पहलुओं पर विचार करते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के तहत आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं बनाए रखना कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षानुसार पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, कार्यान्वित करना एवं बनाए रखना जो कम्पनी की नीतियों के पालन सहित इसके व्यवसाय के क्रमबद्ध एवं दक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालित थे, इसकी परिसंपत्तियों की हिफाजत, धोखाधड़ियों और चूक का निवारण एवं पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता एवं संपूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को यथा समय तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारण योग्य वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर अनुदेश टिप्पणी ("अनुदेश टिप्पणी") एवं लेखापरीक्षण के मानकों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की प्रयोज्य सीमा में हमारी लेखापरीक्षा की है, दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर प्रयोज्य है एवं दोनों ही भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों एवं अनुदेश टिप्पणी में अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें एवं सुसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना एवं निष्पादन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना की गई थी एवं अनुरक्षित हुई थी और क्या ये नियंत्रण सभी भौतिक पहलुओं में प्रभावी रूप से संचालित थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं इनके प्रचालनीय प्रभावकारिता के बारे में, लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु कार्यपद्धतियों का निष्पादन करना है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की व्याख्या प्राप्त करना, जोखिम का आकलन कि भौतिक दुर्बलता विद्यमान है एवं आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा एवं प्रचालनीय प्रभावकारिता का परीक्षण एवं मूल्यांकन शामिल है। चयनित कार्यपद्धतियाँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की भौतिक गलत बयानबाजी के जोखिम का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या चूक के कारण हो।

हम विश्वास करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारी लेखापरीक्षा की राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु हमें जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हुआ, वो पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का आशय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक कार्यपद्धति है जो सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के विषय में सुसंगत आश्वासन प्रदान करने के लिए निरूपित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

में वो नीतियाँ एवं कार्यपद्धतियाँ शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव के सम्बन्ध में है जो सुसंगत विस्तार में कम्पनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन एवं स्थितियों को सटीक रूप से एवं सही रूप से प्रदर्शित करती हैं, (2) यथासंगत आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेनदेन को रिकॉर्ड किया गया है जैसा कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति के लिए अपेक्षित हैं एवं कम्पनी की प्राप्तियाँ एवं व्यय केवल कम्पनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं, और (3) कम्पनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग या स्थितियों के निवारण या यथा समय पता लगाने के विषय में सुसंगत आश्वसान प्रदान करती हैं, जिनका वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता था।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाबद्धताएँ

नियंत्रणों का अतिक्रमण करने वाले मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन की संभावना समेत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाबद्धताओं के कारण चूक या धोखाधड़ी की वजह से महत्वपूर्ण गलत बयानबाजी घट सकती है एवं पता नहीं चल सकता है। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणओं के किसी मूल्यांकन की प्रायोजना जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकती है या फिर नीतियों या पद्धतियों के साथ अनुपालन के स्तर में कमी आ सकती है।

अभिमत

हमारी राय में, कम्पनी के पास सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर अनुदेश टिप्पणी में व्यक्त, आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य पहलुओं पर विचार करते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2020 को यथा, प्रभावी रूप से प्रचालित थे।

कृते पात्र एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 310100ई

(सीए अम्बिका प्रसाद महान्ति)
साझेदार
सदस्यता सं.: 057820
युडीआईएन 20057820AAAAAP9186

कृते जीएनएस एण्ड एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 318171ई

(सीए संतोष कुमार देहुरी)
साझेदार
सदस्यता सं.: 053937
युडीआईएन 20053937AAAAAX4832

स्थानः भुवनेश्वर
दिनांकः जून 26, 2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुसार, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनके द्वारा दिनांक 26 जून, 2020 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से व्यक्त किया हुआ बताया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की ओर से, मैंने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143 (6)(क) के तहत एक अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षक के कार्यकारी कागज़ों को प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है एवं प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षक एवं कंपनी के कर्मचारियों की पूछताछ एवं कुछ लेखांकन रिकॉर्ड के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ महत्वपूर्ण नहीं प्राप्त हुआ है जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी की जाए या कुछ जोड़ा जाए।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक और उनकी ओर से

(सुपर्ण देव)
महानिदेशक, लेखापरीक्षा (खदान)
कोलकाता

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 03 सितंबर, 2020

तुलन पत्र मार्च 31, 2020 को यथा

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
परिसंपत्तियाँ			
(1) गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	5	7,174.54	7,109.37
(ख) पूँजी कार्य प्रगति में	6	1,177.16	843.91
(ग) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	7	310.23	176.41
(घ) विकास अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	8	249.54	38.80
(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	9	277.25	175.78
(ii) व्यापारिक प्राप्य	10	—	—
(iii) ऋण	11	73.02	74.74
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	12	10.48	10.37
(च) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	14	719.60	1,116.88
कुल गैर-चालू परिसंपत्तियाँ		**9,991.82**	**9,546.26**
(2) चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) मालसूची	15	1,696.90	1,210.01
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	9	55.01	80.81
(ii) व्यापारिक प्राप्य	10	140.09	240.52
(iii) नकद एवं नकद समतुल्य	16	18.47	171.60
(iv) ऊपर (iii) के अलावा बैंक शेष	16	1,962.06	3,324.75
(v) ऋण	11	40.16	25.75
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	12	0.05	1.23
(ग) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	13	46.22	51.26
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	14	598.84	494.77
कुल चालू परिसंपत्तियाँ		**4,557.80**	**5,600.70**
कुल परिसंपत्तियाँ		**14,549.62**	**15,146.96**
इक्विटी एवं देनदारियाँ			
(1) इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूँजी	17	932.81	932.81
(ख) अन्य इक्विटी	18	9,055.26	9,551.70
कुल इक्विटी		**9,988.07**	**10,484.51**
देनदारियाँ			
(2) गैर-चालू देनदारियाँ			
(क) वित्तीय देनदारियाँ			
(i) व्यापारिक देय			
(क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के देय	20	—	—
(ख) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों के देय	20	22.69	21.14
(ii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	21	58.53	6.70
(ख) प्रावधान	22	628.80	530.93
(ग) आस्थगित कर देनदारियाँ (शुद्ध)	23	1,060.61	1,130.67
(घ) अन्य गैर-चालू देनदारियाँ	24	70.90	67.89
कुल गैर-चालू देनदारियाँ		**1,841.53**	**1,757.33**
(3) चालू देनदारियाँ			
(क) वित्तीय देनदारियाँ			
(i) उधारी	19	12.31	66.79
(ii) व्यापारिक देय			
(क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के देय	20	7.06	2.22
(ख) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों के देय	20	765.87	1,283.55
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	21	416.02	410.86
(ख) प्रावधान	22	178.44	165.51
(ग) अन्य चालू देनदारियाँ	24	1,340.32	976.19
कुल चालू देनदारियाँ		**2,720.02**	**2,905.12**
कुल देनदारियाँ		**4,561.55**	**4,662.45**
कुल इक्विटी एवं देनदारियाँ		**14,549.62**	**15,146.96**

वित्तीय विवरणों की संलग्न टिप्पणियाँ (1-39) देखें

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

(सीएस एन के महान्ति)
(कंपनी सचिव)

(व्ही बालसुब्रमण्यम)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 06965313

(सीए श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06500954

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते पात्र एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन-310100ई
(सीए अम्बिका प्रसाद महान्ति)
साझेदार (एम. नं.: 057820)

कृते जीएनएस एण्ड एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन-318171ई
(सीए संतोष कुमार देहुरी)
साझेदार (एम.नं.: 053937)

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : जून 26, 2020

लाभ और हानि का विवरण 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के लिए

राशि ₹ करोड़ में

		टिप्पणी	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
I	प्रचालन से राजस्व	27	8,471.84	11,499.32
II	अन्य आय	28	272.58	325.87
III	कुल आय (I + II)		**8,744.42**	**11,825.19**
IV	व्यय			
	(क) खपत हुए कच्चे माल की लागत		1,702.48	1,919.68
	(ख) खपत हुए विद्युत एवं ईंधन की लागत		2,964.60	2,927.12
	(ग) तैयार माल के मालसूची एवं चालू कार्य में परिवर्तन		(365.23)	(5.08)
	(घ) कर्मचारी परिलाभ व्यय		1,994.07	2,072.28
	(ङ) वित्त लागत		5.74	2.38
	(च) मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय		529.83	476.10
	(छ) अन्य व्यय		1,686.69	1,692.79
	कुल व्यय (IV)		**8,518.18**	**9,085.27**
V	विशिष्ट मदों एवं कर-पूर्व लाभ /(हानि) (III - IV)		**226.24**	**2,739.92**
VI	विशिष्ट मद		—	—
VII	कर के पूर्व लाभ /(हानि) (V - VI)		**226.24**	**2,739.92**
VIII	कर व्यय			
	(1) चालू कर	34	151.40	1,024.65
	(2) आस्थगित कर	34	(63.39)	(17.13)
IX	वर्ष लिए लाभ/(हानि) (VII - VIII)		**138.23**	**1,732.40**
X	अन्य विशद आय			
	(i) लाभ या हानि में पुनवर्गीकृत नहीं किए जाने वाले मद			
	- परिभाषित परिलाभ योजनाओं पर पुनर्मापन लाभ /(हानि)		(22.84)	0.06
	(ii) लाभ या हानि में पुनर्वगीकृत नहीं किए जाने वाले मदों से संबंधित आयकर		6.67	(0.21)
	वर्ष के लिए अन्य विशद आय (करों का शुद्ध) (X)		**(16.17)**	**(0.15)**
XI	वर्ष के लिए कुल विशद आय (IX+X) (लाभ/(हानि) और अवधि के लिए अन्य विशद आय को समाविष्ट करके)		**122.06**	**1,732.25**
XII	प्रति इक्विटी शेयर आय			
	(1) मूल (₹ में)		0.74	9.06
	(2) मंदित (₹ में)		0.74	9.06

वित्तीय विवरणों की संलग्न टिप्पणियाँ (1-39) देखें

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

(सीएस एन के महान्ति)
(कंपनी सचिव)

(व्ही बालसुब्रमण्यम)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 06965313

(सीए श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06500954

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते पात्र एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन-310100ई
(सीए अम्बिका प्रसाद महान्ति)
साझेदार (एम. नं.: 057820)

कृते जीएनएस एण्ड एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन-318171ई
(सीए संतोष कुमार देहुरी)
साझेदार (एम.नं.: 053937)

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : जून 26, 2020

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण 31 मार्च, 2020 की समाप्त अवधि के लिए

राशि करोड़ ₹ में

क.	इक्विटी शेयर पूँजी	
	31.03.2018 को यथा शेष	966.46
	इक्विटी शेयर की वापसी खरीदी	(33.65)
	31.03.2019 को यथा शेष	**932.81**
	वर्ष के दौरान परिवर्तन	—
	31.03.2020 को यथा शेष	**932.81**

ख. अन्य इक्विटी

राशि करोड़ ₹ में

अन्य इक्विटी	आरक्षित एवं अधिशेष			कुल
	पूँजी मोचन आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	
31.03.2018 को यथा शेष	**322.16**	**8,620.41**	**595.78**	**9,538.35**
वर्य के लिए लाभ	—	—	1,732.40	1,732.40
अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	—	—	(0.15)	(0.15)
वर्ष के लिए कुल विशद आय	—	—	**1,732.25**	**1,732.25**
इक्विटी शेयरों की वापसी खरीदी पर प्रीमियम		(471.18)	—	(471.18)
इक्विटी शेयरों की वापसी खरीदी पर व्यय		(2.60)	—	(2.60)
सामान्य आरक्षित का पूंजी मोचन आरक्षित में अंतरण	33.65	(33.65)	—	—
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	—	—	(193.29)	(193.29)
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश पर कर			(39.73)	(39.73)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश			(839.53)	(839.53)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश पर कर			(172.57)	(172.57)
31.03.2019 को यथा शेष	**355.81**	**8,112.98**	**1,082.91**	**9,551.70**
वर्ष के लिए लाभ	—	—	138.23	138.23
अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	—	—	(16.17)	(16.17)
वर्ष के लिए कुल विशद आय	—	—	**122.06**	**122.06**
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश			(233.20)	(233.20)
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश पर कर			(47.94)	(47.94)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश			(279.84)	(279.84)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश पर कर			(57.52)	(57.52)
31.03.2020 को यथा शेष	**355.81**	**8,112.98**	**586.47**	**9,055.26**

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

(सीएस एन के महान्ति)
(कंपनी सचिव)

(व्ही बालसुब्रमण्यम)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 06965313

(सीए श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06500954

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते पात्र एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन-310100ई
(सीए अम्बिका प्रसाद महान्ति)
साझेदार (एम. नं.: 057820)

कृते जीएनएस एण्ड एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन-318171ई
(सीए संतोष कुमार देहुरी)
साझेदार (एम.नं.: 053937)

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : जून 26, 2020

नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
क.	प्रचालन गतिविधियों से नगदी प्रवाह		
	अवधि के लिए लाभ	138.23	1,732.40
	निम्न के लिए समायोजन:		
	लाभ या हानि में मान्य आय कर व्यय	88.01	1,007.52
	लाभ या हानि में स्वीकृत वित्तीय लागत	5.74	2.38
	लाभ या हानि में स्वीकृत ब्याज आय	(217.90)	(237.14)
	लाभ या हानि में स्वीकृत लाभांश आय	(7.60)	(30.61)
	निवेश की बिक्री पर शुद्ध (लाभ)/हानि	(1.35)	-
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान पर शुद्ध (लाभ)/हानि	0.25	7.50
	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर अधिदेशात्मक रूप से मापित वित्तीय परिसंपत्तियों पर उपजे शुद्ध (लाभ) / हानि	(0.01)	2.16
	अन्य परिसंपत्तियों पर स्वीकृत क्षति की हानि	(1.35)	(3.51)
	स्टोर्स, स्पेयर्स का मालभंडार बट्टे खाते डाला गया	15.64	12.52
	गैर-चालू परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास और ऋण-परिशोधन	529.83	476.10
	पट्टा प्रीमियम का परिशोधन	—	75.52
	शुद्ध विदेशी मुद्रा (लाभ/हानि)	(5.94)	(8.62)
	कार्यकारी पूँजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ	543.55	3,036.22
	कार्यकारी पूँजी में संचलन:		
	माल-भंडार में (वृद्धि)/कमी	(502.15)	(28.37)
	व्यापारिक प्राप्य में (वृद्धि)/कमी	100.43	17.61
	ऋणों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(11.62)	157.85
	अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(103.57)	6.08
	व्यापारिक देय में वृद्धि/(कमी)	(505.35)	338.16
	अन्य वित्तीय देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	(12.64)	(4.73)
	अन्य देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	158.46	30.00
	प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	84.79	(123.08)
	प्रचालनों से सृजित (में प्रयुक्त) नगदी	(248.10)	3,429.74
	भुगतान किया गया आय कर	(100.46)	(1,020.89)
	प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नगदी प्रवाह	(348.56)	2,408.85
ख.	निवेशन गतिविधियों से नगदी प्रवाह		
	वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए भुगतान	(29.00)	(48.00)
	वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री से आमदनी	56.17	560.98
	संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में इक्विटी अधिग्रहण हेतु भुगतान	(101.47)	(58.20)
	बैंक के पास सावधि जमा में (निवेश)/मोचन	1,568.10	(385.77)
	अन्य निवेशों से प्राप्त लाभांश	7.60	30.61
	बैंकों एवं अन्य से प्राप्त ब्याज	217.90	237.14
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पूँजी अग्रिम सहित) के लिए भुगतान	(844.82)	(749.49)
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान से आय	11.25	8.56
	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए भुगतान	(13.01)	(18.49)
	पट्टाधारी संपत्तियों के अधिग्रहण हेतु भुगतान	—	(109.19)
	निवेशन गतिविधियों से शुद्ध नगदी प्रवाह	872.72	(531.85)
ग.	वित्तपोषण गतिविधियों से नगदी प्रवाह		
	इक्विटी शेयरों की वापस खरीदी के लिए भुगतान	—	(504.83)
	शेयर वापस-क्रय लागत के लिए भुगतान (कर का शुद्ध)	—	(2.60)
	अल्पावधि उधारी से कार्यवाहियाँ/(भुगतान बाबत)	(54.48)	21.80
	पट्टा देयता का भुगतान	(3.45)	—
	भुगतान की गई वित्तपोषण लागत	(0.86)	—
	इक्विटी शेयरों पर भुगतान किया गया लाभांश	(513.04)	(1,032.82)
	इक्विटी शेयरों पर भुगतान किए गए लाभांश पर कर	(105.46)	(212.30)
	वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नगदी प्रवाह	(677.29)	(1,730.75)
	नगद या नगद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि या(कमी)	(153.13)	146.25
	वर्ष के आरम्भ में नगद और नगद समतुल्य	171.60	25.35
	वर्ष के अन्त में नगद और नगद समतुल्य [टिप्पणी सं. 16.क देखें]	18.47	171.60

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े नगदी बहिर्प्रवाह/आय हैं, जैसा कि मामला हो।

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

(सीएस एन के महान्ति)
(कंपनी सचिव)

(व्ही बालसुब्रमण्यम)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 06965313

(सीए श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06500954

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते पात्र एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन-310100ई
(सीए अम्बिका प्रसाद महान्ति)
साझेदार (एम. नं.: 057820)

कृते जीएनएस एण्ड एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन-318171ई
(सीए संतोष कुमार देहुरी)
साझेदार (एम.नं.: 053937)

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : जून 26, 2020

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

टिप्पणी सं. 1 निगम पृष्ठभूमि

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, खान मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक नवरत्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (लोक उद्यम) है, जो कंपनी अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत निगमित हुई है और भारत में स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है। यह कंपनी एल्यूमिना और एल्यूमिनियम के उत्पादन और बिक्री के कारोबार में संलग्न है। कंपनी ओड़िशा के कोरापुट जिले के दामनजोड़ी में अवस्थित 22.75 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता के एल्यूमिना परिशोधक संयंत्र और ओड़िशा के अनुगुल में 4.60 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता के एल्यूमिनियम प्रद्रावक का प्रचालन कर रही है। कंपनी के एल्यूमिना परिशोधक की बॉक्साइट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिशोधन संयंत्र के पास कंपनी की एक ग्रहीत बॉक्साइट खान है और प्रद्रावक की विद्युत खपत को पूरा करने के लिए प्रद्रावक संयंत्र के पास एक 1200 मेगावाट का ग्रहीत तापज विद्युत संयंत्र है। साथ ही, कंपनी की अक्षय ऊर्जा का दोहन करने और पुनर्नवीकरणीय खरीद अनुबंध का अनुपालन करने के लिए 198.40 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ चार पवन विद्युत संयंत्र प्रचालित हैं जो आन्ध्रप्रदेश (गण्डीकोटा), राजस्थान (जैसलमेर और देवीकोट) तथा महाराष्ट्र (सांगली) में अवस्थित है।

टिप्पणी सं. 2. अनुपालन का विवरण

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानकों) नियम, 2015 (संशोधित अनुसार) के अंतर्गत निगमित मामले मंत्रालय द्वारा जारी एवं अधिसूचित सभी भारतीय लेखांकन मानकों और जो कंपनी पर वर्ष के लिए लागू एवं प्रासंगिक हैं, को कंपनी के स्वचलित वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय बिना किसी अपवाद के विवेचित किया गया है एवं अनुपालन किया गया है।

टिप्पणी सं. 3. उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ

3.1 तैयारी का आधारः

कंपनी के वित्तीय विवरण इंड एएस और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसरण में प्रस्तुत किए गए हैं।

जैसा कि नीचे लेखाकरण नीति में वर्णित है, कुछ वित्तीय उपकरणों को छोड़ कर, जो प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य में मापे जाते हैं, ये वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं।

कंपनी के प्रचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची - III में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार सभी परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत की गई हैं। व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर, कंपनी ने परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से अपना प्रचालन चक्र 12 महीने का निर्धारित किया है।

3.2 अनुमानों का उपयोगः

ये वित्तीय विवरण इंड एएस के मान्य और मापन सिद्धांतों की संपुष्टि में अनुमानों और धारणाओं, जहाँ भी आवश्यक हुए हैं, के प्रयोग से तैयार किए गए हैं।

अनुमान और अन्तर्निहित धारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है और ऐसे अनुमानों में, यदि कोई संशोधन है, तो उनका संशोधन के वर्ष में लेखाकरण किया गया है।

कोविड-19 का प्रभाव

पूर्वानुमानित अपने लेनदेनों, पीपीई, अमूर्त, मालसूचियों, प्राप्यों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेशों की वहन राशि पर वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रसार के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले संभावी प्रभावों को विवेचित किए जाने के आधार पर कंपनी को विश्वास है कि यह प्रभाव अर्थपूर्ण नहीं है। बचाव की प्रभावकारिता का आकलन करते समय कंपनी ने सूचना के आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों के साथ ऋण रिपोर्ट एवं संबंधित सूचना, आर्थिक पूर्वानुमानों का प्रयोग किया है, इन सूचनाओं के विश्लेषण के आधार पर एवं मौजूदा आकलनों के आधार पर, कंपनी अपेक्षा करती है कि परिसंपत्तियों की वहन राशि की वसूली हो पाएगी एवं देयताओं पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोविड-19 के प्रभाव पर कंपनी के आकलन में इन वित्तीय विवरणों की तिथि को अंतर आ सकता है एवं भावी आर्थिक परिस्थितियों में महत्वपूर्ण बदलावों पर कंपनी बारीकी से नज़र रखना जारी रखेगी।

आकलन की अनिश्चितता के मुख्य स्रोत जो परिसंपत्तियों और देनदारियों की मात्रा में महत्वपूर्ण समायोजन का कारण हो सकते हैं, टिप्पणी संख्या 4 में वर्णित है।

3.3 सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश

एक सहयोगी एक संस्था होती है जिस पर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशक की वित्तीय और परिचालन नीति के फैसले में भाग लेने की शक्ति है लेकिन इन नीतियों पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है।

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

एक संयुक्त उद्यम एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत व्यवस्था के संयुक्त नियंत्रण वाले पक्षों को संयुक्त व्यवस्था की शुद्ध संपत्ति पर अधिकार है। संयुक्त नियंत्रण किसी व्यवस्था के नियंत्रण की हिस्सेदारी करने के लिए संविदात्मक सहमति है, जो केवल तब तक ही मौजूद रहती है जब प्रासंगिक गतिविधियों के फैसले के लिए नियंत्रण की हिस्सेदारी करनेवाले पक्षों की एकमत से सहमति की जरूरत होती है।

सहयोगी और संयुक्त उद्यमों में निवेश को इंड एएस 109 - वित्तीय साधनों के अनुसार लागत में मापा जाता है।

3.4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

पूर्ण-स्वामित्व भूमि के अलावा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, उत्पादन और/या वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति या प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल हेतु लागत, घटाव संचित मूल्यह्रास और संचित दुर्बलता हानि पर वर्णित होते हैं। पूर्ण-स्वामित्व भूमि, जब तक बिगड़ी न हो, लागत पर वर्णित होती है।

3.4.1 आरंभिक मापन

प्रारंभिक लागत में खरीद मूल्य, गैर-वापसी योग्य खरीद कर, उधारी लागत, यदि कोई हो, संपत्ति को अपने स्थान पर वापस लाने और इसके लिए जरूरी स्थिति लगाने के लिए किया हुआ खर्च जो प्रबंधन के द्वारा अपेक्षित तरीके से कार्य करने में सक्षम हो और किसी भी परिसंपत्ति के पुनर्स्थापना दायित्व के वर्तमान मूल्य के आरंभिक अनुमानों या अनिवार्य रूप से बंद करने की और विखण्डन लागत शामिल है।

भूमि की लागत के हिस्से के रूप में पूर्ण-स्वामित्व भूमि के विकास पर किए गए व्यय को पूँजीकृत किया गया है।

स्व-निर्मित परिसंपत्तियों के मामले में, लागत में निर्माण में प्रयुक्त सभी सामग्रियों की लागत, प्रत्यक्ष श्रम, ओवरहेड्स के आबंटन एवं सीधे आरोप्य उधारी लागत, यदि कोई हो, शामिल है।

₹ 5 लाख से अधिक मूल्य प्रति एकक वाले स्पेयर-पुर्जे, जो उत्पादन और/या वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति में उपयोग के लिए धारित हैं एवं एक से अधिक अवधि के दौरान प्रयोग के लिए अपेक्षित हैं, वे संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में मान्य होते हैं। महत्वपूर्ण प्रकृति के स्पेयर्स और अनियमित उपयोग में हों, जिसे किसी विशेष उपकरण के लिए पहचाना जा सकता है और ₹ 1 लाख से अधिक प्रति एकक मूल्य के हों, वे भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में मान्य होते हैं।

3.4.2 परवर्ती व्यय

परिसंपत्तियों के पुर्जों को बदलने की लागत एवं संपूर्ण जाँच-मरम्मत लागत सहित प्रमुख निरीक्षण/रखरखाव या मरम्मत पर व्यय, जहाँ यह संदर्भ हो कि व्यय से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान कंपनी को उपलब्ध होंगे, का पूँजीकरण किया जाता है और बदले गए चिह्नित पुर्जों की धारक राशि को अमान्य किया जाता है।

3.4.3 पूँजी कार्य-प्रगति में

निर्माण चरण में प्रयुक्त परिसंपत्तियों को प्रगति में पूँजीगत कार्य के अधीन शामिल किया जाता है एवं किसी भी मान्यताप्राप्त क्षति हानि को घटाकर लागत में लिया जाता है। ऐसे प्रगतिरत पूँजी कार्य, पूरा होने पर, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उचित संवर्ग में स्थानांतरित किए जाते हैं।

निवेश का निर्णय लिए जाने तक नई संभावित परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए खर्च को राजस्व में प्रभारित किया जाता है। निवेश के निर्णय के बाद परियोजनाओं के लिए किए गए व्यय को प्रगतिरत पूँजीगत कार्य के तहत रखा जाता है और बाद में उसका पूँजीकरण किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण/निर्माण पर, निर्दिष्ट स्थान पर इसे लाए जाने एवं प्रबंधन द्वारा अपेक्षित विधि में इसे प्रचालन योग्य बनाए जाने हेतु आवश्यक स्थिति में लाए जाने तक आरोपित कोई भी प्रत्यक्ष लागत प्रगतिरत पूँजीगत कार्य का हिस्सा माना जाता है।

3.4.4 मूल्यह्रास और ऋणशोधन

परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, उनके उपयोगी जीवनकाल पर एक सीधी रेखा के तहत प्रदान किया गया है जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II या जहाँ भी आवश्यक विवेचित हो, प्रबंधन द्वारा किए गए तकनीकी अनुमानों के अनुसार निर्धारित किया गया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार निर्धारित उपयोगी जीवन से अधिक नहीं हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक घटक, उस लागत के साथ जो मद की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है, का मूल्यह्रास अलग से किया जाता है, यदि इसका उपयोगी जीवनकाल संपत्ति के घटन से अलग होता है। कंपनी ने 'पॉट रिलाइनिंग' को छोड़कर एक अलग घटक की पहचान के लिए महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में ₹ 1 करोड़ का बेंचमार्क चुना है, जो कि इसकी निहित प्रकृति और उपयोगी जीवनकाल के कारण प्रत्येक 'इलेक्ट्रोलाइटिक पॉट' के अंश के रूप में माना जाता है।

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

संयंत्र और मशीनरी, वाहन, मोबाइल उपकरण और मृतिका ढोने वाले उपकरण, रेलवे सुविधाओं, रोलिंग स्टॉक एवं आवासीय क्वार्टर के अवशिष्ट मूल्य को मूल लागत के 5% पर और सभी अन्य परिसंपत्तियों के लिए अवशिष्ट मूल्य को शून्य के रूप में माना जाता है।

अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा प्रत्येक वर्ष के अंत में की जाती है एवं परिवर्तन का प्रभाव, यदि कोई है, तो भविष्य के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

मूल्यह्रास के लिए विचार में ली गई संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल नीचे वर्णित हैं :

(क) बॉक्साइट खान में अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण व्यक्तिगत परिसंपत्ति का जीवनकाल या खान की शेष पट्टा अवधि है, जो भी कम हो, होता है।

(ख) ग्रहीत तापज विद्युत उत्पादन संयंत्र यथा ग्रहीत विद्युत संयंत्र (ग्र.वि.सं.) को 30 वर्ष माना जाता है।

(ग) वाष्प विद्युत संयंत्र (वा.वि.सं.) को 25 वर्ष माना जाता है।

(घ) एल्यूमिना परिशोधक में लाल पंक के तालाब और राख तालाब एवं ग्रहीत विद्युत संयंत्र में राख के तालाब के उपयोगी जीवनकाल का मूल्यांकन अवधि-वार किए गए तकनीकी अनुमानों के आधार पर उनके अनुमानित शेष उपयोगी जीवनकाल के आधार पर किया गया है।

(ङ) बॉक्साइट खानों की परिसंपत्तियों को छोड़कर पट्टेदार भूमि पर स्थापित संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल को शेष पट्टे की अवधि या परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल के रूप में माना जाता है।

जो भूमि कंपनी के स्वामित्व की नहीं है, उस पर स्थापित संपत्ति का मूल्यह्रास, उस तारीख से उपयोगी जीवन काल तक किया जाता है, जिस तारीख को वह संपत्ति प्रबंधन की अपेक्षानुसार प्रचालन में सक्षम हो, जब तक कि लम्बे/छोटे जीवनकाल तक निर्णीत न हो।

₹10,000/- या उससे कम लागत वाली व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का उस वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है जिसमें उसका इस्तेमाल करना है।

ऊपर उल्लिखित के अलावा, अन्य संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण निम्नलिखित उपयोगी जीवनकाल के अधीन हैं।

क्रम सं.	परिसंपत्ति संवर्ग के विवरण (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण)	उपयोग योग्य जीवनकाल वर्ष में
1	भवन	30 - 60
2	संयंत्र और मशीनरी	15 - 40
3	रेलवे साइडिंग	15
4	वाहन	08 - 10
5	फर्नीचर और जोड़नार	08 - 10
6	कम्प्यूटर उपकरण	06

3.4.5 परिसंपत्तियों का गैर-मान्यताकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की उसके निपटान पर या जब संपत्ति के उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है, तब उसकी मान्यता रद्द कर दी जाती है। निपटान/मान्यता रद्द होने पर होने वाले किसी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

3.4.6 घटक अलग करने की लागत

सतह खनन में घटक अलग करने की लागत एक परिसंपत्ति के रूप में पहचानी जाती है जब वे उन्नत अयस्क का प्रतिनिधित्व करते हैं, बशर्ते सभी निम्न शर्तें पूरी होती हैं:

(क) यह संभावित है कि घटक अलग करने की गतिविधि के साथ जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो जाएगी;

(ख) अयस्क वस्तु का अंश जिसके लिए पहुँच में सुधार हुआ है उसे पहचाना जा सकता है; तथा

(ग) उन्नत पहुँच के साथ जुड़ी, घटक अलग करने की गतिविधि से संबंधित लागत विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकती है।

उत्पादन चरण के दौरान व्यय की गई पुर्जे अलग करने की लागत को “घटक अलग करने की लागत परिसंपत्ति” में जोड़ा जाता है, जो वर्तमान अवधि के घटक अलग करने की लागत का अनुपात परियोजित घटक अलग करने की लागत के अनुपात से अधिक है।

“घटक अलग करने की लागत की संपत्ति” का बाद में, घटक अलग करने की गतिविधि के परिणामस्वरूप अधिक सुलभ हुई अयस्क वस्तु के अंश के जीवनकाल के आधार पर उत्पादन की एक इकाई पर मूल्यह्रास किया जाता है और लागत में से संचित मूल्यह्रास और किसी संचित क्षति हानि को घटाकर दर्शाया जाता है।

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

3.5 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

3.5.1 अलग से अधिग्रहीत अमूर्त परिसंपत्तियाँ

अधिग्रहीत अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत से संचित ऋणशोधन और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर दर्ज किया जाता है। परिमित उपयोगी जीवनकाल वाली अमूर्त परिसंपत्ति का ऋणशोधन उनके अनुमानित जीवनकाल पर किया जाता है। अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और ऋणशोधन पद्धति की समीक्षा प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है, और अनुमान में किसी परिवर्तन के प्रभाव को भावी संभावना के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

3.5.2 आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्ति - अनुसंधान और विकास व्यय

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में माने गये पूँजी व्यय को छोड़कर अनुसंधान गतिविधियों पर व्यय, उस अवधि में व्यय के रूप में पहचाना जाता है जिसमें यह खर्च किया जाता है।

विकास से उत्पन्न आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्ति मान्य होती है, यदि और केवल यदि, "इंड ए.एस. 38 - अमूर्त परिसंपत्ति" में निर्धारित सभी शर्तें पूरी होती हों।

3.5.3 खनन अधिकार

खनन अधिकारों की लागत में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के लिए भुगतान की गई राशि और नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित संबंधित भुगतान एवं अग्रिम धनराशि शामिल हैं।

खनन अधिकारों की लागत का ऋणशोधन खनन संपत्ति के कुल अनुमानित शेष वाणिज्यिक भंडारों पर किया जाता है और हानि की समीक्षा के अधीन हैं।

3.5.4 खान विकास व्यय

व्यावसायिक उत्पादन से पहले खानों के विकास के लिए किए गए व्यय अर्थात, भूमि, भवन, संयंत्र और उपकरण के अलावा प्राथमिक विकास व्यय का पूँजीकरण तब तक होता है जब तक कि खनन संपत्ति वाणिज्यिक उत्पादन में सक्षम नहीं हो।

3.5.5 उपयोगकर्ता अधिकार

भविष्य के आर्थिक लाभ वाले क्लस्टर परियोजना में किए गए व्यय की राशि, सह-लाभार्थियों के अनन्य उपयोग के साथ, लेकिन परिसंपत्तियों पर भौतिक नियंत्रण के बिना उपयोगकर्ता के अधिकार के रूप में पूँजीकृत की गई हैं।

3.5.6 सॉफ्टवेयर

अलग से अधिग्रहीत ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर (आर.डी.बी.एम.एस., साईबेस, ईआरपी / एसएपी) सॉफ्टवेयर के रूप में पूँजीकृत हुए हैं।

3.5.7 लाइसेंस और फ्रेंचाइज

प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु किए गए व्यय की राशि को "लाइसेंस और फ्रेंचाइज" शीर्षक के अंतर्गत पूँजीकृत किया गया है।

3.5.8 अमूर्त आस्तियों की मान्यता रद्द करना

एक अमूर्त परिसंपत्ति निपटान पर रद्द कर दी जाती है, जब उपयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं हो। निपटान/गैर-मान्यता के उन्मूलन से पैदा होने वाले लाभ या हानि को, लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.5.9 ऋणशोधन

अमूर्त संपत्ति के परिशोधन का आधार निम्नानुसार है:

(क) प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए तकनीकी जानकारियों की प्रकृति में लाइसेंस जो कि संबंधित प्रसंस्करण संयंत्रों के उपयोगी जीवनकाल के लिए उपलब्ध हैं, दस वर्षों की अवधि में परिशोधित होते हैं।

(ख) अमूर्त संपत्ति के रूप में वर्गीकृत सॉफ़्टवेयर 3 वर्ष का उपयोगी जीवनकाल रखते हैं एवं उक्त अवधि में परिशोधित होते हैं।

(ग) खनन अधिकार और खान विकास के खर्च को आरक्षित की उपलब्धता की अवधि के दौरान परिशोधित होता है।

(घ) क्लस्टर परियोजनाओं के लिए उपयोक्ता अधिकार, चालू होने की तारीख से परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल में परिशोधित होता है।

3.6 मूर्त और अमूर्त संपत्तियों की हानि

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी यह निर्धारित करने के लिए अपनी मूर्त और अमूर्त परिसंपत्ति की धारक राशि की समीक्षा करती है कि क्या कोई संकेत

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

है कि उन परिसंपत्तियों में क्षति की हानि हुई है। यदि कोई ऐसा संकेत मौजूद है, तो परिसंपत्ति की पुनर्प्राप्ति योग्य राशि (यानी उचित मूल्य के उच्चतर में लागत घटाकर बेचने और और उपयोग-में-मूल्य) का अनुमान लगाकर क्षति से हानि, यदि कोई हो, की सीमा निर्धारित की जाती है। जब किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं है, तो कंपनी उस परिसंपत्ति की नकद-सृजक इकाई (सीजीयू) की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। यदि सीजीयू की वसूली योग्य अनुमानित राशि वहन राशि से कम कम होती है, तो सीजीयू की वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि तक कम हो जाती है और वहन राशि और वसूली योग्य राशि के बीच के अंतर को लाभ या हानि विवरण में क्षति हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।

3.7 विदेशी मुद्रा लेनदेन एवं अंतरण

वित्तीय विवरणों में शामिल मद प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का उपयोग करके मापा जाता है अर्थात् भारतीय रुपये जिसमें कंपनी का संचालन होता है।

वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति में, विदेशी मुद्राओं में लेनदेन अर्थात संस्था की कार्यात्मक मुद्रा के अलावा अन्य मुद्राओं, को लेनदेन की तारीखों पर प्रचलित विनिमय दर पर मान्यता दी जाती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, उस तारीख में प्रचलित दरों पर विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक वस्तुओं का अंतरण किया जाता है।

मौद्रिक वस्तुओं पर विनिमय अंतर, को लाभ और हानि के विवरण में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

3.8 प्रावधान और आकस्मिक व्यय

3.8.1 प्रावधान

किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होने पर प्रावधानों को पहचाना जाता है और यह संभव है ("नहीं की तुलना में अधिक संभावना") कि दायित्व निपटाने के लिए इसकी आवश्यकता है, और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

एक प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि, तुलन पत्र की तारीख को वर्तमान दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए दायित्वों के आसपास के जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए किए गए आवश्यक विवेचन का सबसे अच्छा अनुमान है।

जहाँ वर्तमान दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए अनुमानित नकद बहिर्वाह का उपयोग करके एक प्रावधान मापा जाता है, इसकी वहन राशि उन नकदी बहिर्वाहों का वर्तमान मूल्य है।

3.8.2 पुनर्स्थापना, पुनर्वास और डीकमिशनिंग

जब विकास या किसी खदान और अन्य विनिर्माण सुविधाओं के चल रहे उत्पादन के कारण पर्यावरण बिगड़ने की घटना होती है तो पुनर्निर्माण, पुनर्वास और पर्यावरणीय लागत का खर्च करने के लिए एक दायित्व उत्पन्न होता है। कंपनी ने सांविधिक अधिदेश के मुताबिक दायित्व बहाली, पुनर्वास और विघटनकारी देनदारी को मान्यता दी है।

इस तरह की लागत का शुद्ध वर्तमान मूल्य प्रदान किया जाता है और प्रत्येक परियोजना के प्रारंभ में एक समान राशि का पूँजीकरण किया जाता है। इन लागतों को परिसंपत्ति के जीवनकाल में मूल्यह्रास और रियायती दायित्व को खोलने के माध्यम से और लाभ या हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है। लागत अनुमानों की समीक्षा समय-समय पर की जाती है और ज्ञात विकास कार्यों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है, जिनका लागत अनुमान या प्रचालनों के जीवनकाल पर असर पड़ सकता है। अद्यतन लागत अनुमान, प्रचालन-काल में परिवर्तन, नई बाधाओं और छूट दरों के संशोधन जैसे कारकों के कारण प्रावधान में हुए बदलावों के लिए संबंधित परिसंपत्ति की लागत को समायोजित किया जाता है। परिसंपत्तियों की समायोजित लागत का उन परिसंपत्तियों के जीवनकाल पर संभावित रूप से मूल्यह्रास होता है जिससे वे संबंधित हैं। लाभ या हानि के विवरण में छूट के खोलने को वित्त और अन्य लागत के रूप में दिखाया गया है।

3.8.3 पर्यावरणीय देनदारियाँ

पर्यावरणीय देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी पर्यावरणीय क्षति को सुधारने या सुधारात्मक निष्पादन करने के लिए कानूनी तौर पर या रचनात्मक तौर पर बाध्य होती है।

3.8.4 कानूनी दायित्व

एक बार यह स्थापित होने के बाद कि रिपोर्टिंग की तारीख तक उपलब्ध जिस सूचना के विवेचन पर आधारित कंपनी का कोई वर्तमान दायित्व है, प्रावधान को मान्यता दी जाती है।

3.8.5 आकस्मिक देनदारियाँ

आकस्मिक देनदारियाँ संभवत: पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं, जिसके अस्तित्व को केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने की पुष्टि हो, जो से पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हों या वर्तमान दायित्व परंतु भुगतान संभाव्य नहीं है या राशि विश्वसनीय रूप से नहीं मापी जा सकती है। प्रासंगिक देनदारियाँ वित्तीय विवरणों में प्रकट होती हैं जब तक कि निपटान में किसी भी बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ नहीं है।

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

3.8.6 आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ वित्तीय विवरण में मान्य नहीं की गई हैं, लेकिन जब आर्थिक लाभ का प्रवाह संभव है तो उनका खुलासा किया जाता है।

3.9 पट्टे

कंपनी ने प्रारंभिक अनुप्रयोग (1 अप्रैल, 2019) की तिथि को स्वीकृत संचयी प्रभाव के साथ रूपान्तरित पूर्व-प्रभावी विधि का उपयोग करते हुए सभी पट्टों पर 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी इंड एएस-116 - पट्टे का प्रयोग किया है। इसी अनुसार, पूर्ववर्ती अवधि की सूचना को पुनः व्यक्त नहीं किया गया है। कंपनी इन सभी पट्टों को चिह्नित करती है जिसमें संविदा है या ऐसे पट्टों को चिह्नित करती है जो संविदा के आरंभ में विवेचित समयावधि के लिए किसी चिह्नित परिसंपत्ति के उपयोग का नियंत्रण अधिकार प्रदान करता है (संविदा में उल्लिखित व्यक्त या अव्यक्त रूप में)।

पट्टे के आरंभ होने की तिथि को कंपनी लागत पर "उपयोगाधिकार" आरओयू परिसंपत्ति को स्वीकृति देती है एवं पट्टा देयता की उस तिथि को भुगतान नहीं हुए सभी पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, इसमें 12 महीने या कम अवधि का वो पट्टा शामिल नहीं रहता है जिसमें कोई क्रय विकल्प नहीं रहता है (अल्पकालिक पट्टे) एवं अन्तर्निहित परिसंपत्ति के लिए पट्टे का मूल्य कम होता है।

12 महीने या कम अवधि के पट्टे के लिए पट्टा भुगतान जिसमें क्रय विकल्प नहीं होता है (अल्पकालिक पट्टे) एवं पट्टे जिसके लिए अन्तर्निहित परिसंपत्ति का मूल्य कम है, को प्रचालन व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

3.9.1 प्रारंभिक माप:

"आरओयू परिसंपत्ति का मूल्य" में निम्नलिखित राशि शामिल है:

i. पट्टा देयता का प्रारंभिक माप

ii. पूर्वदत्त पट्टा भुगतान जो कोई प्राप्त पट्टा प्रोत्साहन घटाकर है

iii. पट्टेदार के रूप में कंपनी द्वारा किए गए प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और

iv. अन्तर्निहित परिसंपत्ति के विखंडन, निकासी या पुनर्बहाली की अनुमानित लागत

पट्टा देयता को दीर्घावधि सरकारी बॉण्ड की कूपन दर पर पट्टा भुगतानों पर छूट प्रदान करते हुए पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है।

"पट्टा भुगतान" में शामिल है:

i. स्थायी भुगतान (अवास्तविक स्थायी भुगतान समेत)

ii. परिवर्तनशील पट्टा भुगतान जो सूचक या दर पर निर्भर है

iii. अवशिष्ट मूल्य गारंटी के रूप में कंपनी द्वारा देय राशि

iv. क्रय विकल्प का निष्पादन मूल्य यदि कंपनी इनके निष्पादन के लिए यथोचित निश्चितता की अपेक्षा करती है।

v. कंपनी द्वारा परिसमापन के लिए दंड का भुगतान, यदि पट्टे की शर्तों में कंपनी के लिए ऐसा विकल्प रहता है।

3.9.2 तदुपरांत माप:

तदुपरांत अवधियों के दौरान, पट्टा देयता को प्रभावी ब्याज विधि का इस्तेमाल करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। आरओयू परिसंपत्ति को संचित मूल्यह्रास एवं संचित क्षीणता, यदि कोई है, को घटाकर लागत पर मापा जाता है।

पट्टा भुगतान को वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

3.10 माल-भंडार

कोयला और ईंधन तेल जैसी थोक सामग्री सहित कच्चे माल की सूची, जहाँ कहीं भी लागू हो, टैक्स क्रेडिट की लागत नेट में कम मूल्य पर एवं शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य पर मूल्यांकित होती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में मान्यता के मानदंडों को पूरा करने वाली वस्तुओं के अलावा स्टोर और पुर्जों को जहाँ भी लागू हो, टैक्स क्रेडिट के लागत-नेट में मूल्यांकन किया जाता है।

धारित स्टोर और पुर्जों को (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में माने जाने वाले प्रमुख पुर्जों के अलावा), लेकिन जो 5 वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किए गए हैं, लागत के 5% पर मूल्यांकन किया जाता है।

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

उत्पादन में उपयोग के लिए सामग्री और अन्य आपूर्तियों (गैर-चल के रूप में माने जाने वाले के अलावा) को लागत से नीचे नहीं डाला जाता है, यदि तैयार माल, जिसमें उनका उपयोग शामिल हो, और उपरोक्त लागत या उससे अधिक पर बिक्री होने की आशा हो।

ऊपर बताए गए अनुसार कच्चे माल, भंडार और पुर्जों की लागत, भारित औसत मूल्य के संचलन पर निर्धारित होती है।

तैयार माल, अर्द्ध-तैयार माल, मध्यस्थ उत्पाद तथा प्रगतिरत प्रक्रिया के माल-भंडार और प्रक्रिया स्क्रैप सहित इनकी लागत से कम और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित होती है। आम तौर पर लागत का निर्धारण माल की संचलित भारित औसत कीमत, श्रम के उचित हिस्से और संबंधित ओवरहेड्स पर होता है। शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य, रिपोर्टिंग की तारीख पर उपलब्ध व्यापार के सामान्य प्रक्रियाक्रम में बिक्री करने के लिए जरूरी अनुमानित लागत घटाकर अनुमानित बिक्री मूल्य है।

आंतरिक रूप से सृजित स्क्रैप का मालभंडार, शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य पर मूल्यांकित होता है।

3.11 व्यापारिक प्राप्य

व्यापार प्राप्तियाँ व्यापार के सामान्य क्रम में बेचे गए सामान या सेवाओं के लिए ग्राहकों से प्राप्य राशि हैं। यदि बकाया रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीनों या उससे कम अवधि के भीतर भुगतान के लिए नियत है, तो उन्हें मौजूदा परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है अन्यथा गैर-वर्तमान संपत्ति के रूप में।

व्यापार प्राप्तियों को उनके लेन-देन मूल्य पर मापा जाता है, जब तक कि इनका अनुबंध में अंतर्निहित महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक या मूल्य निर्धारण समायोजन न हो।

3.12 वित्तीय उपस्करण

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी साधनों के संविदागत प्रावधानों का पक्ष बनती है। व्यापारिक प्राप्य एवं देय को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है। लेनदेन की लागत को, जो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति और वित्तीय देयताओं के अलावा) के अधिग्रहण या जारी करने के लिए प्रत्यक्ष आरोप्य होती है, को वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देनदारियों की प्रारंभिक मान्यता पर मापे गए उचित मूल्य में जोड़ा या घटाया जाता है।

3.12.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

क. **नकद या नकद समतुल्य**

कंपनी सभी अल्पकालिक बैंक जमा राशि को तीन महीने या उससे कम की परिपक्वता अवधि को नकद और नकद समकक्ष मानती है। बैंक में 3 महीनों से अधिक की परिपक्वता अवधि वाले सावधि जमा को अन्य बैंक बैलेंस के रूप में माना जाता है।

ख. **परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ**

व्यापार प्राप्य सहित वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिनमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक होते हैं, वो तदुपरांत परिशोधित लागत पर किए गए माप के अनुसार वर्गीकृत होती हैं एवं इसी अनुसार प्रभावी ब्याज विधि का प्रयोग करते हुए मापी जाती हैं यदि वित्तीय परिसंपत्तियाँ एक व्यवसाय मॉडल में रखी जाती हैं जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्र करने के लिए इन परिसंपत्तियों को रखना है एवं वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदागत शर्तें विनिर्दिष्ट तारीखों को नकद प्रवाह में वृद्धि लाती है जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज का केवल भुगतान होती हैं।

ग. **अन्य विशद आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ**

वित्तीय परिसंपत्तियाँ अन्य विशद आय के जरिए उचित मूल्य पर तदुपरांत मापे अनुसार वर्गीकृत की जाती हैं, यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियाँ एक कारोबारी मॉडल के भीतर रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्र करना और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचना है एवं इन वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदागत शर्तों के द्वारा निर्दिष्ट तारीखों को नकदी प्रवाह में वृद्धि होती है जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज का केवल भुगतान होती हैं।

घ. **लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ**

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर तदुपरांत मापे अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि इसे अन्य विशद आय के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर तदुपरांत मापे अनुसार वर्गीकृत न किया गया हो। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य लेनदेन लागत लाभ या हानि के विवरण में तुरंत मान्य होती है।

3.12.2 वित्तीय देनदारियाँ

व्यापारिक देय को उनके लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है, जब तक कि इसमें संविदा में समाविष्ट एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक या मूल्यपरक समायोजन संलग्न न किया जाए।

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

व्यापारिक देय सहित वित्तीय देनदारियाँ जिसमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक संलग्न है, को प्रभावी ब्याज विधि का प्रयोग करते हुए परिशोधित मूल्य पर तदुपरांत मापा जाता है।

3.12.3 वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करना

वित्तीय परिसंपत्तियों की केवल तब मान्यता रद्द होती है, जब परिसंपत्ति से नकद प्रवाह में अनुबंधित अधिकार समाप्त होते हैं या जब परिसंपत्तियों के स्वामित्व के सभी जोखिम एवं लाभ दूसरे पक्ष को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित होते हैं।

3.12.4 वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को आकलन किया जाता है कि प्रारंभिक मान्यता से वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया है या नहीं।

यदि एक वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता से पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ा है, तो उस वित्तीय साधन के लिए 12 महीने के अपेक्षित क्रेडिट घाटे के बराबर राशि के नुकसान भत्ते को मापा जाता है। यदि उस वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता से पर्याप्त रूप से बढ़ा है, तो उस वित्तीय साधन के जीवनकाल के लिए अपेक्षित क्रेडिट घाटे के बराबर राशि के नुकसान भत्ते को मापा जाता है।

रिपोर्टिंग तारीख को हानि भत्ता को समायोजित करने के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानियों (या व्युत्क्रमण) की माला को लाभ और हानि के विवरण में एक क्षति लाभ या हानि के रूप में मान्यता दी गई है।

3.12.5 वित्तीय देनदारी की मान्यता रद्द करना

वित्तीय देनदारियों की मान्यता तब रद्द होती है जब और केवल जब दायित्वों को मुक्त कर दिया जाता है, रद्द कर किया जाता है या समाप्त हो जाता है।

नकदीकृत क्षतियों के लिए बहाली के मामले में, ठेका अंतिम रूप से तय कर लिए जाने/समाप्त होने पर, यदि नकदीकृत क्षति आरोप्य है, तो बहाल की गई राशि वापस ली जाती है एवं पूँजी संविदाओं को छोड़कर आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जहाँ नकदीकृत क्षति सीधे परिसंपत्ति के मूल्य में बढ़ती/वृद्धि में आरोप्य है। ऐसे मामले में, बहाल की गई राशि परिसंपत्ति की लागत के विरुद्ध समायोजित की जाती है।

3.12.6 वित्तीय साधनों को ऑफसेट करना

वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ ऑफसेट हैं और तुलन पत्र में रिपोर्ट की गई शुद्ध राशि है, जब मान्यताप्राप्त राशियों को ऑफसेट करने का कानूनी तौर पर अधिकार लागू होता है एवं शुद्ध आधार पर समझौता करने या एक साथ परिसंपत्ति की वसूली करने और दायित्व तय करने का अभिप्राय होता है। कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अधिकार भविष्य की घटनाओं पर आकस्मिक नहीं होना चाहिए एवं व्यापार के सामान्य क्रम में अवश्य लागू होना चाहिए।

3.13 संजात

संजात साधन यथा-आगे विदेशी मुद्रा संविदाओं को संजात संविदाओं के दर्ज होने की तारीख को उचित मूल्य पर मान्यता दी गई है और बाद में प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उनके उचित मूल्य के लिए फिर से मापा जाता है। परिणामी लाभ या हानि को तुरंत लाभ या हानि के बयान में मान्यता दी जाती है।

3.14 उधार लागत

उधार लेने की लागत सीधे उन संपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के कारण होती है जो उन परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ दी जाती है, जब तक संपत्ति उनके इच्छित उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं होती है। अन्य सभी उधार लेने की लागत उस अवधि में लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

3.15 सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन

सरकारी अनुदान तब मान्य है जब उचित आश्वासन होता है कि उनसे जुड़ी शर्तों का पालन किया जाएगा एवं अनुदान प्राप्त हो पाएगा।

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान जिनकी प्राथमिक स्थिति यह है कि कंपनी को गैर-चालू संपत्ति खरीदना, निर्माण या अन्यथा अधिग्रहण करना चाहिए, उन्हें तुलन-पत्र में आस्थगित आय के रूप में अनुदान स्थापित करके मान्यता दी गई है और लाभ या हानि में व्यवस्थित रूप से संबंधित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल के आधार पर स्थानांतरित किया जाता है।

आय से जुड़े सरकारी अनुदान उन समयावधि पर लागत के साथ मिलान करने के लिए क्रमबद्ध आधार पर होते हैं, जिसके लिए वे आय के रूप में स्वीकृत क्षतिपूर्ति हेतु अभीष्ट हैं।

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

3.16 कर्मचारी लाभ

3.16.1 अल्पावधि कर्मचारी लाभ

मजदूरी और वेतन, अल्पकालिक क्षतिपूर्तित अनुपस्थितियाँ आदि के संबंध में कर्मचारियों को मिलनेवाले लाभों के लिए एक दायित्व या देनदारी मान्य है जो संबंधित अवधि में की गई सेवा हेतु अपेक्षित छूट-रहित भुगतानयोग्य लाभ की राशि पर किया जाता है।

3.16.2 नियुक्ति-पश्चात् और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

3.16.3 परिभाषित अंशदान योजनाएँ

परिभाषित अंशदान योजना एक ऐसी योजना है, जिसके तहत एक अलग इकाई के लिए निश्चित अंशदान का भुगतान किया जाता है। परिभाषित योगदान में अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजनाएँ एक व्यय के रूप में मान्य होती हैं, जब कर्मचारी ने इस तरह के अंशदान के लिए हकदार बनाने वाली सेवा प्रदान की है।

3.16.4 परिभाषित लाभ योजनाएँ

परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत, प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख में किए गए अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित की जाती है। शुद्ध परिभाषित लाभ देयता के पुनर्मापन लाभ और हानि अन्य विशद आय में तुरंत मान्य की जाती है। सेवा लागत को, शुद्ध परिभाषित लाभ देनदारी पर ब्याज छोड़कर व्यय के रूप में माना जाता है।

पिछली सेवा लागत को एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जब योजना में संशोधन या कटौती होती है या जब कोई भी संबंधित पुनर्गठन लागत या समाप्ति लाभ मान्यता प्राप्त होते हैं।

तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व परिभाषित लाभ-दायित्व के वर्तमान मूल्य को दर्शाता है जो कि योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य द्वारा घटा हुआ होता है।

3.16.5 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त देयताएँ रिपोर्टिंग तारीख तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में अनुमानित भावी नकद बहिर्वाहों के वर्तमान मूल्य में मापी जाती है। परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजनाओं के लिए उपयोग की गई एक ही लेखांकन पद्धति का उपयोग करके इन लाभों की अपेक्षित लागत, रोजगार की अवधि में उपार्जित होती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक धारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले बीमांकिक लाभ और हानि को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित या जमा किया जाता है, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं। स्वतंत्र बीमांकिकों द्वारा इन दायित्वों का सालाना मूल्यांकन किया जाता है।

3.17 राजस्व मान्यता

कंपनी को राजस्व मूलतः एल्यूमिना, एल्यूमिनियम जैसे उत्पाद की बिक्री एवं विद्युत की बिक्री से प्राप्त होता है। जब कंपनी किसी ग्राहक को वादा की गई वस्तुओं के स्थानांतरण द्वारा निष्पादन देयता को पूरी करती है, तब राजस्व को स्वीकृति दी जाती है।

3.17.1 माल की बिक्री

कारखाने से / स्टॉकयार्ड से बिक्री पर प्राप्त राजस्व को नियत सांविधिक अनुपालन के साथ वाणिज्यिक बिल सहित कारखाने/स्टॉकयार्ड में वस्तुओं के सौंपे जाने पर स्वीकृति दी जाती है। एफओबी आधार पर बिक्री को शिपिंग बिल तैयार करने एवं शिपर को वस्तुएँ सौंपने के बाद स्वीकृति दी जाती है। सीआईएफ आधार पर बिक्री के मामले में, बंदरगाह में लदान पर वस्तु रखे जाने एवं इन्कोटर्म (पूर्व-निर्धारित वाणिज्यिक शर्तों) के अनुसार पोत परिवहन के कागजात तैयार करने पर स्वीकृति दी जाती है।

3.17.2 ऊर्जा की बिक्री

पवन ऊर्जा की बिक्री संबंधित अधिकारियों द्वारा अधिसूचित कीमत पर डिस्कोम्स / उपभोक्ता को प्रेषित ऊर्जा के आधार पर मान्यता प्राप्त है जो उनके साथ विद्युत क्रय अनुबंध (पीपीए) के अधीन है।

ग्रहीत विद्युत संयंत्र से विद्युत की बिक्री को राज्य के ग्रिड को इंजेक्टेड मात्रा के आधार पर माना जाता है जिसमें परिशोधक को व्हीलिंग करने एवं अनिश्चित ऊर्जा इंजेक्शन को छोड़कर है, जो विद्युत क्रय अनुबंध एवं स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) को निर्धारण के अधीन है।

ऊर्जा की बिक्री से राजस्व मान्यता प्राप्त है अगर

(क) राजस्व की मात्रा को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है;

(ख) यह संभव है कि लेनदेन से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी के पास प्रवाहित होंगे;

(ग) विवेचन की वसूली उचित रूप से आश्वासित है।

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

3.17.3 लाभांश और ब्याज से आय

3.17.4 लाभांश

लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर निवेश से लाभांश को मान्य किया जाता है।

3.17.5 ब्याज

किसी वित्तीय परिसंपत्ति से ब्याज आय मान्य की जाती है, जब यह संभाव्य है कि कंपनी को आर्थिक लाभ मिलेगा और आय की मात्रा को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। प्रमुख बकाया और प्रभावी ब्याज दर के संदर्भ में, ब्याज आय समय के आधार पर अर्जित की जाती है।

3.17.6 सरकारी एजेंसियों से प्रोत्साहन से आय

प्रभार वापस लेने की प्रकृति में सरकारी एजेंसियों से प्रोत्साहन और निर्यात पर पण्य निर्यात प्रोत्साहन योजना (एमईआईएस) और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के निर्माण पर प्रोत्साहनों को इसके अंतर्गत प्रदान की गई शर्तों के अनुपालन में संबंधित क़ानून के अनुसार मान्यता प्राप्त है।

3.18 आय कर

कर व्यय वर्तमान कर और आस्थगित कर की योग राशि का प्रतिनिधित्व करता है।

3.18.1 वर्तमान कर

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार वर्तमान कर व्यय वर्ष के लिए कर-योग्य लाभ पर आधारित है। वर्तमान और पूर्व अवधि के लिए वर्तमान कर देयताएँ (परिसंपत्तियाँ) कर की दरों और कर कानूनों का उपयोग करते हुए भुगतानयोग्य (या वापस वसूली) की अपेक्षित राशि में मापा जाता है जो कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित हुए हैं और पिछले वर्षों के संबंध में देय कर के किसी भी समायोजन में शामिल हैं।

3.18.2 आस्थगित कर

आस्थगित कर-व्यय या आय वित्तीय विवरणों में संपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए गए संबंधित कर-आधार के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता प्राप्त है।

आस्थगित कर-संपत्ति और देनदारियों को कर की दर से मापा जाता है, जिनकी गणना उस अवधि के लिए होती है जब परिसंपत्ति मान्य हो जाती है या देनदारी का निर्धारण हो जाता है, कर-दरों और कर-कानूनों के आधार पर जो अधिनियमित या वास्तविक रूप से रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित किए गए हैं। अन्य विशद आय में प्रत्यक्ष रूप से मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित कर विशद आय के विवरण का हिस्सा है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक समायोजन किया जाता है कि यह संभावित हो जाए कि परिसंपत्ति की वसूली करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे।

3.19 असाधारण मद

असाधारण मद साधारण गतिविधियों से लाभ या हानि के भीतर आय और व्यय के सामान हैं लेकिन ऐसे आकार, प्रकृति या घटनाओं के कारण कंपनी द्वारा अर्जित वित्तीय निष्पादन के बेहतर स्पष्टीकरण के लिए जिनका प्रकटीकरण जरूरी समझा गया है।

3.20 नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाह विवरण इंड एएस 7 'नकद प्रवाह के विवरण' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है।

3.21 महत्वपूर्ण भूल/चूक का पुनःविवरण

भूलों और चूकों को इस अभिप्राय में लिया जाता है कि यदि पूर्वावधि आय/व्यय का कुल प्रभाव ₹50 करोड़ से अधिक हो गया है तो परिसंपत्तियों और देनदारियों एवं इक्विटी के प्रारंभिक शेष को पुनर्व्यक्त किया जाए।

टिप्पणी सं.4. महत्वपूर्ण लेखा निर्णय और आकलन अनिश्चितता के मुख्य स्रोत

वित्तीय विवरण की प्रस्तुति के लिए प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि उन मामलों के बारे में जो अंतर्निहित रूप से अनिश्चित हैं,जटिल और / या व्यक्तिपरक निर्णय, अनुमान और धारणाएँ बनाए। ये अनुमान और धारणाएँ रिपोर्ट की अवधि के दौरान संपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की मात्रा के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की तारीख में आकस्मिक देनदारियों और संपत्तियों के प्रकटीकरण और राजस्व और व्यय को भी प्रभावित करती हैं।

अनुमान और संबद्ध मान्यताएँ पिछले अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित होती हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। अनुमान और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। उस अनुमानित अवधि में लेखा अनुमानों को मान्य किया जाता है जिसमें अनुमान संशोधित किया जाता है।

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

4.1 महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय:

उन शामिल अनुमानों के अलावा, जो प्रबंधन ने कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में बनाए हैं और वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है, प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों की परिशोधित लागत पर रिपोर्टिंग अपने व्यवसाय मॉडल के प्रकाश में उचित होगी और कंपनी के सकारात्मक इरादे और संविदागत नकदी प्रवाह को जमा करने के लिए इन वित्तीय परिसंपत्तियों को धारण करने की क्षमता की पुष्टि कर दी है।

4.2 अनिश्चितता के आकलन के मुख्य स्रोत:

भविष्य के बारे में निम्नलिखित प्रमुख धारणाएँ हैं, और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनिश्चितता के आकलन के अन्य प्रमुख स्रोत हैं जो अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन मात्रा में महत्वपूर्ण समायोजन पैदा करने का एक बड़ा जोखिम हो सकता है।

4.2.1 क्षति

एसोसिएट्स और अन्य निवेशों में निवेश, ऋण और अग्रिम, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति की हानि के लिए समीक्षा की जाती है, जब भी घटनाओं और परिस्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि वहन मूल्य पूरी तरह से वसूली योग्य या कम से कम वार्षिक रूप से नहीं हो सकता है।

नगदी सृजन करनेवाले एककों के भविष्य के नकदी प्रवाह के अनुमान, जो परिसंपत्ति के उचित मूल्य की गणना के लिए उपयोग किए जाते हैं, भविष्य के प्रचालनों के बारे में उम्मीदों पर आधारित होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से उत्पादन और बिक्री की मात्रा, वस्तु की कीमतों, भंडार और संसाधनों, पुनर्वास व संचालन की लागत और पूँजीगत व्यय के अनुमान शामिल होते हैं।

4.2.2 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवनकाल

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के उपयोगी जीवनकाल की समीक्षा करती है। इस पुनर्मूल्यांकन के कारण भविष्य में मूल्यह्रास व्यय में परिवर्तन हो सकता है।

4.2.3 खनन भंडार का आकलन:

खनिज भंडार के अनुमान में परिवर्तन जहाँ संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल परियोजना के जीवनकाल तक सीमित हैं, जो बदले में आरक्षित की संभावित और आर्थिक व्यवहार्यता के जीवनकाल तक सीमित है, मूल्यह्रास प्रभारित करने के लिए संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल को प्रभावित कर सकता है। निष्कर्षण, भूविज्ञान और भंडार निर्धारण में विशेषज्ञों द्वारा खानों में बॉक्साइट भंडार का अनुमान लगाया जाता है और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स (आईबीएम) को पेश की गई अनुमोदित खनन योजना पर आधारित है।

4.2.4 नियुक्ति पश्चात् लाभ देयता के लिए देनदारी

नियक्ति पश्चात् लाभ और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ की देनदारी, बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर होती है, जो कि यथार्थवादी बीमांकिक मान्यताओं पर आधारित है।

4.2.5 प्रावधान और आकस्मिक देनदारियाँ

कर, कानूनी, बहाली और पुनर्वास, संविदात्मक और अन्य जोखिम या दायित्वों सहित एक प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि, किसी भी ब्याज शुल्क सहित, दायित्वों के चतुर्दिक जोखिम और अनिश्चितताओं को हिसाब में लेते हुए संबंधित देनदारियों को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक विचारों का सबसे अच्छा अनुमान हैं। कंपनी अपनी देनदारियों और आकस्मिक देनदारियों का आकलन करती है, जो उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना, प्रासंगिक कर और अन्य कानूनों, आकस्मिकताओं और अन्य उपयुक्त आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं।

4.2.6 उचित मूल्य माप और मूल्यांकन प्रक्रिया

वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजनों के लिए, उचित मूल्य माप को स्तर 1, 2 या 3 के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जो उचित मूल्य माप के लिए विचारयोग्य निविष्टि के स्तर एवं अपने स्वरूप में पूरी तरह उचित मूल्य माप के लिए निविष्टि के महत्व पर आधारित होते हैं, जिनका निम्नलिखित अनुसार वर्णन किया गया है:

- स्तर 1 निविष्टियाँ समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में भाव बोली के मूल्य (असंजित) हैं, जिन तक माप की तारीख पर कंपनी की पहुँच हो सकती है;
- स्तर 2 की निविष्टियां वे निविष्टि हैं, जो स्तर 1 के भीतर शामिल बोली लगाई गई कीमतों के अलावा, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति या देनदारी के लिए अवलोकन किया जा सकता है; तथा;
- स्तर 3 के निविष्टि परिसंपत्ति या देनदारी के लिए अवलोकन नहीं की जा सकने वाली निविष्टियाँ हैं।

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

5.क - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	सकल वहन राशि				संचित मूल्यह्रास एवं परिशोधन				वहन राशि	
	31-03-2019 को यथा	संयोजन/ अंतरण	निपटान/ अंतरण/ समायोजन	31-03-2020 को यथा	31-03-2019 को यथा	वर्ष के लिए	आहरण/ अंतरण/ समायोजन	31-03-2020 को यथा	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
— निजी स्वामित्व की परिसंपत्ति										
पूर्ण स्वामित्व की भूमि	86.41	(4.53)	—	81.88	—	—	—	—	81.88	86.41
भवन	723.15	33.33	—	756.48	144.98	34.88	—	179.86	576.62	578.17
संयंत्र एवं उपकरण	7,921.89	448.89	(39.34)	8,331.44	1,575.52	447.01	(27.81)	1,994.72	6,336.72	6,346.37
फर्नीचर एवं जोड़तार	19.39	3.13	(0.08)	22.44	9.76	2.39	(0.08)	12.07	10.37	9.63
कार्यालय उपकरण	44.39	7.29	(0.18)	51.50	20.18	8.34	(0.18)	28.34	23.16	24.21
वाहन	27.32	4.83	(0.25)	31.90	10.69	2.91	(0.18)	13.42	18.48	16.63
रेलवे साइडिंग	64.16	—	—	64.16	16.21	4.00	—	20.21	43.95	47.95
— पट्टायुक्त परिसंपत्ति										
पट्टायुक्त भूमि (उपयोग का अधिकार)	—	86.54	—	86.54	—	3.18	—	3.18	83.36	—
कूल योग	**8,886.71**	**579.48**	**(39.85)**	**9,426.34**	**1,777.34**	**502.71**	**(28.25)**	**2,251.80**	**7,174.54**	**7,109.37**

टिप्पणियाँ:

5.क.1 64.15 एकड़ भूमि को छोड़कर ओड़िशा सरकार के माध्यम से अर्जित पूर्ण स्वामित्व की भूमि के स्वत्वाधिकार विलेख कार्यान्वित हो चुके हैं। कंपनी पूर्ण स्वामित्व की भूमि को औद्योगिक उपयोग के लिए परिवर्तित करने की प्रक्रिया में है एवं इस मामले को राजस्व प्राधिकारियों के साथ हाथ में लिया गया है।

5.क.2 कंपनी के पास 1655.40 एकड़ की पट्टायुक्त भूमि है जिसके लिए पट्टा विलेख का निष्पादन किया जाना अभी शेष है। तथापि, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा कंपनी को उक्त भूमि पर अपना प्रचालन करने की अनुमति दी गई है।

5.क.3 ₹5.50 करोड़ की वहन राशि के साथ कोलकाता म्यूनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी से क्रय किए गए कोलकाता में 6,459 वर्गफीट के कार्यालय स्थल (भवन) के संबंध में पंजीयन औपचारिकताएँ प्रक्रियाधीन हैं।

5.क.4 पट्टायुक्त परिसंपत्तियाँ (उपयोग का अधिकार)

	पट्टेवाली भूमि
01.04.2019 को यथा शेष	**31.61**
इंड एएस 116 में बदलाव के कारण संयोजन	2.16
संयोजन	52.77
निपटान	—
31.03.2020 को यथा शेष	86.54
संचित मूल्यह्रास	
संयोजन	3.18
निपटान	—
31.03.2020 को यथा शेष	**3.18**
31.03.2020 को यथा वहन राशि	**83.36**

कंपनी ने पूर्वप्रभाव विधि का उपयोग करते हुए 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी इंड एएस 116 को अपनाया है। कंपनी ने प्रारंभिक अनुप्रयोग की तिथि (1 अप्रैल, 2019) को स्वीकृत संचयी प्रभाव के साथ अपने पट्टों पर मानक को अपनाया है। इसी अनुसार, पूर्व अवधि की सूचना को पुनः व्यक्त नहीं किया गया है।

इसी अनुसार, 1.4.2019 की तिथि को ₹2.16 करोड़ की पट्टा देयता समेत ₹33.77 करोड़ की उपयोगाधिकार परिसंपत्ति (अधिकांश पट्टे वाली भूमि) की स्वीकृति उत्पन्न हुई है। वर्ष के दौरान, वाइजेग पोर्ट में पट्टेवाली भूमि के संबंध में ₹52.77 करोड़ की उपयोगाधिकार परिसंपत्ति को जोड़ा गया है जिससे उस राशि की पट्टा देयता की स्वीकृति हुई है। चूंकि सभी पट्टे पूर्व-प्रदत्त प्रकृति में है, इसलिए 1 अप्रैल, 2019 को प्रतिधारित आय में कोई समायोजन की जरूरत नहीं पड़ी थी।

वर्तमान वर्ष के लिए लाभ एवं हानि के विवरण में पूर्व की अवधियों में अन्य व्यय के रूप में मान्यता दी गई प्रचालनीय पट्टा व्यय को ₹3.18 करोड़ की उपयोगाधिकार संपत्ति के लिए मूल्यह्रास व्यय के रूप में एवं ₹ 3.98 करोड़ राशि की पट्टा देयता पर प्रोद्भूत ब्याज के लिए वित्त लागत के रूप में स्वीकृति दी गई है [टिप्पणी 32(क) देखें]। इस मानक के अंगीकार से वर्ष के लाभ पर एवं प्रति शेयर अर्जन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

कंपनी ने अल्पकालिक पट्टे एवं कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टे के संबंध में व्यय बाबत 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ₹0.82 करोड़ व्यय किया है। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अल्पकालिक पट्टे एवं कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टे नकद प्रवाह समेत पट्टे के लिए कुल नकद प्रवाह ₹4.27 करोड़ है।

6. पूंजी कार्य प्रगति में (सीडब्ल्यूआईपी)

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
पूंजी कार्य प्रगति में	1,135.86	809.59
मार्गस्थ समेत निर्माण सामग्री	41.30	34.32
	1,177.16	**843.91**

6.1. प्रगति में पूंजी कार्य की राशि में शामिल है उत्कल-डी एवं उत्कल-ई कोल ब्लॉक को आरोप्य अवसंरचना विकास व्यय के बाबत ₹46.44 करोड़ (पिछला वर्ष ₹41.16 करोड़) की राशि शामिल है। इसमें 5वीं धारा एल्यूमिना परिशोधन विस्तार के लिए ₹62.09 करोड़ (पिछला वर्ष ₹7.77 करोड़) का व्यय एवं ओड़िशा में अवसंरचना विकास जो पोट्टांगी खानों के आवंटन हेतु ओड़िशा सरकार के प्रति कंपनी का अनिवार्य दायित्व था, पर व्यय के लिए ₹62.01 करोड़ का पूर्व-परियोजना व्यय भी शामिल है।

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

7. अमूर्त परिसंपत्तियाँ

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	सकल वहन राशि				संचित मूल्यह्रास एवं परिशोधन				वहन राशि	
	31-03-2019 को यथा	संयोजन/ अंतरण	निपटान/ अंतरण/ समायोजन	31-03-2020 को यथा	31-03-2019 को यथा	वर्ष के लिए	आहरण/ अंतरण/ समायोजन	31-03-2020 को यथा	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
उपयोग अधिकार	79.79	—	—	79.79	7.28	4.00	—	11. 28	68.51	72.51
कम्प्यूटर सॉफ्टेवयर	8.33	2.91	—	11.24	6.09	1.61	—	7.70	3.54	2.24
खनन अधिकार [टिप्पणी 8.1 देखें]	130.34	158.05	—	288.39	31.21	20.01	—	51.22	237.17	99.13
लाइसेंस	10.25	—	—	10.25	7.72	1.52	—	9.24	1.01	2.53
कुल योग	**228.71**	**160.96**	—	**389.67**	**52.30**	**27.14**	—	**79.44**	**310.23**	**176.41**

टिप्पणी:

7.1 कंपनी ओड़िशा सरकार द्वारा मंजूरीप्राप्त पट्टे पर आधारित पंचपटमाली बॉक्साइट खान में अपनी खनन गतिविधियाँ प्रचालित कर रही है। पट्टा नवीकरण के संबंध में, कंपनी ने एन.पी.वी. एवं प्रासंगिक भुगतानों को अदा किया है जिसे खनन अधिकारों के अंतर्गत अमूर्त आस्तियों के रूप में पूँजीगत किया गया है और कंपनी की लेखाकरण नीति के अनुसार सीधी रेखा आधार पर परिशोधन किया गया।

8. विकास के अधीन अमूर्त आस्तियाँ

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
खनन अधिकार	249.54	38.80
	249.54	**38.80**

टिप्पणी:

8.1 विकासाधीन खनन अधिकार में कोयला खनन के लिए पट्टेवाली भूमि के अधिग्रहण हेतु व्यय, कोयला ब्लॉक के आबंटन, एनपीवी एवं कोयला ब्लॉक की वन्यजीवन प्रबंधन योजना एवं संबंधित कार्यों के लिए सांविधिक प्राधिकारियों को किया गया भुगतान शामिल है।

9. निवेश

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
क. गैर-चालू		
क.1 इक्विटी साधनों में निवेश		
क.1.1 सहयोगियों में निवेश		
क.1.2 संयुक्त उद्यमों में निवेश		
अनुदधृत निवेश		
क) उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड (31.03.2020 को यथा : ₹ 10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के 1,00,00,000 शेयर, 31.03.2019 को य़था: ₹ शून्य प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के शून्य शेयर)	10.00	—
₹10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के 1,00,00,000 शेयरों के लिए शेयर आवेदन राशि #	10.00	—
कुल	**20.00**	—
[# ₹10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के 1,00,00,000 संख्यक इक्विटी शेयर दिनांक 14.05.2020 को राइट इशू के अधीन उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है।]		
ख) खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (31.03.2020 को यथा : ₹ 10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के 40,000 शेयर, 31.03.2019 को यथा: ₹ शून्य प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के शून्य शेयर)	0.04	—
₹10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के 9,60,000 शेयरों के लिए शेयर आवेदन राशि##	0.96	—
कुल	**1.00**	—
[## ₹10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के 9,60,000 संख्यक इक्विटी शेयर दिनांक 12.06.2020 को राइट इशू के अधीन खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है]		

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

9. निवेश

राशि करोड़ ₹ में

				31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
क.	गैर-चालू				
	क.1	इक्विटी साधनों में निवेश			
		क.1.2	संयुक्त उद्यमों में निवेश		
			अनुद्धृत निवेश		
		ग)	अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड (31.03.2020 को यथा : ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 1,62,23,900 शेयर, 31.03.2019 को यथा: ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 1,62,23,900 शेयर)	16.22	16.22
			कुल	**16.22**	**16.22**
		घ)	जीएसीएल-नालको अल्कालिज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (31.03.2020 को यथा: ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 24,00,00,000 शेयर, 31.03.2019 को यथाः ₹10 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 15,95,30,934 शेयर)	240.00	159.53
			कुल	**240.00**	**159.53**
			वर्ष के दौरान जीएसीएल-नालको अल्कालिज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने कंपनी को ₹ 10 प्रत्येक के 8,04,69,066 संख्यक पूर्ण-प्रदत्त इक्विटी शेयर राइट इशू के अधीन जारी किए।		
			संयुक्त उद्यमों में कुल निवेश	277.22	175.75

संयुक्त उद्यमों के विवरण

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी के प्रत्येक संयुक्त उद्यम का विवरण निम्नवत् है :

संयुक्त उद्यम का नाम	प्रधान गतिविधि एवं कारोबार का स्थान	स्वामित्व हित का समानुपात/कंपनी द्वारा धारित मतदान अधिकार	
(क) उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड	महत्वपूर्ण कार्यनीतिक एवं अन्य क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्क्रैप समेत सभी उच्च श्रेणी के एल्यूमिनियम मिश्र धातु उत्पादों का निर्माण, विपणन, विक्रय, क्रय, व्यापार, वितरण, आयात एवं निर्यात	50.00%	—
(ख) खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड	भारत के बाहर कार्यनीतिक खनिजों की पहचान, अन्वेषण, अर्जन, विकास, खनन, प्रक्रिया, प्रापण एवं विक्रय	40.00%	—
(ग) अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड	एल्यूमिनियम विशिष्ट अनुप्रवाह को ओड़िशा, भुवनेश्वर एवं ओड़िशा में प्रोत्साहन देना	49.00%	49.00%
(घ) जीएसीएल-नालको अल्कालिज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	कास्टिक सोड़ा का उत्पादन, वडोदरा, गुजरात	40.00%	40.00%
अनुद्धृत निवेश			
ओड़िशा कैपिटल मार्केट एण्ड एन्टरप्राइजेस लिमिटेड (₹ 1 प्रत्येक पूर्ण-प्रदत्त के 2,89,000 शेयर)		0.03	0.03
कुल - अन्य प्रतिष्ठानों में निवेश		**0.03**	**0.03**
कुल - इक्विटी साधनों में निवेश		**277.25**	**175.78**
अतिरिक्त सूचना			
अनुद्धृत निवेशों की सकल अग्रेनीत राशि		277.25	175.78

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

ख.	चालू		31.03.2020 को यथा		31.03.2019 को यथा
	म्युचुअल फंड में निवेश	'000 में एकक	राशि ₹ करोड़ में	'000 में एकक	राशि ₹ करोड़ में
	उद्धृत निवेश				
	बीओआई एएक्सए लिक्विड फंड	50	5.00	130	13.01
	बीओआई एएक्सए ओवरनाइट फंड	100	10.00	—	—
	बड़ौदा लिक्विड फंड	120	12.00	—	—
	कनाड़ा रोबेको लिक्विड	—	—	80	8.01
	आईडीबीआई लिक्विड फंड		—		—
	एसबीआई लिक्विड फंड डायरेक्ट डेली डिविडेंड	—	—	80	8.01
	एसबीआई प्रीमियर लिक्विड फंड				
	एसबीआई डेब्ट फंड सीरीज़ सी-31 (365 दिन)	—	—	250	25.77
	यूनियन केबीसी लिक्विड	180	18.01	110	11.00
	यूटीआई लिक्विड कैश प्लान - डायरेक्ट डेली डिविडेन्ड रिइन्वेस्टमेंट	100	10.00	150	15.01
	यूटीआई मनी मार्केट फंड		—		—
कुल - अन्य चालू निवेश			55.01		80.81
अतिरिक्त सूचना					
उद्धृत निवेशों का सकल बही मूल्य और इनका बाजार मूल्य			55.01		80.81
अनुद्धृत निवेशों की सकल अग्रेनीत राशि			—		—
निवेशों के मूल्य में क्षति की सकल राशि			—		—

संवर्ग-वार वर्गीकरण

	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
वित्तीय परिसंपत्तियों (उद्धृत निवेश) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर अनिवार्य रूप से परिमित (एफवीटीपीएल)	55.01	80.81
	55.01	80.81

10. व्यापारिक प्राप्य

राशि करोड़ ₹ में

क.	गैर-चालू	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
(क)	अच्छा माना गया - सुरक्षित	—	—
(ख)	अच्छा माना गया - असुरक्षित	—	—
(ग)	ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	—	—
(घ)	ऋण क्षति	37.11	37.11
घटाएं: संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते (अपेक्षित ऋण हानि भत्ते)		37.11	37.11
गैर-चालू व्यापारिक प्राप्य		—	—
ख.	चालू	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
(क)	अच्छा माना गया - सुरक्षित	—	—
(ख)	अच्छा माना गया - असुरक्षित	140.09	240.52
(ग)	ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	—	—
घटाएं: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ते		—	—
चालू व्यापारिक प्राप्य		140.09	240.52

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

10. व्यापारिक प्राप्य (जारी)

टिप्पणियाँ:

10.1 माल (एल्यूमिना और एल्यूमिनियम) की बिक्री ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम या ऋण-पत्र के विरुद्ध की जाती है। ग्राहक से प्राप्त अग्रिम को बिक्री पर समायोजित किया जाता है। पवन विद्युत की बिक्री के लिए औसत उधारी अवधि मीटरिंग की तिथि से 30 दिनों की होती है, जिसे संग्रह अवधि माना जाता है।

10.2 ग्राहक जो व्यक्तिगत रूप से 31.03.2020 को यथा कुल व्यापारिक प्राप्य के 5% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं :

ग्राहक		व्यापारिक प्राप्य का %	ग्राहक की श्रेणी
क.	ट्रेफिगुरा पीटीई लि.	39%	एल्यूमिना
ख.	एपीएसपीडीसीएल	18%	पवन विद्युत
ग.	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि.	12%	पवन विद्युत
घ.	आरडीपीपीसी, देवीकोट, राजस्थान	5%	पवन विद्युत

10.3 मामले से मामले के आधार पर व्यापारिक प्राप्य के लिए आशान्वित ऋण हानि भत्ते के संगणन के द्वारा कंपनी ने एक व्यावहारिक तरीका अपनाया है। चूँकि एल्यूमिना और एल्यूमिनियम की बिक्री के लिए कोई उधारी अवधि नहीं है और बिक्री या तो अग्रिम के विरुद्ध की जाती है या ग्राहक द्वारा दिए गए साख-पत्र (एलसी) की मदद से की जाती है, ऐसे प्राप्यों के लिए कोई उधारी हानि अपेक्षित नहीं है। पवन विद्युत की बिक्री के लिए, हालांकि कोई उधारी व्यवस्था नहीं है, परंतु कंपनी ने उधारी हानि अनुभव के आधार पर और अग्रदर्शी सूचना के आधार पर उधारी हानि का आकलन किया है।

10.4

प्राप्यों की आयु	**31.03.2020 को यथा**	**31.03.2019 को यथा**
एल्यूमिना एवं एल्यूमिनियम		
0-3 महीने	78.04	167.36
3-6 महीने	—	—
6 महीने से अधिक	37.11	37.11
	115.15	**204.47**
पवन ऊर्जा		
0-30 दिन	9.28	14.50
3-6 महीने	7.31	9.89
6 महीने से अधिक	45.46	48.77
	62.05	**73.16**

11. ऋण

राशि करोड़ ₹ में

क.	गैर-चालू	**31.03.2020 को यथा**	**31.03.2019 को यथा**
(क)	कर्मचारियों को ऋण		
	सुरक्षित, अच्छा माना गया	62.42	62.60
	असुरक्षित, अच्छा माना गया	10.30	11.90
(ख)	अन्य को ऋण		
	सुरक्षित, अच्छा माना गया	0.30	0.24
कुल गैर-चालू ऋण		**73.02**	**74.74**
ख.	**चालू**	**31.03.2020 को यथा**	**31.03.2019 को यथा**
(क)	कर्मचारियों को ऋण		
	अच्छा माना गया-सुरक्षित	29.52	17.88
	अच्छा माना गया-असुरक्षित	9.07	7.16
(ख)	संबंधित पार्टियों को ऋण		
	अच्छा माना गया-सुरक्षित [टिप्पणी 11.2 का संदर्भ लें]	0.02	0.01
(ग)	अन्य को ऋण		
	अच्छा माना गया-सुरक्षित	1.55	0.70
कुल चालू ऋण		**40.16**	**25.75**

टिप्पणी:

11.1 कर्मचारियों और अन्य को ऋण परिशोधित लागत पर लिए गए हैं।

11.2 प्रासंगिक पार्टियों (निदेशकों) से बकाया ऋण की राशि कंपनी के निदेशकों द्वारा उनके निदेशक-पद में योग के पूर्व कर्मचारी के रूप में लिए गए गृह निर्माण ऋण की राशि है। इन ऋणों पर आगे की सूचना टिप्पणी-38 प्रासंगिक पार्टी प्रकटन में निर्दिष्ट है।

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

12. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

राशि करोड़ ₹ में

क.	गैर-चालू	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
	प्रतिभूति जमा	10.48	10.37
	कुल अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**10.48**	**10.37**
ख.	**चालू**	**31.03.2020 को यथा**	**31.03.2019 को यथा**
(क)	कर्मचारियों को अग्रिम	0.04	0.12
(ख)	बीमा दावा प्राप्य और अन्य	8.46	9.56
सकल - अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ		**8.50**	**9.68**
घटाएंः खराब और संदिग्ध अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए भत्ते			
(क)	बीमा दावे	8.45	8.45
कुल खराब और संदिग्ध-अन्य चालू परिसंपत्तियों के लिए भत्ते		**8.45**	**8.45**
शुद्व अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ		**0.05**	**1.23**
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरणः			
असुरक्षित, अच्छा माना गया		**0.05**	1.23
संदिग्ध		**8.45**	8.45
सकल अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ		**8.50**	**9.68**

टिप्पणी:

12.1 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ परिशोधित लागत पर ली गई हैं।

13. चालू कर परिसंपत्तियाँ

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
आय कर	46.22	51.26
कुल चालू कर परिसंपत्तियाँ	**46.22**	**51.26**

14. अन्य परिसंपत्तियाँ

राशि करोड़ ₹ में

क.	गैर-चालू		31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
(क)	पूँजी अग्रिम		197.18	222.57
(ख)	पूँजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम			
	सार्वजनिक निकायों के पास अग्रिम			
	(1)	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, पत्तन न्यास आदि	216.66	226.86
	(2)	आयकर प्राधिकारी के पास जमा (शुद्ध)	285.55	268.06
	(3)	अन्य सरकारी प्राधिकारी	2.18	2.65
(ग)	अन्य			
	पूर्व भुगतान किए गए व्यय			
	(1)	पट्टा-युक्त भूमि के लिए प्रीमियम [टिप्पणी 14.1 देखें]	—	377.35
	(2)	आस्थगित कर्मचारी लाभ	18.29	19.66
सकल अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			**719.86**	**1,117.15**
घटाएँः अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों के लिए खराब एवं संदिग्ध हेतु भत्ते				
(क)	पूँजी अग्रिम		0.26	0.27
कुल खराब एवं संदिग्ध अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के लिए भत्ते			**0.26**	**0.27**
कुल अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			**719.60**	**1,116.88**

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

14. अन्य परिसंपत्तियाँ (जारी)

राशि करोड़ ₹ में

ख.	चालू		31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
पूँजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम				
(क)	सांविधिक प्राधिकारियों के पास दावे			
	(1)	निर्यात प्रोत्साहन दावे	14.33	29.87
	(2)	नवीकरणीय स्रोत से सृजित विद्युत पर सृजन आधारित प्रोत्साहन एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र	3.86	2.73
	(3)	वेट, सेनवेट एवं जीएसटी क्रेडिट वसूलीयोग्य	345.47	302.78
	(4)	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं रेलवे अधिकारियों से प्राप्य दावे	8.79	8.94
(ख)	पूर्व भुगतान किए गए व्यय			
	(1)	पट्टायुक्त भूमि के लिए प्रीमियम [टिप्पणी 14.1 देखें]	—	12.95
	(2)	आस्थगित कर्मचारी लाभ	2.85	4.21
	(3)	अन्य पूर्व प्रदत्त व्यय	5.29	6.65
(ग)	हाथ में स्वर्ण मुद्राएँ एवं डाक टिकटें		0.01	0.08
(घ)	अन्य प्राप्य		1.63	2.08
(ङ)	अन्य अग्रिम			
	(1)	कर्मचारियों को अग्रिम	28.46	24.16
	(2)	आपूर्तिकर्ताओं एवं सेवा-प्रदाताओं को अग्रिम	395.11	304.40
	(3)	अन्य	2.67	7.47
सकल अन्य चालू परिसंपत्तियाँ			**808.47**	**706.32**
घटाएँ: खराब एवं संदिग्ध अन्य चालू परिसंपत्तियों के लिए भत्ते				
(क)	वेट एवं सेनवेट क्रेडिट वसूलीयोग्य		197.81	200.09
(ख)	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं रेलवे प्राधिकारियों से प्राप्य दावे		7.09	6.39
(ग)	अन्य प्राप्य		1.00	1.26
(घ)	आपूर्तिकर्ताओं एवं सेवा प्रदाताओं को अग्रिम		1.88	1.81
(ङ)	अन्य		1.85	2.00
खराब एवं संदिग्ध अन्य चालू परिसंपत्तियों के लिए कुल भत्ते			**209.63**	**211.55**
कुल अन्य चालू परिसंपत्तियाँ			**598.84**	**494.77**

टिप्पणी:

14.1 1 अप्रैल, 2019 से कंपनी ने इंड एएस 116 "पट्टे" को अपनाया है, रूपांतरित पूर्वप्रभावी विधि का उपयोग करते हुए 1 अप्रैल, 2019 को विद्यमान सभी पट्टा अनुबंध पर लागू किया। स्थानांतरण की तिथि अर्थात 1.4.2019 को ₹390.30 करोड़ की पट्टा प्रीमियम की कुल राशि जिसमें मुख्यतया भूमि पट्टे पर पूर्वदत्त प्रीमियम शामिल है, को निम्नरूप में स्वीकृति दी गई है:

- बॉक्साइट खानों के संबंध में, पट्टा प्रीमियम के लिए ₹157.57 करोड़ का खनन अधिकार,
- कोल माइन्स डिवीजन के संबंध में पट्टा प्रीमियम के लिए ₹201.12 करोड़ का विकास के अधीन खनन अधिकार एवं,
- ₹31.61 करोड़ की पट्टायुक्त भूमि

(₹2.16 करोड़ के भावी पट्टा भुगतान के छूट प्राप्त मूल्य के साथ ₹31.61 करोड़ के पूर्व प्रदत्त पट्टा प्रीमियम को 1.4.2019 की तिथि के अनुसार ₹33.77 करोड़ की उपयोगाधिकार परिसंपत्ति के रूप में स्वीकृति दी गई है, (टिप्पणी सं. 5 देखें)

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

15. मालसूची

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
(क)	कच्चे माल	89.46	125.55
(ख)	कोयला एवं ईंधन तेल	338.63	199.97
(ग)	तैयार उत्पाद	440.02	122.29
(घ)	कार्बन एनोड (मध्यवर्ती वस्तुएँ)	153.03	141.12
(ङ)	प्रगति में कार्य	282.54	246.95
(च)	भंडार और कल-पुर्जे	378.51	361.10
(छ)	स्क्रैप एवं निपटानयोग्य वस्तुएँ	14.71	13.03
कुल मालसूची		**1,696.90**	**1,210.01**
ऊपर शामिल, मार्गस्थ मालः			
(i)	कच्चे माल	10.71	9.26
(ii)	कोयला एवं ईंधन तेल	10.48	13.87
(iii)	भंडार और कल पुर्जे	9.86	12.15
कुल मार्गस्थ माल		**31.05**	**35.28**

टिप्पणी:

15.1 वर्ष के दौरान व्यय के रूप में स्वीकृत मालसूची की लागत ₹4,027.93 करोड़ है (पिछले वर्षः ₹4,516.36 करोड़)।

15.2 व्यय के रूप में स्वीकृत मालसूची की लागत में गैर-सचल वस्तुओं के लिए मालसूची के बट्टे खाते डाले जाने के संबंध में ₹4.23 करोड़ (पिछले वर्षः ₹3.52 करोड़) शामिल है।

15.3 ये मालसूचियाँ कैश-क्रेडिट सुविधा के विरुद्ध बन्धक/वचनबद्ध हैं।

15.4 मालसूचियों के मूल्य-निर्धारण की पद्धति 3.10 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में वर्णित है।

16.क. नकद और नकद समतुल्य

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
(a) बैंक में शेष		
(1) अनुसूचित बैंकों में शेष		
(i) चालू खाते में	18.47	171.60
कुल नकद एवं नकद समतुल्य	**18.47**	**171.60**

16.ख. बैंक शेष (नकद और नकद समतुल्य के अलावा)

		31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
(क)	जमा खाते में (मूल परिपक्वता 3-12 महीने के बीच वाले)	1,404.55	2,972.65
	मूलधन	1,358.00	2,880.00
	प्रोद्भूत ब्याज	46.55	92.65
(ख)	अनुसूचित बैंक में निश्चित किए गए शेष	557.51	352.10
कुल अन्य बैंक शेष		**1,962.06**	**3,324.75**

टिप्पणी:

16.ख.1 अनुसूचित बैंकों में निश्चित किए गए शेष, विवादित विद्युत प्रभार के लिए ओड़िशा के माननीय उच्च न्यायालय के अनुदेश के तहत ₹2.95 करोड़ की दावाहीन लाभांश राशि (पिछला वर्ष ₹3.27 करोड़) एवं ₹554.56 करोड़ (पिछला वर्षः ₹348.83 करोड़) की जमा (प्रोद्भूत ब्याज समेत) बाबत जमा की गई राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं।

16.ख.2 चालू वर्ष के अंत में निवेशक की शिक्षा और संरक्षण निधि में जमा करने के लिए देय राशि ₹ शून्य है (पिछले वर्ष ₹ शून्य)।

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

17. शेयर पूँजी

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
अधिकृत शेयर पूँजी :		
₹ 5 प्रत्येक के 6,00,00,00,000 इक्विटी शेयर	3,000.00	3,000.00
	3,000.00	**3,000.00**
जारी और अभिदत्त पूँजी में शामिल है:		
₹ 5 प्रत्येक के 1,86,56,17,498 पूर्ण-प्रदत्त इक्विटी शेयर (31.03.2019 को यथा: ₹ 5 प्रत्येक 1,86,56,17,498 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)	932.81	932.81
	932.81	**932.81**

17.1 इक्विटी शेयरों की संख्या का पुनर्मिलान

	शेयरों की संख्या	राशि करोड़ ₹ में
31.03.2018 को यथा शेष	1,93,29,28,884	966.46
शेयरों की वापस खरीद	(6,73,11,386.00)	(33.65)
31.03.2019 को यथा शेष	1,86,56,17,498	932.81
वर्ष के दौरान परिवर्तन		
31.03.2020 को यथा शेष	1,86,56,17,498	932.81

(i) कंपनी के पास केवल एक श्रेणी के इक्विटी शेयर है जिसके प्रत्येक का मूल्य ₹ 5 के समान है। प्रत्येक इक्विटी शेयरधारक के पास एक मत प्रति शेयर का अधिकार है एवं उनकी धारिता पर आधारित कंपनी द्वारा घोषित लाभांश का समानुपातिक अधिकार इस पर है।

(ii) **वापस खरीदः** वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी ने ₹5 प्रत्येक के 64,43,09,628 संख्यक इक्विटी शेयरों की वापस ख़रीद की जिससे इक्विटी शेयर पूँजी ₹1,288.62 करोड़ से घटकर ₹966.46 करोड़ रह गई। वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी ने फिर से ₹5 प्रत्येक के 6,73,11,386 संख्यक इक्विटी शेयरों की वापस खरीद की जिससे इक्विटी शेयर पूँजी ₹966.46 करोड़ से पुनः घटकर ₹ 932.81 करोड़ रह गई।

(iii) **विनिवेशः** वर्ष 2017-18 के दौरान भारत सरकार ने 27,77,65,383 संख्यक पूर्णत प्रदत्त इक्विटी शेयर (ओएफएस के माध्यम से 17,80,69,927 संख्यक, कर्मचारी प्रस्ताव के माध्यम से 76,17,057 संख्यक एवं ईटीएफ के माध्यम से 9,20,78,399 संख्यक), जिसके फलस्वरूप भारत सरकार की धारिता 31.03.2017 को 1,44,14,82,490 संख्यक (74.58%) से घटकर 31.03.2018 को 1,16,37,17,107 संख्यक (60.2%) रह गई। वर्ष 2018-19 के दौरान, भारत सरकार ने फिर से ईटीएफ के माध्यम से 8,89,86,323 संख्यक इक्विटी शेयरों का विनिवेश किया है। 2018-19 के दौरान भारत सरकार द्वारा ईटीएफ के माध्यम से शेयरों की वापस खरीद एवं अंतरण के कारण भारत सरकार की धारिता 31.03.2018 को 1,16,37,17,107 संख्यक (60.20%) से घटकर 31.03.2019 को 97,00,81,517 संख्यक (51.99%) रह गई।

वर्तमान वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने भारत 22 ईटीएफ के माध्यम से 92,88,506 संख्यक इक्विटी शेयरों का विनिवेश किया है जिसके फलस्वरूप भारत सरकार की धारिता 31.03.2019 के 97,00,81,517 संख्यक (51.99%) से 31.03.2020 को घटकर 96,07,93,011 संख्यक (51.50%) रह गई है।

17.2 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों का विवरण

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2020 को यथा		31.03.2019 को यथा	
	धारित शेयरों की संख्या	धारित इक्विटी शेयरों का %	धारित शेयरों की संख्या	धारित इक्विटी शेयरों का %
पूर्ण-प्रदत्त इक्विटी शेयर				
भारत सरकार	96,07,93,011	51.50%	97,00,81,517	51.99%
भारतीय जीवन बीमा निगम	9,41,04,003	5.04%	9,34,35,272	5.00%
आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल इन्फ्रास्ट्राक्चर फंड	11,00,27,027	5.90%	7,80,85,124	4.18%
अन्य	70,06,93,457	37.56%	72,40,15,585	38.81%
कुल	**1,86,56,17,498**	**100.00%**	**1,86,56,17,498**	**100.00%**

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

18. अन्य इक्विटी

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
(क)	पूँजी मोचन आरक्षित	355.81	355.81
(ख)	सामान्य आरक्षित	8,112.98	8,112.98
(ग)	प्रतिधारित आय	586.47	1,082.91
कुल		9,055.26	9,551.70

18.1 अन्य इक्विटी में संचलन

राशि करोड़ ₹ में

अन्य इक्विटी	आरक्षित एवं अधिशेष			
	पूँजी मोचन आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	कुल
01.04.2018 को यथा शेष	322.16	8,620.41	595.78	9,538.35
वर्ष के दौरान लाभ	—	—	1,732.40	1,732.40
अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	—	—	(0.15)	(0.15)
वर्ष के लिए कुल विशद आय	—	—	1,732.25	1,732.25
इक्विटी शेयरों की वापस खरीद पर प्रीमियम	—	(471.18)	—	(471.18)
इक्विटी शेयरों की वापस खरीद पर व्यय	—	(2.60)	—	(2.60)
सामान्य आरक्षित का पूँजी मोचन आरक्षित में अंतरण	33.65	(33.65)	—	—
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	—	—	(193.29)	(193.29)
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश पर कर	—	—	(39.73)	(39.73)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	—	—	(839.53)	(839.53)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश पर कर	—	—	(172.57)	(172.57)
31.03.2019 को यथा शेष	355.81	8,112.98	1,082.91	9,551.70
वर्ष के दौरान लाभ	—	—	138.23	138.23
अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	—	—	(16.17)	(16.17)
वर्ष के लिए कुल विशद आय	—	—	122.06	122.06
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	—	—	(233.20)	(233.20)
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश पर कर	—	—	(47.94)	(47.94)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	—	—	(279.84)	(279.84)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश पर कर	—	—	(57.52)	(57.52)
31.03.2020 को यथा शेष	355.81	8,112.98	586.47	9,055.26

18.2 कंपनी ने 26 सितम्बर, 2016 को प्रीमियम राशि सहित ₹ 2,834.97 करोड़ की राशि के सामान्य आरक्षित में से अपने निजी इक्विटी शेयरों की वापस खरीद की और परिणामस्वरूप इस प्रकार वापस खरीदे गए शेयरों के मामूली मूल्य के बराबर की राशि ₹ 322.16 करोड़ का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 69 की शर्तों के अनुसार पूँजी मोचन आरक्षित खाता में हस्तांतरित किया गया।

वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी ने 4 दिसंबर, 2018 को ₹75 प्रति शेयर के प्रस्ताव मूल्य पर ₹5 प्रत्येक के 6,73,11,386 संख्यक पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की खरीद की है। एकीकृत भुगतान किया गया मूल्य ₹504.83 करोड़ था। पुनः खरीद के बाद कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी में ₹33.65 करोड़ की कमी आई है जो ₹966.46 करोड़ से घटकर ₹932.81 करोड़ रह गई। प्रीमियम राशि ₹471.18 करोड़ सामान्य आरक्षित निधि से ली गई है। शेयर 7 दिसंबर, 2018 को समाप्त हो गई एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार ₹33.65 करोड़ की राशि सामान्य आरक्षित निधि से पूँजी विमोचन आरक्षित निधि में अंतरित किया गया है।

18.3 वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹1.50 प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से कुल ₹279.84 करोड़ की राशि के अंतरिम लाभांश एवं वर्ष 2018-19 के लिए, ₹1.25 प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से कुल ₹233.20 करोड़ की राशि के अंतिम लाभाश का भुगतान किया है। पिछले वर्ष के दौरान कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए ₹839.53 करोड़ के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया। लाभांश की इन संबंधित राशियों पर ₹57.52 करोड़, ₹47.94 करोड़ एवं ₹172.57 करोड़ के लाभांश कर का भुगतान कंपनी द्वारा किया गया है।

18.4 बोर्ड ने वर्ष 2019-20 के लिए किसी अंतिम लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

19. उधारी

राशि करोड़ ₹ में

चालू (परिशोधित लागत पर सुरक्षित)	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
छूट दिए गए बिलों की देनदारियाँ	12.31	66.79
कुल अन्य चालू वित्तीय देनदारियाँ	**12.31**	**66.79**

20. व्यापारिक लेखा-देय

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
क.	गैर-चालू		
	(1) आपूर्ति और सेवाओं के लिए लेनदार		
	— सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया	—	—
	— अन्य	22.69	21.14
	कुल गैर-चालू कारोबार देय	**22.69**	**21.14**
ख.	चालू		
	(1) आपूर्ति और सेवाओं के लिए लेनदार		
	— सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया	7.06	2.22
	— अन्य	535.03	435.38
	उपार्जित मजदूरी और वेतन	230.84	848.17
	कुल चालू कारोबार देय	**772.93**	**1,285.77**

टिप्पणी:

20.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में परिभाषित अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय बकाया का निर्धारण कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसे पक्ष की पहचान के तहत किया गया है। व्यापारिक लेखा-देय (टिप्पणी-20) एवं अन्य वित्तीय देनदारियों (टिप्पणी-21) में सम्मिलित ऐसे बकायों के संबंध में उक्त अधिनियम के अनुसरण में प्रकटन निम्नवत् है :

विवरण		31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
i)	बकाया मूलधन	7.06	2.69
ii)	बकाया मूलधन पर ब्याज	शून्य	शून्य
iii)	नियत दिन के बाद भुगतान किया गया ब्याज और मूलधन	शून्य	शून्य
iv)	भुगतान में विलंब (जो भुगतान किया गया, परंतु वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद) की अवधि के लिए देय ब्याज राशि परंतु एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज राशि जोड़े बिना	शून्य	शून्य
v)	वर्ष के अंत में प्रोद्भूत ब्याज की राशि एवं भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य
vi)	शेष देय ब्याज की राशि और बाद के वर्षों की ऐसी तिथि तक देय जब उपर्युक्त के अनुसार देय ब्याज एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अन्तर्गत कटौतीयोग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन हेतु लघु उद्यमों को वस्तुतः भुगतान किया गया है।	शून्य	शून्य

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

21. अन्य वित्तीय देयताएँ

राशि करोड़ ₹ में

			31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
क.	गैर-चालू			
	(क)	आपूर्ति एवं सेवाओं के लिए लेनदार		
		— सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया	—	—
		— अन्य	8.28	6.70
	(ख)	पट्टा देयता	50.25	—
	कुल अन्य गैर-चालू वित्तीय देयताएँ		58.53	6.70
ख.	चालू			
	(क)	अदत्त लाभांश	2.95	3.27
	(ख)	अन्य देयताओं के लिए लेनदार		
		(1) पूँजी आपूर्ति एवं सेवाओं के लिए लेनदार		
		— सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बकाया	—	0.47
		— अन्य	312.72	299.35
		(2) ग्राहकों से प्रतिभूति जमा	2.07	1.78
		(3) ग्राहकों को बकाये की वापसी	26.50	7.84
		(4) ग्राहकों को बिक्री पर छूट के लिए देयताएँ	65.93	98.00
		(5) कर्मचारी वसूली	0.63	0.15
	(ग)	पट्टा देयता	5.22	—
	कुल अन्य चालू वित्तीय देयताएँ		416.02	410.86

22. प्रावधान

राशि करोड़ ₹ में

			31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
क.	गैर-चालू			
(क)	**कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान**			
	(1) सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व			
		(i) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना (पीआरएमबीएस)	135.39	117.22
		(ii) सेवानिवृत्ति पर बंदोबस्ती लाभ	17.27	19.52
		(iii) नालको हितकारी निधि योजना (एनबीएफएस)	2.41	2.45
		(iv) नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना (एनआरडब्ल्यूएस)	12.07	11.56
		(v) सेवानिवृत्ति उपहार	7.08	6.79
	(2) अन्य दीर्घमियादी कर्मचारी लाभ			
		(i) क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ	383.08	315.57
		(ii) लम्बी सेवा का पुरस्कार	11.01	9.31
		(iii) नालको कर्मचारी परिवार वित्तीय सहयोग पुनःस्थापन योजना (एनईएफएफएआरएस)	25.94	17.01
(ख)	**अन्य प्रावधान**			
	(1) परिसंपत्ति पुनर्बहाली दायित्व/विखंडन		34.17	31.12
	(2) अन्य कानूनी एवं रचनात्मक दायित्व		0.38	0.38
कुल गैर-चालू प्रावधान			628.80	530.93
ख.	चालू		31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
(क)	**कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान**			
	(1) सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व			
		(i) ग्रैचुइटी (वित्त पोषित)	55.98	57.40
		(ii) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना (पीआरएमबीएस)	5.03	6.22
		(iii) सेवानिवृत्ति पर बंदोबस्ती लाभ	3.32	2.90
		(iv) नालको हितकारी निधि योजना (एनबीएफएस)	0.58	0.59
		(v) नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना (एनआरडब्ल्यूएस)	0.45	0.34
		(vi) सेवानिवृत्ति उपहार	0.18	0.14
	(2) अन्य दीर्घमियादी कर्मचारी लाभ			
		(i) क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ	44.49	31.69
		(ii) लम्बी सेवा का पुरस्कार	0.53	1.05
		(iii) नालको कर्मचारी परिवार वित्तीय सहयोग पुनःस्थापन योजना (एनईएफएफएआरएस)	6.15	5.57
(ख)	**अन्य प्रावधान**			
	(1) परिधीय विकास व्यय की बाबत		31.03	31.53
	(2) अन्य कानूनी एवं रचनात्मक दायित्व की बाबत		30.70	28.08
कुल चालू प्रावधान			178.44	165.51

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

22. प्रावधान (जारी)

राशि करोड़ ₹ में

ग. प्रावधानों का संचलन

(1) सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व का संचलन [टिप्पणी 31 का संदर्भ लें]

(2) कर्मचारी लाभों का संचलन

	क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ	लम्बी सेवा के पुरस्कार	एनईएफएफएआरएस
31.03.2018 को यथा शेष	**273.06**	**10.10**	**21.61**
अतिरिक्त प्रावधानों की स्वीकृति	108.68	1.26	18.06
भुगतानों से उत्पन्न कटौतियाँ	(76.91)	(1.51)	(17.09)
पुनःमापन से उत्पन्न परिवर्तन	42.43	0.51	—
31.03.2019 को यथा शेष	**347.26**	**10.36**	**22.58**
अतिरिक्त प्रावधानों की स्वीकृति	125.09	1.22	28.77
भुगतान से उत्पन्न कटौतियाँ	(75.16)	(2.30)	(19.26)
पुनःमापन से उत्पन्न परिवर्तन	30.38	2.26	—
31.03.2020 को यथा शेष	**427.57**	**11.54**	**32.09**

(3)

अन्य प्रावधानों का संचलन	परिसंपत्ति पुनर्बहाली दायित्व	कानूनी एवं रचनात्मक दायित्व	परिधीय विकास व्यय
31.03.2018 को यथा शेष	**23.57**	**26.82**	**32.64**
अतिरिक्त प्रावधानों की स्वीकृति	5.23	3.87	—
भुगतानों से उत्पन्न कटौतियाँ	—	(2.28)	(1.11)
छूट का फैलाव	2.32	0.05	—
31.03.2019 को यथा शेष	**31.12**	**28.46**	**31.53**
अतिरिक्त प्रावधानों की स्वीकृति	0.50	4.52	—
भुगतान से उत्पन्न कटौतियाँ		(1.95)	(0.50)
छूट का फैलाव	2.55	0.05	—
31.03.2020 को यथा शेष	**34.17**	**31.08**	**31.03**

टिप्पणी:

22.1 सेवानिवृत्ति एवं अन्य दीर्घमियादी कर्मचारी लाभों से संबंधित प्रावधान ग्रेचुइटी अधिनियम के अनुसार ग्रेचुइटी एवं कंपनी नियमों के अनुसार अन्य लाभ के लिए प्रदान किए गए। इनके लिए स्वतंत्र बीमांकक के बीमांकिक आकलन के आधार पर देयता की स्वीकृति दी गई है।

22.2 परिसंपत्ति पुनर्बहाली दायित्व एवं रचनात्मक दायित्व के लिए प्रावधान क्रमशः इंड एएस 16 एवं इंड एएस 37 के अनुरूप प्रबंधन के आकलन के आधार पर किया गया है।

22.3 परिधीय विकास व्यय के लिए प्रावधान, कंपनी अधिनियम, 2013 के आगमन से पूर्व कंपनी का अव्ययित विकास दायित्व है।

23. आस्थगित कर देयताएँ

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
आस्थगित कर देयताएँ	1,582.79	1,560.12
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	522.18	429.45
	1,060.61	**1,130.67**

2018-19	01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	लाभ या हानि में स्वीकृत	अन्य विशद आय में स्वीकृत	31.03.2019 को अंतिम शेष
निम्न से संबंधित आस्थगित कर देयताएँ				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	(1,482.93)	(62.13)		(1,545.06)
एफवीटीपीएल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	2.85	0.09		2.94
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान (ओसीआई)	(21.64)	—	3.64	(18.00)
आस्थगित कर देयताएँ	**(1,501.72)**	**(62.04)**	**3.64**	**(1,560.12)**

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

23. आस्थगित कर देयताएँ (जारी)

राशि करोड़ ₹ में

2018-19	01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	लाभ या हानि में स्वीकृत	अन्य विशद आय में स्वीकृत	31.03.2019 को अंतिम शेष
निम्न से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियाँः				
क्षतिपूरित अनुपस्थितियों एवं अन्य कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	94.50	26.85	—	121.35
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान	88.55	(0.38)	—	88.17
संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	90.22	0.02	—	90.24
अनुभाग 43ख के प्रयोग के कारण अस्थायी अन्तर	60.12	65.15	—	125.27
एमएटी क्रेडिट अधिकार	12.51	(12.51)		—
अन्य	4.37	0.04	—	4.42
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	**350.27**	**79.17**	—	**429.45**
आस्थगित कर (देयताएँ)/परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	**(1,151.45)**	**17.13**	**3.64**	**(1,130.67)**
2019-20	**01.04.2019 को प्रारंभिक शेष**	**लाभ या हानि में स्वीकृत**	**अन्य विशद आय में स्वीकृत**	**31.03.2020 को अंतिम शेष**
निम्न से संबंधित आस्थगित कर देयताएँः				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	(1,545.06)	(28.76)	—	(1,573.82)
एफवीटीपीएल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	2.94	(0.58)	—	2.36
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान (ओसीआई)	(18.00)	—	6.67	(11.33)
आस्थगित कर देयताएँ	**(1,560.12)**	**(29.34)**	**6.67**	**(1,582.79)**
निम्न से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियाँः				
क्षतिपूरित अनुपस्थितियों एवं अन्य कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	121.35	28.05	—	149.40
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान	88.17	2.65	—	90.82
संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	90.24	(1.22)	—	89.02
अनुभाग 43ख के प्रयोग के कारण अस्थायी अन्तर	125.27	63.25	—	188.52
एमएटी क्रेडिट अधिकार	—	—	—	—
अन्य	4.42	—	—	4.42
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	**429.45**	**92.73**	—	**522.18**
आस्थगित कर (देयताएँ)/परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	**(1,130.67)**	**63.39**	**6.67**	**(1,060.61)**

24. अन्य देयताएँ

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
क. गैर-चालू		
(i) एनईएफएफएआरएस के अन्तर्गत जमा	70.90	67.89
कुल अन्य गैर-चालू देयताएँ	**70.90**	**67.89**

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

24. अन्य देयताएँ (जारी)

राशि करोड़ ₹ में

			31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
ख.	चालू			
	(i)	अग्रिम में प्राप्त राजस्व	94.25	57.72
	(ii)	सांविधिक एवं अन्य बकाये		
		(क) विद्युत प्रभार [टिप्पणी: 24.1 का संदर्भ लें]	589.43	385.90
		(ख) स्रोत पर कर कटौती एवं संग्रह	21.61	24.38
		(ग) एनईपीएफ न्यास एवं एनपीएस में अंशदान	38.17	35.58
		(घ) स्टाम्प शुल्क बाबत बकाया	212.78	212.78
		(ङ) अन्य (सेवा कर, उत्पाद शुल्क आदि)	64.91	78.28
	(iii)	नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व	293.82	162.71
	(iv)	एनईएफएफएआरएस के अन्तर्गत जमा	24.22	17.64
	(v)	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए अनुदान	0.53	0.56
	(vi)	अन्य ऋण शेष	0.60	0.64
कुल अन्य चालू देयताएँ			1,340.32	976.19

टिप्पणी:

24.1 ओड़िशा सरकार के ऊर्जा विभाग ने दिनांक 12 मई, 2017 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से विद्युत प्रभार की दर को प्रति इकाई खपत के लिए ₹0.30 पैसे प्रति इकाई से बढ़ाकर ₹0.55 पैसे प्रति इकाई कर दिया है। उक्त अधिसूचना से असंतुष्ट होकर, ग्रहीत विद्युत संयंत्र के संघ, ओड़िशा, जिसकी कंपनी एक सदस्य है, ने ओड़िशा के माननीय उच्च न्यायालय में इस आदेश को चुनौती दी है। अंतरिम उपाय के तौर पर, माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 01.06.2017 के अपने आदेश में याचिकाकर्ता को अंतरणीय विद्युत प्रभार को एक पृथक ब्याज भारित बैंक खाता में जमा करने का निर्देश दिया है जो कि समादेश याचिका के परिणाम के अधीन होगा। इसी अनुसार, कंपनी ने वर्धित दर पर विद्युत प्रभार व्यय के लिए प्रावधान किया है एवं न्यायालय के निर्देशानुसार एक पृथक ब्याज भारित बैंक खाता में राशि जमा की गई। ऐसी जमा राशि पर अर्जित ब्याज को आय के रूप में स्वीकृति नहीं दी गई है। परंतु अदत्त वर्धित विद्युत प्रभार के साथ देयता के रूप में ली गई है। ऐसे विवादित देयता के विरुद्ध रिपोर्टिंग तिथि को जमा के रूप में पड़ी हुई राशि ₹554.56 करोड़ (पिछला वर्ष ₹348.83 करोड़) है [टिप्पणी 16.ख.1 देखें]। ₹34.87 करोड़ (पिछला वर्ष ₹37.07 करोड़) की शेष राशि मार्च महीने के लिए विद्युत प्रभार के लिए है जो संबंधित वर्षों के अप्रैल के महीने भुगतान किया गया था।

24.2 कंपनी ने 2016 के डब्ल्यूपी (सी) नं. 11367 के माध्यम से ओड़िशा के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक समादेश याचिका दायर करते हुए नवीकरणीय विद्युत क्रय दायित्व के संबंध में ओईआरसी द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दी है। इसके लम्बित निपटान के बाद विषयवस्तु को विचाराधीन देखते हुए यथापूर्व स्थिति को बरकरार रखा गया है।

25. आकस्मिक देयताएँ (प्रदान नहीं की गई सीमा तक)

राशि करोड़ ₹ में

			31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया				
क.	**सांविधिक प्राधिकारी से मांग**			
	1.	ओड़िशा विक्रय कर	4.31	81.00
	2.	केन्द्रीय विक्रय कर	281.01	282.96
	3.	वीएटी	12.64	12.60
	4.	उत्पाद शुल्क	410.44	416.65
	5.	सीमा शुल्क	104.47	102.77
	6.	सेवा कर	18.19	23.60
	7.	आय कर	547.62	670.09
	8.	प्रवेश कर	221.37	221.82
	9.	सड़क कर	2.65	2.65
	10.	स्टाम्प ड्यूटी	0.51	—
	11.	सरकार से दावा (एनजीटी)	15.59	6.00
	12.	पीएसयू से दावा	188.73	50.12
	13.	भूमि अधिग्रहण एवं उस पर ब्याज	88.20	48.15
	14.	खान विभाग, ओड़िशा सरकार से मांग	136.32	136.32
	15.	खनन पट्टे के अधीन एनपीवी से संबंधित मांग	92.45	92.45
	16.	जल संरक्षण निधि के लिए जल संसाधन विभाग, ओड़िशा सरकार से मांग	119.24	119.24
ख.	**ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य द्वारा दावे**			—
	1.	ठेकेदारों के आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य के दावे	318.08	505.18
	कुल		2,561.82	2,771.59

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

25. आकस्मिक देयताएँ (प्रदान नहीं की गई सीमा तक) (जारी)

कंपनी के विरुद्ध दावे जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं हुए हैं, में शामिल है :

i. आय कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, प्रवेश कर एवं अन्य सरकारी प्रभार की बाबत विभिन्न सांविधिक प्राधिकारियों से मांग। कंपनी संबंधित अपीलीय प्राधिकारियों से मांग की लड़ाई कर रही हैं। आशा की जाती है कि इन कार्यवाहियों का अंतिम परिणाम कंपनी के पक्ष में होगा एवं कंपनी की वित्तीय स्थिति एवं प्रचालन-परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

ii. सामग्री/सेवाओं की आपूर्ति के लिए विवाचन/न्यायालयों के पास ठेकेदार के लम्बित दावे व्यवसाय की सामान्य कार्य-प्रक्रिया में उत्पन्न हुए हैं। कंपनी यथा संगत यह आशा करती है कि ये कानूनी कार्यवाहियाँ जब अंतिम रूप में निष्कर्षित एवं निर्धारित होंगी, तो कंपनी के पक्ष में रहेंगी और कंपनी के प्रचालन परिणामों या वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

iii. पीएसयू से दावे में खान एवं परिशोधन संकुल में नालको परिशोधक द्वारा अपर कोलाब, कोरापुट में जलाशय से पानी निकालने के कारण निगम द्वारा विद्युत उत्पादन की हानि के लिए ओड़िशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएचपीसी) द्वारा मांग की गई ऊर्जा क्षतिपूरक प्रभार एवं वर्ष 2005 से उस पर विलम्बित भुगतान उपकर शामिल है।

iv. कंपनी के विरुद्ध दावे अधिकतर आकलन चरण में आईटी विभाग द्वारा की गई मांग के कारण है। ये दावे धारा 32(i)(iiक) के अधीन अतिरिक्त मूल्यह्रास के संबंध में अस्वीकार वस्तुतः परिधीय विकास व्यय के अस्वीकार, अचल स्टोर्स एवं स्पेयर्स के लिए प्रावधान, अल्पमियादी पूंजी लाभ के उपचार एवं दीर्घमियादी पूंजी लाभ के अधीन हानि की अस्वीकृति एवं व्यवसाय आय के रूप में इनका उपचार, धारा 14क के अधीन अस्वीकार जैसे बहु मसलों के कारण हैं। विभिन्न अपीलीय प्राधिकरण में ये मामले विचाराधीन एवं लम्बित हैं। कर सलाहकार समेत प्रबंधन को अपेक्षा है कि उच्चतर अपीलीय फोरम द्वारा सीआईटी(ए)/आईटीएटी (क्षेत्राधिकार) रहने के कारण कंपनी के पक्ष में पहले से ही आखिरी समाधान रहने से इसकी स्थिति कायम रहेगी। अतएव, कंपनी की वित्तीय स्थिति एवं परिचालन के परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए, कर उपचार में कोई अनिश्चितता नहीं है जो कर योग्य लाभ (हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानि, अप्रयुक्त कर ऋण एवं कंपनी की कर दर को प्रभावित करेगा।

25.1

	आकस्मिक देयताओं का संचलन	31.03.2019 को यथा शेष	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के दौरान संयोजन	31.03.2020 को यथा शेष
क.	**सांविधिक प्राधिकारी से मांग**				
	1. ओड़िशा विक्रय कर	81.00	(76.69)	—	4.31
	2. केन्द्रीय विक्रय कर	282.96	(1.95)	—	281.01
	3. वीएटी	12.60	—	0.05	12.64
	4. उत्पाद शुल्क	416.65	(7.66)	1.45	410.44
	5. सीमा शुल्क	102.77	—	1.70	104.47
	6. सेवा कर	23.60	(5.41)	—	18.19
	7. आय कर	670.09	(186.73)	64.26	547.62
	8. प्रवेश कर	221.82	(1.01)	0.56	221.37
	9. सड़क कर	2.65		—	2.65
	10. स्टाम्प ड्यूटी	—		0.51	0.51
	11. सरकार से दावा (एनजीटी)	6.00	—	9.59	15.59
	12. पीएसयू से दावा	50.12	—	138.61	188.73
	13. भूमि अधिग्रहण एवं उस पर ब्याज	48.15		40.06	88.20
	14. खान विभाग, ओड़िशा सरकार से मांग	136.32	—	—	136.32
	15. खनन पट्टे के अधीन एनपीवी से संबंधित मांग	92.45	—	—	92.45
	16. जल संरक्षण निधि के लिए जल संसाधन विभाग, ओड़िशा सरकार से मांग	119.24	—	—	119.24
ख.	**ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य द्वारा दावे**	—			—
	1. ठेकेदारों के आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य के दावे	505.18	(192.91)	5.80	318.08
	कुल	**2,771.59**	**(472.35)**	**262.58**	**2,561.82**

26. वचनबद्धताएँ

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
क)	पूँजी खाते में अनुबंध की अनुमानित लागत, जिनका निष्पादन अभी किया जाना है एवं प्रदान नहीं की गई है	993.90	829.92
ख)	अन्य वचनबद्धताएँ		
	(1) उत्कल डी एवं ई कोल ब्लॉक के आबंटन के लिए भारत सरकार को देय राशि, मगर अभी भुगतान के लिए नियत नहीं हुआ है।	18.11	18.11
	(2) निर्यात प्रोत्साहन पूँजी वस्तु योजना के अधीन पूँजी वस्तुओं के आयात के लिए निर्यात दायित्व	254.32	168.75
	कुल	**1,266.33**	**1,016.78**

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

27. प्रचालनों से राजस्व

राशि करोड़ ₹ में

			31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
(क)	उत्पादों की बिक्री			
	1)	निर्यात :		
		i) एल्यूमिना	2,764.30	4,222.41
		ii) एल्यूमिनियम	746.62	570.30
	2)	घरेलू :		
		i) एल्यूमिना	213.98	212.67
		ii) एल्यूमिनियम	4,645.92	6,253.33
(ख)	विद्युत की बिक्री			
		i) तापज विद्युत [टिप्पणी 27.1 देखें]	—	1.57
		ii) पवन विद्युत	54.93	126.04
(ग)	अन्य प्रचालन आय		46.09	113.00
प्रचालनों से राजस्व			**8,471.84**	**11,499.32**

टिप्पणी:

27.1 अनुगुल में ग्र.वि.सं. से दामनजोड़ी में परिशोधक तक विद्युत की व्हीलिंग व्यवस्था एवं ग्रिडको को विद्युत की बिक्री के संबंध में दिनांक 06.04.2019 को कंपनी एवं ग्रिडको के बीच आयोजित बैठक के कार्यवृत के अनुसार 01.07.2015 से बगैर वैध ठेका के ग्रिड को दिए गए किसी अधिशेष विद्युत के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा एवं शून्य मूल्य पर उपेक्षक विद्युत के रूप में उपचारित होगा। इसी अनुसार, ग्रिडको के पहले वकाये की पुनःसंरचना की गई एवं वर्तमान वर्ष के दौरान दिए गए उपेक्षक विद्युत के लिए किसी राजस्व को स्वीकृति नहीं दी गई है। इसके अलावा, बगैर वैध ठेका के ग्रिड को भरे गए उपेक्षक विद्युत के इस शून्य मूल्यांकित मूल्य की पुष्टि, ग्रिडको लिमिटेड द्वारा उनके दिनांक 09.04.2019 के आदेश के माध्यम से क्रय किए जाने वाले सीजीपी से अधिशेष विद्युत के मूल्य निर्धारण पर परापर्शी कागज पर बिन मांग प्रतिदाय विषयवस्तु में मामला सं. 62/2017 में एवं अपीलीय विद्युत न्यायाधिकरण द्वारा उनके दिनांक 08.05.2017 के आदेश द्वारा वर्ष 2016 की अपील सं. 120 एवं वर्ष 2016 की आईए 272 के तहत की गई है।

28. अन्य आय

राशि करोड़ ₹ में

			31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
(क)	ब्याज आय			
	(i)	वित्तीय परिसंपत्तियों से अर्जित ब्याज आय जो लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट नहीं हुई है :		
		— बैंक जमा	144.30	224.28
		— कर्मचारियों को ऋण	9.43	9.69
		— परिशोधित मूल्य पर वहन की गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	2.99	3.17
	(ii)	आय कर वापसी के बाबत अर्जित ब्याज आय	61.18	—
(ख)	लाभांश आय			
	—	चालू निवेशों से लाभांश	7.60	30.61
(ग)	विदेशी मुद्रा शुद्ध लाभ/(हानि)		5.94	8.62
(घ)	एफवीटीपीएल में निर्दिष्ट वित्तीय परिसंपत्तियों पर शुद्ध लाभ/(हानि)		0.01	(2.16)
(ङ)	अन्य निवेशों की बिक्री पर शुद्ध लाभ/(हानि)		1.35	—
(च)	देयताओं के पुनरांकन की अब आवश्यकता नहीं [टिप्पणी 28.1 देखें]		3.73	12.04
(छ)	आंतरिक रूप से उत्पन्न स्क्रैप से आय		19.52	19.47
(ज)	अन्य		16.53	20.15
कुल अन्य आय			**272.58**	**325.87**

टिप्पणी:

28.1 रिपोर्टिंग की तिथि को 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बहियों में पड़ी हुई दावाहीन देयता पुनरांकित हुई हैं एवं आय के रूप में स्वीकृति दी गई है।

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

29. खपत की हुई सामग्री की लागत

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
क.	कच्चे माल		
	(1) कॉस्टिक सोड़ा	935.17	941.02
	(2) सी.पी. कोक	460.73	645.43
	(3) सी.टी पिच	142.25	176.41
	(4) एल्यूमिनियम फ्लूओराइड	80.58	75.43
	(5) चूना	51.47	50.00
	(6) अन्य	32.28	31.39
	खपत किए गए कच्चे माल का योग	**1,702.48**	**1,919.68**
ख.	विद्युत एवं ईंधन		
	(1) कोयला	1,667.11	1,525.72
	(2) ईंधन तेल	663.21	708.06
	(3) निजी उत्पादन पर शुल्क [टिप्पणी: 24.1 का संदर्भ लें]	400.30	406.51
	(4) विद्युत क्रय	224.47	283.64
	(5) विद्युत पारेषण प्रभार	9.51	3.19
	खपत किए गए विद्युत और ईंधन का योग	**2,964.60**	**2,927.12**

30. तैयार माल, मध्यवर्ती उत्पाद और चल रहे कार्य की मालसूचियों में परिवर्तन

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
तैयार माल		
प्रारंभिक स्टॉक		
(1) बॉक्साइट	18.12	9.20
(2) रसायन	91.48	114.18
(3) एल्यूमिनियम	12.68	19.83
तैयार उत्पादों का कुल प्रारंभिक स्टॉक	**122.28**	**143.21**
घटाएँ : अंतिम स्टॉक		
(1) बॉक्साइट	3.74	18.12
(2) रसायन	159.30	91.48
(3) एल्यूमिनियम	276.97	12.68
तैयार माल के अंतिम स्टॉक का योग	**440.01**	**122.28**
तैयार माल में (अभिवृद्धि)/कमी	**(317.73)**	**20.93**
मध्यवर्ती उत्पाद		
प्रारंभिक स्टॉक		
एनोड	122.16	66.75
अन्य	18.97	10.99
मध्यवर्ती उत्पादों के प्रारंभिक स्टॉक का योग	**141.13**	**77.74**
घटाएं : अंतिम स्टॉक		
एनोड	136.37	122.16
अन्य	16.67	18.97
मध्यवर्ती उत्पादों के अंतिम स्टॉक का योग	**153.04**	**141.13**
मध्यवर्ती उत्पादों में (अभिवृद्धि)/कमी	**(11.91)**	**(63.39)**
चल रहे कार्य		
प्रारंभिक स्टॉक	246.95	284.33
घटाएं : अंतिम स्टॉक	282.54	246.95
चल रहे कार्य में (अभिवृद्धि)/कमी	**(35.59)**	**37.38**
मालसूची में (अभिवृद्धि)/कमी का योग	**(365.23)**	**(5.08)**

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

31. कर्मचारी लाभ व्यय

राशि करोड़ ₹ में

			31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
(क)	बोनस सहित वेतन और मजदूरी		1,585.52	1,718.22
(ख)	भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान			
	1)	भविष्य निधि	129.45	102.91
	2)	उपदान	52.09	45.32
	3)	रोजगार उपरांत पेंशन योजना	114.00	95.59
(ग)	कर्मचारी कल्याण व्यय		113.01	110.24
कर्मचारी लाभ व्यय का योग			**1,994.07**	**2,072.28**

टिप्पणी:

31.क. कर्मचारी लाभ योजनाएँ

31.क.1 परिभाषित अंशदान योजनाएँ

क) **भविष्य निधि:** कंपनी एक अलग ट्रस्ट को, पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि में निश्चित अंशदान करती है जो निधियों को अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करती है। अंशदान पर, ट्रस्ट को भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार सदस्यों को न्यूनतम ब्याज दर अदा करना पड़ता है।

ख) **पेंशन निधि:** कंपनी पीएफआरडीए के ट्रस्टी बैंक को निश्चित अंशदान का भुगतान करती है, जो संबंधित कर्मचारी द्वारा निर्धारित अनुसार बीमाकर्ता के पास राशि को निवेश करता है। कंपनी की जिम्मेदारी केवल नियत अंशदान तक ही सीमित रहती है।

31.क.2 परिभाषित लाभ योजनाएँ

क) **उपदान:** उपदान के भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत कर्मचारियों को अधिकतम ₹20,00,000/- के अधीन उपदान का भुगतान किया जाता है। उपदान योजना का वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है एवं एक अलग ट्रस्ट द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। योजना के तहत उपदान के लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

ख) **सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभः** ये लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके पति/पत्नी को उपलब्ध है जिन्होंने इस लाभ का विकल्प लिया है। अंतरंग रोगी के रूप में चिकित्सा उपचार कंपनी के अस्पताल/सरकारी अस्पताल/अस्पतालों से कंपनी के नियमानुसार प्राप्त किया जा सकता है। वे कंपनी द्वारा निर्धारित उच्चतम व्यय सीमा के अधीन बहिः रोगी के तौर पर भी चिकित्सा लाभ ले सकते हैं। योजना के अधीन देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

ग) **बंदोबस्ती लाभ:** सेवानिवर्त्तन/सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्त किए जाने पर, यदि योजना के विकल्प लिए हैं, तो यात्रा भत्ता का अंतर, अंतिम मुख्यालय से होमटाउन या होमटाउन से दूरी के अधीन किसी अन्य बंदोबस्ती स्थान के लिए कर्मचारियों और/या परिवार को देय होता है। व्यक्तिगत परिवहन भी स्वीकार्य होगा। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

घ) **नालको हितकारी निधि योजनाः** कंपनी की सेवा में रहने के दौरान दिवंगत हो चुके योजना के सदस्यों के परिवार को वित्तीय सहयोग प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। योजना के अनुसार, कंपनी की सेवा में रहने के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु होने पर ₹ 30 प्रति सदस्य प्रति मृत्यु की दर पर अंशदान किया जाएगा एवं कंपनी द्वारा समरूप राशि प्रदान की जाएगी। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

ङ) **नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजनाः** कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्ति हुए कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपरांत सहयोग के लिए सद्भाव के प्रतीक स्वरूप वित्तीय सहयोग प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। योजना के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी सदस्य से वसूली ₹ 10/- प्रति सेवानिवृत्त सदस्य होगी। कंपनी समरूप अंशदान के लिए उतनी ही राशि प्रदान करेगी। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

च) **सेवानिवर्त्तन उपहार योजनाः** कंपनी की सेवाओं से चिकित्सा आधार पर सेवानिवर्त्तन या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की स्वीकृति इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना में सेवानिवृत होने वाले प्रत्येक कर्मचारी को ₹ 25000/- मूल्य का उपहार शामिल है जो कि सेवानिवर्त्तन/सेवानिवृत्ति पर प्रदान किया जाएगा। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

31.क.3 अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

क) **क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँः** संचित अर्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश और बीमारी अवकाश अलग होने पर, कंपनी के अवकाश नियमों में निर्धारित अनुसार सर्वाधिक अनुमत सीमा के अधीन देय है। सेवा अवधि के दौरान, संचित अवकाश का नकदीकरण भी कंपनी के नियमानुसार अनुमेय है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

ख) **लम्बी सेवा का पुरस्कारः** जो कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा पूरी करते हैं, वे लम्बी सेवा का पुरस्कार पाने के अधिकारी होते हैं जो एक महीने के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के बराबर होता है। इस देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

ग) **एनईएफएफएआरएसः** अशक्तता/मृत्यु के मामले में, योजना के अधीन निर्दिष्टानुसार निर्धारित राशि के जमा पर, कंपनी कर्मचारी/नामित को उनके विकल्प के अनुसार वैचारिक सेवानिवर्तन की तारीख तक मासिक लाभ का भुगतान करती है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

कर्मचारी लाभ योजनाएँ कंपनी को विशिष्ट रूप से बीमांकिक जोखिमों जैसे कि बीमांकिक जोखिम, निवेश जोखिम, ब्याज जोखिम, दीर्घायु जोखिम और वेतन जोखिम के सम्मुख ले आती हैं:-

i. **बीमांकिक जोखिमः** यह एक ऐसा जोखिम है जिसके कर्मचारी लाभ अपेक्षा से अधिक होंगे। यह निम्नलिखित किसी भी एक कारण से हो सकता है:

   क. **प्रतिकूल वेतन वृद्धि अनुभवः** अनुमानित वेतन वृद्धि की तुलना में ज्यादा परिमाण में वेतन बढ़ोतरी से अपेक्षा से अधिक उच्च दर पर दायित्व में वृद्धि आएगी।

   ख. **मृत्यु दर में विविधता :** अनुमानित मृत्यु दर आकलन से यदि वास्तविक मृत्यु दर अधिक होती है, तो अपेक्षा से पहले ही उपदान लाभ का भुगतान किया जाएगा। चूंकि मृत्यु लाभ पर प्रदान करने की कोई शर्तें नहीं है, नकद प्रवाह में वृद्धि आने से बीमांकिक हानि या लाभ की स्थिति बनेगी जो कि अनुमानित वेतन वृद्धि और छूट दर के संबंधित मूल्यों पर निर्भर है।

   ग. **आहरण दरों में विविधताः** यदि अनुमानित आहरण दर आकलन की तुलना में वास्तविक आहरण दर अधिक रहती है, तो उपदान लाभ का भुगतान अपेक्षित समय से पूर्व किया जाएगा। इसका प्रभाव इस तथ्य पर निर्भर करेगा कि क्या लाभ पद त्याग की तारीख को प्रदान किया गया है।

ii. **निवेश जोखिमः** परिसंपत्तियों के प्रबंधन हेतु बीमाकर्ताओं पर निर्भर रहनेवाली निधिबद्ध योजनाओं के लिए, बीमाकर्ता द्वारा प्रमाणित परिसंपत्तियों का मूल्य देयता के समर्थन में प्रपत्रों का सही मूल्य नहीं भी रह सकता है। ऐसे मामलों में, परिसंपत्तियों का वर्तमान मूल्य भावी छूट दर से स्वतंत्र होता है। इसके फलस्वरूप, यदि अन्तर-मूल्यांकन अवधि के दौरान छूट दर में उल्लेखनीय परिवर्तन होता है, तो निवल देयता या निधिबद्ध वस्तुस्थिति में भारी अस्थिरता आ सकती है।

iii. **ब्याज जोखिम:** परिभाषित लाभ देयता की गणना सरकारी ऋणपत्रों के आधार पर छूट दर पर की जाती है। यदि ऋणपत्र (बॉण्ड) के मूल्य में गिरावट आती है, तो परिभाषित लाभ देयता बढ़ जाएगी।

iv. **दीर्घायु जोखिमः** परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य का निर्धारण, सेवा के दौरान एवं उपरांत योजना भागीदारों की मृत्यु दर के सर्वोत्तम आकलन के संदर्भ में किया जाता है। योजना भागीदारों के प्रत्याशित जीवन काल में वृद्धि से योजना की देयता बढ़ेगी।

v. **वेतन जोखिमः** परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य का निर्धारण योजना भागीदारों के भावी वेतन के संदर्भ में किया जाता है। ऐसे में योजना भागीदारों के वेतन में वृद्धि से योजना की देयता बढ़ेगी।

बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य हेतु प्रयुक्त मुख्य आकलन निम्नानुसार हैं :

	मूल्यांकन	
	31.03.2020	31.03.2019
छूट दर(रों)	6.50%	7.50%
वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर(रों)	8%	8%
मृत्युदर	आईएएलएम 2006-2008 अल्टीमेट	आईएएलएम 2006-2008 अल्टीमेट
अपघर्षण दर	1%	1%

राशि करोड़ ₹ में

इन परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत राशियाँ निम्नानुसार हैं :

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्यः		
— चालू सेवा मूल्य	(54.67)	(48.58)
— समझौतों से विगत सेवा लागत एवं (लाभ)/हानि	12.19	6.21
— शुद्ध ब्याज व्यय	(11.97)	(29.38)
लाभ या हानि में स्वीकृत परिभाषित लाभ मूल्यों के घटक	**(54.45)**	**(71.75)**
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता का पुनः मापन :		
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता पर प्रतिफल	5.12	(10.98)
वित्तीय आकलनों में हुए परिवर्तनों से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(45.79)	(17.24)
अनुभव आकलनों से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	23.08	28.28
अन्य	—	—
परिभाषित लाभ संपत्ति पर प्रतिबंधों के लिए समायोजन	—	—
अन्य विशद आय में स्वीकृत परिभाषित लाभ मूल्यों के घटक	**(17.59)**	**0.06**
कुल	**(72.04)**	**(71.69)**

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

31. कर्मचारी लाभ व्यय (जारी)

परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में संस्था के दायित्व के फलस्वरूप उत्पन्न तुलन पत्र में सम्मिलित राशि निम्नानुसार है : राशि करोड़ ₹ में

	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	बंदोबस्ती लाभ	नालको हितकारी निधि योजना	नालको सेवा निवृत्ति कल्याण योजना	सेवा निवर्त्तन उपहार योजना	उपदान (निधिबद्ध)
31 मार्च, 2019						
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	(123.43)	(22.42)	(3.04)	(11.90)	(6.93)	(604.90)
योजना परिसंपत्तियों का सही मूल्य	—					547.80
परिभाषित लाभ दायित्वों के फलस्वरूप उत्पन्न शुद्ध देयता	**(123.43)**	**(22.42)**	**(3.04)**	**(11.90)**	**(6.93)**	**(57.10)**
31 मार्च, 2020						
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	(140.42)	(20.59)	(2.99)	(12.52)	(7.26)	(632.24)
योजना परिसंपत्तियों का सही मूल्य	—					576.26
परिभाषित लाभ दायित्वों के फलस्वरूप उत्पन्न शुद्ध देयता	**(140.42)**	**(20.59)**	**(2.99)**	**(12.52)**	**(7.26)**	**(55.98)**

परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में संचलन निम्नानुसार है :

	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	बंदोबस्ती लाभ	नालको हितकारी निधि योजना	नालको सेवा निवृत्ति कल्याण योजना	सेवा निवर्त्तन उपहार योजना	उपदान (निधिबद्ध)
01 अप्रैल, 2018 को प्रारंभिक परिभाषित लाभ दायित्व	**(126.52)**	**(2.27)**	**(3.62)**	**(13.64)**	**(7.08)**	**(573.53)**
चालू सेवा मूल्य	—	(3.35)	—	—	—	(45.23)
ब्याज मूल्य	(9.29)	(0.15)	(0.25)	(0.96)	(0.50)	(40.96)
पुनःमापन						
जनांकिक आकलनों में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	—	—	—	—		—
वित्तीय आकलनों में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	—	—		—	—	(17.24)
अनुभव आकलनों के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	7.07	2.96	0.27	0.96	(0.16)	17.18
कटौती पर हानि / (लाभ) समेत विगत सेवा लागत	—	(20.16)	—	—		—
समझौतों के अनुसार समाप्त देयताएँ	—	—	—	—		—
किसी व्यवसाय संयोजन में ग्रहीत देयताएँ	—	—	—	—		—
विदेशी योजनाओं पर विनिमय अंतर	—	—	—	—		
लाभ भुगतान किया गया	5.31	0.55	0.56	1.74	0.81	54.88
अन्य	—	—				
31 मार्च, 2019 को अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	**(123.43)**	**(22.42)**	**(3.04)**	**(11.90)**	**(6.93)**	**(604.90)**

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

31. कर्मचारी लाभ व्यय (जारी)

राशि करोड़ ₹ में

	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	बंदोबस्ती लाभ	नालको हितकारी निधि योजना	नालको सेवा निवृत्ति कल्याण योजना	सेवा निवर्त्तन उपहार योजना	उपदान (निधिबद्ध)
चालू सेवा मूल्य	—	(3.55)	—	—	—	(51.12)
ब्याज मूल्य	(7.82)	(1.38)	(0.18)	(0.72)	(0.42)	(37.05)
पुनःमापन	—	—	—	—	—	—
जनांकिक आकलनों में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	—	—	—	—	—	—
वित्तीय आकलनों में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(3.97)	(1.10)	(0.12)	(0.60)	(0.48)	(39.52)
अनुभव आकलनों के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(11.43)	5.35	(0.11)	(1.06)	(0.32)	30.65
कटौती पर हानि/(लाभ) सहित विगत सेवा मूल्य	—	—	—	—	—	—
समझौतों के रूप में समाप्त हो चुकी देयताएँ	—	—	—	—	—	—
किसी व्यवसाय संयोजन में ग्रहीत देयताएँ	—	—	—	—	—	—
विदेशी योजनाओं पर विनिमय अंतर	—	—	—	—	—	—
प्रदत्त लाभ	6.23	2.51	0.46	1.76	0.89	69.70
अन्य	—	—	—	—	—	—
31 मार्च, 2020 को अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	(140.42)	(20.59)	(2.99)	(12.52)	(7.26)	(677.47)

योजना परिसंपत्तियों के सही मूल्य में संचलन निम्नानुसार हैं :	उपदान (निधिबद्ध)
01 अप्रैल, 2018 को योजना परिसंपत्तियों का प्रारंभिक सही मूल्य	302.48
ब्याज आय	22.73
पुनःमापन	
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज आय में सम्मिलित राशि छोड़कर)	(10.98)
अन्य	0.59
नियोक्ता से अंशदान	287.86
प्रदत्त लाभ	(54.88)
31 मार्च, 2019 को योजना परिसंपत्तियों का अंतिम सही मूल्य	547.80
ब्याज आय	35.60
पुनःमापन	
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज आय में सम्मिलित राशि छोड़कर)	5.12
अन्य	(0.05)
नियोक्ता से अंशदान	57.49
योजना भागीदार से अंशदान	—
समझौतों पर वितरित परिसंपत्तियाँ	—
किसी व्यवसाय संयोजन में अर्जित परिसंपत्तियाँ	—
विदेशी योजनाओं पर विनिमय अंतर	—
प्रदत्त लाभ	(69.70)
अन्य	—
31 मार्च, 2020 को योजना परिसंपत्तियों का अंतिम सही मूल्य	576.26

प्रत्येक श्रेणी के लिए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का सही मूल्य निम्नानुसार है :

	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य निम्नानुसार है	
	31.03.2020	31.03.2019
निधियों में निवेशः		
1. बीमा कंपनियाँ	576.26	547.80
योग	576.26	547.80

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

31 कर्मचारी लाभ व्यय (जारी)

31.ग. परिभाषित लाभ योजनाओं का संवेदनशीलता विश्लेषण

परिभाषित लाभ योजना के निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण बीमांकिक आकलन हैं छूट दर, अपेक्षित वेतन वृद्धि, संघर्षण दर एवं मृत्यु दर। सभी अन्य आकलनों को स्थिर रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में घटित संबंधित आकलनों के यथा संगत संभावी परिवर्तनों के आधार पर निम्न संवेदनशीलता विश्लेषण किया गया है।

संवेदनशीलता विश्लेषण

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ		बंदोबस्ती लाभ		नालको हितकारी निधि योजना	
2018-19	वृद्धि की माला	ह्रास की माला	वृद्धि की माला	ह्रास की माला	वृद्धि की माला	ह्रास की माला
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	3.57	3.64	0.65	0.66	0.08	0.08
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.89%	2.95%	2.89%	2.95%	2.71%	2.76%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	—	—	—	—	—	—
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	—	—	—	—	—	—
	0.15	0.15	0	0	—	—
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.15%	0.15%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	0.57	0.57	0.10	0.10	0	0
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.46%	0.46%	0.46%	0.46%	0.26%	0.26%

विवरण	नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना		सेवा निवर्त्तन उपहार योजना		उपदान (निधिवद्ध)	
2018-19	वृद्धि की माला	ह्रास की माला	वृद्धि की माला	ह्रास की माला	वृद्धि की माला	ह्रास की माला
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	0.32	0.33	0.19	0.19	20.06	18.84
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.71%	2.76%	2.71%	2.76%	3.32%	3.11%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	-	-	-	-	3.22	3.67
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	-	-	-	-	0.53%	0.61%
ह्रास दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	0.02	0.02	0.01	0.01	0.10	0.10
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.02%	0.02%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	0.03	0.03	0.02	0.02	0.63	0.63
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.10%	0.10%

विवरण	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ		बंदोबस्ती लाभ		नालको हितकारी निधि योजना	
2019-20	वृद्धि की माला	ह्रास की माला	वृद्धि की माला	ह्रास की माला	वृद्धि की माला	ह्रास की माला
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	4.25	5.19	0.60	0.61	0.08	0.08
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	3.03%	3.70%	2.89%	2.95%	2.71%	2.76%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	—	—	—	—	0.07	0.07
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	—	—	—	—	2.42%	2.37%
ह्रास दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	—	—	0.02	0.02	—	—
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.00%	0.00%	0.12%	0.12%	0.15%	0.15%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	0.04	0.04	0.09	0.09	0	0
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.03%	0.03%	0.46%	0.46%	0.26%	0.26%

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

संवेदनशीलता विश्लेषण (जारी)

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना		सेवा निवर्त्तन उपहार योजना		उपदान (निधिवद्ध)	
2019-20	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	0.34	0.35	0.20	0.20	21.02	19.70
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.71%	2.76%	2.71%	2.76%	3.32%	3.12%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	0.30	0.30	0.18	0.17	3.66	3.24
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.42%	2.37%	2.42%	2.37%	0.58%	0.51%
ह्रास दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	0.02	0.02	0.01	0.01	0.21	0.21
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.03%	0.03%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	0.03	0.03	0.02	0.02	0.53	0.53
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.08%	0.08%

ऊपर प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तिवक परिवर्तन का प्रस्तुतीकरण नहीं भी रह सकता है, क्योंकि इसकी संभावना कम है कि एक-दूसरे से अलगाव पर आकलनों में परिवर्तन आ पाएगा क्योंकि कुछ आकलन परस्पर संबंधित हो सकते हैं।

इसके अलावा, उपर्युक्त संवेदनशीलता विश्लेषण को प्रस्तुत करते समय, परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य की गणना रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परियोजित एकक क्रेडिट विधि के प्रयोग से की गई है जो तुलन पत्र में स्वीकृत परिभाषित लाभ दायित्व देयता की गणना में प्रयोग की गई है।

संवेदनशीलता विश्लेषण को तैयार करने में प्रयुक्त विधियों एवं आकलनों में पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं है।

32. वित्त लागत

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
वित्त लागत		
क. पट्टे देयता पर ब्याज व्यय	3.98	—
ख. अन्य	1.76	2.38
कुल वित्त लागत	5.74	2.38

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

33. अन्य व्यय

राशि करोड़ ₹ में

			31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
(क)	भंडार और कलपुर्जों की खपत		356.12	365.52
(ख)	निम्न से संबंधित मरम्मत एवं रखरखाव			
	(1)	भवन	61.65	49.11
	(2)	मशीनरी	164.08	166.14
	(3)	अन्य	27.12	31.44
(ग)	अन्य निर्माणजनित व्यय			
	(1)	जल प्रभार	32.04	29.37
	(2)	रॉयल्टी	125.39	147.36
	(3)	जिला खनिज निधि एवं राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास को अंशदान	40.13	47.16
	(4)	सतत तकनीकी सहयोग व्यय	4.52	10.54
	(5)	अन्य	90.59	80.13
(घ)	माल भाड़ा एवं संचालन खर्च			
	(1)	आवक सामग्री (एल्यूमिना)	110.28	120.01
	(2)	जावक सामग्री	131.58	146.45
(ङ)	लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक एवं फुटकर व्यय			
	(i)	लेखापरीक्षक के रूप में	0.35	0.35
	(ii)	कराधान विषयवस्तुओं के लिए	0.07	0.06
	(iii)	अन्य सेवाओं के लिए	0.34	0.29
	(iv)	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.15	0.20
(च)	लागत लेखापरीक्षकों को भुगतान		0.04	0.03
(छ)	सुरक्षा एवं अग्निशमन व्यय		180.71	133.90
(ज)	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय [टिप्पणी 33.1 का संदर्भ लें]		39.71	30.35
(झ)	प्रशासिनक एवं सामान्य व्यय		124.14	118.86
(ञ)	नवीकरणीय क्रय दायित्व		114.11	55.22
(ट)	विवादित सरकारी देय एवं अन्य के लिए प्रावधान		0.01	0.05
(ठ)	विक्रय एवं वितरण व्यय		25.17	23.01
(ड)	मालसूची, दावे आदि का बट्टे खाते में डालना		15.64	12.52
(ढ)	डूबंत एवं संदिग्ध प्रावधान (पुनरांकन)		(1.35)	(3.51)
(ण)	अन्य		44.10	128.23
कुल अन्य व्यय			**1,686.69**	**1,692.79**

टिप्पणी:

33.1 निगमित सामाजिक दायित्व पर व्यय :

क) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की गई सकल राशि ₹37.38 करोड़ है (31 मार्च, 2019 ₹27.38 करोड़)

ख) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि

i) परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य)
ii) उपर्युक्त (i) के अलावा अन्य प्रयोजन पर	₹ 39.71 करोड़ ((पिछले वर्ष ₹30.35 करोड़)
कुल	₹ 39.71 करोड़ ((पिछले वर्ष ₹30.35 करोड़)

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

34. आय कर

राशि करोड़ ₹ में

34.1 लाभ या हानि में स्वीकृत आय कर	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
चालू कर		
चालू वर्ष के संबंध में	152.27	998.36
पूर्व वर्षों के संबंध में	(0.87)	26.29
	151.40	1,024.65
आस्थगित कर		
चालू वर्ष के संबंध में	(63.39)	(17.13)
अन्य (एमएटी क्रेडिट अधिकार पत्र)	—	—
	(63.39)	(17.13)
चालू वर्ष में स्वीकृत आय कर व्यय का योग	88.01	1,007.52

वर्ष के लिए आय कर व्यय को लेखांकन लाभ में निम्नानुसार मिलान किया जा सकता है :

कर पूर्व लाभ	226.24	2,739.92
उस पर आय कर व्यय @ 34.944% :(पिछले वर्ष @34.944%) :	79.06	957.44
कर का प्रभाव -		
i) कराधान से मुक्त आय	(2.66)	(10.70)
ii) अस्वीकार योग्य व्यय (स्थायी अंतर)	13.97	13.23
iii) व्ययित व्यय से अतिरिक्त स्वीकार योग्य व्यय	(31.96)	(14.25)
iv) रियायत का प्रभाव (अनुसंधान एवं विकास और अन्य भत्ते)	(0.47)	—
v) दीर्घकालीन पूँजी लाभ के लिए अंतर	(0.04)	—
vi) पूर्व वर्षों से संबंधित समायोजन	(26.80)	26.29
vii) अन्य	56.91	35.51
लाभ या हानि में स्वीकृत आय कर व्यय	88.01	1,007.52

34.2 इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से स्वीकृत आय कर

चालू कर		
शेयरों की पुनर्खरीद लागत	—	(1.39)
इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से स्वीकृत आय कर	—	(1.39)

34.3 अन्य विशद आय में स्वीकृत आय कर

परिभाषित लाभ देयता के पुनः मापन लाभ या हानि पर कर		
— चालू कर	—	3.85
— आस्थगित कर	6.67	(4.06)
अन्य विशद आय में स्वीकृत कुल आय कर	6.67	(0.21)
अन्य विशद आय में स्वीकृत आय कर का विभाजन जिनमें है :		
मदें जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत की जाएंगी	—	—
मदें जो लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं की जाएंगी	6.67	(0.21)

34.4 अन्य विशद आय में स्वीकृत आयकर

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

35. खंड की सूचना

35.1 उत्पाद जिनसे रिपोर्ट योग्य खंड अपना राजस्व प्राप्त करते हैं

स्रोत आबंटन एवं खंड के कार्य प्रदर्शन के आकलन के प्रयोजन हेतु मुख्य प्रचालन निर्णय प्रस्तुतकर्ता (सीओडीएम) को रिपोर्ट की गई सूचना प्रेषित वस्तुओं के प्रकारों पर केन्द्रित है। कंपनी के निदेशकों ने उत्पादों में अंतर के इर्द-गिर्द कंपनी का व्यवस्थापन किया है। कंपनी में रिपोर्ट योग्य खंडों को प्राप्त करने में किसी भी रिपोर्टिंग खंड को एकीकृत नहीं किया गया है। विशेष रूप से, इण्ड एएस 108-प्रचालन खंडों के अन्तर्गत कंपनी का रिपोर्ट योग्य खंड निम्नानुसार है :

i) रसायन खंड

ii) एल्यूमिनियम खंड

कंपनी ने रसायनों और एल्यूमिनियम को दो प्रमुख प्रचालन व्यवसाय खंड माना है। रसायनों में निस्तप्त एल्यूमिना, एल्यूमिना हाईड्रेट एवं अन्य संबंधित उत्पाद शामिल हैं। एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम इन्गॉट्स, वायर रॉड्स, बिलेट्स, स्ट्रिप्स, रोल्ड और अन्य सम्बंधित उत्पाद शामिल हैं। एल्यूमिना के उत्पादन के लिए ग्रहीत खपत हेतु उत्पादित बॉक्साइट को रसायनों के अंतर्गत शामिल किया गया है एवं एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए ग्रहीत खपत हेतु उत्पादित विद्युत को एल्यूमिनियम खंड में शामिल किया गया है। मुख्यतः संभाव्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को उपयोग में लाने के लिए प्रारंभ किए गए पवन ऊर्जा संयंत्र को गैर-आबंटित सामान्य खंड में शामिल किया गया है।

35.2 खंड राजस्व एवं परिणाम

रिपोर्ट योग्य खंड द्वारा प्रचालनों से कंपनी के राजस्व एवं परिणामों का विश्लेषण निम्नवत है:

राशि करोड़ ₹ में

खंड राजस्व

प्रचालन खंड	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
रसायन खंड	4,248.29	5,680.07
एल्यूमिनियम खंड	5,466.37	6,875.72
अनाबंटित	42.63	173.95
प्रचालनों का योग	9,757.29	12,729.74
घटाएँ : अंतरखंड राजस्व	1,285.45	1,230.42
प्रचालनों से राजस्व	8,471.84	11,499.32

खंड परिणाम

प्रचालन खंड	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
रसायन खंड	554.26	1,819.81
एल्यूमिनियम खंड	(281.98)	778.38
अपवादिक मदें, ब्याज और कर से पूर्व खंड परिणाम	272.28	2,598.19
ब्याज और वित्त प्रभार	5.74	2.37
ब्याज और लाभांश आय	134.43	256.34
अनाबंटित व्यय को छोड़कर अन्य अनाबंटित आय	(174.73)	(112.24)
कर-पूर्व लाभ	226.24	2,739.92

35.3 खंड परिसंपत्तियाँ और देयताएँ

राशि करोड़ ₹ में

	खंड परिसंपत्तियाँ		खंड देयताएँ	
	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
रसायन खंड	4,399.65	4,040.88	2,246.24	1,806.17
एल्यूमिनियम खंड	6,014.16	5,579.21	941.34	1,337.01
खंड परिसंपत्तियों और देयताओं का योग	10,413.81	9,620.09	3,187.58	3,143.18
अनाबंटित	4,135.81	5,526.87	313.37	388.60
परिसंपत्तियों और देयताओं का योग	14,549.62	15,146.96	3,500.95	3,531.78

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

35.4 अन्य खंड की सूचना

राशि करोड़ ₹ में

	मूल्यह्रास एवं परिशोधन		गैर-चालू परिसंपत्तियों में संयोजन	
	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
रसायन खंड	216.70	180.03	322.21	250.77
एल्यूमिनियम खंड	250.52	236.18	59.61	53.23
अनाबंटित	62.61	59.89	63.74	137.94
प्रचालनों का योग	529.83	476.10	445.56	441.94

गैर-नकद व्यय वाली सामग्री

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
रसायन खंड	36.38	66.96
एल्यूमिनियम खंड	65.62	52.82
अनाबंटित	6.69	2.26
	108.69	122.04

राशि करोड़ ₹ में

35.5 प्रमुख उत्पादों से राजस्व

अपने प्रमुख उत्पादों एवं सेवाओं के निरंतर प्रचालन कार्यों से कंपनी के राजस्व का विश्लेषण निम्नवत् है :

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
रसायन खंड (हाईड्रेट एवं एल्यूमिना)	2,978.28	4,435.08
एल्यूमिनियम खंड (एल्यूमिनियम)	5,392.54	6,823.63
	8,370.82	11,258.71

35.6 भौगोलिक सूचना

राशि करोड़ ₹ में

कंपनी का प्रचालन मुख्यतया प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र - भारत (अधिवास देश) एवं देश के बाहर है

	बाह्य ग्राहकों से राजस्व		गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	
	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
भारत	4,859.90	6,466.00	9,991.82	9,546.26
भारत के बाहर	3,510.92	4,792.71	—	—
योग	8,370.82	11,258.71	9,991.82	9,546.26

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

36. प्रति शेयर आय

राशि करोड़ ₹ में

36.1 मूल आय प्रति शेयर (₹)	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
कुल प्रचालनों से	0.74	9.06
कुल मूल आय प्रति शेयर	**0.74**	**9.06**

36.2 मूल आय प्रति शेयर

राशि करोड़ ₹ में

मूल आय प्रति शेयर की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की आय एवं भारित औसत संख्या निम्नानुसार है :

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
कंपनी के मालिकों को आरोप्य वर्ष के लाभ	138.23	1,732.40
मूल आय प्रति शेयर की गणना में प्रयुक्त आय	**138.23**	**1,732.40**

	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
मूल आय प्रति शेयर की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़ में)	**186.56**	**191.17**

37. वित्तीय प्रपत्र

राशि करोड़ ₹ में

37.1 वित्तीय प्रपत्रों की श्रेणियाँ			31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
लाभ या हानि के माध्यम से सही मूल्य पर आकलित (एफवीटीपीएल)				
(क)	अनिवार्य रूप से आकलित :			
	(i)	म्यूच्युअल फंड में निवेश	55.01	80.81
	(ii)	विदेशी मुद्रा पर अग्रेषण संविदा	Nil	Nil
परिशोधित मूल्य पर आकलित				
(क)	नकद एवं बैंक शेष		18.47	171.60
(ख)	परिशोधित मूल्य पर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ		2,503.11	3,853.14
			2,576.59	**4,105.55**
वित्तीय देयताएँ				
परिशोधित मूल्य पर आकलित			**1,282.48**	**1,791.26**

37.2 वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य

अपने व्यवसाय के क्रम में, कंपनी को मुख्यतया विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, ब्याज दरों, इक्विटी मूल्यों, नकदीकरण एवं ऋण जोखिम की अस्थिरता से गुजरना पड़ा है, जिससे इनसे वित्तीय प्रपत्रों के सही मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कंपनी के पास एक जोखिम प्रबंधन नीति है जो न केवल विदेशी मुद्रा जोखिम को संरक्षित रखती है, बल्कि वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं से सम्बंधित अन्य जोखिमों जैसे कि ब्याज दर जोखिम एवं ऋण जोखिमों को भी सुरक्षा प्रदान करती है।

कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति के उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ ये सभी सुनिश्चित करते हैं:

i) वित्तीय स्थायित्व के साथ धारणीय व्यवसाय वृद्धि ;

ii) जोखिम प्रबंधन संगठन संरचना समेत रणनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप कंपनी की जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के लिए एक रणनीतिक ढाँचा प्रदान करना;

iii) यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के सभी भौतिक जोखिम घटक तुलन पत्र में एवं इससे इतर चिह्नित, आकलित परिमाणित किए जाए, यथा उपयुक्त न्यूनीकृत एवं व्यवस्थित किए जाए तथा

iv) प्रचालनों की प्रकृति, आकार एवं जटिलता की उपयुक्तता के तहत सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय कार्यपद्धतियों के ऐच्छिक अंगीकरण द्वारा कंपनी की ओर से उपयुक्त विनियमनों, जहाँ भी प्रयोज्य पड़े, का अनुपालन सुनिश्चित करना।

जोखिम प्रबंधन नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई है। जोखिम प्रबंधन प्रणाली की प्रभावकारिता एवं कार्यान्वयन को मूल्यांकित करने के लिए आन्तरिक नियंत्रण टीम जिम्मेदार होगी। यह अपने जाँच परिणामों को लेखापरीक्षा समिति के समक्ष हर तिमाही को रखेगी। कंपनी के जोखिम प्रबंधन की सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए बोर्ड जिम्मेदार है। अतएव, बोर्ड अनुपालन एवं जोखिम प्रबंधन नीति एवं इसमें किसी संशोधन को अनुमोदित करेगा एवं इसका सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा।

37.3 बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वसूली योग्य सही मूल्य (आर्थिक मूल्य) में भावी अर्जन (विस्तार) में या भावी नकद प्रवाह में, कोई नुकसान का जोखिम है जो कि वित्तीय प्रपत्र के मूल्य में परिवर्तन से होता है। ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, नकदीकरण एवं अन्य बाजार दरों में हुए परिवर्तन से वित्तीय प्रपत्र के मूल्य में परिवर्तन आ सकता है। बिक्री प्रक्रियाओं एवं उठायी गई निधियों एवं ऋण-चुकौती/पूर्वचुकौती

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

के फलस्वरूप नकद प्रवाह की विसंगति से कंपनी नकदीकरण जोखिम के भी अधीन रहती है। बाजार के भावी विशिष्ट संचलनों का साधारणतया यथा उपयुक्त सटीकता के साथ अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

37.4 विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

विदेशी मुद्रा जोखिम विदेशी मुद्रा लेनदेनों पर विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के प्रभाव से उत्पन्न होता है। विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन से कंपनी की आय को सुरक्षित रखना ही मुद्रा जोखिम प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। कंपनी की नीति किसी भी प्रकार की मुद्रा सट्टेबाजी से संरक्षित रखती है। मुद्रा घटकों की यह सुरक्षा समरूप मुद्रा की क्षतिपूरक या समतुल्य परिसंपत्तियों एवं देयताओं के माध्यम से प्राकृतिक रूप से या इसकी अनुपस्थिति में, प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ लेनदेन किए गए अनुमोदित व्युत्पन्न प्रपत्रों के प्रयोग के माध्यम से प्रभावित होगी। मुद्रा जोखिम का निर्धारण, कंपनी की प्रचालन मुद्रा अर्थात आईएनआर की तुलना में सम्बंधित मुद्राओं में खुली परिस्थितियों के तहत किया जाता है। मुद्रा असंगति के कारण आए अंतर का पता लगाने के लिए मुद्रा अंतर विवरण तैयार किया जाएगा।

विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव का प्रभाव आय विवरण एवं इक्विटी पर पड़ सकता है, जहाँ एक से अधिक मुद्रा में लेनदेन का संदर्भ मिलता है या संबंधित समेकित संस्थाओं की कार्यात्मक मुद्रा की बजाए किसी मुद्रा में परिसंपत्तियाँ/देयताएँ मूल्य अंकित हुई हैं।

कंपनी विदेशी मुद्रा के मूल्य में लेनदेन करती है, फलस्वरूप विनिमय दर के उतार-चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न होती है। अग्रेषित विदेशी विनिमय संविदाओं का उपयोग करते हुए अनुमोदित नीति मानकों के तहत विनिमय दर संचालित होती हैं।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी की विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक परिसंपत्तियों और मौद्रिक देयताओं की वहन राशि निम्नानुसार है:-

	देयताएँ		परिसंपत्तियाँ	
	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
यूएसडी	0.07	0.81	100.42	241.69
यूरो	0.47	15.34	0.50	—

37.4.1 विदेशी मुद्रा का संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी विनिमय दर जोखिमों में अपनी उपस्थिति के आकलन द्वारा विदेशी विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के प्रभाव का मूल्यांकन करती है। अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियों के अनुसार व्युत्पन्न वित्तीय प्रपत्रों का उपयोग करते हुए इन जोखिमों के आंशिक हिस्से को सुरक्षा प्रदान करती है।

प्रत्येक मुद्रा के लिए विदेशी विनिमय दर की सूक्ष्मग्राहिता का निर्धारण किसी मुद्रा के निवल विदेशी विनिमय दर की उपस्थिति और साथ ही प्रत्येक मुद्रा की विदेशी विनिमय दरों में समानान्तर विदेशी विनिमय दरों में 10% परिवर्तन के एकीकरण द्वारा किया जाता है।

प्रासंगिक तुलन पत्र की तिथियों को सकल विद्यामानता के आधार पर निम्नलिखित विश्लेषण किया गया है, जो आय विवरण को प्रभावित कर सकता है। समेकित विदेशी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के रुपान्तरण के कारण आय विवरण में इसकी कोई विद्यमानता नहीं है।

निम्नलिखित तालिका 31 मार्च, 2020 एवं 31 मार्च, 2019 के अनुसार विदेशी मुद्रा प्रभावन से संबंधित सूचना प्रस्तुत करती है:

	यूएसडी का प्रभाव		यूरो का प्रभाव	
	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
वर्ष के लिए लाभ या हानि पर प्रभाव	10.0	24.1	0.00	1.53

37.5 अन्य मूल्य जोखिम

37.5.1 इक्विटी मूल्य का संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी इक्विटी प्रपत्रों के फलस्वरूप उत्पन्न इक्विटी मूल्य जोखिम के दायरे में नहीं है क्योंकि सारे इक्विटी निवेश व्यवसाय उद्देश्यों की बजाय रणनीतिक प्रयोजन से धारित है।

37.6 ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम वह वित्तीय हानि जोखिम है जो अनुबंधित शर्तों या दायित्वों के अनुसार प्रतिपक्ष द्वारा ऋण को चुकाने में अनुत्तीर्ण रहने से उत्पन्न होता है। ऋण जोखिम में चूक स्वरूप प्रत्यक्ष जोखिम एवं ऋण पात्रता के क्षीण होने से संबंधित जोखिम और साथ ही संकेन्द्रण जोखिम शामिल है। ग्राहक से अग्रिम संग्रह होने के कारण कोई महत्वपूर्ण ऋण विद्यमानता नहीं है।

वित्तीय प्रपत्र जो ऋण जोखिम के संकेन्द्रण के अधीन हैं, उनमें मुख्यतया ऋण एवं प्राप्य, व्यापार प्राप्य, ऋण एवं अग्रिम और व्युत्पन्न वित्तीय प्रपत्रों के रूप में वर्गीकृत निवेश संलग्न है। कंपनी के किसी भी वित्तीय प्रपत्र से ऋण जोखिम का भौतिक संकेन्द्रण नहीं हुआ है।

37.7 नकदीकरण जोखिम प्रबंधन

नकदीकरण जोखिम का तात्पर्य उस जोखिम से है जिससे कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा नहीं कर सकती है। नकदीकरण जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य है पर्याप्त नकदीकरण को बनाये रखना एवं यह सुनिश्चित करना कि आवश्यकता के अनुसार उपयोग के लिए निधि उपलब्ध हैं।

कंपनी की अल्पमियादी, मध्यावधि एवं दीर्घमियादी निधि संबंधी नकदीकरण प्रबंधन आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए कंपनी ने एक उपयुक्त नकदीकरण जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित किया है। पूर्वानुमानी एवं वास्तविक नकद प्रवाह पर निरंतर निगरानी रखते हुए एवं वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के परिपक्वता स्वरूप को मिलाते हुए कंपनी पर्याप्त आरक्षित निधि एवं बैंकिंग सुविधाओं के व्यवस्थापन द्वारा नकदीकरण जोखिम का प्रबंध करती है।

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

38. संबंधित पक्ष के प्रकटीकरण

38.1 संबंधित पक्ष

क. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकः

I) पूर्णकालिक निदेशकगणः

(क)	श्री एस पात्र	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक [17.12.2019 से प्रभावी]*
(ख)	श्री व्ही बालसुब्रमण्यम	निदेशक (उत्पादन) एवं निदेशक (वित्त)-अतिरिक्त प्रभार#
(ग)	श्री एस के रॉय	निदेशक (परि. एवं तक.)
(घ)	श्री पी के मिश्र	निदेशक (वाणिज्य)
(ङ)	श्री आर एस महापात्र	निदेशक (मा.सं.) [01.01.2020 से प्रभावी]
(च)	डॉ. टी के चान्द	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक [30.11.2019 तक]
(छ)	श्री बी के ठाकुर	निदेशक (मा.सं.) [31.12.2019 तक]

* श्री श्रीधर पात्र 01.09.2018 से कंपनी के निदेशक(वित्त) थे। 30.11.2019 को डॉ. टी के चान्द, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के सेवा निवर्तन के फलस्वरूप 01.12.2019 से उन्हें अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। तत्पश्चात, उन्होंने 17.12.2019 से अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का प्रभार ग्रहण किया।

\# 10.01.2020 से निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

अन्य

श्री एन के महान्ति — कंपनी सचिव

II) अंशकालिक सरकारी निदेशकगणः (भारत सरकार द्वारा नामित):

(क) डॉ. के राजेश्वर राव, आईएएस
(ख) श्री अनिल कुमार नायक, आईओएफएस

III) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकगणः

(क) श्री एन एन शर्मा
(ख) श्रीमती अचला सिन्हा
(ग) श्रीमती किरण घई सिन्हा [02.02.2020 तक]
(घ) श्री दीपंकर महन्त [20.11.2019 तक]
(ङ) श्री एस शंकररमण [20.11.2019 तक]
(च) श्री महेश्वर साहु [20.11.2019 तक]
(छ) प्रो. दामोदर आचार्य [20.11.2019 तक]
(ज) श्री पी के नायक [20.11.2019 तक]

ख. संयुक्त उद्यम एवं सहयोगी

(क) अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि.
(ख) जीएसीएल नालको अल्कालीज़ एण्ड केमिकल्स लि.
(ग) उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड
(घ) खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड

ग. रोजगार उपरांत लाभ योजना

(क) नालको कर्मचारी भविष्य निधि न्यास
(ख) नालको कर्मचारी समूह उपदान न्यास

घ. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में (क) चिह्नित व्यक्ति द्वारा नियंत्रित संस्था

(क) नालको फाउंडेशन

ङ. सरकार जिनके पास नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव है :

(क) भारत सरकार

च. संस्थाएँ जिन पर भारत सरकार का नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव है (सीपीएसई)

वर्ष के दौरान निम्नलिखित सीपीएसई के साथ कंपनी का प्रमुख व्यावसायिक लेनदेन है।.

i) वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय

1	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	2	पूर्व तट रेलवे
3	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि.	4	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.
5	गुजरात अल्कालीज़ एण्ड केमिकल्स लि.	6	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.
7	सेन्ट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स	8	नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड
9	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	10	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
11	वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड	12	सेन्ट्रल रेलवे
13	बीईएमएल लिमिटेड	14	ओरियंटल इंश्योरेंस कं. लि.
15	ब्रिज एण्ड रूफ कं. (इंडिया) लि.	16	डीज़ल लोकोमोटिव वर्क्स
17	बामर लॉरी एण्ड कं. लि.	18	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.
19	दक्षिण मध्य रेलवे	20	एग्जिक्यूटिव इंजीनियर, (यूकेपी) (वाट सी के लिए)
21	भारतीय जीवन बीमा निगम	22	मेकॉन लिमिटेड
23	सदर्न रेलवे	24	इंजीनियरिंग इंडिया लि.
25	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	26	राइट्स् लि.

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

ii) **वस्तुओं का विक्रय**
- क) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन (एनएसआईसी)
- ख) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.
- ग) राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.
- घ) नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लि.
- ङ) मिश्र धातु निगम लि.

38.2 संबंधित पक्ष के लेनदेन

I. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक — राशि करोड़ ₹ में

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
अल्पकालिक कर्मचारी लाभ		
— वेतन	4.36	3.79
— भविष्य निधि में अंशदान	0.25	0.24
— चिकित्सा लाभ	0.01	0.01
— अन्य लाभ	0.03	0.03
रोजगार उपरांत लाभ #	(0.09)	(0.09)
अन्य दीर्घकालिक लाभ	0.10	0.09
कुल	**4.65**	**4.07**

चूँकि रोजगार-उपरांत लाभ एवं अन्य दीर्घकालिक लाभ के अंतर्गत कर्मचारी लाभ व्यय का बीमांकिक मूल्यांकन सभी कर्मचारियों के लिए समग्र आधार पर किया गया है, इसलिए प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए ये व्यय समानुपातिक आधार पर विवेचित हैं।

प्रमुख प्रबंथकीय कार्मिक से देय ऋण/अग्रिम — राशि करोड़ ₹ में

विवरण	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
वर्ष के अंत में बकाया	0.02	0.01
वर्ष के दौरान किसी भी समय सर्वाधिक देय राशि	0.03	0.01

II. संयुक्त उद्यम / सहयोगी कंपनियाँJoint Venture/Associate Companies

वर्ष के दौरान कंपनी ने सं.उ. (संयुक्त उद्यम) के साथ निम्नलिखित लेनदेन किया है — राशि करोड़ ₹ में

सं.उ./सहयोगी का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
जीएसीएल नालको अल्कालीज़ एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	इक्विटी अंशदान (राइट्स इश्यू)	80.47	58.20
उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड	इक्विटी अंशदान (प्रारंभिक अंशदान)	10.00	—
उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड	आवेदन राशि (राइट्स इश्यू)	10.00	—
खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड	इक्विटी अंशदान (प्रारंभिक अंशदान)	0.04	—
खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड	आवेदन राशि (राइट्स इश्यू)	0.96	—

रिपोर्टिंग दिन के अंत में शेष — राशि करोड़ ₹ में

सं.उ./सहयोगी का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि..	इक्विटी में निवेश	16.22	16.22
जीएसीएल नालको अल्कालीज़ एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	इक्विटी में निवेश	240	159.53

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

III. रोजगार उपरांत लाभ योजना

वर्ष के दौरान लेनदेन

राशि करोड़ ₹ में

ट्रस्ट का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
एनईपीएफ ट्रस्ट	पीएफ - अंशदान	431.10	333.12
एनईजीजी ट्रस्ट	निधि में कमी	57.35	270.75

वर्ष के अंत में बकाया शेष

राशि करोड़ ₹ में

ट्रस्ट का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
एनईपीएफ ट्रस्ट	पीएफ - अंशदान देय	27.37	26.59
एनईजीजी ट्रस्ट	देय निधि में कमी	55.98	57.40

IV. नालको फाउंडेशन

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
नि.सा.उ. ट्रस्ट में अंशदान	18.58	9.61

V. भारत सरकार : वर्ष के दौरान लेनदेन

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
शेयरों की पुनर्खरीद	—	260.70
वर्ष के दौरान लाभांश का भुगतान	265.38	545.92

VI. सीपीएसई/सरकारी उपक्रम - वर्ष के दौरान लेनदेन

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
सीपीएसई/सरकारी उपक्रम से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय	3,212.19	3,007.70
सीपीएसई एवं सरकारी उपक्रम को वस्तुओं की बिक्री	883.56	1,245.97

वर्ष के अंत में बकाया शेष

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
सीपीएसई/सरकारी उपक्रमों से वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय के लिए देय	26.51	137.78
सीपीएसई एवं सरकारी उपक्रम को वस्तुओं की बिक्री के लिए प्राप्य	—	—

39. पिछले वर्ष के आँकड़ों का पुनः वर्गीकरण

पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ कहीं भी अपेक्षित हो, उन्हें तुलनात्मक बनाने के लिए पुनः वर्गीकृत / पुनः व्यवस्थित किया गया है।

कृते पात्र एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 310100ई

(सीए अम्बिका प्रसाद महान्ति)
साझेदार
(सदस्यता सं.: 057820)

कृते जीएनएस एण्ड एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 318171ई

(सीए संतोष कुमार देहुरी)
साझेदार
(सदस्यता सं.: 053937)

स्थानः भुवनेश्वर
दिनांकः जून 26, 2020

एमसीए द्वारा अधिसूचित इंड एएस के अनुपालन की वस्तु-स्थितिः

इंड एएस	नामावली	विवरण
इंड एएस 1	वित्तीय विवरण का प्रस्तुतीकरण	— कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं एवं इंड एएस 1 में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसरण में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अधीन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किए गए हैं। — वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त मापन आधार एवं अपनायी गई लेखांकन नीतियों को प्रकट किया गया है। — इंड एएस की अपेक्षानुसार जानकारी (संबंधित इंड एएस के तहत नीचे भी वर्णन किया गया है) जो वित्तीय विवरण में अन्यत्र प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, को इसकी टिप्पणियों में प्रकट किया गया है। वित्तीय विवरण की टिप्पणियाँ वो सूचना भी प्रदान करती हैं जो वित्तीय विवरण में कहीं अन्य प्रस्तुत नहीं की गई है परन्तु उनमें से किसी को भी समझने के लिए प्रासंगिक है।
इंड एएस 2	मानसूचियाँ	— मालसूचियों को मापने में ग्रहीत लेखांकन नीति के साथ प्रयुक्त लागत फॉर्मूला वित्तीय विवरण की टिप्पणी 3 में निर्दिष्ट महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 3.10 में प्रकट किया गया है। — मालसूचियों के वर्गीकरण एवं उनकी वहन राशि के संबंध में, प्रकटन व्यय के रूप में स्वीकृत मालसूची की राशि, व्यय के रूप में स्वीकृत मालसूचियाँ की कोई पुनरांकन राशि एवं गिरवी रखी गई मालसूची टिप्पणी 15 में किया गया है।
इंड एएस 7	नकद प्रवाह विवरण	— अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा, लाभ या हानि के द्वारा अप्रत्यक्ष विधि के इस्तेमाल से नकद प्रवाह विवरण का किसी गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन विगत या भावी प्रचालन नकद रसीद या भुगतान के किसी विलंबन या संचयन एवं नकद प्रवाहों में निवेश करने या वित्त प्रबंध करने से संबंधित आय या व्यय के मदों के प्रभाव के लिए समायोजन किया गया है। — नकद प्रवाह को प्रचालन, निवेशन एवं वित्त प्रबंधन गतिविधियों के रूप में पृथक किया गया है।
इंड एएस 8	लेखांकन नीतियाँ, लेखांकन आकलनों एवं त्रुटियों में परिवर्तन	— लेखांकन नीति में कोई भी परिवर्तन, अव्यवहार्य न होने की स्थिति में पूर्व-व्याप्ति के साथ प्रयोग किया गया है, पूर्व अवधि में प्रस्तुत इक्विटी के लिए प्रत्येक प्रभावी अवयव की प्रारंभिक शेष राशि एवं पूर्व में प्रस्तुत प्रत्येक अवधि के लिए प्रकट की गई अन्य तुलनात्मक राशि का समायोजन किया गया। — लेखांकन आकलन में कोई परिवर्तन जो परिसंपत्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन लाते हैं या इक्विटी के किसी मद से संबंध रखते है, को परिवर्तन की अवधि में संबंधित परिसंपत्ति, देयता या इक्विटी मद की वहन राशि के समायोजन द्वारा स्वीकृति दी गई है। — किसी पूर्व अवधि(यों) की त्रुटि का पता चलने पर, जिस पर अवधि के दौरान ₹50 करोड़ का प्रभाव है, के लिए मानक द्वारा निर्देशित अनुसार पूर्व व्याप्ति के साथ संशोधित किया गया है।
इंड एएस 10	रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएँ	— कंपनी ने रिपोर्टिंग अवधि के बाद समायोजित घटनाओं को प्रदर्शित करने के लिए, अपने वित्तीय विवरणों में राशियों को समायोजित किया है। — रिपोर्टिंग अवधि के बाद घोषित लाभांश अवधि के अंत में देयता के रूप में स्वीकृति नहीं दी गई है। तथापि, इस प्रभाव का उपयुक्त प्रकटन टिप्पणीः 18.4 में किया गया है।
इंड एएस 11	निर्माण अनुबंध	— ठेकेदारों के वित्तीय विवरणों को तैयार करने में यह मानक प्रयोज्य है जो निर्माण व्यवसाय में है। किसी परिसंपत्ति के निर्माण के लिए ठेकेदार नहीं रहने पर, इंड एएस 11 कंपनी को लागू नहीं है।
इंड एएस 12	आयकर	— कर व्यय और लेखांकन लाभ के बीच के संबंध को टिप्पणी 35 में कर व्यय एवं लागू कर दर से गुणा करते हुए लेखांकन लाभ के गुणन फल के बीच सांख्यिकी मिलान के माध्यम से वर्णन किया गया है। — अन्य विशद आय में एवं प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में स्वीकृत मदों से संबंधित वर्तमान कर एवं आस्थगित कर को क्रमशः अन्य विशद आय एवं इक्विटी में स्वीकृत किए गए हैं। प्रकटन टिप्पणी 35 में किया गया है।
इंड एएस 16	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	— प्रत्येक श्रेणी की संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए अनुरक्षित मापन आधार, उपयोगी जीवन एवं मूल्यह्रास विधि महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 3.4 में वर्णन किया गया है। — वर्ष के दौरान संयोजन, निपटान एवं मूल्यह्रास व्यय व्यक्त करने वाले प्रारंभिक वहन मूल्य एवं अंतिम वहन मूल्य के बीच के मिलान को टिप्पणी 5 में दिया गया है।
इंड एएस 19	कर्मचारी लाभ	— दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों को तीन प्रमुख शीर्ष अर्थात परिभाषित अंशदान योजनाओं, परिभाषित लाभ योजनाओं एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कर्मचारियों की भविष्य निधि एवं पेन्शन निधि में कंपनी ने अंशदान को परिभाषित अंशदान योजनाओं के रूप में स्वीकृति दी गई है जबकि सेवानिवर्त्तन पर उपदान, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ, बंदोबस्ती लाभ, नालको हितकारी निधि योजना, नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना को परिभाषित लाभ योजना के रूप में स्वीकृति दी गई है। क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ, लम्बी सेवा पुरस्कार एवं एन.ई.एफ.एफ.ए.आर.एस. के लिए भुगतान दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के रूप से स्वीकार किया गया है।

एमसीए द्वारा अधिसूचित इंड एएस के अनुपालन की वस्तु-स्थितिः

इंड एएस	नामावली	विवरण
इंड एएस 19	कर्मचारी लाभ	— परिभाषित लाभ योजनाओं एवं दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के बाबत कंपनी की देयता का बीमांकिक मूल्यांकन किया गया है एवं इसी अनुसार व्यय/आय की स्वीकृति दी गई है। — जनांकिक एवं वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन के कारण सेवा लागत, ब्याज व्यय/आय, लाभ या हानि का पुनःमापन दर्शानेवाले प्रत्येक परिभाषित लाभ देयताओं के लिए प्रारंभिक देयता एवं अंतिम देयता के बीच मिलान टिप्पणी 31.ख. में प्रकट किया गया है। — बीमांकिक धारणाओं का संवेदनशील विश्लेषण जो दर्शाता है कि किस प्रकार प्रासंगिक बीमांकिक धारणाओं के परिवर्तन द्वारा परिभाषित लाभ देयता प्रभावित हुआ है, को टिप्पणी 31.ग. में प्रकट किया गया है।
इंड एएस 20	सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन एवं सरकारी सहयोग का प्रकटन	— परिसंपत्तियों के लिए सरकार से प्राप्त अनुदान को आस्थगित आय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस विषय में लेखांकन नीति अनुच्छेद 3.15 में प्रकट की गई है।
इंड एएस 21	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तनों का प्रभाव	— विदेशी मुद्रा में किए गए लेनदेन के संबंध में लेखांकन नीतियों को महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 3.7 में प्रकट किया गया है।
इंड एएस 23	उधारी लागत	— कंपनी उधारी लागतों को पूँजीकृत करती है जो परिसंपत्ति की लागत के अंश के तौर पर अर्हता परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन पर प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य है। इस संबंध में प्रकटीकरण महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 3.14 में किया गया है।
इंड एएस 24	संबंधित पार्टी प्रकटन	— संबंधित पार्टियों के नाम, उनके साथ एकीकृत बिक्री एवं क्रय लेनदेन, उनके विरुद्ध कोई बकाया शेष एवं प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों को भुगतान किए गए लाभ एवं उनके विरुद्ध ऋण बकाया को टिप्पणी 39 में प्रकट किया गया है।
इंड एएस 27	पृथक वित्तीय विवरण	— संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों में किए गए निवेश को पृथक वित्तीय विवरणों में लागत पर प्रस्तुत किया गया है।
इंड एएस 28	सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यम में निवेश	— कंपनी इक्विटी विधि का इस्तेमाल करते हुए अपने समेकित वित्तीय विवरणों में निवेश की वहन राशि के साथ सहायक कंपनियों के लाभ या हानि में लाभ के अंश को समायोजित करती है।
इंड एएस 29	अति मुद्रास्फीति विषयक अर्थ व्यवस्था में वित्तीय रिपोर्टिंग	— यह मानक कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि इसकी कार्यात्मक मुद्रा किसी भी अति मुद्रास्फीति विषयक अर्थ-व्यवस्था की मुद्रा नहीं है।
इंड एएस 32	वित्तीय साधनों का प्रस्तुतीकरण	— परिसंपत्तियों एवं देयताओं के सभी मद मानक में निर्देशित परिभाषाओं के आधार पर वित्तीय एवं अन्य परिसंपत्तियों और देयताओं में पृथकीकृत किए गए हैं एवं अनुसूची III में अपेक्षानुसार प्रस्तुत किए गए हैं।
इंड एएस 33	प्रति शेयर आय	— कंपनी ने कोई संभावित इक्विटी शेयर जारी नहीं किया है। अतएव मूल एवं मंदित ईपीएस दोनों वही रहे। — ईपीएस की गणना में प्रयुक्त अवधि के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं आय के संबंध में प्रकटन टिप्पणी 37 में किया गया है।
इंड एएस 34	अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग	— एक सूचीबद्ध संस्था होने के कारण, कंपनी तिमाही आधार पर इस मानक में निर्देशित मान्यता एवं मापन सिद्धांतों के अनुसार सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अपेक्षानुसार अपने अंतरिम वित्तीय ब्यौरे तैयार करती है।
इंड एएस 36	परिसंपत्ति की क्षति	— विभिन्न परिसंपत्तियों की क्षति के संबंध में लेखांकन नीति महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में संबंधित अनुच्छेदों में प्रकट किया गया है। — प्रबंधन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को परिसंपत्ति के वहन मूल्यों की समीक्षा करता है एवं आकलन करता है कि क्या कोई ऐसा सूचक है कि मानक के अनुसार परिसंपत्ति की क्षति हो सकती है।
इंड एएस 37	प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं परिसंपत्तियाँ	— प्रावधान, आकस्मिक देयताओं एवं परिसंपत्तियों के संबंध में लेखांकन नीतियों को महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुच्छेद 3.8 में व्यक्त किया गया है। — विगत गतिविधियों, कानूनी या रचनात्मक के फलस्वरूप जब कंपनी के पास वर्तमान देयता है जिसके लिए देयता के निपटान हेतु संसाधनों के बहिःभाव की आवश्यकता है तब प्रावधान को स्वीकृति दी गई है एवं गतिविधि से पूरे जोखिमों एवं अनिश्चितताओं पर विचार करते हुए विश्वसनीय रूप से आकलित किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के प्रावधानों का संचलन टिप्पणी 22(ग) में प्रकट किया गया है। — अन्य देयताओं के मामले में, जो विगत गतिविधियों से उत्पन्न हुई है एवं जिनकी विद्यमानता एक या एक से अधिक अनिश्चित भावी गतिविधियों के घटने या न घटने, जो पूर्णरूप से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है, के द्वारा पुष्टि की जाएगी, आकस्मिक देयताओं को टिप्पणी 25 में प्रकट किया गया है एवं अनुसूची III की आवश्यकता के अनुपालन में है। — आकस्मिक परिसंपत्तियों को स्वीकृति नहीं दी गई है, परन्तु प्रकट की गई है, जहाँ आर्थिक लाभों के अन्तर्प्रवाह की संभावना है।

एमसीए द्वारा अधिसूचित इंड एएस के अनुपालन की वस्तु-स्थितिः

इंड एएस	नामावली	विवरण
इंड एएस 38	अमूर्त परिसंपत्ति	— इस संबंध में लेखांकन नीति महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुच्छेद 3.5 में उल्लेख की गई है। — कंपनी आर एवं डी गतिविधियों पर व्यय, एनपीवी बाबत भुगतान, समूह परियोजनाओं पर व्यय एवं सॉफ्टवेयर पर व्यय को स्वीकृति देती है जो अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में मानक में निर्देशित मान्यताओं के लिए शर्तों को पूरा करती है। — संयोजन, घटाव एवं परिशोधन को दर्शाने वाले अमूर्त परिसंपत्तियों की प्रारंभिक वहन राशि एवं अंतिम वहन राशि का मिलान टिप्पणी 7 में दिया गया है।
इंड एएस 40	निवेश संपत्ति	— कंपनी के पास कोई निवेश संपत्ति नहीं है, इसलिए यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 41	कृषि	— कंपनी के पास कोई कृषि गतिविधि नहीं है, इसलिए यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 101	भारतीय लेखांकन मानकों का पहली बार अभिग्रहण	— कंपनी ने वर्ष 2016-17 में इंड एएस को अपनाया है और इसलिए यह मानक लागू नहीं होता है।
इंड एएस 102	शेयर आधारित भुगतान	— वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेनदेन नहीं हुआ जिसमें शेयर-आधारित भुगतान है, अतएव यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 103	व्यवसाय संयोग	— यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 104	बीमा ठेके	— यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 105	विक्रय एवं विच्छिन्न प्रचालनों के लिए धारित गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	— कंपनी के पास कोई निपटान ग्रुप नहीं है, अतएव कोई प्रकटन नहीं किया गया है।
इंड एएस 106	खनिज संसाधनों के लिए अन्वेषण एवं मूल्यांकन	— कंपनी ने खनिज संसाधनों के अन्वेषण एवं मूल्यांकन पर कोई व्यय नहीं किया है, अतएव यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 107	वित्तीय प्रपत्रों का प्रकटन	— वित्तीय प्रपत्रों के वर्गीकरण, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों प्रपत्रों से उत्पन्न जोखिम की प्रकृति एवं विस्तार के संबंध में मानक द्वारा अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी 37 में किया गया है।
इंड एएस 108	प्रचालन खंड	— कंपनी ने अपने प्रचालन को दो खंडों अर्थात रसायन खंड एवं एल्यूमिनियम खंड में वर्गीकृत किया है जो मुख्य प्रचालन निर्णय प्रस्तुतकर्ता (सीओडीएम) के दृष्टिकोण पर आधारित है जो वे कंपनी के कार्य-प्रदर्शन की समीक्षा के लिए अपनाते हैं। — खंड राजस्व, परिणाम, परिसंपत्ति एवं देयताएँ, प्रमुख उत्पादों से राजस्व, भौगोलिक सूचनाएँ एवं अन्य खंड सूचनाएँ टिप्पणी 35 में प्रकट किए गए हैं।
इंड एएस 109	वित्तीय प्रपत्र	— म्युच्युअल फंड में निवेश एवं विदेशी मुद्रा पर अग्रेषण ठेका को छोड़कर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं को परिशोधित लागत पर पाया गया है एवं टिप्पणी 37 में प्रकट किये गए हैं।
इंड एएस 110	समेकित वित्तीय विवरण	— समेकित वित्तीय विवरण समेकन की इक्विटी विधि का अनुपालन करते हुए कंपनी के संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों पर विचार करते हुए तैयार किए गए हैं।
इंड एएस 111	संयुक्त व्यवस्थाएँ	— कंपनी संयुक्त रूप से नियंत्रित व्यवस्थाओं में अपने हित की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए मानक में निर्दिष्ट सिद्धांतों का पालन करती है।
इंड एएस 112	अन्य संस्थाओं में हित का प्रकटन	— कंपनी के पास दो संयुक्त उद्यम हैं जिसकी संक्षेप में प्रस्तुत वित्तीय सूचनाएँ एवं ब्याज की वहन राशि के साथ इसके मिलान टिप्पणी 9 में प्रकट किए गए हैं।
इंड एएस 113	सही मूल्य मापन	— कंपनी ने अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं को मापते समय मानक में निर्देशित अनुसार सही मूल्य मापन के सिद्धांतों को अपनाया है। — इस विषय में लेखांकन नीति महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 4.2.6 में प्रकट की गई है।
इंड एएस 114	नियामक स्थगन लेखें	— कंपनी किसी दर नियंत्रण के अधीन नहीं है, अतएव यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 115	ग्राहकों के साथ ठेके से राजस्व	— ग्राहकों के साथ ठेके के संबंध में अपनी सभी निष्पादन देयता के समापन पर कंपनी राजस्व को स्वीकृति देती है।
इंड एएस 116	पट्टे	— कंपनी उन सभी पट्टों को चिह्नित करती है, जिसमें कोई अनुबंध है, या पट्टा है, यदि यह अनुबंध के प्रारंभ में विचार आदान-प्रदान की समयावधि के लिए किसी चिह्नित परिसंपत्ति (अनुबंध में स्पष्ट या निहित रूप से निर्दिष्ट) के उपयोग के नियंत्रण अधिकार को वहन करता है। — कंपनी लागत पर "उपयोगाधिकार" आरओयू परिसंपत्ति को स्वीकृति देती है एवं सभी पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता को मापा जाता है।

वर्ष 2019-20 हेतु समेकित वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में, सदस्यगण
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने **नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड** (इसके बाद 'कंपनी' के रूप में संदर्भित) के समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र एवं उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि विवरण (अन्य विशद आय समेत), इक्विटी परिवर्तन का समेकित विवरण, नकद प्रवाह समेकित विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी समेत समेकित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणी (इसके बाद आगे "समेकित वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) शामिल हैं।

हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के तहत कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की अपेक्षानुसार उक्त समेकित वित्तीय विवरण अपेक्षित जानकारी देते हैं एवं भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों की समरूपता में, 31 मार्च, 2020 की स्थिति को कंपनी के मामलों की समेकित यथा स्थिति एवं इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके समेकित लाभ, कुल विशद आय, इसके समेकित नकद प्रवाह एवं इक्विटी में समेकित परिवर्तन का सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

हमारे अभिमत का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्दिष्ट लेखापरीक्षण पर मानकों (एसए) के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्वों में विस्तार से वर्णित है। भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता के साथ नीतिगत आवश्यकताओं जो अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन समेकित वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक है, के अनुसार हम कंपनी एवं इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं से स्वतंत्र हैं एवं हमने उन आवश्यकताओं एवं नैतिक संहिता के अनुसार हमारी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का पालन किया है। हमें विश्वास है कि हमें जो लेखा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

लेखापरीक्षा की प्रमुख विषयवस्तु

प्रमुख लेखापरीक्षा विषयवस्तुएँ वो विषयवस्तुएँ हैं जो हमारे पेशेवर विचार में, वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण रही थीं। इन विषयवस्तुओं का समग्र रूप में एवं इस पर हमारे राय व्यक्त करने में समेकित वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा परीक्षा की प्रासंगिकता में समाधान किया गया था एवं इन विषयवस्तुओं पर हम पृथक राय प्रदान नहीं करते हैं। वर्तमान वर्ष में लेखापरीक्षा की प्रमुख विषयवस्तुएँ जो हमने चिह्नित की हैं, वो निम्नानुसार हैं :

प्रमुख लेखापरीक्षा विषयवस्तु	हमारी लेखापरीक्षा में कैसे इन विषयवस्तुओं का निवारण किया गया
1. अमूर्त संपत्तियों एवं चल रहे पूंजी कार्य समेत संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का वहन मूल्य	
टिप्पणी 5क में प्रकट किए गए कुल ₹7,174.54 करोड़ (2018-19 : ₹ 7109.37) के संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, चल रहे पूंजी कार्य (टिप्पणी 6) ₹1177.16 करोड़ (2018-19 : ₹843.91 करोड़) एवं अमूर्त परिसंपत्तियाँ (टिप्पणी 7) कुल ₹310.23 करोड़ (2018-19 : ₹176.41 करोड़) वित्तीय स्थिति के विवरण में दर्ज किए गए महत्वपूर्ण शेष राशि को दर्शाते हैं। कंपनी ने टिप्पणी 3.4, 3.5 एवं 3.6 में संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, पूंजी कार्य प्रगति में एवं अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का वर्णन किया है। इन परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि के मूल्यांकन के लिए व्यवसाय के प्रत्याशित भावी नकद प्रवाह एवं प्रासंगिक परिसंपत्तियों की उपयोगिता को समर्थन देनेवाले प्रमुख धारणाओं के निर्धारण में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ प्रबंधन का निर्णय संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियों की वहन राशि एवं उनके मूल्यह्रास स्वरूप को प्रभावित करता है। इनमें पूंजीकरण या व्यय लागत; कंपनी की नीति में परिवर्तनों के प्रभाव समेत परिसंपत्ति के जीवन काल की समीक्षा; निर्माण के दौरान परिसंपत्तियों से अंतरण की समयसीमा पर निर्णय शामिल है।	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के साथ अमूर्त संपत्तियों एवं चल रहे पूंजी कार्य के वहन मूल्य से संबंधित हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल है: • हमने अवशिष्ट मूल्य एवं उपयोगी जीवनकाल के निर्धारण में प्रबंधन द्वारा की गई धारणाओं का मूल्यांकन किया है ताकि सुनिश्चित हो सके कि ये भारतीय लेखांक मानक (इंड एएस) 16 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और इंड एएस 38 अमूर्त परिसंपत्तियों के सिद्धांतों के अनुरूप हैं। • हमने प्रबंधन के निर्णय को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी जीवनकाल एवं अवशेष मूल्यों और प्रबंधन के तकनीकी आकलन के अनुसार कुछ परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल की तुलना के माध्यम से चुनौती देते हुए आकलन किया है कि क्या उपयोगी जीवनकाल एवं अवशेष मूल्य यथा संगत थे। • हमने पिछले वर्ष से वर्तमान वर्ष में प्रत्येक श्रेणी की परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल की तुलना की है ताकि यह निर्धारित कर सकें कि क्या परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन है एवं व्यवसाय और उद्योग की हमारी जानकारी के आधार पर परिवर्तनों की प्रासंगिकता पर विचार किया। • हमने आकलन किया है कि क्या कमजोरी के सूचक व्यवसाय एवं उद्योग की हमारी जानकारी के आधार पर 31 मार्च, 2020 को मौजूद थे; • हमने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण एवं अमूर्त परिसंपत्तियों की नियंत्रण व्यवस्था का परीक्षण किया, पूंजीकरण नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया, पूंजीकृत लागतों पर विवरण के परीक्षणों का निष्पादन किया एवं निर्माण के चरण में परिसंपत्तियों के अंतरण की समयसीमा एवं परिसंपत्तयों के जीवन काल के प्रयोग का आकलन किया। • इन विषयगत प्रक्रियाओं के निष्पादन में, हमने पूंजीकृत मूल लागत की प्रकृति, मूल्यह्रास एवं परिशोधन की गणना में प्रयुक्त परिसंपत्ति के जीवनकाल की उपयुक्तता; एवं कमजोरी के प्रसंग में यदि ज़रूरत पड़े, तो त्वरित मूल्यह्रास/परिशोधन के लिए आवश्यकता के आकलन समेत प्रबंधन द्वारा किए गए निर्णयों का अकलन किया है। उपर्युक्त कार्यप्रणाली के आधार पर, हमने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों के वहन मूल्य के निर्धारण में प्रबंधन के आकलन को प्रासंगिक पाया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा विषयवस्तु	हमारी लेखापरीक्षा में कैसे इन विषयवस्तुओं का निवारण किया गया
2. मालसूची का मूल्यांकन	
टिप्पणी 3.10 (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति) एवं टिप्पणी 15 (मालसूची) में वर्णित अनुसार कंपनी 31 मार्च, 2020 के अनुसार ₹1,696.90 करोड़ ((2018-19 : ₹1210.01 करोड़) की मालसूची वहन करती है। कंपनी अवधि के आधार पर अप्रचलन के लिए प्रावधान करती है जिसके लिए मद अचल के रूप में रहता है। यह कार्यविधि मालसूची अवशेषों पर लागू उपयुक्त प्रावधानीकरण के निर्धारण में की गई धारणाओं पर निर्भर है।	मालसूची के मूल्यांकन के संबंध में हमारी लेखा-परीक्षा कार्यप्रणाली में निम्नलिखित शामिल है: • मालसूची के मूल्यांकन के संबंध में हमें एक विस्तृत सहमति प्राप्त हुई है एवं कंपनी द्वारा स्थापित नियंत्रणों की रूपरेखा एवं कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया है। • एक एकक से दूसरे एकक में कच्चे सामान के रूप में प्रयोग किए जाने हेतु तैयार उत्पाद के अंतरण पर प्रबंधन के नियंत्रण की उपयुक्तता पर हमने आश्वासन प्राप्त किया है एवं उत्पादन प्रक्रिया की निरंतरता को बनाए रखने के लिए मानक स्तर की तुलना में वर्ष के अंत में प्रक्रियाधीन स्टॉक के वास्तविक स्तर का आकलन किया है एवं अस्वाभाविक मालसूची प्रयोग से जुड़े कार्यकलापों को चिह्नित करने के लिए आंकड़ा विश्लेषक का उपयोग किया है। • हमने अत्यंत गहराई से कंपनी की मालसूची प्रावधानी नीति का आकलन किया है जिसमें अति पुरानी मालसूची एवं उनकी संचलन स्थिति पर विशेष विचार किया है। • हमने मालसूची मदों के एक नमूने की जाँच की है कि क्या वे निम्नतर लागत एवं शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य पर हैं। उपर्युक्त कार्य-प्रणाली के आधार पर हम प्रबंधन द्वारा निर्धारित अनुसार मालसूची के मूल्य पर सहमति देते हैं।
3. कर्मचारी के परिभाषित लाभ देयताओं एवं अन्य दीर्घमियादी लाभों का मूल्यांकन	
कंपनी ने दीर्घमियादी कर्मचारी लाभ देयता के लिए ₹471.20 करोड़ (2018-19 : ₹380.20 करोड़) एवं परिभाषित लाभ दायित्वों (निधिबद्ध उपदान दायित्व के तहत योजना परिसंपत्ति का शुद्ध मूल्य) के लिए ₹239.76 करोड़ 2018-19 : ₹ 225.13 करोड़) को स्वीकृति दी है एवं टिप्पणी 3.16 (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति) एवं टिप्पणी 22 एवं 31 (दीर्घमियादी एवं नियुक्ति उपरांत लाभों) में वर्णित किया है। कर्मचारी लाभ देयता का मूल्यांकन बाजार की स्थितियों एवं की गई धारणाओं पर निर्भर है। प्रमुख लेखापरीक्षा विषयवस्तु मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रमुख धारणाओं से संबंधित है: छूट दर, मुद्रा स्फीति प्रत्याशाओं एवं अपेक्षित जीवन की धारणाओं। इन धारणाओं का व्यवस्थापन जटिल है एवं तृतीय पक्ष के बीमांकिक सहयोग से महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय लेने की जरूरत पड़ती है।	कर्मचारियों, परिभाषित लाभ देयताओं एवं अन्य दीर्घमियादी लाभ के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा कार्य-प्रणाली में निम्नलिखित शामिल हैं: • मूल्यांकन के परीक्षण में, वित्तीय एवं जनसांख्यिकीय दोनों में प्रयुक्त मुख्य बीमांकिक धारणाओं की समीक्षा के लिए हमने वाह्य बीमांकिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट की जाँच की है एवं इन धारणाओं को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त कार्यविधियों को विवेचित किया। • हमने प्रबंधन एवं बीमांकिक द्वारा किए गए आकलनों का मूल्यांकन किया है ताकि सुनिश्चित हो सके कि ये इंड एएस 19 के सिद्धांतों के संगत में है। • इसके अलावा, परिभाषित लाभ देयताओं के मूल्याकन में प्रमुख धारणाओं पर अतिसंवेदनशील विश्लेषण की जाँच की है। उपर्युक्त कार्यप्रणाली के आधार पर हम संतुष्ट हैं कि देयताओं के निर्धारण के संबंध में इस्तेमाल की गई कार्यविधि एवं धारणाएँ स्वीकार योग्य हैं।
4. आकस्मिक देयताओं के संबंध में निश्चयन, प्रकटन एवं प्रावधानीकरण	
टिप्पणी 4.2.5 (महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय एवं अनिश्चितता आकलन के प्रमुख स्रोत) में वर्णित अनुसार, कंपनी ने टिप्पणी 25 में ₹2,561.82 करोड़ (2018-19: ₹2,771.59 करोड़) की आकस्मिक देयता प्रकट की है। कंपनी के पास कुल ₹1,602.70 करोड़ (2018-19 : ₹ 1,814.14 करोड़) की मांग से संलग्न विवाद के अधीन प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों में अनिश्चित कर विषयवस्तु से संबंधित सामग्री है, जिसके लिए इन विवादों के संभावी परिणाम के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यता है। इसके अलावा, कंपनी के पास ₹959.12 करोड़ (2018-19: ₹957.45 करोड़) की कुल मांग से संश्लिष्ट राज्य सरकार द्वारा एवं ठेकेदारों/ आपूर्तिकर्ताओं द्वारा गठित ओड़िशा सरकार या अन्य एजेंसियों द्वारा विभिन्न दावों के संबंध में अन्य चालू कानूनी विषयवस्तुएँ हैं जिसके लिए संभावित परिणाम निर्धारित करने हेतु प्रबंधन निर्णय के उपयोग की जरूरत पड़ती है।	आकस्मिक देयता के संबंध में निर्धारण, प्रकटीकरण एवं प्रावधानीकरण के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा कार्य-प्रणाली में निम्नलिखित शामिल है: हमने इंड एएस 37 प्रावधान, आकस्मिक देयता एवं आकस्मिक परिसंपत्तियों के अनुसार आकस्मिक देयताओं के प्रकटन एवं प्रावधान करने के संबंध में एक विस्तृत सहमति प्राप्त की है एवं कंपनी द्वारा स्थापित नियंत्रणों की रूपरेखा एवं कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया है। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर आकस्मिक देयताओं के विषय में, हमने निम्नलिखित सिद्धांत एवं लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का निष्पादन किया है: • कर मुकदमे एवं लम्बित प्रशासनिक कार्यवाहियों को चिह्नित करने के लिए कार्य-प्रक्रियाओं का आकलन एवं प्रासंगिक नियंत्रणों का कार्यान्वयन किया गया। • समरूप मामलों में कानूनी अग्रता एवं अन्य नियमों पर विचार करते हुए कंपनी के कर विभाग द्वारा निष्पादित संभावी कर जोखिमों के मूल्यांकन में प्रयुक्त धारणाओं का आकलन। • सबसे महत्वपूर्ण विवादों की वस्तुस्थिति के विषय में प्रबंधन के साथ चर्चा एवं प्रमुख प्रासंगिक प्रलेखीकरण की जाँच। • कर विशेषज्ञों से प्राप्त राय का विश्लेषण, जहाँ उपलब्ध हो। • वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियों में प्रकटनों की पर्याप्तता की समीक्षा। अन्य आकस्मिक देयताओं के संबंध में कंपनी की संभावी अरक्षितता के आकलन में, हमने: • ज्ञात अरक्षितता की निगरानी के संबंध में नियंत्रणों के स्वरूप एवं कार्यान्वयन का आकलन किया; • कंपनी की विवेचना के अधीन क्षेत्रों को चिह्नित करने के लिए बोर्ड एवं बैठक के अन्य कार्यवृत्त का संदर्भ लिया; • कंपनी को प्रभावित करनेवाली चालू एवं संभावी कानूनी विषयवस्तुओं को समझने में कंपनी के अंदरूनी कानूनी लेखापरीक्षकों से सलाह ली गई; • विशेषज्ञों से उपलब्ध कानूनी परामर्शों की समीक्षा; और • वास्तविक और संभावी कानूनी देयताओं के प्रस्तावित लेखांकन एवं प्रकटन की समीक्षा। उपर्युक्त निष्पादित कार्य-प्रणाली के आधार पर हम सहमति देते हैं कि चालू कानूनी विषयवस्तुओं के संबंध में लेखांकन एवं प्रकटन उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा विषयवस्तु	हमारी लेखापरीक्षा में कैसे इन विषयवस्तुओं का निवारण किया गया
5. परिसंपत्ति के रूप में सतत मुकदमे के अधीन कर विषयवस्तुओं के संबंध में अग्रिम एवं जमा	
31 मार्च, 2020 की स्थिति को, अन्य परिसंपत्तियों (टिप्पणी 14) में शामिल है ₹649.87 करोड़ (2018-19 : ₹597.61 करोड़) राशि के लिए वीएटी एवं सेनवेट उधार समेत प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर जमा (प्रावधान का शुद्ध) के वसूलीयोग्य दावे जो लम्बित समायोजन/अधिनिर्णय में है। इन अरक्षितता एवं उनके लेखांकन और प्रकटन आवश्यकताओं की प्रकृति के आकलन में महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता पड़ती है।	संपत्ति के रूप में जारी मुकदमा के अधीन कर विषयवस्तु के बारे में अग्रिम और जमा के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा कार्य-प्रणाली में निम्नलिखित शामिल हैं: • हमने प्रबंधन से पूरे किए गए कर आकलनों एवं मांग तथा अपीलेट अधिकारी के अपील आदेश का विवरण प्राप्त किया। • हमने कर देयता एवं विवादों के संभावी परिणाम के आकलन में प्रबंधन की अंतर्निहीत धारणाओं को चुनौती देने के लिए हमारे आंतरिक विशेषज्ञों को शामिल किया था। • हमारे आंतरिक विशेषज्ञों ने भी इन अनिश्चित कर स्थितियों पर प्रबंधन की परिस्थिति के मूल्यांकन में कानूनी प्रधानता एवं अन्य नियमावलियों पर विचार किया। • इसके अलावा, हमने वसूली योग्य राशि, संधारणीयता एवं अंतिम समाधान पर संभाव्य वसूली क्षमता की प्रकृति की समीक्षा करने हेतु जहाँ भी उपलब्ध हैं, कानूनी एवं कर विशेषज्ञों की राय पर विचार किया है। उपर्युक्त निष्पादित कार्य-प्रणाली के आधार पर वसूली योग्य के रूप में विवेचित दावा राशि में प्रबंधन के निर्धारण के साथ हम सहमति रखते हैं।
6. आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं का मूल्यांकन	
कंपनी ने 31 मार्च, 2020 को टिप्पणी 23 में ₹1,060.61 करोड़ (2018-19 : ₹1,130.67 करोड़) की आस्थगित कर देयता (आस्थगित कर परिसंपत्ति का शुद्ध) प्रकट किया है। कंपनी बहु आयकर प्रावधानों के प्रयोग से सन्निहित गतिविधियों का संचालन करती है। समयांतर के फलस्वरूप उत्पन्न आस्थगित कर परिसंपत्ति/देयता के मूल्यांकन का आकलन एवं अनिश्चित कर स्थितियों के लिए प्रावधान हमारी लेखापरीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि गणना जटिल प्रकृति की है एवं संवेदी और निर्णयात्मक धारणाओं पर निर्भर है। इनमें, अन्य के साथ दीर्घमियादी भावी लाभकारिता एवं स्थानीय वित्तीय विनियमों एवं विकास शामिल हैं।	आस्थगित कर संपत्ति एवं देयताओं के मूल्यांकन के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा कार्य-प्रणाली में निम्नलिखित शामिल हैं: • आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं की संपूर्णता एवं सटीकता का निर्धारण करना एवं अनिश्चित कर स्थितियों को स्वीकृति देना। • हमने कंपनी द्वारा चिह्नित आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली क्षमता एवं आस्थगित कर देयताओं के संबंध में भावी नकद प्रवाहों की संभाव्यता पर प्रबंधन के आकलन को चुनौती दी एवं जाँच-पड़ताल की। • हमने सांविधिक आयकर दर में परिवर्तनों के संबंध में एवं सीमाबद्धता विधान सं संबंधित लागू स्थानीय वित्तीय विनियमों एवं विकासों का भी आकलन किया है क्योंकि ये आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं के अंतर्निहीत मूल्यांकन की प्रमुख धारणाएँ है। • हमने कर स्थितियों का विश्लेषण किया एवं कंपनी द्वारा प्रयुक्त धारणाओं एवं कार्यविधियों का मूल्यांकन किया। • इसके अलावा, हमने प्रयुक्त आस्थगित परिसंपत्तियों/देयताओं पर इंड एएस 12 आयकर के अनुसार कंपनी के प्रकटन की पर्याप्तता पर भी ध्यान केन्द्रित किया। उपर्युक्त निष्पादित कार्य-प्रणाली के आधार पर हम संतुष्ट हैं कि आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं के संबंध में प्रयोग की गई कार्यविधि एवं धारणाएँ स्वीकार योग्य हैं।

अन्य सूचना

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य सूचना के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य सूचना में शामिल है कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न सूचना, परंतु इसमें समेकित वित्तीय विवरण एवं इस पर हमारी रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तिथि के उपरांत ये रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारी राय अन्य सूचना को शामिल नहीं करती है एवं इस पर निष्कर्ष के तौर किसी प्रकार का आश्वासन व्यक्त नहीं करेगी।

समेकित वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा के सिलसिले में, हमारी जिम्मेदारी ऊपर चिह्नित अन्य सूचना का पठन करना है, जब यह हमें उपलब्ध करायी जाती है एवं ऐसा करते हुए हम विचार करते हैं कि क्या अन्य सूचना समेकित वित्तीय विवरणियों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी में भौतिक रूप से असंगत है या फिर भौतिक रूप से गलत बयानबाजी प्रकट करते हैं।

जब हम अन्य सूचना पढ़ते हैं, तब यदि हमें पता चलता है कि इसमें भौतिक गलत बयानबाजी है, तब इस अभिशासन से प्रभारित व्यक्ति को इस विषयवस्तु की सूचना हमें प्रदान करनी पड़ती है एवं जरूरत पड़ने पर आवश्यक कदम उठाते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी के निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में व्यक्त मामलों के लिए जिम्मेदार हैं जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों समेत भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी संस्थाओं की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन एवं समेकित नकद प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं। कंपनी और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के निदेशक के संबंधित बोर्ड के दायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का व्यवस्थापन भी शामिल है जो संबंधित कंपनी कि संपत्तियों की हिफाजत हेतु एवं धोखाधड़ियों और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए, उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन एवं प्रयोग, तर्क एवं आकलन देने, जो यथासंगत एवं विवेकपूर्ण हैं; एवं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करने, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता एवं संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचलित थे, समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के लिए संगत थे, जो सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं एवं भौतिक गलत बयानबाजी से मुक्त हैं, चाहे वे जालसाजी या चूक के कारण हो जो उपरोक्त अनुसार कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने के प्रयोजन से प्रयोग किए गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में, कंपनी के निदेशक मंडल एवं इसकी संयुक्त संस्था एक चालू संस्था के रूप में जारी रहने में क्षमता का आकलन करने, चालू संस्था से संबंधित मामलों का लागू अनुसार प्रकट करने एवं लेखांकन की चालू संस्था आधार पर इस्तेमाल करने के लिए जिम्मेदार है, बशर्ते कि कंपनी का प्रबंधन या संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था या तो समाप्त करना चाहता है या कार्य-परिचालनों को रोकना चाहता है या ऐसा करने के अलावा यथार्थ रूप से कोई और विकल्प नहीं है। कंपनी के निदेशक मंडल एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था कंपनी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य है युक्ति संगत आश्वासन प्राप्त करना ताकि समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप से गलत बयानबाजी से मुक्त हैं चाहे वो जालसाजी या त्रुटि के कारण हो एवं लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। युक्तिसंगत आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, परंतु इसकी सुनिश्चितता नहीं है कि एसए के अनुसार संचालित एक लेखापरीक्षा हमेशा ही किसी भौतिक गलत बयानबाजी, जब यह विद्यमान हो, का पता लगा पाएगी। गलत बयानबाजी किसी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है एवं तभी महत्वपूर्ण माना जाता है, जब व्यक्तिगत या समेकित रूप में, उनसे इन समेकित वित्तीय विवरणियों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक फैसलों को प्रभावित करने की युक्तिसंगत अपेक्षा रहती है।

एसए के अनुसार एक लेखापरीक्षा के अंश के तौर पर, हम पूरी लेखापरीक्षा में पेशेवर निर्णय लेते हैं एवं पेशेवर संशयवाद का पालन करते हैं। हमारे कार्य में ये भी शामिल हैं:

- समेकित वित्तीय विवरणियों की गलत बयानबाजी के जोखिमों की पहचान एवं आकलन करना, चाहे जालसाजी या चूक के कारण हो, उन जोखिमों के प्रत्युत्तर में लेखापरीक्षा की कार्य-प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करना एवं निष्पादन करना और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं। किसी जालसाजी के फलस्वरूप उत्पन्न किसी गलत बयानबाजी का पता न चल पाने का जोखिम, किसी चूक से उत्पन्न जोखिम से अधिक होता है क्योंकि जालसाजी में साँठ-गाँठ, धोखाधड़ी, जानबूझकर विलोपन, गलत प्रस्तुतीकरण या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल रह सकते हैं।
- लेखापरीक्षा की कार्य-प्रक्रिया को तैयार करने हेतु लेखापरीक्षा के संगत में आंतरिक नियंत्रण के तात्पर्य को प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(झ) के अंतर्गत, हम यह राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था है एवं ये नियंत्रण प्रभावी रूप से संचालित हैं।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं लेखांकन आकलनों के औचित्य एवं प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।
- संस्था में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन की उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना एवं प्राप्त लेखा साक्ष्य के आधार पर देखना कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता है जो कंपनी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी संस्थाओं को चालू संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम किसी भौतिक अनिश्चितता की उपस्थिति का निष्कर्ष देते हैं, तो समेकित वित्तीय विवरणियों में संबंधित प्रकटीकरण की हमारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में इस पर ध्यान दिलाने की आवश्यकता पड़ती है या इस प्रकार का प्रकटीकरण अपर्याप्त रहने पर, हमारी राय में हम परिवर्तन लाते हैं। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित है। तथापि, भावी घटनाएँ या परिस्थितियाँ कंपनी या संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था को एक चालू संस्था के रूप जारी रहने से रोक सकती हैं।
- प्रकटीकरण समेत समेकित वित्तीय विवरणियों के संपूर्ण प्रस्तुतीकरण, संरचना एवं विषयवस्तु का मूल्यांकन करना एवं क्या समेकित वित्तीय विवरण इस रूप में अंतर्निहीत लेनदेन की घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं जिनसे निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण प्राप्त होता है।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए संस्थाओं की वित्तीय सूचना या कंपनी एवं इसकी संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं की व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त साक्ष्य प्राप्त करना। शामिल की गई इन संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के निर्देश, पर्यवेक्षण एवं निष्पादन के लिए हम जिम्मेदार हैं।

हम समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित कंपनी एवं ऐसी अन्य संस्थाओं के अभिशासन से प्रभारित जनों जिसके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, को अन्य विषयवस्तुओं के साथ-साथ लेखापरीक्षा के सुनियोजित क्षेत्र एवं समयसूची और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं हमारी लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा चिह्नित अन्य महत्वपूर्ण कमियों की सूचना देते हैं।

हम अभिशासन से प्रभारित जनों को एक विवरण के साथ यह भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के विषय में संबंधित नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया हैं एवं हमारी स्वतंत्रता एवं जहाँ प्रयोज्य हो, संबंधित हिफाजत पर यथा संगत विचार किए जानेवाले सभी संबंधों एवं अन्य विषयवस्तुओं की सूचना देते हैं।

अभिशासन से प्रभारित जन को सूचित की गई विषयवस्तुओं में हम उन विषयवस्तुओं का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे एवं इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा विषयवस्तुएं हैं। हम हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इन विषयवस्तुओं का वर्णन करते हैं, बशर्ते कि विषयवस्तु के सार्वजनिक प्रकाशन से कानून या विनियम द्वारा रोका न गया है या जब अति दुर्लभ परिस्थितियों में हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी विशिष्ट विषयवस्तु को सूचित नहीं किया जाएगा क्योंकि इसके प्रतिकूल परिणाम से ऐसी सूचना के सार्वजनिक हित लाभों पर प्रभाव पड़ने की यथासंगत अपेक्षा रहती है।

अन्य विषयवस्तु

संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं जिनके वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हमने नहीं की है, के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में विवेचित अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की भागीदारीवाली ₹2.00 करोड़ का निवल लाभ (2018-19 के लिए निवल लाभ ₹1.29 करोड़)समेकित वित्तीय विवरण में शामिल है। इन

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें दी गई है एवं समेकित वित्तीय विवरणों पर हमने अपनी राय, जहाँ तक संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के बारे में सम्मिलित राशियों और अधिनियम की धारा 143 की उप-धाराएँ (3) एवं (11) के अनुसार हमारी रिपोर्ट जहाँ तक संयुक्त रूप से नियंत्रित उपर्युक्त संस्थाओं से संबंधित है, पूर्णतया अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और निम्नलिखित अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और किए जा चुके कार्य के क्षेत्र में निर्भरता के संदर्भ में उपरोक्त विषयों के संदर्भ में संशोधित नहीं है।

अन्य कानूनी एवं नियामक अर्हताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार, प्रयोज्य सीमा तक हम रिपोर्ट करते हैं किः

   क. हमने वो सभी जानकारी और व्याख्या मांगी है एवं प्राप्त की हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।

   ख. हमारी राय में, जैसा कि इन बहियों एवं अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की हमारी जाँच से प्रतीत होता है, कानून के अपेक्षानुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में यथोचित लेखा-बहियों का रखरखाव किया गया है।

   ग. इस रिपोर्ट से सम्बंधित समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ एवं हानि विवरण एवं समेकित नकद प्रवाह विवरण, समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजन हेतु अनुरक्षित लेखा बहियों के सुसंगत हैं।

   घ. हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों का पालन करते हैं।

   ङ. अधिसूचना सं. जी.एस.आर 463(ङ) दिनांक 05.06.2015 के माध्यम से निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) कंपनी पर लागू नहीं है एवं भारत में गठित इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, अधिनियम की धारा 164(2) के अनुपालन में 31 मार्च, 2020 की स्थिति को संयुक्त रूप से नियंत्रित इन संस्थाओं के किसी भी निदेशक को निदेशक के रूप में अयोग्य नहीं किया गया।

   च. कंपनी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन संबंधी प्रभावकारिता के सूचनार्थ अनुलग्नक "क" में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

   (छ) संशोधित अनुसार अधिनियम की धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसरण में लेखीपरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल की जानेवाली अन्य विषयवस्तुओं के मामलें मेंः

   प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में, अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 का प्रावधान निगम मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर 463(ङ) के माध्यम से कंपनी पर लागू नहीं है।

   ज. कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल की जानेवाली अन्य विषयवस्तुओं के मामले में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के मुताबिकः

      i. कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी संस्थाओं के पास लंबित मुकदमे हैं जिसके संबंध में देयताएँ या तो प्रदान किए गए हैं या आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किए गए हैं । समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी 25 का संदर्भ लें।

      ii. कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी संस्थाओं के पास व्युत्पन्न संविदाओं समेत कोई दीर्घमियादी संविदाएँ यदि है, जिसके लिए पहले से ही भौतिक पूर्वाभासी क्षतियाँ थी, के लिए लागू कानून या भारतीय लेखांकन मानकों के अन्तर्गत अपेक्षानुसार कंपनी ने प्रावधान किया है।

      iii. निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी संस्थाओं द्वारा राशि अंतरित किए जाने में कोई देर नहीं हुई है।

कृते पात्र एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 310100ई

(सीए अम्बिका प्रसाद महान्ति)
साझेदार
सदस्यता सं.: 057820
युडीआईएन 20057820AAAAAP9186

कृते जीएनएस एण्ड एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 318171ई

(सीए संतोष कुमार देहुरी)
साझेदार
सदस्यता सं.: 053937
युडीआईएन 20053937AAAAAX4832

स्थानः भुवनेश्वर
दिनांकः जून 26, 2020

अनुलग्नक "क"

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर समदिनांकित स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड(i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (इसके बाद "कम्पनी" के रूप में संदर्भित) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा कम्पनी के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ-साथ की है एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी संस्थाओं जो आज की तिथि में भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर विचार किया।

संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमारे पास जमा की गई है एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इन संस्थाओं के विषय में शामिल की गई राशियों एवं प्रकटनों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इन संस्थाओं से संबंधित अधिनियम की धारा 143 की उप-धाराएं (3) एवं (11) के अनुपालन में हमारी रिपोर्ट मुख्यतया अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

भारत में संयुक्त रूप से नियंत्रित निगमित कंपनियों से संबंधित, वित्तीय रिपोर्टिंग पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता एवं प्रचालनीय प्रभावकारिता से संबंधित हमारी उक्त रिपोर्ट अधिनियम की धारा 143(3)(झ) के अंतर्गत कंपनी के तत्संबंधी लेखा परीक्षकों के अनुरूपी रिपोर्ट पर आधारित है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर अनुदेश टिप्पणी में व्यक्त आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य पहलुओं पर विचार करते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के तहत आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं बनाए रखना कम्पनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं जो भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, के संबंधित निदेशक मंडल की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षानुसार पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, कार्यान्वित करना एवं बनाए रखना जो कम्पनी की नीतियों के पालन सहित इसके व्यवसाय के क्रमबद्ध एवं दक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालित थे, इसकी परिसंपत्तियों की हिफाजत, धोखाधड़ियों और चूक का निवारण एवं पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता एवं संपूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को यथा समय तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारण योग्य वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर अनुदेश टिप्पणी ("अनुदेश टिप्पणी") एवं लेखापरीक्षण के मानकों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की प्रयोज्य सीमा में हमारी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों एवं अनुदेश टिप्पणी में अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें एवं सुसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना एवं निष्पादन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना की गई थी एवं अनुरक्षित हुई थी और क्या ये नियंत्रण सभी भौतिक पहलुओं में प्रभावी रूप से संचालित थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं इनके प्रचालनीय प्रभावकारिता के बारे में, लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु कार्यपद्धतियों का निष्पादन करना है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की व्याख्या प्राप्त करना, जोखिम का आकलन कि भौतिक दुर्बलता विद्यमान है एवं आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा एवं प्रचालनीय प्रभावकारिता का परीक्षण एवं मूल्यांकन शामिल है। चयनित कार्यपद्धतियाँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की भौतिक गलत बयानबाजी के जोखिम का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या चूक के कारण हो।

हम विश्वास करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारी लेखापरीक्षा की राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु हमें जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हुआ एवं नीचे अनुच्छेद में संदर्भित अन्य लेखापरीक्षकों की उनकी रिपोर्ट के अनुसरण में उनसे जो लेखा साक्ष्य प्राप्त हुआ, वो पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का आशय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक कार्यपद्धति है जो सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के विषय में सुसंगत आश्वासन प्रदान करने के लिए निरूपित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वो नीतियाँ एवं कार्यपद्धतियाँ शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव के सम्बन्ध में है जो सुसंगत विस्तार में कम्पनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन एवं स्थितियों को सटीक रूप से

एवं सही रूप से प्रदर्शित करती हैं, (2) यथासंगत आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेनदेन को रिकॉर्ड किया गया है जैसा कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति के लिए अपेक्षित हैं एवं कम्पनी की प्राप्तियाँ एवं व्यय केवल कम्पनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं, और (3) कम्पनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग या स्थितियों के निवारण या यथा समय पता लगाने के विषय में सुसंगत आश्वसान प्रदान करती हैं, जिनका वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता था।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाबद्धताएँ

नियंत्रणों का अतिक्रमण करने वाले मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन की संभावना समेत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाबद्धताओं के कारण चूक या धोखाधड़ी की वजह से महत्वपूर्ण गलत बयानबाजी घट सकती है एवं पता नहीं चल सकता है। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणओं के किसी मूल्यांकन की प्रायोजना जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकती है या फिर नीतियों या पद्धतियों के साथ अनुपालन के स्तर में कमी आ सकती है।

अभिमत

हमारी राय में, भारत में निगमित, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था एवं कंपनियों के पास सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर अनुदेश टिप्पणी में व्यक्त, आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य पहलुओं पर विचार करते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2020 को यथा, प्रभावी रूप से प्रचालित थे।

कृते पात्र एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 310100ई

(सीए अम्बिका प्रसाद महान्ति)
साझेदार
सदस्यता सं.: 057820
युडीआईएन 20057820AAAAAP9186

कृते जीएनएस एण्ड एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 318171ई

(सीए संतोष कुमार देहुरी)
साझेदार
सदस्यता सं.: 053937
युडीआईएन 20053937AAAAAX4832

स्थानः भुवनेश्वर
दिनांकः जून 26, 2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणी

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुसार, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकगण अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनके द्वारा दिनांक 26 जून, 2020 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से व्यक्त किया हुआ बताया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की ओर से, मैंने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 (6)(क) के तहत एक अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। हमने नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड एवं उसकी संयुक्त उद्यम कंपनी उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है, परन्तु इसकी संयुक्त उद्यम कंपनी अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड एवं खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अनुपूरक लेखा परीक्षा नहीं की है। **इसके अलावा, जीएसीएल-नालको अल्कालिज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, एक निजी क्षेत्र की संस्था होने के कारण उनकी सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति के लिए एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा के संचालन के लिए अधिनियम की धारा 139(5) एवं 143(6)(क) लागू नहीं है। इसी अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक ने न तो सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की है और न ही इस कंपनी की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है।** यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकारी कागज़ों को प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है एवं प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षक एवं कम्पनी के कर्मचारियों की पूछताछ एवं कुछ लेखांकन रिकॉर्ड के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ महत्वपूर्ण नहीं प्राप्त हुआ है जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी की जाए या कुछ जोड़ा जाए।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महा
लेखापरीक्षक और उनकी ओर से

(सुपर्णा देब)
महानिदेशक - लेखापरीक्षा (खान)
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 03.09.2020

समेकित तुलन पत्र मार्च 31, 2020 को यथा

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
परिसंपत्तियाँ			
(1) गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	5	7,174.54	7,109.37
(ख) पूँजी कार्य प्रगति में	6	1,177.16	843.91
(ग) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	7	310.23	176.41
(घ) विकास अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	8	249.54	38.80
(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	9	275.68	176.21
(ii) व्यापारिक प्राप्य	10	—	—
(iii) ऋण	11	73.02	74.74
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	12	10.48	10.37
(च) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	14	719.60	1,116.88
कुल गैर-चालू परिसंपत्तियाँ		9,990.25	9,546.69
(2) चालू परिसंपत्तियाँ			
(क) मालसूची	15	1,696.90	1,210.01
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	9	55.01	80.81
(ii) व्यापारिक प्राप्य	10	140.09	240.52
(iii) नकद एवं नकद समतुल्य	16	18.47	171.60
(iv) ऊपर (iii) के अलावा बैंक शेष	16	1,962.06	3,324.75
(v) ऋण	11	40.16	25.75
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	12	0.05	1.23
(ग) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	13	46.22	51.26
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	14	598.84	494.77
कुल चालू परिसंपत्तियाँ		4,557.80	5,600.70
कुल परिसंपत्तियाँ		14,548.05	15,147.39
इक्विटी एवं देनदारियाँ			
(1) इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूँजी	17	932.81	932.81
(ख) अन्य इक्विटी	18	9,053.69	9,552.13
कुल इक्विटी		9,986.50	10,484.94
देनदारियाँ			
(2) गैर-चालू देनदारियाँ			
(क) वित्तीय देनदारियाँ			
(i) व्यापारिक देय			
(क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के देय	20	—	—
(ख) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों के देय	20	22.69	21.14
(ii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	21	58.53	6.70
(ख) प्रावधान	22	628.80	530.93
(ग) आस्थगित कर देनदारियाँ (शुद्ध)	23	1,060.61	1,130.67
(घ) अन्य गैर-चालू देनदारियाँ	24	70.90	67.89
कुल गैर-चालू देनदारियाँ		1,841.53	1,757.33
(3) चालू देनदारियाँ			
(क) वित्तीय देनदारियाँ			
(i) उधारी	19	12.31	66.79
(ii) व्यापारिक देय			
(क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के देय	20	7.06	2.22
(ख) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों के देय	20	765.87	1,283.55
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	21	416.02	410.86
(ख) प्रावधान	22	178.44	165.51
(ग) अन्य चालू देनदारियाँ	24	1,340.32	976.19
कुल चालू देनदारियाँ		2,720.02	2,905.12
कुल देनदारियाँ		4,561.55	4,662.45
कुल इक्विटी एवं देनदारियाँ		14,548.05	15,147.39

वित्तीय विवरणों की संलग्न टिप्पणियाँ (1-41) देखें

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

(सीएस एन के महान्ति)
(कंपनी सचिव)

(व्ही बालसुब्रमण्यम)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 06965313

(सीए श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06500954

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते पात्र एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन-310100ई
(सीए अम्बिका प्रसाद महान्ति)
साझेदार (एम. नं.: 057820)

कृते जीएनएस एण्ड एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन-318171ई
(सीए संतोष कुमार देहुरी)
साझेदार (एम.नं.: 053937)

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : जून 26, 2020

समेकित लाभ और हानि का विवरण 31 मार्च, 2020 को समाप्त अवधि के लिए

राशि ₹ करोड़ में

		टिप्पणी	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
I	प्रचालन से राजस्व	27	8,471.84	11,499.32
II	अन्य आय	28	272.58	325.87
III	कुल आय (I + II)		**8,744.42**	**11,825.19**
IV	व्यय			
	(क) खपत हुए कच्चे माल की लागत	29	1,702.48	1,919.68
	(ख) खपत हुए विद्युत एवं ईंधन की लागत	29	2,964.60	2,927.12
	(ग) तैयार माल के मालसूची एवं चालू कार्य में परिवर्तन	30	(365.23)	(5.08)
	(घ) कर्मचारी परिलाभ व्यय	31	1,994.07	2,072.28
	(ङ) वित्त लागत	32	5.74	2.38
	(च) मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय	5 & 7	529.83	476.10
	(छ) अन्य व्यय	33	1,686.69	1,692.79
	कुल व्यय (IV)		**8,518.18**	**9,085.27**
V	विशिष्ट मदों एवं कर-पूर्व लाभ /(हानि) (III - IV)		**226.24**	**2,739.92**
VI	विशिष्ट मद		—	—
VII	संयुक्त उद्यमों के लाभ/हानि का अंश		**(2.00)**	**1.29**
VIII	कर के पूर्व लाभ /(हानि) (V - VI+VII)		**224.24**	**2,741.21**
IX	कर व्यय			
	(1) चालू कर	34	151.40	1,024.65
	(i) चालू कर		152.27	998.36
	(ii) पूर्व के वर्षों से संबंधित चालू कर		(0.87)	26.29
	(2) आस्थगित कर	34	(63.39)	(17.13)
X	वर्ष लिए लाभ/(हानि) (VIII - IX)		**136.23**	**1,733.69**
XI	अन्य विशद आय			
	(i) लाभ या हानि में पुनवर्गीकृत नहीं किए जाने वाले मद			
	- परिभाषित परिलाभ योजनाओं पर पुनर्मापन लाभ /(हानि)		(22.84)	0.06
	(ii) लाभ या हानि में पुनर्वगीकृत नहीं किए जाने वाले मदों से संबंधित आयकर	34	6.67	(0.21)
	वर्ष के लिए अन्य विशद आय (करों का शुद्ध) (XI)		**(16.17)**	**(0.15)**
XII	वर्ष के लिए कुल विशद आय (X+XI) (लाभ/(हानि) और अवधि के लिए अन्य विशद आय को समाविष्ट करके)		**120.06**	**1,733.54**
XIII	प्रति इक्विटी शेयर आय			
	(1) मूल (₹ में)	36	0.73	9.07
	(2) मंदित (₹ में)	36	0.73	9.07

वित्तीय विवरणों की संलग्न टिप्पणियाँ (1-41) देखें

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

(सीएस एन के महान्ति)
(कंपनी सचिव)

(व्ही बालसुब्रमण्यम)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 06965313

(सीए श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06500954

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते पात्र एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन-310100ई
(सीए अम्बिका प्रसाद महान्ति)
साझेदार (एम. नं.: 057820)

कृते जीएनएस एण्ड एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन-318171ई
(सीए संतोष कुमार देहुरी)
साझेदार (एम.नं.: 053937)

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : जून 26, 2020

इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण 31 मार्च, 2020 की समाप्त अवधि के लिए

राशि करोड़ ₹ में

क.	इक्विटी शेयर पूँजी	
	31.03.2018 को यथा शेष	966.46
	इक्विटी शेयर की वापसी खरीदी	(33.65)
	31.03.2019 को यथा शेष	932.81
	वर्ष के दौरान परिवर्तन	—
	31.03.2020 को यथा शेष	932.81

ख. अन्य इक्विटी

राशि करोड़ ₹ में

अन्य इक्विटी	आरक्षित एवं अधिशेष			कुल
	पूँजी मोचन आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	
31.03.2018 को यथा शेष	322.16	8,620.53	594.80	9,537.49
वर्य के लिए लाभ	—	—	1,733.69	1,733.69
अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	—	—	(0.15)	(0.15)
वर्ष के लिए कुल विशद आय	—	—	1,733.54	1,733.54
इक्विटी शेयरों की वापसी खरीदी पर प्रीमियम	—	(471.18)	—	(471.18)
इक्विटी शेयरों की वापसी खरीदी पर व्यय	—	(2.60)	—	(2.60)
सामान्य आरक्षित का पूंजी मोचन आरक्षित में अंतरण	33.65	(33.65)	—	—
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	—	—	(193.29)	(193.29)
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश पर कर	—	—	(39.73)	(39.73)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	—	—	(839.53)	(839.53)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश पर कर	—	—	(172.57)	(172.57)
31.03.2019 को यथा शेष	355.81	8,113.10	1,083.22	9,552.13
वर्ष के लिए लाभ	—	—	136.23	136.23
अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	—	—	(16.17)	(16.17)
वर्ष के लिए कुल विशद आय	—	—	120.06	120.06
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	—	—	(233.20)	(233.20)
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश पर कर	—	—	(47.94)	(47.94)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	—	—	(279.84)	(279.84)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश पर कर	—	—	(57.52)	(57.52)
31.03.2020 को यथा शेष	355.81	8,113.10	584.78	9,053.69

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

(सीएस एन के महान्ति)
(कंपनी सचिव)

(व्ही बालसुब्रमण्यम)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 06965313

(सीए श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06500954

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते पात्र एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन-310100ई
(सीए अम्बिका प्रसाद महान्ति)
साझेदार (एम. नं.: 057820)

कृते जीएनएस एण्ड एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन-318171ई
(सीए संतोष कुमार देहुरी)
साझेदार (एम.नं.: 053937)

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : जून 26, 2020

समेकित नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
क.	प्रचालन गतिविधियों से नगदी प्रवाह		
	अवधि के लिए लाभ	**136.23**	**1,733.69**
	निम्न के लिए समायोजन:		
	लाभ या हानि में मान्य आय कर व्यय	88.01	1,007.52
	संयुक्त उद्यमों के (लाभ)/हानि के अंश	2.00	(1.29)
	लाभ या हानि में स्वीकृत वित्तीय लागत	5.74	2.38
	लाभ या हानि में स्वीकृत ब्याज आय	(217.90)	(237.14)
	लाभ या हानि में स्वीकृत लाभांश आय	(7.60)	(30.61)
	निवेश की बिक्री पर शुद्ध (लाभ)/हानि	(1.35)	—
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान पर शुद्ध (लाभ)/हानि	0.25	7.50
	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर अधिदेशात्मक रूप से मापित वित्तीय परिसंपत्तियों पर उपजे शुद्ध (लाभ) / हानि	(0.01)	2.16
	अन्य परिसंपत्तियों पर स्वीकृत क्षति की हानि	(1.35)	(3.51)
	स्टोर्स, स्पेयर्स का मालभंडार बट्टे खाते डाला गया	15.64	12.52
	गैर-चालू परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास और ऋण-परिशोधन	529.83	476.10
	पट्टा प्रीमियम का परिशोधन	—	75.52
	शुद्ध विदेशी मुद्रा (लाभ/हानि)	(5.94)	(8.62)
	कार्यकारी पूँजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ	**543.55**	**3,036.22**
	कार्यकारी पूँजी में संचलन:		
	माल-भंडार में (वृद्धि)/कमी	(502.15)	(28.37)
	व्यापारिक प्राप्य में (वृद्धि)/कमी	100.43	17.61
	ऋणों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(11.62)	157.85
	अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(103.57)	6.08
	व्यापारिक देय में वृद्धि/(कमी)	(505.35)	338.16
	अन्य वित्तीय देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	(12.64)	(4.73)
	अन्य देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	158.46	30.00
	प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	84.79	(123.08)
	प्रचालनों से सृजित (में प्रयुक्त) नगदी	**(248.10)**	**3,429.74**
	भुगतान किया गया आय कर	**(100.46)**	**(1,020.89)**
	प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नगदी प्रवाह	**(348.56)**	**2,408.85**
ख.	निवेशन गतिविधियों से नगदी प्रवाह		
	वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए भुगतान	(29.00)	(48.00)
	वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री से आमदनी	56.17	560.97
	संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में इक्विटी अधिग्रहण हेतु भुगतान	(101.47)	(58.19)
	बैंक के पास सावधि जमा में (निवेश)/मोचन	1,568.10	(385.77)
	अन्य निवेशों से प्राप्त लाभांश	7.60	30.61
	बैंकों एवं अन्य से प्राप्त ब्याज	217.90	237.14
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पूँजी अग्रिम सहित) के लिए भुगतान	(844.82)	(749.49)
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान से आय	11.25	8.56
	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए भुगतान	(13.01)	(18.49)
	पट्टाधारी संपत्तियों के अधिग्रहण हेतु भुगतान	—	(109.19)
	निवेशन गतिविधियों से शुद्ध नगदी प्रवाह	**872.72**	**(531.85)**
ग.	वित्तपोषण गतिविधियों से नगदी प्रवाह		
	इक्विटी शेयरों की वापस खरीदी के लिए भुगतान	—	(504.83)
	शेयर वापस-क्रय लागत के लिए भुगतान (कर का शुद्ध)	—	(2.60)
	अल्पावधि उधारी से कार्यवाहियाँ/(भुगतान बाबत)	(54.48)	21.80
	पट्टा देयता का भुगतान	(3.45)	—
	भुगतान की गई वित्तपोषण लागत	(0.86)	—
	इक्विटी शेयरों पर भुगतान किया गया लाभांश	(513.04)	(1,032.82)
	इक्विटी शेयरों पर भुगतान किए गए लाभांश पर कर	(105.46)	(212.30)
	वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नगदी प्रवाह	**(677.29)**	**(1,730.75)**
नगद या नगद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि या(कमी)		**(153.13)**	**146.25**
वर्ष के आरम्भ में नगद और नगद समतुल्य		**171.60**	**25.35**
वर्ष के अन्त में नगद और नगद समतुल्य [टिप्पणी सं. 15.क देखें]		**18.47**	**171.60**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े नगदी बहिर्प्रवाह/आय हैं, जैसा कि मामला हो।

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

(सीएस एन के महान्ति)
(कंपनी सचिव)

(व्ही बालसुब्रमण्यम)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 06965313

(सीए श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06500954

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते पात्र एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन-310100ई
(सीए अम्बिका प्रसाद महान्ति)
साझेदार (एम. नं.: 057820)

कृते जीएनएस एण्ड एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन-318171ई
(सीए संतोष कुमार देहुरी)
साझेदार (एम.नं.: 053937)

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : जून 26, 2020

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

टिप्पणी सं. 1 निगम पृष्ठभूमि

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, खान मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक नवरत्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (के.सा.क्षे.उ.) है, जो कंपनी अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत निगमित हुई है और भारत में स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है। यह कंपनी एल्यूमिना और एल्यूमिनियम के उत्पादन और बिक्री के कारोबार में संलग्न है। कंपनी ओड़िशा के कोरापुट जिले के दामनजोड़ी में अवस्थित 22.75 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता के एल्यूमिना परिशोधक संयंत्र और ओड़िशा के अनुगुल में 4.60 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता के एल्यूमिनियम प्रद्रावक का प्रचालन कर रही है। कंपनी के एल्यूमिना परिशोधक की बॉक्साइट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिशोधन संयंत्र के पास कंपनी की एक ग्रहीत बॉक्साइट खान है और प्रद्रावक की विद्युत खपत को पूरा करने के लिए प्रद्रावक संयंत्र के पास एक 1200 मेगावाट का ग्रहीत तापज विद्युत संयंत्र है। साथ ही, कंपनी की अक्षय ऊर्जा का दोहन करने और पुनर्नवीकरणीय खरीद अनुबंध का अनुपालन करने के लिए 198.40 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ चार पवन विद्युत संयंत्र प्रचालित हैं जो आन्ध्रप्रदेश (गण्डीकोटा), राजस्थान (जैसलमेर और देवीकोट) तथा महाराष्ट्र (सांगली) में अवस्थित है। कंपनी ने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए दो संयुक्त उद्यम कंपनियाँ यथा अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि. एवं गुजरात अल्कालिज एण्ड केमिकल्स प्रा. लि. में कार्यनीतिक निवेश किया है।

टिप्पणी सं. 2. अनुपालन का विवरण

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानकों) नियम, 2015 (संशोधित अनुसार) के अंतर्गत निगमित मामले मंत्रालय द्वारा जारी एवं अधिसूचित सभी भारतीय लेखांकन मानकों और जो कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों पर वर्ष के लिए लागू एवं प्रासंगिक हैं, को कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय बिना किसी अपवाद के विवेचित किया गया है एवं अनुपालन किया गया है।

टिप्पणी सं. 3. उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ

3.1 तैयारी का आधार

कंपनी और इसके संयुक्त उद्यम के समेकित वित्तीय विवरण इंड एएस और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसरण में प्रस्तुत किए गए हैं।

जैसा कि नीचे लेखाकरण नीति में वर्णित है, कुछ वित्तीय उपकरणों को छोड़ कर, जो प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य में मापे जाते हैं, ये समेकित वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं।

कंपनी के प्रचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची - III में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार सभी परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत की गई हैं। व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर, कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों ने परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से अपना प्रचालन चक्र 12 महीने का निर्धारित किया है।

3.2 अनुमानों का उपयोग

ये समेकित वित्तीय विवरण इंड एएस के मान्य और मापन सिद्धांतों की संपुष्टि में अनुमानों और धारणाओं, जहाँ भी आवश्यक हुए हैं, के प्रयोग से तैयार किए गए हैं।

अनुमान और अन्तर्निहित धारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है और ऐसे अनुमानों में, यदि कोई संशोधन है, तो उनका संशोधन के वर्ष में लेखाकरण किया गया है।

आकलन की अनिश्चितता के मुख्य स्रोत जो परिसंपत्तियाँ और देनदारियों की वहन मात्रा में महत्वपूर्ण समायोजन का कारण हो सकते हैं, टिप्पणी संख्या 4 में वर्णित है।

3.3 सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश

एक सहयोगी एक संस्था होती है जिस पर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशक के वित्तीय और परिचालन नीति के फैसले में भाग लेने की शक्ति है लेकिन उन नीतियों पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है।

एक संयुक्त उद्यम एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत व्यवस्था के संयुक्त नियंत्रण वाले पक्षों को संयुक्त व्यवस्था की शुद्ध संपत्ति पर अधिकार हैं। संयुक्त नियंत्रण एक व्यवस्था के नियंत्रण की हिस्सेदारी करने के लिए संविदात्मक सहमति है, जो केवल तब ही मौजूद रहती है जब प्रासंगिक गतिविधियों के फैसले के लिए नियंत्रण की हिस्सेदारी करनेवाले पक्षों की एकमत से सहमति की जरूरत होती है।

सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के परिणाम,परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ इन समेकित वित्तीय विवरणों में लेखाकरण की इक्विटी पद्धति का उपयोग करके समाविष्ट किए गए हैं, इसके अलावा कि जब निवेश या इसका कोई भाग, बिक्री के लिए धारित रूप में वर्गीकृत किया गया हो, उस मामले में इसका लेखांकन इंड ए.एस. 105 के अनुसार किया जाता है। इक्विटी पद्धति में, किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश आरम्भ में समेकित तुलन-पत्र में लागत पर मान्य किया जाता है और इसके बाद समायोजन हेतु कंपनी के लाभ या हानि और सहयोगी या संयुक्त उद्यम की अन्य विशद आय में मान्य किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम से प्राप्त वितरणों से निवेश की वहन राशि कम हो जाती है। जब किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम की हानि के कंपनी का हिस्सा उस सहयोगी या संयुक्त उद्यम में कंपनी के हित से अधिक हो जाता है (जिसमें कोई दीर्घावधि हित शामिल हों, वस्तुतः जो उस सहयोगी या संयुक्त उद्यम में कंपनी के शुद्ध निवेश का भाग रूप हो), कंपनी आगे और हानि को अपने हिस्से की मान्यता देना बन्द कर देती है। अतिरिक्त हानियाँ केवल उसी सीमा तक मान्य की जाती हैं कि कंपनी को कानूनी या रचनात्मक दायित्व वहन करना हो, या सहयोगी या संयुक्त उद्यम की ओर से भुगतान किया हो।

किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम किसी निवेश का उस तारीख से, जिससे निवेशी एक सहयोगी या संयुक्त उद्यम बनता है, इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखांकन किया जाता है। किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश के अधिग्रहण पर, निवेशी की अभिज्ञेय परिसंपत्तियों और देनदारियों के शुद्ध उचित मूल्य के कंपनी के अंश पर निवेश की लागत के अतिरिक्त को साख के रूप में मान्य किया जाता है, जो निवेश की वहन राशि के अंदर शामिल किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन के बाद, निवेश की लागत पर अभिज्ञेय परिसंपत्तियों और देनदारियों के शुद्ध उचित मूल्य के कंपनी के अंश के किसी अतिरिक्त को सीधे इक्विटी में पूँजी आरक्षित के रूप में उसी अवधि में मान्य किया जाता है, जिसमें वह अधिगृहीत हुई है।

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के लागू होने के बाद, कंपनी निश्चित करती है कि क्या किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम में शुद्ध निवेश की आरंभिक मान्यता के बाद हुई एक या अधिक घटनाओं के परिणामस्वरूप हानि का कोई वस्तुगत साक्ष्य मिला है और उस घटना (या घटनाओं) के शुद्ध निवेश से अनुमानित भावी नगदी प्रवाह पर कोई प्रभाव पड़ा है जिसका विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सके। यदि ऐसी हानि का कोई वस्तुगत साक्ष्य हो, तब सहयोगी या संयुक्त उद्यम में कंपनी के निवेश के संबंध में क्षति हानि को मान्य करना आवश्यक होता है।

जब आवश्यक हो, निवेश के समग्र वहन मूल्य इंड ए.एस. 36 के अनुसरण में, एक एकल परिसंपत्ति के रूप में परिसंपत्तियों की हानि को इसकी वसूलीयोग्य राशि (प्रयोग में उच्चतर मूल्य में से निपटान की लागत को घटाकर) इसकी वहन राशि से तुलना करके हानि का परीक्षण किया जाता है। कोई क्षति हानि मान्य होती है तो वह निवेश की वहन राशि का भाग होती है। उस क्षति हानि का कोई व्युत्क्रमण इंड ए.एस. 36 के अनुसरण में इस सीमा तक मान्य किया जाता है कि निवेश की वसूलीयोग्य राशि बाद में बढ़ती है।

जिस तारीख से कोई निवेश एक सहयोगी या संयुक्त उद्यम बने रहने की समाप्ति हो जाती है, या जब निवेश बिक्री के लिए धारित रूप में वर्गीकृत हो जाता है, उस तारीख से कंपनी इक्विटी पद्धति का उपयोग करना बन्द कर देती है। जब कंपनी पूर्व सहयोगी या संयुक्त उद्यम में कोई हित रखती है और धारित हित एक वित्तीय परिसंपत्ति होता है, तो कंपनी धारित हित को उस तारीख को उचित मूल्य पर मापती है और इंड ए.एस. 109 के अनुसरण में उस उचित मूल्य को इसकी आरंभिक मान्यता पर इसका उचित मूल्य माना जाता है। इक्विटी पद्धति बन्द होने की तारीख को सहयोगी या संयुक्त उद्यम की वहन राशि और किसी धारित हित के बीच अंतर और सहयोगी या संयुक्त उद्यम में आंशिक हित के निपटान से हुई किसी आमदनी को सहयोगी या संयुक्त उद्यम के निपटान पर लाभ या हानि के निर्धारण में शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी उस सहोयगी या संयुक्त उद्यम से संबंधित अन्य विशद आय में पहले से मान्य की गई सभी राशि को उसी आधार पर लेखांकन करती है जैसा कि सहयोगी या संयुक्त उद्यम को संबंधित परिसंपत्तियों और देनदारियों के सीधे निपटान पर आवश्यक होता।

कंपनी इक्विटी पद्धति का उपयोग जारी रखती है, जब सहयोगी में कोई निवेश संयुक्त उद्यम में निवेश बन जाता है या किसी संयुक्त उद्यम में निवेश सहयोगी में निवेश बन जाता है। मालिकाना हितों में ऐसे परिवर्तनों पर उचित मूल्य का कोई पुनर्मापन नहीं होता।

जब किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम में मालिकाना हित कम होता है किन्तु कंपनी इक्विटी पद्धति का उपयोग जारी रहता है, तो कंपनी उस मालिकाना हित में कमी से संबंधित अन्य विशद आय में मान्य किए गए पिछले लाभ या हानि के अनुपात का लाभ या हानि को पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, यदि वह लाभ या हानि संबंधित परिसंपत्तियों या देनदारियों के निपटान पर लाभ या हानि में उस लाभ या हानि को पुनर्वर्गीकृत किया गया हो।

3.4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

पूर्ण-स्वामित्व भूमि के अलावा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, उत्पादन और/या वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति या प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल हेतु लागत, घटाव संचित मूल्यह्रास और संचित दुर्बलता हानि पर वर्णित होते हैं। पूर्ण-स्वामित्व भूमि, जब तक बिगड़ी न हो, लागत पर वर्णित होती है।

3.4.1 आरंभिक मापन

प्रारंभिक लागत में खरीद मूल्य, गैर-वापसी योग्य खरीद कर, उधारी लागत, यदि कोई हो, संपत्ति को अपने स्थान पर वापस लाने और इसके लिए जरूरी स्थिति लगाने के लिए किया हुआ खर्च जो प्रबंधन के द्वारा अपेक्षित तरीके से कार्य करने में सक्षम हो और किसी भी परिसंपत्ति के पुनर्स्थापना दायित्व के वर्तमान मूल्य के आरंभिक अनुमानों या अनिवार्य रूप से बंद करने की और विखण्डन लागत शामिल है।

भूमि की लागत के हिस्से के रूप में पूर्ण-स्वामित्व भूमि के विकास पर किए गए व्यय को पूँजीकृत किया गया है।

स्व-निर्मित परिसंपत्तियों के मामले में, लागत में निर्माण में प्रयुक्त सभी सामग्रियों की लागत, प्रत्यक्ष श्रम, ओवरहेड्स के आबंटन एवं सीधे आरोप्य उधारी लागत, यदि कोई हो, शामिल है।

₹ 5 लाख से अधिक मूल्य प्रति एकक वाले स्पेयर-पुर्जे, जो उत्पादन और/या वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति में उपयोग के लिए धारित हैं एवं एक से अधिक अवधि के दौरान प्रयोग के लिए अपेक्षित हैं, वे संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में मान्य होते हैं। महत्वपूर्ण प्रकृति के स्पेयर्स और अनियमित उपयोग में हों, जिसे किसी विशेष उपकरण के लिए पहचाना जा सकता है और ₹ 1 लाख से अधिक प्रति एकक मूल्य के हों, वे भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में मान्य होते हैं।

3.4.2 परवर्ती व्यय

परिसंपत्तियों के पुर्जों को बदलने की लागत एवं संपूर्ण जाँच-मरम्मत लागत सहित प्रमुख निरीक्षण/रखरखाव या मरम्मत पर व्यय, जहाँ यह संदर्भ हो कि व्यय से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान कंपनी को उपलब्ध होंगे, का पूँजीकरण किया जाता है और बदले गए चिह्नित पुर्जों की धारक राशि को अमान्य किया जाता है।

3.4.3 पूँजी कार्य-प्रगति में

निर्माण चरण में प्रयुक्त परिसंपत्तियों को प्रगति में पूँजीगत कार्य के अधीन शामिल किया जाता है एवं किसी भी मान्यताप्राप्त क्षति हानि को घटाकर लागत में लिया जाता है। ऐसे प्रगतिरत पूँजी कार्य, पूरा होने पर, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उचित संवर्ग में स्थानांतरित किए जाते हैं।

निवेश का निर्णय लिए जाने तक नई संभावित परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए खर्च को राजस्व में प्रभारित किया जाता है। निवेश के निर्णय के बाद परियोजनाओं के लिए किए गए व्यय को प्रगतिरत पूँजीगत कार्य के तहत रखा जाता है और बाद में उसका पूँजीकरण किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण/निर्माण पर, निर्दिष्ट स्थान पर इसे लाए जाने एवं प्रबंधन द्वारा अपेक्षित विधि में इसे प्रचालन योग्य बनाए जाने हेतु आवश्यक स्थिति में लाए जाने तक आरोपित कोई भी प्रत्यक्ष लागत प्रगतिरत पूँजीगत कार्य का हिस्सा माना जाता है।

3.4.4 मूल्यह्रास और ऋणशोधन

परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, उनके उपयोगी जीवनकाल पर एक सीधी रेखा के तहत प्रदान किया गया है जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II या जहाँ भी आवश्यक विवेचित हो, प्रबंधन द्वारा किए गए तकनीकी अनुमानों के अनुसार निर्धारित किया गया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार निर्धारित उपयोगी जीवन से अधिक नहीं हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक घटक, उस लागत के साथ जो मद की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है, का मूल्यह्रास अलग से किया जाता है, यदि इसका उपयोगी जीवनकाल संपत्ति के घटन से अलग होता है। कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों ने 'पॉट रिलाइनिंग' को छोड़कर एक अलग घटक की पहचान के लिए महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में ₹ 1 करोड़ का बेंचमार्क चुना है, जो कि इसकी निहित प्रकृति और उपयोगी जीवनकाल के कारण प्रत्येक 'इलेक्ट्रोलाइटिक पॉट' के अंश के रूप में माना जाता है।

संयंत्र और मशीनरी, वाहन, मोबाइल उपकरण और मृतिका ढोने वाले उपकरण, रेलवे सुविधाओं, रोलिंग स्टॉक एवं आवासीय क्वार्टर के अवशिष्ट मूल्य को मूल लागत के 5% पर और सभी अन्य परिसंपत्तियों के लिए अवशिष्ट मूल्य को शून्य के रूप में माना जाता है।

अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा प्रत्येक वर्ष के अंत में की जाती है एवं परिवर्तन का प्रभाव, यदि कोई है, तो भविष्य के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

मूल्यह्रास के लिए विचार में ली गई संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल नीचे वर्णित हैं :

(क) बॉक्साइट खान में अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण व्यक्तिगत परिसंपत्ति का जीवनकाल या खान की शेष पट्टा अवधि, जो भी कम हो, होता है।

(ख) ग्रहीत तापज विद्युत उत्पादन संयंत्र यथा ग्रहीत विद्युत संयंत्र (ग्र.वि.सं.) को 30 वर्ष माना जाता है।

(ग) वाष्प विद्युत संयंत्र (वा.वि.सं.) को 25 वर्ष माना जाता है।

(घ) एल्यूमिना परिशोधक में लाल पंक के तालाब और राख तालाब एवं ग्रहीत विद्युत संयंत्र में राख के तालाब के उपयोगी जीवनकाल का मूल्यांकन अवधि-वार किए गए तकनीकी अनुमानों के आधार पर उनके अनुमानित शेष उपयोगी जीवनकाल के आधार पर किया गया है।

(ङ) बॉक्साइट खानों की परिसंपत्तियों को छोड़कर पट्टेदार भूमि पर स्थापित संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल को शेष पट्टे की अवधि या परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल के रूप में माना जाता है।

जो भूमि कंपनी के स्वामित्व की नहीं है, उस पर स्थापित संपत्ति का मूल्यह्रास, उस तारीख से उपयोगी जीवन काल तक किया जाता है, जिस तारीख को वह संपत्ति प्रबंधन की अपेक्षानुसार प्रचालन में सक्षम हो, जब तक कि लम्बे/छोटे जीवनकाल तक निर्णीत न हो।

₹10,000/- या उससे कम लागत वाली व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का उस वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है जिसमें उसका इस्तेमाल करना है।

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

ऊपर उल्लिखित के अलावा, अन्य संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण निम्नलिखित उपयोगी जीवनकाल के अधीन हैं।

क्रम सं.	परिसंपत्ति संवर्ग के विवरण (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण)	उपयोग योग्य जीवनकाल वर्ष में
1	भवन	30 - 60
2	संयंत्र और मशीनरी	15 - 40
3	रेलवे साइडिंग	15
4	वाहन	08 - 10
5	फर्नीचर और जोड़नार	08 - 10
6	कम्प्यूटर उपकरण	06

3.4.5 परिसंपत्तियों का गैर-मान्यताकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की उसके निपटान पर या जब संपत्ति के उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है, तब उसकी मान्यता रद्द कर दी जाती है। निपटान/मान्यता रद्द होने पर होने वाले किसी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

3.4.6 घटक अलग करने की लागत

सतह खनन में पुर्जे अलग करने की लागत एक परिसंपत्ति के रूप में पहचानी जाती है जब वे उन्नत अयस्क का प्रतिनिधित्व करते हैं, बशर्ते सभी निम्न शर्तें पूरी होती हैं:

(क) यह संभावित है कि घटक अलग करने की गतिविधि के साथ जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो जाएगी;

(ख) अयस्क वस्तु का अंश जिसके लिए पहुँच में सुधार हुआ है उसे पहचाना जा सकता है; तथा

(ग) उन्नत पहुँच के साथ जुड़ी, घटक अलग करने की गतिविधि से संबंधित लागत विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकती है।

उत्पादन चरण के दौरान व्यय की गई पुर्जे अलग करने की लागत को मौजूदा "घटक अलग करने की लागत परिसंपत्ति" में जोड़ा जाता है, जो वर्तमान अवधि के पुर्जे अलग करने की लागत का अनुपात परियोजित घटक अलग करने की लागत के अनुपात से अधिक है।

"घटक अलग करने की लागत की संपत्ति" का बाद में, पुर्जे अलग करने की गतिविधि के परिणामस्वरूप अधिक सुलभ हुई अयस्क वस्तु के अंश के जीवनकाल के आधार पर उत्पादन की एक इकाई पर मूल्यह्रास किया जाता है और लागत में से संचित मूल्यह्रास और किसी संचित क्षति हानि को घटाकर दर्शाया जाता है।

3.5 अमूर्त परिसंपत्तियाँ

3.5.1 अलग से अधिग्रहीत अमूर्त परिसंपत्तियाँ

अधिग्रहीत अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत से संचित ऋणशोधन और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर दर्ज किया जाता है। परिमित उपयोगी जीवनकाल वाली अमूर्त परिसंपत्ति का ऋणशोधन उनके अनुमानित जीवनकाल पर किया जाता है। अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और ऋणशोधन पद्धति की समीक्षा प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है, और अनुमान में किसी परिवर्तन के प्रभाव को भावी संभावना के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

3.5.2 आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्ति - अनुसंधान और विकास व्यय

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में माने गये पूँजी व्यय को छोड़कर अनुसंधान गतिविधियों पर व्यय, उस अवधि में व्यय के रूप में पहचाना जाता है जिसमें यह खर्च किया जाता है।

विकास से उत्पन्न आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्ति मान्य होती है, यदि और केवल यदि, "इंड ए.एस. 38 - अमूर्त परिसंपत्ति" में निर्धारित सभी शर्तें पूरी होती हों।

3.5.3 खनन अधिकार

खनन अधिकारों की लागत में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के लिए भुगतान की गई राशि और नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित संबंधित भुगतान एवं अग्रिम धनराशि शामिल हैं।

खनन अधिकारों की लागत का ऋणशोधन खनन संपत्ति के कुल अनुमानित शेष वाणिज्यिक भंडारों पर किया जाता है और हानि की समीक्षा के अधीन हैं।

3.5.4 खान विकास व्यय

व्यावसायिक उत्पादन से पहले खानों के विकास के लिए किए गए व्यय अर्थात, भूमि, भवन, संयंत्र और उपकरण के अलावा प्राथमिक विकास व्यय का पूँजीकरण तब तक होता है जब तक कि खनन संपत्ति वाणिज्यिक उत्पादन में सक्षम नहीं हो।

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

3.5.5 उपयोगकर्ता अधिकार

भविष्य के आर्थिक लाभ वाले क्लस्टर परियोजना में किए गए व्यय की राशि, सह-लाभार्थियों के अनन्य उपयोग के साथ, लेकिन परिसंपत्तियों पर भौतिक नियंत्रण के बिना उपयोगकर्ता के अधिकार के रूप में पूँजीकृत की गई हैं।

3.5.6 सॉफ्टवेयर

अलग से अधिग्रहीत ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर (आर.डी.बी.एम.एस., साईबेस, ईआरपी / एसएपी) सॉफ्टवेयर के रूप में पूँजीकृत हुए हैं।

3.5.7 लाइसेंस और फ्रेंचाइज

प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु किए गए व्यय की राशि को "लाइसेंस और फ्रेंचाइज" शीर्षक के अंतर्गत पूँजीकृत किया गया है।

3.5.8 अमूर्त आस्तियों की मान्यता रद्द करना

एक अमूर्त परिसंपत्ति निपटान पर रद्द कर दी जाती है, जब उपयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं हो। निपटान/गैर-मान्यता के उन्मूलन से पैदा होने वाले लाभ या हानि को, लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.5.9 ऋणशोधन

अमूर्त संपत्ति के परिशोधन का आधार निम्नानुसार है:

(क) प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए तकनीकी जानकारियों की प्रकृति में लाइसेंस जो कि संबंधित प्रसंस्करण संयंत्रों के उपयोगी जीवनकाल के लिए उपलब्ध हैं, दस वर्षों की अवधि में परिशोधित होते हैं।

(ख) अमूर्त संपत्ति के रूप में वर्गीकृत सॉफ़्टवेयर 3 वर्ष का उपयोगी जीवनकाल रखते हैं एवं उक्त अवधि में परिशोधित होते हैं।

(ग) खनन अधिकार और खान विकास के खर्च को आरक्षित की उपलब्धता की अवधि के दौरान परिशोधित होता है।

(घ) क्लस्टर परियोजनाओं के लिए उपयोक्ता अधिकार, चालू होने की तारीख से परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल में परिशोधित होता है।

3.6 मूर्त और अमूर्त संपत्तियों की हानि

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी यह निर्धारित करने के लिए अपनी मूर्त और अमूर्त परिसंपत्ति की धारक राशि की समीक्षा करती है कि क्या कोई संकेत है कि उन परिसंपत्तियों में क्षति की हानि हुई है। यदि कोई ऐसा संकेत मौजूद है, तो परिसंपत्ति की पुनर्प्राप्ति योग्य राशि (यानी उचित मूल्य के उच्चतर में लागत घटाकर बेचने और और उपयोग-में-मूल्य) का अनुमान लगाकर क्षति से हानि, यदि कोई हो, की सीमा निर्धारित की जाती है। जब किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं है, तो कंपनी उस परिसंपत्ति की नकद-सृजक इकाई (सीजीयू) की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। यदि सीजीयू की वसूली योग्य अनुमानित राशि वहन राशि से कम कम होती है, तो सीजीयू की वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि तक कम हो जाती है और वहन राशि और वसूली योग्य राशि के बीच के अंतर को लाभ या हानि विवरण में क्षति हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।

3.7 विदेशी मुद्रा लेनदेन एवं अंतरण

समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल मद प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का उपयोग करके मापा जाता है अर्थात् भारतीय रुपये जिसमें कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों का संचालन होता है।

समेकित वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति में, विदेशी मुद्राओं में लेनदेन अर्थात संस्था की कार्यात्मक मुद्रा के अलावा अन्य मुद्राओं को लेनदेन की तारीखों पर प्रचलित विनिमय दर पर मान्यता दी जाती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, उस तारीख में प्रचलित दरों पर विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक वस्तुओं का अंतरण किया जाता है।

मौद्रिक वस्तुओं पर विनिमय अंतर को लाभ और हानि के विवरण में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

3.8 प्रावधान और आकस्मिक व्यय

3.8.1 प्रावधान

किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होने पर प्रावधानों को पहचाना जाता है और यह संभव है ("नहीं की तुलना में अधिक संभावना") कि दायित्व निपटाने के लिए इसकी आवश्यकता है, और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

एक प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि, तुलन पत्र की तारीख को वर्तमान दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए दायित्वों के आसपास के जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए किए गए आवश्यक विवेचन का सबसे अच्छा अनुमान है।

जहाँ वर्तमान दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए अनुमानित नकद बहिर्वाह का उपयोग करके एक प्रावधान मापा जाता है, इसकी वहन राशि उन नकदी बहिर्वाहों का वर्तमान मूल्य है।

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

3.8.2 पुनर्स्थापना, पुनर्वास और डीकमिशनिंग

जब विकास या किसी खदान और अन्य विनिर्माण सुविधाओं के चल रहे उत्पादन के कारण पर्यावरण बिगड़ने की घटना होती है तो पुनर्निर्माण, पुनर्वास और पर्यावरणीय लागत का खर्च करने के लिए एक दायित्व उत्पन्न होता है। समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी ने सांविधिक अधिदेश के मुताबिक दायित्व बहाली, पुनर्वास और विघटनकारी देनदारी को मान्यता दी है।

इस तरह की लागत का शुद्ध वर्तमान मूल्य प्रदान किया जाता है और प्रत्येक परियोजना के प्रारंभ में एक समान राशि का पूँजीकरण किया जाता है। इन लागतों को परिसंपत्ति के जीवनकाल में मूल्यह्रास और रियायती दायित्व को खोलने के माध्यम से और लाभ या हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है। लागत अनुमानों की समीक्षा समय-समय पर की जाती है और ज्ञात विकास कार्यों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है, जिनका लागत अनुमान या प्रचालनों के जीवनकाल पर असर पड़ सकता है। अद्यतन लागत अनुमान, प्रचालन-काल में परिवर्तन, नई बाधाओं और छूट दरों के संशोधन जैसे कारकों के कारण प्रावधान में हुए बदलावों के लिए संबंधित परिसंपत्ति की लागत को समायोजित किया जाता है। परिसंपत्तियों की समायोजित लागत का उन परिसंपत्तियों के जीवनकाल पर संभावित रूप से मूल्यह्रास होता है जिससे वे संबंधित हैं। लाभ या हानि के विवरण में छूट के खोलने को वित्त और अन्य लागत के रूप में दिखाया गया है।

3.8.3 पर्यावरणीय देनदारियाँ

पर्यावरणीय देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी और इसके संयुक्त उद्यम पर्यावरणीय क्षति को सुधारने या सुधारात्मक निष्पादन करने के लिए कानूनी तौर पर या रचनात्मक तौर पर बाध्य होती है।

3.8.4 कानूनी दायित्व

एक बार यह स्थापित होने के बाद कि रिपोर्टिंग की तारीख तक उपलब्ध जिस सूचना के विवेचन पर आधारित कंपनी का कोई वर्तमान दायित्व है, प्रावधान को मान्यता दी जाती है।

3.8.5 आकस्मिक देनदारियाँ

आकस्मिक देनदारियाँ संभवत: पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं, जिसके अस्तित्व को केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने की पुष्टि हो, जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हों या वर्तमान दायित्व है परंतु भुगतान संभाव्य नहीं है या राशि विश्वसनीय रूप से नहीं मापी जा सकती है। प्रासंगिक देनदारियाँ समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट होती हैं जब तक कि निपटान में किसी भी बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ नहीं है।

3.8.6 आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ समेकित वित्तीय विवरण में मान्य नहीं की गई हैं, लेकिन जब आर्थिक लाभ का प्रवाह संभव है तो उनका खुलासा किया जाता है।

3.9 पट्टे

कंपनी ने प्रारंभिक अनुप्रयोग (1 अप्रैल, 2019) की तिथि को स्वीकृत संचयी प्रभाव के साथ रूपान्तरित पूर्व-प्रभावी विधि का उपयोग करते हुए सभी पट्टों पर 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी इंड एएस-116 - पट्टे का प्रयोग किया है। इसी अनुसार, पूर्ववर्ती अवधि की सूचना को पुनः व्यक्त नहीं किया गया है। कंपनी इन सभी पट्टों को चिह्नित करती है जिसमें संविदा है या ऐसे पट्टों को चिह्नित करती है जो संविदा के आरंभ में विवेचित समयावधि के लिए किसी चिह्नित परिसंपत्ति के उपयोग का नियंत्रण अधिकार प्रदान करता है (संविदा में उल्लिखित व्यक्त या अव्यक्त रूप में)।

पट्टे के आरंभ होने की तिथि को कंपनी लागत पर “उपयोगाधिकार” आरओयू परिसंपत्ति को स्वीकृति देती है एवं पट्टा देयता की उस तिथि को भुगतान नहीं हुए सभी पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, इसमें 12 महीने या कम अवधि का वो पट्टा शामिल नहीं रहता है जिसमें कोई क्रय विकल्प नहीं रहता है (अल्पकालिक पट्टे) एवं अन्तर्निहित परिसंपत्ति के लिए पट्टे का मूल्य कम होता है।

12 महीने या कम अवधि के पट्टे के लिए पट्टा भुगतान जिसमें क्रय विकल्प नहीं होता है (अल्पकालिक पट्टे) एवं पट्टे जिसके लिए अन्तर्निहित परिसंपत्ति का मूल्य कम है, को प्रचालन व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

3.9.1 प्रारंभिक माप:

“आरओयू परिसंपत्ति का मूल्य” में निम्नलिखित राशि शामिल है:

i. पट्टा देयता का प्रारंभिक माप
ii. पूर्वदत्त पट्टा भुगतान जो कोई प्राप्त पट्टा प्रोत्साहन घटाकर है
iii. पट्टेदार के रूप में कंपनी द्वारा किए गए प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और
iv. अन्तर्निहित परिसंपत्ति के विखंडन, निकासी या पुनर्बहाली की अनुमानित लागत

पट्टा देयता को दीर्घावधि सरकारी बॉण्ड की कूपन दर पर पट्टा भुगतानों पर छूट प्रदान करते हुए पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है।

“पट्टा भुगतान” में शामिल है:

i. स्थायी भुगतान (अवास्तविक स्थायी भुगतान समेत)
ii. परिवर्तनशील पट्टा भुगतान जो सूचक या दर पर निर्भर है

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

iii. अवशिष्ट मूल्य गारंटी के रूप में कंपनी द्वारा देय राशि

iv. क्रय विकल्प का निष्पादन मूल्य यदि कंपनी इनके निष्पादन के लिए यथोचित निश्चितता की अपेक्षा करती है।

v. कंपनी द्वारा परिसमापन के लिए दंड का भुगतान, यदि पट्टे की शर्तों में कंपनी के लिए ऐसा विकल्प रहता है।

3.9.2 तदुपरांत माप:

तदुपरांत अवधियों के दौरान, पट्टा देयता को प्रभावी ब्याज विधि का इस्तेमाल करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। आरओयू परिसंपत्ति को संचित मूल्यह्रास एवं संचित क्षीणता, यदि कोई है, को घटाकर लागत पर मापा जाता है।

पट्टा भुगतान को वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

3.10 माल-भंडार

कोयला और ईंधन तेल जैसी थोक सामग्री सहित कच्चे माल की सूची, जहाँ कहीं भी लागू हो, टैक्स क्रेडिट की लागत नेट में कम मूल्य पर एवं शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य पर मूल्यांकित होती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में मान्यता के मानदंडों को पूरा करने वाली वस्तुओं के अलावा स्टोर और पुर्जों को जहाँ भी लागू हो, टैक्स क्रेडिट के लागत-नेट में मूल्यांकन किया जाता है।

धारित स्टोर और पुर्जों को (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में माने जाने वाले प्रमुख पुर्जों के अलावा), लेकिन जो 5 वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किए गए हैं, लागत के 5% पर मूल्यांकन किया जाता है।

उत्पादन में उपयोग के लिए सामग्री और अन्य आपूर्तियों (गैर-चल के रूप में माने जाने वाले के अलावा) को लागत से नीचे नहीं डाला जाता है, यदि तैयार माल, जिसमें उनका उपयोग शामिल हो, और उपरोक्त लागत या उससे अधिक पर बिक्री होने की आशा हो।

ऊपर बताए गए अनुसार कच्चे माल, भंडार और पुर्जों की लागत, भारित औसत मूल्य के संचलन पर निर्धारित होती है।

तैयार माल, अर्द्ध-तैयार माल, मध्यस्थ उत्पाद तथा प्रगतिरत प्रक्रिया के माल-भंडार और प्रक्रिया स्क्रैप सहित इनकी लागत से कम और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित होती है। आम तौर पर लागत का निर्धारण माल की संचलित भारित औसत कीमत, श्रम के उचित हिस्से और संबंधित ओवरहेड्स पर होता है। शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य, रिपोर्टिंग की तारीख पर उपलब्ध व्यापार के सामान्य प्रक्रियाक्रम में बिक्री करने के लिए जरूरी अनुमानित लागत घटाकर अनुमानित बिक्री मूल्य है।

आंतरिक रूप से सृजित स्क्रैप का मालभंडार, शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य पर मूल्यांकित होता है।

3.11 व्यापारिक प्राप्य

व्यापार प्राप्तियाँ व्यापार के सामान्य क्रम में बेचे गए सामान या सेवाओं के लिए ग्राहकों से प्राप्य राशि हैं। यदि बकाया रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीनों या उससे कम अवधि के भीतर भुगतान के लिए नियत है, तो उन्हें मौजूदा परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है अन्यथा गैर-वर्तमान संपत्ति के रूप में।

व्यापार प्राप्तियों को उनके लेन-देन मूल्य पर मापा जाता है, जब तक कि इनका अनुबंध में अंतर्निहित महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक या मूल्य निर्धारण समायोजन न हो।

3.12 वित्तीय उपस्करण

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी साधनों के संविदागत प्रावधानों का पक्ष बनती है। व्यापारिक प्राप्य एवं देय को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है। लेनदेन की लागत को, जो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति और वित्तीय देयताओं के अलावा) के अधिग्रहण या जारी करने के लिए प्रत्यक्ष आरोप्य होती है, को वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देनदारियों की प्रारंभिक मान्यता पर मापे गए उचित मूल्य में जोड़ा या घटाया जाता है।

3.12.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ

क. **नकद या नकद समतुल्य**

सभी अल्पकालिक बैंक जमा राशि को तीन महीने या उससे कम की परिपक्वता अवधि को नकद और नकद समकक्ष माना जाता है। बैंक में 3 महीनों से अधिक की परिपक्वता अवधि वाले सावधि जमा को अन्य बैंक बैलेंस के रूप में माना जाता है।

ख. **परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ**

व्यापार प्राप्य सहित वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिनमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक होते हैं, वो तदुपरांत परिशोधित लागत पर किए गए माप के अनुसार वर्गीकृत होती हैं एवं इसी अनुसार प्रभावी ब्याज विधि का प्रयोग करते हुए मापी जाती हैं यदि वित्तीय परिसंपत्तियाँ एक व्यवसाय मॉडल में रखी जाती हैं जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्र करने के लिए इन परिसंपत्तियों को रखना है एवं वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदागत शर्तें विनिर्दिष्ट तारीखों को नकद प्रवाह में वृद्धि लाती है जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज का केवल भुगतान होती हैं।

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

ग. अन्य विशद आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियाँ अन्य विशद आय के जरिए उचित मूल्य पर तदुपरांत मापे अनुसार वर्गीकृत की जाती हैं, यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियाँ एक कारोबारी मॉडल के भीतर रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्र करना और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचना है एवं इन वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदागत शर्तों के द्वारा निर्दिष्ट तारीखों को नकदी प्रवाह में वृद्धि होती है जो बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज का केवल भुगतान होती हैं।

घ. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर तदुपरांत मापे अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि इसे अन्य विशद आय के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर तदुपरांत मापे अनुसार वर्गीकृत न किया गया हो। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य लेनदेन लागत लाभ या हानि के विवरण में तुरंत मान्य होती है।

3.12.2 वित्तीय देनदारियाँ

व्यापारिक देय को उनके लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है, जब तक कि इसमें संविदा में समाविष्ट एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक या मूल्यपरक समायोजन संलग्न न किया जाए।

व्यापारिक देय सहित वित्तीय देनदारियाँ जिसमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक संलग्न है, को प्रभावी ब्याज विधि का प्रयोग करते हुए परिशोधित मूल्य पर तदुपरांत मापा जाता है।

3.12.3 वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करना

वित्तीय परिसंपत्तियों की केवल तब मान्यता रद्द होती है, जब परिसंपत्ति से नकद प्रवाह में अनुबंधित अधिकार समाप्त होते हैं या जब परिसंपत्तियों के स्वामित्व के सभी जोखिम एवं लाभ दूसरे पक्ष को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित होते हैं।

3.12.4 वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को आकलन किया जाता है कि प्रारंभिक मान्यता से वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया है या नहीं।

यदि एक वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता से पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ा है, तो उस वित्तीय साधन के लिए 12 महीने के अपेक्षित क्रेडिट घाटे के बराबर राशि के नुकसान भत्ते को मापा जाता है। यदि उस वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता से पर्याप्त रूप से बढ़ा है, तो उस वित्तीय साधन के जीवनकाल के लिए अपेक्षित क्रेडिट घाटे बराबर राशि के नुकसान भत्ते को मापा जाता है।

रिपोर्टिंग तारीख को हानि भत्ता को समायोजित करने के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानियों (या व्युत्क्रमण) की मात्रा को लाभ और हानि के विवरण में एक क्षति लाभ या हानि के रूप में मान्यता दी गई है।

3.12.5 वित्तीय देनदारी की मान्यता रद्द करना

वित्तीय देनदारियों की मान्यता तब रद्द होती है जब और केवल जब दायित्वों को मुक्त कर दिया जाता है, रद्द कर किया जाता है या समाप्त हो जाता है।

नकदीकृत क्षतियों के लिए बहाली के मामले में, ठेका अंतिम रूप से तय कर लिए जाने/समाप्त होने पर, यदि नकदीकृत क्षति आरोप्य है, तो बहाल की गई राशि वापस ली जाती है एवं पूँजी संविदाओं को छोड़कर आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जहाँ नकदीकृत क्षति सीधे परिसंपत्ति के मूल्य में बढ़ती/वृद्धि में आरोप्य है। ऐसे मामले में, बहाल की गई राशि परिसंपत्ति की लागत के विरुद्ध समायोजित की जाती है।

3.12.6 वित्तीय साधनों को ऑफसेट करना

वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ ऑफसेट हैं और तुलन पत्र में रिपोर्ट की गई शुद्ध राशि है, जब मान्यताप्राप्त राशियों को ऑफसेट करने का कानूनी तौर पर अधिकार लागू होता है एवं शुद्ध आधार पर समझौता करने या एक साथ परिसंपत्ति की वसूली करने और दायित्व तय करने का अभिप्राय होता है। कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अधिकार भविष्य की घटनाओं पर आकस्मिक नहीं होना चाहिए एवं व्यापार के सामान्य क्रम में अवश्य लागू होना चाहिए।

3.13 संजात

संजात साधन यथा-आगे विदेशी मुद्रा संविदाओं को संजात संविदाओं के दर्ज होने की तारीख को उचित मूल्य पर मान्यता दी गई है और बाद में प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उनके उचित मूल्य के लिए फिर से मापा जाता है। परिणामी लाभ या हानि को तुरंत लाभ या हानि के बयान में मान्यता दी जाती है।

3.14 उधार लागत

उधार लेने की लागत सीधे उन संपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के कारण होती है जो उन परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ दी जाती है, जब तक संपत्ति उनके इच्छित उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं होती है। अन्य सभी उधार लेने की लागत उस अवधि में लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

3.15 सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन

सरकारी अनुदान तब मान्य है जब उचित आश्वासन होता है कि उनसे जुड़ी शर्तों का पालन किया जाएगा एवं अनुदान प्राप्त हो पाएगा।

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान जिनकी प्राथमिक स्थिति यह है कि कंपनी को गैर-चालू संपत्ति खरीदना, निर्माण या अन्यथा अधिग्रहण करना चाहिए, उन्हें तुलन-पत्र में आस्थगित आय के रूप में अनुदान स्थापित करके मान्यता दी गई है और लाभ या हानि में व्यवस्थित रूप से संबंधित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल के आधार पर स्थानांतरित किया जाता है।

आय से जुड़े सरकारी अनुदान उन समयावधि पर लागत के साथ मिलान करने के लिए क्रमबद्ध आधार पर होते हैं, जिसके लिए वे आय के रूप में स्वीकृत क्षतिपूर्ति हेतु अभीष्ट हैं।

3.16 कर्मचारी लाभ

3.16.1 अल्पावधि कर्मचारी लाभ

मजदूरी और वेतन, अल्पकालिक क्षतिपूर्तित अनुपस्थितियाँ आदि के संबंध में कर्मचारियों को मिलनेवाले लाभों के लिए एक दायित्व या देनदारी मान्य है जो संबंधित अवधि में की गई सेवा हेतु अपेक्षित छूट-रहित भुगतानयोग्य लाभ की राशि पर किया जाता है।

3.16.2 नियुक्ति-पश्चात् और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

3.16.3 परिभाषित अंशदान योजनाएँ

परिभाषित अंशदान योजना एक ऐसी योजना है, जिसके तहत एक अलग इकाई के लिए निश्चित अंशदान का भुगतान किया जाता है। परिभाषित योगदान में अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजनाएँ एक व्यय के रूप में मान्य होती हैं, जब कर्मचारी ने इस तरह के अंशदान के लिए हकदार बनाने वाली सेवा प्रदान की है।

3.16.4 परिभाषित लाभ योजनाएँ

परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत, प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख में किए गए अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित की जाती है। शुद्ध परिभाषित लाभ देयता के पुनर्मापन लाभ और हानि अन्य विशद आय में तुरंत मान्य की जाती है। सेवा लागत को, शुद्ध परिभाषित लाभ देनदारी पर ब्याज छोड़कर व्यय के रूप में माना जाता है।

पिछली सेवा लागत को एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जब योजना में संशोधन या कटौती होती है या जब कोई भी संबंधित पुनर्गठन लागत या समाप्ति लाभ मान्यता प्राप्त होते हैं।

तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व परिभाषित लाभ-दायित्व के वर्तमान मूल्य को दर्शाता है जो कि योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य द्वारा घटा हुआ होता है।

3.16.5 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त देयताएँ रिपोर्टिंग तारीख तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में अनुमानित भावी नकद बहिर्वाहों के वर्तमान मूल्य में मापी जाती है। परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजनाओं के लिए उपयोग की गई एक ही लेखांकन पद्धति का उपयोग करके इन लाभों की अपेक्षित लागत, रोजगार की अवधि में उपार्जित होती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक धारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले बीमांकिक लाभ और हानि को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित या जमा किया जाता है, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं। स्वतंत्र बीमांकिकों द्वारा इन दायित्वों का सालाना मूल्यांकन किया जाता है।

3.17 राजस्व मान्यता

राजस्व मूलतः एल्यूमिना, एल्यूमिनियम जैसे उत्पाद की बिक्री एवं विद्युत की बिक्री से प्राप्त होता है। जब किसी ग्राहक को वादा की गई वस्तुओं के स्थानांतरण द्वारा निष्पादन देयता पूरी होती है, तब राजस्व को स्वीकृति दी जाती है।

3.17.1 माल की बिक्री

कारखाने से / स्टॉकयार्ड से बिक्री पर प्राप्त राजस्व को नियत सांविधिक अनुपालन के साथ वाणिज्यिक बिल सहित कारखाने/स्टॉकयार्ड में वस्तुओं के सौंपे जाने पर स्वीकृति दी जाती है। एफओबी आधार पर बिक्री को शिपिंग बिल तैयार करने एवं शिपर को वस्तुएँ सौंपने के बाद स्वीकृति दी जाती है। सीआईएफ आधार पर बिक्री के मामले में, बंदरगाह में लदान पर वस्तु रखे जाने एवं इन्कोटर्म (पूर्व-निर्धारित वाणिज्यिक शर्तों) के अनुसार पोत परिवहन के कागजात तैयार करने पर स्वीकृति दी जाती है।

3.17.2 ऊर्जा की बिक्री

पवन ऊर्जा की बिक्री संबंधित अधिकारियों द्वारा अधिसूचित कीमत पर डिस्कोम्स / उपभोक्ता को प्रेषित ऊर्जा के आधार पर मान्यता प्राप्त है जो उनके साथ विद्युत क्रय अनुबंध (पीपीए) के अधीन है।

ग्रहीत विद्युत संयंत्र से विद्युत की बिक्री को राज्य के ग्रिड को इंजेक्टेड मात्रा के आधार पर माना जाता है जिसमें परिशोधक को व्हीलिंग करने एवं अनिश्चित ऊर्जा इंजेक्शन को छोड़कर है, जो विद्युत क्रय अनुबंध एवं स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) के निर्धारण के अधीन है।

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

ऊर्जा की बिक्री से राजस्व मान्यता प्राप्त है अगर

(क) राजस्व की मात्रा को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है;

(ख) यह संभव है कि लेनदेन से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों के पास प्रवाहित होंगे;

(ग) विवेचन की वसूली उचित रूप से आश्वासित है।

3.17.3 लाभांश और ब्याज से आय

3.17.4 लाभांश

लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर निवेश से लाभांश को मान्य किया जाता है।

3.17.5 ब्याज

किसी वित्तीय परिसंपत्ति से ब्याज आय मान्य की जाती है, जब यह संभाव्य है कि कंपनी को आर्थिक लाभ मिलेगा और आय की मात्रा को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। प्रमुख बकाया और प्रभावी ब्याज दर के संदर्भ में, ब्याज आय समय के आधार पर अर्जित की जाती है।

3.17.6 सरकारी एजेंसियों से प्रोत्साहन से आय

प्रभार वापस लेने की प्रकृति में सरकारी एजेंसियों से प्रोत्साहन और निर्यात पर पण्य निर्यात प्रोत्साहन योजना (एमईआईएस) और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के निर्माण पर प्रोत्साहनों को इसके अंतर्गत प्रदान की गई शर्तों के अनुपालन में संबंधित क़ानून के अनुसार मान्यता प्राप्त है।

3.18 आय कर

कर व्यय वर्तमान कर और आस्थगित कर की योग राशि का प्रतिनिधित्व करता है।

3.18.1 वर्तमान कर

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार वर्तमान कर व्यय वर्ष के लिए कर-योग्य लाभ पर आधारित है। वर्तमान और पूर्व अवधि के लिए वर्तमान कर देयताएँ (परिसंपत्तियाँ) कर की दरों और कर कानूनों का उपयोग करते हुए भुगतानयोग्य (या वापस वसूली) की अपेक्षित राशि में मापा जाता है जो कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित हुए हैं और पिछले वर्षों के संबंध में देय कर के किसी भी समायोजन में शामिल हैं।

3.18.2 आस्थगित कर

आस्थगित कर-व्यय या आय वित्तीय विवरणों में संपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए गए संबंधित कर-आधार के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता प्राप्त है।

आस्थगित कर-संपत्ति और देनदारियों को कर की दर से मापा जाता है, जिनकी गणना उस अवधि के लिए होती है जब परिसंपत्ति मान्य हो जाती है या देनदारी का निर्धारण हो जाता है, कर-दरों और कर-कानूनों के आधार पर जो अधिनियमित या वास्तविक रूप से रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित किए गए हैं। अन्य विशद आय में प्रत्यक्ष रूप से मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित कर विशद आय के विवरण का हिस्सा है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक समायोजन किया जाता है कि यह संभावित हो जाए कि परिसंपत्ति की वसूली करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे।

3.19 असाधारण मद

असाधारण मद साधारण गतिविधियों से लाभ या हानि के भीतर आय और व्यय के सामान हैं लेकिन ऐसे आकार, प्रकृति या घटनाओं के कारण अर्जित वित्तीय निष्पादन के बेहतर स्पष्टीकरण के लिए जिनका प्रकटीकरण जरूरी समझा गया है।

3.20 नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाह विवरण इंड एएस 7 'नकद प्रवाह के विवरण' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है।

3.21 महत्वपूर्ण भूल/चूक का पुनःविवरण

भूलों और चूकों को इस अभिप्राय में लिया जाता है कि यदि पूर्वावधि आय/व्यय का कुल प्रभाव ₹50 करोड़ से अधिक हो गया है तो परिसंपत्तियों और देनदारियों एवं इक्विटी के प्रारंभिक शेष को पुनर्व्यक्त किया जाए।

टिप्पणी सं.4. महत्वपूर्ण लेखा निर्णय और आकलन अनिश्चितता के मुख्य स्रोत

समेकित वित्तीय विवरण की प्रस्तुति के लिए प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि उन मामलों के बारे में जो अंतर्निहित रूप से अनिश्चित हैं,जटिल और / या व्यक्तिपरक निर्णय, अनुमान और धारणाएँ बनाए। ये अनुमान और धारणाएँ रिपोर्ट की अवधि के दौरान संपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की मात्रा के साथ-साथ समेकित वित्तीय विवरणों की तारीख में आकस्मिक देनदारियों और संपत्तियों के प्रकटीकरण और राजस्व और व्यय को भी प्रभावित करती हैं।

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

अनुमान और संबद्ध मान्यताएँ पिछले अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित होती हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।

अनुमान और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। उस अनुमानित अवधि में लेखा अनुमानों को मान्य किया जाता है जिसमें अनुमान संशोधित किया जाता है।

4.1 महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय:

उन शामिल अनुमानों के अलावा, जो प्रबंधन ने कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में बनाए हैं और समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है, प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों की वित्तीय परिसंपत्तियों की परिशोधित लागत पर रिपोर्टिंग अपने व्यवसाय मॉडल के प्रकाश में उचित होगी और कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों के सकारात्मक इरादे और संविदागत नकदी प्रवाह को जमा करने के लिए इन वित्तीय परिसंपत्तियों को धारण करने की क्षमता की पुष्टि कर दी है।

4.2 अनिश्चितता के आकलन के मुख्य स्रोत:

भविष्य के बारे में निम्नलिखित प्रमुख धारणाएँ हैं, और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनिश्चितता के आकलन के अन्य प्रमुख स्रोत हैं जो अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन मात्रा में महत्वपूर्ण समायोजन पैदा करने का एक बड़ा जोखिम हो सकता है।

4.2.1 क्षति

एसोसिएट्स और अन्य निवेशों में निवेश, ऋण और अग्रिम, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति की हानि के लिए समीक्षा की जाती है, जब भी घटनाओं और परिस्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि वहन मूल्य पूरी तरह से वसूली योग्य या कम से कम वार्षिक रूप से नहीं हो सकता है।

नगदी सृजन करनेवाले एककों के भविष्य के नकदी प्रवाह के अनुमान, जो परिसंपत्ति के उचित मूल्य की गणना के लिए उपयोग किए जाते हैं, भविष्य के प्रचालनों के बारे में उम्मीदों पर आधारित होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से उत्पादन और बिक्री की मात्रा, वस्तु की कीमतों, भंडार और संसाधनों, पुनर्वास व संचालन की लागत और पूँजीगत व्यय के अनुमान शामिल होते हैं।

4.2.2 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवनकाल

कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के उपयोगी जीवनकाल की समीक्षा करती है। इस पुनर्मूल्यांकन के कारण भविष्य में मूल्यह्रास व्यय में परिवर्तन हो सकता है।

4.2.3 खनन भंडार का आकलन:

खनिज भंडार के अनुमान में परिवर्तन जहाँ संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल परियोजना के जीवनकाल तक सीमित हैं, जो बदले में आरक्षित की संभावित और आर्थिक व्यवहार्यता के जीवनकाल तक सीमित है, मूल्यह्रास प्रभारित करने के लिए संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल को प्रभावित कर सकता है। निष्कर्षण, भूविज्ञान और भंडार निर्धारण में विशेषज्ञों द्वारा खानों में बॉक्साइट भंडार का अनुमान लगाया जाता है और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स (आईबीएम) को पेश की गई अनुमोदित खनन योजना पर आधारित है।

4.2.4 नियुक्ति पश्चात् लाभ देयता के लिए देनदारी

नियक्ति पश्चात् लाभ और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ की देनदारी, बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर होती है, जो कि यथार्थवादी बीमांकिक मान्यताओं पर आधारित है।

4.2.5 प्रावधान और आकस्मिक देनदारियाँ

कर, कानूनी, बहाली और पुनर्वास, संविदात्मक और अन्य जोखिम या दायित्वों सहित एक प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि, किसी भी ब्याज शुल्क सहित, दायित्वों के चतुर्दिक जोखिम और अनिश्चितताओं को हिसाब में लेते हुए संबंधित देनदारियों को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक विचारों का सबसे अच्छा अनुमान है। कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों अपनी देनदारियों और आकस्मिक देनदारियों का आकलन करती है, जो उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना, प्रासंगिक कर और अन्य कानूनों, आकस्मिकताओं और अन्य उपयुक्त आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं।

4.2.6 उचित मूल्य माप और मूल्यांकन प्रक्रिया

वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजनों के लिए, उचित मूल्य माप को स्तर 1, 2 या 3 के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जो उचित मूल्य माप के लिए विचारयोग्य निविष्टि के स्तर एवं अपने स्वरूप में पूरी तरह उचित मूल्य माप के लिए निविष्टि के महत्व पर आधारित होते हैं, जिनका निम्नलिखित अनुसार वर्णन किया गया है:

- स्तर 1 निविष्टियाँ समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में भाव बोली के मूल्य (असंजित) हैं, जिन तक माप की तारीख पर कंपनी की पहुँच हो सकती है;
- स्तर 2 की निविष्टियाँ वे निविष्टियाँ हैं, जो स्तर 1 के भीतर शामिल बोली लगाई गई कीमतों के अलावा, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति या देनदारी के लिए अवलोकन किया जा सकता है; तथा;
- स्तर 3 की निविष्टियाँ परिसंपत्ति या देनदारी के लिए अवलोकन नहीं की जा सकने वाली निविष्टियाँ हैं।

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

5.क - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	सकल वहन राशि				संचित मूल्यह्रास एवं परिशोधन				वहन राशि	
	31-03-2019 को यथा	संयोजन/ अंतरण	निपटान/ अंतरण/ समायोजन	31-03-2020 को यथा	31-03-2019 को यथा	वर्ष के लिए	आहरण/ अंतरण/ समायोजन	31-03-2020 को यथा	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
निजी स्वामित्व की परिसंपत्ति										
पूर्ण स्वामित्व की भूमि	86.41	(4.53)	—	81.88	—	—	—	—	81.88	86.41
भवन	723.15	33.33	—	756.48	144.98	34.88	—	179.86	576.62	578.17
संयंत्र एवं उपकरण	7,921.89	448.89	(39.34)	8,331.44	1,575.52	447.01	(27.81)	1,994.72	6,336.72	6,346.37
फर्नीचर एवं जोड़नार	19.39	3.13	(0.08)	22.44	9.76	2.39	(0.08)	12.07	10.37	9.63
कार्यालय उपकरण	44.39	7.29	(0.18)	51.50	20.18	8.34	(0.18)	28.34	23.16	24.21
वाहन	27.32	4.83	(0.25)	31.90	10.69	2.91	(0.18)	13.42	18.48	16.63
रेलवे साइडिंग	64.16	—	—	64.16	16.21	4.00	—	20.21	43.95	47.95
पट्टायुक्त परिसंपत्ति										
पट्टायुक्त भूमि (उपयोग का अधिकार)	—	86.54	—	86.54	—	3.18	—	3.18	83.36	—
कुल योग	**8,886.71**	**579.48**	**(39.85)**	**9,426.34**	**1,777.34**	**502.71**	**(28.25)**	**2,251.80**	**7,174.54**	**7,109.37**

टिप्पणियाँ:

5.क.1 64.15 एकड़ भूमि को छोड़कर ओड़िशा सरकार के माध्यम से अर्जित पूर्ण स्वामित्व की भूमि के स्वत्वाधिकार विलेख कार्यान्वित हो चुके हैं। कंपनी पूर्ण स्वामित्व की भूमि को औद्योगिक उपयोग के लिए परिवर्तित करने की प्रक्रिया में है एवं इस मामले को राजस्व प्राधिकारियों के साथ हाथ में लिया गया है।

5.क.2 कंपनी के पास 1655.40 एकड़ की पट्टायुक्त भूमि है जिसके लिए पट्टा विलेख का निष्पादन किया जाना अभी शेष है। तथापि, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा कंपनी को उक्त भूमि पर अपना प्रचालन करने की अनुमति दी गई है।

5.क.3 ₹5.50 करोड़ की वहन राशि के साथ कोलकाता म्यूनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी से क्रय किए गए कोलकाता में 6,459 वर्गफीट के कार्यालय स्थल (भवन) के संबंध में पंजीयन औपचारिकताएँ प्रक्रियाधीन हैं।

5.क.4 पट्टायुक्त परिसंपत्तियाँ (उपयोग का अधिकार)

	पट्टेवाली भूमि
01.04.2019 को यथा शेष	31.61
इंड एएस 116 में बदलाव के कारण संयोजन	2.16
संयोजन	52.77
निपटान	—
31.03.2020 को यथा शेष	86.54
संचित मूल्यह्रास	
संयोजन	3.18
निपटान	—
31.03.2020 को यथा शेष	3.18
31.03.2020 को यथा वहन राशि	83.36

कंपनी ने पूर्वप्रभाव विधि का उपयोग करते हुए 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी इंड एएस 116 को अपनाया है। कंपनी ने प्रारंभिक अनुप्रयोग की तिथि (1 अप्रैल, 2019) को स्वीकृत संचयी प्रभाव के साथ अपने पट्टों पर मानक को अपनाया है। इसी अनुसार, पूर्व अवधि की सूचना को पुनः व्यक्त नहीं किया गया है।

इसी अनुसार, 1.4.2019 की तिथि को ₹2.16 करोड़ की पट्टा देयता समेत ₹33.77 करोड़ की उपयोगाधिकार परिसंपत्ति (अधिकांश पट्टे वाली भूमि) की स्वीकृति उत्पन्न हुई है। वर्ष के दौरान, वाइजेग पोर्ट में पट्टेवाली भूमि के संबंध में ₹52.77 करोड़ की उपयोगाधिकार परिसंपत्ति को जोड़ा गया है जिससे उस राशि की पट्टा देयता की स्वीकृति हुई है। चूंकि सभी पट्टे पूर्व-प्रदत्त प्रकृति में है, इसलिए 1 अप्रैल, 2019 को प्रतिधारित आय में कोई समायोजन की जरूरत नहीं पड़ी थी।

वर्तमान वर्ष के लिए लाभ एवं हानि के विवरण में पूर्व की अवधियों में अन्य व्यय के रूप में मान्यता दी गई प्रचालनीय पट्टा व्यय को ₹3.18 करोड़ की उपयोगाधिकार संपत्ति के लिए मूल्यह्रास व्यय के रूप में एवं ₹ 3.98 करोड़ राशि की पट्टा देयता पर प्रोद्भूत ब्याज के लिए वित्त लागत के रूप में स्वीकृति दी गई है [टिप्पणी 32(क) देखें]। इस मानक के अंगीकार से वर्ष के लाभ पर एवं प्रति शेयर अर्जन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है।

कंपनी ने अल्पकालिक पट्टे एवं कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टे के संबंध में व्यय बाबत 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ₹0.82 करोड़ व्यय किया है। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अल्पकालिक पट्टे एवं कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टे नकद प्रवाह समेत पट्टे के लिए कुल नकद प्रवाह ₹4.27 करोड़ है।

6. पूंजी कार्य प्रगति में (सीडब्ल्यूआईपी)

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
पूंजी कार्य प्रगति में	1,135.86	809.59
मार्गस्थ समेत निर्माण सामग्री	41.30	34.32
	1,177.16	**843.91**

6.1. प्रगति में पूंजी कार्य की राशि में शामिल है उत्कल-डी एवं उत्कल-ई कोल ब्लॉक को आरोप्य अवसंरचना विकास व्यय के बाबत ₹46.44 करोड़ (पिछला वर्ष ₹41.16 करोड़) की राशि शामिल है। इसमें 5वीं धारा एल्यूमिना परिशोधन विस्तार के लिए ₹62.09 करोड़ (पिछला वर्ष ₹7.77 करोड़) का व्यय एवं ओड़िशा में अवसंरचना विकास जो पोट्टांगी खानों के आवंटन हेतु ओड़िशा सरकार के प्रति कंपनी का अनिवार्य दायित्व था, पर व्यय के लिए ₹62.01 करोड़ का पूर्व-परियोजना व्यय भी शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

7. अमूर्त परिसंपत्तियाँ

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	सकल वहन राशि				संचित मूल्यह्रास एवं परिशोधन				वहन राशि	
	31-03-2019 को यथा	संयोजन/ अंतरण	निपटान/ अंतरण/ समायोजन	31-03-2020 को यथा	31-03-2019 को यथा	वर्ष के लिए	आहरण/ अंतरण/ समायोजन	31-03-2020 को यथा	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
उपयोग अधिकार	79.79	—	—	79.79	7.28	4.00	—	11. 28	68.51	72.51
कम्प्यूटर सॉफ्टेवयर	8.33	2.91	—	11.24	6.09	1.61	—	7.70	3.54	2.24
खनन अधिकार [टिप्पणी 8.1 देखें]	130.34	158.05	—	288.39	31.21	20.01	—	51.22	237.17	99.13
लाइसेंस	10.25	—	—	10.25	7.72	1.52	—	9.24	1.01	2.53
कुल योग	**228.71**	**160.96**	—	**389.67**	**52.30**	**27.14**	—	**79.44**	**310.23**	**176.41**

टिप्पणी:

7.1 कंपनी ओड़िशा सरकार द्वारा मंजूरीप्राप्त पट्टे पर आधारित पंचपटमाली बॉक्साइट खान में अपनी खनन गतिविधियाँ प्रचालित कर रही है। पट्टा नवीकरण के संबंध में, कंपनी ने एन.पी.वी. एवं प्रासंगिक भुगतानों को अदा किया है जिसे खनन अधिकारों के अंतर्गत अमूर्त आस्तियों के रूप में पूँजीगत किया गया है और कंपनी की लेखाकरण नीति के अनुसार सीधी रेखा आधार पर परिशोधन किया गया।

8. विकास के अधीन अमूर्त आस्तियाँ

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
खनन अधिकार	249.54	38.80
	249.54	**38.80**

टिप्पणी:

8.1 विकासाधीन खनन अधिकार में कोयला खनन के लिए पट्टेवाली भूमि के अधिग्रहण हेतु व्यय, कोयला ब्लॉक के आबंटन, एनपीवी एवं कोयला ब्लॉक की वन्यजीवन प्रबंधन योजना एवं संबंधित कार्यों के लिए सांविधिक प्राधिकारियों को किया गया भुगतान शामिल है।

9. निवेश

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
क.	गैर-चालू		
क.1	इक्विटी साधनों में निवेश		
क.1.1	सहयोगियों में निवेश		
क.1.2	संयुक्त उद्यमों में निवेश		
	अनुद्धृत निवेश		
क)	उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड (31.03.2020 को यथा : ₹ 10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के 1,00,00,000 शेयर, 31.03.2019 को य़था: ₹ शून्य प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के शून्य शेयर)	8.37	—
	₹10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के 1,00,00,000 शेयरों के लिए शेयर आवेदन राशि #	10.00	—
	कुल	**18.37**	—
	[# ₹10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के 1,00,00,000 संख्यक इक्विटी शेयर दिनांक 14.05.2020 को राइट इशू के अधीन उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है।]		
ख)	खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (31.03.2020 को यथा : ₹ 10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के 40,000 शेयर, 31.03.2019 को यथा: ₹ शून्य प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के शून्य शेयर)	0.04	—
	₹10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के 9,60,000 शेयरों के लिए शेयर आवेदन राशि##	0.60	—
	कुल	**0.64**	—
	[## ₹10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के 9,60,000 संख्यक इक्विटी शेयर दिनांक 12.06.2020 को राइट इशू के अधीन खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है]		

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

9. निवेश (जारी)

राशि करोड़ ₹ में

				31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
क.	गैर-चालू				
	क.1	इक्विटी साधनों में निवेश			
		क.1.2	संयुक्त उद्यमों में निवेश		
			अनुद्धृत निवेश		
		ग)	अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड (31.03.2020 को यथा : ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 1,62,23,900 शेयर, 31.03.2019 को यथा: ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 1,62,23,900 शेयर)	17.87	17.38
			कुल	**17.87**	**17.38**
		घ)	जीएसीएल-नालको अल्कालिज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (31.03.2020 को यथा: ₹ 10 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 24,00,00,000 शेयर, 31.03.2019 को यथाः ₹10 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 15,95,30,934 शेयर)	238.77	158.80
			कुल	**238.77**	**158.80**
			वर्ष के दौरान जीएसीएल-नालको अल्कालिज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने कंपनी को ₹ 10 प्रत्येक के 8,04,69,066 संख्यक पूर्ण-प्रदत्त इक्विटी शेयर राइट इशू के अधीन जारी किए।		
			संयुक्त उद्यमों में कुल निवेश	**275.65**	**176.18**

संयुक्त उद्यमों के विवरण

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी के प्रत्येक संयुक्त उद्यम का विवरण निम्नवत् है :

संयुक्त उद्यम का नाम	प्रधान गतिविधि एवं कारोबार का स्थान	स्वामित्व हित का समानुपात/कंपनी द्वारा धारित मतदान अधिकार	
(क) उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड	महत्वपूर्ण, कार्यनीतिक एवं अन्य क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्क्रैप समेत सभी उच्च श्रेणी के एल्यूमिनियम मिश्र धातु उत्पादों का निर्माण, विपणन, विक्रय, क्रय, व्यापार, वितरण, आयात एवं निर्यात	50.00%	—
(ख) खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड	भारत के बाहर कार्यनीतिक खनिजों की पहचान, अन्वेषण, अर्जन, विकास, खनन, प्रक्रिया, प्रापण एवं विक्रय	40.00%	—
(ग) अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड	एल्यूमिनियम विशिष्ट अनुप्रवाह को ओड़िशा, भुवनेश्वर एवं ओड़िशा में प्रोत्साहन देना	49.00%	49.00%
(घ) जीएसीएल-नालको अल्कालिज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	कास्टिक सोड़ा का उत्पादन, वडोदरा, गुजरात	40.00%	40.00%

व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण संयुक्त उद्यमों के संबंध में वित्तीय सूचना

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	यूडीएनएल		केएबीआईएल		एएपीपीएल		जीएनएएल	
	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	2.23	—	—	—	28.87	4.35	1,338.46	424.87
चालू परिसंपत्तियाँ	34.52	—	1.58	—	52.69	43.93	118.26	60.41
गैर-चालू देयताओं	—	—	—	—	23.99	12.21	701.10	48.13
चालू देयताओं	0.01	—	0.01	—	21.09	0.59	158.65	40.12

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

9. निवेश (जारी)

राशि करोड़ ₹ में

परिसंपत्तियों और देनदारियों की उपर्युक्त राशियों में शामिल हैं :								
नकद एवं नकद समतुल्य	34.51		1.58	—	51.40	42.90	53.29	49.76
चालू वित्तीय देनदारियाँ (व्यापार देय एवं प्रावधान छोड़कर)	—	—	—	—	—	—	156.78	38.09
गैर-चालू वित्तीय देनदारियाँ (व्यापार देय एवं प्रावधान छोड़कर)	—	—	—	—	—	—	701.10	48.13
राजस्व	—	—	—	—	1.51	1.38	1.38	5.59
निरंतर प्रचालनों से लाभ या हानि	(3.26)	—	(0.01)	—	1.01	0.95	(1.25)	2.05
वर्ष के लिए अन्य विशद आय	—	—	—	—	—	—	—	—
वर्ष के लिए कुल विशद आय	(3.26)	—	(0.01)	—	1.01	0.95	(1.25)	2.05
विवरण	**यूडीएएनएल**		**केएबीआईएल**		**एएपीपीएल**		**जीएनएएल**	
	31.03.2020 को यथा	**31.03.2019 को यथा**	**31.03.2020 को यथा**	**31.03.2019 को यथा**	**31.03.2020 को यथा**	**31.03.2019 को यथा**	**31.03.2020 को यथा**	**31.03.2019 को यथा**
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	0.03	—	—	—	—	—	0.12	0.10
ब्याज आय	—	—	—	—	1.51	1.38	0.43	1.86
ब्याज व्यय	—	—	—	—	—	—	—	—
आयकर व्यय (आय)	(0.38)	—	—	—	0.39	0.37	0.36	1.59
समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यताप्राप्त सं.उ. में ब्याज की वहन राशि में उपर्युक्त सारयुक्त वित्तीय सूचना का पुनर्मिलानः								
संयुक्त उद्यम की शुद्ध परिसंपत्ति	36.75	—	1.58	—	36.48	35.47	596.96	397.04
सं.उ. में समूह के स्वामित्व ब्याज का समानुपात (%)	50%	—	40%	—	49%	49%	40%	40%
सं.उ. में समूह के स्वामित्व ब्याज का समानुपात (आईएनआर)	18.37	—	0.63	—	17.87	17.38	238.78	158.80
जोड़ें:- इक्विटी के विरुद्ध शेयर वारंट/अग्रिम का अतिरिक्त अंशदान	—	—	—	—	—	—	—	—
जोड़ें:- अधिग्रहण पर साख	—	—	—	—	—	—		—
घटाएं:- वसूल नहीं हुए लाभ	—	—	—	—	—	—		—
सं.उ. की शुद्ध परिसंपत्ति में समूह का अंश	**18.37**	**—**	**0.63**	**—**	**17.87**	**17.38**	**238.78**	**158.80**
समूह के ब्याज की वहन राशि	**18.37**	**—**	**0.63**	**—**	**17.87**	**17.38**	**238.78**	**158.80**

क.1.3	अन्य प्रतिष्ठानों में निवेश	**31.03.2020 को यथा**	**31.03.2019 को यथा**
	अनुद्धृत निवेश		
	ओड़िशा कैपिटल मार्केट एण्ड एन्टरप्राइजेस लिमिटेड (₹ 1 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 2,89,000 शेयर)	0.03	0.03
	कुल - अन्य प्रतिष्ठानों में निवेश	**0.03**	**0.03**
	कुल - इक्विटी साधनों में निवेश	**275.68**	**176.21**
	अतिरिक्त सूचना		
	अनुद्धृत निवेशों की सकल अग्रेनीत राशि	275.68	176.21

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

9. निवेश (जारी)

राशि करोड़ ₹ में

ख.	चालू	31.03.2020 को यथा		31.03.2019 को यथा	
	म्युचुअल फंड में निवेश	'000 में एकक	राशि ₹ करोड़ में	'000 में एकक	राशि ₹ करोड़ में
	उद्धृत निवेश				
	बीओआई एएक्सए लिक्विड फंड	50	5.00	130	13.01
	बीओआई एएक्सए ओवरनाइट फंड	100	10.00	—	—
	बड़ौदा लिक्विड फंड	120	12.00	—	—
	कनाड़ा रोबेको लिक्विड	—	—	80	8.01
	आईडीबीआई लिक्विड फंड	—	—	—	—
	एसबीआई लिक्विड फंड डायरेक्ट डेली डिविडेंड	—	—	80	8.01
	एसबीआई प्रीमियर लिक्विड फंड	—	—	—	—
	एसबीआई डेब्ट फंड सीरीज़ सी-31 (365 दिन)	—	—	250	25.77
	यूनियन केबीसी लिक्विड	180	18.01	110	11.00
	यूटीआई लिक्विड कैश प्लान - डायरेक्ट डेली डिविडेन्ड रिइन्वेस्टमेंट	100	10.00	150	15.01
	यूटीआई मनी मार्केट फंड	—	—	—	—
कुल - अन्य चालू निवेश		—	55.01	—	80.81
अतिरिक्त सूचना					
उद्धृत निवेशों का सकल बही मूल्य और इनका बाजार मूल्य		—	55.01	—	80.81
अनुद्धृत निवेशों की सकल अग्रेनीत राशि		—	—	—	—
निवेशों के मूल्य में क्षति की सकल राशि		—	—	—	—

संवर्ग-वार वर्गीकरण

	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
वित्तीय परिसंपत्तियों (उद्धृत निवेश) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर अनिवार्य रूप से परिमित (एफवीटीपीएल)	55.01	80.81
	55.01	80.81

10. व्यापारिक प्राप्य

राशि करोड़ ₹ में

क.	गैर-चालू	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
(क)	अच्छा माना गया - सुरक्षित	—	—
(ख)	अच्छा माना गया - असुरक्षित	—	—
(ग)	ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	—	—
(घ)	ऋण क्षति	37.11	37.11
	घटाएं: संदिग्ध वसूली के लिए भत्ते (अपेक्षित ऋण हानि भत्ते)	37.11	37.11
गैर-चालू व्यापारिक प्राप्य		—	—
ख.	चालू	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
(क)	अच्छा माना गया - सुरक्षित	—	—
(ख)	अच्छा माना गया - असुरक्षित	140.09	240.52
(ग)	ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	—	—
(घ)	ऋण क्षीणता	—	—
घटाएं: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ते		—	—
चालू व्यापारिक प्राप्य		**140.09**	**240.52**

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

10. व्यापारिक प्राप्य (जारी)

टिप्पणियाँ:

10.1 माल (एल्यूमिना और एल्यूमिनियम) की बिक्री ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम या ऋण-पत्र के विरुद्ध की जाती है। ग्राहक से प्राप्त अग्रिम को बिक्री पर समायोजित किया जाता है। पवन विद्युत की बिक्री के लिए औसत उधारी अवधि मीटरिंग की तिथि से 30 दिनों की होती है, जिसे संग्रह अवधि माना जाता है।

10.2 ग्राहक जो व्यक्तिगत रूप से 31.03.2020 को यथा कुल व्यापारिक प्राप्य के 5% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं :

ग्राहक		व्यापारिक प्राप्य का %	ग्राहक की श्रेणी
क.	ट्रेफिगुरा पीटीई लि.	39%	एल्यूमिना
ख.	एपीएसपीडीसीएल	18%	पवन विद्युत
ग.	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि.	12%	पवन विद्युत
घ.	आरडीपीपीसी, देवीकोट, राजस्थान	5%	पवन विद्युत

10.3 मामले से मामले के आधार पर व्यापारिक प्राप्य के लिए आशान्वित ऋण हानि भत्ते के संगणन के द्वारा कंपनी ने एक व्यावहारिक तरीका अपनाया है। चूँकि एल्यूमिना और एल्यूमिनियम की बिक्री के लिए कोई उधारी अवधि नहीं है और बिक्री या तो अग्रिम के विरुद्ध की जाती है या ग्राहक द्वारा दिए गए साख-पत्र (एलसी) की मदद से की जाती है, ऐसे प्राप्यों के लिए कोई उधारी हानि अपेक्षित नहीं है। पवन विद्युत की बिक्री के लिए, हालांकि कोई उधारी व्यवस्था नहीं है, परंतु कंपनी ने उधारी हानि अनुभव के आधार पर और अग्रदर्शी सूचना के आधार पर उधारी हानि का आकलन किया है।

10.4

प्राप्यों की आयु	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
एल्यूमिना एवं एल्यूमिनियम		
0-30 दिन	78.04	167.36
3-6 महीने	—	—
6 महीने से अधिक	37.11	37.11
	115.15	**204.47**
पवन ऊर्जा		
0-3 महीने	9.28	14.50
3-6 महीने	7.31	9.89
6 महीने से अधिक	45.46	48.77
	62.05	**73.16**

11. ऋण

राशि करोड़ ₹ में

क.	गैर-चालू	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
(क)	कर्मचारियों को ऋण		
	सुरक्षित, अच्छा माना गया	62.42	62.60
	असुरक्षित, अच्छा माना गया	10.30	11.90
(ख)	अन्य को ऋण		
	सुरक्षित, अच्छा माना गया	0.30	0.24
कुल गैर-चालू ऋण		**73.02**	**74.74**

ख.	चालू	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
(क)	कर्मचारियों को ऋण		
	अच्छा माना गया-सुरक्षित	29.52	17.88
	अच्छा माना गया-असुरक्षित	9.07	7.16
(ख)	संबंधित पार्टियों को ऋण		
	अच्छा माना गया-सुरक्षित [टिप्पणी 11.2 का संदर्भ लें]	0.02	0.01
(ग)	अन्य को ऋण		
	अच्छा माना गया-सुरक्षित	1.55	0.70
कुल चालू ऋण		**40.16**	**25.75**

टिप्पणी:

11.1 कर्मचारियों और अन्य को ऋण परिशोधित लागत पर लिए गए हैं।

11.2 प्रासंगिक पार्टियों (निदेशकों) से बकाया ऋण की राशि कंपनी के निदेशकों द्वारा उनके निदेशक-पद में योग के पूर्व कर्मचारी के रूप में लिए गए गृह निर्माण ऋण की राशि है। इन ऋणों पर आगे की सूचना टिप्पणी-38 प्रासंगिक पार्टी प्रकटन में निर्दिष्ट है।

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

12. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
क.	गैर-चालू		
	प्रतिभूति जमा	10.48	10.37
	कुल अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	10.48	10.37
ख.	चालू	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
(क)	कर्मचारियों को अग्रिम	0.04	0.12
(ख)	बीमा दावा प्राप्य और अन्य	8.46	9.56
सकल - अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ		8.50	9.68
घटाएं: खराब और संदिग्ध अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए भत्ते			
(क)	बीमा दावे	8.45	8.45
कुल खराब और संदिग्ध-अन्य चालू परिसंपत्तियों के लिए भत्ते		8.45	8.45
शुद्ध अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ		0.05	1.23
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण:			
असुरक्षित, अच्छा माना गया		0.05	1.23
संदिग्ध		8.45	8.45
सकल अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ		8.50	9.68

टिप्पणी:

12.1 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ परिशोधित लागत पर ली गई हैं।

13. चालू कर परिसंपत्तियाँ

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
आय कर	46.22	51.26
कुल चालू कर परिसंपत्तियाँ	46.22	51.26

14. अन्य परिसंपत्तियाँ

राशि करोड़ ₹ में

			31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
क.	गैर-चालू			
(क)	पूँजी अग्रिम		197.18	222.57
(ख)	पूँजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम			
	सार्वजनिक निकायों के पास अग्रिम			
	(1)	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, पत्तन न्यास आदि	216.66	226.86
	(2)	आयकर प्राधिकारी के पास जमा (शुद्ध)	285.55	268.06
	(3)	अन्य सरकारी प्राधिकारी	2.18	2.65
(ग)	अन्य			
	पूर्व भुगतान किए गए व्यय			
	(1)	पट्टा-युक्त भूमि के लिए प्रीमियम [टिप्पणी 14.1 देखें]	—	377.35
	(2)	आस्थगित कर्मचारी लाभ	18.29	19.66
सकल अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			719.86	1,117.15
घटाएँ: अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों के लिए खराब एवं संदिग्ध हेतु भत्ते				
(क)	पूँजी अग्रिम		0.26	0.27
कुल खराब एवं संदिग्ध अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के लिए भत्ते			0.26	0.27
कुल अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			719.60	1,116.88

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

14. अन्य परिसंपत्तियाँ (जारी)

राशि करोड़ ₹ में

ख.	चालू		31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
पूँजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम				
(क)	सांविधिक प्राधिकारियों के पास दावे			
	(1)	निर्यात प्रोत्साहन दावे	14.33	29.87
	(2)	नवीकरणीय स्रोत से सृजित विद्युत पर सृजन आधारित प्रोत्साहन एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र	3.86	2.73
	(3)	वेट, सेनवेट एवं जीएसटी क्रेडिट वसूलीयोग्य	345.47	302.78
	(4)	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं रेलवे अधिकारियों से प्राप्य दावे	8.79	8.94
(ख)	पूर्व भुगतान किए गए व्यय			
	(1)	पट्टायुक्त भूमि के लिए प्रीमियम [टिप्पणी 14.1 देखें]	-	12.95
	(2)	आस्थगित कर्मचारी लाभ	2.85	4.21
	(3)	अन्य पूर्व प्रदत्त व्यय	5.29	6.65
ग)	हाथ में स्वर्ण मुद्राएँ एवं डाक टिकटें		0.01	0.08
(घ)	अन्य प्राप्य		1.63	2.08
(ङ)	अन्य अग्रिम			
	(1)	कर्मचारियों को अग्रिम	28.46	24.16
	(2)	आपूर्तिकर्ताओं एवं सेवा-प्रदाताओं को अग्रिम	395.11	304.40
	(3)	अन्य	2.67	7.47
सकल अन्य चालू परिसंपत्तियाँ			**808.47**	**706.32**
घटाएँ: खराब एवं संदिग्ध अन्य चालू परिसंपत्तियों के लिए भत्ते				
(क)	वेट एवं सेनवेट क्रेडिट वसूलीयोग्य		197.81	200.09
(ख)	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं रेलवे प्राधिकारियों से प्राप्य दावे		7.09	6.39
(ग)	अन्य प्राप्य		1.00	1.26
(घ)	आपूर्तिकर्ताओं एवं सेवा प्रदाताओं को अग्रिम		1.88	1.81
(ङ)	अन्य		1.85	2.00
खराब एवं संदिग्ध अन्य चालू परिसंपत्तियों के लिए कुल भत्ते			**209.63**	**211.55**
कुल अन्य चालू परिसंपत्तियाँ			**598.84**	**494.77**

टिप्पणी:

14.1 1 अप्रैल, 2019 से कंपनी ने इंड एएस 116 "पट्टे" को अपनाया है, रूपांतरित पूर्वप्रभावी विधि का उपयोग करते हुए 1 अप्रैल, 2019 को विद्यमान सभी पट्टा अनुबंध पर लागू किया। स्थानांतरण की तिथि अर्थात 1.4.2019 को ₹390.30 करोड़ की पट्टा प्रीमियम की कुल राशि जिसमें मुख्यतया भूमि पट्टे पर पूर्वदत्त प्रीमियम शामिल है, को निम्नरूप में स्वीकृति दी गई है:

- बॉक्साइट खानों के संबंध में, पट्टा प्रीमियम के लिए ₹157.57 करोड़ का खनन अधिकार,
- कोल माइन्स डिवीजन के संबंध में पट्टा प्रीमियम के लिए ₹201.12 करोड़ का विकास के अधीन खनन अधिकार एवं,
- ₹31.61 करोड़ की पट्टायुक्त भूमि

(₹2.16 करोड़ के भावी पट्टा भुगतान के छूट प्राप्त मूल्य के साथ ₹31.61 करोड़ के पूर्व प्रदत्त पट्टा प्रीमियम को 1.4.2019 की तिथि के अनुसार ₹33.77 करोड़ की उपयोगाधिकार परिसंपत्ति के रूप में स्वीकृति दी गई है, (टिप्पणी सं. 5 देखें)

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

15. मालसूची

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
(क)	कच्चे माल	89.46	125.55
(ख)	कोयला एवं ईंधन तेल	338.63	199.97
(ग)	तैयार उत्पाद	440.02	122.29
(घ)	कार्बन एनोड (मध्यवर्ती वस्तुएँ)	153.03	141.12
(ङ)	प्रगति में कार्य	282.54	246.95
(च)	भंडार और कल-पुर्जे	378.51	361.10
(छ)	स्क्रैप एवं निपटानयोग्य वस्तुएँ	14.71	13.03
कुल मालसूची		**1,696.90**	**1,210.01**
ऊपर शामिल, मार्गस्थ मालः			
(i)	कच्चे माल	10.71	9.26
(ii)	कोयला एवं ईंधन तेल	10.48	13.87
(iii)	भंडार और कल पुर्जे	9.86	12.15
कुल मार्गस्थ माल		**31.05**	**35.28**

टिप्पणी:

15.1 वर्ष के दौरान व्यय के रूप में स्वीकृत मालसूची की लागत ₹4,027.93 करोड़ है (पिछले वर्षः ₹4,516.36 करोड़)।

15.2 व्यय के रूप में स्वीकृत मालसूची की लागत में गैर-सचल वस्तुओं के लिए मालसूची के बट्टे खाते डाले जाने के संबंध में ₹4.23 करोड़ (पिछले वर्षः ₹3.52 करोड़) शामिल है।

15.3 ये मालसूचियाँ कैश-क्रेडिट सुविधा के विरुद्ध बन्धक/वचनबद्ध हैं।

15.4 मालसूचियों के मूल्य-निर्धारण की पद्धति 3.10 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में वर्णित है।

16.क. नकद और नकद समतुल्य

राशि करोड़ ₹ में

			31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
(क)	बैंक में शेष			
	(1)	अनुसूचित बैंकों में शेष		
	(i)	चालू खाते में	18.47	171.60
कुल नकद एवं नकद समतुल्य			**18.47**	**171.60**

16.ख. बैंक शेष (नकद और नकद समतुल्य के अलावा)

		31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
(क)	जमा खाते में (मूल परिपक्वता 3-12 महीने के बीच वाले)	1,404.55	2,972.65
	मूलधन	1,358.00	2,880.00
	प्रोद्भूत ब्याज	46.55	92.65
(ख)	अनुसूचित बैंक में निश्चित किए गए शेष	557.51	352.10
कुल अन्य बैंक शेष		**1,962.06**	**3,324.75**

टिप्पणी:

16.ख.1 अनुसूचित बैंकों में निश्चित किए गए शेष, विवादित विद्युत प्रभार के लिए ओड़िशा के माननीय उच्च न्यायालय के अनुदेश के तहत ₹2.95 करोड़ की दावाहीन लाभांश राशि (पिछला वर्ष ₹3.27 करोड़) एवं ₹554.56 करोड़ (पिछला वर्षः ₹348.83 करोड़) की जमा (प्रोद्भूत ब्याज समेत) बाबत जमा की गई राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं।

16.ख.2 चालू वर्ष के अंत में निवेशक की शिक्षा और संरक्षण निधि में जमा करने के लिए देय राशि ₹ शून्य है (पिछले वर्ष ₹ शून्य)।

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

17. शेयर पूँजी

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
अधिकृत शेयर पूँजी :		
₹ 5 प्रत्येक के 6,00,00,00,000 इक्विटी शेयर	3,000.00	3,000.00
	3,000.00	**3,000.00**
जारी और अभिदत्त पूँजी में शामिल है:		
₹ 5 प्रत्येक के 1,86,56,17,498 पूर्ण-प्रदत्त इक्विटी शेयर (31.03.2019 को यथा: ₹ 5 प्रत्येक 1,86,56,17,498 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर)	932.81	932.81
	932.81	**932.81**

17.1 इक्विटी शेयरों की संख्या का पुनर्मिलान

	शेयरों की संख्या	राशि करोड़ ₹ में
31.03.2018 को यथा शेष	**1,93,29,28,884**	**966.46**
शेयरों की वापस खरीद	(6,73,11,386.00)	(33.65)
31.03.2019 को यथा शेष	**1,86,56,17,498**	**932.81**
वर्ष के दौरान परिवर्तन	—	—
31.03.2020 को यथा शेष	**1,86,56,17,498**	**932.81**

(i) कंपनी के पास केवल एक श्रेणी के इक्विटी शेयर है जिसके प्रत्येक का मूल्य ₹ 5 के समान है। प्रत्येक इक्विटी शेयरधारक के पास एक मत प्रति शेयर का अधिकार है एवं उनकी धारिता पर आधारित कंपनी द्वारा घोषित लाभांश का समानुपातिक अधिकार इस पर है।

(ii) **वापस खरीद:** वर्ष 2016-17 के दौरान कंपनी ने ₹5 प्रत्येक के 64,43,09,628 संख्यक इक्विटी शेयरों की वापस ख़रीद की जिससे इक्विटी शेयर पूँजी ₹1,288.62 करोड़ से घटकर ₹966.46 करोड़ रह गई। वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी ने फिर से ₹5 प्रत्येक के 6,73,11,386 संख्यक इक्विटी शेयरों की वापस खरीद की जिससे इक्विटी शेयर पूँजी ₹966.46 करोड़ से पुनः घटकर ₹ 932.81 करोड़ रह गई।

(iii) **विनिवेश:** वर्ष 2017-18 के दौरान भारत सरकार ने 27,77,65,383 संख्यक पूर्णत प्रदत्त इक्विटी शेयर (ओएफएस के माध्यम से 17,80,69,927 संख्यक, कर्मचारी प्रस्ताव के माध्यम से 76,17,057 संख्यक एवं ईटीएफ के माध्यम से 9,20,78,399 संख्यक), जिसके फलस्वरूप भारत सरकार की धारिता 31.03.2017 को 1,44,14,82,490 संख्यक (74.58%) से घटकर 31.03.2018 को 1,16,37,17,107 संख्यक (60.2%) रह गई। वर्ष 2018-19 के दौरान, भारत सरकार ने फिर से ईटीएफ के माध्यम से 8,89,86,323 संख्यक इक्विटी शेयरों का विनिवेश किया है। 2018-19 के दौरान भारत सरकार द्वारा ईटीएफ के माध्यम से शेयरों की वापस खरीद एवं अंतरण के कारण भारत सरकार की धारिता 31.03.2018 को 1,16,37,17,107 संख्यक (60.20%) से घटकर 31.03.2019 को 97,00,81,517 संख्यक (51.99%) रह गई।

वर्तमान वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने भारत 22 ईटीएफ के माध्यम से 92,88,506 संख्यक इक्विटी शेयरों का विनिवेश किया है जिसके फलस्वरूप भारत सरकार की धारिता 31.03.2019 के 97,00,81,517 संख्यक (51.99%) से 31.03.2020 को घटकर 96,07,93,011 संख्यक (51.50%) रह गई है।

17.2 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों का विवरण

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2020 को यथा		31.03.2019 को यथा	
	धारित शेयरों की संख्या	धारित इक्विटी शेयरों का %	धारित शेयरों की संख्या	धारित इक्विटी शेयरों का %
पूर्ण-प्रदत्त इक्विटी शेयर				
भारत सरकार	96,07,93,011	51.50%	97,00,81,517	51.99%
भारतीय जीवन बीमा निगम	9,41,04,003	5.04%	9,34,35,272	5.00%
आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल इन्फ्रास्ट्राक्चर फंड	11,00,27,027	5.90%	7,80,85,124	4.18%
अन्य	70,06,93,457	37.56%	72,40,15,585	38.81%
कुल	**1,86,56,17,498**	**100.00%**	**1,86,56,17,498**	**100.00%**

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

18. अन्य इक्विटी

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
(क)	पूँजी मोचन आरक्षित	355.81	355.81
(ख)	सामान्य आरक्षित	8,113.10	8,113.10
(ग)	प्रतिधारित आय	584.78	1,083.22
कुल		**9,053.69**	**9,552.13**

18.1 अन्य इक्विटी में संचलन

राशि करोड़ ₹ में

अन्य इक्विटी	आरक्षित एवं अधिशेष			कुल
	पूँजी मोचन आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	
01.04.2018 को यथा शेष	**322.16**	**8,620.53**	**594.80**	**9,537.49**
वर्ष के दौरान लाभ	—	—	1,733.69	1,733.69
अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	—	—	(0.15)	(0.15)
वर्ष के लिए कुल विशद आय	—	—	**1,733.54**	**1,733.54**
इक्विटी शेयरों की वापस खरीद पर प्रीमियम	—	(471.18)	—	(471.18)
इक्विटी शेयरों की वापस खरीद पर व्यय	—	(2.60)	—	(2.60)
सामान्य आरक्षित का पूँजी मोचन आरक्षित में अंतरण	33.65	(33.65)	—	—
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	—	—	(193.29)	(193.29)
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश पर कर	—	—	(39.73)	(39.73)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	—	—	(839.53)	(839.53)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश पर कर	—	—	(172.57)	(172.57)
वर्ष के दौरान लाभ	**355.81**	**8,113.10**	**1,083.22**	**9,552.13**
Profit for the year	—	—	136.23	136.23
अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	—	—	(16.17)	(16.17)
वर्ष के लिए कुल विशद आय	—	—	**120.06**	**120.06**
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	—	—	(233.20)	(233.20)
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश पर कर	—	—	(47.94)	(47.94)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	—	—	(279.84)	(279.84)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश पर कर	—	—	(57.52)	(57.52)
31.03.2020 को यथा शेष	**355.81**	**8,113.10**	**584.78**	**9,053.69**

18.2 कंपनी ने 26 सितम्बर, 2016 को प्रीमियम राशि सहित ₹ 2,834.97 करोड़ की राशि के सामान्य आरक्षित में से अपने निजी इक्विटी शेयरों की वापस खरीद की और परिणामस्वरूप इस प्रकार वापस खरीदे गए शेयरों के मामूली मूल्य के बराबर की राशि ₹ 322.16 करोड़ का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 69 की शर्तों के अनुसार पूँजी मोचन आरक्षित खाता में हस्तांतरित किया गया।

वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी ने 4 दिसंबर, 2018 को ₹75 प्रति शेयर के प्रस्ताव मूल्य पर ₹5 प्रत्येक के 6,73,11,386 संख्यक पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की खरीद की है। एकीकृत भुगतान किया गया मूल्य ₹504.83 करोड़ था। पुनः खरीद के बाद कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी में ₹33.65 करोड़ की कमी आई है जो ₹966.46 करोड़ से घटकर ₹932.81 करोड़ रह गई। प्रीमियम राशि ₹471.18 करोड़ सामान्य आरक्षित निधि से ली गई है। शेयर 7 दिसंबर, 2018 को समाप्त हो गई एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार ₹33.65 करोड़ की राशि सामान्य आरक्षित निधि से पूँजी विमोचन आरक्षित निधि में अंतरित किया गया है।

18.3 वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹1.50 प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से कुल ₹279.84 करोड़ की राशि के अंतरिम लाभांश एवं वर्ष 2018-19 के लिए, ₹1.25 प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से कुल ₹233.20 करोड़ की राशि के अंतिम लाभाश का भुगतान किया है। पिछले वर्ष के दौरान कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए ₹839.53 करोड़ के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया। लाभांश की इन संबंधित राशियों पर ₹57.52 करोड़, ₹47.94 करोड़ एवं ₹172.57 करोड़ के लाभांश कर का भुगतान कंपनी द्वारा किया गया है।

18.4 बोर्ड ने वर्ष 2019-20 के लिए किसी अंतिम लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

19. उधारी

राशि करोड़ ₹ में

चालू (परिशोधित लागत पर सुरक्षित)	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
छूट दिए गए बिलों की देनदारियाँ	12.31	66.79
कुल अन्य चालू वित्तीय देनदारियाँ	**12.31**	**66.79**

20. व्यापारिक लेखा-देय

राशि करोड़ ₹ में

			31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
क.	गैर-चालू			
	(1)	आपूर्ति और सेवाओं के लिए लेनदार		
		— सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया	—	—
		— अन्य	22.69	21.14
	कुल गैर-चालू कारोबार देय		**22.69**	**21.14**
ख.	चालू			
	(1)	आपूर्ति और सेवाओं के लिए लेनदार		
		— सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया	7.06	2.22
		— अन्य	535.03	435.38
	(2)	उपार्जित मजदूरी और वेतन	230.84	848.17
	कुल चालू कारोबार देय		**772.93**	**1,285.77**

टिप्पणी:

20.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में परिभाषित अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय बकाया का निर्धारण कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसे पक्ष की पहचान के तहत किया गया है। व्यापारिक लेखा-देय (टिप्पणी-20) एवं अन्य वित्तीय देनदारियों (टिप्पणी-21) में सम्मिलित ऐसे बकायों के संबंध में उक्त अधिनियम के अनुसरण में प्रकटन निम्नवत् है :

विवरण		31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
i)	बकाया मूलधन	7.06	2.69
ii)	बकाया मूलधन पर ब्याज	शून्य	शून्य
iii)	नियत दिन के बाद भुगतान किया गया ब्याज और मूलधन	शून्य	शून्य
iv)	भुगतान में विलंब (जो भुगतान किया गया, परंतु वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद) की अवधि के लिए देय ब्याज राशि परंतु एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज राशि जोड़े बिना	शून्य	शून्य
v)	वर्ष के अंत में प्रोद्भूत ब्याज की राशि एवं भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य
vi)	शेष देय ब्याज की राशि और बाद के वर्षों की ऐसी तिथि तक देय जब उपर्युक्त के अनुसार देय ब्याज एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अन्तर्गत कटौतीयोग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन हेतु लघु उद्यमों को वस्तुतः भुगतान किया गया है।	शून्य	शून्य

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

21. अन्य वित्तीय देयताएँ

राशि करोड़ ₹ में

			31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
क.	गैर-चालू			
	(क)	आपूर्ति एवं सेवाओं के लिए लेनदार		
		— सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया	—	—
		— अन्य	8.28	6.70
	(ख)	पट्टा देयता	50.25	—
	कुल अन्य गैर-चालू वित्तीय देयताएँ		58.53	6.70
ख.	चालू			
	(क)	अदत्त लाभांश	2.95	3.27
	(ख)	अन्य देयताओं के लिए लेनदार		
		(1) पूँजी आपूर्ति एवं सेवाओं के लिए लेनदार		
		— सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बकाया	—	0.47
		— अन्य	312.72	299.35
		(2) ग्राहकों से प्रतिभूति जमा	2.07	1.78
		(3) ग्राहकों को बकाये की वापसी	26.50	7.84
		(4) ग्राहकों को बिक्री पर छूट के लिए देयताएँ	65.93	98.00
		(5) कर्मचारी वसूली	0.63	0.15
	(ग)	पट्टा देयता	5.22	—
	कुल अन्य चालू वित्तीय देयताएँ		416.02	410.86

22. प्रावधान

राशि करोड़ ₹ में

			31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
क.	गैर-चालू			
(क)	**कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान**			
	(1)	**सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व**		
		(i) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना (पीआरएमबीएस)	135.39	117.22
		(ii) सेवानिवृत्ति पर बंदोबस्ती लाभ	17.27	19.52
		(iii) नालको हितकारी निधि योजना (एनबीएफएस)	2.41	2.45
		(iv) नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना (एनआरडब्ल्यूएस)	12.07	11.56
		(v) सेवानिवृत्ति उपहार	7.08	6.79
	(2)	**अन्य दीर्घमियादी कर्मचारी लाभ**		
		(i) क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ	383.08	315.57
		(ii) लम्बी सेवा का पुरस्कार	11.01	9.31
		(iii) नालको कर्मचारी परिवार वित्तीय सहयोग पुनःस्थापन योजना (एनईएफएफएआरएस)	25.94	17.01
(ख)	**अन्य प्रावधान**			
	(1)	परिसंपत्ति पुनर्बहाली दायित्व/विखंडन	34.17	31.12
	(2)	अन्य कानूनी एवं रचनात्मक दायित्व	0.38	0.38
कुल गैर-चालू प्रावधान			628.80	530.93

			31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
ख.	चालू			
(क)	**कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान**			
	(1)	**सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व**		
		(i) ग्रैचुइटी (वित्त पोषित)	55.98	57.40
		(ii) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना (पीआरएमबीएस)	5.03	6.22
		(iii) सेवानिवृत्ति पर बंदोबस्ती लाभ	3.32	2.90
		(iv) नालको हितकारी निधि योजना (एनबीएफएस)	0.58	0.59
		(v) नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना (एनआरडब्ल्यूएस)	0.45	0.34
		(vi) सेवानिवृत्ति उपहार	0.18	0.14
	(2)	**अन्य दीर्घमियादी कर्मचारी लाभ**		
		(i) क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ	44.49	31.69
		(ii) लम्बी सेवा का पुरस्कार	0.53	1.05
		(iii) नालको कर्मचारी परिवार वित्तीय सहयोग पुनःस्थापन योजना (एनईएफएफएआरएस)	6.15	5.57
(ख)	**अन्य प्रावधान**			
	(1)	परिधीय विकास व्यय की बाबत	31.03	31.53
	(2)	अन्य कानूनी एवं रचनात्मक दायित्व की बाबत	30.70	28.08
कुल चालू प्रावधान			178.44	165.51

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

22. प्रावधान (जारी)

राशि करोड़ ₹ में

ग. प्रावधानों का संचलन

(1) सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व का संचलन [टिप्पणी 31 का संदर्भ लें]

(2) कर्मचारी लाभों का संचलन

	क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ	लम्बी सेवा के पुरस्कार	एनईएफएफएआरएस
31.03.2018 को यथा शेष	**273.06**	**10.10**	**21.61**
अतिरिक्त प्रावधानों की स्वीकृति	108.68	1.26	18.06
भुगतानों से उत्पन्न कटौतियाँ	(76.91)	(1.51)	(17.09)
पुनःमापन से उत्पन्न परिवर्तन	42.43	0.51	-
31.03.2019 को यथा शेष	**347.26**	**10.36**	**22.58**
अतिरिक्त प्रावधानों की स्वीकृति	125.09	1.22	28.77
भुगतान से उत्पन्न कटौतियाँ	(75.16)	(2.30)	(19.26)
पुनःमापन से उत्पन्न परिवर्तन	30.38	2.26	—
31.03.2020 को यथा शेष	**427.57**	**11.54**	**32.09**

(3) अन्य प्रावधानों का संचलन

	परिसंपत्ति पुनर्बहाली दायित्व	कानूनी एवं रचनात्मक दायित्व	परिधीय विकास व्यय
31.03.2018 को यथा शेष	**23.57**	**26.82**	**32.64**
अतिरिक्त प्रावधानों की स्वीकृति	5.23	3.87	—
भुगतानों से उत्पन्न कटौतियाँ	—	(2.28)	(1.11)
छूट का फैलाव	2.32	0.05	—
31.03.2019 को यथा शेष	**31.12**	28.46	**31.53**
अतिरिक्त प्रावधानों की स्वीकृति	0.50	4.52	—
भुगतान से उत्पन्न कटौतियाँ	—	(1.95)	(0.50)
छूट का फैलाव	2.55	0.05	—
31.03.2020 को यथा शेष	**34.17**	**31.08**	**31.03**

टिप्पणी:

22.1 सेवानिवृत्ति एवं अन्य दीर्घमियादी कर्मचारी लाभों से संबंधित प्रावधान ग्रेचुइटी अधिनियम के अनुसार ग्रेचुइटी एवं कंपनी नियमों के अनुसार अन्य लाभ के लिए प्रदान किए गए। इनके लिए स्वतंत्र बीमांकक के बीमांकिक आकलन के आधार पर देयता की स्वीकृति दी गई है।

22.2 परिसंपत्ति पुनर्बहाली दायित्व एवं रचनात्मक दायित्व के लिए प्रावधान क्रमशः इंड एएस 16 एवं इंड एएस 37 के अनुरूप प्रबंधन के आकलन के आधार पर किया गया है।

22.3 परिधीय विकास व्यय के लिए प्रावधान, कंपनी अधिनियम, 2013 के आगमन से पूर्व कंपनी का अव्ययित विकास दायित्व है।

23. आस्थगित कर देयताएँ

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
आस्थगित कर देयताएँ	1,582.79	1,560.12
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	522.18	429.45
	1,060.61	**1,130.67**

2018-19	01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	लाभ या हानि में स्वीकृत	अन्य विशद आय में स्वीकृत	31.03.2019 को अंतिम शेष
निम्न से संबंधित आस्थगित कर देयताएँ				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	(1,482.93)	(62.13)	—	(1,545.06)
एफवीटीपीएल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	2.85	0.09	—	2.94
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान (ओसीआई)	(21.64)	—	3.64	(18.00)
आस्थगित कर देयताएँ	**(1,501.72)**	**(62.04)**	**3.64**	**(1,560.12)**

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

23. आस्थगित कर देयताएँ (जारी)

राशि करोड़ ₹ में

2018-19	01.04.2018 को प्रारंभिक शेष	लाभ या हानि में स्वीकृत	अन्य विशद आय में स्वीकृत	31.03.2019 को अंतिम शेष
निम्न से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ:				
क्षतिपूरित अनुपस्थितियों एवं अन्य कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	94.50	26.85	—	121.35
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान	88.55	(0.38)	—	88.17
संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	90.22	0.02	—	90.24
अनुभाग 43ख के प्रयोग के कारण अस्थायी अन्तर	60.12	65.15	—	125.27
एमएटी क्रेडिट अधिकार	12.51	(12.51)	—	—
अन्य	4.37	0.04	—	4.42
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	**350.27**	**79.17**	—	**429.45**
आस्थगित कर (देयताएँ)/परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	**(1,151.45)**	**17.13**	**3.64**	**(1,130.67)**
2019-20	01.04.2019 को प्रारंभिक शेष	लाभ या हानि में स्वीकृत	अन्य विशद आय में स्वीकृत	31.03.2020 को अंतिम शेष
निम्न से संबंधित आस्थगित कर देयताएँ:				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	(1,545.06)	(28.76)	—	(1,573.82)
एफवीटीपीएल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	2.94	(0.58)	—	2.36
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान (ओसीआई)	(18.00)	—	6.67	(11.33)
आस्थगित कर देयताएँ	**(1,560.12)**	**(29.34)**	**6.67**	**(1,582.79)**
निम्न से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ:				
क्षतिपूरित अनुपस्थितियों एवं अन्य कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	121.35	28.05	—	149.40
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान	88.17	2.65	—	90.82
संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	90.24	(1.22)	—	89.02
अनुभाग 43ख के प्रयोग के कारण अस्थायी अन्तर	125.27	63.25	—	188.52
एमएटी क्रेडिट अधिकार	—	—	—	—
अन्य	4.42	—	—	4.42
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	**429.45**	**92.73**	—	**522.18**
आस्थगित कर (देयताएँ)/परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	**(1,130.67)**	**63.39**	**6.67**	**(1,060.61)**

24. अन्य देयताएँ

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
क. गैर-चालू		
(i) एनईएफएफएआरएस के अन्तर्गत जमा	70.90	67.89
कुल अन्य गैर-चालू देयताएँ	**70.90**	**67.89**

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

24. अन्य देयताएँ (जारी)

राशि करोड़ ₹ में

				31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
ख.	चालू				
	(i)	अग्रिम में प्राप्त राजस्व		94.25	57.72
	(ii)	सांविधिक एवं अन्य बकाये			
		(क)	विद्युत प्रभार [टिप्पणी: 24.1 का संदर्भ लें]	589.43	385.90
		(ख)	स्रोत पर कर कटौती एवं संग्रह	21.61	24.38
		(ग)	एनईपीएफ न्यास एवं एनपीएस में अंशदान	38.17	35.58
		(घ)	स्टाम्प शुल्क बाबत बकाया	212.78	212.78
		(ङ)	अन्य (सेवा कर, उत्पाद शुल्क आदि)	64.91	78.28
	(iii)	नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व		293.82	162.71
	(iv)	एनईएफएएआरएस के अन्तर्गत जमा		24.22	17.64
	(v)	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए अनुदान		0.53	0.56
	(vi)	अन्य ऋण शेष		0.60	0.64
कुल अन्य चालू देयताएँ				**1,340.32**	**976.19**

टिप्पणी:

24.1 ओड़िशा सरकार के ऊर्जा विभाग ने दिनांक 12 मई, 2017 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से विद्युत प्रभार की दर को प्रति इकाई खपत के लिए ₹0.30 पैसे प्रति इकाई से बढ़ाकर ₹0.55 पैसे प्रति इकाई कर दिया है। उक्त अधिसूचना से असंतुष्ट होकर, ग्रहीत विद्युत संयंत्र के संघ, ओड़िशा, जिसकी कंपनी एक सदस्य है, ने ओड़िशा के माननीय उच्च न्यायालय में इस आदेश को चुनौती दी है। अंतरिम उपाय के तौर पर, माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 01.06.2017 के अपने आदेश में याचिकाकर्ता को अंतरणीय विद्युत प्रभार को एक पृथक ब्याज भारित बैंक खाता में जमा करने का निर्देश दिया है जो कि समादेश याचिका के परिणाम के अधीन होगा। इसी अनुसार, कंपनी ने वर्धित दर पर विद्युत प्रभार व्यय के लिए प्रावधान किया है एवं न्यायालय के निर्देशानुसार एक पृथक ब्याज भारित बैंक खाता में राशि जमा की गई। ऐसी जमा राशि पर अर्जित ब्याज को आय के रूप में स्वीकृति नहीं दी गई है। परंतु अदत्त वर्धित विद्युत प्रभार के साथ देयता के रूप में ली गई है। ऐसे विवादित देयता के विरुद्ध रिपोर्टिंग तिथि को जमा के रूप में पड़ी हुई राशि ₹554.56 करोड़ (पिछला वर्ष ₹348.83 करोड़) है [टिप्पणी 16.ख.1 देखें]। ₹34.87 करोड़ (पिछला वर्ष ₹37.07 करोड़) की शेष राशि मार्च महीने के लिए विद्युत प्रभार के लिए है जो संबंधित वर्षों के अप्रैल के महीने भुगतान किया गया था।

24.2 कंपनी ने 2016 के डब्ल्यूपी (सी) नं. 11367 के माध्यम से ओड़िशा के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक समादेश याचिका दायर करते हुए नवीकरणीय विद्युत क्रय दायित्व के संबंध में ओईआरसी द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दी है। इसके लम्बित निपटान के बाद विषयवस्तु को विचाराधीन देखते हुए यथापूर्व स्थिति को बरकरार रखा गया है।

25. आकस्मिक देयताएँ (प्रदान नहीं की गई सीमा तक)

राशि करोड़ ₹ में

			31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया				
क.	सांविधिक प्राधिकारी से मांग			
	1.	ओड़िशा विक्रय कर	4.31	81.00
	2.	केन्द्रीय विक्रय कर	281.01	282.96
	3.	वीएटी	12.64	12.60
	4.	उत्पाद शुल्क	410.44	416.65
	5.	सीमा शुल्क	104.47	102.77
	6.	सेवा कर	18.19	23.60
	7.	आय कर	547.62	670.09
	8.	प्रवेश कर	221.37	221.82
	9.	सड़क कर	2.65	2.65
	10.	स्टाम्प ड्यूटी	0.51	—
	11.	सरकार से दावा (एनजीटी)	15.59	6.00
	12.	पीएसयू से दावा	188.73	50.12
	13.	भूमि अधिग्रहण एवं उस पर ब्याज	88.20	48.15
	14.	खान विभाग, ओड़िशा सरकार से मांग	136.32	136.32
	15.	खनन पट्टे के अधीन एनपीवी से संबंधित मांग	92.45	92.45
	16.	जल संरक्षण निधि के लिए जल संसाधन विभाग, ओड़िशा सरकार से मांग	119.24	119.24
ख.	ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य द्वारा दावे			—
	1.	ठेकेदारों के आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य के दावे	318.08	505.18
		कुल	**2,561.82**	**2,771.59**

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

25. आकस्मिक देयताएँ (प्रदान नहीं की गई सीमा तक) (जारी)

कंपनी के विरुद्ध दावे जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं हुए हैं, में शामिल है :

i. आय कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, प्रवेश कर एवं अन्य सरकारी प्रभार की बाबत विभिन्न सांविधिक प्राधिकारियों से मांग। कंपनी संबंधित अपीलीय प्राधिकारियों से मांग की लड़ाई कर रही हैं। आशा की जाती है कि इन कार्यवाहियों का अंतिम परिणाम कंपनी के पक्ष में होगा एवं कंपनी की वित्तीय स्थिति एवं प्रचालन-परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

ii. सामग्री/सेवाओं की आपूर्ति के लिए विवाचन/न्यायालयों के पास ठेकेदार के लम्बित दावे व्यवसाय की सामान्य कार्य-प्रक्रिया में उत्पन्न हुए हैं। कंपनी यथा संगत यह आशा करती है कि ये कानूनी कार्यवाहियाँ जब अंतिम रूप में निष्कर्षित एवं निर्धारित होंगी, तो कंपनी के पक्ष में रहेंगी और कंपनी के प्रचालन परिणामों या वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

iii. पीएसयू से दावे में खान एवं परिशोधन संकुल में नालको परिशोधक द्वारा अपर कोलाब, कोरापुट में जलाशय से पानी निकालने के कारण निगम द्वारा विद्युत उत्पादन की हानि के लिए ओड़िशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएचपीसी) द्वारा मांग की गई ऊर्जा क्षतिपूरक प्रभार एवं वर्ष 2005 से उस पर विलम्बित भुगतान उपकर शामिल है।

iv. कंपनी के विरुद्ध दावे अधिकतर आकलन चरण में आईटी विभाग द्वारा की गई मांग के कारण है। ये दावे धारा 32(i)(iiक) के अधीन अतिरिक्त मूल्यह्रास के संबंध में अस्वीकार वस्तुतः परिधीय विकास व्यय के अस्वीकार, अचल स्टोर्स एवं स्पेयर्स के लिए प्रावधान, अल्पमियादी पूंजी लाभ के उपचार एवं दीर्घमियादी पूंजी लाभ के अधीन हानि की अस्वीकृति एवं व्यवसाय आय के रूप में इनका उपचार, धारा 14क के अधीन अस्वीकार जैसे बहु मसलों के कारण हैं। विभिन्न अपीलीय प्राधिकरण में ये मामले विचाराधीन एवं लम्बित हैं। कर सलाहकार समेत प्रबंधन को अपेक्षा है कि उच्चतर अपीलीय फोरम द्वारा सीआईटी(ए)/आईटीएटी (क्षेत्राधिकार) रहने के कारण कंपनी के पक्ष में पहले से ही आखिरी समाधान रहने से इसकी स्थिति कायम रहेगी। अतएव, कंपनी की वित्तीय स्थिति एवं परिचालन के परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए, कर उपचार में कोई अनिश्चितता नहीं है जो कर योग्य लाभ (हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानि, अप्रयुक्त कर ऋण एवं कंपनी की कर दर को प्रभावित करेगा।

राशि करोड़ ₹ में

25.1

आकस्मिक देयताओं का संचलन			31.03.2019 को यथा	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के दौरान संयोजन	31.03.2020 को यथा
क.	सांविधिक प्राधिकारी से मांग					
	1.	ओड़िशा विक्रय कर	81.00	(76.69)	—	4.31
	2.	केन्द्रीय विक्रय कर	282.96	(1.95)	—	281.01
	3.	वीएटी	12.60	—	0.05	12.64
	4.	उत्पाद शुल्क	416.65	(7.66)	1.45	410.44
	5.	सीमा शुल्क	102.77	—	1.70	104.47
	6.	सेवा कर	23.60	(5.41)	—	18.19
	7.	आय कर	670.09	(186.73)	64.26	547.62
	8.	प्रवेश कर	221.82	(1.01)	0.56	221.37
	9.	सड़क कर	2.65	—	—	2.65
	10.	स्टाम्प ड्यूटी	—	—	0.51	0.51
	11.	सरकार से दावा (एनजीटी)	6.00	—	9.59	15.59
	12.	पीएसयू से दावा	50.12	—	138.61	188.73
	13.	भूमि अधिग्रहण एवं उस पर ब्याज	48.15	—	40.06	88.20
	14.	खान विभाग, ओड़िशा सरकार से मांग	136.32	—	—	136.32
	15.	खनन पट्टे के अधीन एनपीवी से संबंधित मांग	92.45	—	—	92.45
	16.	जल संरक्षण निधि के लिए जल संसाधन विभाग, ओड़िशा सरकार से मांग	119.24	—	—	119.24
ख.	ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य द्वारा दावे					
	1.	ठेकेदारों के आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य के दावे	505.18	(192.91)	5.80	318.08
	कुल		**2,771.59**	**(472.35)**	**262.58**	**2,561.82**

26. वचनबद्धताएँ

राशि करोड़ ₹ में

			31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
क)	पूँजी खाते में अनुबंध की अनुमानित लागत, जिनका निष्पादन अभी किया जाना है एवं प्रदान नहीं की गई है		993.90	829.92
ख)	अन्य वचनबद्धताएँ			
	(1)	उत्कल डी एवं ई कोल ब्लॉक के आबंटन के लिए भारत सरकार को देय राशि, मगर अभी भुगतान के लिए नियत नहीं हुआ है।	18.11	18.11
	(2)	निर्यात प्रोत्साहन पूँजी वस्तु योजना के अधीन पूँजी वस्तुओं के आयात के लिए निर्यात दायित्व	254.32	168.75
	कुल		**1,266.33**	**1,016.78**

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

27. प्रचालनों से राजस्व

राशि करोड़ ₹ में

					31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
(क)	उत्पादों की बिक्री					
	1)	निर्यात :				
		i)	एल्यूमिना		2,764.30	4,222.41
		ii)	एल्यूमिनियम		746.62	570.30
	2)	घरेलू :				
		i)	एल्यूमिना		213.98	212.67
		ii)	एल्यूमिनियम		4,645.92	6,253.33
(ख)	विद्युत की बिक्री					
		i)	तापज विद्युत [टिप्पणी 27.1 देखें]		-	1.57
		ii)	पवन विद्युत		54.93	126.04
(ग)	अन्य प्रचालन आय				**46.09**	**113.00**
प्रचालनों से राजस्व					**8,471.84**	**11,499.32**

टिप्पणी:

27.1 अनुगुल में ग्र.वि.सं. से दामनजोड़ी में परिशोधक तक विद्युत की व्हीलिंग व्यवस्था एवं ग्रिडको को विद्युत की बिक्री के संबंध में दिनांक 06.04.2019 को कंपनी एवं ग्रिडको के बीच आयोजित बैठक के कार्यवृत के अनुसार 01.07.2015 से बगैर वैध ठेका के ग्रिड को दिए गए किसी अधिशेष विद्युत के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा एवं शून्य मूल्य पर उपेक्षक विद्युत के रूप में उपचारित होगा। इसी अनुसार, ग्रिडको के पहले बकाये की पुनःसंरचना की गई एवं वर्तमान वर्ष के दौरान दिए गए उपेक्षक विद्युत के लिए किसी राजस्व को स्वीकृति नहीं दी गई है। इसके अलावा, बगैर वैध ठेका के ग्रिड को भरे गए उपेक्षक विद्युत के इस शून्य मूल्यांकित मूल्य की पुष्टि, ग्रिडको लिमिटेड द्वारा उनके दिनांक 09.04.2019 के आदेश के माध्यम से क्रय किए जाने वाले सीजीपी से अधिशेष विद्युत के मूल्य निर्धारण पर परापर्शी कागज पर बिन मांग प्रतिदाय विषयवस्तु में मामला सं. 62/2017 में एवं अपीलीय विद्युत न्यायाधिकरण द्वारा उनके दिनांक 08.05.2017 के आदेश द्वारा वर्ष 2016 की अपील सं. 120 एवं वर्ष 2016 की आईए 272 के तहत की गई है।

28. अन्य आय

राशि करोड़ ₹ में

				31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
(क)	ब्याज आय				
	(i)	वित्तीय परिसंपत्तियों से अर्जित ब्याज आय जो लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट नहीं हुई है :			
		—	बैंक जमा	144.30	224.28
		—	कर्मचारियों को ऋण	9.43	9.69
		—	परिशोधित मूल्य पर वहन की गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	2.99	3.17
	(ii)	आय कर वापसी के बाबत अर्जित ब्याज आय		61.18	—
(ख)	लाभांश आय				
	—	चालू निवेशों से लाभांश		7.60	30.61
(ग)	विदेशी मुद्रा शुद्ध लाभ/(हानि)			5.94	8.62
(घ)	एफवीटीपीएल में निर्दिष्ट वित्तीय परिसंपत्तियों पर शुद्ध लाभ/(हानि)			0.01	(2.16)
(ङ)	अन्य निवेशों की बिक्री पर शुद्ध लाभ/(हानि)			1.35	—
(च)	देयताओं के पुनरांकन की अब आवश्यकता नहीं [टिप्पणी 28.1 देखें]			3.73	12.04
(छ)	आंतरिक रूप से उत्पन्न स्क्रैप से आय			19.52	19.47
(ज)	अन्य			16.53	20.15
कुल अन्य आय				**272.58**	**325.87**

टिप्पणी:

28.1 रिपोर्टिंग की तिथि को 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बहियों में पड़ी हुई दावाहीन देयता पुनरांकित हुई हैं एवं आय के रूप में स्वीकृति दी गई है।

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

29. खपत की हुई सामग्री की लागत

राशि करोड़ ₹ में

			31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
क.	कच्चे माल			
	(1)	कॉस्टिक सोड़ा	935.17	941.02
	(2)	सी.पी. कोक	460.73	645.43
	(3)	सी.टी पिच	142.25	176.41
	(4)	एल्यूमिनियम फ्लूओराइड	80.58	75.43
	(5)	चूना	51.47	50.00
	(6)	अन्य	32.28	31.39
	खपत किए गए कच्चे माल का योग		**1,702.48**	**1,919.68**
ख.	विद्युत एवं ईंधन			
	(1)	कोयला	1,667.11	1,525.72
	(2)	ईंधन तेल	663.21	708.06
	(3)	निजी उत्पादन पर शुल्क [टिप्पणी: 24.1 का संदर्भ लें]	400.30	406.51
	(4)	विद्युत क्रय	224.47	283.64
	(5)	विद्युत पारेषण प्रभार	9.51	3.19
	खपत किए गए विद्युत और ईंधन का योग		**2,964.60**	**2,927.12**

30. तैयार माल, मध्यवर्ती उत्पाद और चल रहे कार्य की मालसूचियों में परिवर्तन

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
तैयार माल		
प्रारंभिक स्टॉक		
(1) बॉक्साइट	18.12	9.20
(2) रसायन	91.48	114.18
(3) एल्यूमिनियम	12.68	19.83
तैयार उत्पादों का कुल प्रारंभिक स्टॉक	**122.28**	**143.21**
घटाएँ : अंतिम स्टॉक		
(1) बॉक्साइट	3.74	18.12
(2) रसायन	159.30	91.48
(3) एल्यूमिनियम	276.97	12.68
तैयार माल के अंतिम स्टॉक का योग	**440.01**	**122.28**
तैयार माल में (अभिवृद्धि)/कमी	**(317.73)**	**20.93**
मध्यवर्ती उत्पाद		
प्रारंभिक स्टॉक		
एनोड	122.16	66.75
अन्य	18.97	10.99
मध्यवर्ती उत्पादों के प्रारंभिक स्टॉक का योग	**141.13**	**77.74**
घटाएं : अंतिम स्टॉक		
एनोड	136.37	122.16
अन्य	16.67	18.97
मध्यवर्ती उत्पादों के अंतिम स्टॉक का योग	**153.04**	141.13
मध्यवर्ती उत्पादों में (अभिवृद्धि)/कमी	**(11.91)**	(63.39)
चल रहे कार्य		
प्रारंभिक स्टॉक	246.95	284.33
घटाएं : अंतिम स्टॉक	282.54	246.95
चल रहे कार्य में (अभिवृद्धि)/कमी	**(35.59)**	**37.38**
मालसूची में (अभिवृद्धि)/कमी का योग	**(365.23)**	**(5.08)**

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

31. कर्मचारी लाभ व्यय

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
(क)	बोनस सहित वेतन और मजदूरी	1,585.52	1,718.22
(ख)	भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान		
	1) भविष्य निधि	129.45	102.91
	2) उपदान	52.09	45.32
	3) रोजगार उपरांत पेंशन योजना	114.00	95.59
(ग)	कर्मचारी कल्याण व्यय	113.01	110.24
कर्मचारी लाभ व्यय का योग		**1,994.07**	**2,072.28**

टिप्पणी:

31.क. कर्मचारी लाभ योजनाएँ

31.क.1 परिभाषित अंशदान योजनाएँ

क) भविष्य निधि: कंपनी एक अलग ट्रस्ट को, पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि में निश्चित अंशदान करती है जो निधियों को अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करती है। अंशदान पर, ट्रस्ट को भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार सदस्यों को न्यूनतम ब्याज दर अदा करना पड़ता है।

ख) पेंशन निधि: कंपनी पीएफआरडीए के ट्रस्टी बैंक को निश्चित अंशदान का भुगतान करती है, जो संबंधित कर्मचारी द्वारा निर्धारित अनुसार बीमाकर्ता के पास राशि को निवेश करता है। कंपनी की जिम्मेदारी केवल नियत अंशदान तक ही सीमित रहती है।

31.क.2 परिभाषित लाभ योजनाएँ

क) उपदान: उपदान के भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत कर्मचारियों को अधिकतम ₹20,00,000/- के अधीन उपदान का भुगतान किया जाता है। उपदान योजना का वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है एवं एक अलग ट्रस्ट द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। योजना के तहत उपदान के लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

ख) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभः ये लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके पति/पत्नी को उपलब्ध है जिन्होंने इस लाभ का विकल्प लिया है। अंतरंग रोगी के रूप में चिकित्सा उपचार कंपनी के अस्पताल/सरकारी अस्पताल/अस्पतालों से कंपनी के नियमानुसार प्राप्त किया जा सकता है। वे कंपनी द्वारा निर्धारित उच्चतम व्यय सीमा के अधीन बहिः रोगी के तौर पर भी चिकित्सा लाभ ले सकते हैं। योजना के अधीन देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

ग) बंदोबस्ती लाभ: सेवानिवर्त्तन/सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्त किए जाने पर, यदि योजना के विकल्प लिए हैं, तो यात्रा भत्ता का अंतर, अंतिम मुख्यालय से होमटाउन या होमटाउन से दूरी के अधीन किसी अन्य बंदोबस्ती स्थान के लिए कर्मचारियों और/या परिवार को देय होता है। व्यक्तिगत परिवहन भी स्वीकार्य होगा। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

घ) नालको हितकारी निधि योजनाः कंपनी की सेवा में रहने के दौरान दिवंगत हो चुके योजना के सदस्यों के परिवार को वित्तीय सहयोग प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। योजना के अनुसार, कंपनी की सेवा में रहने के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु होने पर ₹ 30 प्रति सदस्य प्रति मृत्यु की दर पर अंशदान किया जाएगा एवं कंपनी द्वारा समरूप राशि प्रदान की जाएगी। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

ङ) नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजनाः कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्ति हुए कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपरांत सहयोग के लिए सद्भाव के प्रतीक स्वरूप वित्तीय सहयोग प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। योजना के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी सदस्य से वसूली ₹ 10/- प्रति सेवानिवृत्त सदस्य होगी। कंपनी समरूप अंशदान के लिए उतनी ही राशि प्रदान करेगी। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

च) सेवानिवर्त्तन उपहार योजनाः कंपनी की सेवाओं से चिकित्सा आधार पर सेवानिवर्त्तन या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की स्वीकृति इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना में सेवानिवृत होने वाले प्रत्येक कर्मचारी को ₹ 25000/- मूल्य का उपहार शामिल है जो कि सेवानिवर्त्तन/सेवानिवृत्ति पर प्रदान किया जाएगा। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

31.क.3 अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

क) क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँः संचित अर्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश और बीमारी अवकाश अलग होने पर, कंपनी के अवकाश नियमों में निर्धारित अनुसार सर्वाधिक अनुमत सीमा के अधीन देय है। सेवा अवधि के दौरान, संचित अवकाश का नकदीकरण भी कंपनी के नियमानुसार अनुमेय है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

ख) लम्बी सेवा का पुरस्कारः जो कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा पूरी करते हैं, वे लम्बी सेवा का पुरस्कार पाने के अधिकारी होते हैं जो एक महीने के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के बराबर होता है। इस देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

ग) एनईएफएफएआरएसः अशक्तता/मृत्यु के मामले में, योजना के अधीन निर्दिष्टानुसार निर्धारित राशि के जमा पर, कंपनी कर्मचारी/नामित को उनके विकल्प के अनुसार वैचारिक सेवानिवर्तन की तारीख तक मासिक लाभ का भुगतान करती है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

कर्मचारी लाभ योजनाएँ कंपनी को विशिष्ट रूप से बीमांकिक जोखिमों जैसे कि बीमांकिक जोखिम, निवेश जोखिम, ब्याज जोखिम, दीर्घायु जोखिम और वेतन जोखिम के सम्मुख ले आती हैं:-

i. **बीमांकिक जोखिम:** यह एक ऐसा जोखिम है जिसके कर्मचारी लाभ अपेक्षा से अधिक होंगे। यह निम्नलिखित किसी भी एक कारण से हो सकता है:

क. **प्रतिकूल वेतन वृद्धि अनुभव:** अनुमानित वेतन वृद्धि की तुलना में ज्यादा परिमाण में वेतन बढ़ोतरी से अपेक्षा से अधिक उच्च दर पर दायित्व में वृद्धि आएगी।

ख. **मृत्यु दर में विविधता :** अनुमानित मृत्यु दर आकलन से यदि वास्तविक मृत्यु दर अधिक होती है, तो अपेक्षा से पहले ही उपदान लाभ का भुगतान किया जाएगा। चूंकि मृत्यु लाभ पर प्रदान करने की कोई शर्तें नहीं है, नकद प्रवाह में वृद्धि आने से बीमांकिक हानि या लाभ की स्थिति बनेगी जो कि अनुमानित वेतन वृद्धि और छूट दर के संबंधित मूल्यों पर निर्भर है।

ग. **आहरण दरों में विविधता:** यदि अनुमानित आहरण दर आकलन की तुलना में वास्तविक आहरण दर अधिक रहती है, तो उपदान लाभ का भुगतान अपेक्षित समय से पूर्व किया जाएगा। इसका प्रभाव इस तथ्य पर निर्भर करेगा कि क्या लाभ पद त्याग की तारीख को प्रदान किया गया है।

ii. **निवेश जोखिम:** परिसंपत्तियों के प्रबंधन हेतु बीमाकर्ताओं पर निर्भर रहनेवाली निधिबद्ध योजनाओं के लिए, बीमाकर्ता द्वारा प्रमाणित परिसंपत्तियों का मूल्य देयता के समर्थन में प्रपत्रों का सही मूल्य नहीं भी रह सकता है। ऐसे मामलों में, परिसंपत्तियों का वर्तमान मूल्य भावी छूट दर से स्वतंत्र होता है। इसके फलस्वरूप, यदि अन्तर-मूल्यांकन अवधि के दौरान छूट दर में उल्लेखनीय परिवर्तन होता है, तो निवल देयता या निधिबद्ध वस्तुस्थिति में भारी अस्थिरता आ सकती है।

iii. **ब्याज जोखिम:** परिभाषित लाभ देयता की गणना सरकारी ऋणपत्रों के आधार पर छूट दर पर की जाती है। यदि ऋणपत्र (बॉण्ड) के मूल्य में गिरावट आती है, तो परिभाषित लाभ देयता बढ़ जाएगी।

iv. **दीर्घायु जोखिम:** परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य का निर्धारण, सेवा के दौरान एवं उपरांत योजना भागीदारों की मृत्यु दर के सर्वोत्तम आकलन के संदर्भ में किया जाता है। योजना भागीदारों के प्रत्याशित जीवन काल में वृद्धि से योजना की देयता बढ़ेगी।

v. **वेतन जोखिम:** परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य का निर्धारण योजना भागीदारों के भावी वेतन के संदर्भ में किया जाता है। ऐसे में योजना भागीदारों के वेतन में वृद्धि से योजना की देयता बढ़ेगी।

बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य हेतु प्रयुक्त मुख्य आकलन निम्नानुसार हैं :

मूल्यांकन

	31.03.2020	31.03.2019
छूट दर(रों)	6.50%	7.50%
वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर(रों)	8%	8%
मृत्युदर	आईएएलएम 2006-2008 अल्टीमेट	आईएएलएम 2006-2008 अल्टीमेट
अपघर्षण दर	1%	1%

राशि करोड़ ₹ में

इन परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत राशियाँ निम्नानुसार हैं :

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य:		
— चालू सेवा मूल्य	(54.67)	(48.58)
— विगत सेवा लागत एवं (लाभ)/हानि	12.19	6.21
— शुद्ध ब्याज व्यय	(11.97)	(29.38)
लाभ या हानि में स्वीकृत परिभाषित लाभ मूल्यों के घटक	**(54.45)**	**(71.75)**
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता का पुनः मापन :		
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता पर प्रतिफल	5.12	(10.98)
वित्तीय आकलनों में हुए परिवर्तनों से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(45.79)	(17.24)
अनुभव आकलनों से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	23.08	28.28
अन्य		
परिभाषित लाभ संपत्ति पर प्रतिबंधों के लिए समायोजन		
अन्य विशद आय में स्वीकृत परिभाषित लाभ मूल्यों के घटक	**(17.59)**	**0.06**
कुल	**(72.04)**	**(71.69)**

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

31. कर्मचारी लाभ व्यय (जारी)

राशि करोड़ ₹ में

परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में संस्था के दायित्व के फलस्वरूप उत्पन्न तुलन पत्र में सम्मिलित राशि निम्नानुसार है :

	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	बंदोबस्ती लाभ	नालको हितकारी निधि योजना	नालको सेवा निवृत्ति कल्याण योजना	सेवा निवर्त्तन उपहार योजना	उपदान (निधिबद्ध)
31 मार्च, 2019						
परिभाषित लाभ का वर्तमान मूल्य	(123.43)	(22.42)	(3.04)	(11.90)	(6.93)	(604.90)
योजना परिसंपत्तियों का सही मूल्य	—	—	—	—	—	547.80
परिभाषित लाभ दायित्वों के फलस्वरूप उत्पन्न शुद्ध देयता	**(123.43)**	**(22.42)**	**(3.04)**	**(11.90)**	**(6.93)**	**(57.10)**
31 मार्च, 2020						
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	(140.42)	(20.59)	(2.99)	(12.52)	(7.26)	(632.24)
योजना परिसंपत्तियों का सही मूल्य	—	—	—	—	—	576.26
परिभाषित लाभ दायित्वों के फलस्वरूप उत्पन्न शुद्ध देयता	**(140.42)**	**(20.59)**	**(2.99)**	**(12.52)**	**(7.26)**	**(55.98)**

परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में संचलन निम्नानुसार है :

	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	बंदोबस्ती लाभ	नालको हितकारी निधि योजना	नालको सेवा निवृत्ति कल्याण योजना	सेवा निवर्त्तन उपहार योजना	उपदान (निधिबद्ध)
01 अप्रैल, 2018 को प्रारंभिक परिभाषित लाभ दायित्व	**(126.52)**	**(2.27)**	**(3.62)**	**(13.64)**	**(7.08)**	**(573.53)**
चालू सेवा मूल्य	—	(3.35)	—	—	—	(45.23)
ब्याज मूल्य	(9.29)	(0.15)	(0.25)	(0.96)	(0.50)	(40.96)
पुनःमापन						
जनांकिक आकलनों में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	—	—	—	—		—
वित्तीय आकलनों में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	—	—		—	—	(17.24)
अनुभव आकलनों के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	7.07	2.96	0.27	0.96	(0.16)	17.18
कटौती पर हानि / (लाभ) समेत विगत सेवा लागत	—	(20.16)	—	—		—
समझौतों के अनुसार समाप्त देयताएँ	—	—	—	—		—
किसी व्यवसाय संयोजन में ग्रहीत देयताएँ	—	—	—	—		—
विदेशी योजनाओं पर विनिमय अंतर	—	—	—	—		—
लाभ भुगतान किया गया	5.31	0.55	0.56	1.74	0.81	54.88
अन्य	—	—	—	—	—	—
31 मार्च, 2019 को अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	**(123.43)**	**(22.42)**	**(3.04)**	**(11.90)**	**(6.93)**	**(604.90)**

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

31. कर्मचारी लाभ व्यय (जारी)

राशि करोड़ ₹ में

	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	बंदोबस्ती लाभ	नालको हितकारी निधि योजना	नालको सेवा निवृत्ति कल्याण योजना	सेवा निवर्त्तन उपहार योजना	उपदान (निधिबद्ध)
चालू सेवा मूल्य	—	(3.55)	—	—	—	(51.12)
ब्याज मूल्य	(7.82)	(1.38)	(0.18)	(0.72)	(0.42)	(37.05)
पुनःमापन	—	—	—	—	—	—
जनांकिक आकलनों में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	—	—	—	—	—	—
वित्तीय आकलनों में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(3.97)	(1.10)	(0.12)	(0.60)	(0.48)	(39.52)
अनुभव आकलनों के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(11.43)	5.35	(0.11)	(1.06)	(0.32)	30.65
कटौती पर हानि/(लाभ) सहित विगत सेवा मूल्य	—	—	—	—	—	—
समझौतों के रूप में समाप्त हो चुकी देयताएँ	—	—	—	—	—	—
किसी व्यवसाय संयोजन में ग्रहीत देयताएँ	—	—	—	—	—	—
विदेशी योजनाओं पर विनिमय अंतर	—	—	—	—	—	—
प्रदत्त लाभ	6.23	2.51	0.46	1.76	0.89	69.70
अन्य	—	—	—	—	—	—
31 मार्च, 2020 को अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	**(140.42)**	**(20.59)**	**(2.99)**	**(12.52)**	**(7.26)**	**(632.24)**

योजना परिसंपत्तियों के सही मूल्य में संचलन निम्नानुसार हैं :	**उपदान (निधिबद्ध)**
01 अप्रैल, 2018 को योजना परिसंपत्तियों का प्रारंभिक सही मूल्य	**302.48**
ब्याज आय	22.73
पुनःमापन	
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज आय में सम्मिलित राशि छोड़कर)	(10.98)
अन्य	0.59
नियोक्ता से अंशदान	287.86
प्रदत्त लाभ	(54.88)
31 मार्च, 2019 को योजना परिसंपत्तियों का अंतिम सही मूल्य	**547.80**
ब्याज आय	35.60
पुनःमापन	
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध ब्याज आय में सम्मिलित राशि छोड़कर)	5.12
अन्य	(0.05)
नियोक्ता से अंशदान	57.49
योजना भागीदार से अंशदान	—
समझौतों पर वितरित परिसंपत्तियाँ	—
किसी व्यवसाय संयोजन में अर्जित परिसंपत्तियाँ	—
विदेशी योजनाओं पर विनिमय अंतर	—
प्रदत्त लाभ	(69.70)
अन्य	—
31 मार्च, 2020 को योजना परिसंपत्तियों का अंतिम सही मूल्य	**576.26**

प्रत्येक श्रेणी के लिए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का सही मूल्य निम्नानुसार है :

	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य निम्नानुसार है	
	31.03.2020	**31.03.2019**
निधियों में निवेशः		
1. बीमा कंपनियाँ	576.26	547.80
योग	**576.26**	**547.80**

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

31 कर्मचारी लाभ व्यय (जारी)

31.ग. परिभाषित लाभ योजनाओं का संवेदनशीलता विश्लेषण

परिभाषित लाभ योजना के निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण बीमांकिक आकलन हैं छूट दर, अपेक्षित वेतन वृद्धि, संघर्षण दर एवं मृत्यु दर। सभी अन्य आकलनों को स्थिर रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में घटित संबंधित आकलनों के यथा संगत संभावी परिवर्तनों के आधार पर निम्न संवेदनशीलता विश्लेषण किया गया है।

संवेदनशीलता विश्लेषण

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ		बंदोबस्ती लाभ		नालको हितकारी निधि योजना	
2018-19	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	3.57	3.64	0.65	0.66	0.08	0.08
सुग्राहिता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.89%	2.95%	2.89%	2.95%	2.71%	2.76%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	—	—	—	—	—	—
सुग्राहिता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	—	—	—	—	—	—
	0.15	0.15	0	0	—	—
सुग्राहिता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.15%	0.15%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	0.57	0.57	0.10	0.10	0	0
सुग्राहिता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.46%	0.46%	0.46%	0.46%	0.26%	0.26%

विवरण	नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना		सेवा निवर्त्तन उपहार योजना		उपदान (निधिबद्ध)	
2018-19	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	0.32	0.33	0.19	0.19	20.06	18.84
सुग्राहिता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.71%	2.76%	2.71%	2.76%	3.32%	3.11%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	—	—	—	—	3.22	3.67
सुग्राहिता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	—	—	—	—	0.53%	0.61%
ह्रास दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	0.02	0.02	0.01	0.01	0.10	0.10
सुग्राहिता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.02%	0.02%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	0.03	0.03	0.02	0.02	0.63	0.63
सुग्राहिता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.10%	0.10%

विवरण	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ		बंदोबस्ती लाभ		नालको हितकारी निधि योजना	
2019-20	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	4.25	5.19	0.60	0.61	0.08	0.08
सुग्राहिता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	3.03%	3.70%	2.89%	2.95%	2.71%	2.76%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	—	—	—	—	0.07	0.07
सुग्राहिता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	—	—	—	—	2.42%	2.37%
ह्रास दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	—	—	0.02	0.02	—	—
सुग्राहिता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.00%	0.00%	0.12%	0.12%	0.15%	0.15%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	0.04	0.04	0.09	0.09	0	0
सुग्राहिता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.03%	0.03%	0.46%	0.46%	0.26%	0.26%

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

संवेदनशीलता विश्लेषण (जारी)

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना		सेवा निवर्त्तन उपहार योजना		उपदान (निधिबद्ध)	
2019-20	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	0.34	0.35	0.20	0.20	21.02	19.70
सुग्राहिता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.71%	2.76%	2.71%	2.76%	3.32%	3.12%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	0.30	0.30	0.18	0.17	3.66	3.24
सुग्राहिता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.42%	2.37%	2.42%	2.37%	0.58%	0.51%
ह्रास दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	0.02	0.02	0.01	0.01	0.21	0.21
सुग्राहिता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.03%	0.03%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	0.03	0.03	0.02	0.02	0.53	0.53
सुग्राहिता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.08%	0.08%

ऊपर प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तिवक परिवर्तन का प्रस्तुतीकरण नहीं भी रह सकता है, क्योंकि इसकी संभावना कम है कि एक-दूसरे से अलगाव पर आकलनों में परिवर्तन आ पाएगा क्योंकि कुछ आकलन परस्पर संबंधित हो सकते हैं।

इसके अलावा, उपर्युक्त संवेदनशीलता विश्लेषण को प्रस्तुत करते समय, परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य की गणना रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परियोजित एकक क्रेडिट विधि के प्रयोग से की गई है जो तुलन पत्र में स्वीकृत परिभाषित लाभ दायित्व देयता की गणना में प्रयोग की गई है।

संवेदनशीलता विश्लेषण को तैयार करने में प्रयुक्त विधियों एवं आकलनों में पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं है।

32. वित्त लागत

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
वित्त लागत		
क. पट्टे देयता पर ब्याज व्यय	3.98	—
ख. अन्य	1.76	2.38
कुल वित्त लागत	5.74	2.38

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

33. अन्य व्यय

राशि करोड़ ₹ में

			31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
(क)	भंडार और कलपुर्जों की खपत		356.12	365.52
(ख)	निम्न से संबंधित मरम्मत एवं रखरखाव			
	(1)	भवन	61.65	49.11
	(2)	मशीनरी	164.08	166.14
	(3)	अन्य	27.12	31.44
(ग)	अन्य निर्माणजनित व्यय			
	(1)	जल प्रभार	32.04	29.37
	(2)	रॉयल्टी	125.39	147.36
	(3)	जिला खनिज निधि एवं राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास को अंशदान	40.13	47.16
	(4)	सतत तकनीकी सहयोग व्यय	4.52	10.54
	(5)	अन्य	90.59	80.13
(घ)	माल भाड़ा एवं संचालन खर्च			
	(1)	आवक सामग्री (एल्यूमिना)	110.28	120.01
	(2)	जावक सामग्री	131.58	146.45
(ङ)	लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक एवं फुटकर व्यय			
	(i)	लेखापरीक्षक के रूप में	0.35	0.35
	(ii)	कराधान विषयवस्तुओं के लिए	0.07	0.06
	(iii)	अन्य सेवाओं के लिए	0.34	0.29
	(iv)	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.15	0.20
(च)	लागत लेखापरीक्षकों को भुगतान		0.04	0.03
(छ)	सुरक्षा एवं अग्निशमन व्यय		180.71	133.90
(ज)	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय [टिप्पणी 33.1 का संदर्भ लें]		39.71	30.35
(झ)	प्रशासिनक एवं सामान्य व्यय		124.14	118.86
(ञ)	नवीकरणीय क्रय दायित्व		114.11	55.22
(ट)	विवादित सरकारी देय एवं अन्य के लिए प्रावधान		0.01	0.05
(ठ)	विक्रय एवं वितरण व्यय		25.17	23.01
(ड)	मालसूची, दावे आदि का बट्टे खाते में डालना		15.64	12.52
(ढ)	डूबंत एवं संदिग्ध प्रावधान (पुनरांकन)		(1.35)	(3.51)
(ण)	अन्य		44.10	128.23
कुल अन्य व्यय			**1,686.69**	**1,692.79**

टिप्पणी:

33.1 निगमित सामाजिक दायित्व पर व्यय :

क) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की गई सकल राशि ₹37.38 करोड़ है (31 मार्च, 2019 ₹27.38 करोड़)

ख) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि

i) परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	₹ शून्य करोड़ (पिछले वर्ष ₹ शून्य करोड़)
ii) उपर्युक्त (i) के अलावा अन्य प्रयोजन पर	₹ 39.71 करोड़ ((पिछले वर्ष ₹30.35 करोड़)
कुल	₹ 39.71 करोड़ ((पिछले वर्ष ₹30.35 करोड़)

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

34. आय कर

राशि करोड़ ₹ में

34.1 लाभ या हानि में स्वीकृत आय कर	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
चालू कर		
चालू वर्ष के संबंध में	152.27	998.36
पूर्व वर्षों के संबंध में	(0.87)	26.29
	151.40	1,024.65
आस्थगित कर		
चालू वर्ष के संबंध में	(63.39)	(17.13)
अन्य (एमएटी क्रेडिट अधिकार पत्र)	—	—
	(63.39)	(17.13)
चालू वर्ष में स्वीकृत आय कर व्यय का योग	88.01	1,007.52

वर्ष के लिए आय कर व्यय को लेखांकन लाभ में निम्नानुसार मिलान किया जा सकता है :

कर पूर्व लाभ		224.24	2,741.21
उस पर आय कर व्यय @ 34.944% (पिछले वर्ष 34.944%) :		78.36	957.89
कर का प्रभाव -			
i)	कराधान से मुक्त आय	(1.96)	(11.15)
ii)	अस्वीकार योग्य व्यय (स्थायी अंतर)	13.97	13.23
iii)	व्ययित व्यय से अतिरिक्त स्वीकार योग्य व्यय	(31.96)	(14.25)
iv)	रियायत का प्रभाव (अनुसंधान एवं विकास और अन्य भत्ते)	(0.47)	—
v)	दीर्घकालीन पूँजी लाभ के लिए अंतर	(0.04)	—
vi)	पूर्व वर्षों से संबंधित समायोजन	(26.80)	26.29
vii)	अन्य	56.91	35.51
लाभ या हानि में स्वीकृत आय कर व्यय		88.01	1,007.52

34.2 इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से स्वीकृत आय कर

चालू कर		
शेयरों की पुनर्खरीद लागत	—	(1.39)
इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से स्वीकृत आय कर	—	(1.39)

34.3 अन्य विशद आय में स्वीकृत आय कर

परिभाषित लाभ देयता के पुनः मापन लाभ या हानि पर कर		
— चालू कर	—	3.85
— आस्थगित कर	6.67	(4.06)
अन्य विशद आय में स्वीकृत कुल आय कर	6.67	(0.21)
अन्य विशद आय में स्वीकृत आय कर का विभाजन जिनमें है :		
मदें जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत की जाएंगी	—	—
मदें जो लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं की जाएंगी	6.67	(0.21)

34.4 अन्य विशद आय में स्वीकृत आयकर

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

35. खंड की सूचना

35.1 उत्पाद जिनसे रिपोर्ट योग्य खंड अपना राजस्व प्राप्त करते हैं

स्रोत आबंटन एवं खंड के कार्य प्रदर्शन के आकलन के प्रयोजन हेतु मुख्य प्रचालन निर्णय प्रस्तुतकर्ता (सीओडीएम) को रिपोर्ट की गई सूचना प्रेषित वस्तुओं के प्रकारों पर केन्द्रित है। कंपनी के निदेशकों ने उत्पादों में अंतर के इर्द-गिर्द कंपनी का व्यवस्थापन किया है। कंपनी में रिपोर्ट योग्य खंडों को प्राप्त करने में किसी भी रिपोर्टिंग खंड को एकीकृत नहीं किया गया है। विशेष रूप से, इण्ड एएस 108-प्रचालन खंडों के अन्तर्गत कंपनी का रिपोर्ट योग्य खंड निम्नानुसार है :

i) रसायन खंड

ii) एल्यूमिनियम खंड

कंपनी ने रसायनों और एल्यूमिनियम को दो प्रमुख प्रचालन व्यवसाय खंड माना है। रसायनों में निस्तप्त एल्यूमिना, एल्यूमिना हाईड्रेट एवं अन्य संबंधित उत्पाद शामिल हैं। एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम इन्गॉट्स, वायर रॉड्स, बिलेट्स, स्ट्रिप्स, रोल्ड और अन्य सम्बंधित उत्पाद शामिल हैं। एल्यूमिना के उत्पादन के लिए ग्रहीत खपत हेतु उत्पादित बॉक्साइट को रसायनों के अंतर्गत शामिल किया गया है एवं एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए ग्रहीत खपत हेतु उत्पादित विद्युत को एल्यूमिनियम खंड में शामिल किया गया है। मुख्यतः संभाव्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को उपयोग में लाने के लिए प्रारंभ किए गए पवन ऊर्जा संयंत्र को गैर-आबंटित सामान्य खंड में शामिल किया गया है।

35.2 खंड राजस्व एवं परिणाम

रिपोर्ट योग्य खंड द्वारा प्रचालनों से कंपनी के राजस्व एवं परिणामों का विश्लेषण निम्नवत हैः

राशि करोड़ ₹ में

	खंड राजस्व	
प्रचालन खंड	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
रसायन खंड	4,248.29	5,680.07
एल्यूमिनियम खंड	5,466.37	6,875.72
अनाबंटित	42.63	173.95
प्रचालनों का योग	9,757.29	12,729.74
घटाएँ : अंतरखंड राजस्व	1,285.45	1,230.42
प्रचालनों से राजस्व	8,471.84	11,499.32

	खंड परिणाम	
प्रचालन खंड	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
रसायन खंड	554.26	1,819.81
एल्यूमिनियम खंड	(281.98)	778.38
अपवादिक मदें, ब्याज और कर से पूर्व खंड परिणाम	272.28	2,598.19
ब्याज और वित्त प्रभार	5.74	2.37
ब्याज और लाभांश आय	134.43	256.34
अनाबंटित व्यय को छोड़कर अन्य अनाबंटित आय	(174.73)	(112.24)
संयुक्त उद्यमों के लाभ/(हानि) का अंश	(2.00)	1.29
कर-पूर्व लाभ	224.24	2,741.21

35.3 खंड परिसंपत्तियाँ और देयताएँ

राशि करोड़ ₹ में

	खंड परिसंपत्तियाँ		खंड देयताएँ	
	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
रसायन खंड	4,399.65	4,040.88	2246.24	1806.17
एल्यूमिनियम खंड	6,014.16	5,579.21	941.34	1337.01
खंड परिसंपत्तियों और देयताओं का योग	10,413.81	9,620.09	3,187.58	3,143.18
अनाबंटित	4,134.24	5,527.30	313.37	388.60
परिसंपत्तियों और देयताओं का योग	14,548.05	15,147.39	3,500.95	3,531.78

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

35.4 अन्य खंड की सूचना

राशि करोड़ ₹ में

	मूल्यह्रास एवं परिशोधन		गैर-चालू परिसंपत्तियों में संयोजन	
	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
रसायन खंड	216.70	180.03	322.21	250.77
एल्यूमिनियम खंड	250.52	236.18	59.61	53.23
अनाबंटित	62.61	59.89	61.74	137.94
प्रचालनों का योग	529.83	476.10	443.56	441.94

	गैर-नकद व्यय वाली सामग्री	
	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
रसायन खंड	36.38	66.96
एल्यूमिनियम खंड	65.62	52.82
अनाबंटित	6.69	2.26
	108.69	122.04

35.5 प्रमुख उत्पादों से राजस्व

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
अपने प्रमुख उत्पादों एवं सेवाओं के निरंतर प्रचालन कार्यों से कंपनी के राजस्व का विश्लेषण निम्नवत् है :		
रसायन खंड (हाईड्रेट एवं एल्यूमिना)	2,978.28	4,435.08
एल्यूमिनियम खंड (एल्यूमिनियम)	5,392.54	6,823.63
	8,370.82	11,258.71

35.6 भौगोलिक सूचना

राशि करोड़ ₹ में

कंपनी का प्रचालन मुख्यतया प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र - भारत (अधिवास देश) एवं देश के बाहर है

	बाह्य ग्राहकों से राजस्व		गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	
	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
भारत	4,859.90	6,466.00	9,990.25	9,546.69
भारत के बाहर	3,510.92	4,792.71	—	—
योग	8,370.82	11,258.71	9,990.25	9,546.69

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

36. प्रति शेयर आय

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष ₹ प्रति शेयर	31.03.2019 को समाप्त वर्ष ₹ प्रति शेयर
36.1 मूल आय प्रति शेयर (₹)		
कुल प्रचालनों से	0.73	9.07
कुल मूल आय प्रति शेयर	**0.73**	**9.07**

36.2 मूल आय प्रति शेयर

मूल आय प्रति शेयर की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की आय एवं भारित औसत संख्या निम्नानुसार है :

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
कंपनी के मालिकों को आरोप्य वर्ष के लाभ	136.23	1,733.69
मूल आय प्रति शेयर की गणना में प्रयुक्त आय	**136.23**	**1,733.69**

	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
मूल आय प्रति शेयर की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़ में)	**186.56**	**191.17**

37. वित्तीय प्रपत्र

राशि करोड़ ₹ में

37.1 वित्तीय प्रपत्रों की श्रेणियाँ	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
लाभ या हानि के माध्यम से सही मूल्य पर आकलित (एफवीटीपीएल)		
(क) अनिवार्य रूप से आकलित :		
(i) म्यूच्युअल फंड में निवेश	55.01	80.81
(ii) विदेशी मुद्रा पर अग्रेषण संविदा	शून्य	शून्य
परिशोधित मूल्य पर आकलित		
(क) नकद एवं बैंक शेष	18.47	171.60
(ख) परिशोधित मूल्य पर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	2,501.54	3,853.57
	2,575.02	**4,105.98**
वित्तीय देयताएँ		
परिशोधित मूल्य पर आकलित	**1,282.48**	**1,791.26**

स्तर 1 सूचना पर आधारित उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ उपलब्ध हैं। इन परिसंपत्तियों का उचित मूल्य सक्रिय बाजार पर चिह्नित है जिसमें कोविड 19 के फलस्वरूप उत्पन्न अनिश्चितता के घटक शामिल हैं।

37.2 वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य

अपने व्यवसाय के क्रम में, कंपनी को मुख्यतया विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, ब्याज दरों, इक्विटी मूल्यों, नकदीकरण एवं ऋण जोखिम की अस्थिरता से गुजरना पड़ा है, जिससे इनसे वित्तीय प्रपत्रों के सही मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कंपनी के पास एक जोखिम प्रबंधन नीति है जो न केवल विदेशी मुद्रा जोखिम को संरक्षित रखती है, बल्कि वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं से सम्बंधित अन्य जोखिमों जैसे कि ब्याज दर जोखिम एवं ऋण जोखिमों को भी सुरक्षा प्रदान करती है।

कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति के उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ ये सभी सुनिश्चित करते हैं:

i) वित्तीय स्थायित्व के साथ धारणीय व्यवसाय वृद्धि ;

ii) जोखिम प्रबंधन संगठन संरचना समेत रणनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप कंपनी की जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के लिए एक रणनीतिक ढाँचा प्रदान करना;

iii) यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के सभी भौतिक जोखिम घटक तुलन पत्र में एवं इससे इतर चिह्नित, आकलित परिमाणित किए जाए, यथा उपयुक्त न्यूनीकृत एवं व्यवस्थित किए जाए तथा

iv) प्रचालनों की प्रकृति, आकार एवं जटिलता की उपयुक्तता के तहत सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय कार्यपद्धतियों के ऐच्छिक अंगीकरण द्वारा कंपनी की ओर से उपयुक्त विनियमनों, जहाँ भी प्रयोज्य पड़े, का अनुपालन सुनिश्चित करना।

जोखिम प्रबंधन नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई है। जोखिम प्रबंधन प्रणाली की प्रभावकारिता एवं कार्यान्वयन को मूल्यांकित करने के लिए आन्तरिक नियंत्रण टीम जिम्मेदार होगी। यह अपने जाँच परिणामों को लेखापरीक्षा समिति के समक्ष हर तिमाही को रखेगी। कंपनी के जोखिम प्रबंधन की सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए बोर्ड जिम्मेदार है। अतएव, बोर्ड अनुपालन एवं जोखिम प्रबंधन नीति एवं इसमें किसी संशोधन को अनुमोदित करेगा एवं इसका सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा।

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

37.3 बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वसूली योग्य सही मूल्य (आर्थिक मूल्य) में भावी अर्जन (विस्तार) में या भावी नकद प्रवाह में, कोई नुकसान का जोखिम है जो कि वित्तीय प्रपत्र के मूल्य में परिवर्तन से होता है। ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, नकदीकरण एवं अन्य बाजार दरों में हुए परिवर्तन से वित्तीय प्रपत्र के मूल्य में परिवर्तन आ सकता है। बिक्री प्रक्रियाओं एवं उठायी गई निधियों एवं ऋण-चुकौती/पूर्वचुकौती के फलस्वरूप नकद प्रवाह की विसंगति से कंपनी नकदीकरण जोखिम के भी अधीन रहती है। बाजार के भावी विशिष्ट संचलनों का साधारणतया यथा उपयुक्त सटीकता के साथ अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

37.4 विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

विदेशी मुद्रा जोखिम विदेशी मुद्रा लेनदेनों पर विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के प्रभाव से उत्पन्न होता है। विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन से कंपनी की आय को सुरक्षित रखना ही मुद्रा जोखिम प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। कंपनी की नीति किसी भी प्रकार की मुद्रा सट्टेबाजी से संरक्षित रखती है। मुद्रा घटकों की यह सुरक्षा समरूप मुद्रा की क्षतिपूरक या समतुल्य परिसंपत्तियों एवं देयताओं के माध्यम से प्राकृतिक रूप से या इसकी अनुपस्थिति में, प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ लेनदेन किए गए अनुमोदित व्युत्पन्न प्रपत्रों के प्रयोग के माध्यम से प्रभावित होगी। मुद्रा जोखिम का निर्धारण, कंपनी की प्रचालन मुद्रा अर्थात आईएनआर की तुलना में सम्बंधित मुद्राओं में खुली परिस्थितियों के तहत किया जाता है। मुद्रा असंगति के कारण आए अंतर का पता लगाने के लिए मुद्रा अंतर विवरण तैयार किया जाएगा।

विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव का प्रभाव आय विवरण एवं इक्विटी पर पड़ सकता है, जहाँ एक से अधिक मुद्रा में लेनदेन का संदर्भ मिलता है या संबंधित समेकित संस्थाओं की कार्यात्मक मुद्रा की बजाए किसी मुद्रा में परिसंपत्तियाँ/देयताएँ मूल्य अंकित हुई हैं।

कंपनी विदेशी मुद्रा के मूल्य में लेनदेन करती है, फलस्वरूप विनिमय दर के उतार-चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न होती है। अग्रेषित विदेशी विनिमय संविदाओं का उपयोग करते हुए अनुमोदित नीति मानकों के तहत विनिमय दर संचालित होती हैं।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी की विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक परिसंपत्तियों और मौद्रिक देयताओं की वहन राशि निम्नानुसार है:-

	देयताएँ		परिसंपत्तियाँ	
	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
यूएसडी	0.07	0.81	100.42	241.69
यूरो	0.47	15.34	0.50	—

37.4.1 विदेशी मुद्रा का संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी विनिमय दर जोखिमों में अपनी उपस्थिति के आकलन द्वारा विदेशी विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के प्रभाव का मूल्यांकन करती है। अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियों के अनुसार व्युत्पन्न वित्तीय प्रपत्रों का उपयोग करते हुए इन जोखिमों के आंशिक हिस्से को सुरक्षा प्रदान करती है।

प्रत्येक मुद्रा के लिए विदेशी विनिमय दर की सूक्ष्मग्राहिता का निर्धारण किसी मुद्रा के निवल विदेशी विनिमय दर की उपस्थिति और साथ ही प्रत्येक मुद्रा की विदेशी विनिमय दरों में समानान्तर विदेशी विनिमय दरों में 10% परिवर्तन के एकीकरण द्वारा किया जाता है।

प्रासंगिक तुलन पत्र की तिथियों को सकल विद्यामानता के आधार पर निम्नलिखित विश्लेषण किया गया है, जो आय विवरण को प्रभावित कर सकता है। समेकित विदेशी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के रुपान्तरण के कारण आय विवरण में इसकी कोई विद्यमानता नहीं है।

निम्नलिखित तालिका 31 मार्च, 2020 एवं 31 मार्च, 2019 के अनुसार विदेशी मुद्रा प्रभावन से संबंधित सूचना प्रस्तुत करती है:

	यूएसडी का प्रभाव		यूरो का प्रभाव	
	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
वर्ष के लिए लाभ या हानि पर प्रभाव	10.0	24.1	0.00	1.53

37.5 अन्य मूल्य जोखिम

37.5.1 इक्विटी मूल्य का संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी इक्विटी प्रपत्रों के फलस्वरूप उत्पन्न इक्विटी मूल्य जोखिम के दायरे में नहीं है क्योंकि सारे इक्विटी निवेश व्यवसाय उद्देश्यों की बजाय रणनीतिक प्रयोजन से धारित है।

37.6 ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम वह वित्तीय हानि जोखिम है जो अनुबंधित शर्तों या दायित्वों के अनुसार प्रतिपक्ष द्वारा ऋण को चुकाने में अनुत्तीर्ण रहने से उत्पन्न होता है। ऋण जोखिम में चूक स्वरूप प्रत्यक्ष जोखिम एवं ऋण पात्रता के क्षीण होने से संबंधित जोखिम और साथ ही संकेन्द्रण जोखिम शामिल है। ग्राहक से अग्रिम संग्रह होने के कारण कोई महत्वपूर्ण ऋण विद्यमानता नहीं है।

वित्तीय प्रपत्र जो ऋण जोखिम के संकेन्द्रण के अधीन हैं, उनमें मुख्यतया ऋण एवं प्राप्य, व्यापार प्राप्य, ऋण एवं अग्रिम और व्युत्पन्न वित्तीय प्रपत्रों के रूप में वर्गीकृत निवेश संलग्न है। कंपनी के किसी भी वित्तीय प्रपत्र से ऋण जोखिम का भौतिक संकेन्द्रण नहीं हुआ है।

37.7 नकदीकरण जोखिम प्रबंधन

नकदीकरण जोखिम का तात्पर्य उस जोखिम से है जिससे कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा नहीं कर सकती है। नकदीकरण जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य है पर्याप्त नकदीकरण को बनाये रखना एवं यह सुनिश्चित करना कि आवश्यकता के अनुसार उपयोग के लिए निधि उपलब्ध हैं।

कंपनी की अल्पमियादी, मध्यावधि एवं दीर्घमियादी निधि संबंधी नकदीकरण प्रबंधन आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए कंपनी ने एक उपयुक्त नकदीकरण जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित किया है। पूर्वानुमानी एवं वास्तविक नकद प्रवाह पर निरंतर निगरानी रखते हुए एवं वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के परिपक्वता स्वरूप को मिलाते हुए कंपनी पर्याप्त आरक्षित निधि एवं बैंकिंग सुविधाओं के व्यवस्थापन द्वारा नकदीकरण जोखिम का प्रबंध करती है।

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

38. संबंधित पक्ष के प्रकटीकरण

38.1 संबंधित पक्ष

क. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकः

I) पूर्णकालिक निदेशकगणः

(क)	श्री एस पात्र*	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक [17.12.2019 से प्रभावी]
(ख)	श्री व्ही बालसुब्रमण्यम#	निदेशक (उत्पादन) एवं निदेशक (वित्त)-अतिरिक्त प्रभार
(ग)	श्री एस के रॉय	निदेशक (परि. एवं तक.)
(घ)	श्री पी के मिश्र	निदेशक (वाणिज्य)
(ङ)	श्री आर एस महापात्र	निदेशक (मा.सं.) [01.01.2020 से प्रभावी]
(च)	डॉ. टी के चान्द	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक [30.11.2019 तक]
(छ)	श्री बी के ठाकुर	निदेशक (मा.सं.) [31.12.2019 तक]

* श्री श्रीधर पात्र 01.09.2018 से कंपनी के निदेशक(वित्त) थे। 30.11.2019 को डॉ. टी के चान्द, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के सेवा निवर्तन के फलस्वरूप 01.12.2019 से उन्हें अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। तत्पश्चात, उन्होंने 17.12.2019 से अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का प्रभार ग्रहण किया।

\# 10.01.2020 से निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

अन्य

श्री एन के महान्ति — कंपनी सचिव

II) अंशकालिक सरकारी निदेशकगणः (भारत सरकार द्वारा नामित):

(क) डॉ. के राजेश्वर राव, आईएएस
(ख) श्री अनिल कुमार नायक, आईओएफएस

III) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकगणः

(क) श्री एन एन शर्मा
(ख) श्रीमती अचला सिन्हा
(ग) सुश्री किरण घई सिन्हा [02.02.2020 तक]
(घ) श्री दीपंकर महन्त [20.11.2019 तक]
(ङ) श्री एस शंकररमण [20.11.2019 तक]
(च) श्री महेश्वर साहु [20.11.2019 तक]
(छ) प्रो. दामोदर आचार्य [20.11.2019 तक]
(ज) श्री पी के नायक [20.11.2019 तक]

ख. संयुक्त उद्यम एवं सहयोगी

(क) अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि.
(ख) जीएसीएल नालको अल्कालीज़ एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.
(ग) उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड
(घ) खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड

ग. रोजगार उपरांत लाभ योजना

(क) नालको कर्मचारी भविष्य निधि न्यास
(ख) नालको कर्मचारी समूह उपदान न्यास

घ. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में (क) चिह्नित व्यक्ति द्वारा नियंत्रित संस्था

(क) नालको फाउंडेशन

ङ. सरकार जिनके पास नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव है :

(क) भारत सरकार

च. संस्थाएँ जिन पर भारत सरकार का नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव है (सीपीएसई)

वर्ष के दौरान निम्नलिखित सीपीएसई के साथ कंपनी का प्रमुख व्यावसायिक लेनदेन है।

i) वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय

1	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	2	पूर्व तट रेलवे
3	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि.	4	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.
5	गुजरात अल्कालीज़ एण्ड केमिकल्स लि.	6	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.
7	सेन्ट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स	8	नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड
9	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	10	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
11	वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड	12	सेन्ट्रल रेलवे
13	बीईएमएल लिमिटेड	14	ओरियंटल इंश्योरेंस कं. लि.
15	ब्रिज एण्ड रूफ कं. (इंडिया) लि.	16	डीज़ल लोकोमोटिव वर्क्स
17	बामर लॉरी एण्ड कं. लि.	18	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.
19	दक्षिण मध्य रेलवे	20	एग्जिक्यूटिव इंजीनियर, (यूकेपी) (वाट सी के लिए)
21	भारतीय जीवन बीमा निगम	22	मेकॉन लिमिटेड
23	सदर्न रेलवे	24	इंजीनियरिंग इंडिया लि.
25	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	26	राइट्स् लि.

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

ii) **वस्तुओं का विक्रय**
- क) नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन (एनएसआईसी)
- ख) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.
- ग) राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.
- घ) नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लि.
- ङ) मिश्र धातु निगम लि.

38.2 संबंधित पक्ष के लेनदेन

I. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

राशि करोड़ ₹ में

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
अल्पकालिक कर्मचारी लाभ		
— वेतन	4.36	3.79
— भविष्य निधि में अंशदान	0.25	0.24
— चिकित्सा लाभ	0.01	0.01
— अन्य लाभ	0.03	0.03
रोजगार उपरांत लाभ #	(0.09)	(0.09)
अन्य दीर्घकालिक लाभ	0.10	0.09
कुल	**4.65**	**4.07**

चूँकि रोजगार-उपरांत लाभ एवं अन्य दीर्घकालिक लाभ के अंतर्गत कर्मचारी लाभ व्यय का बीमांकिक मूल्यांकन सभी कर्मचारियों के लिए समग्र आधार पर किया गया है, इसलिए प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए ये व्यय समानुपातिक आधार पर विवेचित हैं।

प्रमुख प्रबंथकीय कार्मिक से देय ऋण/अग्रिम — राशि करोड़ ₹ में

विवरण	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
वर्ष के अंत में बकाया	0.02	0.01
वर्ष के दौरान किसी भी समय सर्वाधिक देय राशि	0.03	0.01

II. रोजगार उपरांत लाभ योजना

वर्ष के दौरान लेनदेन — राशि करोड़ ₹ में

ट्रस्ट का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
एनईपीएफ ट्रस्ट	पीएफ - अंशदान	431.10	333.12
एनईजीजी ट्रस्ट	निधि में कमी	57.35	270.75

वर्ष के अंत में बकाया शेष — राशि करोड़ ₹ में

ट्रस्ट का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
एनईपीएफ ट्रस्ट	पीएफ - अंशदान देय	27.37	26.59
एनईजीजी ट्रस्ट	देय निधि में कमी	55.98	57.40

III. नालको फाउंडेशन

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
नि.सा.उ. ट्रस्ट में अंशदान	18.58	9.61

IV. भारत सरकार : वर्ष के दौरान लेनदेन

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
शेयरों की पुनर्खरीद	—	260.70
वर्ष के दौरान लाभांश का भुगतान	265.38	545.92

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

V. सीपीएसई/सरकारी उपक्रम - वर्ष के दौरान लेनदेन

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
सीपीएसई/सरकारी उपक्रम से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय	3,212.19	3,007.70
सीपीएसई एवं सरकारी उपक्रम को वस्तुओं की बिक्री	883.56	1245.97

वर्ष के अंत में बकाया शेष

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	31.03.2020 को यथा	31.03.2019 को यथा
सीपीएसई/सरकारी उपक्रमों से वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय के लिए देय	26.51	137.78
सीपीएसई एवं सरकारी उपक्रम को वस्तुओं की बिक्री के लिए प्राप्य	—	—

39. पिछले वर्ष के आँकड़ों का पुनः वर्गीकरण

पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ कहीं भी अपेक्षित हो, उन्हें तुलनात्मक बनाने के लिए पुनः वर्गीकृत / पुनः व्यवस्थित किया गया है।

कृते पात्र एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 310100ई

(सीए अम्बिका प्रसाद महान्ति)
साझेदार
(सदस्यता सं.: 057820)

कृते जीएनएस एण्ड एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 318171ई

(सीए संतोष कुमार देहुरी)
साझेदार
(सदस्यता सं.: 053937)

स्थानः भुवनेश्वर
दिनांकः जून 26, 2020

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

40. अतिरिक्त सूचना का प्रकटन:

राशि करोड़ ₹ में

(क) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एवं को

समूह में संस्था का नाम	निवल परिसंपत्तियाँ अर्थात कुल देयताएँ निकाल कर कुल परिसंपत्तियाँ		लाभ एवं हानि में अंश		अन्य व्यापक आय में अंश		कुल व्यापक आय में अंश	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि	कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि
संयुक्त उद्यम (इक्विटी विधि के अनुसार निवेश)								
भारतीय								
उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड	0.37%	36.75	-1.19%	(1.63)		—	-1.36%	(1.63)
खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड	0.02%	1.58	-0.27%	(0.37)		—	-0.31%	(0.37)
अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड	0.37%	36.48	0.36%	0.49	0.00%	0.00	0.41%	0.49
जीएसीएल नालको अल्कलीज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	5.98%	596.96	(0.37%)	(0.50)	0.00%	0.00	(0.42%)	(0.50)
योग	**6.73%**	**671.76**	**-1.47%**	**(2.00)**	**0.00%**	**—**	**-1.67%**	**(2.00)**

(ख) 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए एवं को

समूह में संस्था का नाम	निवल परिसंपत्तियाँ अर्थात कुल देयताएँ निकाल कर कुल परिसंपत्तियाँ		लाभ एवं हानि में अंश		अन्य व्यापक आय में अंश		कुल व्यापक आय में अंश	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि	कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि
संयुक्त उद्यम (इक्विटी विधि के अनुसार निवेश)								
- भारतीय								
उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड	—	—	—	—	—	—	—	—
खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड	—	—	—	—	—	—	—	—
अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड	0.34%	35.47	0.03%	0.47	—	—	0.03%	0.47
जीएसीएल नालको अल्कलीज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	3.79%	397.04	0.05%	0.82	—	—	0.05%	0.82
योग	**4.13%**	**432.51**	**0.07%**	**1.29**	**0.00%**	**—**	**0.07%**	**1.29**

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

41. सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों की प्रमुख विशेषताएँ

सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की प्रमुख विशेषताओं से संलग्न विवरण (फॉर्म एओसी-1)

भाग "ख": सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम

सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसार विवरण

	विवरण		संयुक्त उद्यम			
			उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड	खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड	अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि.	जीएसीएल नालको अल्कलीज एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.
1.	**अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र की तिथि**		**31.3.2020**	**31.3.2020**	**31.3.2020**	**31.03.2020**
2.	**वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी/संयुक्त उद्यमों के शेयर**		**31.3.2020**	**31.3.2020**	**31.3.2020**	**31.03.2020**
	सं.		1,00,00,000	40,000	1,62,23,900	24.00,00,000
	सहयोगियों/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि (₹)		10,00,00,000	4,00,000	16,22,39,000	2,40,00,00,000
	धारिता का %		50.00%	40.00%	49.00%	40.00%
3.	**विवरण कि किस प्रकार महत्वपूर्ण प्रभाव है**		[टिप्पणी 41.2 देखें]	[टिप्पणी 41.2 देखें]	[टिप्पणी 41.2 देखें]	[टिप्पणी 41.2 देखें]
4.	**कारण कि क्यों सहयोगी/संयुक्त उद्यम को समेकित नहीं किया गया है**		—	—	—	—
5.	**अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता में आरोप्य निवल संपत्ति (₹)**		18,37,25,000	63,14,464	17,87,39,508	2,38,78,38,400
6.	**वर्ष के लिए लाभ /(हानि) (₹)**					
	i.	समेकन में विवेचित	-1,62,75,000	(36,85,536)	49,37,185.12	(50,00,000)
	ii.	समेकन में अविवेचित	—	—	—	—

टिप्पणी:

41.1 किसी भी सहयोगी या संयुक्त उद्यम ने प्रचालन शुरू नहीं किया है।

41.2 धारित इक्विटी के प्रतिशत के अनुसार वोटिंग अधिकार।

कृते पात्र एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 310100ई

(सीए अम्बिका प्रसाद महान्ति)
साझेदार
(सदस्यता सं.: 057820)

कृते जीएनएस एण्ड एसोसियेट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 318171ई

(सीए संतोष कुमार देहुरी)
साझेदार
(सदस्यता सं.: 053937)

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

एमसीए द्वारा अधिसूचित इंड एएस के अनुपालन की वस्तु-स्थितिः

इंड एएस	नामावली	विवरण
इंड एएस 1	वित्तीय विवरण का प्रस्तुतीकरण	— कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं एवं इंड एएस 1 में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसरण में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अधीन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किए गए हैं। — वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त मापन आधार एवं अपनायी गई लेखांकन नीतियों को प्रकट किया गया है। — इंड एएस की अपेक्षानुसार जानकारी (संबंधित इंड एएस के तहत नीचे भी वर्णन किया गया है) जो वित्तीय विवरण में अन्यत्र प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, को इसकी टिप्पणियों में प्रकट किया गया है। वित्तीय विवरण की टिप्पणियाँ वो सूचना भी प्रदान करती हैं जो वित्तीय विवरण में कहीं अन्य प्रस्तुत नहीं की गई है परन्तु उनमें से किसी को भी समझने के लिए प्रासंगिक है।
इंड एएस 2	मालसूचियाँ	— मालसूचियों को मापने में ग्रहीत लेखांकन नीति के साथ प्रयुक्त लागत फॉर्मूला वित्तीय विवरण की टिप्पणी 3 में निर्दिष्ट महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 3.10 में प्रकट किया गया है। — मालसूचियों के वर्गीकरण एवं उनकी वहन राशि के संबंध में, प्रकटन व्यय के रूप में स्वीकृत मालसूची की राशि, व्यय के रूप में स्वीकृत मालसूचियों की कोई पुनरांकन राशि एवं गिरवी रखी गई मालसूची टिप्पणी 15 में किया गया है।
इंड एएस 7	नकद प्रवाह विवरण	— अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा, लाभ या हानि के द्वारा अप्रत्यक्ष विधि के इस्तेमाल से नकद प्रवाह विवरण का किसी गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन विगत या भावी प्रचालन नकद रसीद या भुगतान के किसी विलंबन या संचयन एवं नकद प्रवाहों में निवेश करने या वित्त प्रबंध करने से संबंधित आय या व्यय के मदों के प्रभाव के लिए समायोजन किया गया है। — नकद प्रवाह को प्रचालन, निवेशन एवं वित्त प्रबंधन गतिविधियों के रूप में पृथक किया गया है।
इंड एएस 8	लेखांकन नीतियाँ, लेखांकन आकलनों एवं त्रुटियों में परिवर्तन	— लेखांकन नीति में कोई भी परिवर्तन, अव्यवहार्य न होने की स्थिति में पूर्व-व्याप्ति के साथ प्रयोग किया गया है, पूर्व अवधि में प्रस्तुत इक्विटी के लिए प्रत्येक प्रभावी अवयव की प्रारंभिक शेष राशि एवं पूर्व में प्रस्तुत प्रत्येक अवधि के लिए प्रकट की गई अन्य तुलनात्मक राशि का समायोजन किया गया। — लेखांकन आकलन में कोई परिवर्तन जो परिसंपत्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन लाते हैं या इक्विटी के किसी मद से संबंध रखते है, को परिवर्तन की अवधि में संबंधित परिसंपत्ति, देयता या इक्विटी मद की वहन राशि के समायोजन द्वारा स्वीकृति दी गई है। — किसी पूर्व अवधि(यों) की त्रुटि का पता चलने पर, जिस पर अवधि के दौरान ₹50 करोड़ का प्रभाव है, के लिए मानक द्वारा निर्देशित अनुसार पूर्व व्याप्ति के साथ संशोधित किया गया है।
इंड एएस 10	रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएँ	— कंपनी ने रिपोर्टिंग अवधि के बाद समायोजित घटनाओं को प्रदर्शित करने के लिए, अपने वित्तीय विवरणों में राशियों को समायोजित किया है। — रिपोर्टिंग अवधि के बाद घोषित लाभांश अवधि के अंत में देयता के रूप में स्वीकृति नहीं दी गई है। तथापि, इस प्रभाव का उपयुक्त प्रकटन टिप्पणीः 18.4 में किया गया है।
इंड एएस 11	निर्माण अनुबंध	— ठेकेदारों के वित्तीय विवरणों को तैयार करने में यह मानक प्रयोज्य है जो निर्माण व्यवसाय में है। किसी परिसंपत्ति के निर्माण के लिए ठेकेदार नहीं रहने पर, इंड एएस 11 कंपनी को लागू नहीं है।
इंड एएस 12	आयकर	— कर व्यय और लेखांकन लाभ के बीच के संबंध को टिप्पणी 35 में कर व्यय एवं लागू कर दर से गुणा करते हुए लेखांकन लाभ के गुणन फल के बीच सांख्यिकी मिलान के माध्यम से वर्णन किया गया है। — अन्य विशद आय में एवं प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में स्वीकृत मदों से संबंधित वर्तमान कर एवं आस्थगित कर को क्रमशः अन्य विशद आय एवं इक्विटी में स्वीकृत किए गए हैं। प्रकटन टिप्पणी 35 में किया गया है।
इंड एएस 16	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	— प्रत्येक श्रेणी की संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए अनुरक्षित मापन आधार, उपयोगी जीवन एवं मूल्यह्रास विधि महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 3.4 में वर्णन किया गया है। — वर्ष के दौरान संयोजन, निपटान एवं मूल्यह्रास व्यय व्यक्त करने वाले प्रारंभिक वहन मूल्य एवं अंतिम वहन मूल्य के बीच के मिलान को टिप्पणी 5 में दिया गया है।
इंड एएस 19	कर्मचारी लाभ	— दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों को तीन प्रमुख शीर्ष अर्थात परिभाषित अंशदान योजनाओं, परिभाषित लाभ योजनाओं एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कर्मचारियों की भविष्य निधि एवं पेन्शन निधि में कंपनी ने अंशदान को परिभाषित अंशदान योजनाओं के रूप में स्वीकृति दी गई है जबकि सेवानिवर्त्तन पर उपदान, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ, बंदोबस्ती लाभ, नालको हितकारी निधि योजना, नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना को परिभाषित लाभ योजना के रूप में स्वीकृति दी गई है। क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ, लम्बी सेवा पुरस्कार एवं एन.ई.एफ.एफ.ए.आर.एस. के लिए भुगतान दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के रूप से स्वीकार किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

एमसीए द्वारा अधिसूचित इंड एएस के अनुपालन की वस्तु-स्थितिः

इंड एएस	नामावली	विवरण
इंड एएस 19	कर्मचारी लाभ	— परिभाषित लाभ योजनाओं एवं दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के बाबत कंपनी की देयता का बीमांकिक मूल्यांकन किया गया है एवं इसी अनुसार व्यय/आय की स्वीकृति दी गई है। — जनांकिक एवं वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन के कारण सेवा लागत, ब्याज व्यय/आय, लाभ या हानि का पुनःमापन दर्शानेवाले प्रत्येक परिभाषित लाभ देयताओं के लिए प्रारंभिक देयता एवं अंतिम देयता के बीच मिलान टिप्पणी 31.ख. में प्रकट किया गया है। — बीमांकिक धारणाओं का संवेदनशील विश्लेषण जो दर्शाता है कि किस प्रकार प्रासंगिक बीमांकिक धारणाओं के परिवर्तन द्वारा परिभाषित लाभ देयता प्रभावित हुआ है, को टिप्पणी 31.ग. में प्रकट किया गया है।
इंड एएस 20	सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन एवं सरकारी सहयोग का प्रकटन	— परिसंपत्तियों के लिए सरकार से प्राप्त अनुदान को आस्थगित आय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस विषय में लेखांकन नीति अनुच्छेद 3.15 में प्रकट की गई है।
इंड एएस 21	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तनों का प्रभाव	— विदेशी मुद्रा में किए गए लेनदेन के संबंध में लेखांकन नीतियों को महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 3.7 में प्रकट किया गया है।
इंड एएस 23	उधारी लागत	— कंपनी उधारी लागतों को पूँजीकृत करती है जो परिसंपत्ति की लागत के अंश के तौर पर अर्हता परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन पर प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य है। इस संबंध में प्रकटीकरण महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 3.14 में किया गया है।
इंड एएस 24	संबंधित पार्टी प्रकटन	— संबंधित पार्टियों के नाम, उनके साथ एकीकृत बिक्री एवं क्रय लेनदेन, उनके विरुद्ध कोई बकाया शेष एवं प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों को भुगतान किए गए लाभ एवं उनके विरुद्ध ऋण बकाया को टिप्पणी 39 में प्रकट किया गया है।
इंड एएस 27	पृथक वित्तीय विवरण	— संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों में किए गए निवेश को पृथक वित्तीय विवरणों में लागत पर प्रस्तुत किया गया है।
इंड एएस 28	सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यम में निवेश	— कंपनी इक्विटी विधि का इस्तेमाल करते हुए अपने समेकित वित्तीय विवरणों में निवेश की वहन राशि के साथ सहायक कंपनियों के लाभ या हानि में लाभ के अंश को समायोजित करती है।
इंड एएस 29	अति मुद्रास्फीति विषयक अर्थ व्यवस्था में वित्तीय रिपोर्टिंग	— यह मानक कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि इसकी कार्यात्मक मुद्रा किसी भी अति मुद्रास्फीति विषयक अर्थ-व्यवस्था की मुद्रा नहीं है।
इंड एएस 32	वित्तीय साधनों का प्रस्तुतीकरण	— परिसंपत्तियों एवं देयताओं के सभी मद मानक में निर्देशित परिभाषाओं के आधार पर वित्तीय एवं अन्य परिसंपत्तियों और देयताओं में पृथकीकृत किए गए हैं एवं अनुसूची III में अपेक्षानुसार प्रस्तुत किए गए हैं।
इंड एएस 33	प्रति शेयर आय	— कंपनी ने कोई संभावित इक्विटी शेयर जारी नहीं किया है। अतएव मूल एवं मंदित ईपीएस दोनों वही रहे। — ईपीएस की गणना में प्रयुक्त अवधि के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं आय के संबंध में प्रकटन टिप्पणी 37 में किया गया है।
इंड एएस 34	अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग	— एक सूचीबद्ध संस्था होने के कारण, कंपनी तिमाही आधार पर इस मानक में निर्देशित मान्यता एवं मापन सिद्धांतों के अनुसार सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अपेक्षानुसार अपने अंतरिम वित्तीय ब्यौरे तैयार करती है।
इंड एएस 36	परिसंपत्ति की क्षति	— विभिन्न परिसंपत्तियों की क्षति के संबंध में लेखांकन नीति महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में संबंधित अनुच्छेदों में प्रकट किया गया है। — प्रबंधन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को परिसंपत्ति के वहन मूल्यों की समीक्षा करता है एवं आकलन करता है कि क्या कोई ऐसा सूचक है कि मानक के अनुसार परिसंपत्ति की क्षति हो सकती है।
इंड एएस 37	प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं परिसंपत्तियाँ	— प्रावधान, आकस्मिक देयताओं एवं परिसंपत्तियों के संबंध में लेखांकन नीतियों को महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुच्छेद 3.8 में व्यक्त किया गया है। — विगत गतिविधियों, कानूनी या रचनात्मक के फलस्वरूप जब कंपनी के पास वर्तमान देयता है जिसके लिए देयता के निपटान हेतु संसाधनों के बहिःभाव की आवश्यकता है तब प्रावधान को स्वीकृति दी गई है एवं गतिविधि से पूरे जोखिमों एवं अनिश्चितताओं पर विचार करते हुए विश्वसनीय रूप से आकलित किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के प्रावधानों का संचलन टिप्पणी 22(ग) में प्रकट किया गया है। — अन्य देयताओं के मामले में, जो विगत गतिविधियों से उत्पन्न हुई है एवं जिनकी विद्यमानता एक या एक से अधिक अनिश्चित भावी गतिविधियों के घटने या न घटने, जो पूर्णरूप से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है, के द्वारा पुष्टि की जाएगी, आकस्मिक देयताओं को टिप्पणी 25 में प्रकट किया गया है एवं अनुसूची III की आवश्यकता के अनुपालन में है। — आकस्मिक परिसंपत्तियों को स्वीकृति नहीं दी गई है, परन्तु प्रकट की गई है, जहाँ आर्थिक लाभों के अन्तर्प्रवाह की संभावना है।

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

एमसीए द्वारा अधिसूचित इंड एएस के अनुपालन की वस्तु-स्थितिः

इंड एएस	नामावली	विवरण
इंड एएस 38	अमूर्त परिसंपत्ति	— इस संबंध में लेखांकन नीति महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुच्छेद 3.5 में उल्लेख की गई है। — कंपनी आर एवं डी गतिविधियों पर व्यय, एनपीवी बाबत भुगतान, समूह परियोजनाओं पर व्यय एवं सॉफ्टवेयर पर व्यय को स्वीकृति देती है जो अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में मानक में निर्देशित मान्यताओं के लिए शर्तों को पूरा करती है। — संयोजन, घटाव एवं परिशोधन को दर्शाने वाले अमूर्त परिसंपत्तियों की प्रारंभिक वहन राशि एवं अंतिम वहन राशि का मिलान टिप्पणी 7 में दिया गया है।
इंड एएस 40	निवेश संपत्ति	— कंपनी के पास कोई निवेश संपत्ति नहीं है, इसलिए यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 41	कृषि	— कंपनी के पास कोई कृषि गतिविधि नहीं है, इसलिए यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 101	भारतीय लेखांकन मानकों का पहली बार अभिग्रहण	— कंपनी ने वर्ष 2016-17 में इंड एएस को अपनाया है और इसलिए यह मानक लागू नहीं होता है।
इंड एएस 102	शेयर आधारित भुगतान	— वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेनदेन नहीं हुआ जिसमें शेयर-आधारित भुगतान है, अतएव यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 103	व्यवसाय संयोग	— यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 104	बीमा ठेके	— यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 105	विक्रय एवं विच्छिन्न प्रचालनों के लिए धारित गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	— कंपनी के पास कोई निपटान ग्रुप नहीं है, अतएव कोई प्रकटन नहीं किया गया है।
इंड एएस 106	खनिज संसाधनों के लिए अन्वेषण एवं मूल्यांकन	— कंपनी ने खनिज संसाधनों के अन्वेषण एवं मूल्यांकन पर कोई व्यय नहीं किया है, अतएव यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 107	वित्तीय प्रपत्रों का प्रकटन	— वित्तीय प्रपत्रों के वर्गीकरण, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों प्रपत्रों से उत्पन्न जोखिम की प्रकृति एवं विस्तार के संबंध में मानक द्वारा अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी 37 में किया गया है।
इंड एएस 108	प्रचालन खंड	— कंपनी ने अपने प्रचालन को दो खंडों अर्थात रसायन खंड एवं एल्यूमिनियम खंड में वर्गीकृत किया है जो मुख्य प्रचालन निर्णय प्रस्तुतकर्ता (सीओडीएम) के दृष्टिकोण पर आधारित है जो वे कंपनी के कार्य-प्रदर्शन की समीक्षा के लिए अपनाते हैं। — खंड राजस्व, परिणाम, परिसंपत्ति एवं देयताएँ, प्रमुख उत्पादों से राजस्व, भौगोलिक सूचनाएँ एवं अन्य खंड सूचनाएँ टिप्पणी 35 में प्रकट किए गए हैं।
इंड एएस 109	वित्तीय प्रपत्र	— म्युच्युअल फंड में निवेश एवं विदेशी मुद्रा पर अग्रेषण ठेका को छोड़कर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं को परिशोधित लागत पर पाया गया है एवं टिप्पणी 37 में प्रकट किये गए हैं।
इंड एएस 110	समेकित वित्तीय विवरण	— समेकित वित्तीय विवरण समेकन की इक्विटी विधि का अनुपालन करते हुए कंपनी के संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों पर विचार करते हुए तैयार किए गए हैं।
इंड एएस 111	संयुक्त व्यवस्थाएँ	— कंपनी संयुक्त रूप से नियंत्रित व्यवस्थाओं में अपने हित की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए मानक में निर्दिष्ट सिद्धांतों का पालन करती है।
इंड एएस 112	अन्य संस्थाओं में हित का प्रकटन	— कंपनी के पास दो संयुक्त उद्यम हैं जिसकी संक्षेप में प्रस्तुत वित्तीय सूचनाएँ एवं ब्याज की वहन राशि के साथ इसके मिलान टिप्पणी 9 में प्रकट किए गए हैं।
इंड एएस 113	सही मूल्य मापन	— कंपनी ने अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं को मापते समय मानक में निर्देशित अनुसार सही मूल्य मापन के सिद्धांतों को अपनाया है। — इस विषय में लेखांकन नीति महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 4.2.6 में प्रकट की गई है।
इंड एएस 114	नियामक स्थगन लेखें	— कंपनी किसी दर नियंत्रण के अधीन नहीं है, अतएव यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 115	ग्राहकों के साथ ठेके से राजस्व	— ग्राहकों के साथ ठेके के संबंध में अपनी सभी निष्पादन देयता के समापन पर कंपनी राजस्व को स्वीकृति देती है।
इंड एएस 116	पट्टे	— कंपनी उन सभी पट्टों को चिह्नित करती है, जिसमें कोई अनुबंध है, या पट्टा है, यदि यह अनुबंध के प्रारंभ में विचार आदान-प्रदान की समयावधि के लिए किसी चिह्नित परिसंपत्ति (अनुबंध में स्पष्ट या निहित रूप से निर्दिष्ट) के उपयोग के नियंत्रण अधिकार को वहन करता है। — कंपनी लागत पर "उपयोगाधिकार" आरओयू परिसंपत्ति को स्वीकृति देती है एवं सभी पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता को मापा जाता है।

5 वर्षों का कार्य-निष्पादन एक नजर में

वास्तविक

क्रम स.	विवरण	एकक	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16
1	उत्पादनः						
	बॉक्साईट	मे.टन	73,02,245	72,30,546	70,25,109	68,25,000	63,40,142
	एल्यूमिना हाईड्रेट	मे.टन	21,60,500	21,52,500	21,05,500	21,00,100	19,53,000
	एल्यूमिनियम	मे.टन	4,18,373	4,40,242	4,25,515	3,87,422	3,72,183
	विद्युत (शुद्ध)	मे.यू.	6,067	6,256	6,547	6,066	5,841
	पवन ऊर्जा	मे.यू.	312	330	243	198	156
2	निर्यात बिक्रीः						
	एल्यूमिना	मे.टन	12,40,704	12,44,256	12,76,775	12,43,103	11,74,224
	एल्यूमिनियम	मे.टन	56,898	38,463	75,847	100,591	94,671
3	देशीय बिक्री:						
	एल्यूमिना, हाईड्रेट एवं अन्य रसायन	मे.टन	63,000	73,377	60,641	51,797	45,702
	एल्यूमिनियम	मे.टन	3,38,864	4,02,134	3,50,469	2,84,926	2,77,753
	विद्युत (शुद्ध)	मे.यू.		11	24	30	31
	पवन ऊर्जा	मे.यू.	162	330	243	198	156

वित्तीय

(₹ करोड़ में)

क्रम स.	विवरण	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16
क	आय का विवरणः					
1	निर्यात	3,510.92	4,792.71	4,075.46	3,624.99	3,247.00
2	देशीय बिक्री	4,914.83	6,593.61	5,429.66	4,308.00	3,910.00
3	सकल बिक्री (1+2)	8,425.75	11,386.32	9,505.12	7,932.99	7,157.00
4	घटाएँः उत्पाद शुल्क	—	—	128.96	494.51	454.00
5	निवल बिक्री (3 - 4)	8,425.75	11,386.32	9,376.16	7,438.48	6,703.00
6	अन्य आय :					
7	प्रचालनगत	46.09	113.00	113.19	117.03	113.00
8	गैर-प्रचालनगत	272.58	325.87	299.65	408.27	537.00
9	प्रचालन व्यय	7,982.61	8,606.79	8,091.90	6,475.86	5,879.00
10	प्रचालन लाभ (5+7-9)	489.23	2,892.53	1,397.45	1,079.65	937.00
11	अपवादिक मदों	—	—	(824.08)	40.15	(54.00)
12	ब्याज, मूल्यह्रास एवं कर पूर्व आय (ईबीआईडीटी)(10+8 -11)	761.81	3,218.40	2,521.18	1,447.77	1,528.00
13	ब्याज एवं वित्तपोषण प्रभार	5.74	2.38	1.95	2.69	1.00
14	मूल्यह्रास एवं कर पूर्व आय (ईबीडीटी) (12- 13)	756.07	3,216.02	2,519.23	1,445.08	1,527.00
15	मूल्यह्रास एवं परिशोधन	529.83	476.10	480.40	480.36	424.00
16	कर पूर्व लाभ (पीबीटी) (14-15)	226.24	2,739.92	2,038.83	964.72	1,103.00
17	कर के लिए प्रावधान	88.01	1,007.52	696.42	296.19	372.00
18	शुद्ध लाभ (पीएटी) (16 - 17)	138.23	1,732.40	1,342.41	668.53	731.00
ख	तुलन पत्रः					
19	इक्विटी पूँजी	932.81	932.81	966.46	966.46	1,288.62
20	आरक्षित एवं अधिशेष	9,055.26	9,551.70	9,538.35	9,239.33	11,906.13
21	निवल मूल्य (19+20)	9,988.07	10,484.51	10,504.81	10,205.79	13,194.75
ग	अनुपात :					
22	प्रचालन लाभ अंतर (ओपीएम) (%) (10 / 5*100)	5.81	25.40	14.90	14.51	13.98
23	निवल लाभ अंतर (%) (18 / 5 *100)	1.64	15.21	14.32	8.99	10.91
24	निवल मूल्य पर प्रतिफल (आरओएनडब्ल्यू)(%) (18/21*100)	1.38	16.52	12.78	6.55	5.54
घ	अन्य :					
25	₹ 5 प्रत्येक का प्रति शेयर बही मूल्य (₹ में)	53.54	56.20	54.35	52.80	51.20
26	प्रति शेयर आय (₹ में)	0.74	9.06	6.94	2.98	2.84
27	प्रति शेयर लाभांश (₹ में)	1.50	5.75	5.70	2.80	2.00

वर्ष 2019-20 के लिए प्रकाशित तिमाही (पुनरीक्षित) वित्तीय परिणामों एवं वार्षिक (लेखापरीक्षित) वित्तीय परिणामों का पुनर्मिलान

(क्रम सं. 11 एवं 12 को छोड़कर ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	प्रथम तिमाही (पुनरीक्षित)	द्वितीय तिमाही (पुनरीक्षित)	तृतीय तिमाही (पुनरीक्षित)	चतुर्थ तिमाही (पुनरीक्षित)	चारों तिमाहियों का योग	पूर्ण वर्ष (लेखापरीक्षित)	अन्तर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रचालनों से राजस्व (सकल)	2084.08	2363.55	2088.35	1935.86	8471.84	8471.84	—
2	अन्य आय	61.39	56.56	48.22	106.41	272.58	272.58	—
3	मूल्यह्रास को छोड़कर कुल व्यय	1871.35	2333.03	2055.66	1728.31	7988.35	7988.35	—
4	मूल्यह्रास एवं प्रावधान	126.40	134.25	134.13	135.05	529.83	529.83	—
5	कर पूर्व लाभ एवं अपवादिक मदें	147.72	-47.17	-53.22	178.91	226.24	226.24	—
6	अपवादिक मदें	—	—	—	—	—	—	—
7	कर पूर्व लाभ	147.72	−47.17	−53.22	178.91	226.24	226.24	—
8	कर के लिए प्रावधान	49.94	−18.82	−19.26	76.15	88.01	88.01	—
9	शुद्ध लाभ (पीएटी)	97.78	−28.35	−33.96	102.76	138.23	138.23	—
10	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी	932.81	932.81	932.81	932.81	932.81	932.81	—
11	प्रति शेयर आय (₹) (वार्षिकीकृत नहीं)	0.52	-0.15	-0.18	0.55	0.74	0.74	—
12	गैर-प्रोमोटर शेयरधारिता का कुल योग							
	शेयरों की संख्या	89,55,35,981	89,55,35,981	90,48,24,487	90,48,24,487			
	शेयरधारण का प्रतिशत	48%	48%	48.5%	48.5%			

नालको के विभिन्न उत्पादन एकक, उनकी अवस्थिति और उत्पादन क्षमता

1.	बॉक्साइट खान	पंचपटमाली	68,25,000 टन प्रति वर्ष (उत्तर एवं मध्य ब्लॉक) 31,50,000 टन प्रति वर्ष (दक्षिण ब्लॉक)
2.	एल्यूमिना परिशोधक	दामनजोड़ी	22,75,000 टन प्रति वर्ष*
3.	प्रद्रावक संयंत्र	अनुगुल	4,60,000 टन प्रति वर्ष
4.	ग्रहीत विद्युत संयंत्र	अनुगुल	1,200 मेगावाट
5.	पत्तन सुविधाएँ	विशाखापटनम्	14,00,000 टन प्रति वर्ष (एल्यूमिना निर्यात / कास्टिक सोड़ा घोल आयात)
6.	पवन विद्युत	गण्डीकोटा, आन्ध्र प्रदेश	50.4 मेगावाट
		लुडर्वा, जैसलमेर, राजस्थान	47.6 मेगावाट
		देवीकोट, जैसलमेर, राजस्थान	50.0 मेगावाट
		सांगली, महाराष्ट्र	50.4 मेगावाट

*21,00,000 टन प्रति वर्ष (मानक क्षमता)

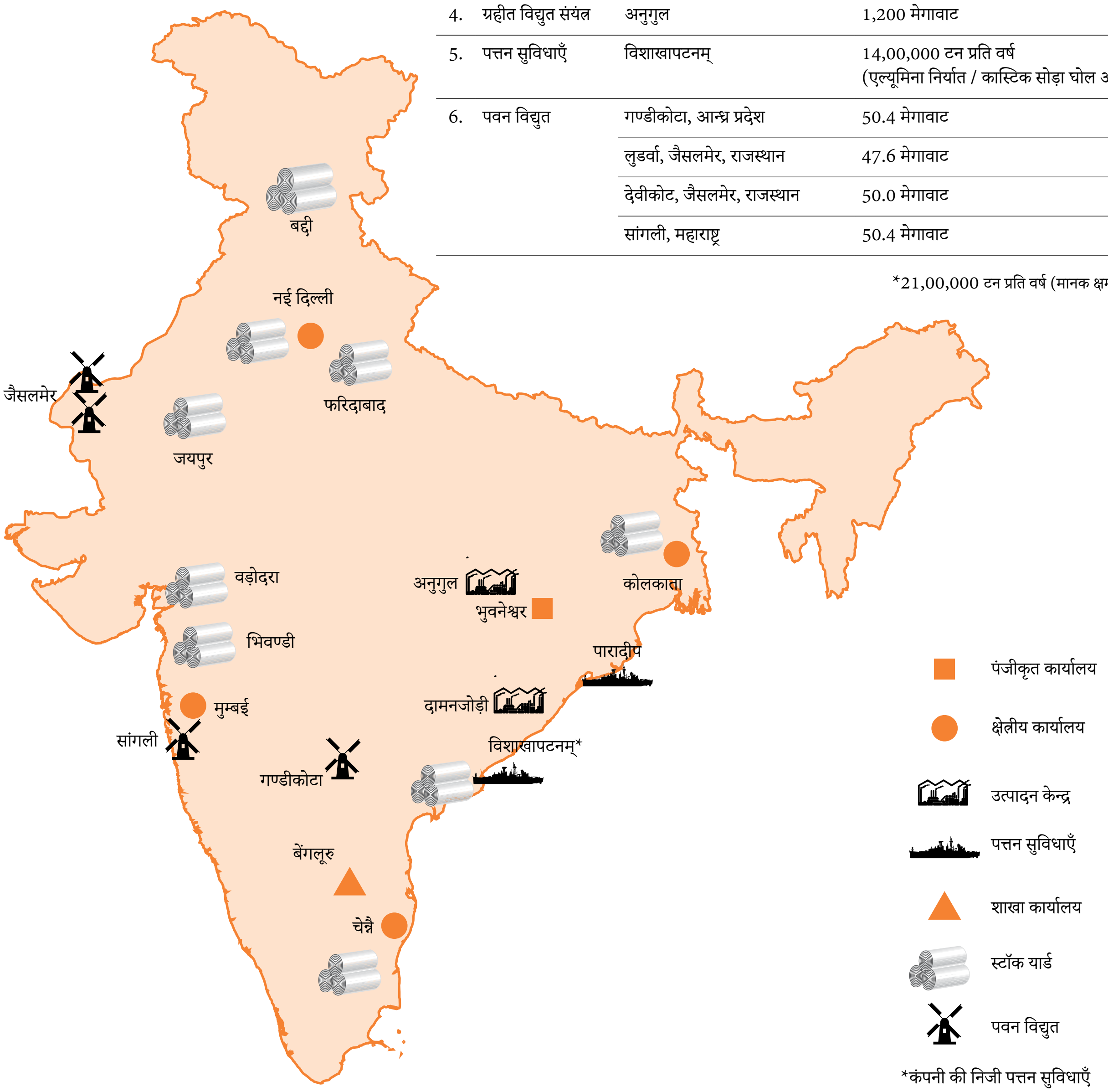

वैश्विक विस्तार

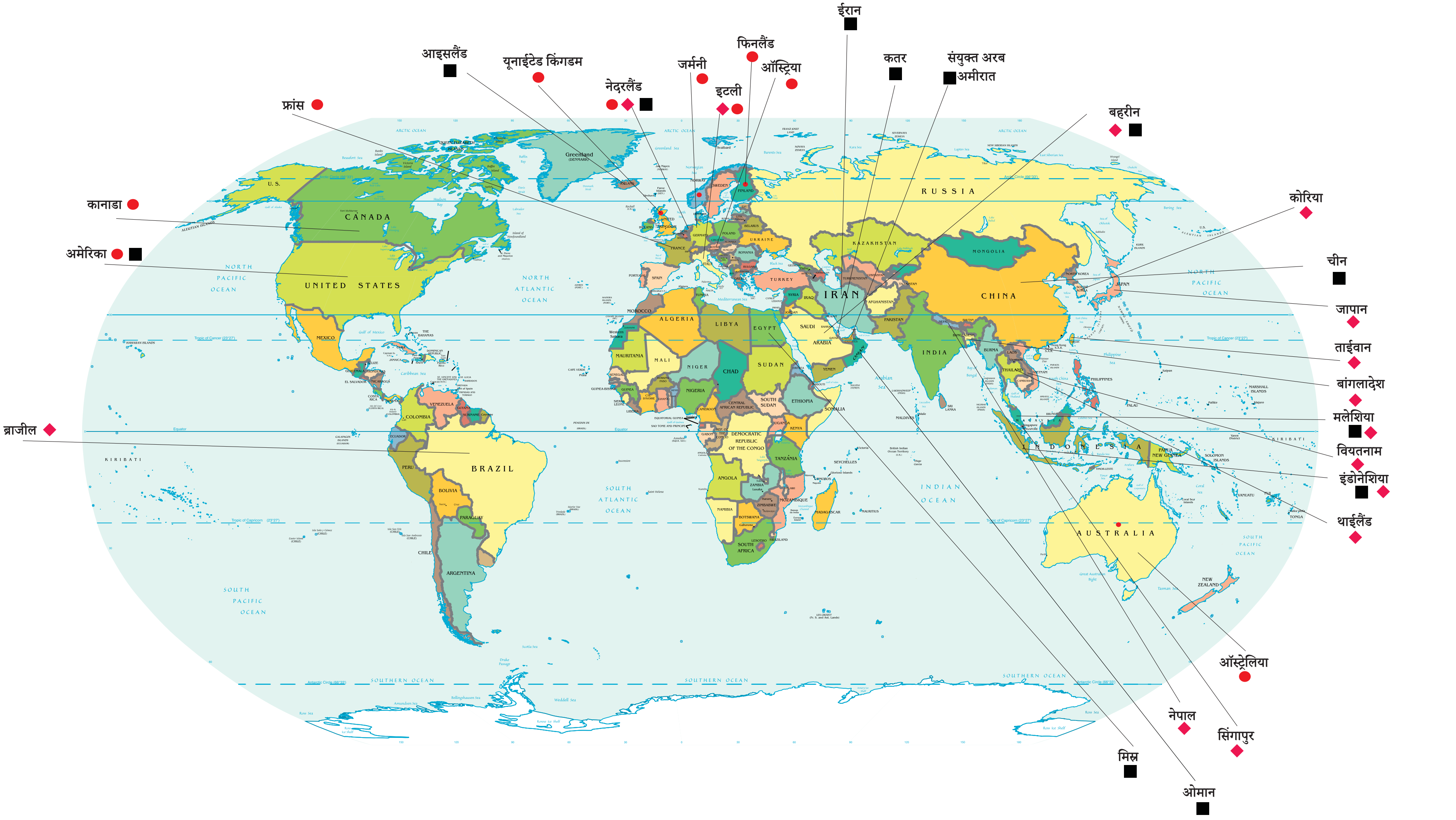

प्रौद्योगिकी सहयोगी ■ एल्यूमिना निर्यात ◆ एल्यूमिनियम निर्यात

नालको NALCO

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उद्यम)

नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर - 751013, ओड़िशा

सीआईएनः L27203OR1981GOI000920

Website Twitter

@NALCO_INDIA @CMDNalco fb.com/nalcoindia www.nalcoindia.com

Designed & Produced by 'SOBHAGYA'.
Printed at Thomson Press.